राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] ग्यारहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का छत्तीसवां दिवस [संख्या : 21

गुरुवार ;

27 अप्रेल, 2000

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्रीमती यासमीन अबरार।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, पंखे इन्होंने अपनी तरफ कर लिये, हमारी तरफ किये जायें। हमको गर्मी लग रही है। इनका रुख उधर मंत्रीजी की तरफ ही कर दिया सारा। हमारी तरफ से बिलकुल दूर कर दिया। पूरी गर्मी पड़ रही है। (व्यवधान) पूछ लो सारे माननीय सदस्यों को, इधर एक भी नहीं है। वह उधर लगा दिये।

श्री अध्यक्ष : वह लगा हुआ है उसको आन करवा देंगे। साइड वाले को आन करवा दो।

श्री छोगाराम बाकोलिया : आदिवासियों को कब गर्मी लगती है।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : रात डेढ़ बजे तक बैठे रहे गर्मी में और अब भी बैठे रहेंगे यहां पर।

श्री अध्यक्ष : बैठिये। श्रीमती यासमीन अबरार।

बजरिया क्षेत्र सवाईमाधोपुर में अवैध शॉपिंग काम्पलैक्स का निर्माण

611. **श्रीमती यासमीन अबरार** (सवाई माधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सवाईमाधोपुर बजरिया क्षेत्र में गत दो वर्षों में बिना अनुमति के कितने शॉपिंग काम्पलैक्स/दुकानों का निर्माण किया गया और इसके लिये कौन दोषी है? क्या सँरकार दोषी कर्मचारी/अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(2) उक्त क्षेत्र में अवैध/बिना इजाजत के बनाये गये शॉपिंग काम्पलैक्स/दुकानों की भूमि किन व्यक्तियों के नाम थी ? क्या उसकी सरकार को जानकारी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शांतिकुमार धारीवाल) : (1) नगरपालिका, सवाईमाधोपुर

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

से अब तक उपलब्ध रिकार्ड एवं जानकारी के आधार पर गत दो वर्षों में बजरिया क्षेत्र में अवैधानिक रूप से पांच शॉपिंग काम्पलैक्स/दुकानों के निर्माण करवाये जाने के तथ्य प्रारम्भिक तौर पर सामने आये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

1. श्रीमती रामपति पत्नी श्री तुलसी नारायण द्वारा 100 × 50 फीट भूमि पर वर्ष 1998 में अनियमित रूप से दुकानों का निर्माण।

2. श्री लालचंद पुत्र रघुनाथ दास के द्वारा 100/50 फीट भूमि पर अनियमित रूप से दुकानों का निर्माण।

3. श्री रमेश चन्द पुत्र श्री भंवरलाल के द्वारा 52.9 × 18 फीट भूमि पर दुकानों का निर्माण।

उपरोक्त तीनों मामलों में नगरपालिका द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 170(1)265 के तहत सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है।

4. सवाईमाधोपुर जिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार बजरिया, सवाईमाधोपुर को नगरपालिका के द्वारा एक भू-खण्ड साइज 120 × 75 फीट का आवंटित किया गया था। उक्त भू-खण्ड के पश्चिम की तरफ 26 × 55 फीट भूमि पालिका की पड़त होने से उस पर एक दीवार बनाकर पालिका का कब्जा था। माननीय सिविल न्यायिक (क.ख.) के द्वारा 5 × 55 फीट छोड़कर शेष भूमि 26 × 55 फीट पर निर्माण करने की अनुमति पालिका को दी गई थी, उसको उपभोक्ता भण्डार के द्वारा दीवार तोड़कर पालिका की भूमि पर अवैध निर्माण कार्य किया।

जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर द्वारा नगरपालिका के निर्णय के विरुद्ध दिनांक 5.8.99 को स्थगन आदेश जारी किये जाने के कारण अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

5. जय किशन फिल्म्स, एम.आई. रोड, जयपुर द्वारा प्रेम मंदिर सिनेमा, सवाई-माधोपुर के सिनेमा हाल के सैटबैक्स में दुकानों का निर्माण किया गया है। इस सम्बन्ध में पालिका द्वारा अनधिकृत निर्माण को हटाने हेतु पुलिस इमदाद मांगी गई। परन्तु पुलिस इमदाद नहीं मिलने के कारण अग्रिम कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी है।

उपरोक्त मामलों में जांच करवाई जाकर दोषी व्यक्तियों व अनधिकृत निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही शीघ्र ही की जायेगी।

(2) भाग संख्या-1 में इसका उत्तर निहित है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार जांच कर समुचित कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमती यासमीन अबरार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो प्रश्न का उत्तर दिया है उससे मैं पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं हूं। उन भ्रष्ट अधिकारियों ने इनको जवाब बना कर दिया है जिन्होंने खुद ने

(श्रीमती यासमीन अबरार)

इमारतें बनवाई हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि क्या यह बात सही है कि वहां के अधिकारियों ने यह धंधा बना लिया है कि पहले तो सरकारी जमीन के ऊपर निर्माण कार्य शुरू करवा देते हैं उसके बाद कोर्ट में चालान पेश कर देते हैं। चालान पेश करने के लिये, ताकि वह अपने दोष से बच सकें और निर्माण कार्य शुरू हो सके। आप यह बतायें कि जो चालान पेश करते हैं और उसके बाद में खुद ही विदड्रा कर लेते हैं। या अदम हाजरी में उसको खारिज करवा देते हैं।

मंत्रीजी से जानना चाहूंगी कि गये तीन साल में नगरपालिका ने कितने चालान विदड्रा किये या अदम हाजरी खारिज करवाये। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहूंगी कि जो आपने अपने मूल प्रश्न के जवाब में तुलसी नारायण एण्ड कम्पनी का जिक्र किया है, वह तो अलग बात है, वह तो एक अलग बात है। क्योंकि जिस विवादित जमीन का जिक्र उत्तर में किया गया है वह जमीन जहां काम्पलैक्स बना उससे लगभग हजार गज दूर जहां एक पुराना रेलवे फाटक हुआ करता था। जिसका प्रकरण मैं आपको दे रही हूं। जिसकी सीमाएं उसमें लिखी हुई है। इसके आवेदन की कापी भी मैं आपको दे रही हूं। जहां यह काम्पलैक्स बना है वह तो टोटल सरकारी जमीन थी जिस पर नगरपालिका, प्रशासनिक अधिकारियों, तुलसी नारायण एण्ड कम्पनी और भू-माफियाओं ने चारसौबीसी से उस विवादित जमीन, स्थान पर सीमा बदल कर सरकारी भूमि पर एक काम्पलैक्स बना लिया।

मंत्रीजी क्या आप इन सब पर चारसौबीसी का मुकदमा दायर करेंगे या निर्देश देंगे ? तथा सरकारी भूमि पर बने बिजनस काम्पलैक्स को क्या तोड़ेंगे ? क्या सरकार उसको सील करके अपने कब्जे में लेगी तथा इसमें सभी दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों के प्रति आप सदन में बतायें कि क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, जहां कहीं भी अतिक्रमण के और अवैध निर्माण की शिकायतें आती हैं उन शिकायतों के साथ-साथ यह भी आता है कि यह अवैध निर्माण और अतिक्रमण कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से बनाये गये हैं। मैं इसको स्वीकार करता हूं कि इस तरह की शिकायतें आती हैं। लेकिन जिस क्षेत्र के बाबत आपने सवाल पूछा है बजरिया क्षेत्र। बजरिया क्षेत्र में जो पांच निर्माण हुए हैं, उन पांच निर्माणों में तीन निर्माण में सी.जे.एम. कोर्ट में चालान नगरपालिका पेश कर चुकी। वह विदड्रा नहीं हुए हैं। वह आज भी जेरकार हैं।

चौथे निर्माण के बाबत मैं आपसे पहले निवेदन कर चुका कि कलेक्टर साहब का उसमें स्थगन आदेश है। नगरपालिका कुछ नहीं कर सकी और पांचवें के लिए मैंने आपसे निवेदन पहले ही कर दिया कि वह अतिक्रमण है और अतिक्रमण हटाने की लिस्ट में उसको शामिल कर लिया गया

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

है। और निकट भविष्य में वह अतिक्रमण हट जायेगा। आपने यह कहा कि तुलसी नारायण की जमीन, जिस पर काम्पलैक्स बनाया हुआ है वह काम्पलैक्स सरकारी भूमि पर है। मैंने आपको जवाब दिया है कि वह जमीन उसने पंचायत आलंगपुर से खरीदी थी 1966 में और 1966 में खरीदने के बाद यह क्षेत्र नगरपालिका क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया गया। जिस वक्त उसने यह खरीदी 1/4 राशि आलंगपुर पंचायत में जमा करवा दी थी। जब यह क्षेत्र नगरपालिका में आ गया तो नगरपालिका ने न्यायालय के आदेश से उससे बाकी रकम लेकर जमीन का पट्टा दे दिया है। अब सवाल यह है कि आप यह कहती हैं कि वह जमीन वह नहीं है। वह जमीन जिस पर उसने काम्पलैक्स खड़ा किया है वह सरकारी जमीन है। मेहरबानी करके आप मुझे चतुर्सीमाएं समझा दें। मैं चतुर्सीमाओं से जानकारी ले लूंगा और उसकी जांच करवा लूंगा। और जो दोषी हैं, आपने जो आरोप लगाये हैं उस तरीके से अगर कोई अधिकारी दोषी है तो उनके खिलाफ अविलम्ब कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष : कापी दे दीजिए।

श्रीमती यासमीन अबरार : मेरे पास इसकी कापी है। मैं आपको इसकी सीमाओं की कापी दे दूंगी। मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगी कि पांच काम्पलैक्स की आपने बात कही है लेकिन पांच काम्पलैक्स के अलावा कम से कम सैकड़ों दुकानों का अवैध निर्माण वहां पर हुआ है तो क्या उस पर भी आप कार्यवाही करेंगे ? अवैध निर्माण में प्रमुख रूप से एक लक्ष्मी मार्केट फर्स्ट, लक्ष्मी मार्केट सैकण्ड, एक श्रीराम बाजार है।

दूसरा आपने सवाल के जवाब में कहा है, मूल प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्रीजी ने कहा है पालिका को पुलिस सहायता नहीं मिली। तो क्या इस सम्बन्ध में पालिका ने कभी डी.एल.बी. को लिखा और नहीं लिखा तो फिर क्यों नहीं लिखा। इस सम्बन्ध में आज डी.एल.बी. का क्या दायित्व है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरे पास सवाईमाधोपुर नगरपालिका के समूचे क्षेत्र में कितने अतिक्रमण और अवैध निर्माण हुये हैं उनकी सूची उपलब्ध है। यह सूची बहुत लम्बी है। इसको एक-एक करके तो मैं बता नहीं पाऊंगा....

श्री अध्यक्ष : जरूरत नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दूसरा सवाल यह है, आपने यह पूछा कि पालिका ने पुलिस इमदाद अतिक्रमण को हटाने के लिये मांगी ? यह बिलकुल सही है न केवल पुलिस इमदाद ही मांगी बल्कि तत्कालीन कलेक्टर को 25 पत्र लिखे, लगभग 25 और 25 पत्रों में उन्होंने यह कहा कि यह-यह अतिक्रमण हो रहे हैं। यहां-यहां पर अवैध निर्माण हो रहे हैं, हमें पुलिस इमदाद दिलवायी जाये। लेकिन उस वक्त पुलिस की इमदाद नहीं मिली। और नहीं मिली, इसकी वजह से नगरपालिका खुद सक्षम नहीं थी कि वह जा करके अतिक्रमण तोड़ पाये। तो जहां तक इस बात का सवाल है

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

कि जो अतिक्रमण, हमने अतिक्रमण बताये हैं, आपने जो पूछे हैं बजरिया क्षेत्र के, उन पांच अवैध निर्माणों का या अतिक्रमणों का मामला तीन में सी.जे.एम. के यहां जेरकार है और दो का मामला चल रहा है और उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमती यासमीन अबरार : माननीय मंत्रीजी, अवैध निर्माण को इतना रोक रहे हैं। मेरा अर्थ कोई जिलेवार प्रश्न नहीं है, प्रदेश का प्रश्न नहीं है, सिर्फ सवाईमाधोपुर में एक कुछ छोटा सा बजरिया क्षेत्र है, उसका प्रश्न है। तो मैं आपसे एक रिकवेस्ट करूंगी कि इस अवैध निर्माण को रोकने के लिये आप प्रयास करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप भी सहयोग करना।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। डा. रतन लाल जाट।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 27 मार्च, 2000)

वार्षिक योजना में कमी

32. **डा. रतन लाल जाट** (सहाड़ा) : क्या आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) इस वर्ष की वार्षिक योजना का आकार छोटा करने के परिणामस्वरूप कौन-कौनसे काम बंद किये गये ?

(2) क्या यह सही है कि योजना का आकार छोटा करने के पश्चात् राज्य सरकार ने नये काम लेने और पुराने कामों को चालू रखने पर रोक लगा दी है ? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो कितनी-कितनी राशि के कितने कार्य कराये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, आयोजना (श्री दीपेन्द्र सिंह) : (1) वर्ष 1999-2000 की वार्षिक योजना का आकार छोटा करने के परिणामस्वरूप बंद हुये कार्यों की संख्या सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) राज्य सरकार ने पुराने कार्यों को बंद करने हेतु कोई आदेश जारी नहीं किये हैं। वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.11.99 के द्वारा राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु राजकीय व्यय में कमी लाने के उद्देश्य से यह निर्देश दिये गये थे कि आयोजना एवं आयोजना-भिन्न मद में किसी भी नये कार्य के लिये स्वीकृति नहीं दी जावे तथा यदि नवीन कार्यों हेतु स्वीकृति पूर्व में जारी कर दी गयी है और कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। तो कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है तो कार्य प्रारम्भ नहीं किये जावें। कार्यों पर वर्ष 1999-2000 के दौरान व्यय की गयी राशि की सूचना परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

डा. रतन लाल जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आयोजना मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि मेरे एक प्रश्न के उत्तर में आपने यह बताया कि

(डा. रतन लाल जाट)

हमने क्या-क्या विकास के कार्य बंद कर दिये हैं। आपने सब निर्माण कार्य बंद करने की बात की है। भवनों के निर्माण कार्य बंद कर दिये हैं। अपना गांव अपना काम योजना आपने बंद कर दी है। निर्बन्ध राशि में आपने कटौती करके उनके काम बंद कर दिये हैं। 32 जिले 32 काम आपने बंद कर दिये हैं। तो आपने काम बंद किये वह बता दिये। काम बंद किये वह आपने बताये, लेकिन कोई कार्य आपने स्वीकृत किया और उसको आगे नहीं किये हैं, बंद किये हैं आपने। तो केवल बंद करने से, यह बताने से मतलब नहीं है। किस-किस पंचायत समिति में कितने तो काम स्वीकृत थे, और उनमें कितने आपने बंद कर दिये, एक तो पहला सवाल मेरा माननीय मंत्रीजी से यह है।

दूसरा, योजना के आकार में जो कटौती की गयी है लगभग 1200 करोड़ रुपये की, वह लगभग 1/4 कटौती है, एक चौथाई। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह जो कटौती आपने की है वह सभी विभागों में आपने समान तौर से की है या अलग-अलग विभागों में आपने अलग-अलग प्रकार की कटौती की है।

तीसरा मेरा प्रश्न है, आपकी मार्फत माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि आपने अपने उत्तर के नोट में यह लिखा है कि हमने विद्युत विभाग के काम बंद नहीं किये। हमने सिंचाई विभाग के काम बंद नहीं किये और आपने यह भी कहा है कि हमने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के काम बंद नहीं किये हैं। तो अगर इन तीन विभागों में काम बंद नहीं किये तो पिछले एक साल, सवा साल में इन विभागों में आपने क्या-क्या काम करा दिये, कम से कम यह तो बता दिया जाये।

श्री दीपेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सप्लीमेंटरी में जानना चाहा है कि किस-किस पंचायत समिति में कौनसा बंद हुआ है, सारे राजस्थान भर से डिटेल्स कलेक्ट कराने के लिये पोस्टपोन करना पड़ा था और मैंने पोस्टपोन में एक महीने का समय मांगा था। खैर, यह प्रश्न आज लगा है तो जिलेवाइज डिटेल कामों की सूची मैंने सारी प्रस्तुत कर दी है। पंचायत समितिवार, हर कामवार एक-एक काम के हिसाब से कितनी राशि लगेगी, क्या, पूरी डिटेल मेरे पास उपलब्ध है। अगर आप फरमायें तो मैं यह सारा +++ सदन में पढ़ने को तैयार हूं आपकी इजाजत हो तो। यह मैंने आपको उत्तर बता दिया....

श्री अध्यक्ष : वह तो आप घंटे भर भी पढ़ नहीं सकेंगे।

श्री दीपेन्द्र सिंह : यह मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। दूसरा माननीय सदस्य ने....

डा. रतन लाल जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हर जिले की बात नहीं कर रहा

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(डा. रतन लाल जाट)

हूं। मेरे भीलवाड़ा जिले का तो कम से कम यह बता दें, जैसे मैंने पूछा है कि, आपने अपने जवाब में यह कहा है कि हमने सड़क निर्माण कार्य भीलवाड़ा जिले में 40 बंद कर दिये हैं। तो भीलवाड़ा जिले में स्वीकृत सड़कों के काम कितने थे ? इसी तरह से भवन निर्माण के कितने कार्य स्वीकृत थे। अपना गांव अपना काम में कितने स्वीकृत थे। निर्बन्ध राशि में कितने थे और 32 जिला 32 काम में कितने ? कम से कम एक जिले का तो आप बता दें कि इतने तो हमारे स्वीकृत थे और इतने हमने बंद कर दिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपने गृह जिले का चाहते हैं तो मैं आपकी इजाजत से निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले में कटौती के परिणामस्वरूप सड़क निर्माण के 40 कार्यों को रोकना पड़ा। भवन निर्माण का एक भी कार्य नहीं रोका गया। भीलवाड़ा जिले में अपना गांव अपना काम में एक भी काम नहीं रोका गया। निर्बन्ध राशि में एक भी काम नहीं रोका गया। 32 जिले 32 काम में एक भी काम नहीं रोका गया और मेवात क्षेत्रीय विकास योजना में एक भी काम नहीं रोका गया।

डा. रतन लाल जाट : माननीय मंत्री महोदय, आप तो स्वीकृत थे, यह बता दें।

श्री दीपेन्द्र सिंह : सुन लें आप मेहरबानी करके।

दूसरा, पूरे राजस्थान में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और राजस्थान राज्य विद्युत विभाग व सिंचाई विभाग का कोई कार्य बंद नहीं किया गया। अर्थात् भीलवाड़ा जिले में भी इन विभागों से संबंधित कोई कार्य बंद नहीं किये गये।

तीसरा, मैं निवेदन कर रहा हूं, माननीय सदस्य ने पूछना चाहा कि सभी विभागों में कटौती नहीं की गयी, कुछ विभागों में की गयी। तो जैसा कि मैंने अर्ज किया भीलवाड़ा में तो केवल सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़कों में कटौती हुई है, बाकी किसी योजना के किसी काम में आपके यहां कटौती नहीं की गयी है। क्योंकि आर्थिक संसाधनों की कमी की वजह से कटौती करने की स्थिति पैदा हुई और मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर योजना मद में कटौती की गयी है। वह मजबूरी रही थी। लेकिन खास तौर से जहां तक भीलवाड़ा का प्रश्न है केवल सड़कों के अलावा और कोई कटौती नहीं की है, मैंने आपसे अर्ज कर दिया।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने लिखा है खंड दो में 30.11.99 के द्वारा राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु राजकीय व्यय में कमी लाने के उद्देश्य से यह किया गया है। यानि आपका मतलब है एक्सपेंडीचर। मैं इसमें से यह जानकारी चाहता हूं कि यह जो हैड्स आपने बंद किये हैं, इसमें आप किसको तो खर्चा मानते हो और किसको इंवेस्टमेंट मानते हैं। जो राजस्थान की जनता के लिये या सरकार के लिये

(श्री सांवर लाल)

इंवेस्टमेंट कहा जा सकता है, वह इंवेस्टमेंट है। और जरूरी है तो उसको बंद करना सरकार के लिये क्या वाजिब था ?

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि सीकर में कितनी सड़कें स्वीकृत थी और उनमें से कितनों को आपने निरस्त किया।

श्री अध्यक्ष : एक-एक जिले का आप पूछ रहे हैं। यह तो सब 32 जिले हैं। प्रश्न है तो भीलवाड़ा का, इन्होंने पूछ लिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आपने जो 1200 करोड़ के प्लान में कटौती की है उसमें किस-किस विभाग से कितने प्रतिशत कटौती के नम्बर हैं, एक बात।

नम्बर दो, आपने कहा कि पी.एच.ई.डी., सिंचाई और विद्युत का आपने कोई कार्य नहीं रोका। तो आपने उस योजनागत व्यय में से पी.एच.ई.डी. को कितना पैसा कब-कब स्थानान्तरित किया, कृपया यह बता दें आप। आपने यह तो स्वीकार कर लिया कि राजस्थान के अन्दर नये कामों पर आपने रोक लगा दी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछ लिया आपने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आयोजना प्लान के कामों पर रोक लगा दी यह तो अच्छा किया आपने। परंतु आपने पैसा कितना-कितना स्थानान्तरित किया है। जहां काम इनको रोकने की इजाजत आपने दी और प्लान की कटौती का कारण क्या रहा, यह भी बता दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय राजेन्द्रजी।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पूर्व में भी निवेदन किया कटौती का कारण तो आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण हमको करना पड़ा और मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर करना पड़ा।

जहां तक विभिन्न विभागों को जो पैसा दिया गया, मेरे पास वह सूची भी उपलब्ध है कि किस-किस विभाग को किस-किस जिले में कितना पैसा कामों के लिए उपलब्ध हुआ, वही निवेदन कर रहा हूं। जहां तक संभव है, आपने पूछा है कि किस-किस विभाग को कितनी-कितनी राशि का आवंटन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह अलग से प्रश्न था और जो कामों में कटौती की गयी, उससे संदर्भित यह सारा प्रश्न था। अगर उसके अलावा भी यह जानकारी चाहें तो मैं माननीय सदस्य को अलग से उपलब्ध करा दूंगा।

डा. रतन लाल जाट : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है।

मैंने केवल एक जिले का पूछा है कि कितनी स्वीकृत हुई है वह माननीय मंत्री महोदय ने नहीं बताया है।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं....(व्यवधान)

डा. रतन लाल जाट : एक तो इस सवाल का जवाब ही नहीं आया है। दूसरा मैंने कहा है कि पर्सेन्टेजवाइज आपने कटौती की है। किस-किस विभाग में कितनी-कितनी कटौती की है यह भी आपने नहीं बताया है।

श्री दीपेन्द्र सिंह : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं इसे पूरा कर दूं.... (व्यवधान)

श्री अमीन खान : बाड़मेर जिले में कौन-कौनसी सड़के आपने स्वीकृत की हैं और कौन-कौनसी चालू हैं यह भी आप बता दें।

श्री अध्यक्ष : बाड़मेर जिले का जिक्र नहीं है अभी हर जिले का....

श्री दीपेन्द्र सिंह : वह भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। मेरे पास उपलब्ध है। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य चाहते हैं कि किस-किस विभाग को कितना-कितना अलाटमैंट हुआ ? कितनी कमी की गयी ? कितना रिवाइज रहा, यह सारा पुलिंदा मेरे पास उपलब्ध है। मैं आपको नजर कर देता हूं। आप फरमायें तो पूरा पढ़ देता हूं।

डा. रतन लाल जाट : अध्यक्ष महोदय, मैं पुलिंदे की बात नहीं कर रहा हूं।

श्री दीपेन्द्र सिंह : मैं पूरा उपलब्ध करा देता हूं।

डा. रतन लाल जाट : मैंने पूछा तो सभी जिलों का है लेकिन केवल मात्र एक जिले भीलवाड़ा की मैं पूछ रहा हूं। आपने जो काम बंद किये हैं वह तो बता दिये। मैं कह रहा हूं कि कितने काम स्वीकृत किये थे वह आपने अभी तक नहीं बताये हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह : मैं आगे चल रहा हूं। बीच में चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने सवाल किया था कि किस-किस मद में कितना-कितना पैसा दिया, कितना क़ाटा, कितना रिवाइज किया। वह सारी डिटेल पूछी, उसका मैंने निवेदन किया है राजेन्द्रजी राठौड़ को कि वह डिटेल्स मेरे पास उपलब्ध है। अध्यक्ष महोदय फरमायें तो पूरी पढ़ दूं या उनको यह नजर कर दूंगा।

डा. रतन लाल जाट : वह तो आप बता देना। मेरे तो सवाल का जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : आप नजर कर दीजिये।

श्री सांवर लाल : आप वह तो बता दें। मेरे सवाल का जवाब तो देवें।

श्री दीपेन्द्र सिंह : वही निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप दे दीजिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह : वही निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री मदन दिलावर।

श्री दीपेन्द्र सिंह : भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पूछा है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं कि यह सारी कटौती के आंकड़े जो आपने दिये हैं, दूसरा कहां-कहां काम हुए हैं उसकी आप जानकारी दे रहे हैं। मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि कुल 4200 करोड़ रुपये के प्लान में से 1200 की कमी करने के बाद आपने राजस्थान में कितनी लागत के कुल निर्माण कार्य करवाये हैं ?

श्री दीपेन्द्र सिंह : दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे यह प्रश्न कोई और पूछे तो मेरे ख्याल से ज्यादा उपयुक्त होता क्योंकि +++ को तो खुद को पूरी जानकारी है और यह जो हालात पैदा हुए हैं, राजस्थान की जनता पर, यह 23 हजार करोड़ के कर्जे का परिणाम रहा है। उसके कारण से सारा परिणाम भोगना पड़ा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 23000 करोड़ का एक ताबीज गले में बांध लो और जनता में घूमते रहो।

श्री दीपेन्द्र सिंह : लेकिन जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह तो सी.ए.जी. की रिपोर्ट में आ गया सारा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बोलने तो दो उनको, मंत्रीजी को बोलने दो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपके कार्यकाल का सारा कच्चा चिट्ठा कल सी.ए.जी. की रिपोर्ट में आ गया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं कि यह का यह चिट्ठा आपका आयेगा। आप सी.ए.जी. की रिपोर्ट पर डिपेंड करना चाहते हो तो वह सी.ए.जी. की रिपोर्ट में 1991 से पहले जब आपकी सरकार थी, कितने कच्चे चिट्ठे खुले हैं यह सारे कच्चे चिट्ठे पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने आये हैं। और इन चिट्ठों के आधार पर कहें कि सी.ए.जी. ने चिट्ठे खोले हैं तो चिट्ठे आपके भी खुलेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं फाइनेंशल पोजिशन की बात कर रहा हूं। आज एक अखबार में सारे फाइनेंशल आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं। मैं सिर्फ फाइनेंस की दृष्टि से कह रहा हूं। आप यह चेलेंज कर रहे थे हमारे वक्त में कुछ नहीं हुआ। यह तो फर्जी आंकड़े हैं। कल वह कन्फर्म हुआ इस सदन के सामने मैंने प्रस्तुत किया। सी. ए. जी. के माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, आप जो कह रहे हैं कि प्लान साइज कट किया, यह किया, वह किया, to put the Government in an embarrassing position that it all happened on account of their gross mismanagement of the financial discipline in the state, that is the main reason that... (interruptions)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं कल अकाल के मामले में बड़ी क्रिमिनल नेग्लीजेंसी थी, वह इस हाउस के सामने आयी है। आप वह चर्चा मत करो क्योंकि

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चर्चा बिलकुल सीमित है कि इस प्लान साइज को कम करने के बाद में आपने कितनी लागत के निर्माण कार्य करवाये।

श्री दीपेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि माननीय विपक्ष के नेता जिलेवार, हर कामवार चाहें तो मैं उन्हें दूंगा। यहां उपलब्ध है।.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं वह नहीं चाहिये, टोटल चाहिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह : टोटल चाहिये तो वह बता दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क निर्माण पर...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो टोटल बता दें।

श्री दीपेन्द्र सिंह : टोटल 26,464, ना, ना, इंडिविजुअल हैडवाइज टोटल आपको बता रहा हूं।

श्री अमराराम (धोद) : टोटल बतायें।

श्री दीपेन्द्र सिंह : सुन तो लीजिये एक मिनट...(व्यवधान) जिलावाइज नहीं बता...(व्यवधान) सड़क निर्माण पर 8951.09 ...(व्यवधान) एक सैकण्ड सारा टोटल दे रहा हूं। एक सैकण्ड तो रुकें आप... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : लाख में है या करोड़ों में है ?

श्री अध्यक्ष : पूरे राजस्थान की इंफोरमेशन है।

श्री दीपेन्द्र सिंह : यह राशि जो मैं बोल रहा हूं वह लाखों में है। सड़क निर्माण पर 8951.09 लाख, भवन निर्माण पर 2963.25 लाख, सिंचाई कार्यों पर...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : टोटल बता दें।

श्री दीपेन्द्र सिंह : मैं वही तो बता रहा हूं, 22,443.66 अपना गांव अपना काम पर 1086.74, निर्बन्ध राशि पर 689.23, 32 जिले 32 काम पर 665.87 मेवात विकास पर 61.74, पेयजल कार्यों पर 26,464,98...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप टोटल बतायें कि टोटल कितने हैं ?

श्री राजेन्द्र पारीक : इतने पैसे खर्च कर दिये कि आपसे तो गिने ही नहीं जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप टोटल बताओ ना...(व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : इतने पैसे खर्च कर दिये हैं...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप तो यह टोटल बतायें...

श्री दीपेन्द्र सिंह : मैं तो समझता था कि आप गणित में बहुत होशियार हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे मालूम नहीं है। मुझे मालूम नहीं है। +++ मदद कर दें तो क्या दिक्कत है ? आप इतना बता दें कि प्लान के वर्ष में आपने निर्माण कार्यों पर कितनी लागत के काम....

श्री दीपेन्द्र सिंह : मैं आपको अभी जोड़कर के उपलब्ध करा दूंगा।

डा. चन्द्रभान : जोड़कर के उपलब्ध करा देंगे....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इनके पास योग लगाया हुआ अभी नहीं है। उसमें योग नहीं दिया हुआ है, अलग-अलग है। आपको कामों के बारे में बता दिया।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अलग-अलग है। एक-एक दिया हुआ है क्योंकि मैं यह जानता था कि माननीय सदस्य टोटल से संतुष्ट नहीं होंगे इनको अलग-अलग बताना ही पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं सब समझ रहा हूं कि क्यों नहीं बता रहे हैं। इसमें कुल जोड़ आता है 2600 करोड़ का, कुल आपने 5022 करोड़ की योजनान्तर्गत केवल 2600 करोड़ का खर्चा किया है।

श्री दीपेन्द्र सिंह : जो विकास कार्यों पर खर्चा हुआ है, रोकने के बावजूद भी वह मैंने सदन के सामने निवेदन किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह 2600 करोड़ का हुआ ना, 2600 करोड़ है, मैं सब समझ गया। कैसे 2600 करोड़ का खर्चा हुआ, खतम हुआ किस्सा। अब नहीं बोल रहे हैं तो क्या करें। अध्यक्ष महोदय, इस प्लान साइज को कम करने के पीछे आप जो दृष्टिकोण बता रहे हैं कि वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण से हमने प्लान साइज छोटी की। यह समझ में आ गया। 3800 का प्लान इन्होंने रखा। मैं यह जानकारी चाहता हूं कि इस वर्ष के प्लान के अंतर्गत निर्माण कार्य कितनी लागत के हुए ? आप बता नहीं सकते।

श्री दीपेन्द्र सिंह : मैंने बताया ना....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, वह अलग-अलग बताया है।

श्री दीपेन्द्र सिंह : आप चाहें तो एक-एक सड़क का, बता दूं, एक-एक भवन का बता दूं, एक-एक पंचायत समितिवाइज बता दूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक-एक सड़क का बता दें....

श्री दीपेन्द्र सिंह : मैंने कहा आपको मैं सारा नजर कर दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे उसकी जरूरत नहीं है। एक-एक सड़क की या एक-एक विभाग की या एक-एक फैक्टरी की मुझे जरूरत नहीं है। जरूरत यह है कि प्लान साइज कटौती करने के बाद एक्चुअली प्लान के अन्तर्गत निर्माण कार्य कितने लागत

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के हुए। यह एक सीधा-सा क्वेश्चन है। उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अब मैंने जो हिसाब लगा रखा है उसमें कुल 2600 करोड़ रुपये के काम हुए हैं। या तो आप उसको कंट्राडिक्ट कर दीजिये या हां भर लीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्लान साइज के अन्तर्गत निर्माण कार्य की बात कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के खर्चे का क्या होगा जो प्लान के पेटे दिया जाता है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह बता दीजिये आप....(व्यवधान) आप इसको मिक्स अप मत करिये। आप यह बता दीजिए कि निर्माण कार्य कितने हुए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : मेरे पास फीगर्स नहीं हैं इस वक्त लेकिन बराबर निर्माण कार्यों की बात कर रहे हैं। प्लान की जब बात होती है, एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा होता है प्लान के तहत, एक नान प्लान एक्सपेंडीचर का खर्चा होता है तो प्लान साइज में एक्सपेंडीचर का जो खर्चा होगा उसमें उसी के तहत तनख्वाह देते हैं। आप कन्फ्यूज किसलिए कर रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है....

श्री दीपेन्द्र सिंह : एक मिनट, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं पहले इनसे बात कर लूं, अपन बात कर लेंगे। क्या यह सही है कि 2600 करोड़ में प्लान का, नोन प्लान में एस्टेब्लिशमेंट खर्च शामिल है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह मेरे से रिलेटेड प्रश्न नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिर आप जवाब देने के लिए क्यों खड़े हुए ? जवाब दीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने प्रिंसीपल की बात कही है। मैंने यह अकाउंटिंग की बात की है जो कन्फ्यूजन यहां फैलाने की चेष्टा की जा रही है, उसके तहत मैंने एक प्रिंसीपल की बात की है। फाइनेंशल सिस्टम की बात की है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप जवाब दो। फिर खड़े क्यों हो गए ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह जवाब देना नहीं चाहते। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : जवाब दो।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : 2304 करोड़ की जो परिसम्पत्तियां, एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा आपने जो बताया है....

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर सांवर लालजी, बैठिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : जब आप जानते नहीं कि आंकड़े और आंकड़े में

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

क्या फर्क होता है तो फिर क्यों खड़े हो जाते हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को खड़ा नहीं होना चाहिए था। खड़े हो गए तो जवाब देना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष : राजेन्द्रजी, बैठिए।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं, बीच में माननीय सदस्यों के खड़े होने से पूरा जवाब नहीं हो पाया।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के द्वारा 1999-2000 के दौरान 76363.21 लाख की राशि दी हुई है जिसमें विद्युत उत्पादन पर केवल 34390.82 लाख रुपये ट्रांसमिशन कार्यों पर 18956.35 लाख रुपए एवं सब स्टेशन ग्रामीण विद्युतीकरण पर 23016.04 लाख रुपए व्यय किए गए। अब जैसा कि माननीय विपक्ष के नेता ने पूछा है 3855.14 करोड़ रुपये के विरुद्ध 3433.00 करोड़ रुपए लगभग मार्च, 2000 तक व्यय किए जा चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह व्यय क्यों बता रहे हैं ? वह वर्ष तो निकल गया, आज हम अप्रेल के महीने में बैठे हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह : व्यय और खर्चे में भी फर्क है क्या ? आप पूछ रहे हैं, वह बता रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं वही पूछ रहा हूं।

श्री दीपेन्द्र सिंह : आप कुल पूछो तो कुल बताऊं, व्यय पूछो तो व्यय बताऊं, जोड़कर पूछो तो जोड़कर बताऊं, इंडिविजुअल पूछो तो इंडिविजुअल बताऊं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे इंडिविजुअल की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपके हिसाब से 3400 करोड़ रुपये खर्च हुए जिनमें प्लान और नोन प्लान और एस्टेब्लिशमेंट की सारी कोस्ट शामिल है।

श्री दीपेन्द्र सिंह : यह बात मुझे आपको समझानी पड़ेगी ? जिन्होंने यह सारा डील किया है, कौनसा खर्चा कैसा होता है, आपके द्वारा होता रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप इस चीज को छोड़िए। आपने क्या निहाल किया ? आप यह बता दो, हिन्दुस्तान में कोई राज्य नहीं है जिसने प्लान साइज को छोटा किया हो। प्लान साइज को छोटा करने का मतलब राजस्थान के विकास को अवरुद्ध करना है।

श्री दीपेन्द्र सिंह : हिन्दुस्तान में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां +++ से पूछ रहा हो।

श्री रामनारायण चौधरी : +++ क्या होता है ? आप मंत्रीजी हैं, जवाब दीजिए।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप इस चक्कर में मत पड़ो। हिन्दुस्तान में यह सबसे ज्यादा सीरियस बात है। आपकी टोटल विकास दर क्या है और विकास दर का असेसमेंट, प्लान का आप कितना खर्चा करते हैं, यह उसका मुख्य अंग है। मंत्री महोदय, आपके भाषण में कहा गया था कि हम विकास दर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। विकास दर गिर गई है और विकास दर गिरती है तो सारे पैरामीटर्स और सारे इण्डीकेटर्स, राजस्थान या कोई भी राज्य का हो, उसका इंडीकेटर डवलपमेंट का अपने आप ही गिरा हुआ नजर आता है। एक बहुत ही रोंग पिक्चर लोगों के सामने जाती है। इसलिए आपको इस प्रश्न के प्रति बिलकुल स्पष्ट होकर आना चाहिए था कि हमने प्लान साइज छोटा कर दिया उसके परिणामस्वरूप कितना इंवेस्टमेंट राजस्थान में हुआ, कितनी सेविंग हुई। इन इंवेस्टमेंट में प्लान इंवेस्टमेंट कितना है और नोन प्लान इंवेस्टमेंट कितना है।

वित्त मंत्रीजी जैसा बीच में खड़े होकर बोल गए कि एस्टेब्लिशमेंट कोस्ट है तो इन्होंने तो खर्चा बताया है, क्या उसमें एस्टेब्लिशमेंट कोस्ट शामिल नहीं है ? यह भी कह दीजिए कि आप नई क्या बात कह रहे हैं, क्वेश्चन के लिए तैयार होकर नहीं आए, उसका परिणाम है कि प्लान साइज छोटा करके आपने राजस्थान का बहुत बड़ा अहित किया है।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में जो डिटेल पूछी गई माननीय सदस्य द्वारा, इंडिविजुअल से लेकर टोटल तक, मैंने पूरी रखी है, जिलेवार रखी है, कामवार रखी है। प्रश्न से सम्बन्धित जो सूचनाएं थीं, कोई भी ऐसी नहीं छोड़ी जो न बताई हो। इसके बावजूद भी जैसा कि माननीय विपक्ष के नेता कह रहे हैं प्रश्न की तैयारी करके नहीं आए हैं। प्रश्न को पोस्टपोन भी इसी कारण करना पड़ा था कि पंचायत समिति स्तर से कम से कम 100 विभाग इसमें इन्वाल्व हैं, सारी डिटेल मैंने कलेक्ट की है। उसके बावजूद जो डिटेल माननीय विपक्ष के नेता को चाहिए, जो डिटेल माननीय सदस्यों को चाहिए, आज ही, अभी इन्हीं कागजों से मैं सारा उपलब्ध करवाने को तैयार हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं भी आपकी सर्विस करने को तैयार हूं। जो आपको जानकारी न हो, वह मुझसे पूछ लो।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल था कि इसमें कितना इंवेस्टमेंट हुआ। मंत्रीजी, मेरे सवाल का जवाब दो कि इसमें कितना इंवेस्टमेंट है और एक्सपेंडीचर कितना बकाया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : अध्यक्ष महोदय, जो कागज हमें दिए हैं, उनके माध्यम से प्रश्न पूछ रहा हूं, उसी परिधि में पूछ रहा हूं। आपने बताया कि सड़कों पर टोटल व्यय किया 89.51 मतलब 89 करोड़ मान लीजिए। यह तो आपने व्यय किया। आपने लिखा कि हमने 1224 सड़कों के काम नहीं किए तो इन्हीं का अमाउंट बता दीजिए ताकि यह पता

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लग जाए कि आपका सड़क पर प्लान का खर्चा कितना था और 89 करोड़ का खर्चा किया, यह इसमें आया हुआ है। टोटल कितना प्लान अलोकेशन था केवल सड़क पर, उसमें से निकल जाएगा, 1224 जो काम नहीं हुए उसमें कितना अमाउंट व्यय हुआ था। दोनों बातें इससे आपकी निकल जाएंगी। ज्यादा लम्बा प्रश्न नहीं है, इस पर आप आ जाइए। जब आपने यह कैलकुलेशन करके जिलावाइज सूचना दी है कि कितने जिलों में कितने काम कराएं हैं, आपने जो सूची दी है 89 और उसी के आधार पर प्रश्न पूछ रहा हूं, इससे यह पता लग जाएगा कि सड़क पर आपका कितना बजट अलोकेशन था, कितना आपने खर्च किया और कितना खर्च होना है। इन 1224 सड़कों में जो बाकी रह गए, वह सामने आ जाएगा।

श्री दीपेन्द्र सिंह : माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है कि कटौती करने के बाद कितना प्रभाव पड़ा और कटौती करने से कौन-कौनसे काम रुक गए, कौन-कौनसे काम हुए, किन-किन कामों पर खर्चा हो रहा है। ये सारी डिटेल्स मैं माननीय सदस्यों को दे चुका हूं। बजट के अन्दर कौनसी सड़क बनेगी, कितना खर्चा होगा, सारी डिटेल पहले उपलब्ध करवा दी जाती है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह आपका दिया हुआ है। मैंने नई चीज इसमें से कहां निकाली है। आपने जिलों के अन्दर सारा चार्ट बनाकर, वार्षिक कटौती 1999-2000 के कारण से बन्द हुए काम कितने हैं, जो आपने सड़कों पर जिलों की सूची देकर अन्त में यह लिखा है कि 1224 काम हम नहीं करा पाए। दूसरा प्रश्न यह कि विकास कार्यों पर हुआ व्यय दिया, सूचना आपने दे रखी है। केवल सड़कों की पूछ रहा हूं। यह सारा कुल मिलाकर आपने 89 करोड़ रुपए जो सड़कों पर व्यय किए।

मेरा पूछना है कि 1224 सड़कों को आपने ड्रोप किया है या नहीं बनाई उसमें कितनी अमाउंट खर्च होने वाली थी जो नहीं हुई, ये दोनों मिलाएंगे तो टोटल हमारा प्लान बजट का अलोकेशन आ जाएगा।

श्री दीपेन्द्र सिंह : मैं यह सूचना माननीय सदस्यों को आज ही उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सीधा सवाल है। यह तो पाइंटेड क्वेश्चन है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसको और हल्का कर लीजिए। हम कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं कर रहे हैं। हम यह चाहते हैं कि सड़कों पर आपका प्लान का कितना खर्च था। उसके अगेंस्ट में आपने खर्चा किया, तो यह यहां पर है मगर उस फीगर को आप निकाल दें तो स्पष्ट बात हो जाएगी कि प्लान का खर्चा कितना था। इसमें कोई नई बात नहीं है। यह बता दें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सवाल राजस्थान के हितों का है।

श्री सांवर लाल : एक सीधा, डायरेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन है। (व्यवधान) माननीय आयोजना मंत्रीजी से पूछा और उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारे एक सवाल का जवाब नहीं आया। हम एक महीने से तैयारी कर रहे हैं। आप राजस्थान के विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : वित्त मंत्री यहीं हैं, मुख्य मंत्रीजी यहीं हैं, अधिकारी भी यहीं हैं, इनसे पता कर लीजिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या हमें सदन के माध्यम से यह भी जानने का अधिकार नहीं है।

एक माननीय सदस्य : भैरोंसिंहजी के ऊपर हो क्या जो पूछ रहे हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान के हितों पर इससे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपका पी.डब्ल्यू.डी. का प्लान कितना था, खर्चा कितना हुआ, वह आपने बताया मगर उसका जवाब नहीं दे सकते हैं तो फिर हमारा यहां पर आना बेकार है।

इनका जवाब संतोषजनक नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं।

(व्यवधान)

मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(तदनन्तर भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया)

प्रश्न संख्या-612

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या-613

श्री शिवनारायण।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या-614

श्री बाबूलाल नागर।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री रामस्वरूप मीणा।

नई मार्बल नीति के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण

615. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) **[श्री रघुवीर सिंह** (सराड़ा) के स्थान पर**] :** क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नई मार्बल नीति वर्ष 1994 में लागू होने के बाद डूंगरपुर,

(श्री रामस्वरूप)

उदयपुर, बांसवाड़ा में सरकारी बिलानाम भूमि में खनिज मार्बल (ग्रीन मार्बल) हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुए, उनमें से कितने स्वीकृत हुए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त नीति के अनुरूप अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्रों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने का प्रावधान है ? क्या सरकार खनिज नीति में संशोधन कर इस कमी को दूर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री हीरालाल इन्दौरा) : (1) जी हां। सरकारी भूमि बिला नाम में ग्रीन मार्बल के दो खनन पट्टे, प्रधान खनिज के खनन पट्टे के अंदर ही राज्य सरकार की नीति दिनांक 5.7.95 के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये हैं। शेष आवेदन-पत्र मार्बल पॉलिसी के क्लाज-1 के अन्तर्गत डेलीनिएशन करके देने की नीति के अनुसार लम्बित आवेदन-पत्र पर स्वीकृत नहीं किये जा सकते थे।

(2) जी नहीं। प्राथमिकता के आधार पर आवेदन-पत्र निस्तारण करने का कोई प्रावधान मार्बल नीति में नहीं है, लेकिन राजकीय भूमि में डेलीनिएट किये जाने वाले प्लाटों में से 20 प्रतिशत प्लाट अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखे जाते हैं।

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित मामला है। मेरा माननीय मंत्रीजी से विनम्र निवेदन है कि राजस्थान में ग्रीन मार्बल, पिंक मार्बल एवं व्हाइट मार्बल की कुल कितनी खाने हैं ? उसमें से एस.सी. और एस.टी. के लिए कितनी खानें दी गई हैं ?

मंत्रीजी, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं अन्य जिलों में 1994 के बाद अब तक कितनी मार्बल की माइन्स स्वीकृत हुईं उनमें से आपने एस.सी., एस.टी., के व्यक्तियों को कितनी स्वीकृत कीं, जिलेवार सूची माननीय मंत्रीजी बताएं। क्योंकि इसमें जो प्रावधान है आपके नियमों में, आपने स्वयं ने इस बात को माना कि इनका आरक्षण है। जब हमारा आरक्षण इसके अंदर है तो फिर उस प्रावधान के अनुसार क्यों नहीं हमको आरक्षण दिया गया है ? आपने स्वयं ने इस बात को स्वीकार किया कि आरक्षण है और उसके बावजूद भी आपने हमको आरक्षण नहीं दिया। इसकी जो अवहेलना की है, जिन अधिकारियों ने अवहेलना की है, जिन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है एस.सी./एस.टी. के लिए, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय रामस्वरूपजी मीणा ने दो प्रश्न किये हैं। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आज के प्रश्न का सीधा सम्बन्ध ग्रीन मार्बल से है। दूसरा प्रश्न उनका यह था कि पूरे राजस्थान में ग्रीन मार्बल और दूसरे मार्बल की कितनी खानें एस.सी./एस.टी. के लोगों को दी गईं। मैंने वैसे 20

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

तारीख को जो प्रश्न हुआ था उसमें सारी जानकारी उपलब्ध करा दी थी कि पूरे राजस्थान में कितना-कितना, कहां-कहां अलाटमेंट हुआ और शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स को कितनी दी ? फिर भी मैं जानकारी के तौर पर कह देना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के लोगों को 295 मांइन्स दी गई हैं, अनुसूचित जाति के लोगों को 300 दी गई हैं। क्वैरी लाइसेंस अनुसूचित जाति के लोगों को 3815 और अनुसूचित जनजाति के लोगों को 1441 इश्यू किये गये हैं। जहां तक अनुसूचित जाति के उदयपुर में 5, सहायक अभियन्ता ऋषभदेव 15, सहायक अभियन्ता डूंगरपुर 8 ग्रीन मार्बल के पट्टे...

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो सीधा सवाल है कि हमको जितना आरक्षण मिलना चाहिए था उतना आरक्षण इसके अंदर नहीं दिया गया है। मेरा तो विनम्र निवेदन है माननीय मंत्रीजी से कि यो आरक्षण हमकों क्यों नहीं दिया गया है। जिन्होंने इसमें कोताही बरती है उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मार्बल नीति 1994 से पहले आरक्षण नहीं था। आरक्षण सिर्फ 1994 के बाद जो पालिसी आयी उसमें 20 पर्सेन्ट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए किया गया। उस आधार पर आगे सरकार प्लाटों का डेलीनिएशन करेगी, उसकी नंबरिंग करेगी, उसकी एप्लीकेशन इंवाइट करेगी और उसमें पर्टीकुलर शिड्यूल्ट कास्ट्स, शिड्यूल्ट ट्राइब्स के 20 पर्सेन्ट लोगों को शामिल किया जाएगा। डेलीनिएशन इन दिनों हुआ नहीं, पिछले दिनों भी नहीं हुआ। डेलीनिएशन नहीं होने के दो-तीन कारण हैं। एक तो वन क्षेत्र में भूमि आना और भूमि उपलब्ध नहीं हो, दूसरा सिवाय चक जमीन है उसमें मिनरल उपलब्ध नहीं होना। इस वजह से सरकार डेलीनिएशन नहीं करा पायी। डेलीनिएशन होता है तो 20 पर्सेन्ट आवश्यक होता है।

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो विनम्र निवेदन है कि जो आरक्षण आपने लागू किया, आप कहते हो कि इसकी व्यवस्था पूरी नहीं हो पायी। तो क्यों नहीं हो पायी और मेरा दूसरा निवेदन यह है कि आरक्षण जो आपने दिया है यह बहुत कम दिया है। क्या इसको बढ़ाने का आपका इरादा है माननीय मंत्रीजी ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : हां, माननीय मुख्य मंत्रीजी भी चाहते हैं कि इस आरक्षण को आगे जो नीति बने, उसमें कुछ ज्यादा किया जाए और विचार चल रहा है, विचाराधीन मामला है।

श्री रामस्वरूप : विचाराधीन तो चल रहा है, लेकिन मेरा तो विनम्र निवेदन है कि एस.सी./एस.टी. का मामला है कब तक आप निर्णय कर लेंगे इस पर ? विचाराधीन तो बहुत समय से चल रहा है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : आगे की पालिसी विचाराधीन है माननीय अध्यक्ष

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

महोदय, और उसमें हम विचार कर रहे हैं क्योंकि उसमें हम तीन-चार कैटेगरी उपलब्ध कराना चाहते हैं शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेज।

श्री अध्यक्ष : श्री जुगल काबरा।

श्री जुगल काबरा (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि 1994 की मार्बल नीति जारी होने के बाद में कितने लोगों को आवंटन किया गया और उनमें से शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अलग प्रश्न है क्योंकि यह प्रश्न ग्रीन मार्बल के लिए है और तीन स्थानों से ही संबंधित है ए.एम.ई. डूंगरपुर, ए.एम.ई. बांसवाड़ा, ए.एम.ई. उदयपुर।

श्री बंशीलाल गहलोत (राजसमन्द) : आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं क्या मंत्री महोदय बता पाएंगे कि राजसमन्द में जो व्हाइट मार्बल्स की माइन्स हैं, उस क्षेत्र में यह रिजर्वेशन इसी तरह से लागू होगा या नहीं ?

श्री हफीज मोहम्मद (मांडल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय खनिज मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कृपया आप यह बताएं कि अब तक जिन लोगों को, शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोगों को यहां माइनिंग आवंटित हुई हैं क्या आज वे उनके पास हैं या दूसरे जो खनिज के बड़े-बड़े ठेकेदार हैं उन्होंने खरीदकर उस पर अपना अधिकृत काम कर रहे हैं ? कृपया आप यह बताने का कष्ट करें।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो प्रश्न मेरे सामने आये हैं, एक राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने और दूसरा मांडल से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया है। मैंने पहले भी कहा था 1994 की पॉलिसी में स्पष्ट प्रावधान है यदि गवर्नमेंट एडिशन करेगी तो 20 पर्सेन्ट शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स को भी मिलेगी। यह प्रजेंट पोजिशन है, वर्तमान में जो पालिसी है हमारी। जहां तक माननीय हफीज मोहम्मद जी का सवाल था कि दूसरे लोग उसमें काबिज हैं तो इस तरह की हमको शिकायत होगी तो हम कार्यवाही करेंगे। जब मालिक ही शिकायत नहीं करे तो कार्यवाही किस पर करें ?

श्री हफीज मोहम्मद : माननीय मंत्री महोदय, खास तौर से हमारे जिले में बड़े-बड़े लोगों ने गरीबों के नाम से प्लाट लेकर कम्पनी बनाकर नाजायज तौर से कमाई कर रहे हैं और गरीब को एक पैसा भी आज तक नहीं मिल रहा है। मैं चाहूंगा आप इसकी जांच कराएं और इसमें कितनी सच्चाई है वो सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय सदस्य, यदि मुझे ऐसे तथ्य प्रस्तुत करेंगे तो मैं उसकी जांच करा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : डा. करण सिंह यादव।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : अध्यक्ष महोदय, खनन कार्य रोजगार से जुड़ा हुआ है और मण्डल आयोग की रिपोर्ट में रोजगार के लिए जो रिजर्वेशन किया गया था उसकी भावना सिर्फ सरकारी नौकरियों में आरक्षण तक सीमित नहीं थी। जहां तक खानों का आवंटन है, पेट्रोल पम्पों का आवंटन है या गैस एजेन्सी का आवंटन है, रोजगार से संबंधित कोई आवंटन हो उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन एस.सी./एस.टी. के अनुसार किया जाए।

राज्य सरकार के माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा जब मुख्य मंत्रीजी की मंशा एस.सी./एस.टी. का आरक्षण जो 20 प्रतिशत है वह बढ़ाया जाए, उस समय में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी खनन कार्यों में और अन्य रोजगार से जुड़े हुए जो कार्य हैं उनके अंदर आरक्षण का सरकार विचार रखती है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : इसका प्रश्न अलग से है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नीति 1994 में बनी उसमें सरकार के सामने यह सोच नहीं रही होगी, उन्होंने शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स का ही प्रोविजन रखा। अब यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह विचाराधीन है, जब नयी पालिसी आयेगी उसमें बैकवर्ड क्लासेज को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री के. सी. विश्नोई।

राज्य की सहकारी संस्थाओं में आरक्षण

616. **श्री के. सी. विश्नोई** (संगरिया) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार सहकारी संस्थाओं से भी जिस प्रकार पंचायती राज तथा नगरपालिकाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व महिलाओं को दिये जा रहे आरक्षण की भांति आरक्षण देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री खेतसिंह राठौड़) : अध्यक्ष महोदय, सहकारी संस्थाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए समय-समय पर आरक्षण के प्रावधान किये गये हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। यद्यपि सहकारी संस्थाओं का स्वरूप, प्रकृति, गठन एवं उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरपालिकाओं से भिन्न होने के कारण, उनमें ठीक उसी प्रकार आरक्षण किया जाना व्यावहारिक नहीं होगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री के. सी. विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि जब महिलाएं ओ.बी.सी., एस.सी., एस.टी. की एम.एल.ए. और एम.पी. बनकर राज चला सकती हैं, पंचायती राज चला सकती हैं, नगरपालिकाएं चला सकती हैं तो को-आपरेटिव के अन्दर उनको

(श्री के. सी. विश्नोई)

रिजर्वेशन देने में आपको क्या आपत्ति है। आपने लिखा है कि इसके लिए सरकार से आरक्षण किया जाना व्यावहारिक नहीं होगा। क्या यह चला नहीं सकती या यह चेयरमैन होकर को-आपरेटिव बैंक को नहीं चला पाएंगी। इसका हमारे को कारण बताया जाय कि यह व्यावहारिक क्यों नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, को-आपरेटिव में आपको मेम्बरशिप लेनी पड़ती है और पंचायती राज और नगरपालिकाओं में वोट देने का आपको फ्री अधिकार है और उस वोट से आप चुने जा सकते हैं। लेकिन इसमें मेम्बरशिप यदि आप नहीं लेते हैं तो फिर आप जब मेम्बर ही नहीं हैं तो फिर आपको अधिकार नहीं है, और जब वह अधिकार नहीं है तो फिर उससे आप वंचित रह जाते हो।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : मेम्बर नहीं है वह तो बात अलग है लेकिन जहां मेम्बर हों वहां तो आप रिजर्वेशन देंगे क्या ? यह बता दो आप तो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जहां मेम्बरशिप है वहां पर कृषि ऋणदायी सहकारी समितियों में एक पद अनुसूचित जाति, एक पद अनुसूचित जनजाति, एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग, एक पद महिलाओं के लिए, दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों में दो स्थान, कमजोर वर्ग एक स्थान, महिलाओं के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंकों में तीन स्थान कमजोर वर्ग के लिए, भूमि विकास बैंक में एक स्थान अनुसूचित जाति, दूसरा जनजाति, तीसरा स्थान कमजोर वर्ग के लिए। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : माननीय मंत्री महोदय, यह चेयर पर्सन का सवाल है। चेयर पर्सन का जैसे एक पंचायती राज में आपका नगर निगमों में कर रखा है, वैसे चेयर पर्सन के बारे में कहिये। यह तो माननीय सदस्यों को सब को ही मालूम है, आप पढ़ रहे हैं वह तो।

श्री के. सी. विश्नोई : जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी का सपना था आप उसको साकार नहीं करना चाहते। चुनावों के अन्दर आप उनका फोटो लगा लेते हो और राजीव गांधी के नाम से वोट ले लेते हो और अब आप यहां मेम्बरशिप कम्पलसरी कर दो कि इतनी मेम्बरशिप ओ.बी.सी. की होगी, इतनी एस.सी., एस.टी. की होगी तो अपने आप वह चुनकर आयें। महिलाएं होंगी इतनी तो अपने आप मेम्बर बनकर आएंगी। यह तो आपकी इच्छा नहीं है तो बताइये अगर सोनियां गांधीजी संगठन के अन्दर 33 परसेंट कर सकती हैं और कम्पलसरी कर दिये कि इतने मेम्बर बनाने जरूरी हैं, तो उसी तरह आप को-आपरेटिव में भी कर सकते हो कि इतने मेम्बर बनाने जरूरी हैं। आप यह मेम्बर का बहाना लेकर क्यों इसको टालना चाहते हो ?

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : प्रश्न यह है कि जो मेम्बर भी नहीं है और एस.सी., एस.टी. का सदस्य है उसको नोमीनेट भी तो किया जा सकता है जैसे पंचायत के

(श्री हेमन्त कुमार)

अन्दर है। अगर वहां से कोई सदस्य नहीं आया तो उसकी जगह उसको नोमीनेट किया जाय। उनका प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए।

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारी संस्थाओं का पंजीयन सदस्य की स्वेच्छा से और उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए गठन किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी संस्था में 80 प्रतिशत सदस्य किसी वर्ग के हों, अनुसूचित जाति, जनजाति के, तो उस संस्था को उस वर्ग की संस्था के रूप में भी दर्जा दिया जाता है। मैं माननीय सहकारिता मंत्रीजी से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि किसी वर्ग विशेष के द्वारा किसी भी वर्गीकृत श्रेणी में किसी संस्था का पंजीयन कराने के लिए आवेदन करेंगे तो क्या विभाग उस श्रेणी के सदस्यों को अपनी संस्था गठित करने की अनुमति देगा और उसका पंजीयन करेगा ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विश्नोई साहब ने कहा कि राजीवजी का सपना था और सोनिया जी यह चाहती हैं तो हम उस सपने को पूरा करने के लिए ही इधर आकर बैठे हैं और हमारा दायित्व है।

श्री के.सी. विश्नोई : आप महिलाओं को देना ही नहीं चाहते।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमारा दायित्व है कि इस ओर हम सोचें। अभी मैंने मुख्य मंत्री जी से बात की है। एक्ट के अन्दर इसमें अमेंडमेंट्स लाने पड़ेंगे और उसके बाद इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि जिससे महिलाएं भी बैंकों की चेयरमैन बन जायं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग भी बैंकों में चेयरमैन बन जायं और ओ.बी.सी. के भी बन जायं। इस ओर एक थिंकिंग है, सोच रहे है। यह सोच हमारी है, आपने यह कभी सोचा नहीं और इसीलिए अब हम यह कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न है। क्या सहकारिता मंत्री यह बताएंगे कि आप सहकारिता की किसी भी संस्था के सदस्य हैं या नहीं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि आप चेयरमैन और यह डिप्टी चेयरमैन जोधपुर बैंक के लम्बे समय तक रहे हैं और अपन दोनों को-आपरेटिव में कितनी आस्था रखते हैं। वह आपको मालूम है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री अमराराम।

सीकर आगार का मिलावटी डीजल प्रकरण

617. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सीकर आगार में दिनांक 26 फरवरी, 2000 को मिलावटी

(श्री अमराराम)

डीजल पकड़ा गया है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

(2) क्या डीजल के नमूने का परीक्षण करवाया गया है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) मिलावटी डीजल पकड़ने वाले अधिकारी को निगम द्वारा क्या प्रोत्साहन दिया गया ?

(4) उक्त मिलावट के लिए कौन जिम्मेदार है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

यातायात मंत्री (श्री छोगाराम बाकोलिया) : (1) जी हां। पकड़े जाने पर डीजल की जांच करवायी गयी तथा दिनांक 29.2.2000 को कोतवाली सीकर में प्राथमिकी दर्ज करवायी गयी।

(2) जी हां। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं।

(4) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लिए उक्त मिलावट के लिए डीजल सप्लायर मैसर्स आई.ओ.सी. ही जिम्मेदार है। भले ही यह गड़बड़ी डीजल परिवहनकर्ता द्वारा की गयी हो। इसलिए निगम द्वारा एफ.आई.आर. आई.ओ.सी. के विरुद्ध ही सीकर कोतवाली में दिनांक 29.2.2000 को दर्ज करायी गयी है।

(जांच रिपोर्ट की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक तो यह जानना चाहूंगा कि यह मिलावट 26 तारीख को पकड़ी गयी और एफ.आई.आर. 29 तारीख को दर्ज हुई। इसकी देरी होने के क्या कारण थे ? और जो हैड आफिस, इण्डियन ऑयल कारपोरेशन से डीजल सीकर ही नहीं, तमाम् जो रोडवेज के डिपो हैं, उनमें भेजने का काम करता है। हैड आफिस के वह अधिकारी 26 तारीख से सूचना मिलने के बाद सीकर डिपो के इस डीजल की प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए 26 तारीख के बाद कितनी तारीख को वहां गये हैं। और आज तक आपने कहा है एफ.आई.आर. दर्ज करायी है एक फरवरी से और अभी अप्रेल चल रहा है। आज तक उसमें क्या कार्यवाही हुई है और इस मिलावटी डीजल से रोडवेज की बसों को कितना नुकसान हुआ है। केवल यही नहीं, इसके पीछे जितना मिलावटी डीजल गया है उसके कारण सीकर डिपो के ड्राइवरों को चार्जशीट एवरेज कम जाने के कारण और इंजन व अन्य पुर्जे खराब होने के कारण कितनी चार्जशीट मिली हैं पिछले एक साल में ?

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीकर डिपो के डीजल प्रकरण की बात और राजस्थान के अन्य कितने डिपो हैं, क्या उनमें मिलावटी डीजल की जांच करवायी गयी, और नहीं करायी तो क्यों नहीं करायी ?

श्री अध्यक्ष : यह क्वेश्चन तो सीकर का है।

श्री राजेन्द्र पारीक : सीकर का ही है, सीकर का ही पूछा है मैंने। नहीं, राजस्थान का पूछा है लेकिन सीकर में यह जो सीकर का प्रकरण हुआ है, इसके बाद यह तो बड़ा गंभीर मामला था, राजस्थान रोडवेज को इससे कितना वित्तीय घाटा हुआ है, राजस्थान रोडवेज का जो माइलेज का रेश्यो था इससे उसमें फर्क पड़ा है। इतना बड़ा महत्त्वपूर्ण जो प्रश्न है तत्काल इसकी जांच करवानी चाहिए। जांच की कार्यवाही नहीं की गयी तो क्यों नहीं की गयी ?

श्री छोगाराम बाकोलिया : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बताया कि यह एफ. आई. आर. विलम्ब से क्यों हुई है। एफ.आई.आर. प्रकरण 26.2.2000 को लगभग 3.30 बजे सीकर आगार कार्यशाला के अन्दर पता लगा है, क्योंकि वह 22 हजार लीटर क्षमता वाला टैंकर जो मिला है, उसमें जब ड्रिप डालकर देखा गया तो उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी ज्यादा पायी गयी।

ऐसे में इमीजिएटली वहां पर तैनात जूनियर इंजीनियर ने महसूस किया और अपने ट्रांसपोर्टरों के सामने सैम्पल लिये। सैम्पल लेकर के फिर लेबोरेट्री में भेजे और लेबोरेट्री से उसकी रिपोर्ट 2.3.2000 को प्राप्त हो गयी है। उस लेबोरेट्री की रिपोर्ट को साथ में संलग्न करके आपको परिशिष्ट-1 दे दी है। हमने इसमें कोई विलम्ब नहीं किया है। लेकिन जो एफ.आई.आर. लॉज की है वह आई.ओ.सी. के अगेंस्ट में की है। अगर इस प्रकरण की पुनरावृत्ति कहीं बार-बार पहले देखी गयी तो पीछे के प्रकरण की जांच करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वे तो जब अनलोड हो गया, अनलोड होने के बाद में उसकी जांच भी नहीं हो सकती और कितना पहले, क्या कंजूम हो गया, किस तरीके से हुआ।

लेकिन उसके कारण से, जैसे कि सीकर के अन्दर आपने बताया कि कितने अधिकारियों के खिलाफ और इसके कारण से ई.पी.क्यू.एम. कम आने के कारण से पर किलोमीटर डीजल की खपत ज्यादा होने के कारण से चार्जशीट दी है, उसको मैं दिखवा लूंगा और उसके कारण से अगर केवल डीजल के अन्दर मिलावट के कारण से हुई है तो किसी प्रकरण के अन्दर निर्दोष आदमी के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करने के लिए मैं निर्देश दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : डीजल की जांच करवाने का नियमित.......(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आई.ओ.एन.जी.सी. के साथ हैड आफिस के अधिकारी मिले हुए हैं। 26 तारीख को पकड़ा गया तो दो दिन तक वहां के अधिकारियों को हैड आफिस के लोगों ने इस बात के लिए प्रेशराइज किया कि इसकी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करवायी जाए। यह केवल सीकर का नहीं, पूरे राजस्थान में रोडवेज के 46 डिपो हैं उनमें सब में है। हैड आफिस के उच्च अधिकारी इण्डियन ऑयल कारपोरेशन से मिलकर करोड़ों रुपयों का रोडवेज को चूना लगाने का काम किया है। क्या मंत्री महोदय, आप इसकी जांच कराने के लिए तैयार हैं ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, मैं एक ही बात जानना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : अब नहीं।

श्री छोगाराम बाकोलिया : हमें कोई दिक्कत नहीं है। जांच कराने के लिए सदा तैयार हूं। अगर इस तरीके से मिलीभगत से कोई कार्य हो रहा है तो निश्चित रूप से उसकी इन्क्वायरी करवाऊंगा और सारे प्रकरण में सब डिपो के अन्दर अगर इस तरीके से मिलावटी डीजल आता है तो मुझे जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : मंत्री महोदय, क्या दूसरे डिपो में जांच करवाने...(व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : अधिकारियों की गलती होगी तो निःसंदेह उसकी जांच पूरी करवाऊंगा।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, सीकर में तीन दिन बाद में एफ.आई.आर. दर्ज करवायी गयी है। केवल इसलिए कि इस मिलावट के प्रकरण को....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री राजेन्द्र पारीक : नियमित रूप से जांच करवाने का कोई प्रावधान नहीं है आपके।

श्री अध्यक्ष : बैठिये बैठिये। प्रश्नकाल समाप्त। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। प्रश्नकाल समाप्त। आप बैठिये बैठिये। ज्ञानदेवजी बैठिये।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम रामपुरा (चूरू) के माध्यमिक विद्यालय का शहीद सैनिक के नाम परिवर्तन

792. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 28 फरवरी, 1999 को आपरेशन विजय में द्रास (कारगिल) में वीरगति को प्राप्त शहीद श्री सत्यवीर सिंह के नाम से ग्राम रामपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू में माध्यमिक विद्यालय को शहीद के नाम नामांकित करने की घोषणा दिनांक 2 जुलाई, 1999 को वक्फ राज्य मंत्री व दिनांक 9 जुलाई, 1999 को माननीय मुख्य मंत्री द्वारा की गई ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम रामपुरा में मुख्य मंत्री की घोषणा के अनुसार विद्यालय का नामकरण नहीं करने पर शहीद की पत्नी व पिता ने मुख्य मंत्री महोदय को कई बार ज्ञापन दिये ? यदि हां, तो ज्ञापन के अनुसार क्या कार्यवाही की गई ?

(3) आपरेशन विजय में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को विभिन्न योजनाओं में कैसे लाभान्वित करने की क्या-क्या योजनाएं हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(सैनिक कल्याण मंत्री)

राजकीय माध्यमिक विद्यालय का नामकरण शहीद सूबेदार ओमप्रकाश राजकीय माध्यमिक विद्यालय रामपुरा बेरी तहसील राजगढ़ जिला चूरू की स्वीकृति जारी होने के फलस्वरूप शहीद सत्यवीर सिंह के नाम से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रामपुरा का नामकरण शहीद सत्यवीर सिंह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रामपुरा करने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

(2) जी हां। विद्यालय के नामकरण की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

(3) आपरेशन विजय में शहीद सैनिकों के परिवारों को राज्य सकरार द्वारा जारी पैकेज के अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा पैट्रोल पम्प व एल.पी.जी. गैस एजेन्सी देने का प्रावधान किया हुआ है।

ग्राम फौलादपुर (अलवर) में नियम विरुद्ध देय ऋण राशि

793. **श्री परसराम मोरदिया** (लक्ष्मणगढ़) एवं **श्री मोहन लाल बारूपाल** (जायल) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उद्योग केन्द्र अलवर द्वारा किन-किन योजनान्तर्गत शिक्षित बेरोजगारों को ऋण/सुविधाएं किन-किन शर्तों पर प्रदान की जा रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1981-86 के मध्य ग्राम फौलादपुर पंचायत समिति नीमराना, तहसील बहरोड (अलवर) के किन-किन व्यक्तियों को कब कितना-कितना ऋण किस-किस मद से दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सूची में किन-किन ऋणियों में कितना-कितना ऋण क्यों बकाया है ? क्या उक्त ऋण को वसूल करने का जिला उद्योग केन्द्र विचार रखता है ? यदि हां, तो कैसे व कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि वर्ष 1981-86 में श्री राजेश कुमार पुत्र श्री राम कुमार यादव ग्राम फौलादपुर, पंचायत समिति नीमराना तहसील बहरोड, जिला अलवर को भी जिला उद्योग केन्द्र ने ऋण दिया ? यदि हां, तो किस योजनान्तर्गत ? प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र, शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला उद्योग केन्द्र, अलवर द्वारा पूर्व में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार योजना एवं वर्तमान में प्रधानमंत्री योजना-रोजगार योजनान्तर्गत ऋण उपलब्ध करवाने हेतु नोडल ऐजेन्सी के रूप में कार्य किया जाता है। जिला उद्योग केन्द्र द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं के आवेदन पत्र आमंत्रित कर सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स समिति के माध्यम से चयन कर आवेदन-पत्रों को आवश्यक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि के

(उद्योग मंत्री)

साथ संबंधित बैंकों को भेजा जाता है। बैंकों द्वारा उक्त युवाओं को निर्धारित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रधान मंत्री रोजगार योजना की प्रति परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) सीयू योजनान्तर्गत वर्ष 1984-85 में ग्राम फौलादपुर के किसी भी युवक को लाभान्वित नहीं किया गया। वर्ष 1985-86 में 2 युवाओं को व वर्ष 1986-87 में एक युवा को लाभान्वित किया गया। सूची परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(3) यह प्रश्न बैंकों से संबंधित है। पूर्व में सीयू एवं वर्तमान में प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत ऋण बैंक द्वारा दिया जाता है। तथा दिये गये ऋण की वसूली भी नियमानुसार बैंक द्वारा की जाती है। बैंक द्वारा चाहे जाने पर जिला उद्योग केन्द्र स्तर से ऋण वसूली में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाता है।

(4) शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार योजना (सीयू) के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 में श्री राजेश कुमार यादव पुत्र श्री रामकुमार यादव, ग्राम फौलादपुर पंचायत समिति नीमराना को टाइप इंस्टीट्यूट के लिए 21,000/– रु. के ऋण की अभिशंषा एन. बी. आई. शाहजहांपुर (वर्तमान में पी. एन. बी. शाहजहांपुर) को की गई थी। बैंक द्वारा 21,000/– रु. का ऋण स्वीकृत कर वितरित किया गया था। आवेदक के प्रमाण-पत्र (दस्तावेज) आवेदन-पत्र के साथ संबंधित बैंक शाखा को भेज दिये जाते हैं। छाया प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(योजना की प्रति/सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अन्तर्राष्ट्रीय मेले में लघु उद्यमियों को प्रमाण-पत्र

794. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भारत सरकार की ओर से आयोजित भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 1999 नई दिल्ली में राजस्थान की ओर से कितने लघु उद्यमियों एवं दस्तकारों के उत्पादों का प्रदर्शन किया गया ? इनके चयन की क्या प्रक्रिया अपनाई गई ?

(2) क्या यह सही है कि इस मेले में उद्यमियों एवं दस्तकारों को स्वयं के अपने उत्पादों की बिक्री नहीं करने दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) उक्त मेले के लिए चयनित उद्यमियों एवं दस्तकारों में से किस-किस को कितने-कितने के आर्डर और व्यापारिक पूछताछ प्राप्त हुई ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त मेले में भाग लेने वाले उद्यमियों एवं दस्तकारों को कोई प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भारत सरकार की ओर से आयोजित भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 1999 नई

(उद्योग मंत्री)

दिल्ली में राजस्थान से उद्यमियों एवं दस्तकारों के उत्पादों के प्रदर्शित करने हेतु राज. लघु उद्योग निगम को अधिकृत किया गया था। राज. लघु उद्योग निगम द्वारा इस हेतु उक्त अवधि में राजस्थान मण्डप में 63 इकाइयां, जिनमें वृहद मध्यम एवं लघु उद्योग तथा दस्तकारों के उत्पादों को प्रदर्शित कराया गया। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्य की इकाइयों को भेजने हेतु वित्त निगम, रीको एवं उद्योग विभाग के अधीन जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से इकाइयों का चयन कर भेजा जाता है। राज. लघु उद्योग निगम द्वारा भी अपने स्तर से चयनित हस्तशिल्प के उत्पादों का प्रदर्शन किया जाता है तथा उन्हें बिक्री हेतु स्थान भी उपलब्ध कराया जाता है।

(2) जी नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 1999 में राजस्थान मण्डप में प्रदर्शित एवं बिक्री हेतु उपलब्ध माल को स्वयं उद्यमी एवं दस्तकारों द्वारा बेचा गया है। इस सम्बन्ध में सम्भागियों से किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) मेले में स्वदेशी एवं विदेशी कुल 2325 व्यापारिक पूछताछ हुई, जिनसे आने वाले समय में 30-35 करोड़ का व्यवसाय संभावित है। मेले के दौरान बिक्री लगभग रु. 52.00 लाख की रही।

(4) राजस्थान मण्डप में भाग लेने वाले उद्यमियों एवं दस्तकारों को प्रमाण-पत्र देने की परम्परा नहीं रही है। भविष्य के लिए सुझाव स्वीकार योग्य हैं।

परतापुर (बांसवाड़ा) में औद्योगिक विकास हेतु अवाप्त भूमि

795. **श्री रमेश चन्द्र पण्डया** (बांसवाड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बांसवाड़ा के परतापुर कस्बे में रीको के लिये कितनी बीघा भूमि कब-कब अवाप्त की गई ? उस भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र बनाने हेतु अब तक क्या प्रयास किये और कुल कितने भू-खण्ड उद्यमियों को देने हेतु निर्धारित किये हैं ?

(2) उक्त क्षेत्र में कितने उद्यमियों ने भू-खण्ड हेतु आवेदन किया और कितनों को भू-खण्ड का कब्जा दिया गया तथा कितने उद्योग स्थापित हुये ? यदि नहीं, तो क्यों और औद्योगिक प्रोत्साहन हेतु वहां क्या गतिविधि/योजना है ?

(3) क्या उक्त औद्योगिक विकास की संभावनाएं हैं ? यदि नहीं, तो उक्त भूमि का क्या होगा ?

(4) क्या उक्त भूमि को डी-एक्वायर करने की संभावना है ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा के परतापुर कस्बे में रीको के लिए अवाप्त/आवंटन की गई भूमि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है। रीको द्वारा अवाप्त भूमि को विकसित कर आधारभूत सुविधाएं यथा पानी, बिजली, सड़क एवं नालियां आदि सुविधाएं

(उद्योग मंत्री)

उपलब्ध करवाई गई हैं। इस क्षेत्र में उद्यमियों के लिए विभिन्न आकार के कुल 144 भू-खण्ड नियोजित किये गये हैं।

(2) अब तक इस औद्योगिक क्षेत्र में भू-खण्ड आवंटन हेतु कुल 18 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं, इन सभी आवदकों को भू-खण्ड आवंटित किये गये थे परन्तु इनमें से 10 उद्यमियों ने अपने आवंटित भू-खण्ड रीको को समर्पित कर दिये हैं। शेष 8 आवंटियों में से 4 आवंटियों को कब्जा दिया जा चुका है एवं एक भू-खण्ड पर उद्योग स्थापित हो चुका है एवं एक भू-खण्ड पर औद्योगिक इकाई निर्माणाधीन है।

रीको द्वारा समीपवर्ती गुजरात राज्य के अहमदाबाद में समय-समय पर औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर का आयोजन किया जाता रहा है एवं जिला स्तर पर भी विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर लगाये गये हैं। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए शुरू में आवंटित 15 एकड़ जमीन 60 रुपये प्रति वर्गमीटर रियायती दर पर आवंटित करने का प्रावधान किया गया है एवं शेष भूमि 90 रु. प्रति वर्गमीटर की दर से आवंटित की जावेगी। इसके साथ-साथ राशि को किस्तों में भुगतान करने की सुविधा भी प्रदान की गई है।

(3) जी हां। इस औद्योगिक क्षेत्र के विकास की पूर्ण संभावना है लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मंदी का दौर चलने के कारण विकास की गतिविधियां धीमी रही हैं।

(4) जी नहीं। उक्त औद्योगिक क्षेत्र का विकास रीको द्वारा किया जा चुका है। यहां पर औद्योगिक विकास की संभावनाएं भी हैं, क्योंकि यह भूमि परतापुर-डूंगरपुर राजमार्ग पर स्थित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या-796

(स्थगित)

कोटा के बेरोजगारों के लिए कियोस्क निर्माण

797. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्र कोटा में शहर सहित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कियोस्क (दुकानों) का निर्माण किया जाकर लाटरी से आवंटित करने का प्रावधान है ?

(2) क्या सरकार पूरे राजस्थान की नगरपालिका क्षेत्रों में भी उक्त योजना को लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। मुख्य मंत्री रोजगार योजना के तहत कियोस्क का निर्माण करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं तथा राज्य की प्रथम व द्वितीय श्रेणी की जिला

(स्वायत्त शासन मंत्री)

मुख्यालय वाली कुल 53 नगर निगम/परिषद/पालिकाओं हेतु इस वित्तीय वर्ष में 21250 कियोस्क निर्माण का लक्ष्य व शेष के लिये अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार अधिक से अधिक कियोस्क निर्माण हेतु निर्देशित किया गया है।

तहसील मुख्यालय सुजानगढ़ (चूरू) की होलिका दहन भूमि पर अतिक्रमण

798. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील मुख्यालय सुजानगढ़ (चूरू) में नगरपालिका प्रशासन द्वारा वर्षों से होलिका दहन किस स्थान पर किया जा रहा है ? उक्त भू-खण्ड का क्षेत्रफल कितना है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आरक्षित भूखण्ड पर कुछ व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा है ? यदि हां, तो किस-किस के द्वारा तथा अतिक्रमणकारियों से इस भूमि को कब तक मुक्त करा लिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त भू-खण्ड पर पूर्व में प्रशासन ने तारबंदी करने की घोषणा एवं तारबंदी करने का निर्णय लिया था ? क्या निर्णय की क्रियान्विति में लापरवाही करने वाले सरकारी नुमाइन्दों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त भू-खण्ड में से कुछ असामाजिक तत्वों की मिलीभगत से मिट्टी खनन (मिट्टी उठाना) का कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस अवैधानिक कार्य को कब तक बंद करवा दिया जायेगा और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पालिका प्रशासन द्वारा वर्षों से होलिका दहन कस्बे के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित भू-खसरा नं. 1622 में किया जाता है। उक्त भू-खण्ड का दिशावाइज क्षेत्रफल पूर्व में 700 फीट, पश्चिम में 740 फीट, उत्तर में 163 फीट, दक्षिण में 130 फीट कुल क्षेत्रफल 1,09,264.5 वर्गफीट है।

(2) आरक्षित भू-खण्ड पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अतः अतिक्रमण हटाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(3) जी हां। उक्त भू-खण्ड पर पालिका मण्डल की साधारण सभा की बैठक दिनांक 27.2.99 के प्रस्ताव सं. 4 द्वारा तारबंदी करने का निर्णय लिया गया था। परन्तु बजट अभाव के कारण निर्णय की क्रियान्विति नहीं की जा रही है। पालिका की आर्थिक स्थिति ठीक होने के पश्चात् ही समुचित कार्यवाही की जावेगी।

(4) जी नहीं। पालिका को तहसील कार्यालय से दिनांक 26.2.96 को उक्त भू-खण्ड का कब्जा प्राप्त हुआ था। उसके पश्चात् मिट्टी खनन का कार्य नहीं हो रहा है।

आना सागर अजमेर झील में नौकायन

799. **श्री ललित भाटी** (अजमेर-पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अजमेर स्थित आना सागर झील में बने हुए टापू तक जाने के लिए नौका चालन का ठेका प्रणाली पर नगर परिषद् अजमेर ने दिया है ? यदि हां, तो गत दो वर्षों में ठेका किसे कितनी राशि पर दिया गया और ठेके की शर्तें क्या थी ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1999-2000 का ठेका किन शर्तों पर किस ठेकेदार को दिया गया और ठेके की राशि का भुगतान किस प्रकार किया जाना तय किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त टापू पर एक रेस्तरां भी चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो किसके द्वारा ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त रेस्तरां चलाने हेतु नगर परिषद् अजमेर ने खुली बोली या निविदाएं आमंत्रित कर ठेका दिया है ? यदि हां, तो प्रतिमाह/प्रतिवर्ष कितनी राशि पर ठेका दिया गया है और नहीं, तो क्यों ?

(5) उक्त टापू में स्थित रेस्तरां किन प्रावधानों के तहत स्वीकृत किया गया ? स्वीकृति प्रदान किये गये पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या टापू उस पर निर्मित रेस्तरां भवन का मालिकाना हक नगर परिषद् अजमेर का है ? यदि नहीं, तो अन्य कौन इसका स्वामित्व अधिकार रखता है ? ऐसे अधिकार सम्बन्धी प्रपत्र सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या रेस्तरां भवन का निर्माण अजमेर नगर परिषद् द्वारा कराया गया है ? यदि हां, तो उस पर कितनी राशि व्यय की गई ? अजमेर नगर परिषद् द्वारा स्वीकृत नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर परिषद्, अजमेर द्वारा आना सागर झील में बने टापू तक जाने के लिए पृथक से किसी को भी कोई ठेका नहीं दिया गया है। आना सागर झील में नौकायन हेतु दिनांक 28.6.97 से लाइसेंस पद्धति के अन्तर्गत नौका संचालन का लाइसेंस मैसर्स फन. एन. जॉय, अजमेर को दिया गया था। शर्त अनुसार नगर परिषद एवं लाइसेंसर को सहमति पर लाइसेंस की अवधि एक-एक वर्ष के अन्तर पर तीन-तीन बार प्रतिवर्ष लाइसेंस राशि में दस प्रतिशत बढ़ाकर दी जा सकती है। दिनांक 28.6.98 से एक वर्ष के लिए 10 प्रतिशत बढ़ाकर लाइसेंस शुल्क रुपये 1,08,442/– एवं दिनांक 28.6.99 से एक वर्ष के लिये लाइसेंस शुल्क रुपये 1,19,286/– रु. वसूल कर नौका संचालन का लाइसेंस मैसर्स फन एन जॉय अजमेर को दिया गया है। लाइसेंस की शर्तें साथ में संलग्न है।

(2) बिन्दु संख्या एक में दर्शायी शर्तों के अनुसार नौका संचालन का लाइसेंस न कि

(स्वायत्त शासन मंत्री)

टापू पर जाने हेतु दिनांक 28.6.99 से एक वर्ष के लिए मैसर्स फन एन जॉय, अजमेर को रुपये 1,19,286/– में दिया गया है। उक्त राशि लाइसेंसी द्वारा ठेका दिये जाने से पूर्व ही जमा करवाई जा चुकी है।

(3) उक्त टापू पर एक रेस्तरां चलाये जाने की जानकारी आयुक्त, नगर परिषद द्वारा दी गई है। यह रेस्तरां श्री जे.पी. दाधीच नामक व्यक्ति द्वारा चलाये जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

(4) जी नहीं। नगर परिषद, अजमेर द्वारा उक्त टापू पर रेस्तरां चलाने हेतु कोई ठेका नहीं दिया गया है।

(5) नगर परिषद, अजमेर द्वारा उक्त टापू पर रेस्तरां चलाने हेतु कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

(6) टापू पर निर्मित रेस्तरां भवन के मालिकाना हक बाबत् जांच करवाई जा रही है। जांच पश्चात् मामले में समुचित कार्यवाही की जावेगी।

(7) भाग संख्या-6 में इसका उत्तर निहित है।

(शर्तों के विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

लाडनूं में नये सिनेमा हाल का निर्माण

800. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा लाडनूं (नागौर) में नये सिनेमा हाल का निर्माण हुआ है ? यदि हां, तो कब से किसके द्वारा कौनसी भूमि पर बनाया जा रहा है ?

(2) क्या इसके निर्माण की स्वीकृति नगरपालिका से ली गई है ? यदि हां, तो कब तथा किसके द्वारा किस प्रकार से दी गई ?

(3) क्या यह सही है कि बिना स्वीकृति के उक्त निर्माण कार्य हो रहा है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

(4) क्या नगरपालिका ने इसे बन्द कराने का नोटिस दिया ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

(5) उक्त सम्बन्ध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त सिनेमा हाल का निर्माण जनवरी, 2000 से श्री दिलीप कुमार एवं श्री कालू उर्फ सुनील खाती द्वारा हल्का लाडनूं की खसरा नम्बर 1125 की कृषि भूमि पर करवाया जा रहा है।

(2) जी नहीं।

(3) उक्त निर्माण नगरपालिका की बिना स्वीकृति प्राप्त किये जनवरी, 2000 से करवाया जा रहा है जिसकी जांच करवाई जायेगी।

(4) जी हां। दिनांक 30.3.2000 को नोटिस दिया गया।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(5) इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, नागौर से वस्तु स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की जाकर समुचित कार्यवाही की जावेगी।

नगरपालिका बगरू (जयपुर) के पार्षदों का निलम्बन

801. **श्री सहदेव शर्मा** (आमेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में बिना किसी पूर्व सूचना के पालिका मण्डल की बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने वाले पार्षदों की सदस्यता समाप्त किये जाने का प्रावधान है ?

(2) यदि हां, तो बगरू नगरपालिका के कौन-कौन पार्षद पालिका मण्डल की हुई बैठकों में किस-किस तिथि को लगातार अनुपस्थित रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पार्षदों की लगातार अनुपस्थिति की सूचना विभाग को दिये जाने का दायित्व पालिका के किस अधिकारी का था तथा उसने यह सूचना कब भिजवा दी और विभाग ने इस सम्बन्ध में कब और क्या कार्यवाही की है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि अनुपस्थित पार्षद पालिका से अपना मासिक भत्ता नियमित रूप से प्राप्त कर रहे हैं ? यदि हां, तो इस अवैध भुगतान के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

(5) क्या पालिका के कतिपय सदस्यों ने विभाग को लगातार अनुपस्थित और अनियमित भत्ता भुगतान की सूचना दी है ? यदि हां, तो विभाग ने कब और क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 63(1) के अन्तर्गत लगातार तीन माह अथवा लगातार तीन सामान्य बैठकों, जो भी अधिक हो, में अनुपस्थित रहने पर सदस्यता से हटाये जाने का प्रावधान है।

(2) श्री बाबूलाल रैगर दिनांक 29.11.97 की बैठक से लगातार नौ बैठकों में अनुपस्थित रहे हैं।

(3) पार्षद की लगातार अनुपस्थिति की सूचना विभाग को दिये जाने का दायित्व पालिका के अधिशासी अधिकारी का है; परन्तु विभाग को कोई सूचना नहीं भिजवाई गई है। जिसके लिये उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(4) जी हां। इस सम्बन्ध में जांच की जाकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(5) इस सम्बन्ध में जांच करवाई जावेगी।

नगर परिषद् उदयपुर में पदस्थापित निरीक्षक

802. **श्री खेमराज कटारा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री खेमराज कटारा)

(1) नगर परिषद् उदयपुर में राजस्व निरीक्षक के पद पर कितने वांछित योग्यता वाले निरीक्षक हैं और कितने बिना योग्यता वाले निरीक्षक कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ऐसे निरीक्षक भी हैं जो राज्य सरकार के आदेशों के तहत पृथक् कर दिये गये हैं, फिर भी वे कार्यरत हैं ? यदि हां, तो कितने और कब से कार्य कर रहे हैं ? उक्त व्यक्तियों को परिषद् कोष से कितना भुगतान किया गया ? उक्त प्रकरण में सरकार के आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किस स्तर पर की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या नगर परिषद् उदयपुर में अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी/कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब से ? सूची सदन की मेज पर रखें। क्या लम्बे समय से रहे प्रतिनियुक्ति वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का ग्रहणाधिकार (लियन) उनके विभाग से है या समाप्त हो गया है ?

(4) क्या नगर परिषद् उदयपुर द्वारा तीन-चार वर्ष पूर्व करीब 8 लाख रुपये के क्रियोस्क बनवा कर स्टोर में जमा कर रखे हैं ? यदि हां, तो कितनी मात्रा में हैं ? उनमें से कितने आवंटित किये और बाकी जमा रहने से परिषद् को कितनी राजस्व की हानि हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) नगर परिषद् उदयपुर द्वारा मुख्य मंत्री रोजगार योजना के तहत कितने क्रियोस्क का निर्माण कहां-कहां पर किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ? अब तक उनके निर्माण से कितनी राशि व्यय की गई ?

(6) क्या नगर परिषद् उदयपुर द्वारा केन्द्रीय क्रय संगठन (सी. एस. पी. ओ.) द्वारा अनुमोदित दरों पर जे. सी. बी. खरीदने का निर्णय लिया गया ? यदि हां, तो कौनसी कम्पनी की जे. सी. बी. खरीदने हेतु अनुमोदन हुआ ? क्या उसी कम्पनी की जे. सी. बी. क्रय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर परिषद्, उदयपुर में वांछित योग्यता वाले चार राजस्व निरीक्षक हैं एवं बिना योग्यता वाला एक राजस्व निरीक्षक कार्यरत है। सूची निम्नानुसार है :—

(अ) वांछित योग्यता वाले राजस्व निरीक्षक

1. श्री मन्नालाल साभर
2. श्री रत्नदीप दवे
3. श्री गणेश लाल चौबीसा
4. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी

(ब) बिना योग्यता वाले राजस्व निरीक्षक

1. श्री नितेश भटनागर

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) जी नहीं। श्री नितेश भटनागर जो राजस्व निरीक्षक के पद पर नियुक्ति की योग्यता नहीं रखते थे, उनको स्वायत्त शासन विभाग के आदेश संख्या प. 1(ग) 197(क) एसएमई/डीएलबी/94/15 दिनांक 7.1.98 की अनुपालना में नगर परिषद्, उदयपुर ने अपने आदेश क्रमांक 1205/97-98/3911 दिनांक 13.1.98 से अस्थाई नियुक्ति तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दी गई थी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर से जारी स्थगन आदेश एवं स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर के आदेश क्रमांक प. 1 (ग) 197(क) एसएमई/डीएलबी/94/1160 दिनांक 28.4.98 से पूर्व में जारी आदेश दिनांक 7.1.98 को निरस्त करने पर एवं एल. एस. जी. डी. कोर्स में छूट दिये जाने पर श्री नितेश भटनागर को पुनः कार्य पर लिया गया परिषद द्वारा कोई अनियमित भुगतान नहीं किया गया है। एवं सरकार के आदेशों की कोई अवहेलना नहीं हुई है। अतः किसी के भी विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(3) जी हां। नगर परिषद्, उदयपुर में 8 अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। प्रतिनियुक्ति वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का ग्रहणाधिकार (लियन) उनके पैत्रिक विभाग में ही निहित है। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची मय नियुक्ति दिनांक निम्नानुसार है :–

1. श्री अशोक यादव, आयुक्त
22.5.99
2. श्री अरूण चतुर्वेदी, डी. टी. पी.
21.6.99
3. श्री सी. एस. भण्डारी, क. लेखाकार
17.8.97
4. श्री पी. सी. बरडिया, ए. ई. एन.
31.8.98 (लाइट)
5. श्री पी. आर. पंड्या, क. अभियन्ता
4.6.99 (लाइट)
6. श्री बी. एल. जैन, अधि. अभि.
21.8.98
7. श्री के. एल. गुप्ता, स. अभियन्ता
1.6.97 (निर्माण)
8. श्री नरसिंग लाल कोली, क. अभियन्ता
30.11.95

(4). नगर परिषद्, उदयपुर द्वारा 13 यूनिट (5 कियोस्क प्रति यूनिट) के निर्माण का आदेश दिया गया था। इसमें से 3 यूनिट के 15 कियोस्क बनवाये गये थे। जिन पर कुल व्यय 1,94,130 रु. हुआ था। ठेकेदार द्वारा अलग-अलग जगह कियोस्क लगाने के प्रयास किये गये परन्तु जनता के विरोध के कारण कियोस्क नहीं लगाये जा सके हैं। चार कियोस्क टाऊन हाल रोड पर लगाये गये हैं बाकी कियोस्क स्टोर में रखे हुए हैं। किसी भी कियोस्क का अभी तक आवंटन नहीं किया गया है। राजस्व की हानि के बारे में जांच की जावेगी।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(5) नगर परिषद, उदयपुर द्वारा मुख्य मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत 12 कियोस्कों का निर्माण आवरोमाता कच्ची बस्ती में करवाया जा रहा है। इन पर अब तक 43,000/– रुपयों का व्यय हुआ है।

(6) जी नहीं।

अध्यक्ष नगरपालिका भीनमाल (जालौर) का निलम्बन प्रकरण

803. **डा. समरजीत सिंह** (भीनमाल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1999 में तत्कालीन अध्यक्ष, नगरपालिका, भीनमाल (जालौर) को अनियमितताओं के आरोप में निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो निलम्बन के कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ समय पश्चात् ही उक्त अध्यक्ष को पुनः बहाल कर दिया ? यदि हां, तो पुनः बहाल करने के क्या कारण रहे ? विवरण मय दस्तावेजों के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या निलम्बन करने के बाद कोई जांच की गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। निलम्बन के कारणों का विवरण संलग्न है।

(2) जी नहीं। आदेश दिनांक 16.10.99 के द्वारा न्यायिक जांच के दौरान निलम्बन स्थगित किया गया।

(3) न्यायिक जांच अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

नगरपालिका बगरू का लेखा अंकेक्षण

804. **श्री रतन लाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नगरपालिका बगरू में वर्ष 1994-95 से मार्च, 2000 तक किस-किस वर्ष का लेखा अंकेक्षण हो चुका है और पालिका कार्यालय में उक्त अंकेक्षण प्रतिवेदन किस-किस तिथि को प्राप्त हुए हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन पालिका मण्डल की किस-किस तिथि की बैठक में प्रस्तुत किये गये और उन पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदनों में अंकित आक्षेपों का अनुपालना में होने वाली लापरवाही के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका, बगरू में वर्ष 1994-95 से मार्च, 2000 तक जिस-जिस वर्ष का

(स्वायत्त शासन मंत्री)

लेखा अंकेक्षण हो चुका है और पालिका कार्यालय में उक्त अंकेक्षण जिस-जिस तिथि को प्राप्त हुए उनका विवरण संलग्न है।

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन पालिका मण्डल की बैठक में प्रस्तुत नहीं किये गये। आक्षेपों पर अब तक की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदनों में अंकित आक्षेपों की अनुपालना में लापरवाही बरतने के सम्बन्ध में जांच की जाकर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

नगरपालिका रायसिंहनगर द्वारा जारी पट्टे

805. **श्री सोहन लाल नायक** (रायसिंहनगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या नगरपालिका रायसिंहनगर ने अन्य विभागों की भूमि को अपनी मानते हुए पट्टे/रजिस्ट्रियां करा दी हैं ? यदि हां, तो किस-किस विभाग की भूमि की ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त नगरपालिका द्वारा खांचा भूमि का भी आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो कहां-कहां, किस-किस को ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त नगरपालिका द्वारा काटे गये पट्टे कराई गई रजिस्ट्रियां एवं नियमन किये गये रिहायशी तथा व्यापारिक भू-खण्डों को अतिक्रमण के दायरे में लिया जायेगा ? यदि हां, तो इसमें नागरिकों का क्या दोष है ?

उत्तर

(1) नगरपालिका रायसिंहनगर द्वारा अपनी स्वयं की भूमि पर ही पट्टे जारी किये गये हैं तथा उस समय किसी भी विभाग द्वारा स्वामित्व बाबत आपत्तियां नहीं की गई हैं।

(2) जी हां। विवरण संलग्न है।

(3) इस मामले की जांच की जाकर समुचित निर्णय लिया जावेगा।

(विवरण की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

इन्दिरा वर्मा नाहरी का नाका (जयपुर) की बस्ती का सर्वे

806. **श्री रमजान खान** (पुष्कर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा वर्मा नाहरी का नाका बस्ती के वर्ष 1971 व 1981 के सर्वेधारियों की दिनांक 16.12.93 को अन्तिम सुनवाई पश्चात् स्वीकृत सर्वे एवं अस्वीकृत किये गये सर्वे नम्बरों की सूची का प्रकाशन किया गया था।

(2) क्या यह भी सही है कि सुनवाई के पश्चात् स्वीकृत किये गये सर्वेधारियों को

(श्री रमजान खान)

ही भू-खण्ड आवंटन किया जाना था ? यदि हां, तो स्वीकृत सर्वेधारी को आवंटित भू-खण्ड संख्या आई 37-38 निरस्त कर अस्वीकृत सर्वेधारियों को उक्त भूखण्डों का आवंटन क्यों किया गया जबकि दिनांक 16.12.83 को अन्तिम सुनवाई पश्चात् प्रकाशित सूची के पृष्ठ 14 के क्रम संख्या 51 व 52 अस्वीकृत हैं।

(3) क्या उक्त अस्वीकृत सर्वेधारियों को नियम विरुद्ध आवंटन किये गये भू-खण्डों को निरस्त कर आवंटन की कार्यवाही में अनियमितता बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार नियमानुसार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) यह सही है कि वर्ष 1971 व 1981 के सर्वेधारियों की सूची दिनांक 16.12.83 को अन्तिम सुनवाई के पश्चात् स्वीकृत एवं अस्वीकृत किये गये सर्वेधारियों की सूची प्रकाशित की गई थी। इससे पूर्व दिनांक 29.11.83 को प्रकाशित की गई थी, इसमें सर्वे स्वीकृत एवं अस्वीकृत किये गये थे।

(2) यह सही है कि सुनवाई के पश्चात् सर्वेधारियों को आवंटन किया जाना नियमानुसार था। भू-खण्ड संख्या 37 श्री जगदीश पुत्र कल्याण को सर्वे नं. 42/14542 व आई-आई 38 श्री भगवान सहाय पुत्र बिरधीचन्द को सर्वे नं. 43/14543 जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 29.11.83 स्वीकृत सर्वे के आधार पर आवंटन किया गया था। दिनांक 16.12.83 को अन्तिम सूची प्रकाशित की गई थी। उसमें सर्वे अस्वीकृत अंकित किया गया था।

(3) अस्वीकृत सर्वेधारियों को नियम विरुद्ध आवंटन की कार्यवाही में अनियमितता बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध जांच निर्णय के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

कोटा शहर के सौन्दर्यकरण हेतु विचाराधीन योजनाएं

807. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा शहर के चौराहों/शहर को सुन्दर बनाने की क्या-क्या योजनाएं विचाराधीन हैं ?

(2) वर्तमान में कौन-कौन सी योजनाओं पर कार्य चल रहा है एवं कौन-कौन सी योजनाओं का कार्य चालू होने वाला है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा शहर को सुन्दर बनाने के लिए एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना राज्य सरकार की स्वीकृति पश्चात निम्न स्थानों का विकास कार्य विचाराधीन है :—

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

1. गणेश उद्यान

2. अभेडा टेंक

3. सी. बी. टेंक (किशोर सागर)

4. छत्र विलास उद्यान

(2) वर्तमान में निम्न चार चौराहों का कार्य प्रगति पर है :–

1. विवेकानन्द सर्किल (नयापुरा)

2. कोटड़ी गोर्धनपुरा

3. छावनी चौराहा

4. एरोड्रम सर्किल

वर्तमान में तुरन्त कोई नया कार्य चालू होना प्रस्तावित नहीं है।

राजस्थान मिल्स मार्बल आंधी का नाम परिवर्तन

808. **श्री निर्भय लाल** (रूपवास) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार द्वारा राजस्थान मिल्स मार्बल के स्थान पर वर्ष 1989 में आंधी मार्बल के नाम से स्थानान्तरण किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या खनिज विभाग में उड़न दस्ता स्थापित किया गया है ? उड़न दस्ता का वार्षिक खर्चा कितना आता है ? क्या उड़न दस्ता से राजस्व वसूली व अवैध खनन को रोका जा सकता है ? उड़न दस्ता से प्रतिवर्ष सरकार को कितनी राजस्व वसूली होती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जयपुर सम्भाग में अतिरिक्त निदेशक अधीक्षण खनिज अभियन्ता वृत्त, सहायक खनिज अभियन्ता अधीक्षण खनिज अभियन्ता उड़न दस्ता आदि अधिकारी वर्ग को आंधी, मार्बल प्रकरण में अवैध खनन की उक्त अधिकारियों को जानकारी होते हुए भी अवैध खनन को नहीं रोका गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या आंधी मार्बल रायवाला ने सरकार को मार्बल्स के स्थान पर डोलोमाइट बताकर अवैध खनन किया है ? क्या उक्त प्रकरण में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो कब-कब और अब उक्त लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही होगी ? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। मैसर्स राजस्थान खनिज एजेन्सी से खनन पट्टा मैसर्स आंधी मार्बल्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में दिनांक 14.2.95 से नियमानुसार हस्तान्तरित किया गया।

(2) जी हां। विभाग में स्थापित सतर्कता कार्यालयों (उड़न दस्ता) का वर्ष 1999-2000 में रुपया 49,93,149/– खर्च हुआ है तथा उक्त अवधि में रुपया 13,38,150/– खनिज की कीमत के रूप में वसूल किये गए। सतर्कता कार्यालयों के कार्यरत रहने से

(राज्य मंत्री, खनिज)

रायल्टी के अपवंचन पर बहुत हद तक रोकथाम लग जाती है और विभाग की आय में अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि होती है।

(3) मैसर्स आंधी मार्बल (प्रा.) लि. के पक्ष में खनिज पट्टा हस्तान्तरण के पश्चात् विभाग को अवैध खनन की जानकारी नहीं है।

(4) मैसर्स आंधी मार्बल (प्रा.) लि. द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर जिला जयपुर के मार्च, 1996 के स्थगन आदेश जिसमें न्यायालय द्वारा जनवरी, 1998 में कन्फर्म कर दिया गया, के अनुसरण में खनिज डोलोमाइट को मार्बल ब्लॉक के रूप में खनन किया गया है जिसकी रायल्टी विभाग द्वारा मार्बल की दर से वसूल की जा रही है। इस प्रकार ये अवैध खनन का प्रकरण नहीं बनता। अतः प्रकरण में अधिकारियों के लिप्त होने अथवा उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

कोटा शहर के विक्रम चौक में हुई हत्या

809. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कोटा शहर के विक्रम चौक में हुई श्री राजेश बैरागी की हत्या व लूट के आरोपी पैदल ही हत्या करके भागे थे ? यदि हां, तो यातायात पुलिस का कार्यालय नजदीक होने के बावजूद भी हत्यारे तुरन्त पैदल भागते हुए पुलिस के पकड़ में क्यों नहीं आये ?

(2) क्या कोटा शहर की पुलिस निष्क्रिय व बदमाशों से निपटने में नाकाम है ? यदि नहीं, तो इस प्रकार शहर में सरे आम लोगों की हत्या कैसे की जा रही है ?

(3) उक्त शहर में दिसम्बर, 1998 से फरवरी, 2000 तक कितनी हत्याएं सरेआम की गई तथा इन सभी मामलों में क्या कार्यवाही हुई ? मामलावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कोटा शहर के विक्रम चौक में राजेश बैरागी की हत्या व लूट के आरोपी घटना स्थल से पैदल ही भागे थे। घटना स्थल, यातायात पुलिस कार्यालय से करीब एक कि.मी. की दूरी पर स्थित है। घटना स्थल के आस-पास कोई यातायात पाइंट भी नहीं है व यातयात पुलिस का कोई सिपाही भी तैनात नहीं रहता है। घटना की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस ने प्रभावी कार्यवाही करते हुए 24 घण्टे की अवधि में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया।

(2) पुलिस अपराधियों से निबटने व अपराधों की रोकथाम करने में सक्षम है एवं कर्तव्यनिष्ठा व तत्परता से कार्य कर रही है। कोटा शहर में वर्ष 1998 में हत्या के 31 अपराध पंजीबद्ध हुए, जबकि वर्ष 1999 में 21 अपराध ही पंजीबद्ध हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि, हत्या के अपराधों पर अंकुश लगा है व कमी आई है।

(गृह मंत्री)

(3) कोटा शहर में माह दिसम्बर, 1998 से माह फरवरी, 2000 की अवधि में सरेआम हत्या का उपरोक्त एक ही प्रकरण दर्ज है। इस प्रकरण में राजेश बैरागी की हत्या व लूट के अभियुक्त आंसू उर्फ आशिष बादल पुत्र रामबाबू जाति मेघवाल निवासी फतेहगढ़, प्रिन्दू उर्फ गाजेन्द्र सिंह पुत्र प्रेमसिंह राजपूत निवासी भाटापाड़ा रामपुरा कोटा व महेन्द्र कुमार पुत्र सोहन लाल मेहर निवासी भाटापाड़ा को गिरफ्तार किया गया एवं लूट की राशि बरामद की गई। अनुसंधान के पश्चात् उपरोक्त तीनों के विरुद्ध चार्जशीट संख्या 213 अन्तर्गत धारा 302, 394, 397, 120 बी भादसं दिनांक 20.11.99 को किता की गई एवं दिनांक 8.12.99 को सम्बन्धित न्यायालय में पेश की गई है।

विधायकों/मंत्रियों के साथ मारपीट की घटना

810. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या जनवरी, 1999 से फरवरी, 2000 के मध्य विधायकों/मंत्रियों के साथ भी मारपीट और बन्धक बनाये जाने की घटना के मुकदमे दर्ज हुए ? यदि हां, तो किस-किस विधायक एवं मंत्री के ? थानावार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य में जनवरी, 1999 से फरवरी, 2000 के मध्य विधायकों/मंत्रियों के साथ मारपीट की कुल 8 घटनाएं घटित हुई हैं। अभियोग-वार, थानावार विवरण परिशिष्ट-"अ" संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

मनिया (धौलपुर) थाने में सहायक निरीक्षक के पुत्र की हत्या

811. **श्री शिवराम सिंह कुशवाह** (धौलपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मनिया थाने में कार्यरत श्री रतनसिंह सहायक उप निरीक्षक के पुत्र का अपहरण करके हत्या कर दी गई और पुलिस प्रशासन अभी तक हत्यारों को खोजने में नाकाम रहा है ? यदि हां, तो अब तक पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि धौलपुर पुराना शहर में दिन दहाड़े एक व्यापारी को कट्टे की नोक पर लूट लिया गया ? यदि हां, तो पुलिस ने अभी तक उक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही की है और अब लूट की राशि बरामद करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) दिनांक 31.1.2000 को श्री रतन सिंह स. उ. नि. ने अपने पुत्र मेघश्याम के 30.1.2000 को सायं 4-5 पी. एम. से गायब हो जाने के सम्बन्ध में गुमशुदगी की रिपोर्ट

(गृह मंत्री)

निहालगंज थाने पर दर्ज करवाई थी जिस पर पुलिस द्वारा पतारसी की जा रही थी। इसी दौरान दिनांक 3.2.2000 को श्री रतन सिंह ने अपने पुत्र की लाश मेहमदपुर के कुएं में मिल जाने तथा अपहरण कर हत्या करने की आशंका प्रकट करते हुए पुलिस थाना निहालगंज में रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर अभियोग सं. 28/2000 अन्तर्गत धारा 364, 302, 379, 201 भा. द. सं. में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अभियोग पंजीबद्ध होने के पश्चात् अभियुक्त के विषय में सरगर्मी से तलाश की गयी किन्तु अथक प्रयास के उपरान्त भी अभी तक पता नहीं चला है। प्रकरण में गहनता से अनुसंधान जारी है।

(2) जी हां। दिनांक 28.2.2000 को श्री राकेश बघेला निवासी धौलपुर ने थाना कोतवाली धौलपुर पर लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की कि वह 6.30 पी.एम. पर पैसों की उगाई कर फूटे दरवाजे से देशी शराब के ठेके के सामने से जा रहा था, वहां पर तीन लड़के शॉल ओढ़कर खड़े थे जिन्होंने उसकी साइकिल को रोक लिया और जबरदस्ती गली में ले गये। उनके हाथ में कट्टे थे एक बदमाश ने उसके सिर पर कट्टे की बट मार कर कपड़े के थैले में रखे 31676/– रु. छीनकर भाग गये। उक्त रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अभियोग सं. 56/2000 धारा 394 भा. दं. सं. पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। मुलजिमानों की तलाश के अथक प्रयास किये जा रहे हैं। परन्तु प्रयासों के उपरान्त भी अभी तक अभियुक्तों का पता नहीं चल सका है। प्रकरण में गहनता से अनुसंधान जारी है।

थाना महुवा, दौसा में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर अत्याचार

812. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला दौसा के ग्राम सालिमपुर थाना महुवा में अनुसूचित जातियों के साथ मारपीट एवं आगजनी की वारदात दिनांक 6 फरवरी, 2000 को समाज-कंटकों द्वारा की गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त वारदात के बाद उक्त जाति के लोग मुकदमा दर्ज कराने थाना महुवा में पहुंचे तो उस समय तैनात थानेदार ने मुकदमा दर्ज नहीं किया बल्कि उनके साथ मारपीट की है ? यदि हां, तो उक्त लोगों द्वारा थानेदार के विरुद्ध दर्ज रिपोर्ट एवं चोटों के प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 6 फरवरी, 2000 एवं 7 फरवरी, 2000 को जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक महुवा पहुंचे थे जिस दौरान थानेदार को दोषी पाया गया और उसे तत्काल जनता की मांग पर लाइन हाजिर कर दिया गया था ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उस दौरान तैनात थानेदार को लाइन हाजिर के बाद

(डा. किरोड़ी लाल)

थाना महुआ में ही लगाया जा रहा है ? यदि हां, तो किस दबाव के कारण तथा क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 6.2.2000 को फट्टू कोली निवासी ग्राम सालिमपुर द्वारा स्वयं एवं अन्य के साथ मारपीट करने के विषय में प्रार्थना-पत्र थाना महुवा में प्रस्तुत करने पर मुकदमा नं. 27/2000 अन्तर्गत धारा 147, 323, 504, 452, 479 भादस थाना महुवा पर पंजीबद्ध किया गया।

मोहन लाल पुत्र नाथूराम कोली निवासी सालिमपुर थाना महुवा ने थाना महुवा में दिनांक 7.2.2000 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई कि दिनांक 6.2.2000 को सायंकाल में अज्ञात व्यक्तियों ने मेरे कच्चे घर में आग लगा दी जिस पर मु. नं. 29/2000 अन्तर्गत धारा 436, 429 भा. दं. सं. दिनांक 7.2.2000 को थाना महुवा पर पंजीबद्ध हुआ।

(2) जी नहीं। दिनांक 6.2.2000 को उक्त वारदात के बाद श्री फट्टू कोली वगैरा निवासी सालिमपुर रिपोर्ट दर्ज कराने महुवा थाना पहुंचे तो उसकी रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 27/2000 अन्तर्गत धारा 147, 323, 504, 452, 379 भादस दिनांक 6.2.2000 को थाना महुवा में पंजीबद्ध किया गया। थानाधिकारी एवं स्टाफ द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई।

उक्त लोगों ने पुलिस अधीक्षक जिला दौसा को एक परिवाद प्रस्तुत किया है, प्रति परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है। परिवाद की जांच में पुलिस पर लगाए गए आरोप मिथ्या पाए गए हैं।

(3) जी हां। दिनांक 6.2.2000 को कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक जिला दौसा राष्ट्रीय राज्य मार्ग नं. 11 को जाम किये जाने की सूचना पर महुवा पहुंचे, जहां घटना स्थल पर लोगों ने बताया कि सालिमपुर के कोलियों के साथ थाना महुवा में अभद्र व्यवहार के कारण राज मार्ग रोका गया। उक्त घटना के उपरान्त थानाधिकारी महुवा का स्थानान्तरण पुलिस लाइन दौसा किया गया। आदेश की प्रति परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(4) जी नहीं।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

तहसील महुआ (दौसा) में वन क्षेत्र में कार्यरत स्टोन क्रेशर प्लांट

813. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील महुवा जिला दौसा के ग्राम गौहण्डी गूजर में भारी क्षमता का ओम स्टोन क्रेशर प्लांट कार्यरत है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त संयंत्र ग्राम गौहण्डी गूजर वनखण्ड कुंण्हेरा ओण्ड

(डा. किरोड़ी लाल)

डूंगरी सं. 18 बी के साथ लगे खसरा नम्बर 6 में स्थापित है और वन सीमा से मात्र 20 मीटर दूर है ? यदि हां, तो संयंत्र की स्पष्ट स्थिति नक्शे में दर्शाते हुए विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(3) क्या सह सही है कि उक्त प्लांट की स्वीकृत माइनिंग लीज चारों तरफ से वन क्षेत्र या खेतों से घिरी हुई है तथा यहां तक जाने का कोई भी वन रहित मार्ग उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो इस खनन पट्टे के नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(4) क्या यह भी सही है कि प्लांट से 50 मीटर दूरी पर एक दर्जन गांवों का पेयजल टैंक 60 मी. दूरी पर छात्रों का स्कूल था तथा 100 मीटर दूरी पर मुख्य आबादी गौहण्डी मीणा स्थित है ? यदि हां, तो नक्शा सहित स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि पीने का पानी प्रदूषित हो जाने, दूर-दूर तक धूल (डस्ट) उड़ने के कारण आबादी क्षेत्र की स्कूल एवं आबादी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे प्लांट को बंद करेगी ?

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त प्लांट के लिए करौली जिले के ग्राम डोरावली एवं जौल, भरतपुर जिले के ग्राम निठार, क्यादपुर, खिरनी मासपुर तथा दौसा के ग्राम गौहण्डी मीना, खौर्रामुल्ला, नौगांव, कौण्डला एवं कुतकपुर गांवों के वन क्षेत्र में पड़ने वाले पहाड़ों से अवैध रूप से चैजा पत्थर निकाला जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार माननीय न्यायालय के आदेशों का सम्मान करते हुए उक्त अवैध खनन् को रुकवाने का विचार रखती है ?

(7) क्या यह सही है कि दिल्ली की भांति जन स्वास्थ्य तथा वन क्षेत्र को उजड़ने से बचाने के लिए सरकार इस प्लांट को बंद करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला दौसा की तहसील महुवा के ग्राम गौहण्डी गूजर में स्टोर क्रेशर प्लांट कार्यरत है। जिला उद्योग केन्द्र दौसा के पंजीयन प्रमाण-पत्र में प्लांट के उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि 12.7.97 अंकित है।

(2) उक्त क्रेशर ग्राम गौहण्डी गूर्जर के आराजी ख.नं. 17/2 में लगा हुआ है। क्रेशर एवं वन सीमा के बीच की दूरी 25 मीटर है। वन सीमा एवं क्रेशर की स्थिति संलग्न नक्शे में दर्शायी गई है।

(3) ग्राम गौहण्डी मीणा में खनिज मेसेनरी स्टोन की एक लीज एम.एल.सं. 1/95 क्रेशर के मालिक के नाम दिनांक 7.7.95 से बीस वर्ष के लिये प्रभावशील है। खनन पट्टे की भूमि पर पहुंचने के लिए महुवा-हिण्डौन पक्की सड़क से पूर्वी तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते का उपयोग किया जा सकता है।

(राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण)

(4) जी नहीं। क्रेशर पेयजल टैंक से 320 मीटर, स्कूल से 360 मीटर तथा मुख्य आबादी गौहण्डी मीणा से 390 मीटर की दूरी पर स्थित है।

(5) उक्त इकाई (स्टोन क्रेशर प्लांट) द्वारा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये समुचित व्यवस्था की हुई है तथा इसे वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत संचालन सम्बन्धी सम्मति प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से प्राप्त है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से प्राप्त जानकारी के अनुसार इकाई के संचालन से जल के प्रदूषण की संभावना नहीं है।

(6) जिला दौसा, भरतपुर, करौली के उल्लेखित वन क्षेत्रों से चोरी छुपे अवैध खनन किया जाना पाये जाने पर 19 प्रकरण दर्ज किये जाकर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की गई है परन्तु यह कहना कठिन है कि उक्त अवैध खनन उक्त प्लांट के लिये किया गया। अवैध खनन किये जाने की जानकारी मिलने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(7) इकाई (स्टोन क्रेशर प्लांट) द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों की अवहेलना नहीं की जा रही है। अतः उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वर्तमान में उद्योग को बंद किया जाना उचित नहीं है।

(नक्शे की प्रति-विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

वन्य जीव प्रतिपालक, उदयपुर द्वारा पाली क्षेत्र में राहत कार्य

814. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील रायपुर, सोजत, मारवाड़ जंक्शन, देसूरी व बाली (पाली) का वन्य क्षेत्र, वन्य जीव प्रतिपालक उदयपुर को स्थानान्तरित करने के बाद किस-किस राजस्व ग्राम के वन क्षेत्रों में वन विकास के कार्य करवाये गये ? वर्ष 1990 से मार्च, 2000 तक पेड़ पौधे लगाने के अलावा वन क्षेत्र में एनीकट, तालाब, तारबंदी व बाड़बंदी कार्यों के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत वर्ष व इस वर्ष अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत किस-किस तहसील के कौन-कौन से गांवों में अकाल राहत कार्य वन्य जीव प्रतिपालक, उदयपुर द्वारा प्रस्तावित किये गये और स्वीकार होने के बाद करवाये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला पाली की अकाल राहत कमेटी की किन-किन बैठकों में किस-किस तिथि को किस अधिकारी ने भाग लिया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त जिले के उक्त वन क्षेत्र के विकास के लिए इस वर्ष कौन-कौन से कार्य प्रस्तावित हुए और कौन-कौन से कार्य स्वीकृत हुए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उदयपुर के क्षेत्राधिकार में पाली जिले की तहसील रायपुर, सोजत, मारवाड़ जंक्शन, देसूरी एवं बाली में पड़ने वाले वन क्षेत्र में वर्ष 1990 से मार्च, 2000 तक की अवधि में करवाये गये कार्यों यथा वृक्षारोपण, क्लोजर निर्माण (बाड़बन्दी) एनीकट निर्माण तथा सड़क निर्माण का राजस्व ग्रामवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-"क" में दर्शाया गया है।

(2) उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उदयपुर के द्वारा पाली जिले में गत वर्ष प्रस्तावित एवं स्वीकृति उपरांत करवाये गये अकाल राहत कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-"ख" में दर्शाया गया है।

(3) जिला पाली की अकाल राहत कमेटी की बैठक में भाग लेने वाले वन विभाग के अधिकारियों का तिथिवार विवरण परिशिष्ट-"ग" अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) पाली जिले के प्रश्न के भाग-1 में उल्लेखित वन क्षेत्र के लिये इस वर्ष 50 कार्य प्रस्तावित किये गये जिसमें से कोई कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है। विवरण परिशिष्ट-"घ" अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कुम्भलगढ़ अभयारण्य क्षेत्र में अवैध कटाई एवं खनन

815. **श्री घनश्याम जैन (बेगूं) :** क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कुम्भलगढ़ अभयारण्य क्षेत्र में लकड़ी की कटाई, पत्थरों का खनन, पशुओं को चराना आदि वर्जित है ?

(2) क्या यह सही है कि रेंज सादड़ी व देसूरी के अधीन कर्मचारियों/अधिकारियों की मिलीभगत से अरावली पर्वत वर्जित क्षेत्रों से अवैध रूप से लकड़ी कटाई/पत्थर खनन का कार्य जारी है ? यदि हां, तो क्यों और इसकी रोकथाम हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई और अब क्या प्रस्तावित है ?

(3) क्या यह भी सही है कि अभयारण्य क्षेत्र से होली के दिन अवैध रूप से लकड़ी काटकर ट्रेक्टरों में भरकर बेचने हेतु अन्यत्र स्थान पर पहुंचाई गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कुम्भलगढ़ अभयारण्य क्षेत्र में लकड़ी की कटाई तथा पत्थरों का खनन किया जाना वर्जित है। पशुओं के चराई के सम्बन्ध में प्राप्त हक हकूकों के अनुसार स्थानीय लोग पशु चरा सकते हैं।

(2) रेंज देसूरी के नाका कोट एवं बागोल के वन क्षेत्रों में विलायती बबूल के अवैध

(राज्य मंत्री, वन)

कटान के मामले में कर्मचारियों के मिलीभगत होने का अंदेशा होने पर 2 सहायक वनपालों को दिनांक 12.1.2000 को निलम्बित किया जाकर उनके विरुद्ध जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त रेंज सादड़ी एवं देसूरी के क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी वनपाल श्री परबत सिंह एवं सहायक वन संरक्षक श्री ललित सिंह राणावत के विरुद्ध भी अवैध चराई करवा कर रिश्वत लेने व वन क्षेत्रों से पेड़ों की कटाई करवाने बाबत् प्राप्त शिकायतों की जांच कराई जा रही है।

क्षेत्र में लोगों द्वारा मौका पाकर चोरी छुपे लकड़ी काटने तथा अवैध खनन करने की घटनाएं घटित होना पाया गया है। अभयारण्य में पदस्थापित अमले एवं वन्य जीव सुरक्षा गश्ती दल उदयपुर द्वारा रोकथाम हेतु गश्त की जाती है तथा अवैध कटान एवं खनम के प्रकरणों में नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाती है। गत तीन वर्षों यथा वर्ष 1997-98 से 1999-2000 की अवधि में 962 वन अपराध प्रकरण दर्ज किये गये। वन अपराध करने वालों से 4 लाख 90 हजार रुपये का मुआवजा वसूल किया गया है। पदस्थापित अमले व गश्ती दल द्वारा भविष्य में भी इसी प्रकार वन अपराध रोकथाम की कार्यवाही की जाती रहेगी।

(3) जी नहीं। ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

विधान सभा क्षेत्र झालरापाटन की तीन धार से बकानी सड़क की मरम्मत

816. **श्री मोहन लाल राठौड़** (झालरापाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र झालरापाटन की तीन धार से बकानी तक की सड़क खराब है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे कब तक ठीक कराया जा रहा है ?

(2) क्या उक्त सड़क का मरम्मत कार्य चालू हो गया था ? यदि हां, तो बंद क्यों किया गया और नहीं, तो अब कब तक चालू कराया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र झालरापाटन की तीनधार से बकानी तक की कुल सड़क लम्बाई (कि.मी. 9/0 से 35/0 तक) 26 कि.मी. है। वर्ष 1999-2000 में गैर योजना मद में उक्त सड़क पर (कि.मी. 9/0 से 20/0) 11 कि.मी. लम्बाई में पेवर द्वारा नवीनीकरण स्वीकृत था। उसके विरुद्ध उपलब्ध वित्तीय संसाधनों अनुसार 6 कि.मी. पेवर द्वारा नवीनीकरण का कार्य ही कराया जा सका तथा 5 कि.मी. साधारण मरम्मत का कार्य कराया गया है। शेष कार्य का पूर्ण होना उपलब्ध वित्तीय संसाधनों व पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(2) उपरोक्तानुसार।

हिण्डौन रेलवे स्टेशन से गऊराजा की क्षतिग्रस्त सड़क

817. **श्री भरोसी लाल** (हिण्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हिण्डौन रेलवे स्टेशन से गऊराजा की सड़क एवं नालियां क्षतिग्रस्त हैं ? यदि, हां, तो उक्त सड़क को कब तक ठीक करवाया जावेगा ?

(2) क्या उक्त सड़क को ठीक करवाने का मुख्य मंत्री जी ने कोई आश्वासन दिया है ? यदि हां, तो उक्त आश्वासन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) उक्त सड़क को अब कब तक ठीक करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। रेलवे स्टेशन से गऊराजा (गऊशाला) तक सड़क की लम्बाई 3 कि. मी. है जोकि राज्य उच्च मार्ग संख्या 25 का भाग है तथा इसमें कोई नाली बनी हुई नहीं है। सड़क का यह भाग आबादी में है एवं सड़क पर वर्षा का पानी आ जाने के कारण यह बार-बार क्षतिग्रस्त होती रहती है। उपरोक्त समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने नाली निर्माण हेतु योजना मद में रुपये 10.00 लाख की स्वीकृति वर्ष 1999-2000 में दे दी है एवं कार्य आदेश संवेदक को नवम्बर, 99 में दिया जा चुका है, लेकिन वित्तीय संसाधनों की सीमितता के कारण यह कार्य नहीं कराया जा सका है। अब इसे पूर्ण करना उपलब्ध वित्तीय संसाधनों व पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। इस सड़क के पुनः निर्माण हेतु जिला विकास अभिकरण, करौली द्वारा सांसद कोटे में रुपये 20.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति मार्च, 2000 में प्राप्त हो चुकी है। जिला विकास अभिकरण से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने एवं राशि जमा होने पर कार्य प्रारम्भ कराया जा सकेगा।

(2) आबादी क्षेत्र में यातायात की सुविधा व कार्य की आवश्यकता अनुसार रेलवे स्टेशन हिण्डौन से गऊशाला तक सड़क के पास नाली निर्माण हेतु योजना मद वर्ष 1999-2000 में 10.00 लाख रु. की स्वीकृति जारी की जा चुकी है एवं संवेदक को कार्यादेश जारी किया जा चुका है।

(3) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर इसे पूर्ण करना संभव होगा।

जिला हनुमानगढ़ की क्षतिग्रस्त सम्पर्क सड़कें

818. **श्री रामप्रताप** (हनुमानगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ से पीलीबंगा, सतीपुरा से सूरेवाला, हनुमानगढ़ से अबोहर, हनुमानगढ़ टाऊन से कालीबंगा वाया फतेहगढ़, उबली से सहजीपुरा, उबली से पी.बी.एन. सड़कें क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो इनकी मरम्मत का कार्य कब तक करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

जी नहीं, प्रश्न में वर्णित सड़कों की मरम्मत एवं रख-रखाव का विवरण निम्न प्रकार है :–

1. हनुमानगढ़ से पीलीबंगा :– इस मुख्य जिला सड़क की लम्बाई हनुमानगढ़ से पीलीबंगा तक 25 कि.मी. है। वर्ष 1999-2000 में योजना मद में 8.6 कि.मी. नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत है। जिसमें से 5.6 कि.मी. नवीनीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य सीमित संसाधनों की वजह से वर्ष 1999-2000 में नहीं करवाया जा सका। इन कार्यों को पूर्ण करना उपलब्ध संसाधनों व पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। कि.मी. 2/0 से 5/0, 11/0 से 13/0 व 22/0 से 23/0 में पैच वर्क का कार्य वर्ष 1999-2000 में करवाया गया है तथा शेष लम्बाई में पैच वर्क का कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों व प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

2. सतीपुरा से सूरेवाला सड़क :– इस ग्रामीण सड़क की कुल लम्बाई 23.600 कि.मी. है। कि.मी. 0/0 से 3/0 व कि.मी. 7/0 से 15/0 की स्थिति संतोषजनक है। कि.मी. 15/0 से 20/0 में नवीनीकरण का कार्य वर्ष 1997-98 में करवाया जा चुका है। शेष कि.मी. 3/0 से 7/0 एवं कि.मी. 20/0 से 23/600 में मरम्मत कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों व पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

3. हनुमानगढ़-अबोहर सड़क :– हनुमानगढ़-अबोहर सड़क राज्य उच्च मार्ग संख्या-7 का हिस्सा है एवं राजस्थान सीमा तक इस सड़क की लम्बाई 39.70 किमी. है। (कि.मी. 235/0 से कि.मी. 274/700) कि.मी. 235/0 से 245/0 में पैच कार्य वर्ष 1999-2000 में करवा दिया गया है। कि.मी. 255/0 से 260/0 में नवीनीकरण का कार्य वर्ष 1999-2000 में स्वीकृत है पर वित्तीय संदर्भ में माह दिसम्बर, 1999 से कार्य बंद है। कि.मी. 260/0 से 260/750, 261/250 से 265/0 तक का नवीनीकरण का कार्य वर्ष 1999-2000 में करवा दिया गया है। शेष सड़क भाग के कि.मी. 245/0 से 255/0 में साधारण मरम्मत का कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों व पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

4. सड़क हनुमानगढ़ टाऊन से कालीबंगा वाया फतेहगढ़ :– इस सड़क की लम्बाई हनुमानगढ़ टाऊन से कालीबंगा तक 24 कि.मी. है। कि.मी. 0/0 से 10/0 व कि.मी. 16/0 से 22/0 में पैच कार्य वर्ष 1999-2000 में करवाया जा चुका है व शेष लम्बाई में पैच मरम्मत का कार्य उपलब्ध सीमित संसाधनों पर निर्भर है।

5. सड़क डबली से सहजीपुरा :– इस ग्रामीण सड़क की कुल लम्बाई 4.00 कि.मी. है। यह सड़क राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सा.नि.वि. हनुमानगढ़ को वर्ष 1997-98 में स्थानान्तरित की गई थी। इस सड़क की स्थिति संतोषजनक है।

6. डबली से पी.बी.एन. सड़क :– इस ग्रामीण सड़क की लम्बाई 4.00 कि.मी.

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

है। यह सड़क राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा खण्ड-हनुमानगढ़ को स्थानान्तरित की गई है। इस सड़क के कि.मी. 0/0 से 0/750 डबली गांव की आबादी में होने के कारण, आबादी का व वर्षा का पानी सड़क पर इकट्ठा होता है, जिससे इस भाग में सड़क क्षतिग्रस्त होती रहती है। इस भाग में सड़क को ऊंचा उठाकर ही क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। सड़क को ऊंचा उठाकर निर्माण का कार्य उपलब्ध संसाधनों व पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

जिला धौलपुर की सड़कों की मरम्मत

819. **श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** (बाड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला धौलपुर में सड़कों की मरम्मत कार्य हेतु वर्ष 1998-99 व 1999-2000 में कितनी राशि आवंटित की गई ?

(2) उक्त आवंटित राशि से किन-किन सड़कों की मरम्मत का कार्य किया गया है अथवा किया जा रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि तालाबशाही से बाड़ी 2 किलोमीटर सड़क हेतु 21 लाख रुपये व्यय किये गये ? क्या उक्त कार्य उचित गुणवत्ता का नहीं था ? क्या इस कार्य की जांच की जा रही है ? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(4) जिले की आठमील से बरपुरा वाया नगर तथा धौलपुर से मौरोली वाया नीम की बसई की सड़क को ठीक किया जाना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) जिला धौलपुर में सड़कों की मरम्मत कार्य हेतु वर्ष 1998-99 व 1999-2000 में क्रमशः 201.95 लाख रु. व रुपये 195.15 लाख की राशि आवंटित की गई।

(2) उक्त आवंटित राशि से जिन-जिन सड़कों की मरम्मत का कार्य किया गया उनकी सूची परिशिष्ट-"अ-1" व "अ-2" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है। शेष अपूर्ण मरम्मत कार्य कराना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता व पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(3) जी नहीं। तालाबशाही से बाड़ी सड़क पर 2 कि.मी. लम्बाई में साधारण मरम्मत कार्य पर रु. 19.80 लाख व्यय किये गये हैं। उक्त सड़क भाग में सड़क को ऊंचा उठाने एवं डामरीकरण का कार्य वर्ष 1997-98 में कराया गया था, जिस पर एक साल के अन्तराल में पोट होल्स पड़ गये थे इस कार्य की गुणवत्ता की जांच करायी जा रही है। जांच परिणाम आने पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(4) जिले की आठ मील से बरपुरा वाया नगर तथा धौलपुर से मौरोली वाया नीम

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

की बसई सड़क का सुधार उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

गोपालपुरा-सवाईमाधोपुर (जयपुर) का अपूर्ण रेलवे ब्रिज

820. **डा. रतन लाल जाट** (सहाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गोपालपुरा-सवाईमाधोपुर (जयपुर) रेलवे ब्रिज को सरकार कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

(2) अब तक इस ब्रिज पर कितनी राशि व्यय की जा चुकी है एवं पूर्ण योजना कितनी राशि की प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) रेलवे विभाग द्वारा रेलवे लाइन पर पुल बनाने के पश्चात् ये ब्रिज कार्य, मार्च, 2001 तक पूर्ण करना संभावित है।

(2) इस पुल पर राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम द्वारा रुपये 937.32 लाख व्यय किये जा चुके हैं एवं इस पुल की प्रस्तावित योजना राशि रुपये 1450 लाख है।

विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना की सड़कों की मरम्मत

821. **श्री मोहन लाल मोदी** (नीमकाथाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1999-2000 के दौरान विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल कितनी किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से किस-किस सड़क पर कितनी-कितनी राशि व्यय हो चुकी है और कितना कार्य पूर्ण कर दिया गया है तथा कितना शेष है जो कब तक पूर्ण हो सकेगा ?

(3) क्या यह सही है कि नीमकाथाना से गुहाडा, मांवडा, नीमकाथाना से गणेश्वर, चीपघाटा से गजनेरी व पाटन से डाबरा मुख्य सड़क कई वर्षों से क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो उक्त सड़कों का अब कब तक नवीनीकरण कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 के दौरान विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में बी.एम.एस.पी. योजना के अन्तर्गत कुल 4 कि.मी. लम्बाई की एक नई सड़क निर्माण हेतु रुपये 24.00 लाख की स्वीकृति जारी की गई थी। सूची परिशिष्ट-"क" संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृत सड़क पर रुपये 0.03 लाख राशि व्यय की गई है। कार्य की निविदाएं आमंत्रित कर संवेदक को कार्यादेश जारी किया जा चुका है। कार्य प्रगति पर है। उक्त सड़क निर्माण कार्य का पूर्ण होना उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) जी हां। विभाग की प्राथमिकता यातायात के अधिक घनत्व वाली सड़कों पर मरम्मत एवं रख-रखाव एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की सीमितता के कारण राज्य में सभी ग्रामीण सड़कों पर मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य सम्पन्न नहीं कराया जा सका है। प्रश्न में वर्णित सड़कों पर आवश्यक नवीनीकरण का कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर निर्भर करेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

विधान सभा क्षेत्र बहरोड की अपूर्ण सम्पर्क सड़कें

822. **श्री परसराम मोरदिया** (लक्ष्मणगढ़) एवं **श्री मोहन लाल बारूपाल** (जायल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील मुख्यालय बहरोड जिला अलवर से (वाया जाट बहरोड बीजवाड़ चौहान) बावल रेवाड़ी हरियाणा रूट पर चलने वाली बसें ग्राम जालावास से बीजवाड़ चौहान वाया भोजपुरी तक का चार-पांच किलोमीटर का रूट कच्चा होने के कारण वर्षा में बंद हो जाता है ? यदि हां, तो क्या रूट को चालू रखने के लिये सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त रूट के जालावास से बीजवाड़ चौहान तक चार किलोमीटर के कच्चे टुकड़े को पक्का करने हेतु क्षेत्रीय नागरिकों/पंचायतों व ट्रांसपोर्टर्स द्वारा कई वर्षों से मांग की जा रही है ? यदि हां, तो रूट को अब तक पक्का न करने के क्या कारण रहे ? रूट के ब्लू प्रिंट सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बहरोड से रेवाड़ी तक के इस कच्चे/पक्के रूट पर हो रहे अतिक्रमणों को शीघ्र हटवाने व इस चार किलोमीटर के टुकड़े को पक्का करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील मुख्यालय बहरोड जिला अलवर से (वाया जाट बहरोड, बीजवाड़ चौहान) बावल रेवाड़ी हरियाणा सड़क मार्ग पर पड़ने वाले गांव जालावास एवं बीजवाड़ चौहान डामर सड़क से जुड़े हुये हैं। इस सड़क मार्ग पर अन्य गांव भोजपुरी है जिसकी आबादी 1991 की जनगणना के आधार पर 588 है। जो कि एक हजार से कम है तथा पंचायत मुख्यालय भी नहीं है। अतः जालावास से बीजवाड़ चौहान वाया भोजपुरी मिसिंग लिंग का निर्माण राज्य के सड़क विकास नीति की प्रथम वरीयता में नहीं आता है।

(2) जी हां। प्रश्न में वर्णित सड़क मार्ग पर जालावास से बीजवाड़ चौहान मिसिंग लिंग का निर्माण प्रश्न के बिन्दु संख्या एक के उत्तर में वर्णन अनुसार सड़क विकास नीति की प्रथम वरीयता में नहीं आता है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

इस रूट का ब्लू प्रिंट संलग्न परिशिष्ट-"अ" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) प्रश्न में वर्णित बहरोड से रेवाड़ी सड़क मार्ग पर जालावास से बीजवाड़ चौहान वर्तमान में कच्चा रूट है। डामर सड़क पर अतिक्रमणों को चिन्हित करने का कार्य हाथ में लिया जा रहा है। इसके पश्चात् नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावेगी। मिसिंग लिंक का निर्माण बिन्दु संख्या एक में वर्णित उत्तर अनुसार सड़क विकास नीति की प्रथम वरीयता में नहीं आता। अतः इसका निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(ब्लू प्रिंट की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम खेजरोली तथा निवाणा (जयपुर) के बीच की नदी पर सड़क/पुल निर्माण

823. **श्री रमजान खान** (पुष्कर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर के गांव खेजरोली तथा निवाणा के बीच की नदी पर सड़क/पुल नहीं बना हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त नदी पर सड़क/पुल बनाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक ?

(3) उक्त सड़क/पुल को नहीं बनाने के लिए कौन दोषी है ? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला जयपुर के गांव खेजरोली-निवाणा सड़क पर यातायात का दबाव कम होने के कारण एवं पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर प्रश्न में वर्णित नदी पर वर्तमान में पुल निर्माण विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं। बिन्दु संख्या एक के उत्तरानुसार।

(3) उक्त सड़क/पुल नहीं बनाने के लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है क्योंकि यह कार्य स्वीकृति हेतु वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की सम्पर्क सड़कें

824. **डा. रघुवीर सिंह गौड़** (कोटपूतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कितनी सड़कें कहां से कहां किन ग्रामों को जोड़ती है ? उक्त सड़कों की मरम्मत कब हुई ?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1999-2000 में चौकी से राजनोता, प्रागपुरा से करोली, पावटा से मारेंडा की 15 किलोमीटर

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

सड़कों का नवीनीकरण होना था ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक नवीनीकरण होने की संभावना है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कुल 44 सड़कें हैं जो विभिन्न ग्रामों को जोड़ती हैं। जुड़े हुये ग्रामों तथा दस वर्षों में किये गये मरम्मत कार्य की सूचना परिशिष्ट-"अ" में दर्शाई गई है।

(2) जी हां। वर्ष 1999-2000 में नेशनल हाइवे नं. 8 (चौकी) से राजनोता कराना सड़क (4.00 कि.मी.) प्रागपुरा से (कारोली), पांचूडाला सड़क (5.00 कि.मी.) पावटा से नारेडा सड़क (5.00 कि.मी.) पर कुल 14 कि.मी. लम्बाई में उक्त सड़कों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण व नवीनीकरण हेतु योजना मद में कुल रुपये 23.50 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। परन्तु वर्ष 1999-2000 में सीमित वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में यह कार्य नहीं कराया जा सका। अब इन कार्यों का पूरा होना उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(सूचना की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

चुंगी नाका संख्या 6 स्थित रेलवे फाटक (हनुमानगढ़) पर पुल निर्माण

825. **श्री आदराम मेघवाल** (टीबी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार चुंगी नाका संख्या-6 हनुमानगढ़ स्थित रेलवे फाटक पर जन-हित में बढ़ती यातायात समस्या के निराकरण हेतु कोई पुल के निर्माण का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

हनुमानगढ़ टाउन में हनुमानगढ़-रावतसर सड़क के कि.मी. 229 में हनुमानगढ़-सादुलपुर रेलवे लाइन क्रास करती है। इस रेलवे फाटक पर वर्तमान में आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य विचाराधीन नहीं है। भविष्य में इस रेलवे फाटक पर आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता तथा रेलवे की प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

विधान सभा क्षेत्र देसूरी के स्वीकृत निर्माण कार्य

826. **श्री आत्माराम मेघवाल** (देसूरी) एवं **श्री मांगीलाल डागा** (मेड़ता) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नवम्बर, 1998 से मार्च, 2000 तक विधान सभा क्षेत्र देसूरी के किन-किन ग्राम, कस्बा, ढाणी में किन-किन योजनाओं में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये हैं और उनमें से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हुए एवं कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं तथा अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण किये जायेंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री आत्माराम मेघवाल)

(2) चालू वित्तीय वर्ष में उक्त विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये जायेंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नवम्बर, 1998 से मार्च, 2000 तक विधान सभा क्षेत्र देसूरी के ग्राम, कस्बा, ढाणी में विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत किये कार्यों का विवरण इस प्रकार है।

क्र. सं.	योजना जिसमें स्वीकृति दी गई	स्वीकृति किये गये कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1.	सुनिश्चित रोजगार योजना	4	20.82
2.	एम.पी.एल.ए.डी.	1	6.86
3.	एम.एल.ए.एल.ए.डी.	4	5.76
4.	एम.आर.जी.सी.	1	4.29
5.	5054 राज्य उच्च मार्ग	3	13.50
6.	5054 राज्य उच्च मार्ग, नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	5	35.25
7.	4059 भू-राजस्व दसवां वित्त	1	3.50

उक्त स्वीकृत किये गये 19 कार्यों में से 4 कार्य पूर्ण कर दिये गये तथा 15 अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करना उपलब्ध वित्तीय संसाधनों व पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर निर्भर है। विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत कार्यों का विवरण प्रपत्र-"क" अनुसार सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) चालू वित्तीय वर्ष में विधान सभा क्षेत्र देसूरी में कार्यों की स्वीकृति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता व पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या-827

(स्थगित)

अतारांकित प्रश्न संख्या-828

(स्थगित)

उपखण्ड इटावा (कोटा) में लम्बित घरेलू कनेक्शन

829. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि उपखण्ड इटावा जिला कोटा में घरेलू कनेक्शन लेने के आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कितने फार्म कब-कब से विचाराधीन हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवेदनकर्ताओं के लम्बे समय तक डिमाण्ड नोट नहीं निकालने के लिये कौन दोषी है ? क्या सरकार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(श्री रामगोपाल बैरवा)

(3) क्या सरकार उक्त सभी आवेदकों के डिमाण्ड नोट निकालने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) कोटा वृत्त के अन्तर्गत उपखण्ड इटावा में घरेलू कनेक्शन हेतु वर्तमान में 260 आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं। यह आवेदन-पत्र वर्ष 1999-2000 में प्राप्त हुए थे।

(2) उपरोक्त उपखण्ड में फरवरी, 2000 तक लम्बित 210 आवेदकों को मांग-पत्र जारी किये जा चुके हैं। जिनमें से केवल 36 आवेदकों द्वारा मांग-पत्र की राशि जमा करवाई गई है। शेष रहे 50 आवेदन-पत्र, जो कि माह मार्च, 2000 में प्राप्त हुए हैं, के भी मांग-पत्र जारी करने का कार्य प्रगति पर है। मांग-पत्र जारी करने में नियमानुसार कार्यवाही की गई है। अतः इसमें प्रथम दृष्टया कोई दोषी प्रतीत नहीं होता है। अतः कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी हां। शेष रहे आवेदकों को भी मांग-पत्र जारी करने की कार्यवाही प्रगति पर है, जिसके पूर्ण होते ही मांग-पत्र जारी कर दिये जावेंगे।

राज्य के किसानों को क्रेडिट कार्ड सुविधा

830. **डा. रतन लाल जाट** (सहाड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में कुल कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं तथा उनके कुल कितने सदस्य हैं ?

(2) उक्त सदस्यों को कृषि उत्पादन हेतु ऋण की आवश्यकता का क्या विभाग ने आकलन किया है ? विभाग ने इसकी आपूर्ति के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

(3) राज्य में कुल कितने किसानों को (किसान क्रेडिट कार्ड) जारी किये गये हैं ?

(4) ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, वाणिज्य बैंकों द्वारा कितने किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान में 5255 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, जिनके 49,10,274 सदस्य हैं।

(2) नाबार्ड द्वारा प्रतिवर्ष की सुविचारित ऋण योजना के अंतर्गत जिलेवार कृषि उत्पादन हेतु ऋणों की आवश्यकता का आकलन किया जाता है। वर्ष 2000-2001 में 1971.74 करोड़ रु. के फसली ऋणों का आकलन किया गया है। इनमें से सहकारी बैंकों के माध्यम से 1000 करोड़ रु. के ऋणों का वितरण प्रस्तावित है।

(3) राज्य में अप्रेल, 1999 से फरवरी, 2000 तक 9,89,294 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं।

(सहकारिता मंत्री)

(4) सहकारी बैंकों द्वारा जारी किये गये सहकारी किसान कार्डों की बैंकवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। ग्रामीण बैंकों एवं वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी किये गये क्रेडिट कार्ड की अधिकृत सूचना विभाग में संकलित नहीं की जाती है, परन्तु विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार समस्त बैंकों द्वारा राज्य में लगभग 10 लाख किसान कार्ड जारी किये गये हैं।

नाबार्ड से प्राप्त सूचना के आधार पर ग्रामीण बैंकों द्वारा 6677 किसान कार्ड रु. 3,279.66 लाख के व वाणिज्य बैंकों द्वारा 27680 किसान कार्ड रु. 8716.82 लाख के जारी किये गये।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक पाली द्वारा ऋण वितरण में अनियमितता की जांच

831. **श्री हीरालाल विश्नोई** (सांचोर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भूमि विकास बैंक एवं राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक पाली द्वारा अपने सदस्यों को वितरित ऋणों का भौतिक सत्यापन सामान्य/विशेष प्रयोजन हेतु करवाया है ? यदि हां, तो वर्ष 1995 से 1998-99 तक करवाये गये भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वर्णित बैंकों द्वारा कराये गये भौतिक सत्यापन में पूर्ण/आंशिक दुरुपयोग के कितने प्रकरण सामने आये ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त वर्णित बैंकों द्वारा वितरित ऋणों में नाबार्ड से स्वीकृत/निर्धारित इकाई लागत से अधिक ऋण वितरण किया गया है ? क्या उक्त वर्णित बैंक स्वीकृत इकाई लागत से 10 से 15 प्रतिशत तक अधिक ऋण स्वीकृत कर वितरण के लिए अधिकृत हैं ? यदि हां, तो आदेश/परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या यह सही है कि कुआं खुदवाने में स्वीकृत इकाई द्वारा लागत से अधिक ऋण वितरण किया गया है ? यदि हां, तो क्या कृषकों को अधिक ऋण भार के बावजूद भी राहत पहुंची है ?

(4) क्या उक्त वर्णित बैंक विविध उद्देश्यों के लिए वितरित किये जाने वाले ऋणों में भी कृषकों को उपरोक्त आधार पर कार्यवाही कर राहत पहुंचाकर सूदखोरों से बचाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विभागीय आदेश दिनांक 7.7.97 के द्वारा राज्य के समस्त सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा वर्ष 1996-97 में वितरित ऋणों का भौतिक सत्यापन कराने के आदेश प्रसारित किये गये हैं।

भूमि विकास बैंक, पाली द्वारा अपने सदस्यों को वर्ष 1995-96, वर्ष 1996-97 व वर्ष 1998-99 में वितरित ऋणों के भौतिक

(सहकारिता मंत्री)

सत्यापन भूमि विकास बैंक, पाली के स्तर पर करवाये गये हैं। रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है। वर्ष 1997-98 में भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है।

(2) पाली भूमि विकास बैंक द्वारा करवाये गये भौतिक सत्यापन के आधार पर प्रदत्त ऋण के पूर्ण एवं आंशिक दुरूपयोग सम्बन्धी विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष	कुल भौतिक सत्यापन संख्या	दुरुपयोग प्रकरण पूर्ण	आंशिक	योग
1995-96	12	10	2	12
1996-97	607	57	5	62
1997-98	—	—	—	—
1998-99	19	1	1	2
	638	68	8	76

(3) जी हां। इस सम्बन्ध में नाबार्ड एवं राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा प्रसारित परिपत्र दिनांक 14.5.99 एवं 9.2.2000 की प्रति परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

जी हां, कुआं खुदवाने में स्वीकृत इकाई लागत से अधिक ऋण वितरण किया गया है, किन्तु कृषकों को अधिक ऋणभार के उपरांत भी उपलब्ध कराये गये सिंचाई साधनों से राहत प्राप्त हुई है।

(4) जी हां। प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत इकाई लागत एवं स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए कृषकों को ऋण वितरण किया जा रहा है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जिला नागौर के अग्नि पीड़ित परिवारों की सहायता

832. **श्री मोहन लाल चौहान** (परबतसर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला नागौर में वर्ष 1999-2000 में कुल कितने अग्निकांड हुए ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अग्नि पीड़ित परिवार को सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या और अब कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जिला नागौर में वर्ष 1999-2000 में 128 अग्निकाण्ड हुए। तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-"क")

(2) उक्त अग्नि पीड़ित परिवारों में से 104 परिवारों को भुगतान किया जा चुका है। शेष परबतसर तहसील के 24 परिवारों को स्वीकृति जारी कर दी गई है। भुगतान किया जा रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

महिला एवं बाल विकास परियोजना में चालक का नियुक्ति प्रकरण

833. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर ने दिनांक 20.3.97 को एक आदेश जारी करके महिला एवं बाल विकास परियोजना जायल, जिला नागौर के एक चालक की सेवाएं नियमित करने को कहा है ? यदि हां, तो उक्त आदेश की पालना कब से हुई तथा उनको सेवा लाभ कब से कब दिया गया ? उक्त आदेश की व उन पर हुई कार्यवाही की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मामले में विभिन्न न्यायालयों द्वारा निर्णय हो जाने के बाद भी विभाग ने न्यायालयों के निर्णयों की पालना क्यों नहीं की है ? अब तक उक्त मामले में न्यायालय में हुये निर्णयों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त चालक की सेवाएं नियमित नहीं करने के मामले को दबाये रखने के लिये कौन दोषी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है। विभागीय पत्रांक 16678-752 दिनांक 20.3.97 के द्वारा जिन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की याचिका/अपील/वाद न्यायालयों में चल रहे हैं, उनको न्यायालय में निर्णित कराने अथवा प्रकरण वापिस लेकर अवगत कराने हेतु लिखा गया था, ताकि प्रार्थी (चालक) की सेवाएं दिनांक 15.8.96 से नियमित की जा सके। किन्तु प्रार्थी (चालक) ने कोर्ट केस वापिस नहीं लिया अपितु वाद का निर्णय 29.8.97 को हुआ। इस क्रम में प्रार्थी ने अपना आवेदन-पत्र दिनांक 1.11.99 को प्रस्तुत कर, न्यायालय के निर्णय से अवगत कराते हुए, विभागीय पत्र दिनांक 20.3.97 के अनुसार नियमित करने हेतु लिखा। कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पत्र दिनांक 20.3.97 की फोटो प्रति परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) जहां तक विभिन्न न्यायालयों द्वारा निर्णय हो जाने के पश्चात भी न्यायालय के निर्णय की पालना का प्रश्न है तो प्रार्थी चालक को इसके लिये विभाग के पत्र दिनांक 20.3.97 के द्वारा यह निर्दिष्ट किया था कि वो उसके द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में न्यायालय में प्रस्तुत वाद/अपील आदि को या तो निर्णय करांकर पेश करें अथवा उनको वापिस लेकर, विभाग को सूचना दे ताकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मोडसिंह बनाम राज्य सरकार में दिये निर्देशों की पालना के अनुसार नियमितिकरण की कार्यवाही अमल में लायी जा सके। उक्त आशय के निर्देशों के बावजूद भी प्रार्थी चालक द्वारा दिनांक 1.11.99 को प्रार्थना पत्र पेश कर नियमितिकरण की कार्यवाही

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

के लिये निवेदन किया गया। जिस पर कार्यवाही सरकारी कर्मचारियों की लम्बी हड़ताल के कारण यथा समय नहीं की जा सकी। (माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों की प्रतियां परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है)

(3) वाहन चालक की सेवाऐं नियमित करने के मामले को दबाये रखने के लिए कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं है अपितु विधि विभाग की राय हेतु पत्रावली विधि विभाग को भेजी गई है।

(फोटो प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में परमिट धारी निजी बसों द्वारा वसूला जा रहा किराया

834. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में यातायात सुविधा की दृष्टि से कितनी निजी बसों को परमिट दिया हुआ है ? प्रत्येक गाड़ी, संचालित रूट एवं समय चक्र अनुसार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या परिवहन विभाग इन निजी बसों द्वारा वसूला जा रहा किराया अपने मानदण्डों के अनुसार उचित मानता है ? यदि हां, तो प्रति किलोमीटर वसूला जा रहा किराया, रूट सड़क श्रेणी अनुसार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बड़ी सादड़ी क्षेत्र के रूटों पर चलने वाली निजी बसों का एकाधिकार होने से मनचाहा किराया वसूला जाता है तथा किसी प्रकार का कोई यात्रा टिकट नहीं दिया जाता है जिससे परिवहन विभाग को हानि होती है।

(4) क्या विभाग द्वारा इन रूटों पर चलने वाली बसों का निरीक्षण किया गया ? यदि हां, तो कितने यात्रियों के पास टिकट उपलब्ध हुआ तथा राज्य में टैक्स की चोरी रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

(5) उक्त बसों के कितने चक्र निर्धारित हैं क्या उतने चक्र नहीं करके अधिक से अधिक भीड़ एकत्र कर कम चक्रों में ज्यादा सवारियां ले जाने का अमूमन संचालन हो रहा है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में 56 निजी बसों को परमिट दिया हुआ है। गाड़ी, संचालन रूट एवं समय चक्र की सूची परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) इन निजी बसों के द्वारा किराया विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही वसूल किया जाना चाहिये। विभाग द्वारा निर्धारित दर साधारण सेवा के लिए 60 कि.मी. तक की दूरी के लिए 29 पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री एवं 60 कि.मी. से अधिक

(यातायात मंत्री)

की दूरी के लिए 31 पैसे प्रति कि.मीटर प्रति यात्री है।

(3) बड़ी सादड़ी क्षेत्र में निजी बसों के द्वारा निर्धारित किराया ही वसूल किया जा रहा है। जहां तक टिकट का सवाल है, टिकट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वाहनों से वसूल किया जाने वाला विशेष पथकर संचालित कि.मी., वाहन की बैठक क्षमता एवं मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसलिए टिकट नहीं देने से विभाग को कोई हानि नहीं होती है।

(4) इन रूटों पर चलने वाली बसों का निरीक्षण समय-समय पर किया जाता है। परन्तु यात्रियों के पास टिकट नहीं होने से टैक्स की कोई चोरी नहीं होती। अतः टिकट चैक नहीं किये जाते हैं।

(5) बसों के जितने चक्र निर्धारित हैं, उसके अनुसार ही वाहनों का संचालन होता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम खुटकड़ा (पाली) मार्ग पर बस सेवा

835. **श्री आत्माराम मेघवाल** (देसूरी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या ग्राम खुटकड़ा (पाली) मार्ग पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस चालू किये जाने हेतु कई बार कार्यवाही की गई ?

(2) क्या उक्त गांव को परिवहन सेवा से जोड़ने हेतु क्षेत्रीय विधायक द्वारा पत्र प्रस्तुत किये गये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या निर्णय लिया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार गांव खुटकड़ा को परिवहन सेवा से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त गांव में बस संचालन हेतु फिलहाल निजी बस मालिकों को पाबन्द करने का विचार रखती है ?

(5) क्या सरकार सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने वाले बस मालिकों की बसों का परमिट रद्द करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। ग्राम खुटकड़ा को परिवहन सेवा से जोड़ने हेतु क्षेत्रीय विधायक से पत्र प्राप्त हुए थे। उनकी मांग के अनुसार मार्ग का सर्वेक्षण करवाकर पाली-रानी मार्ग का डाइवर्जन कर उक्त ग्राम को जोड़े जाने की स्वीकृति सदस्य, प्राधिकार द्वारा दी जा चुकी है।

(3) जी हां। इस सम्बन्ध में आदेश जारी किए जा चुके हैं।

(यातायात मंत्री)

(4) जी हां। पाली-रानी मार्ग पर संचालित बसों के अनुज्ञापत्रधारियों को उक्त गांव होकर बसों के संचालन हेतु पाबन्द करने की कार्यवाही की जायेगी।

(5) जी हां। निर्देशों का उल्लंघन करनें वाले बस मालिकों की बसों के परमिट रद्द करने की नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

कोटा से ढीपरी चम्बल तक बस सेवा हेतु सर्वे

836. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य पथ परिवहन निगम के कोटा डिपो द्वारा कोटा से ढीपरी चम्बल तक बस चलाने का सर्वे करवाया गया था ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मार्ग पर सर्वे होने के लम्बे अर्से तक बस चालू नहीं करने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त मार्ग पर बस चालू कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक।

उत्तर

(1) जी हां। सर्वे रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(2) उक्त मार्ग पर कल्याणपुरा में बिजली के तार नीचे लटके हुए होने से तार वाहनों को छू जाने की सम्भावना व मार्ग समाप्त होने से आधा किलोमीटर पूर्व वाहन घुमाने की जगह नहीं होने के कारण बस संचालन नहीं किया जा रहा है। उक्त कमियों को दूर करने हेतु सम्बन्धित क्षेत्रीय सरपंच एवं विधायक महोदय को अवगत करा दिया गया है। अतः उक्त कमियों के दूर होनें कें पश्चात ही मार्ग का पुनः सर्वे कराया जाकर वाहन संचालन पर विचार सम्भव होगा।

(सर्वे रिपोर्ट के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

यात्री वाहनों पर विशेष पथकर

837. **श्री रतन लाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार राज्य में संचालित अवैध वाहनों से प्रति जीप 1000 रुपये, मीनीबस 2000 रुपये तथा बस पर 3000 रुपये माहवार विशेष पथ कर निर्धारित कर उन्हें नियमित संचालन के अनुज्ञापत्र देकर राज्य कोष में आय बढ़ाने का एवं नियमित संचालन की कार्यवाही का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि अनियमित संचालन बढ़ता जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इसका कोई सर्वे करवाया तथा अनुमान लगाया है ? यदि हां, तो परिणाम क्या रहे ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वाहनों पर कर गणना प्रणाली मूल्य आधारित है। अतः अलग-अलग कीमत वाले वाहनों का विशेष पथकर अलग-

(यातायात मंत्री)

अलग होगा जो कि प्रश्न में वर्णित विशेष पथकर की राशि से काफी अधिक है। अवैध वाहनों के/संचालन के नियमितिकरण का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) अनियमित संचालन का कोई सर्वे नहीं कराया गया है। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि यात्री वाहनों का अनियमित संचालन बढ़ता जा रहा है। अनियमित संचालन की संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती, क्योंकि कोई भी किसी भी दिन या किसी समय यदि परमिट की शर्तों का उल्लंघन करके चलता है तो उस समय वह अनियमित संचालन की श्रेणी में आ जाता है। अतः अनियमित संचालन की संख्या का अनुमान लगाया जाना संभव नहीं है।

वाहन संख्या आर.एस.टी.-173 का चुकता प्रमाण-पत्र

838. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या वाहन संख्या आर.एस.टी. 173 का कर चुकता प्रमाण-पत्र प्राप्ति के लिए दिनांक 19 मार्च, 1996 को जिला परिवहन अधिकारी, जयपुर को प्रार्थना-पत्र दिया गया ? क्या उक्त पत्र विभाग ने दिनांक 4 मई, 1998 को कर चुकता प्रमाण-पत्र जारी किया ? यदि हां, तो इतना लम्बा समय क्यों लगा जबकि विभाग के नियमानुसार 7 दिन में टी.सी.सी. जारी हो जानी चाहिए ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दिन इसका अनुज्ञा-पत्र दिनांक 22.8.95 को स्वीकृत हुआ तथा 10 दिन अंतराल के बाद 22.8.95 को ही अस्वीकृत हुआ, जबकि टैक्स रिपोर्ट, परमिट रिनीवल रिपोर्ट, फिटनेस रिपोर्ट, परमीट औबटेन फीस तक की कार्यवाही हो चुकी हो ?

(3) क्या यह सही है कि जिला परिवहन विभाग ने एस.टी.ए.टी. के आदेश के बावजूद भी वाहन का परमिट रिनीवल नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि परिवहन विभाग के नियमानुसार किसी भी वाहन के अनुज्ञापत्र के पत्र द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति तथा नवीनीकरण स्वीकृति अथवा अस्वीकृति की सूचना विभाग के पत्र द्वारा वाहन स्वामी को दी जानी चाहिए ?

उत्तर

(1) वाहन संख्या आर.एस.टी. 0173 के कर चुकता प्रमाण-पत्र के लिए प्रार्थी का मूल आवेदन-पत्र जो दिनांक 19.3.1996 को प्रस्तुत करना बताया गया है। वह रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है। इस आवेदन की फोटो प्रति रिकार्ड में उपलब्ध है। इसी प्रकार इसी वाहन के कर चुकता प्रमाण-पत्र के लिए दिनांक 18.3.1997 के आवेदन-पत्र की भी फोटो प्रति ही उपलब्ध है। इसके पश्चात वाहन स्वामी को कर चुकता प्रमाण-पत्र देने से पूर्व दिनांक 20.4.1998 को रुपये 3423 की मांग कायम कर अवगत करा दिया गया। जिसे वाहन स्वामी ने दिनांक 28.4.1998 को जमा कराया एवं दिनांक

(यातायात मंत्री)

4.5.1998 को प्रार्थी को कर चुकता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। दिनांक 9.9.1999 से लागू अधिकार-पत्र के तहत् 7 दिवस में कर चुकता प्रमाण-पत्र जारी किया जाना होता है। इससे पूर्व कर चुकता प्रमाण पत्र जारी करने की समयावधि नहीं थी। पृथम दृष्ट्या इतनी अवधि लगने का कारण मूल प्रार्थना-पत्र का उपलब्ध नहीं होना तथा वाहन पर देय कर राशि जमा नहीं करानें के कारण हुआ है। फिर भी विलम्ब के कारणों की जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(2) आवेदक द्वारा उक्त वाहन का परमिट नवीनीकरण के लिए आवेदन-पत्र दिनांक 3.8.1995 को प्रस्तुत किया, जो कि दिनांक 22.8.1995 को (15 वर्ष से नीचे माडल की वाहन होने के कारण) माडल कण्डीशन के आधार पर निरस्त कर दिया गया।

(3) आवेदक द्वारा मा. सदस्य स्टेट ट्रान्सपोर्ट अपीलेन्ट ट्रिब्यूनल के आदेश दिनांक 28.2.1997 की पालना में नवीनीकरण का परमिट पर बिना इन्द्राज कराये वाहन का संचालन किया। मा. सदस्य स्टेट ट्रान्सपोर्ट अपीलेन्ट ट्रिब्यूनल के आदेश में स्पष्ट था कि "वाहन का नुवीनीकरण जयपुर जिला क्षेत्र के लिए इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि अपीलार्थी अपने वर्तमान वाहन को अपील निर्णय की दिनांक से 6 माह में निर्धारित माडल की वाहन से प्रतिस्थापित कर लेगा, अन्यथा उक्त स्वीकृति स्वतः ही निरस्त हो जावेगी। 6 माह की अवधि पश्चात् प्रार्थी द्वारा पुनः वाहन प्रतिस्थापित करने की अवधि छः माह और बढ़ाने का आवेदन किया, जिसे सदस्य, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार द्वारा निरस्त किया गया।

(4) राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के अन्तर्गत नये अनुज्ञापत्र स्वीकृत या अस्वीकृत करने की सूचना देने का प्रावधान है, परन्तु नवीनीकरण के प्रार्थना-पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करने की सूचना देने का प्रावधान नहीं है।

जयपुर-मौजमाबाद वाया बगरू मार्ग पर परिवहन निगम की बसों में वृद्धि

839. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची) एवं **श्री मंदन दिलावर** (अटरू) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि जयपुर-मौजमाबाद वाया बगरू मार्ग पर वर्तमान में राज्य पथ परिवहन निगम की 5 बसें आना व जाना कर रही हैं ? क्या सरकार उक्त मार्ग पर सवारियों के दबाव को देखते हुए इन बसों में वृद्धि करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। जयपुर-मौजमाबाद वाया बगरू मार्ग का बगरू से मौजमाबाद तक का भाग अराष्ट्रीयकृत है, जिस पर निजी वाहनों की प्रतिस्पर्धा एवं वर्तमान में निगम वाहनों को उपलब्ध हो रहे यात्रीभार को देखते हुए बसों में और वृद्धि किये जाने का कोई विचार नहीं है।

कृषि उपज मंडी विजयनगर, केकड़ी व किशनगढ़ द्वारा निर्माण कार्य

840. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जनवरी, 1996 से कृषि उपज मंडी विजयनगर, केकड़ी व किशनगढ़ द्वारा कोई आय अर्जित की गई ? यदि हां, तो वर्षवार कितनी-कितनी आमदनी हुई ?

(2) क्या उक्त अवधि से उक्त मंडियों द्वारा कोई निर्माण कार्य करवाये गये ? यदि हां, तो कहां-कहां कौन-कौन सा कार्य कितनी-कितनी लागत का कब-कब किस-किस के माध्यम से करवाया गया और किस-किस को कितना भुगतान कब-कब किया गया ?

(3) क्या उक्त कार्यों की गुणवता की जांच भी करवाई गई ? यदि हां, तो कब-कब किस-किस के द्वारा किस-किस कार्य की जांच की गई ?

उत्तर

(1) जनवरी, 1996 से कृषि उपज मंडी, विजयनगर, केकड़ी व किशनगढ़ की प्राप्त आंय का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) कराये गये कार्यों, उनकी लागत माध्यम एवम् किये गये भुगतान का विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(3) विवरण परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

(विवरण की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य की कृषि उपज मंडी समितियों के चुनाव

841. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में सभी श्रेणी की मण्डी समितियों के चुनाव किस-किस वर्ष में करवाये गये ?

(2) गत 20 वर्षों से कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव नहीं कराने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या राज्य में कृषि उपज मण्डी समिति के चुनावों का प्रावधान नहीं है ? यदि नहीं, तो उक्त मण्डी समितियों के चुनाव न करवा कर प्रशासक क्यों रखे जा रहे हैं ?

(4) क्या अब सरकार कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) कृषि उपज मण्डियों के एक्ट अनुसार वर्तमान में किन-किन को मतदाता रखे गये हैं और कौन-कौनसे सदस्य किस वर्ग से मण्डी समिति बोर्ड में चुने जाते/मनोनीत किये जाते हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट-"अ" के अनुसार है।

(2) मण्डी समितियों के चुनाव के नियमों में संशोधन किये जाने की कार्यवाही प्रक्रिया-धीन है। अपेक्षित संशोधन होने के पश्चात् ही चुनाव कार्यवाही सम्पादित हो सकेगी।

(3) जी नहीं। मण्डी समितियों के चुनाव न होने के कारण ही प्रशासक नियुक्त हैं।

(4) चुनाव नियमों में अपेक्षित संशोधन होने के उपरान्त ही चुनाव कार्यवाही सम्पादित हो सकेगी।

(5) मतदान देने के लिये योग्य व्यक्ति (I) कृषकों का निर्वाचन क्षेत्र-कृषकों के निर्वाचन क्षेत्र में निम्नलिखित व्यक्ति मतदान देने योग्य होंगे :–

(अ) मण्डी क्षेत्र में काम करने वाली कृषकों की मान्यता प्राप्त संस्थाओं के सदस्यगण।

(ब) जहां ऐसी कोई संस्थायें नहीं हो तो निम्नलिखित कृषकगण जो साधारणतः उस मण्डी क्षेत्र में निवास करते हों, नामार्थ :–

1. ऐसी भूमि के धारक जिन्होंने अपने अधिकार चाहे हस्तान्तरित कर दिये हों, या नहीं किये हों, जिनका चुनाव होने वाले द्वितीय वर्ष से निकटतम पहले वाले राजस्व वर्ष की समाप्ति पर सम्मिलित रूप में या अलग-अलग रु. 10/– से कम नहीं आंका गया हो या आंका जाने योग्य हो, अथवा

2. हस्तान्तरित नहीं की हुई ऐसी भूमि के (Unalienated lands) काश्तकार (tanants) जिनका लगान चुनाव होने वाले द्वितीय वर्ष से निकटतम पहले वाले राजस्व वर्ष की समाप्ति पर रु. 10/– से कम नहीं आंका गया हो, अथवा

3. हस्तान्तरित की हुई भूमि (alienated lands) के आसामी (tenants) जिसका लगान चुनाव होने वाले वित्तीय वर्ष के निकटतम पहले वाले राजस्व वर्ष की समाप्ति पर 10/– रुपये से कम नहीं आंका गया हो या आंका जाने योग्य हो।

स्पष्टीकरण :– (1) किसी क्षेत्र में कोई व्यक्ति साधारणतः निवास करने वाला समझा जायेगा, यदि वह–

(अ) उस क्षेत्र के लिये तत्समय बनाई जा रही मतदान सूची के नियम 8(3) के अधीन तदर्थ प्रकाशन से पहले के कलेण्डर वर्ष में कुल मिलाकर जिसने कम से कम 180 दिनों तक वास्तव में निवास किया हो, अथवा

(ब) उस क्षेत्र के भीतर, तत्समय बनाई जा रही मतदाता सूची के नियम 8(3) के अधीन तदर्थ प्रकाशन से पहले के कलेण्डर वर्ष में कुल मिलाकर कम से कम 180 दिनों तक जिसने अपने लिए, अपने आश्रितों या कर्मचारियों के प्रभार में निवास बनाये रखा हो और ऊपर बताये गये वर्ष में इस क्षेत्र में अपने व्यवसाय के सम्बन्ध में उक्त निवास स्थान पर आया हो।

(2) यदि कोई प्रश्न उठे कि आया कोई व्यक्ति इस नियम के प्रयोजनार्थ कृषक है

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

या नहीं तो इसका निर्णय निदेशक देगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(II) व्यापारियों का निर्वाचन क्षेत्र-- निम्नलिखित व्यक्ति व्यापारियों के निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने की योग्यता रखेंगे :--

(ए) कलक्टर द्वारा इस प्रयोजन के लिये निश्चित तिथि से पूर्व, मण्डी क्षेत्र में धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन लाइसेन्स प्राप्त सभी व्यक्ति।

(बी) कलक्टर द्वारा, इस प्रयोजन के लिये निश्चित तिथि से पूर्व (सभी व्यापारीगण) जिसको नियम 69 (के अधीन लाइसेन्स प्राप्त हो)

(III) स्थानीय प्रतिनिधियों का निर्वाचन क्षेत्र-- पंचायत समितियों के सदस्यगण, नगर परिषदों के सदस्य गण, नगरपालिकाओं के सदस्य गण तथा पंचायतों के पंच सरपंचों सहित, यथा स्थिति, धारा 7(1)(4) द्वारा अपेक्षित प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे।

(IV) सहकारी संस्था का निर्वाचन क्षेत्र-- सहकारी विपणन संस्था या संस्थाओं की प्रबन्धक समिति के सदस्य, जो कि बाजार क्षेत्र में क्रियाशील हैं तथा जिन्हें विपणन समिति ने नियम 69 के अन्तर्गत लाइसेन्स दिया है, को सहकारी संस्थाओं के एक निर्वाचन क्षेत्र में मत देनें हेतु योग्य माना जायेगा तथा ऐसे मामले में जिसमें एक प्रशासक द्वारा किसी संस्था की प्रबंधक समिति को हटा दिया (Surpersede) गया है तो प्रत्येक प्रशासक मत देगा एवं उसे हटाये गये प्रबन्धक समिति के सदस्यों की संख्या के समान संख्या में मत देने का अधिकार होगा।'

मंडी समितियों में निम्नानुसार सदस्य चुने जाने का प्रावधान है :--

1. कृषक	--	7
2. व्यापारी	--	2
3. स्थानीय संस्थाओं के प्रतिनिधि	--	2
4. सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि	--	2
5. राजकीय प्रतिनिधि	--	2

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :--

(1) श्री अमराराम (धोद) सदस्य की ओर से पोकरण तहसील के सनावड़ा गांव में परमाणु कचरा दबाने के लिए की जा रही खुदाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) डा. रतन लाल जाट एवं 17 अन्य सदस्यों की ओर से मालवीय क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जयपुर में प्राचार्य पद हेतु चयनित प्रोफेसर का पदस्थापन किये जाने में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री हीरासिंह चौहान एवं 4 अन्य सदस्यों की ओर से पंचायत समिति-रायपुर (पाली) की वित्त प्रशासन स्थायी समिति के निर्णयों की पालना नहीं होने के सम्बन्ध में।

(4) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदन की ओर से मेवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र मादड़ी में बनाये गये बाईपास के दोनों और पक्की सर्विस रोड नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से सांगोद थाना कोटा अन्तर्गत गांव गाडरवाड़ा में एक व्यक्ति की हत्या एवं कुदैत सांगोद में हुई डकैती के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(12.05 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : (1) डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा), जयपुर-प्रथम द्वारा की गई कथित अनियमितता के सम्बन्ध में।

(2) श्री मोहन लाल बारूपाल, सदस्य की ओर से जिला नागौर की तहसील जायल में अकाल की स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री हीरालाल सहरिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (बारां) की गरडा से रामपुरिया सड़क का डामरीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री भरोसी लाल जाटव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के कतिपय गांवों को राजस्व गांव घोषित करने के सम्बन्ध में।

(5) श्रीमती पूनम गोयल, सदस्य की ओर से कोटा शहर में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में।

(6) श्री केसाराम चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र खारची के कतिपय विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री सोहन नायक, सदस्य की ओर से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में हाल ही में पदोन्नत कर्मचारियों के पदस्थापन में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों के साथ बरते गये कथित भेदभाव के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

डाक्टर किरोड़ी लाल।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, जब से हाउस चलने लगा है तब से हम इस विशेष उल्लेख के माध्यम से उठा रहे हैं लेकिन सरकार की ओर से एक

(श्री हीरासिंह चौहान)

भी 295 का उत्तर आज दिन तक प्राप्त नहीं हुआ जबकि तीन दिन में या एक सप्ताह में देने का प्रावधान पहले से विधान सभा में निश्चित कर रखा है। एक भी सवाल का जवाब नहीं आया है।

माननीय उपाध्यक्षजी, यहां आप पढ़ाते हैं, सारी व्यवस्था देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, पार्लियामेंट में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। हमारी विधान सभा में जब माननीय शिवचरणजी माथुर साहब नियम समिति के चेयरमैन थे उस समय इसको इंट्रोड्यूस किया था और विशेष तौर से सत्ता पक्ष के आदमी यह 295 के तहत ही बोल सकते थे, स्थगन प्रस्ताव पर बोल नहीं सकते थे। उस समय यह प्रारम्भ किया गया और विभिन्न विधान सभा के कार्यकाल में जब भी सत्र होता था, तीन दिन के अन्दर या सात दिन के अन्दर उत्तर वापस सरकार की ओर से देने की व्यवस्था की गयी थी। आज दिन तक जब से सदन 22 मार्च से प्रारम्भ हुआ है, एक भी माननीय सदस्य को 295 का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अब यहां पढ़ते हैं इसका क्या असर पड़ता है ? सरकार क्या करना चाहती है ? क्या व्यवस्था होती है। बहुत गम्भीर सवाल है।

माननीय उपाध्यक्षजी, कोई व्यवस्था आज ही आप दीजिये कि कितने दिन में और जितने भी आगे 295 के अन्तर्गत सवाल उठाये गये हैं उनका रिप्लाई कब तक सरकार की ओर से मिल जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त होते हैं। उनकी सूचना आपको दे देता हूं। जिनके उत्तर नहीं आये हैं, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उनके उत्तर की व्यवस्था करके माननीय सदस्यों को पहुंचाने की व्यवस्था करे। डाक्टर किरोड़ी लाल। अब क्या हो गया ?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : उपाध्यक्षजी, मैं दो मिनट का समय लूंगा। उपाध्यक्षजी, इस प्रदेश में कई जिलों में इस भयंकर गर्मी में अभी पागल कुत्तों के काटने की समस्या है। उपाध्यक्ष महोदय, इसको मजाक के रूप में नहीं लें। मैं चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी ये पागल कुत्ते काटते हैं तो काटने वाले को 15 दिन तक तो उसका ध्यान रखना पड़ता है कि यह पागल था या नहीं था और जितने भी अस्पताल हैं उनमें जो पागल कुत्ते के काटने पर इंजेक्शन लगाया जाता है वह उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इंजेक्शन जिलों के अस्पतालों में भिजवाये जाएं।

श्री उपाध्यक्ष : एंटी रेबीज के इंजेक्शन की व्यवस्था करते हैं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : यही निवेदन आपको करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर किरोड़ी लाल।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), जयपुर-प्रथम द्वारा की गई कथित अनियमितता

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : उपाध्यक्ष महोदय, कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), जयपुर-प्रथम द्वारा की गई अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में निवेदन है कि जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक), जयपुर-प्रथम ने समानीकरण में जो अनियमितताएं की हैं उनकी जांच करवाये जाने के आदेश राज्य सरकार ने दिये हैं किन्तु यह जांच अभी तक प्रारम्भ नहीं हुई है। समानीकरण के नाम पर ऐसे शिक्षकों को जयपुर से बाहर भेज दिया गया जो इसी वर्ष स्थानान्तरण होकर आये। समानीकरण के नाम पर जिन शिक्षकों को जो 20 वर्ष से जयपुर में लगे हुए थे, हटाया गया था, किन्तु उनको वापस जयपुर में ही लगा दिया गया। विद्यालयों में शोचालय बने ही नहीं और उनके बिलों का भुगतान कर दिया गया। वर्ष 1999 में राज्यादेश से जो शिक्षक स्थानान्तरित होकर आये उनको ऐसे विद्यालयों में पदस्थापित कर दिया गया जहां पद ही रिक्त ही नहीं है। उनका वेतन अन्य विद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध आहरित किया जा रहा है। ऐसे अध्यापकों की संख्या 40 से 50 है। नियमानुसार इन विद्यालयों से अधिकतम ठहराव वाले शिक्षकों को हटाया जाना चाहिए था जिनको नहीं हटाया गया। इसके लिए समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए या स्थानान्तरित होकर आये शिक्षकों को इन विद्यालयों में जहां से इनका वेतन आहरित किया जा रहा है, वहां लगा देना चाहिए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन लाल बारूपाल।

नागौर जिले में अकाल की स्थिति

श्री मोहन लाल बारूपाल (जायल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत नागौर जिले की भयंकर अकाल की स्थिति और तहसील जायल की अकाल की स्थिति के बारे में विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि श्रावण महीने के लगते ही बरसात हुई थी तथा उसके बाद बरसात नहीं हुई तथा इस बार पशुओं ने भी एक दिन हरा चारा नहीं खाया। पशुओं ने पिछले साल की पुरानी कुत्तर खाई। अब वह भी खतम हो गई है तथा लोग बाहर से गेहूं की तुड़ी (चारा) लाते हैं जिसका भाव 200 रुपये प्रति क्विंटल है और नागौर जिले के पशु उस गेहूं की तुड़ी को नहीं खाते हैं। इसलिए सैकड़ों पशु चारे के अभाव में मर रहे हैं। सरकार इस तरफ कुछ ध्यान नहीं दे रही है।

अतः मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पशुओं के चारे और पानी की व्यवस्था की जाये तथा दूसरी समस्या अकाल की

(श्री मोहन लाल बारूपाल)

स्थिति में लोगों की मजदूरी की है। अतः आपसे निवेदन है कि अकाल राहत के कार्य चालू करवाये जायें तथा सरकार की यह स्वीकृति है कि एक लाख रुपयों पर 20 मजदूर लगाये जायें जबकि मजदूरी करने वाले 200-300 आदमी हैं। अतः 20 मजदूरों को लगाने से काम कैसे चलेगा ? बाकी के गरीब मजदूरों एवं लोगों का क्या होगा ? इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई पुराने जमाने की बात है। कोई महात्मा कहते हैं, वह मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप तो कुर्सी पर बैठते ही हैं......

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। श्री हीरालाल सहरिया। बिराजिये प्लीज। बिराजिये। कल बहुत हो गया ना इस पर तो।

श्री मोहन लाल बारूपाल : और यहां मंत्रीजी बैठे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कल रात को डेढ़ बजे गई इस पर, और क्या चाहिए आपको। बिराजिये, बिराजिये। पढ़ लिया ना आपने। बिराजो, बिराजो।

श्री मोहन लाल बारूपाल : नहीं, मैं बोलूंगा।

"फिर हाकम सकराम कहे तू आंधो मत हो यार

ये दूजा के दो आंख यार तो थारे कहिजे चार

थारे कहिजे चार तो दो देखण न भारी

और दो ही हिया की मायूसी से ना सवारे।

और समय पाव दिन चार

और सुण हाकम सकराम कहे तू आंधो मत हो यार।

धनवत धर्मथ ना करे और नरपत करे ना न्याय

भजन करे ना भगत, कीजे कौन उपाय।

कीजे कौन उपाय, सलाह एक मानो म्हारी

और जा देखी के बांध और नदी आवे भारी

जाय घड़िन्दा खावतां पण बढ़िया टिके ना साय

धनवत धर्मथ ना करे अध्यक्ष महोदय, नरपत करे ना न्याय।

श्री उपाध्यक्ष : हीरालालजी सहरिया।

किशनगंज विधान सभा क्षेत्र की गरडा से रामपुरिया सड़क का डामरीकरण

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया एवं संचालन नियम 295 के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरी विधान सभा क्षेत्र किशनगंज जिला बारां की ग्राम गरड़ा से

(श्री हीरालाल सहरिया)

रामपुरिया तक की रोड इतनी खुर्द-बुर्द हो गई है कि उस पर गाड़ी तो क्या पैदल चलना भी दूभर हो गया है। साथ ही किसानों को ट्रैक्टरों से अपनी फसल को बारां मंडी में ले जाने के लिए लगभग 10-12 घंटे लग जाते हैं क्योंकि ट्रैक्टर को बड़ी धीमी गति से चलाना पड़ता है। यहां तक कि इतनी गट्टी उखड़ गई है कि कितने ही ट्रैक्टरों के तो टायर ही बर्स्ट हो गये।

ऐसी परिस्थिति में मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उक्त पांच कि.मी. रोड को अलग से बजट देकर उसे पुनः डामरीकरण करायें ताकि यातायात सुलभ किया जा सके। उम्मीद है कि श्रीमान्, इस उक्त खराब रोड की जरूर मरम्मत करवाने का श्रम करेंगे। इसी आशा के साथ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भरोसी लाल जाटव।

हिण्डौन तहसील के ग्राम एवं ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करना

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया संचालन के नियम 295 के तहत ध्यानाकर्षण कर तहसील हिण्डौन के ग्रामों एवं ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करने के बारे में आपसे निवेदन कर रहा हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में जहां की अधिकांश आबादी अनुसूचित जाति व जनजाति की है। ज्यादातर मेरे क्षेत्र की आबादी ग्राम व ढाणियों में रहती हैं। ढाणियों की भी आबादी 250 से लगाकर 500-600 हो गई है लेकिन राजस्व रिकार्ड में अभी तक उनको राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया गया है जिसके कारण से कई ग्राम जिनकी आबादी 5000 से 7500 तक की है। अतः श्रीमान्जी से निवेदन है कि मेरे क्षेत्र के निम्नलिखित ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किया जाये :—

1.	कोटवास	ग्राम पंचायत, जगर
2.	नथोले का पुरा	—"—
3.	खीप का पुरा	—"—
4.	खातीपुरा	—"—
5.	वमनपुरा	—"—
6.	खाना का पुरा	—"—
7.	मुंदा का पुरा	—"—
8.	वमनपुरा गुर्जर	—"—, खरेटा
9.	मिलकीपुरा	—"—, ढिढोरा
10.	कसाने का नगला	—"—
11.	बाढ़	—"—, करसोली
12.	राजापुरा	—"—, भंगो
13.	छत्री का पुरा	—"—
14.	दांत का पुरा	—"—
15.	फेली का पुरा	—"—, गुनसार
16.	हरिराम का पुरा	—"—, मोठियापुरा

(श्री भरोसी लाल)

17. पल्लू का पुरा ग्राम पंचायत, मोठियापुरा

18. नदी का पुरा –"–, हुकमी खेड़ा

19. बंध का नंगला –"–

20. बड़ का पुरा –"–, मण्डावरा

21. हरीनगर बण्ड का पुरा –"–

22. गद्दी पट्टी लहचोड़ा –"–

23. आरेनिया का पुरा ग्राम पंचायत, पंजट नंगला

24. बेडा जाटव बस्ती –"–, बनखी

25. जगन्तथा का पुरा –"–, भुखरावली

26. भट्ट का पुरा –"–, विजयपुरा

27. अन्दन का पुरा –"–, काचरोली

28. जगजीवन राम का पुरा –"– –"–

29. मोरोलियान का पुरा –"–

30. बंध का पुरा –"–

31. बुरजावाला –"–

32. कलारन का पुरा ग्राम पंचायत, खेड़ा

33. गेंदूपुरा –"–, बाजना

34. लोंगटीपुरा –"–

35. चमनपुरा –"–, फुलवाड़ा

अतः श्रीमान्जी, राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन है कि उक्त सभी ग्राम व ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करने की कृपा करें ताकि उक्त ग्रामवासियों को राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार लाभ मिल सके। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती पूनम गोयल।

श्री राधेश्याम गंगानगर : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी चार विधायकों ने मिलकर एक पर्ची दी है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, बिराजिये आप। अभी 295 चल रहा है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। बहुत बड़ा काण्ड है।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तक 295 चल रहा है। आप बिराजिये, बिराजिये। अभी तो 295 चल रहा है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : करोड़ों रुपयों का इंवाल्वमेंट है। एक दलित वर्ग की महिला के साथ बहुत ज्यादती हुई है। एक दलित वर्ग की महिला के साथ....यह गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी पर्ची का प्रश्न आये, आप तब बोल लेना। अभी तक 295 चल रहा है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह बहुत जरूरी मामला है, हाथ जोड़कर निवेदन है. ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री के. सी. विश्नोई : ×××

श्री संजीव कुमार : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समझने की कोशिश कीजिये। अभी तो 295 चल रहा है। जब पर्ची का प्रश्न आयेगा, तो बात करना ना।

कोटा शहर में औद्योगिक इकाइयों द्वारा किया जा रहा प्रदूषण

श्रीमती पूनम गोयल (लाडपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत कोटा शहर में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा किये जा रहे प्रदूषण के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान डी. सी. एम. कोटा के खाद कारखाने की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। इस कारखाने से दो अप्रेल को अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। श्रमिकों द्वारा अमोनिया कम्प्रेशर की सफाई करते समय तेजी से गैस निकली जिससे भगदड़ मच गई। गैस के रिसाव की घटना से लगता है कि सुरक्षा नियमों की पालना नहीं की गई जिसके कारण यह दुर्घटना हुई।

इसी प्रकार की एक दुर्घटना सितम्बर के महीने में भी हुई थी जिसमें गैस रिसाव हुआ था। उद्योग का प्लांट काफी पुराना होने के कारण इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सम्बन्धित विभाग फैक्ट्रीज एण्ड बायलर द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु सुरक्षा के उपाय नहीं किये गये तो भारी जन हानि होने की सम्भावना है।

इसके अलावा के. के. इण्डस्ट्रीज, कोटा, शिवाजी सोप, कोटा, टी. आर. केमिकल्स, कोटा, आस्था टेक्नोक्रेट, कोटा ये वे फैक्ट्रियां हैं जिनसे रात के समय बहुत सारा केमिकलयुक्त गन्दा पानी निकलता है और नाले में जाता है। उस पानी में इतनी अधिक दुर्गन्ध होती है कि यदि वहां पर कोई आदमी ज्यादा देर तक खड़ा रहे तो बेहोश हो जाता है और उसकी जान पर बन आती है।

इसके अतिरिक्त कोटा थर्मल द्वारा छोड़े जाने वाले धुएं और उससे निकलने वाली राख के ढेर जो तालाबों के तालाब खड़े हो रहे हैं, की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। कोटा थर्मल के नजदीक का जो एरिया है तलवंडी, दादाबाड़ी आदि, वहां पर यदि आप रात को छत पर सो जाएं तो सुबह पूरा शरीर काला मिलेगा, सुबह छत पर धुएं के साथ आने वाले छोटे-छोटे कंकरों से भरी रहती है। इसका कोई उपाय किया जाना चाहिए और इससे निकलने वाली

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्रीमती पूनम गोयल)

राख आज एक बहुत भयंकर समस्या बनती जा रही है। इसके निस्तारण के लिए भी कोई न कोई व्यवस्था की जानी चाहिए वरना राख के ढेर के ढेर इकट्ठे होते जा रहे हैं। आशा है, आप मेरे द्वारा उठाये गये मुद्दे की ओर ध्यान देंगे और कोटा शहर को प्रदूषण मुक्त करने का बीड़ा उठायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसाराम चौधरी।

खारची विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र खारची में विद्यालयों को क्रमोन्नत करने हेतु निवेदन करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र खारची में पिछले डेढ़ वर्ष में निम्नांकित विद्यालय क्रमोन्नत होने से वंचित हैं :–

(1) माध्यमिक विद्यालय, जोजावर

(2) उच्च प्राथमिक विद्यालय, ईसाली

(3) उच्च प्राथमिक विद्यालय, वणदार

(4) उच्च प्राथमिक विद्यालय, सिनला

(5) उच्च प्राथमिक विद्यालय, नीपल

(6) उच्च प्राथमिक विद्यालय, खारडी

(7) राजकीय प्राथमिक बालिका विद्यालय, धनला

(8) राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मारवाड़ जंक्शन

(9) ग्राम पंचायत मुख्यालय रामसिंह गुड़ा के ग्राम आंगदोस के विद्यालय

उपरोक्त विद्यालयों की निमयों के अनुसार शिक्षक एवं छात्र अनुपालन में सम होने के बावजूद अभी तक इन विद्यालयों को क्रमोन्नत नहीं किया गया है जिससे उपरोक्त क्षेत्र की जनता में भारी रोष व्याप्त है। मेरे द्वारा समय-समय पर क्रमोन्नयन हेतु पत्र व्यवहार, व्यक्तिगत रूप से भी माननीय मंत्रीजी को अवगत करवाया, लेकिन इस ओर कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई है और छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि आगे की कक्षाओं में पढ़ने के लिए दूरस्थ स्थानों पर प्रवेश लेना पड़ता है और आवागमन के साधन भी पर्याप्त उपलब्ध नहीं हैं, इससे छात्रों को यात्रा हेतु अधिक व्यय करना पड़ता है जो छात्र हित में नहीं है।

मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उपरोक्त लिखित विद्यालयों को क्षेत्र की जनता के हित तथा छात्रों के भविष्य को मध्य नजर रखते हुए क्रमोन्नत करने का श्रम करायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सोहन नायक।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में अनुसूचित जाति/ जनजाति के कर्मचारियों के साथ पदोन्नति में भेदभाव

श्री सोहन नायक (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया संचालन के नियम 295 के

(श्री सोहन नायक)

तहत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (ग्रामीण) ने अपने पत्र क्रमांक स्वा/स्था/306199-2000 दिनांक 27.3.2000 के तहत राजस्थान में कुल 75 पद वरिष्ठ लिपिक से कार्यालय सहायक पद पर पदोन्नत करते हुए स्थानान्तरण किये हैं। इन कुल पदों में 58 सामान्य वर्ग, 10 पद अनुसूचित जाति वर्ग तथा 7 अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के हैं। मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (ग्रामीण) ने भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के समस्त कर्मचारियों का स्थानान्तरण गृह जिले से बाहर किया है जबकि उनके गृह जिले में पद रिक्त पड़े हैं। दूसरी ओर सामान्य वर्ग के 58 पदों में से 33 कर्मचारियों को उनके गृह जिलों में पदस्थापित किया गया है। इस प्रकार ये स्थानान्तरण भेदभावपूर्ण, वर्ग विभेद करने वाले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इन स्थानान्तरणों से राज्य सरकार को स्थानान्तरण भत्ते के रूप में आर्थिक भार वहन करना पड़ेगा व उन अल्प वेतनभोगी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों को अपने गृह जिले से बाहर जाकर कार्य निष्पादन में परेशानी होगी। इसलिए इन स्थानान्तरणों को निरस्त कर अल्प वेतनभोगी अनुसूचित जाति/जन-जाति के कर्मचारियों को न्याय दिलाने एवं आर्थिक तंगी से गुजर रही सरकार को बेवजह आर्थिक हानि पहुंचाने वाले अधिकारी मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (ग्रामीण) के विरुद्ध कार्यवाही हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रताप।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

हनुमानगढ़ जिले में गेहूं की ढुलाई हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में खामी

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ जिले में गेहूं खरीद का कार्य फूड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया और राजफैड के माध्यम से किया जा रहा है। फूड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया ने ट्रांसपोर्टेशन का और ढुलाई का कार्य एनआईटी से और टेण्डर इंवाइट करके किसी फर्म को दे रखा है लेकिन राजफैड का जो कार्य है वह केवीएसएस के माध्यम से किया जा रहा है और केवीएसएस ने बिना एनआई लगाये और टेण्डर इंवाइट किये हुए किसी फर्म को यह कार्य दिया। उपाध्यक्ष महोदय, दोनों की रेट में फर्क है। कार्यक्षेत्र एक ही है लेकिन दोनों में कम से कम दो रुपये बीस पैसे प्रति क्विंटल का फर्क है और छह दिन में तीन दिन एफसीआई काम करता है और तीन दिन के लिए केवीएसएस काम करती है। इसी तरीके से दो खरीद के अन्दर और है तलवाड़ा झील और टीबी, वहां पर भी केवीएसएस काम कर रही है। और पिछले साल जो रेट थी टीबी में 13 रुपये 89 पैसे प्रति क्विंटल, इस

(श्री रामप्रताप)

साल 21 रुपये 54 पैसे प्रति क्विंटल और तलवाड़ा झील में जो पिछले साल 16 रुपये 85 पैसे थी, इस बार 24 रुपये 54 पैसे।

उपाध्यक्ष महोदय, दोनों एजेंसी वर्क कर रही हैं, रेट का फर्क हो सकता है लेकिन एफसीआई ने एनआईटी लगाकर के टेण्डर इंवाइट करके कार्य किया और केवीएसएस ने बिना इसमें एनआईटी लगाये और न ही टेण्डर इंवाइट किये और इस तरीके से कम से कम एक हफ्ते में डेढ़ से दो लाख रुपये का घपला हो रहा है। इसलिए आपके माध्यम से, माननीय सहकारिता मंत्रीजी यहां हैं नहीं, मैं निवेदन करूंगा कि इस पूरी चीज की जांच करवाकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र की नादौती तहसील में पीने के पानी की समस्या

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे क्षेत्र टोडाभीम की तहसील नादौती के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां तीन दिन से लगातार धरना चल रहा है, लोग प्यासे मर रहे हैं। हमारे यहां जो पांचना बांध बांधा गया था उसकी नहर खोली जा चुकी है आखिर में, अब की बार वह नहर बिलकुल नहीं खोल रहे हैं जिसके कारण उसका पानी जो तालाबों में डाला जाता था जिससे मवेशी पानी पी लेते थे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया भी यहां विराजमान हैं, उनसे भी मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि एक पानी और खोल दिया जाये नहर के अन्दर अगर तो कम से कम तालाबों में पानी आ जायेगा और पूरा हमारा गर्मी का मौसम निकल सकता है। जानवर प्यासे मर रहे हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इसका पानी खोल दिया जाये। इन्दिरा लिफ्ट योजना है वह भी हमारी अभी तक सेंटर में अटकी हुई पड़ी है, वह भी अभी तक मंजूर नहीं हुई। अब पानी की भयंकर समस्या मेरे माड एरिया में आ रही है, वहां मात्र पानी या तो नल योजनाओं के द्वारा मिलता है या इन तालाबों के द्वारा मिलता है। तालाब अब की बार भरे नहीं हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी भी यहां बिराजमान हैं, वहां पर न कोई सहायक अभियन्ता का कार्यालय है, 40-40 योजनाएं आपकी काम कर रही हैं, अभी 32 लाख का आपने मुझे काम दिया था और आपने पाइप लाइन भी डलवा दी, बोरिंग भी मंजूर हो गई, सारा काम हो गया लेकिन कोई ए. ईएन. नहीं होने के कारण हिण्डौन से ए. ईएन. आकर के वहां काम करता है, उसके पास हिण्डौन में ही इतना काम है, वह भी मेरी योजनाएं सारी बन्द पड़ी हैं। आज यहां से खराबी हो जाती है तो स्वीकृति लेने के लिए वहां जाते हैं।

इसलिए मेरा यह जो माड एरिया है उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐसा एरिया है जहां पर प्राकृतिक साधनों के अलावा या आपकी बोरिंग के अलावा कोई साधन हैं नहीं। मेरा विनम्र निवेदन है, माननीय मंत्री महोदया भी यहां बैठी हुई हैं, पांचना की नहर को

(श्री रामस्वरूप)

अगर आप खुलवा दें, हमारी समस्या हल हो जाये। माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी भी यहां बिराजमान हैं। कई बार मैं मिला हूं आपसे। तुरन्त लिख देते हैं, आठ दिन में तेरे यहां कार्यालय खोल दिया जाएगा। जो अधिकारी नहीं खोलेगा, लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ मैं कार्यवाही करूंगा, तुरन्त मेरे से आकर आप मिल लेना। अब मैं आपसे कई बार मिल लिया, कल भी आपने मेरे को कहा था, अब आप चिन्ता न करें, अब की बार तो निश्चित ही ए. ईएन. आफिस खोल रहा हूं। मेरी दोनों टंकियां भी, माननीय मंत्रीजी, नहीं हुई, इधर पांचना नहर भी नहीं खुल रही, इधर आपका आफिस भी नहीं खुल रहा तो, उपाध्यक्ष महोदय, मेरी कौन सुनेगा। अब यह नीचे वाले नहीं सुनेंगे तो मेरी तो ऊपर वाला सुनेगा। तो ऊपर वाले में आप भी आते हैं उपाध्यक्ष महोदय, और वह भी आते हैं।

मंत्रीजी बहुत अच्छे हैं। हमारी मंत्री महोदया तो ध्यान ही नहीं दे रही, वह तो जाने क्या लिख रही हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूं। जनता मर रही है, वहां लोग पुकार रहे हैं, लोग धरने पर बैठे हुए हैं। अब मेरी सरकार है साहब। मुझे दुख होता है जब मेरी सरकार के खिलाफ कोई धरने पर बैठता है। तो मेरा विनम्र निवेदन है माननीय मंत्रीजी, मुझ पर आप मेहरबानी करके....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें, मंत्रीजी को सुनें। अब आप बिराजें। मंत्रीजी, कुछ कहो उनको।

श्री रामस्वरूप : इसका भी अकाल पड़ गया क्या, मंत्रियों का भी, साहब, दे दो जवाब।

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : आप दो-तीन मंत्रियों को इन्वोल्व कर रहे हैं, कौनसे मंत्री को बात कही आपने।

श्री रामस्वरूप : मेरे ऊपर तो आप ही कृपा कर दो, वह नहीं करे तो। मैंने सोचा उनका, महिला का तो दयालु हृदय होता है वह पहले बोलेंगी।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह नहर का मामला है साहब, माननीय कमलाजी ही बात करेंगी।

श्री उपाध्यक्ष : सम्बन्ध पीने के पानी का है कि नहर का।

श्री रामस्वरूप : नहर का जवाब नहीं दे रहे तो मेरा पानी से सम्बन्धित है। साहब, ए. ईएन. आफिस खोल दें।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे थोड़े ही बोल देंगे, क्या बात हुई यह।

श्री रामस्वरूप : वहां की योजना चालू हो जाये, मेरी बन्द पड़ी है। 63 जी. एल. आर. हैं वह सब सूखे पड़े हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहर से पानी कैसे दिया

(श्रीमती कमला)

जा सकेगा, कितना दिया जा सकेगा, अभी अचानक मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं। आप खुद भी जानते हैं, या तो पहले मुझे कह देते कि मैं आज यह मुद्दा उठाने वाला हूं, आप यह पूछ कर आना। तो मैं पूछ कर आती कि कैसे पानी दिया जा सकता है क्योंकि पानी तो निर्धारित है खेती के लिए और उसमें से कितना बचाया जा सकता है, अगर निकालें भी तो कैसे निकाला जायेगा, उसकी प्रक्रिया भी सोचनी पड़ती है।

श्री रामस्वरूप : यह तो मैं बता दूं आपको। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्रीमती कमला : आप मुझे अभी आकर के बता दीजियेगा, सम्भव हुआ तो मैं जरूर करूंगी।

श्री रामस्वरूप : माननीय मंत्रीजी विराजमान हैं साहब मेरे ए. ईएन. आफिस के लिए।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि पांचना का बांध बना हुआ है, आपको पानी खोलने की बात है केवल मात्र, ज्यादा लम्बी बात नहीं है साहब, ताकि नादौती इलाके में पानी पहुंच जाये, मवेशियों को पानी मिल जाये। एक बार जरा सा खुलवा दें।

श्रीमती कमला : बैठ कर बात करेंगे न।

श्री रामस्वरूप : जलदाय मंत्रीजी, मेरा विनम्र निवेदन है, मैं कई बार आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न आपका।

श्री रामस्वरूप : बोल रहे हैं साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आपके लिए तो हर कोई बोलेंगे लेकिन हो गया न इनका तो।

श्री रामसिंह विश्नोई : ऐसा है माननीय सदस्य, आप जानते हैं, पूरे प्रदेश में ए. ईएन. आफिस कहां-कहां खोलने हैं, एक जगह का मामला हो तो मैं अभी घोषणा कर देता हूं। और भी स्थान हैं जहां पर ए. ईएन. के आफिस, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी है, एरिये में मांग बढ़ी है, लोगों की मांग भी बढ़ी है, सुविधा भी बढ़ी है। तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस सत्र के बाद बैठ कर अधिकारियों के साथ में और आपके, बहुत जल्दी, करीब महीने भर के अन्दर जहां भी खोलने हैं वह व्यवस्था कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री रामस्वरूप : वे तो मेरे ही खोल रहे हैं अब। मेरे यहां की घोषणा कर गये आप।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न अब रामस्वरूप जी विराजिये।

आदर्श नगर, जयपुर में लड़की का अपहरण

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में आदर्श

(श्री मदन दिलावर)

नगर, फूल मालियों की बगीची के पास प्लाट नं. 26 फतेह टीबा में रमेश कुमार शर्मा नाम के व्यक्ति निवास करते हैं। 16 अप्रेल को इनकी लड़की किरण कुमारी शर्मा का एक लड़का अपहरण करके ले गया जिसका नाम है अख्तर, निवासी तेल मील के पास, आगरा रोड, जयपुर में रहता है।

श्रीमान् उसका अपहरण करने के बाद 17 अप्रेल को उसके पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की और पुलिस के कार्यवाही नहीं करने के कारण से अपहरणकर्ताओं के हौसले इतने बुलंद हो गये कि 22 तारीख को एकराय होकर 20-25 लोग हथियारों से लैस होकर उस लड़की किरण शर्मा के पिता रमेश के घर पर हथियारों से लैस होकर पहुंच गये और उन्होंने कहा कि आपने यह रिपोर्ट दर्ज क्यों करायी और उनके ऊपर हमला बोलने की कोशिश की। संयोग था कि आसपास के लोग दौड़ कर आये और उन्होंने देखा कि अचानक इस प्रकार से हथियारों से लैस होकर लोग कैसे आये हैं तो जब पड़ोसियों ने प्रतिरोध किया तब जाकर वे बदमाश वहां से भागे।

श्रीमान्, यही नहीं 25 तारीख को जब ये रमेश शर्मा घरेलू काम से जा रहे थे तब भी उनको कुछ गुण्डों ने रोक कर यह कहा कि आप समझौता कर लो, आप रिपोर्ट पर कार्यवाही होने के लिए दबाव मत डालो और आपकी हिम्मत कैसे हो गई हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की। लड़का लड़की को लेकर भाग गया तो क्या अपराध हो गया। सरेआम यहां से लड़कियों का अपहरण हो और अपहरणकर्ताओं के संरक्षणदाता इस प्रकार की धमकियां दे, मैंने पहली बार देखा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने लड़कियों का अपहरण सुना है लेकिन उनको संरक्षण देने वाले लोग हथियारों से लैस होकर के घरों में हमला बोलेंगे और यह कहेंगे कि यदि आपने ज्यादा किया तो आपके परिवार, आपके रिश्तेदार और आपकी और बेटियों का भी अपहरण कर लेंगे, यह मामला बहुत गम्भीर है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए इस गम्भीर मामले की ओर मैं इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं यह सरकार तो निश्चित रूप से +++ है, +++ है, कोई कार्यवाही ही नहीं करती है कितनी ही बार मैंने जो इस प्रकार के मामले उठाये हैं उस पर मुस्करा कर छोड़ देते हैं। मामले की गम्भीरता को समझते नहीं बल्कि इस प्रकार से चर्चा करते हैं कि मदन दिलावर इस प्रकार के मामले क्यों उठाता है। माताओं बहनों पर इस प्रकार के अत्याचार हों और मैं यहां नहीं बोलूं तो मेरा इस विधान सभा में आना निरर्थक है। इस राजस्थान की धरती पर जहां भी माताओं और बहनों पर अत्याचार होंगे मदन दिलावर इस विधान सभा में निश्चित रूप से अपनी आवाज बुलंद करेगा।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डा. किरोड़ी लालजी।

ट्रांसपोर्ट विभाग में अवैध वाहनों का रजिस्ट्रेशन

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान ट्रांसपोर्ट विभाग में सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और विभाग से मिले हुए दलाल माफिया के रूप में काम करके ट्रांसपोर्ट विभाग को लाखों रुपये का चूना लगा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह जानकारी तो आपको पहले से है ही कि राजस्थान भर में जो अवैध संचालन चल रहा है उसके कारण ट्रांसपोर्ट विभाग, रोडवेज विभाग घाटे में जा रहे हैं किन्तु ट्रांसपोर्ट विभाग में अवैध वाहनों के रजिस्ट्रेशन का जो सिलसिला एक संगठित गिरोह या माफिया द्वारा किया जा रहा है उसके कारण सरकार को भारी राजस्व हानि तो हो ही रही है लेकिन चोरी के वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। पुराने मॉडल की गाड़ियों पर इंजन नंबर, चेसिस नंबर दूसरे डालकर उनको नया उच्च मॉडल बनाकर चलाया जा रहा है जिसके कारण एक्सीडेंट की घटनाएं भी बढ़ रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह पूरे राजस्थान भर में चल रहा है। मैं एक भीलवाड़ा जिले के कुछ उदाहरण आपके सामने रखूंगा जिसमें ऐसे-ऐसे वाहन हैं जिनको हरियाणा या आसाम से लाना बताया गया है वो व्हिकल वहां पर काम कर रहे हैं लेकिन उन व्हिकल के यहां पर इंजन व चेसिस नंबर डालकर उन वाहनों को राजस्थान में चलाया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, किसी दूसरे स्टेट से कोई व्हिकल खरीदा जाता है तो उनकी एन.ओ.सी. उस स्टेट से यहां पर लायी जाती है। एन.ओ.सी. को ट्रांसपोर्ट विभाग कन्फर्म करता है उसके लिए टेलिग्राम करता है और टेलिग्राम जाने के बाद 15 दिन तक अगर कोई जवाब नहीं आता है तो उस व्हिकल का रजिस्ट्रेशन यहां पर कर दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस वक्तव्य से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कानून की बहुत बड़ी खामी है कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपने टेलिग्राम दिया या पत्र लिखा और उस पत्र का जवाब अगर 15 दिन में नहीं आया तो वो व्हिकल यहां पर रजिस्टर्ड कर दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिला परिवहन अधिकारी, भीलवाड़ा ने पत्र लिखा पंजीयन अधिकारी, फरीदाबाद को। विषय : वाहन संख्या एच आर 29-ए 6117 बस के पर्टीकूलर्स भिजवाने बाबत। उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आसाम राज्य के कामरूप ईस्ट जोन, गौहाटी में पंजीकृत वाहन संख्या ए.एस. 01 सी 7870 बस की पंजीयन पुस्तिका पुनः राजस्थान राज्य में असाइनमेंट हेतु प्रस्तुत की गई है जिसमें पंजीयन अधिकारी, फरीदाबाद द्वारा वाहन संख्या एच.आर. 29 ए 6117 नम्बर पर प्रथम पंजीयन होना बताया गया है। पंजीयन पुस्तिका के अनुसार उक्त वाहन का चेसिस नंबर 344052668716 व निर्माण का वर्ष 1989 तथा बैठक क्षमता 39 इन आल बताया गया है। कृपया रिकार्ड से वाहन संख्या

(डा. किरोड़ी लाल)

एच.आर. 29 ए 6117 के समस्त पर्टीकूलर्स भिजवाते हुए यह भी बताने का कष्ट करें कि क्या आपके कार्यालय द्वारा कामरूप ईस्ट जोन, गौहाटी में राज्य में असाइनमेंट हेतु एन.ओ.सी. जारी की गई थी ? यह पत्र राजस्थान सरकार के डी.टी.ओ. ने 3.6.98 को भिजवाया उपाध्यक्ष महोदय, और तमाशा क्या होता है कि ऐसे एक साथ 3.6.98 को पत्र क्रमांक 180 से 185 तक 6 पत्र भिजवाये गये। इस पत्र का जवाब पता नहीं किस स्तर पर फर्जीवाड़ा किया गया, जांच का मामला है, यह आता है कि मूल पत्र भेजकर लेख है कि व्हिकल हमारे यहां रजिस्टर्ड है। इससे पहले इसी डी.टी.ओ. ने एक पत्र डी.टी.ओ. कार्यालय, भीलवाड़ा ने एक पत्र 31.3.98 को लिखा।

उपाध्यक्ष महोदय, 30/3025 दिनांक 31.3.98 का पत्र पंजीयन अधिकारी, फरीदाबाद को लिखा गया वाहन संख्या एच.आर. 29 ए-6117 के बस के पर्टीकूलर भिजवाने बाबत। उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आसाम राज्य के कामरूप शहर में पंजीकृत वाहन संख्या ए.एस.01-37870 बस की पंजीयन पुस्तिका पुनः राज्य में असाइनमेंट हेतु प्रस्तुत की गई थी जिसमें पंजीयन अधिकारी, फरीदाबाद द्वारा एच. आर. 29-ए-6117 नंबर पर प्रथम पंजीयन होना बताया गया है। प्रस्तुत पंजीयन पुस्तिका के अनुसार उक्त वाहन के चेसिस नंबर जो मैंने पहले बताये हैं, निर्माण कार्य जो मैंने पहले बताया है, बैठक क्षमता जो मैंने पहले बतायी है कृपया रिकार्ड से एच.आर. 29-ए-6117 के समस्त पर्टीकूलर्स भिजवाने का कष्ट करें। उपाध्यक्ष महोदय, हैरान करने वाली बात यह है कि डी.टी.ओ. फरीदाबाद ने लिखा है कि यह पत्र पर्सनली भिजवाया गया। उसमें लिखा है कि मूल पत्र भेजकर लेख है कि हमारे रिकार्ड के अनुसार एच.आर. 29-ए-6117 ट्रैक्टर दर्ज है। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो नम्बर मैंने बताये हैं यह हरियाणा में ट्रैक्टर है और राजस्थान के भीलवाड़ा में आर.जे.06-पी-512 बस के रूप में चल रहा है। यह एक ही वाहन है जिनकी एन.ओ.सी. ढंग से कन्फर्म की है। हरियाणा का एक व्हीकल एच.आर. 29-8924 हरियाणा में मोटर साइकिल है और राजस्थान में भीलवाड़ा में चल रहा है आर.जे. 06-पी-0-572 बस के रूप में। इसी तरह से....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कन्क्लूड कीजिए।

डा. किरोड़ी लाल : हरियाणा में एच. आर. 29-9289 ट्रैक्टर का नंबर है जो हरियाणा में चल रहा है और भीलवाड़ा में यह बस के रूप में चल रहा है आर. जे. 06-पी.0-533 । इसी तरह से एच. आर. 29-9273 हरियाणा में मोटर साइकिल है और राजस्थान में बस के रूप में आर.जे. 06-पी.0-531 के रूप में चल रही है। इसी प्रकार हरियाणा में ही एक मोटर साइकिल जिसका नंबर एच. आर. 29-9446 है, यह अपने यहां राजस्थान में आर.जे. 06-पी. 0-526 बस के रूप में चलायी जा रही है। इसी तरह से एक कार हरियाणा की जिसका नंबर 29-5394 है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य हो गया।

डा. किरोड़ी लाल : भीलवाड़ा में बस के रूप में आर.जे.06-0525 के रूप में चलायी जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह 5-6 नंबर जो हरियाणा के बताये हैं, उन गाड़ियों के चेसिस नंबर, उनके इंजन नंबर यहां डालकर पुराने मोडलों को बड़ा मोडल बताकर चलाया जा रहा है। इससे सरकार को रेवेन्यु का लास तो हो ही रहा है पर चोरी के वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। इतना फर्जीवाड़ा ट्रान्सपोर्ट विभाग में राजस्थान में चल रहा है।

यह बड़ा गंभीर मामला है और यह जांच करने लायक है। ऐसी 34 और बसें जिनको मैं सदन के पटल पर रख दूंगा क्योंकि आप कह रहे हो कि टाइम पूरा हो गया, ऐसे 34 व्हीकल जो कुछ नागालैंड से और कुछ आसाम से हैं उनके फर्जी रजिस्ट्रेशन यहां करके राजस्थान में चलाये जा रहे हैं। अधिकतर डी.टी.ओ. के कार्यालय में ऐसे फर्जी रजिस्ट्रेशन की घटनाएं बहुत हो रही हैं जिसके कारण पुराने व्हीकलों को नंबर चढ़ाकर, जैसे कोई 89 का व्हीकल है उस पर नंबर चढ़ा दिया 99 का इससे 10 साल का सरकार का टैक्स गया, चोरी के वाहनों पर नंबर चढ़ा दिया। यह माफिया संगठन सरकार को चूना लगाने में लगा हुआ है। चोरी के फर्जी व्हीकल यहां पर भारी मात्रा में चल रहे हैं जिसके कारण एक्सीडेंट की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इस फर्जी रजिस्ट्रेशन की जांच राजस्थान की सरकार करे और इसका पर्दा फ़ाश करे जिससे फर्जी वाहनों का रजिस्ट्रेशन करने वाले माफिया का पर्दाफाश हो सके और सरकार को जो हानि हो रही है इसको बचाया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती बीना काक, पर्यटन राज्य मंत्री कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट होटल्स कारपोरेशन लिमिटेड का 33वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 सदन की मेज पर रखेंगी।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर और महत्वपूर्ण मामला है। बहुत गंभीर घटना है। दिल हिला देने वाली घटना है।

श्री के.सी. विश्नोई : नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हो गया। इसके लिए कहना चाहते हैं।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : मानवीय पहलू से जुड़ा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : पर्ची तो आपकी चूंकि चौथे नंबर के बाद आई इसलिए एक्सेप्ट नहीं हुई।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल मामले की गंभीरता का है। (व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : यह नंबर से कहने वाली बात नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह संवेदनशील मामला है। (व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : मानवीयता का खून हुआ है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, आपके हम आभारी हूं आपने हमेशा स्वतन्त्रता दी है। (व्यवधान) विषय की गंभीरता को देखते हुए उपाध्यक्ष महोदय, हम आपके आभारी रहेंगे। आप हमेशा सदाशहता का व्यवहार करते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को इस विषय को उठाने के लिये अनुमति दें। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा सीरियस मामला है।

श्री के.सी.विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, एक गूंगी और बहरी महिला के साथ.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सरकार भी यह कहती है कि गूंगी अबलाओं की इज्जत लूटी जाती है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : सब इंस्पेक्टर दंतासिंह का खुद का एफ.आई.आर. में नाम है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर पुलिस ही इस तरह करेगी तो कैसे बचेंगे। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक इंस्पेक्टर को बचाया जा रहा है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है कि आप नियमों में शिथिलता दे सकते हैं। आपको वाइड पावर्स हैं रूल 306 और 307 में। प्रार्थना है कि नियमों में शिथिलता देते हुए इनको मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आप देने ही नहीं दे रहे हैं, आप बोले जा रहे हैं तो मैं क्या करूं। आप बिराजिए प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह आम घटना है। अगर माननीय सदस्य उद्वेलित हैं तो बोलने दीजिए उनको।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए प्लीज। आप कौन होते हो मुझे कहने वाले कि बोलने दीजिए। आप बैठो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं प्रार्थना करने वाला हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस राजस्थान विधान सभा का सदस्य हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए प्लीज। आप मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। आसन पैरों पर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आप इतने नाराज क्यों होते हैं, आप तो यों ही गुस्सा हो जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मामले को जितना आप गंभीर समझ रहे हैं तो इसको आप नियमों के अनुसार उठाइए तो उसका कोई मतलब निकलेगा। अभी आप बोल दोगे उससे क्या फायदा होगा। पर्ची तो डिस-अलाऊ हो गई। अनेक तरीके हैं इस मामले को हाउस में उठाने के।

श्री राधेश्याम गंगानगर : उपाध्यक्ष महोदय, मामले की गंभीरता को देखते हुए ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप पूरी बात तो सुनो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, एक गूंगी अबला का मामला है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए प्लीज।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप मेरी बात सुन लीजिए।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : पाइंट आफ आर्डर पर तो आसन मौका देता है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे यह निवेदन करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इतने गंभीर मामले को उठा रहे हैं और आप चाहेंगे कि सरकार जवाब दे। आपका नोटिस ही नहीं है, सरकार जवाब देगी नहीं। मामला लाइटली निकलेगा। इसलिए आप उसको नियम से उठाओ। मैं तो अलाउ कर दूंगा आपको बोलने के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप सरकार से जवाब दिलवाओ।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार ही नहीं है जवाब कहां से दिलवाऊं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : सरकार तो आपके आदेश पर है।

श्री उपाध्यक्ष : पता नहीं आप क्या चीज उठा रहे हैं, कहां से जवाब आ जायेगा। अगर आप चाहते हैं....(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : सरकार बैठी है खेतसिंहजी बैठे हैं, सारी सरकार बैठी है। कमलाजी बैठी हैं, रामसिंहजी बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे एतराज नहीं है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : गृह मंत्रीजी को आप काल कीजिए, एक मिनट में आ जायेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, रूल 306 और 307 के अंतर्गत मैं पाइंट आफ आर्डर उठा रहा हूं। मैं यह मानता हूं कि आज की कार्यसूची बन चुकी है और कार्यसूची के अनुसार हमको काम करना चाहिये, यह बात सही है लेकिन आपके पास वाइड पावर्स हैं, आप रूल को सस्पेन्ड कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं अलाउ कर रहा हूं ना। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : सस्पेंड कर सकते हैं 307 के अंदर आपको स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है डेफीनेट पावर है। (व्यवधान)

श्री के.सी.विश्नोई : आप अलाउ करें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप गृह मंत्री जी को बुलाएं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह मैं नहीं कर सकता, आपको बोलने की इजाजत दे सकता हूं। आप कहो कि गृह मंत्री, मुख्य मंत्रीजी को बुलाओ, यह मैं नहीं कर सकता। (व्यवधान) लेकिन आप अपनी बात कह दो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : गृह मंत्री को बुलाने की क्या आवश्यकता है, उपाध्यक्ष जी मौजूद है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये प्लीज। (व्यवधान)

श्रीगंगानगर में गूंगी बहरी युवती से बलात्कार

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्री गंगानगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धर्म की आड़ में एक ऐसा मामला प्रकाश में आया जो मेरे ख्याल से राजस्थान के इतिहास में कुछ गिने-चुने मामलों में ऐसा होगा यह दिल को दहला देने वाली ऐसी घटना है कि एक गूंगी, नाबालिग और ऐसी लड़की जो अनाथ और दलित वर्ग की बेटी है उसके साथ एक महात्मा इस तरह बलात्कार करे, तीन महीने बाद उसकी शादी कर दे बच्चा हो जाए और उस बच्चे को दफना दिया जाए और उसके बाद उसका पता नहीं चले। इसके अंदर पुलिस का एक सब-इन्सपेक्टर शामिल है।

एक दूसरा स्वामी, ब्रह्मदेव जिसका नाम है, वे शामिल हैं जो करोड़ों, अरबों रुपये की लोगों से ठगी मारकर भगवे कपड़े पहनकर समाज को इतना बड़ा धोखा देता है, उन व्यक्तियों के साथ ऐसी इन्क्वायरी होनी चाहिये कि हिन्दुस्तान के अंदर एक इतिहास बने कि इस तरह दलित वर्ग की महिला जो गूंगी, बहरी है, उसके साथ इस तरह का अन्याय, लोग हिन्दुस्तान में ऐसी मिसाल बना दें।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार आ गई है। मैं माननीय गुलाब सिंह शक्तावत जी से निवेदन करूंगा कि इस मामले में स्टेटमेंट दें। आपको पूरी जानकारी है कि यह घटना, गंगानगर बंद होने वाला है लोगों ने आत्मदाह करने की धमकी दे रखी है। सैकड़ों टेलीफोन हमारे पास आये हैं कि यह घटना बड़ी जबरदस्त है। हरेक आदमी, यह हमारी बड़ी पंचायत है, इस पंचायत के अंदर इसका निर्णय होना चाहिये जो अति-आवश्यक है।

इसलिए हमारी आपसे बार-बार प्रार्थना है कि स्वामी पर गूंगी, बहरी युवती से बलात्कार का मुकदमा, श्रीगंगानगर, 25 अप्रेल ब्यूरो पुलिस ने विवेक आश्रम संचालन स्वामी अंनतानंद के खिलाफ एक गूंगी, बहरी युवती से बलात्कार करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमे में अंध विद्यालय संचालक स्वामी ब्रह्मदेव, और पुलिस उप-निरीक्षक मामले को रफा दफा करने में, और इसमें सम्मिलित हैं। इसमें एफ.आई.आर. नम्बर मुकदमा 1990-2000 धारा 376 धारा 120-बी, और तीन सदस्य इसमें जिनके नाम, तीन व्यक्तियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हुई हैं। स्वामी अंनतानंद, स्वामी ब्रह्मदेव और सब-इन्सपेक्टर कांता सिंह, इसके साथ-साथ जिसने एफ.आई.

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

आर. दर्ज करायी वह विद्या देवी गूंगी-बहरी दलित वर्ग की, यह पुरानी आबादी, अर्जुन नगर की रहने वाली है और शिवकुमार इसके पति का नाम है।

इस तरह की घटना जो खतरनाक है इसके पीछे पूरा गंगानगर जिला, हनुमानगढ़ और बीकानेर डिविजन में, जब ऐसी बात लोगों ने अखबारों में पढ़ी तो....(व्यवधान) अखबारों में यह बात पढ़ते ही लोगों का दिल दहल गया। खासकर दलित वर्ग के लोगों के अंदर, असुरक्षा की भावना आ गई और हमारे पास कितने डेपुटेशन आये हैं, रात के दो बजे तक लोग मिलते रहे। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि ऐसे व्यक्तियों को तुरन्त टरमिनेट किया जाए और सस्पैण्ड किया जाए। सी.बी.आई. से इसकी इन्क्वायरी कराई जाए उसको अरेस्ट किया जाए। पिछले कुछ दिनों की बात है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : पिछले कुछ दिनों की बात है इस सब-इन्सपेक्टर के यहां से 7 लाख रुपये की स्मेक पकड़ी गई थी। क्रिकेट का सट्टा होता है उसमें 1-1 लाख रुपये यह उनसे लेता है, यह ऐसा भयंकर कांतासिंह इन्सपेक्टर है कि इसको तुरंत सस्पैण्ड किया जाए, गिरफ्तार किया जाए और मामले की सुचारू रूप से इन्क्वायरी करके, वैसे जो आई. पी. एस. अधिकारी इन्क्वायरी कर रहे हैं वह सही है। उन्हीं से इन्क्वायरी करा ली जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मंत्री महोदय इस बात का जवाब दें और पहले उसको सस्पैण्ड करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री के. सी. विश्नोई। (व्यवधान) आपको बोलने देंगे ना, जल्दी क्यों करते हो ? (व्यवधान)

श्री के. सी. विश्नोई (संगरिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक गूंगी-बहरी विद्या देवी के साथ जिन्होंने अपराध किया, के बारे में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। दो अंध विद्यालय, एक तो अंध विद्यालय और एक अनंतानंद का यह आश्रम बना हुआ है, यह दो-एक गुण्डों के अड्डे बने हुये हैं। वहां प्रतिपक्ष के नेता फार्म भरने गये थे तब उसी अंध विद्यालय में रुके थे। फार्म भरना था, बड़े-बड़े नेताओं के पास यह दोनों महाराज आते थे तो ऐसा लगता है कि भगवान का रूप आये हैं।

एक बार मुझे दिल्ली में भी कहा गया था कि यह काम तो बहुत बड़े-बड़े कर रहे हैं तब मैंने कुछ नहीं कहा था। लेकिन उनके अंदर ये यह काम करते हैं, वे अपराध के अड्डे बने हुये हैं। यह भोली-भाली बच्चियां गूंगी, बहरी जिनको वहां पालन पोषण के लिये छोड़कर जाते है और उसके बाद उनके साथ वहां पर क्या-क्या होता है। इस बच्ची के साथ आज नहीं, शादी से पहले बलात्कार होता रहा है। इसकी शादी 6 नवम्बर, 1999 को हुई शिवकुमार के साथ। 18.3.2000 को एक

(श्री के. सी. विश्नोई)

बच्चा हो गया चार महीने बाद, बच्चा होते ही एक्सपायर हो गया। फिर उसके पति ने पूछा कि आपको चार महीने बाद ही बच्चा कैसे हो गया उस गूंगी-बहरी लड़की ने इशारे से बताया कि मेरे साथ यह कारनामा किया। बाद में शिवकुमार उस महाराज के पास गया कि आपने यह किया है, मैं आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा, तब इसको अनाज, गेहूं की बोरी और पैसे देकर प्रलोभन दिया गया। अगर इससे नहीं मानोगे तो मैं इतना गहरा मुकदमा बनाऊंगा कि जिदंगी भर जेल में ही रहोगे। लेकिन फिर भी इसने साहस करके, बाद में सब-इंसपेक्टर ने यह धमकी दी थी कि मैं मुकदमा बनाकर अंदर कर दूंगा। अंध विद्यालय वाले बाबा के पास अंध विद्यालय में गया और वहां पर शिवकुमार को भी बुलाया गया। और इन तीनों ने, दो महात्मा और एक सब-इंसपेक्टर ने धमकी दी, लेकिन साहस दिखाकर शिवकुमार पुलिस स्टेशन गया, उसको मैं धन्यवाद देता हूं। उसके बाद भी आज सब-इन्सपेक्टर वहां घूम रहा है, इस केस को प्रभावित कर रहा है।

इसलिए मैं आपसे साफ कह रहा हूं तुरंत इस अधिकारी को सस्पैण्ड करके जांच कराई जाए और दोनों महात्माओं को अरेस्ट कर लिया जाए। आज उन्होंने अड्डे बना रखे हैं। पंजाब के आतंकवादी यहां आये हुये हैं दोनों एक गुरु के चेले हैं। चाहे अंध विद्यालय हो, यहां बड़े-बड़े मुख्य मंत्री जैसे आदमी जाकर आश्रम में रुक जाएं या नरसिंह रावजी जाकर उद्घाटन कर आये फिर किस पुलिस अधिकारी की छोटे-मोटे आदमी की हिम्मत हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरचंद सिंह सिद्धू (व्यवधान) बिराजिये, बिराजिये।

श्री के. सी. विश्नोई : इसलिए गृह मंत्रीजी से कहूंगा कि उस सब-इंसपेक्टर को तुरंत सस्पैण्ड कराये।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस घटना के फैक्ट्स दोनों माननीय सदस्यों ने बता दिये। इसमें लीगल इम्पलिकेशन हैं मैं उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किसी भी बच्चे का पेरेन्टेज डिसाइड करने के लिये कानून के अंदर यह प्रोविजन दिया हुआ है कि कम से कम 180 दिन वह बच्चा वूम में रहे मगर उसके बाद बाहर आते हैं उसकी पेरेंटेज डिसाइड हो जाती है। लेकिन यह क्वेश्चन आया है कि जिस बच्चे का जन्म हुआ वह केवल 133 दिन के बाद लीगल परमिटेड पीरियड के अंदर बच्चा पैदा नहीं हुआ है इसलिये उस बच्चे को एलिमिनेट करना उन जुर्म करने वाले लोगों में बहुत जरूरी हो गया, कि वरना इसकी परेंटेज डिसाइड कैसे होगी। यह किसी न किसी के जिम्मे लगेगा।

इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, उस बच्चे को एलिमिनेट किया गया, उस बच्चे की हत्या की गई। चाहे वह कोई स्वामी हो, देवता हो, ऐसी भोली-भाली लड़की, गूंगी-बहरी जो कुछ नहीं बोल सकती, जिसको अनाथ कहा गया, उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत करके, हमारे समाज के अंदर

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

देवदासियों का कलंक अभी तक नहीं मिटा और आज़ादी के 50 साल बाद आज वो ही कलंक इन आश्रमों के अंदर ऐसे अनाथ और बेसहारा लड़कियों साथ ऐसे साधुभेष के अंदर दरिंदे करते हैं और उनको प्रोटेक्शन, जिन हाथों में कानून की रक्षा का काम सौंपा गया है, वे लोग भी अगर उसकी मदद करते हैं तो उस समाज का क्या होगा।

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसे पुलिस अधिकारी, मैं जिनके लिये बार-बार निवेदन करना चाह रहा हूं कि वे अपने पैसे और राज-नीतिक लोगों के प्रश्रय के कारण एक ही रेंज के अन्दर 6-6 साल से, 8-8 साल से रह रहे हैं। उन्होंने अपनी पागड़ी जमा रखी है और इसलिये ये जुर्म करने में और जुर्म करवाने में हर तरीके से सहयोग करते हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसे एक-एक आदमी को, छांट-छांट कर उनको ऐसी जगह लगाया जाए, जहां उनका सामाजिक जीवन से वास्ता नहीं हो। यही मेरा निवेदन है।

(13.00 बजे)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान) एक मिनट, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। आपका इसमें क्या है। (व्यवधान) आप विराजो, एक मिनट, पहले कन्संर्ड.... (व्यवधान) माननीय सदस्य, इसके अलावा आपके पास और कुछ कहने को है ? इसके अलावा और कुछ है क्या इन्फोर्मेशन ?

श्री सोहन नायक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इन आश्रमों के अन्दर राज्य सरकार का जो पैसा है, ये तो सन्त बने हुए हैं, आश्रम के संचालक बने हुए हैं, यह राज्य सरकार का जो पैसा है उसको अपनी अय्याशी में गुजारते हैं। और इस तरह गूंगी और अबला जो बच्चियां या बालिकाएं हैं उनका शोषण करते हैं। इसलिये उनको तुरन्त बंद किया जाए और उनको राज्य सरकार की तरफ से जो एड दी जाती है वह उनको सोच समझकर दी जानी चाहिए और इन लोगों को तुरन्त गिरफ्तार किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, विराजिये, आप विराजिये। मंत्रीजी

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक-आधा मिनट निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब इसमें क्या कहना है, आपको। (व्यवधान) आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बलात्कार कोई गूंगी

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

बहरी लड़की के साथ नहीं हुआ। +++ इसलिए इसकी कार्यवाही पूरी सख्त हो। +++ पूरी सरकार इसके लिये जिम्मेदार है, जल्दी कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार +++ कैसे होती है। मंत्रीजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कोई काम नहीं करती है, इसलिए +++ है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 25.4.2000 को...

श्री उपाध्यक्ष : आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, जानकारी करके बाद में स्टेटमेंट देंगे ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जानकारी दे रहा हूं कि एक सूचना मिली थी उसके आधार पर केस रजिस्टर किया है। केस की जांच चल रही है। बच्चा लापता है, यह सही है। उसके कपड़े, जिसमें लपेटा गया था उसको बरामद किया गया है। हम उसकी पूरी जांच कर रहे हैं। और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वह साधु हो और चाहे साधु के संरक्षक हों, किसी को सरकार नहीं बख्शेगी, यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री संयम लोढा : आपने उस पुलिस अधिकारी के लिये कुछ नहीं कहा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आगे सुन तो लें, बीच-बीच में बोलने से तो कोई काम नहीं चलेगा। (व्यवधान) बिना जांच के, आपको सस्पैंड कर दूं, मेरे को सस्पैंड कर दूं ?

अभी केवल उस, जिसके साथ एफ.आई.आर. में उसके पति ने लिखा है। केवल एक उसका पति है। लड़की बहरी है, गूंगी है, अभी महाराज ने उसके साथ क्या व्यवहार किया, क्या नहीं किया, इसकी जांच हम कर रहे हैं। 1-2 दिन का मौका तो दीजिये। 25 तारीख की घटना है और आज हम कार्यवाही कर रहे हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि चाहे साधु का, किसी को भी, बड़े आदमी का संरक्षण होगा, तो भी उसको सरकार नहीं बख्शेगी और इस सारी जांच को मैं क्राइम ब्रांच को आज ही ट्रांसफर करके एक विशेषाधिकारी जांच के लिये भेज रहा हूं।

श्री के. सी. विश्नोई : सर, उसको ट्रांसफर करवायें, सब-इंस्पेक्टर को। (व्यवधान) सब-इंस्पेक्टर को वहां से तो बदल दो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने, खुद ने यह कहा है कि क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर करने का मतलब ठण्डे बस्ते में डालना है।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कोई ठण्डे बस्ते में नहीं जाएगी। आज ही एक एस.पी. स्तर के अधिकारी को यहां से भेजूंगा और 2-3 दिन में सारी घटना की जांच करके रिपोर्ट पेश करेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बस्ता गरम हो गया, ठण्डा नहीं रहा, बिराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : The Home Minister is making a statement at variance with the Chief Minister.

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। हो गयी ना बात। मेम्बर्स की डिमाण्ड है यह क्राइम ब्रांच को दो, दे दीं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Chief Minister is on record to have said it that यह ठण्डे बस्ते में डाल रहे हैं आप। चीफ मिनिस्टर ने कहा है, हाउस में कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने एश्योर किया है। (व्यवधान) इन्होंने यह कहा है कि यह ठण्डे बस्ते में नहीं जाएगी। जांच इमीडिएट होगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं, मुख्य मंत्रीजी ने कहा है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं इसकी जांच को ठण्डे बस्ते में नहीं जाने दूंगा, और भी माननीय सदस्यों को कोई एलीगेशन देने हैं, इन स्थानों के बारे में, धार्मिक स्थानों के बारे में मुझे दें। विस्तृत जांच कराने को तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह खुद कह रहे हैं, उन्होंने खुद कहा है। मुख्य मंत्रीजी ने कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : किसको, माननीय सदस्य, बिराजिये, प्लीज, इसको डाइल्यूट मत करिये। लेट-अस मूव। यह इतना सीरियस केस है। इसको डाइल्यूट मत करिये। बिराजिये, बिराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं इसको डाइल्यूट नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान) आप यह क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर करके डाइल्यूट कर रहे हैं। (व्यवधान) नहीं, आपका लोकल पुलिस में विश्वास नहीं है क्या ? आप क्यों कर रहे हैं क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर ?

श्री उपाध्यक्ष : आपकी भावनाओं की कद्र करके कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, क्राइम ब्रांच का....(व्यवधान) किसकी डिमाण्ड है, किसकी डिमाण्ड है ?

श्री उपाध्यक्ष : सबकी मांग है। अभी आपने सुना नहीं, अधिकांश इसको, इस कार्यवाही को ट्रांसफर करो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने मुख्य मंत्रीजी को नहीं सुना। आपने मुख्य मंत्रीजी को नहीं सुना ?

श्री उपाध्यक्ष : अभी, यहां मुख्य मंत्रीजी कहां आ रहे हैं बीच में ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मुख्य मंत्रीजी सब जगह हैं। राजस्थान सरकार के सर्वोपरि मुख्य मंत्री हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, आप, प्लीज।

श्री के.सी.विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सन्तुष्ट हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा है। (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी ने आन रिकार्ड यह कहा है कि क्राइम ब्रांच को भेजने का मतलब ठण्डे बस्ते में डालना है। अब इसका मतलब यह है कि आप ठण्डे बस्ते में डालना चाहते हैं इसको।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, प्लीज। आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : हम सभी इनकी क्षमताओं को जानते हैं, आप चिन्ता मत करिये।

श्री के.सी. विश्नोई : हम तैयार हैं। यह बिल्कुल सही है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : लोकल पुलिस से शिकायत है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज, खतम कीजिये इसको।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसको रि-कंसाइल कराइये। इसको रि-कंसाइल कराइये।

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी ना बात, खतम हो गयी बात. They are satisfied. They are satisfied क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हो गयी। जिन माननीय सदस्यों ने उठाया है प्रश्न को, They are satisfied अब आपको भी सेटिस्फाई करो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह तो उस रोज भी यही बात थी।

श्री के. सी. विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, हम संतुष्ट हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, प्लीज सिट डाउन। श्रीमती बीना काक, पर्यटन मंत्री।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेम्बर की संतुष्टि का नहीं है। मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि ठण्डे बस्ते में डालना है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो रिकार्ड में आ गया। (व्यवधान)

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

राजस्थान स्टेट होटल्स कारपोरेशन लिमिटेड का 33वां वार्षिक प्रतिवेदन

श्रीमती बीना काक (राज्य मंत्री, पर्यटन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट होटल्स कारपोरेशन लिमिटेड का 33 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 सदन की मेज पर रखती हूं।

समिति का प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति 'ख' 2000-2001 का तृतीय, चौथा, पांचवां व छठा प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (सभापति, प्राक्कलन समिति-"ख") : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति-"ख", 2000-2001 के निम्नांकित चार प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूं :–

(1) समाज कल्याण विभाग के क्रिया-कलापों एवं गतिविधियों से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति-"ख", 2000-2001 का तृतीय प्रतिवेदन।

(2) आयुर्वेद विभाग के क्रिया-कलापों एवं गतिविधियों से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति-"ख", 2000-2001 का चतुर्थ प्रतिवेदन।

(3) राजस्व विभाग एवं राजस्व मण्डल के क्रिया-कलापों एवं गतिविधियों से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति-"ख", 1999-2000 के द्वितीय प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का पंचम प्रतिवेदन, एवं

(4) सहायता (अकाल राहत) से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति-"ख", 1995-96 के 11वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का छठा प्रतिवेदन।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, 2000-2001 का प्रथम प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दन गहलोत।

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, 2000-2001 का प्रथम प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूं।

संकल्प

संविधान (84वां संशोधन) विधेयक, 1999 का अनुसमर्थन

श्री उपाध्यक्ष : संविधान संशोधन के अनुसमर्थन हेतु संकल्प। माननीय श्री खेतसिंह जी राठौड़।

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :–

"यह सदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (घ) की परिधि के अन्तर्गत आने वाले संशोधन का, जो संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (चौरासीवां संशो-धन) विधेयक, 1999 द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, अनुसमर्थन करता है।"

आगे अंग्रेजी अनुवाद भी सुना देता हूं।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : सुन लीजिये पहले आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ : "That this House ratifies the amendment to the Constitution of India falling within the purview of clause (d) of the proviso to clause (2) of Article 368, proposed to be made by the Constitution (Eighty-fourth Amendment) Bill, 1999, as passed by the two Houses of Parliament."

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि यह कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट पास भी हो गया है और रेटिफाइड भी हो गया है, रिक्वायर्ड नम्बर फिर आप काहे को लाये हो यहां पर। आवश्यकता क्या है इसकी ? It is already ratified. कोई आवश्यकता नहीं है इसकी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य यह बात सही कह रहे हैं कि यह लाने की इसलिये आवश्यकता पड़ी कि ये तो भारत की आधी असेम्बली ने इसको पास कर दिया है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : We want to show our solidarity with the amendment. We want to express our solidarity with this amendment. कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। It is already done.

श्री खेतसिंह राठौड़ : लेकिन हमारा भी दायित्व है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इण्डियंस के लिये, 10 साल के लिये और इसकी मियाद बढ़ायी गयी है तो हम भी उसमें शरीक होना चाहते हैं। यदि आप खिलाफ हैं तो आपका बहुमत नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, कतई नहीं, कोई खिलाफ नहीं हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि आप सोलिडेरिटी इकजाई करने के लिये कर रहे हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : फिर आपने क्यों आपत्ति की ?

श्री उपाध्यक्ष : शिवनाथ सिंहजी, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, जो संकल्प प्रस्ताव विधि मंत्रीजी ने रखा है, यह सही है कि आधे से अधिक राज्य विधान सभाओं ने इसका समर्थन कर दिया है और आज यह कांस्टीट्यूशन का पार्ट बन गया है। मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि हर 10-15 साल के बाद हम इस प्रकार का अमेंडमेंट लाते रहे हैं। यह अमेंडमेंट पार्लियामेंट में पेश हुआ और उस वक्त यह ला मिनिस्टर, जिन्होंने इसको पेश किया है उनकी दो-तीन लाइन मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि समाज के कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनको राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर संरक्षण की आवश्यकता थी। आज भी उनकी स्थिति

(श्री शिवनाथ सिंह)

अच्छी नहीं हुई है और आरक्षण का समर्थन उनको मिलना चाहिए। लेकिन माननीय उपाध्यक्षजी, जो व्यथा केन्द्र के माननीय विधि मंत्री ने व्यक्त की है यह प्रस्ताव पेश करते वक्त, वह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा है कि :– "So far as present measure is concerned, I must confess that I am moving this motion with mixed feelings of pain as well as, to some extent, pleasure. My pain arises out of the fact that there has been a total failure...." यह शब्द माननीय उपाध्यक्षजी, विधि मंत्रीजी ने कहे हैं, उसके बाद आगे भी उन्होंने कहा है (व्यवधान) फैल्योर हो गये न। फैल्योर आफ द कांस्टीट्यूशन नहीं है, फैल्योर आफ द गवर्नमेंट, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह शब्द उन्होंने इसलिए कहा कि जिन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह रिजर्वेशन रखा गया था, वह लक्ष्य न तो केन्द्र सरकार प्राप्त कर पायी है और न राज्य सरकारें प्राप्त कर पायी हैं। यह केन्द्र सरकार का भी दायित्व था कि जब शुरू में इस प्रकार का प्रोविजन रखा, उस सर्टेन पीरियड में जिन वर्गों के लिए यह संरक्षण रखा गया था उनकी हालत सुधारें और सुधारने के बाद समाज के जो दूसरे वर्ग हैं उनके बराबर, उनके समकक्ष लायें। हर दसवें साल इसकी जांच होती रही, देखते रहे और आज पचास साल बाद तक हमें इस बात को कहते हुए पीड़ा होती है कि जिस वक्त यह संविधान संशोधन करने की बात कही गयी थी, रिजर्वेशन करने की बात कही गयी थी, उसमें और आज के हालात में कोई फर्क नहीं है।

आज भी हमारे समाज के वह वर्ग जिनके लिए आरक्षण किया गया था वे पीड़ित हैं। उनको समाज में बराबरी का दर्जा नहीं है। उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ है। आज भी वह एक अलग वर्ग की दृष्टि से देखे जाते हैं और यहां इस सदन में बहुत चर्चा चली है। घोड़ी पर चढ़कर वह आज भी बरात नहीं ले जा सकते, मन्दिर में जा नहीं सकते और दूसरे वर्ग के साथ बराबर बैठकर वे अपनी हैसियत का अहसास नहीं करा सकते। इस प्रकार की स्थिति आज भी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो सब कुछ है, इसकी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की तो है ही लेकिन राज्य सरकारों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि उनकी स्थिति को सुधारने के लिए राज्य सरकारों को भी प्रयत्न करने चाहिए थे। हमारी सरकार ने भी, हमारी राजस्थान की सरकारें चाहे किसी की भी रही लेकिन वह भी इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पायी और आज उस दयनीय स्थिति में जब हम उनको देखते हैं तो पीड़ा होती है और इसीलिए दस साल के बाद फिर इसमें प्रावधान किया है।

माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय विधि मंत्रीजी ने दिल्ली में लोक सभा में जब पेश किया, उस वक्त उन्होंने पीड़ा व्यक्त की है,

(श्री शिवनाथ सिंह)

"This may sound a little too optimistic but unless we put our shoulders to the wheel all together, we utilize all our material, moral and spiritual resources in this great cause, I think my future successor Law Minister will have again to appear before the House and say that we have failed to achieve the objects and we should extend it for 10 & 15 years." उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के जब भाव व्यक्त किये जाते हैं तो यह पूरे समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए सोचने की आवश्यकता हो जाती है कि हमारे अन्दर क्या कमियां हैं ? इस हमारे समाज में कौनसी कमियां हैं जिनको हम नहीं निकाल रहे हैं और इस समाज के, जिनके लिए हम आरक्षण की सुविधा मांगते हैं, उनके जीवन को हम बेहतर नहीं कर पाये।

इसलिए माननीय उपाध्यक्षजी, यह जो रिजोल्यूशन है इसका मैं भरपूर समर्थन करता हूं लेकिन फिर भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारी राज्य सरकारों को और केन्द्र सरकार को गम्भीरता से इस बात को लेना चाहिए और जो पीड़ा माननीय विधि मंत्री, दिल्ली ने पेश की है, दस साल के बाद उस पीड़ा से हमारा अगला विधि मंत्री इस प्रकार का रिजोल्यूशन नहीं लाये और नहीं लाना पड़े, इस बात की व्यवस्था हमको करनी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस रिजोल्यूशन का समर्थन करते हुए हमारी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो अफर्ट्स आपने किये हैं आज तक, वे नाकाफी हैं और इसमें बहुत अधिक समाज को और सरकार को भी करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायणजी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : आप अभी पास करवाओगे ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधि मंत्री महोदय ने संविधान के अन्दर संशोधन का जो प्रस्ताव रखा है और वह संविधान का पार्ट बनने जा रहा है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बन गया।

श्री रामनारायण चौधरी : बन गया वह अलग बात है। हमारी तरफ से अब बनने जा रहा है। और बन गया तो भी हम समर्थन करते हैं और न बना तो भी हम समर्थन करते हैं। इसके अन्दर जो निहित भावना है, हम उसके समर्थक हैं और किन शब्दों में हम इसका समर्थन करें उन शब्दों का सलेक्शन मेरे पास नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो व्यथा प्रकट की है वह व्यथा, उस व्यथा में मैं शामिल नहीं हूं। वह व्यथा आप प्रकट करने वाले कौन हैं ? यह गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य भूल गये, यह व्यथा उनकी उन लोगों के प्रति है जिन्होंने इस देश के अन्दर जब से लेकर अब तक कुछ ही अरसे को छोड़कर देश में शासन किया है। यह जो अमेंडमेंट है, मान्यवर,

(श्री रामनारायण चौधरी)

यह कोई साधारण कागज पर काली स्याही से लिखा हुआ अमेंडमेंट नहीं है। यह भारत की जो सोशियो-इकानोमिक स्ट्रक्चर है उसको देखकर उस संदर्भ में आप सोचिएगा। सामाजिक रिवोल्यूशन, आर्थिक रिवोल्यूशन वैधानिक तरीके से लाने के अन्दर समय लगता है। समाज का ट्रांसफोर्मेशन एक दिन में नहीं हुआ और जहां एक दिन में और कुछ अरसे में हुआ है, वहां के हालात देख लीजिए। रचनात्मक तरीके से समाज का ट्रांसफोर्मेशन, सामाजिक और आर्थिक दोनों को लाने के अन्दर युग-युग लगते हैं। उन युगों को हम पार कर रहे हैं। दस-दस साल का जो गेप है वह जा रहा है। पीछे जो कुछ हुआ है वह बहुत हुआ है। हमारी सरकार ने बहुत किया है और आगे के लिए हम कमिटेड हैं।

यह अमेंडमेंट लाने वाले, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधि मंत्री हैं उनको यही भरोसा नहीं है कि कल क्या होने वाला है। कितने दिन वे रहेंगे, यही भरोसा नहीं है। उनका बैक-ग्राउण्ड आप देखिये, इसलिए उनको व्यथा है। उनको व्यथा इस बात की नहीं है कि सौशल रिवोल्यूशन नहीं हुआ, सरकार कुछ नहीं कर सकी, उनको व्यथा दूसरी है। तो मैं गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य की व्यथा में तो शामिल नहीं होता हूं। उनको विधि मंत्रीजी की कुछ भी व्यथा हो, मुझे व्यथा इस बात की है कि हम हमारे देश के अन्दर सोशल रिवोल्यूशन, इकानोमिक रिवोल्यूशन नहीं ला सके। यह कोई अकेली सरकारों का काम नहीं है। अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती, पूरा हाउस इधर और उधर, सौशल और इकानोमिक ट्रांसफोर्मेशन लाने के लिए एक सामूहिक प्रयत्न देश के लिए करना होगा। अभी यहां अच्छा है कि यह लाये हैं। हम तो इसका पुरजोर समर्थन करते हैं, दल से करते हैं, सब तरह से करते हैं। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विधि मंत्रीजी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एक सैकण्ड, मैं कह दूं।

श्री उपाध्यक्ष : तीनों ही झुन्झुनूं के हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुझे व्यथा इस बात की है कि (व्यवधान) उनको व्यथा इस बात की थी कि अब तक यह वर्ग सौशल, इकानोमिकली एट पार नहीं आ सके, उनको व्यथा है विधि मंत्रीजी से। मुझे व्यथा इस बात की है कि अशोक गहलोत इनको मंत्रिमण्डल में क्यों नहीं ले लेते। मुझे व्यथा इस बात की है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : इसका मंत्रिमण्डल से क्या सम्बन्ध है ?

श्री उपाध्यक्ष : आपकी तो पैरोकारी ही कर रही हैं, आपको क्या ऐतराज है ?

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्या जो इस सदन की वरिष्ठ सदस्या हैं....(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अपनी-अपनी व्यथा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपनी-अपनी व्यथा है।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, आप सुनो तो सही। आप सुनो तो सही।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अपनी-अपनी व्यथा है, यह मेरी व्यथा है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप सुनो तो सही।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सदस्य, मंत्रिमण्डल से इसका क्या ताल्लुक है ?

श्री रामनारायण चौधरी : इसका आप कहां तारतम्य बैठा रही हैं ? माननीय सदस्या इस सदन की वरिष्ठ सदस्य हैं। इसका क्या ताल्लुक है, मुझे यह बताइये कि आपको किस बात की व्यथा है ? सौशल ट्रांसफोर्मेशन में, आप इधर भी बैठी हैं। आप इधर भी बैठी हैं और उधर भी बैठी हैं तो आपका भी उतना ही दायित्व है जितना इनका है। आप तो चारों तरफ बैठी हुई हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। माननीय विधि मंत्रीजी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने शुरू में ही जब संकल्प रखा उसी वक्त आपसे निवेदन कर दिया था कि यह दोनों हाउसेज आफ पार्लियामैंट, लोक सभा और राज्य सभा से पास हो गया। उसके बाद में आधी से ज्यादा विधान सभाओं ने भी इसका रेटिफिकेशन कर दिया। अपने यहां इसलिए लाए हैं कि रेटिफिकेशन होने के पश्चात् ही कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अपन भी इसमें क्यों पीछे रहें और अपन इसके भागीदार बनें और यह ऐसा अमेंटमेंट है जो कांग्रेस तो हमेशा इसी विचारधारा की रही है और इसी विचारधारा से 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40 वर्ष करती आयी है और इसीलिए किया कि अभी तक भी अनुसूचित जाति और जनजाति के कुछ परिवारों को छोड़कर पूरे समाज का अभी उत्थान नहीं हुआ है। और हम यह सोचते हैं कि उनको जब तक सवर्ण के बराबर का स्टेट्स मिल जाए, उसी तरह के रहन-सहन, शादियां, विवाह शुरू हो जाएं तब जाकर के इस देश का सही नक्शा बदलेगा। वह दिन आएगा, आज नहीं तो कल। कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें बाधा खड़ी कर रहे हैं। वो नहीं चाहते इसमें, लेकिन वह रिएक्शनरी नहीं, वह किसी में भी हो सकते हैं इसलिए वह नहीं चाहते। बाकी इसमें कोई खास अमेंडमेंट कहीं कुछ है नहीं।

मैं तो आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि व्यथा की बात कही सुमित्रा जी ने। व्यथा तो मुझे भी थोड़ी बहुत है और उसका पूर्ण सोल्यूशन हो सकता है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में राजस्थान और राजस्थान की कांग्रेस की सरकार द्वारा इसको अपना समर्थन देने में थोड़ा विलम्ब हो गया और विलम्ब को शायद आपने देखा, क्योंकि बीजेपी की सरकार केन्द्र में है और उन्होंने कानून बना दिया। इसलिए यह देखा कि बाकी प्रदेशों में क्या होता है, इसका पहले अहसास कर लें और उसी कारण से इस पर विलम्ब हुआ।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैं सोचता हूं विलम्ब का कारण आज हाउस चलते हुए भी इतना समय हो गया। अगर हम वास्तव में इसकी इम्पोर्टेंस समझते थे तो मार्च में 23 तारीख को हाउस प्रारम्भ हो गया था, कभी भी इसको लाकर किया जा सकता था। एक महीने का डिले भी इस बात को बताती है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह हुजूर, बिजनस एडवाइजरी कमेटी में आपके नेता महोदय स्वयं बिराजे हुए थे, सारी चर्चाएं हुई थीं। आप ही के फर्माने के अनुसार यह तारीख तय हुई है और आज इस रिजोल्यूशन को ले आए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय विधि मंत्रीजी से मैं यह जानकारी करना चाहूंगा कि लोक सभा में यह संशोधन कब पास हुआ ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : 21 अक्टूबर, 1999 को।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 21 अक्टूबर, 1999 को पास हुआ है न यह ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह पास तो उसी रोज हुआ होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पास हुआ कि नहीं, पास कब हुआ ? पास कब हुआ ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसके लिए किसको एतराज हो सकता था माननीय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, एतराज का सवाल ही नहीं। मैं तो यह कह रहा हूं लोक सभा में कब पास हुआ, वह डेट बता दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : बतायी न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो लागू होने की तारीख बता रहे हैं आप।

श्री शिवनाथ सिंह : जिस रोज पेश हुआ, उसी रोज पास हो गया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरे ख्याल से इसमें जो डेट है....(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : नेता महोदय, सर्वसम्मति से हुआ है और आपकी सरकार का राज्य सभा में बहुमत नहीं है, वहां भी सर्वसम्मति से पास हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य, प्रश्न यही है कि, साबित करने की चेष्टा कर रहे हैं उसके बाद विधान सभा कब हुई, सीधी बात तो यही है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं नहीं, इनको तो मजाक करना है, साबित कुछ नहीं करना है। प्रतिपक्ष के नेता महोदय को सारी बात पता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उसके बाद विधान सभा अभी चली है। नवम्बर में नहीं हुई।

श्री खेतसिंह राठौड़ : लोक सभा में यह विधेयक 27 अक्टूबर को पास हुआ और राज्य सभा में यह 28 अक्टूबर, 1999

(श्री खेतसिंह राठौड़)

को पास हुआ। यानि मेरी नॉलेज में है यह आपको....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो ही मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। अब इसका जवाब दे दिया। अब क्या है ?

प्रश्न यह है कि यह सदन भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (घ) की परिधि के अन्तर्गत आने वाले संशोधन का, जो संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (चौरासीवां संशोधन) विधेयक, 1999 द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, अनुसमर्थन करता है।

(स्वीकृत)

संविधान संशोधन का अनुसमर्थन किया गया। सर्वसम्मति से पारित किया गया।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000

विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000, श्री सी. पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी (शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-7) को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए कि आज तीन बिल हैं। यह तो और भी आगे आएंगे। माननीय सदस्यों ने अपने संशोधन दिये हैं, देते भी हैं। कुछ संशोधन तो जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें देते हैं। जो कानून बन गया उसमें देते हैं। लेकिन कुछ क्लॉज ऐसे होते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि इसको डिलीट किया जाए, यह न लाया जाए। उसको नेगेटिव मानकर के आप हमको न तो सर्कुलेट करते हैं, न एडमिट करते हैं। ऐसा कौनसा अवसर आए जब हम इस बात का विरोध करें, क्योंकि अभी जब आएगा तो आप यह कहेंगे कि इसमें कोई संशोधन नहीं है। इन धाराओं के अन्तर्गत, इन धाराओं में कोई संशोधन नहीं है इसलिए वह पास माना जाए। मेरा निवेदन यह है कि खण्डशः यदि उसका विचार हो तो हर खण्ड पर हम लोगों को विचार करने का मौका दिया जाए। यह मैं आपसे अनुमति मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे कैसे दे दें ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : संशोधन यह देंगे न, अगर नहीं होना चाहिए यह तो ....(व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला : यह तो प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के विपरीत हो जाएगा।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 वैसे इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन फिर भी जो चीज हम करने जा रहे हैं उसके पहले इसके सारे पहलुओं पर विचार कर लेना आवश्यक होगा। जिस बात को लेकर हम यह नया परन्तुक जोड़ना चाहते हैं :–

"इसमें परन्तु बोर्ड अपने ऐसे कृत्यों के पालन के लिए, जिन्हें वह उचित समझे, खण्ड कार्यालय और जिला स्तरीय कार्यालयों की स्थापना कर सकेगा, परन्तु बोर्ड ऐसा राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा से ही करेगा और ऐसे कार्यालयों की स्थापना का विनिश्चय, साथ ही वहां पर किये जाने वाले कृत्य राजपत्र में अधिसूचित करेगा।"

मैं सोचता हूं कि इसके पीछे जो भावना है और जो आपने आब्जेक्ट्स दिये, उसकी दृष्टि से तो मैं सोचता हूं कि किसी को भी कोई ऐतराज वाली बात नहीं है। अगर वास्तव में बोर्ड का जैसा स्वरूप है और जैसी छात्रों की संख्या और बाकी सब चीजें जिस तरह से बढ़ी हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम इसको और अधिक संभागीय या जिला केन्द्रों पर कुछ मजबूत करना चाहते हैं, तो मैं सोचता हूं कि इसकी भावना के पीछे तो किसी का भी कोई विरोध नहीं होगा। लेकिन यह बात जरूर है कि इसको इस दृष्टि से देखना आवश्यक होगा कि कहीं हमारा यह जो फैलाव है उसके कारण से इस पर होने वाला जो व्यय है, क्योंकि आपने जो बच्चों की संख्या का आधार दिया है, क्योंकि जब हम दो प्रगति रिपोर्ट की तुलना करते हैं तो थोड़ी-सी लोगों के दिमाग में शायद एक गलतफहमी चली जायेगी कि सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी परीक्षा में बैठने वाले बच्चों की संख्या घट कैसे रही है क्योंकि 1998-99 में जो बैठने वाले छात्र थे वे 7,25,469 थे और उसके बाद 1999 में यह 7,10,000 ही हो गये।

इसी तरह से जो छात्र ओपन स्कूल की परीक्षा में बैठते हैं उनकी भी संख्या कम हुई। वह 34 हजार थी उसकी जगह 33 हजार रह गयी। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह संख्या घटने का एक थोड़ा सा जो कारण रहा है वह मिडल बोर्ड बनने के कारण से, निश्चित रूप से जिस संख्या में बच्चे आसानी से दसवीं तक आते थे उसमें थोड़ी सी कमी होने के कारण से इस संख्या में अन्तर है। लेकिन इसके पीछे जो भावना है कि इतनी बड़ी संख्या बच्चों की होने की वजह से बोर्ड का सम्पूर्ण कार्य ठीक प्रकार से संचालित हो, अच्छी प्रकार से संचालित हो, उस भावना से इसमें हमने यह परन्तुक जोड़ने का किया है।

लेकिन मुझे इसमें एक यह संदेह लगता है कि बोर्ड अपने आप में अपने बूते पर खड़ा रहता है, राज्य सरकार उनकी मदद नहीं के बराबर करती है। इस छह संभागीय केन्द्रों पर और जिला केन्द्रों पर अगर हमने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसके और कार्यालय खोलने की कोशिश की और उसके आधार पर यदि अभिभावक पर बजन डालने का काम किया तो यह एक तरह से उस बच्चे का भला नहीं होगा क्यों कि उस पर आप भार लाद दोगे। उसके कारण से मैं यह सोचता हूं कि इतनी जल्दी नहीं करें, आपकी भावना बहुत अच्छी है, मेरी भावना उसके साथ में मिलाता हूं कि यह जरूर होनी चाहिए।

लेकिन इस बात को जरूर देख लें कि वहां हमारे संभागीय स्तर पर जिस कार्यालय को हम स्थापित करते हैं वह कार्यालय कैसे फंक्शन करता है, उस फंक्शन करने में हमको कितना आर्थिक बोझ उस पर आता है, उसमें कितने समय की बचत होती है, कैसा होता है। तो एक साथ छह नहीं खोल दें। टैस्ट के लिए पहले साल में केवल एक संभागीय कार्यालय खोलें। आपके पास अधिकार हैं छह खोलने का, इसमें कोई समय सीमा से बांध नहीं रखा है कि आपको कौनसे संभाग पर कब खोलना है।

लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि कम से कम एक साल उसकी उपलब्धि को देखें कि उस कार्यालय को खोलने से हम को किस-किस समस्या का निदान हुआ, किस दृष्टि से हम इसमें से पैसा बचा पाते हैं, कैसे नहीं बचा पाते हैं इसको अगर ध्यान में रखकर करेंगे तब तो निश्चित रूप से इसमें हमें सफलता भी मिलेगी और इस दृष्टि से हम काफी उपयोगी बनेंगे।

इसलिए मैंने इस विषय को कहने का जो प्रयास किया इसके पीछे मेरी भावना यह है कि क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है आपका, यह जिस प्रकार से अनाप-शनाप पैसा खर्च करता है, मेरे हिसाब से शायद सदन के किसी भी मैम्बर को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी कि इस राजस्थान में जितनी सुविधा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों को मिली हुई है उतनी राजस्थान के किसी कर्मचारी को सुविधा नहीं मिली है। इसके ऊपर जब कभी भी कोई अंकुश लगाने का प्रयास करता है तो वहां इस प्रकार का विद्रोह हो जाता है और परीक्षा संचालन के उस भय के कारण से जिस प्रकार से भी इसमें सुधार हो।

आपको लगता है कि उसको ओवर टाइम मिलता है। ओवर टाइम तब मिले जब वो पांच बजे के बाद काम करें, तब तो समझ में आता है कि उसका ओवर टाइम बने। उसमें किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होगा क्यों कि वो एक्स्ट्रा वर्क करता है लेकिन यहां ओवर टाइम वो अपनी ड्यूटी आवर्स में भी करता है। क्योंकि यहां ऐसे सिस्टम बना लिये हैं, बोर्ड अपने आप में स्वतंत्र है, वह अपनी मर्जी से सब बनाता है। इसलिए फार्म चैकिंग, दस रुपये, फार्म को यों करना, उसके दस रुपये, इस बात के इतने पैसे, इस बात का इतना पैसा। आप एक बार बोर्ड की सारी की सारी बैलेंस शीट मंगाइये और उस बैलेंस शीट के आधार पर आप देखने का प्रयास करिये कि कोई ऐसा कर्मचारी नहीं होगा जिसको प्रतिमाह बीस हजार रुपये, पन्द्रह हजार से पच्चीस हजार रुपये ओवर टाइम का पेमेंट

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नहीं किया हो। मतलब उस गरीब बच्चे से तो हम मन चाहे जैसे फीस बढ़ाते हैं, इस कारण से कि हम को घाटा नहीं हो और हम उनसे इकट्ठा कर के सारा का सारा पैसा इसको दे दें और इनकी सुख सुविधा के लिए दे दें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं थोड़ा सा मैं मंत्रीजी से भी आग्रह करता हूं कि वे थोड़ा इस ओर देखने की कोशिश करें। मैं यह सोचता हूं कि बोर्ड के अध्यक्ष के पास ऐसा कोई काम नहीं है कि जिसके कारण उसको अपना गनमैन रखना पड़े, पूरा का पूरा एस्कोर्ट। मतलब आजकल यह एक शौक हो गया कि मेरे साथ अगर पांच लोग खड़े रहें तो मेरी पर्सनैलिटी दिखती है। मैं सोचता हूं यह एक नयी परिपाटी पिछली एक बार शुरू हुई, बीच में थोड़ी सी रुकी है, वापस उसको प्रारम्भ कर दिया और इसके कारण से इस पर वर्षभर में कितना खर्चा होता है, हम कितना पुलिस डिपार्टमेंट को पेमेंट करते हैं ? उनका काम क्या है, उस दफ्तर का काम है। न तो उनको सम्पूर्ण राजस्थान में किसी प्रकार की कोई देख-भाल करनी, जिसके कारण से उनके यह सारा का सारा लोगों का होने की कोई आवश्यकता है।

मंत्रीजी, आप बोर्ड का एक और चार्ट मंगा लीजिये कि कितने मोबाइल, कितने सेल्युलर और कितने एस.टी.डी. हैं और उस एस.टी.डी. पर खर्चा कितना हो रहा है। आप उसके फिगर को देखेंगे तो लगेगा कि हम इतनी फिजूलखर्ची कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। और उस फिजूलखर्ची को अगर हम रोकेंगे तो हम बच्चों के ऊपर जिस प्रकार की फीस बढ़ा कर उसकी पूर्ति करने का जो प्रयास हमने किया, वो हमको नहीं करना पड़ता। ऐसे कई विद्यालयों के बारे में आपको लगेगा, आप इनके चार्ट मंगायेंगे तो आपको निश्चित रूप से लगेगा कि इस प्रकार का अपव्यय हम किस प्रकार से रोक सकते हैं।

आपने देखा होगा कि बोर्ड के प्रश्न पत्रों के आउट होने के कारण से कुछ आर्थिक भार पड़ा है। उस आर्थिक भार को फिर से लेने की पुष्टि से हमने बच्चों का बोर्ड में परीक्षा में बैठने का शुल्क बढ़ाया है। और वह शुल्क हमने कितना किया, 150 रुपये था जो हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा था पहले से ही, यानी हिन्दुस्तान का कोई ऐसा बोर्ड नहीं है जिसका परीक्षा शुल्क इतना हो। यहां तक कि जो सेंट्रल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है सी. बी. एस.ई. वाला, उसका भी परीक्षा शुल्क केवल 120 रुपया है। ऐसे कई हैं, मैं आपको सारे राज्यों के गिना सकता हूं जिनमें 100 रुपये से लेकर 70 रुपये के बीच में इन बालकों के परीक्षा शुल्क लगता है। लेकिन हमारी इस बोर्ड ने पिछली बार यह कहते हुए कि प्रश्न पत्र आउट हो गया, हम पर आर्थिक भार पड़ गया, उसके कारण से

(13.37 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उन्होंने 200 रुपये शुल्क लगा करके उन सारे माता-पिताओं से अपने शौक और आराम के लिए पैसा वसूल कर लिया। कृपा करके आप इसको फिर दिखाइये। अगर आपको आवश्यकता लगती है, क्योंकि सैकण्डरी के कुल ही 6-7 पेपर होते हैं अब 6-7 पेपर में अगर हमें 200 रुपये लग जाएं और आठ लाख बच्चे जहां परीक्षा देते हों उसके हिसाब से इस खर्चे को कैल्कुलेट करके हम उसको देखने की कोशिश करेंगे तो शायद हम को इसमें से मिलेगा।

मैं सोचता हूं कि इसी तरह से आपने देखा होगा कि बोर्ड का पुनर्मूल्यांकन का है, इसको थोड़ा ठीक करायें। बोर्ड का पुनर्मूल्यांकन में कुछ नहीं होता है। केवल टोटल देखी जाती है। अगर केवल टोटल देखने के लिए ही पुनर्मूल्यांकन का पैसा लिया जाता है तो यह बच्चे के साथ न्याय नहीं होगा। अगर आपकी मंशा है कि नहीं, पुनर्मूल्यांकन ही खतम करना है तो कर डालिये, कोई बात नहीं। और अगर पुनर्मूल्यांकन खतम नहीं करना है और बच्चे से फीस लेना है तो निश्चित रूप से उसके सारे प्रश्नों को भी देखा जाय कि उसमें ठीक प्रकार से जंचा है या नहीं जंचा है। नम्बर दिये कि नहीं दिये। केवल टोटल होती है हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में। टोटल करने में कहीं गलती हो गयी तो उसको तो जरूर सुधारा जाता है बाकी किसी प्रकार का पुनर्मूल्यांकन से कोई लाभ नहीं होता।

इस बोर्ड के कई काम हैं लेकिन उन कामों पर बोर्ड का कम ध्यान जाता है। नवाचार की दृष्टि से प्रश्न पत्र सैट कैसे होते हैं, उसके सेमिनार होते हैं। पाठ्यक्रम कैसे बनता है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उसका नवाचार होता है। हमारा जितना भी परीक्षा का परिणाम आया, उसका एनेलेसिस होता है। उस एनेलेसिस के आधार पर एक-एक विद्यालय के बारे विश्लेषण होता है और उसमें फैकल्टीवाइज होता है, सब्जैक्टवाइज होता है, किस सब्जैक्ट का रिजल्ट कहां जा रहा है। किस विषय का, क्या परीक्षा परिणाम रहा, इसके बराबर मूल्यांकन होता है लेकिन....

श्री सभापति : बोलिये, आप बोलिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : किस प्रकार से एजुकेशन स्टेंडर्ड बढ़ाया जाय बच्चों का। यहां तक हमने व्यवस्था की थी कि जिन स्कूलों का परीक्षा परिणाम बहुत खराब गया उनके लिए स्पेशल क्लासें लगा करके भी हमने उन बच्चों को टीचिंग देने की कोशिश की इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से। लेकिन पिछले सालों में यह वापस नीचे आ गयी। इनको फिर से आप प्रारम्भ करिये।

एक मैं सोचता हूं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सात लाख बच्चों में से कोई बच्चा अगर मैरिट में स्थान प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से उसकी प्रतिभा सम्मानित करनी चाहिए। जो भी बच्चा मैरिट में आता है उसका निश्चित रूप से एक हमारा जो दीक्षांत समारोह होता है, वह एक निश्चित डेट पर होना चाहिए। अभी पहली परीक्षा में जिन लोगों ने जिस प्रकार का भी कीर्तीमान

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

स्थापित किया है उन बच्चों को उत्साह बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से करना चाहिए।

अब इस बोर्ड ने एक और काम कर दिया जो शायद आपके ध्यान में आया हो या नहीं आया हो तो आप देखिये यानि जितने भी सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी स्कूल हैं राजस्थान में उनकी मान्यता के लिए पहले दो हजार रुपया लगता था। एक बार मान्यता लेने के लिए दो हजार रुपया लगता था अब इन्होंने अपने यहां पास करके दो हजार से बढ़ा करके दस हजार कर दिया। जितनी भी निजी शिक्षण संस्थाएं हैं उनसे तो लेंगे दस हजार मान्यता के, और जो राजकीय विद्यालय हैं उनकी भी मान्यता के लिए सात हजार रुपये लेंगे। और उसके बाद भी प्रति वर्ष एक हज़ार रुपया और लेंगे। और अगर कोई स्पेशल टीम जाकर के स्कूल का निरीक्षण करेगी तो उसका पांच हजार। तो यह जो व्यावसायीकरण कर रहे हैं, मैं सोचता हूं कि इस व्यावसायीकरण को रोकिए। अगर हमारी आवश्यकता है तो उतनी आवश्यकता की पूर्ति करें लेकिन अगर यही सोच लिया कि हर विद्यालय जितने भी हमारे हैं कम से कम हम सब मिलकर, पांच-छह हजार विद्यालय हैं, इन छह हजार विद्यालयों से एक हजार रुपया साल के हिसाब से वे अपने फण्ड में इकट्ठा कर लें और फिर उसका दुरुपयोग करें यह आवश्यक नहीं है। पहली बार मान्यता के लिए उसके लिए जितना भी शुल्क लगता है रीजनलेबल शुल्क अगर आप दो हजार से बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा दीजिए कोई ऐतराज की बात नहीं। लेकिन दो हजार को बढ़ाकर दस हजार कर देना और प्रतिवर्ष एक हजार रुपया लेना यह किसी भी दृष्टि से मैं उचित नहीं मानता।

सभापति महोदय, मुझे आपके माध्यम से कहना है कि कम से कम राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हिन्दुस्तान में अपनी एक छाप है। इसका जो स्तर है, इसकी जिस प्रकार की अब तक की व्यवस्था है उसके कारण से सम्पूर्ण देश में इसकी प्रतिष्ठा है। लेकिन पिछले दो तीन सालों से रिजल्ट जल्दी निकालने के चक्कर में, जल्दी रिजल्ट निकले, यह हम सबका रहता है कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकले क्यों कि कुछ तो पेपर आउट होने के कारण से विलम्ब हुआ और कुछ कारणों से हो गया, हड़ताल के कारण से हुआ और किसी कारण से हुआ। लेकिन इसके कारण से पहले हमारा जो कापी जांचता था उसको केवल 300 कापी देते थे और 300 कापी का मतलब रोजाना 15 कापी वह जांचे और 20 दिन में उनको लौटा दे।

अब आपने उसमें दो परिवर्तन किये हैं। एक तो जो एडीशनल एक्जामिनर लगाते थे जो कि पहला कोई भी नया एक्जामिनर बना है तो वह 10 कापी जांच कर भेजते थे अपने हैड एक्जामिनर को, और वह हैड एक्जामिनर उसकी कापी देखते थे कि वास्तव में इसमें जो जांचा है वह ठीक ढंग से जांचा है या नहीं। जिस व्यक्ति को यह काम दिया है इसका काम ठीक है कि नहीं। अब आपने उसको बन्द कर दिया

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

और उसके कारण से एक्जामिनर जो ठोक दे क्योंकि इस बोर्ड में इतने बड़े पावर हैं जांचने वाले को, कि वह जो जांच दे, जो नम्बर दे दे वह उस बच्चे के भाग्य पर है। चाहे उसने ठीक जांची चाहे नहीं जांची तो यह इसीलिए व्यवस्था की थी कि सेम्पल कुछ वह जांचता था तो निश्चित रूप से उसमें अगर कोई कमी-खामी रहती थी तो उस कमी-खामी को निकाल कर उस बच्चे को जितनी उसकी योग्यता थी उसके अनुसार उसको अंक मिलता था। यही नहीं, अबकी बार तो एक और काम किया है। हम परीक्षा परिणाम जल्दी निकालें, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं हो सकता। आप अगर इस सिस्टम को बदलना चाहें तो बदलें लेकिन एक बार तो जो भी परीक्षा का सेन्टर है वहां से कापी निश्चित रूप से अजमेर आनी चाहिए और वहां पर आने के बाद वहां से वह डिस्ट्रीब्यूट हों और डिस्ट्रीब्यूट भी एक लिमिटेड संख्या में हों। अगर आपको लगता है कि भेजने और लाने में कापियां गुम जाती हैं, कई बार वह विलम्ब से आती हैं और कई बार बिल्टी का कुछ लफड़ा हो जाता है। अगर आप इसको बचाना चाहते हैं तो बचाइये। कोई बात नहीं। आप जहां भी जिस जगह भी उन कापियों को जंचवाना चाहें वहां एक-एक सेन्टर बनाकर वहां उनको कापियां दें और शाम को जांचकर वापस आपको दे दें ताकि उसकी गुणवत्ता में और अधिक निखार आकर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो अपना एक स्तर है इस स्तर के कारण से निश्चित रूप से हमें अपने बच्चों को देखने में निश्चित रूप से सुधार होगा।

माननीय सभापति महोदय, आपसे एक और कहना चाहता हूं इस कारण से क्योंकि पिछली बार दो घटनाएं ऐसी हुई कि फर्जी अंकतालिकाएं हमारे यहां से बहुत अधिक निकलीं और आपने उसका केस भी दर्ज कराया। क्यों ? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका को किसी ने चुरा लिया उसके आधार पर उसने अंकतालिकाएं बना-बनाकर लोगों से पैसे लेकर दे दिया। उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ। कुछ लोग उसमें गिरफ्तार भी हुए। उसको सुधारने के लिए बोर्ड ने अपना एक निर्णय लिया। दोनों-तीनों जगह इसकी चैकिंग करने की कोशिश की। एक तो जब आप एडमीशन कार्ड देते हैं। अबकी बार आपने एडमीशन कार्ड का जो फोटो था उसको भी एक्जामिनेशन सेन्टर पर ले जाकर बच्चे को टैली करवाकर वहीं की वहीं दस्तखत कराने का काम भी नहीं किया।

मैं कहता हूं कि यह आवश्यक है। होना तो यह चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम जो भी एक्जामिनेशन, कारण क्या है कि यह दसवीं का बच्चा है और उसके कारण से हमारे यहां पर कई केसेज ऐसे पकड़े गये, मेरी जगह मेरा भाई परीक्षा देकर चला गया। और ऐसे केसेज में, चित्तौड़ में भी और बाकी जगहों पर भी पकड़ में आये हैं। तो इसको पुख्ता करने के लिए कि जो बालक परीक्षा दे रहा है वही बालक हमारे इस कार्ड के ऊपर है या नहीं, उसका फोटो है या नहीं, उसके दस्तखत है या

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नहीं। अब इसको और दो जगह रोकने की कोशिश करें क्यों कि हम फर्जी डिग्रियों से बहुत दुखी हैं। राजस्थान के लोग। हमारे बच्चे बहुत सफर करते हैं। हमारे बच्चे चाहे बी.एड. हो चाहे एस.टी.सी. हो, बहुत कठोर अंक मिले हैं और दूसरी जगह 75, 80, और 85 प्रतिशत नम्बर लेकर आते हैं। इसको रोकने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में दो और काम किये जा सकते हैं। एक तो जो उनकी अंकतालिका होती है उसके ऊपर फोटो साथ लगाया जाए वह अंकतालिका उसी बच्चे के काम में आये नहीं तो राजस्थान का बच्चा मध्य प्रदेश में जाकर उस अंकतालिका से मोहन लाल बनकर के अपनी आगे की एजुकेशन शुरू कर देता है तो उससे रोक लगेगी। फिर उसका जो सर्टिफिकेट मिलता है उस पर उसकी फोटो लगवाने का अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से उससे हमें लाभ मिलेगा।

मैं सोचता हूं कि पाठ्यक्रम को बदलने की दृष्टि से, क्योंकि पिछली बार हो हल्ला हुआ कि हमने कोई गलत पाठ्यक्रम बना दिया। पता नहीं दुर्भाग्य है इस देश का कि शिक्षा को भी हम राजनीतिक आइने से देखने की कोशिश करते हैं। अगर किसी ने कोई गलती की, कमी की, आप उसको देखिए, निकालिए, छांटिए और अच्छा काम करिये हमें कोई एतराज नहीं होगा लेकिन चूंकि हमने किया है इसलिए बहुत खराब किया। हमारा काम तो शिक्षा को बिगाड़ना ही था। मुझे इस बात का दुःख है क्योंकि मैं एक शिक्षक रहा हूं और अपनी सारी जिन्दगी एक अति सामान्य शिक्षक के रूप में मैंने प्रारम्भ की। मुझे इस बात का बहुत दर्द है कि अगर हम 10-20 साल के बाद मर जाने वाले लोग हैं कम से कम इस शिक्षा के साथ बेईमानी मत करिये। शिक्षा के साथ खुले दिमाग से चलिए। मेरे से भी गलती हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। किसी से भी गलती हुई है तो उसे सुधारिये किसी को कोई ऐतराज नहीं।

लेकिन उसके कारण से इस पाठ्यक्रम को आपने छेड़ा और 10 अप्रेल को एक नोटिस जारी किया कि 25 अप्रेल तक इस पाठ्यक्रम में क्या-क्या सुधार किया जाए, इसकी सूचना भेजो। अब 15 दिन के नोटिस पर क्या आपका कोई संस्था प्रधान क्या सूचना भेजेगा ? क्या चीज भेजेगा ? आप इसको धैर्य से रखकर काम करते हो न, मुझे तो इस बात का दुःख है कि आज नये अध्यक्ष को बने हुए लगभग एक साल होने आ गया लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद अभी तक समितियों का गठन नहीं हुआ। और जब तक समितियों का गठन नहीं होगा, कौन तो हमारे पाठ्यक्रम को देखेगा ? कौन इसके बारे में चिन्ता करेगा ? यह सारा का सारा जो हमारा एकेडेमिक साइड का जो काम है वह एकेडेमिक साइड का काम नहीं के बराबर रहा।

इसलिए मेरा आपसे फिर निवेदन है कि मैं हमेशा इस पक्ष में हूं कि जो बच्चा जितनी काबिलियत रखता है उस बच्चे को उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। उसकी न तो कोई जाति होती है और न ही

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बिरादरी और न वह बड़ा है तथा न वह छोटा है। इसमें ग्रामीण बच्चों ने भी बहुत अच्छा कीर्तिमान इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में स्थापित किया है पिछले कुछ वर्षों में। यह लोगों की धारणा है कि शिक्षा के लिए शहर ही आना पड़ेगा।

इस माध्यमिक शिक्षा के परीक्षा परिणामों ने, विशेष कर सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी के परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि ग्रामीण स्कूलों का परीक्षा परिणाम बैटर है शहर के सरकारी विद्यालयों से। शहर के स्कूलों में अध्यापक पूरे और सब होने के बाद भी रिजल्ट 22 प्रतिशत, 24 प्रतिशत और 40 प्रतिशत। अगर हम एक-एक का लें, पोद्दार का लें, चाहे माणक चौक का लें और चाहे किसी का भी उठा लें और जब कि ग्रामीण क्षेत्र में आपके जो विद्यालय थे, बांसवाड़ा में हरसूला में चल रहा है वहां लगातार तीन साल से बच्चा मैरिट में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि विद्यालय नहीं है। हमारे पास सब कुछ है। टेलेंटेड अध्यापक हैं केवल हमको थोड़ा सा अपना दिमाग बनाकर एजुकेशन के स्तर को सुधारने की दृष्टि से प्रयास करना चाहिए और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मंत्रीजी, आप इसमें जल्दी मत करिए। आप प्रयोग के लिए एक संभाग में पहले एक सेन्टर कायम करिए। उसका साल भर का फीड बैक आने दीजिए कि हमको किन-किन कारणों से, मैं समझा रहा हूं कि आपने इसका आधार क्यों बनाया।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : माननीय सभापति महोदय, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मैं तो एक ही जानना चाहता हूं यह जो व्यवस्था है कि डिवीजनल हैडक्वार्टर के ऊपर इस तरह की हो जाए तो आप इससे संतुष्ट हैं कि नहीं और सुविधा इससे मिलेगी कि नहीं ?

श्री सभापति : आपका नाम आ रहा है माननीय दिग्विजय सिंहजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर कोई सेन्टर नहीं है परीक्षा का.....

श्री दिग्विजय सिंह : मैं तो मूव ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो पूछ रहा हूं।

श्री सभापति : मूव ही कर रहे हैं। सब बातें उसी में बोल लेना।

श्री दिग्विजय सिंह : मूव नहीं कर रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं इनसे। यह तो राइट है मेरा।

श्री सभापति : इनको पूछने का क्या ?

श्री दिग्विजय सिंह : मैं पूछ रहा हूं आपकी परमीशन से और आप कहो तो मैं बैठ जाऊं।

श्री सभापति : हां, ठीक है। ये अपने अनुभव बता रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महोदय, यह कि संभागीय स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो इसमें गुणवत्ता में सुधार होगा और सम्पूर्ण जो हमारे बोर्ड का ढांचा है जिस प्रकार का हो गया है इस ढांचे को

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

ठीक करने में इससे निश्चित रूप से मदद मिलेगी। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि कहीं यह हमारे लिए खर्चीला काम बनकर नहीं बैठक जाए। हम यह प्रयोग करें बहुत तेज गति से नहीं, कार्यालय से हम धीरे-धीरे इसको दो तीन साल में अपना पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दें ताकि हमारा अनुभव काम आये। नहीं तो एक बार हमने खोल दिया और फिर वापस में हमको अगर बैक होना पड़ेगा तो वह हमारे लिए ठीक नहीं होगा। इसके कारण से मैंने यह कहा कि इसको जनमत जानने के लिए भेजा जाए, विचार किया जाए और इसके आधार पर किया जाए। मैं यही आपसे निवेदन करूंगा।

श्री नन्दलाल मीणा : सी. पी. साहब, आप समझ गये न।

श्री सभापति : माननीय श्री हरजीराम बुरड़क, (अनुपस्थित)। माननीय श्री दिग्विजय सिंह।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं तो पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि मैं अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री अमीन खां, (अनुपस्थित)। श्री जनार्दन गहलोत, (अनुपस्थित)। माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव इसलिए कर रहा हूं कि जिन उद्देश्यों और कारणों को लेकर माननीय मंत्रीजी इस संशोधन को लेकर आये हैं वह कारण तो अच्छे लगते हैं, उद्देश्य भी ठीक है, परन्तु माननीय मंत्री महोदय, यथार्थ में सब चीजों को लागू करेंगे तो मैं समझता हूं कि जिस तरह के परिणाम आप चाहते हो उस तरह के परिणाम नहीं आएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि राजस्थान के शिक्षा बोर्ड का पूरे हिन्दुस्तान के शिक्षा जगत में एक स्थान है, उसकी एक साख भी है। परन्तु इसके साथ-साथ यह भी सही है कि राजस्थान के शिक्षा बोर्ड पर पिछले वर्षों में जिस तरह विद्यार्थियों की, परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ती गयी, काम का दबाव बढ़ता गया। यह भी सही है कि सभापति महोदय, एक विद्यार्थी को अंक तालिका लेनी हो, प्रमाण-पत्र लेना हो उसको लम्बी यात्रा करनी पड़ती है। चूरू का विद्यार्थी अजमेर जाता है परन्तु मंत्री महोदय, आपने अपने इस पूरे संशोधन में यह नहीं बताया कि आप किस तरह का कार्यालय संभागीय स्तर पर या जिला स्तर पर स्थापित करना चाहते हो, क्या अधिकार होगा, वहां किस तरह की सुविधा उनको उपलब्ध होगी ?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपको मालूम है कि एक जिले के अन्दर अगर आप जिला स्तर पर यह कार्यालय स्थापित करना चाहते हैं तो उस जिले के अन्दर कम से कम चालीस-पचास हजार विद्यार्थी परीक्षा में बैठे होंगे। अब चालीस-पचास हजार विद्यार्थियों का रिकॉर्ड वहां रहे और रिकॉर्ड भी इस प्रकार से रहे कि उनको अंक तालिका और प्रमाण पत्र उपलब्ध भी हो जाएं। तो जिस तरह की चर्चा माननीय कटारिया साहब कह रहे थे कि कई तरीके की बातें पिछले वर्षों में, विशेष तौर पर पिछले एक वर्ष के अन्दर इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में घटित हुई हैं, फर्जी अंक तालिका। और दूसरे के नाम से परीक्षा में बैठ जाना तो मैं समझता हूं कि इन सारी चीजों को आप किस तरह कारगर रूप से रोक पायेंगे यह मुझे कहीं संभावना नजर नहीं आयी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप विकेन्द्रीकरण के नाम पर, आपको याद होगा माननीय मंत्री महोदय कि राजस्थान विश्वविद्यालय में आप ही की सरकार थी और एक बार कह रहे थे कि कोटा और बीकानेर के अन्दर रीजनल यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं।

आपने कार्यालय स्थापित कर दिया परन्तु वह प्रयोग कितना विफल हुआ। कहीं इसी तरह का काम करके हम उन दफ्तरों को वहां ले तो जाएं परन्तु उन दफ्तरों को वापिस आपको उसी स्थान पर लाना पड़ेगा और कई तरह की गोपनीयता की बात है। कई इस तरह की बात है, वहां का जो आपका कार्यालय है वह ही पूरा नहीं कर पाएगा जहां आपके शिक्षक-अधिकारी बैठकर पूरे काम का नियंत्रण करते हैं। इसलिए मुझे शक है कि किस तरह यह सारा काम नियंत्रित हो जाएगा।

इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके बारे में निश्चित तौर पर आपको विचार करना चाहिए और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इस कार्यालय को एक तरह से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को विघटित करने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर विधिवत रूप से हो जाता है तो छात्रों को फायदा होगा परन्तु होगा क्या, बजट में कहीं प्रोवीजन लगा नहीं। आप कार्यालय को तोड़ देंगे, कार्यालय को तोड़कर जिला स्तर पर कार्यालय स्थापित करेंगे। सब जगह एस्टेब्लिशमेंट के लिए कार्यालय चाहिए, टेलीफोन चाहिए, सब तरह की व्यवस्था चाहिए, इसलिए सारी व्यवस्था होगी कहां ? जिस तरह का वित्तीय भार और जिस तरह का वित्तीय अपव्यय यह राज्य का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज की तारीख में कर रहा है, जिस तरह की शान-शौकत से आज इनको आपने अध्यक्ष बनाया है, वह रह रहे हैं, छात्रों का पैसा बेइन्तहा खर्च कर रहे हैं वह अलग बात है परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी आड़ में आप करेंगे क्या ? आप बढ़ाएंगे फीस, आप उन गरीब विद्यार्थियों से अगर फीस बढ़ाने के मकसद से इस विकेन्द्रीकरण के काम को कर रहे हैं तो मेरा पुरजोर विरोध है परन्तु आपने जो उद्देश्य दिये, जो कारण और कथन आपने इसमें स्पष्ट किया है कि अगर इसको

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

व्यवहारिक रूप से आप लागू कर पाएं तो मेरा समर्थन आपके साथ है।

श्री सभापति : माननीय डा. किरोड़ी लाल, (अनुपस्थित)। माननीय श्री सांवर लाल जी।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : माननीय सभापति महोदय, मेरा यह प्रस्ताव है कि इस संशोधन को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाए। माननीय सभापति महोदय, आज का युग बड़ा वैज्ञानिक युग है। अमरीका का राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पूरी दुनियां पर नजर अगर वहां पर बैठे-बैठे रख सकता है और हमारे माननीय मंत्री महोदय का प्रस्ताव है कि हम खण्ड और जिला स्तर पर कार्यालय खोलना चाहते हैं। कहां से रिसोर्सेज डवलप करेंगे यह, इन्होंने कहीं नहीं लिखा है। जब से सरकार में बैठे हैं तब से एक ही +++ कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम श्वेत पत्र जारी कर रहे हैं वो कर भी दिया और आज जो लोग मर रहे हैं उनको पालने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो आप यह आफिस कहां-कहां खोलोगे, किस-किस उद्देश्य के लिए खोलेंगे, इसके लिए पैसा कहां से आएगा। माननीय मंत्री महोदय, अल्टीमेटली आप सारा का सारा भार उन बच्चों पर डालेंगे जो उनके अभिभावकों के ऊपर पड़ेगा। अब आप कौनसा सुधार करना चाहते हैं ?

माननीय सभापति महोदय, 1 अप्रेल, 1956 में अजमेर मेरवाड़ा स्टेट का राजस्थान में विलय हुआ था। उस समय अजमेर मेरवाड़ा का एक प्रस्ताव था कि अजमेर को राजधानी बनाई जाए। उस समय एक पैकेज हुआ था कि यहां लोक सेवा आयोग, रेवेन्यु बोर्ड और यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यालय अजमेर में खोला जाए और यह तीनों के तीनों वहां पर हैं। सभापति महोदय, मेरा आरोप है कि यह सिर्फ अजमेर के साथ अन्याय करने के लिए एक साजिश यह सरकार रच रही है।

जब से यह सरकार आयी है रेवेन्यु बोर्ड की ब्रांच जोधपुर ले गये, अब मंत्री महोदय, यह अगर आपको उदयपुर में खोलना है तो यह बता दो आप, पूरे जिलों में राजस्थान में खोलकर आखिर अजमेर के साथ क्या करना चाहते हो ? यह बहुत बड़ा अन्याय होगा। आज अभी कोई बात आयी कि मार्कशीट लेनी है, आप व्यवस्था सुधारिये। आज यह कम्प्यूटर का जमाना है इसके अन्दर मार्कशीट अगर कोई भेजता है, डाक भेजता है तो मार्कशीट आप भेजने की व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते ? आज आपकी कौनसी ऐसी कमियां हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अन्दर आपको लगी कि ये ये कमियां हैं इसकी वजह से आपको उदयपुर में आफिस खोलना पड़ेगा, आपको जयपुर में खोलना पड़ेगा, आपको जोधपुर में खोलना पड़ेगा।

सभापति महोदय, ऐसा कोई इन्होंने कारण नहीं दिया है। इन्होंने केवल यह

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सांवर लाल)

दिया है कि संचालित करने, समय पर घोषित करने, मैं यह कह रहा हूं कि राजस्थान का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में कार्यालय होने की वजह से हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे ज्यादा समय पर परीक्षाएं करवाता है, समय पर रिजल्ट देता है। माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि अजमेर के साथ जो आप साजिश रच रहे हो इस कार्यालय का विखण्डन कर रहे हो यह कतई उचित नहीं है। जो आपने उद्देश्य दिये यह काल्पनिक उद्देश्य हैं, इससे जनता के ऊपर भार पड़ेगा और आपके बोर्ड की वर्तमान जो क्षमता है, एफिशिएंसी है वह गिरेगी और राजस्थान के गांव-गांव में जो बच्चा पढ़ रहा है उस बच्चे के साथ अन्याय होगा।

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है चाहे परीक्षा परिणाम की दृष्टि से हो, चाहे हर किसी दृष्टि से, आपके चेयरमैन को एक ही हुक्म दीजिएगा आप कार्यालय खुलवाने की छोड़िये, अगर आपको कोई कमियां नजर आती है तो आज कम्युनिकेशन की क्या कमी है ? सभापति महोदय, टेलीफोन से हर जगह सम्पर्क कर सकते हैं। आज यह कम्प्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। आज कई व्यवस्थाएं हमारे पास है उसके बावजूद आप कार्यालय खोलकर इनका विभाजन करके बच्चों के ऊपर भार डालना चाहते हो और अजमेर की जनता के साथ जो आपने कमिटमैंट किया और जिस शर्त के ऊपर अजमेर मेरवाड़ा इस राजस्थान के अन्दर मिला। अगर आप यह विधेयक पारित करते हो तो यह निश्चित रूप से वहां की जनता के साथ अन्याय होगा। किसी सुधार के नाम पर अगर आप इस प्रकार की साजिश करेंगे तो हम इसका विरोध करेंगे। मेरा तो यही निवेदन है कि इससे कोई सुधार नहीं होना है।

मंत्री महोदय सुधार होगा अगर आप कल कहने लग जायेंगे कि विधान सभा की ब्रांचेज वहां अलग-अलग संभाग स्तर पर खोलेंगे क्योंकि विधायकों का काम काज करने में समस्याएं आती हैं तो यह जयपुर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि अपनी कमजोरियां अगर कहीं हैं, प्रशासनिक कमजोरियां हैं उनको सुधारिये और यह जो विधेयक है यह प्रवर समिति को सौंपिये और मेरा तो यहां तक कहना है कि इसको वापस विथड्रा कर लें तो सबसे ज्यादा जनहित में यही उचित होगा।

श्री सभापति : माननीय श्री मदन दिलावर। बोल रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : हां, बोल रहा हूं ना।

श्री सभापति : फरमाइये।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : सभापति महोदय, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा संशोधन विधेयक, 2000 को जनमत जानने के लिए प्रवर समिति को....

श्री सभापति : कोई बात नहीं आप तो बोल दीजिए।

श्री मदन दिलावर : मैं माननीय सभापति महोदय, इसलिए कह रहा हूं कि इस विधेयक के पीछे शिक्षा मंत्रीजी की नीयत ठीक नहीं है और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां इनको ठीक प्रकार से बच्चों की परीक्षा का इन्तजाम करना चाहिए, ठीक प्रकार से जहां पर इनको उनको कुछ सुविधाएं देनी चाहिए वह तो यह कर नहीं रहे, इसके बजाय अधिक से अधिक कार्यालय खोलकर के जो एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्रतिष्ठा है उस प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने के लिए इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की इतनी प्रतिष्ठा है कि कहीं भी उसकी मार्क शीट लेकर के हमारे बच्चे जाते हैं तो बड़े आदर के साथ उनको देखा जाता है। आप बिहार और उत्तर प्रदेश की, कहीं की मार्क शीट लेकर के जायेंगे तो संदेह की दृष्टि से उनको देखा जाता है। यदि यह जिला स्तर पर चले जायेंगे या विभाग स्तर पर चले जायेंगे या अन्य कहीं इनको टुकड़ों में बांट दिया जाएगा तो आज जैसा हम देख रहे हैं कि आर. पी. एस. सी. के पेपर आउट हो जाते हैं।

श्री सभापति : आपके कोटा को भी कुछ मिलेगा।

श्री मदन दिलावर : कोटा में यदि इस प्रकार से होता है तो हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं यह अजमेर में ही रहे और वहीं इसको और मजबूत बनाया जाए। यदि इनको करना था तो पाठ्यक्रम संशोधन के लिए कुछ न कुछ संशोधन लाते कि हम देशभक्त लोगों का उसमें समावेश करेंगे लेकिन माननीय सभापति महोदय, यह नहीं कर रहे और यह इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उसमें से पण्डित दीनदयालजी उपाध्याय का नाम हटायेंगे, महाराणा प्रताप को हिन्दुपति कहने में इनको शर्म आने लगी है इसलिए उसका नाम हटाया।

सभापति महोदय, यही नहीं बड़े-बड़े देश भक्त थे उनका नाम हटाकर के इन्होंने इस राजस्थान की जनता का अपमान किया है। यदि इस पाठ्यक्रम में से महाराणा प्रताप को जो हम सम्मान देना चाहते थे वह सम्मान नहीं देकर के मैं समझता हूं बड़ा अपमान किया है इस राजस्थान का। राजस्थान में से महाराणा प्रताप को अलग कर दिया जाता है तो राजस्थान की पहचान ही खतम हो जाती है। हम कहीं भी जाते हैं तो पूछते हैं कहां से आये ? हम जब बताते हैं कि राजस्थान से आये हैं तो लोग कहते हैं महाराणा प्रताप के राजस्थान से आये हैं। सम्मान के साथ उनको पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए था लेकिन किया क्या, इन्होंने उनके आगे जो सम्मानजनक सूचक लगा हुआ था उसको काली स्याही से पोत दिया, यानी उनके नाम के आगे कालिमा पोत दी।

माननीय सभापति महोदय, बड़ा अपमान हुआ है। यही नहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पूरे देश को दिशा देने वाले हुए हैं और बड़े विचारक हुए हैं। उनके नाम पर काली स्याही पोत दी गई। माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, सरस्वती से भी घृणा इन शिक्षा मंत्रीजी को होने लगी है, इस सरकार

(श्री मदन दिलावर)

को होने लगी है। संस्कृति सिन्धु सभ्यता नाम से एक पाठ था उसमें सरस्वती के ऊपर कालिमा पोत दी गई। इससे ज्यादा अपमान महा पुरुषों का और देवी-देवताओं का इस +++ सरकार से ज्यादा और कोई नहीं कर सकता। मैं निंदा करता हूं सबकी और निंदा करता हूं कि महा पुरुषों का जिस प्रकार से सरकार अपमान कर रही है, मैं समझता हूं या तो उनकी +++ या यह कहावत है हमारे हाड़ौती में कि जब +++ ऐसा लगता है +++ भाग रहा है। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाये।

श्री सभापति : माननीय हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : मैं कुछ कहूंगा। माननीय सभापतिजी, यह प्रवर समिति का जो प्रस्ताव हमने पेश किया है इसका मैं समर्थन करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का जब निर्माण हुआ था उस समय राजस्थान के सभी भागों के अपने-अपने महत्व को कायम रखने के लिए हाई कोर्ट जोधपुर में रखा गया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में रखा गया और एजुकेशन का ऑफिस बीकानेर में रखा गया। कुछ कार्यालय कोटा में रखे गये, उदयपुर में रखे गये अर्थात राजस्थान के जो बड़े-बड़े संभाग क्षेत्र थे उन्हीं सब क्षेत्रों का महत्व बनाये रखने के लिए इस प्रकार के सेन्टर स्थापित किये गये और उसके पीछे उस समय की तत्कालीन शासन व्यवस्था का बहुत बड़ा सोच था कि हर एक स्थान का बराबर महत्व बनाये रखा जाना चाहिए।

लेकिन इस समय जो पहले के निर्धारित मापदंड बने हुए हैं उनकी चीर-फाड़ करके उन मूल्यों को कम किया जा रहा है। उसके पीछे जैसा कि मेरे पहले माननीय सदस्य बोल चुके हैं उन लोगों ने यह सारी भावना बता दी है कि उसके पीछे मंशा क्या है। क्या इस प्रकार का डी-सेन्ट्रलाइजेशन करने से क्या ऑफिस की व्यवस्था हर जगह, हर जिले में इस प्रकार की सुचारू व्यवस्था हो सकेगी ? अगर यह सुचारू व्यवस्था हो गई तो एस्टेब्लिशमेंट का कितना खर्चा पड़ता है। क्यों नहीं ऐसा किया जाये तो हम एम.एल.ए. लोग सब अपने-अपने जिलों में शामिल हो जायें और वहीं विधान सभा की कार्यवाही को कर लिया करें। मतलब बड़े सोच का विषय है कि इस प्रकार की भावना, आप डी-सेन्ट्रलाइजेशन करना चाहते हैं, काम को हल्का करना चाहते हैं लेकिन आगे जाकर आपके सामने विभिन्न प्रकार की प्रोब्लम आयेगी। इसको अगर आप करना भी चाहते हो, खंडित भी करना चाहते हो तो इसके कुछ क्षेत्रों को सलेक्ट कीजिये। जहां पर इसके एस्टेबिल-श्मेंट की व्यवस्था सुन्दर हो सके और सब प्रकार के आपके ऑफिसर्स जिस कैडर का होना चाहिए, सब प्रकार से व्यवस्था सुन्दर कर सकें। हर स्थान पर माननीय शिक्षा

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हीरासिंह चौहान)

मंत्रीजी व्यवस्था करने में बड़ा जोर पड़ेगा। जितना आप इस व्यवस्था को खंडित करोगे उतना ही प्रशासनिक व्यय भी चार या दस गुना ज्यादा बढ़ेगा। इससे सरकार पर, विद्यार्थियों पर, गार्जियन पर जो गरीब माता-पिता हैं, बच्चों को पढ़ने भेजते हैं जिनको दो जून का खाना भी उपलब्ध नहीं हो रहा है, रहने के मकान उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। उन लोगों पर यह सारा भार पड़ेगा।

इसलिए मेरा निवेदन है कि इस विषय पर आप पुनर्विचार कीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है। वर्षों से चल रहा था यह, अभी आप प्रवर समिति को सौंप कर इसकी राय ले लीजिये कि क्या ऐसा करने से क्या उचित रहेगा। इसी प्रकार जैसा माननीय कटारियाजी साहब ने कहा, आपके चेयरमैन, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी वाली व्यवस्था रखते हैं उसको कहां जरूरत है कि उसके साथ में गनमैन चला जाता है, पूरा एस्कोर्ट चला जाता है। क्या खतरा है उसको ? किस प्रकार का खतरा है ? क्या इस प्रकार की व्यवस्थाओं से खर्चा नहीं बढ़ता है ? यूं तो हर जगह आप कर लीजिये।

इसीलिये मेरा निवेदन है कि इन सारे मुद्दों पर आप विस्तार से वापस पुनर्विचार कर लीजिये। कोई जल्दबाजी नहीं है। आप डी-सेन्ट्रलाइजेशन करना भी चाहते हैं तो संभाग मुख्यालयों पर कीजिये। इतना ज्यादा विकेन्द्रित मत कीजिये। फिर अजमेर के इस स्वरूप को भी बिगाड़ने की मैं सोचता हूं अजमेर एक सुन्दर शहर है, और राजस्थान के बिलकुल सेन्टर में है। चाहे कोटा का है, चाहे जोधपुर का है, चाहे उदयपुर का है सबको आने जाने में बड़ी सुविधा है और सब प्रकार से शिक्षा के महत्व को बनाये रखने के लिए अजमेर हमेशा से प्रमुख रहा है राजस्थान में। इसीलिये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी आज की तारीख में पूरे हिन्दुस्तान में हमारे विद्यार्थियों को, इसका जो पाठ्यक्रम है, इसकी जो शिक्षा प्रणाली है उसका बहुत बड़ा महत्व है। उसको बरकरार रखने के लिए माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है आपके मार्फत शिक्षा मंत्रीजी को डी-सेन्ट्रलाइजेशन करके हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की इतनी बड़ी वरीयता है, इतना बड़ा स्थान है उसको कम करने की कोशिश नहीं करें। इसकी कोई जल्दबाजी नहीं है इसको प्रवर समिति को सौंप कर इसके ऊपर वापस विचार किया जाये। यही मेरे विचार हैं।

श्री सभापति : श्री धर्मपाल चौधरी, (अनुपस्थित)। श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : सभापति जी, यह जो राजस्थान शिक्षा बोर्ड इसको खंडित करके विकलांग किया जा रहा है। विकलांग तो बाहर बैठे हैं मदद के लिए उनकी मदद तो सी.पी.जोशी साहब, मंत्री महोदय कर नहीं पा रहे हैं। उन विकलांगों की तो सरकार कोई मदद कर नहीं रही है लेकिन शिक्षा बोर्ड को जरूर विकलांग किया जा रहा है और विकलांग करने का कारण भी क्या है माननीय सभापति महोदय,....

श्री सभापति : विकलांग नहीं किया जा रहा है विकेन्द्रित किया जा रहा है। ओरीजनल सत्ता तो वहीं रहेगी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : विकेन्द्रित का भी वही है। विकेन्द्रित किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है। क्योंकि वहां पर एक चेयरमैन हैं मि. पी.सी.व्यास। व्यास और जोशी, अब उसके टुकड़े कर दिये तो शिक्षा व्यवस्था बिगड़ गई तो कौन होगा दोषी। जोशी साहब वहां पी.सी.व्यास और एक है जोशी और उसके टुकड़े कर दिये, आप विकेन्द्रित कर रहे हैं। विकलांग मैं कह रहा हूं। थोड़ा सा ही फर्क है। दोनों बराबर के ही शब्द हैं। तो कौन होगा इसका दोषी ? श्रीमान् पी.सी. व्यास हैं इसको आप मजाक में ना लें, माननीय सदस्य जितने यहां विराज रहे हैं और सरकार के भी नुमाइन्दे यहां बैठे हैं। यह पी.सी. व्यास क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि शिक्षक कांग्रेस के पदाधिकारी नहीं थे क्या ? जब उनको चेयरमैन बनाया गया। शिक्षक कांग्रेस के पदाधिकारी रहते हुए इनको शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। पूरा राजनीतिकरण कर दिया। आप राजनीतिकरण करें, राजनीति चलायें लेकिन शिक्षा बोर्ड में, जिस शिक्षा बोर्ड की पूरे देश में अपनी एक इमेज थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की आप क्या राजस्थान को बिहार बनाना चाहते हैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी ?

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं आप क्या इसको दरभंगा की तरह अवैध और असत्य सर्टिफिकेट, असत्य दस्तावेज और असत्य प्रमाण-पत्र देकर इसके टुकड़े करके पी.सी. व्यास जैसे व्यक्ति को एक तरफ तो आप +++ तो खैर वह है ही। आप क्यों जोर दे रहे हो। एक तरफ आप शिक्षा की फीस बढ़ा रहे हैं। विद्यार्थी आन्दोलन कर रहे हैं और विद्यार्थी आन्दोलन कर रहे हैं उन सारी सुविधाओं का लाभ +++ आप सौप देना चाहते हैं। उनको आप जयपुर लाना चाहते हैं। वह जयपुर आने में इन्ट्रेस्टेड हैं। आप उनको मदद कर रहे हैं। (व्यवधान) आफिस खुल जायेगा जैसे डायरेक्टर एलीमेंट्री। मैं माननीय व्यास जी आपको बताना चाहता हूं। आप भी व्यास हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, क्या रिलेवेंस है ? इस बात का इस अमेंडमेंट से क्या ताल्लुक है ?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसा है, आप व्यासवाद मत बढ़ाइये। माननीय सुरेन्द्र व्यासजी, मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं। माननीय व्यासजी व्यासवाद फैला रहे हैं। व्यासवाद न फैलाइये कृपा कीजिये भाई साहब।

श्री महेश जोशी : भगवान आपको माफ करे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जोशी के समर्थन में जोशी बोले। जोशी के समर्थन में जोशी, व्यास के समर्थन में व्यास, खूब बुझ गई

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

प्यास। क्या जोरदार जोड़ी बनाई। +++ शिक्षा मंत्रीजी, यह जो आप व्यासजी को मदद करना चाहते हैं, करें। आपने कहा व्यासजी यहां कैसे आय जायेंगे। मैं इसको गम्भीरता से निवेदन करना चाहता हूं। जैसे डायरेक्टर एजुकेशन का आफिस बीकानेर में है। लगभग डायरेक्टर एजुकेशन जयपुर में ही +++ और +++ आपकी हाजिरी में खड़े रहते हैं और जनता के लिए और शिक्षकों के लिये वह +++ लेकिन यहां +++ इसलिए माननीय जोशीजी, शिक्षा मंत्रीजी, आप इसका विकेन्द्रीकरण न करें। इसको विकलांग न बनायें। मैं यह निवेदन कर रहा था। बीच में थोड़ा व्यासजी बोल दिये इसको दरभंगा मत बनाइये न भागलपुर बनाइये। आंख फोड़ो, कान फोड़ो जैसी घटनाएं मत करिये।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अपनी एक इमेज थी, है और रहनी चाहिए। हमारे संस्कृत के विद्वान बैठे हैं। ऐसे उनको भी बड़ा दुःख हो रहा है कि शिक्षा का स्तर आप गिराना चाहते हैं। पहले माननीय कल्लाजी थे उनसे नहीं संभला। अब उनको हटाया गया, आपको दिया गया। मैं आपको बड़ा विद्वान मानता हूं। व्यक्तिगत रूप से, माननीय जोशीजी मैं आपको बड़ा विद्वान मंत्री मानता हूं। मैंने ऐसा कह भी कह दिया कि सी. पी. जोशीजी का मुकाबला मत करिये। तो आप तो गलत काम मत करिये कम से कम। आप तो इस मामले में माननीय सभापति महोदय, शिक्षा मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि यह जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, अपनी जो इसकी एक इमेज है वह इमेज कायम करें। इसका विकेन्द्रीकरण न हो। यह अजमेर में ही शिक्षा बोर्ड रहे। डायरेक्टर आफिस बीकानेर में रहे।

पहले भी विकेन्द्रीकरण किया गया था। हर जिले को अपना महत्व दिया गया था। वह भी एक विकेन्द्रीकरण था कि अलग-अलग जगह अलग-अलग हैड आफिस रहें, इस नाते से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर था। आज वहां कोई कमी है, हमारे माननीय गुलाबजी कटारिया ने आपके बोर्ड में जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, उसको दूर करने के लिये कहा है। उन्होंने विस्तृत इसका अध्ययन किया है, स्टैडी की है। कुछ आपने अध्याय हटाये। सरकार आते ही आनन-फानन में किसको हटाया। आप बहुसंख्यकों का निरादर कर रहे हैं। उनमें जो चेप्टर लगे हुए थे बहुसंख्यक समाज के हिसाब से उनकी एक श्रद्धा के नाते थे, लगे हुए थे।

माननीय सभापति महोदय, सिर्फ दो मिनट लूंगा। उनको आपने हटा दिया। अब आपने ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया जो राजनीति से प्रेरित है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आप इसको विकलांग न बनायें, लंगड़ा-लूला न बनायें, आप इसका विकेन्द्रीकरण न करें। विकेन्द्रीकरण तो माननीय पूर्व मुख्य मंत्रियों ने कर दिया। अलग-अलग जिलों

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

में अलग-अलग महकमों के हैड आफिसेज खोल दिये। इसलिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो अजमेर में रहा है और रहना चाहिये। शिक्षा का स्तर बना रहे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की इमेज़ बनी रहे, इतना ही मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। आपने बोलने के लिये समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, चूंकि मैंने अपना संशोधन ही प्रवर समिति को सौंपने के लिये दिया था और गलती से शायद मेरा नाम वहां लिख दिया गया। इसलिए उस समय मैं इतनी अनअवेयर थी क्योंकि मैंने तो अपना संशोधन प्रवर समिति को सौंपने हेतु रखा था। मुझे एकदम आपने नाम पुकारा आसन से, मेरी समझ ही नहीं आया कि मेरा नाम क्यों पुकारा गया। परंतु आपने अपनी व्यथा प्रकट कर दी। आपने अपनी व्यथा प्रकट कर दी तो इस आसन पर बैठे हुए जब तक आप हैं व्यथा कृपया यहीं छोड़ जाइयेगा। आसन से मेरे प्रति व्यथा मत रखियेगा। माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : आपका इसमें सूची में मोहतरमा सुमित्रा सिंहजी चार नम्बर पर नाम है, पांच में हैं.....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरा नाम इसमें प्रवर समिति के लिये है और मेरा आप देखिये कि इसके अंदर मंगाकर रिकार्ड प्रवर समिति के लिये ही है। वह गलती से जनमत के लिये मेरा नाम नहीं है।

श्री सभापति : विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरा नहीं है। मेरा प्रवर समिति का ही है। प्रवर समिति का ही था मेरा, प्रवर समिति के लिये ही दिया है मैंने।

श्री सभापति : अब आप देख लीजिये। देते वक्त माननीय सदस्या और माननीय सदस्य इस बात के लिये गंभीरता महसूस नहीं करते हैं कि कहां दस्तखत कर रहे हैं, कहां हस्ताक्षर कर रहे हैं। किस पर कर रहे हैं। आपने स्वतः ही सुमित्रा सिंहजी के नाम से दस्तखत ठोक रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने तो प्रवर समिति के लिये ही दिया था। मेरी तैयारी भी प्रवर समिति के लिये थी। मैंने दिया भी उसी के लिये है।

श्री सभापति : मैंने तो परम्परा की बात का सुझाव दिया था। मेरी कोई सीट से, मेरा कोई व्यक्तिशः मोहतरमाजी आपके खिलाफ और कोई बात नहीं थी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ठीक है। तो आसन पर विराजमान हैं। इसलिये कोई बात नहीं।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 को एक प्रवर समिति को

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

सौंपा जाये। मैं इसलिये कहना चाहूंगी यह बात कि यद्यपि उद्देश्य और कारणों में शिक्षा मंत्रीजी ने बताया है कि पहले से विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गयी है कई गुना इसलिये इसे डी-सेन्ट्रलाइज करने की आवश्यकता है।

एक बात मैं सोचती हूं जब कभी वह उसका जवाब देंगे, तब स्पष्ट करेंगे कि बोर्ड अपने ऐसे कृत्यों के पालन के लिये, जिन्हें वह उचित समझे, खण्ड कार्यालयों और जिला स्तरीय कार्यालयों की स्थापना कर सकेगा, किन्तु बोर्ड ऐसा राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा से ही करेगा और ऐसे कार्यालयों की स्थापना का विनिश्चय, साथ ही वहां पर किये जाने वाले कृत्य राजपत्र में अधिसूचित किये जायेंगे। तो मैं यह पूछना चाहूंगी और इस बात का स्पष्टीकरण चाहूंगी कि ऐसे कौनसे कार्य होंगे। अभी तो सारा काम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता है। परीक्षा भी लेता है, रिजल्ट भी तैयार करता है, परीक्षा की कापियां जांचता है उसके बाद रिजल्ट तैयार करके सौपता है। फिर आप यह जो डी-सेन्ट्रलाइज करने जा रहे हो, एक साथ कितने करोगे, न तो यह स्पष्ट किया है कि आप केवल डिवीजनल हैड-क्वार्टर पर ही करेंगे या उसके अलावा और किसी जिला हैडक्वार्टर पर भी कर देंगे, यह भी नहीं बताया।

मैं समझती हूं कि या तो स्पष्ट होना चाहिये था कि हम एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के बजाय इसे दो स्थानों पर और करेंगे, या एक स्थान पर और करेंगे और उसके यह-यह कृत्य होंगे। यह परीक्षा भी लेगा, वह परीक्षा के परिणाम भी जंचवायेगा, वह उसके बाद डिक्लेयर भी करेगा, अंकतालिका भी देगा। यह कृत्य जो आपने लिखा है इसमें, यह कृत्यों के बारे में स्पष्टीकरण नहीं किया है इसमें। इसलिये मैंने अपना प्रस्ताव यह भेजा था कि यह प्रवर समिति को सौंपा जाये। क्योंकि जैसा कि सभी बोलने वाले माननीय सदस्यों ने स्वीकार किया है इस बात को कि हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक प्रतिष्ठा है, वह प्रतिष्ठा बनी रहे इसलिये इसको इतना अधिक आप डी-सेन्ट्रलाइज नहीं कर दें, इतने अधिक जगह पर नहीं कर दें कि उसकी प्रतिष्ठा को किसी तरह की आंच आने लग जाए। क्योंकि अभी भी देखते हैं आज यह परचा आउट हो गया, आज वह हो गया। तो इतनी जगह पर जब आप करेंगे परीक्षाएं....(व्यवधान) इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, पिछली बार तो बहुत पर्चे आउट हो गये थे। इसलिये बात एक ही है। आपके कार्यकाल में तो बहुत हुये थे, सी.पी. जोशीजी के कार्यकाल में नहीं हुए होंगे। खैर छोड़िये इस बात को। यह भी चांस की बात है। हो भी जाते हैं चाहे कोई भी मंत्री हो।

मेरे कहने का मतलब यह है कि यह कृत्य आपने स्पष्ट नहीं किये। इसलिये यह स्पष्ट होने चाहिये थे कि आखिर आप मुख्यालयों पर या जिला हैडक्वार्टर्स के ऊपर या डिविजनल हैडक्वार्टर्स पर, कितनों पर करेंगे ? न तो वह संख्या आपने बतायी और न आपने उनके क्या-क्या कृत्य होंगे, यह बताया है।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सदस्या, आप इतनी वरिष्ठ सदस्य हैं। यह राजपत्र में हमने घोषणा कर दी है कि क्या-क्या फंक्शन वहां पर होंगे, यह मेंशन कर रखा है। You always come with preparations. तो मुझे लगता है आज आप आधी ही तैयारी करके आयी हैं कि आपको यह राजपत्र में हमने, यह राजपत्र में फंक्शन डिफाइन कर दिये हैं कि यहां क्या-क्या होगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, आपने हमको तो यही दिया है। हमको तो यही दिया है आपने। हमको तो राजपत्र भी आजकल आपके नहीं मिल रहे हैं....

श्री सी. पी. जोशी : वही तकलीफ हुई है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : और केवल हमको तो यह मिला है। इसलिये यही मिला है इसके आधार पर हमारे दिमाग में स्पष्टीकरण हुआ नहीं है। इसलिये हम चाहेंगे कि जब आप इसका जवाब दें तब आप बताइयेगा कि क्या-क्या तो कृत्य उनके होंगे और कितनी जगह पर फिलहाल अभी आप करने जा रहे हैं, यह भी स्पष्टीकरण दें। हमारे प्रस्ताव रखने का मतलब यही है कि प्रवर समिति को सौंपा जाये ताकि सब बातों का विचार करके और पूर्ण तौर से अध्ययन करके वह अपनी रिपोर्ट अगले विधान सभा सत्र के पहले दिन दे दे और उसके बाद आप इसे पास कर दीजिये। हो जायेगा; उसके बाद हो जायेगा पास तो। ऐसी क्या जल्दी है। इन्हीं अपने शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, पहली बात शिक्षा मंत्रीजी ने तो माननीय सदस्य सुमित्रा सिंहजी को कही है वह सही है कि अमेंडमेंट मूव करने के बाद प्रिपेयर होकर आना चाहिये। अभी एक्चुअली क्या है कि गजट तो हमको मिल नहीं रहे हैं मंत्रीजी, आपके प्रेस की बदइंतजामी है....(व्यवधान) नहीं गजट ? बिल तो है, यह तो है। गजट नहीं है। आप तो तैयार होकर आये हो, लेकिन सुनिये, इसमें मूल जो है, मैं तो सिर्फ एक दो बात कहना चाहता हूं आपको। डी-सेन्ट्रलाइजेशन आप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्यों ले जा रहे हैं आप इसको ? क्योंकि डिविजनल कायदे से मुझे डिस्ट्रिक्ट शब्द डिलिट करने के लिये एक अमेंडमेंट देना चाहिये था लेकिन आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डी-सेन्ट्रलाइजेशन मौलिक रूप से अच्छा विचार है। यह आपके बोर्ड के फंक्शन को ज्यादा एफिशिएट बनायेगा।

स्टूडेंट्स के लिये भी ज्यादा लाभदायक होगा। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप ले गये, अब यह दिया है, आप बता रहे हैं गजट में। मेरा आपसे निवेदन यही है इसको सलेक्ट कमेटी को आप न भी रेफर करें तो हमारा तो मोशन यही है कि सलेक्ट कमेटी को रेफर करें। लेकिन यह डिस्ट्रिक्ट लेवल का तो गवर्नमेंट खुद ही अगर वापस ले ले तो और डिविजनल तक तो ठीक है। क्योंकि अब डिविजनल जो है, रेवेन्यू

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

डिवीजन, सभापति महोदय, बड़ा रेशनलाइजेशन हो गया है राजस्थान में। पहले तो बहुत बड़े और छोटे डिवीजन थे। जयपुर डिवीजन बहुत बड़ा था। आपने अजमेर डिवीजन नया क्रियेट कर दिया तो अब अलग-अलग डिवीजन होंगे, करीब-करीब बराबर हैं। तो उसका डी-सेन्ट्रलाइजेशन करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर न ले जायें, इतना ही मेरा आपको निवेदन है। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय।

श्री सी. पी. जोशी (शिक्षा मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का इस बात के लिये आभार व्यक्त करता हूं कि, बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने बोर्ड के डी-सेन्ट्रलाइजेशन का विरोध नहीं किया है। वह एक पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। मैं समझता हूं जब वह पार्टी के अध्यक्ष और सदस्य की हैसियत से बोल रहे हैं तो जो उनकी पार्टी की मंशा है उसको सदन के सामने रख रहे हैं। उन्होंने स्वंय यह कहा है कि बोर्ड की जो व्यवस्था है उसमें डी-सेन्ट्रलाइजेशन किया जाना चाहिये। डी-सेन्ट्रलाइजेशन करने की जो प्रक्रिया है उसके सम्बन्ध में उन्होंने सावचेत किया है कि अच्छा होता कि यह सब जगह प्रारम्भ न करके एक जगह प्रारम्भ करते। पहले तो मैं इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य, जिस उद्देश्य से हम यह अमेंडमेंट लाये हैं, सिद्धान्ततः उससे सहमति व्यक्त करते हैं। उसके लिये मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

मैं उनको इस बात के लिये भी धन्यवाद देता हूं कि जिन मुद्दों के सम्बन्ध में उन्होंने सदन में ध्यानाकर्षित किया है, चाहे वह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यरत कर्मचारियों के सम्बन्ध में हो, जिस तरह की वहां व्यवस्थाएं और सुविधाएं उपलब्ध हैं, वह सुविधाएं हमारे अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं है।

आज स्थिति यह बनी हुई है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पिछले लंबे समय से जो कर्मचारी वहां कार्यरत हैं, उन्होंने जिस तरह की व्यवस्था कर रखी है, रात्रिकालीन ओवर टाइम के सम्बन्ध में, अल्पाहार के सम्बन्ध में, इसमें वह एक करोड़ रुपया प्रतिवर्ष व्यय करते हैं। इस बात की आपको भी एक मंत्री के रूप में जानकारी है। सबसे पहले तो जिस बात पर आपने ध्यानाकर्षित किया है, राजस्थान सरकार ने इस बारे में तुरन्त कदम उठाये हैं और हमारे शिक्षा सचिव ने, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनको पत्र लिखकर आगाह किया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों को जो सुविधाएं सरकारी कर्मचारियों से ज्यादा उपलब्ध हैं। चाहे ओवर टाइम के सम्बन्ध में हो, चाहे प्रमोशन के सम्बन्ध में हो, चाहे उनके बच्चों की एजुकेशन के सम्बन्ध में हो। जो व्यवस्थाएं उन्होंने कर रखी थी, जिन व्यवस्थाओं के आधार पर बोर्ड के आने वाले समय में कार्यप्रणाली में असर हो सकता था। उन सबके सम्बन्ध में विभाग के बोर्ड के अध्यक्ष

(श्री सी. पी. जोशी)

को यह निर्देश दिये कि इस सम्बन्ध में आप आवश्यक कदम उठायें जिससे यह जो विसंगतियां हैं वह दूर हो सके। बोर्ड के जो कार्य हैं, जिस उद्देश्य के लिये बोर्ड बना है उन कार्यों का संपादन प्रभावशाली ढंग से करें। बोर्ड का काम न केवल एग्जामिनेशन कंडेक्ट कराना हो, बोर्ड के काम में पाठ्यक्रम को अप-टू-डेट करने का कार्यक्रम भी है।

मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में भी कुछ प्रयास आपने किये हैं और हमारे जो नये अध्यक्ष हैं उन्होंने इस सम्बन्ध में और अधिक प्रयास किये हैं। उन्होंने सभी अध्यापकों को एक क्वेश्चन पेपर बनाकर दिया, अलग-अलग जगह वर्कशाप कर रहे हैं और आने वाले समय में हम पाठ्यक्रम को कैसे अप-टू-डेट कर सकें। इस सम्बन्ध में भी बोर्ड के अध्यक्ष ने अपनी कार्यवाही प्रारम्भ की है और मुझे विश्वास है कि जब बोर्ड इन सब चीजों पर चिन्तन और मनन करेगा तो जिस सम्बन्ध में आपने ध्यानाकर्षित किया है कि कैसे हम रिजल्ट को एनेलिसिस करके, स्कूल को ढंग से एनेलिसिस करके उसको इम्प्रूवमेंट करने का काम कर सकें। फर्जी अंक तालिका के सम्बन्ध में जो आपने सुझाव दिये कि कैसे हम एडमिशन में जो वहां एग्जाम दे रहा है उसके फोटो के साथ जो आइडेंटिफाई करने का सिस्टम था, चैक करने का सिस्टम था उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। कैसे मार्कशीट पर फोटो लगाकर के उसकी आथेंटिसिटी करनी चाहिये। जो सुझाव आपने दिये खुले विचार से, उनके सम्बन्ध में क्योंकि यह केवल कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य नहीं है, राजस्थान में शिक्षा का स्तर बढ़े, राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने कार्यों को जिस उद्देश्य के लिये बनाया गया है उसकी पूर्ति कर सके।

इस सम्बन्ध में जो आपने ध्यानाकर्षित किया है मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं उन सब मुद्दों पर चर्चा करके, जिनको आत्मसात करने की आवश्यकता है उनको आत्मसात करके उनको प्रभावशाली ढंग से लागू करने का हम कार्य करेंगे। पर मुझे तकलीफ है बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य, जहां एक तरफ हम बोर्ड के फंक्शन की बात कर रहे हैं वहीं हमारी पार्टी के लोग यह कहते हैं कि मारवाड़ में, मेवाड़ में यह हो गया, बीकानेर में यह हो गया, अजमेर में यह हो गया।

मैं समझता हूं कि हम किसी भी समस्या का निदान इस आधार पर करना चाहेंगे तो हम बोर्ड की क्वालिटी आफ एजुकेशन के साथ न्याय नहीं कर पायेंगे। मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन इस डी-सेन्ट्रलाइजेशन से किसी भी क्षेत्र की अहमियता को कम करने का उद्देश्य नहीं है। इसके पीछे यह उद्देश्य नहीं है कि हम यह कम कर सकें। इसके पीछे जो उद्देश्य है वह बहुत स्पष्ट है कि किस तरह से यह व्यवस्था जिसमें बोर्ड में आज 8-9 लाख से भी ज्यादा विद्यार्थी बैठ रहे हैं। 66 लाख के करीब कापियां जांचनी पड़ रही हैं। उस सबमें 750 कर्मचारियों ने जिस तरह की व्यवस्था पैदा कर दी है, वहां पर

(श्री सी. पी. जोशी)

कम्प्यूटराइजेशन को यूज नहीं कर सकते। री-वेल्यूवेशन के सम्बन्ध में हम काम नहीं कर सकते। उस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किस तरह से इसको प्रभावशाली बना सकें। यह जो अन्य प्रदेश हैं उनके अनुभवों का लाभ लेकर हमने इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया है।

आज न केवल राजस्थान बल्कि अन्य प्रदेशों में भी यह सब व्यवस्थाएं लागू हैं चाहे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसमें भी यह व्यवस्था की गयी है कि हम समय के साथ इसका डी-सेन्ट्रलाइजेशन करें। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल जैसे अलग-अलग प्रदेश हैं वहां भी इस तरह की व्यवस्था है। कोई नयी चीज हमने राजस्थान में प्रारम्भ नहीं की है। अलग-अलग प्रदेशों में जिस तरह की व्यवस्था है डी-सेन्ट्रलाइजेशन की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, उन अनुभवों का लाभ लेकर हम इस सम्बन्ध में आगे बढ़ना चाहते हैं।

झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने यह कहा कि इसके क्या उद्देश्य आपने बताये हैं। मैं समझता हूं जो राजपत्र हमने घोषित किया है उसमें यह चीजें बतायी हैं। कि कौनसी चीजों को लागू करने के लिए हम संभाग में कार्यालय खोलना चाहते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि परीक्षा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संचालित नियंत्रण कक्ष में सहयोग करना, प्रश्न-पत्र वितरण सम्बन्धी कार्य में सहयोग करना, प्रायोगिक परीक्षा के सम्बन्ध में निर्देशित कार्यों को सम्पन्न कराना। आज प्रायोगिक परीक्षा के सम्बन्ध में जिस तरह के मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है, सुपरविजन की आवश्यकता है, एग्जामिनर वहां समय पर नहीं आवे तो परीक्षा कैसे कंडक्ट हो। यह जो फंक्शन हैं इसको हमें डी-सेन्ट्रलाइजेशन किया है। जो फंक्शन बोर्ड के साथ करने के लिये आपने चर्चा की, हमने इसमें स्पष्ट किया है कि कौन-कौनसे फंक्शन हम करना चाहते हैं। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा....

श्री सांवर लाल : यह प्रायोगिक परीक्षाओं के लिये आपके संभागीय कार्यालय और बोर्ड क्या गाइडेंस कर देंगे, आप बता दें। अभी क्या असुविधा आपको हो रही है।

श्री सी. पी. जोशी : हमें 5-10 साल से विश्वविद्यालय और विद्यालय की प्रायोगिक परीक्षाओं के सम्बन्ध में जानकारी में नहीं है। क्योंकि अपन एम.एल.ए. बन गये, मंत्री बन गये। अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह बनी हुई है....

श्री सांवर लाल : आपकी जानकारी में हो यह हो सकता है।

श्री सी. पी. जोशी : कि जो एग्जामिनर अपाइंटमेंट होता है वह अगर वहां पर नहीं आता है तो वहां पर जो हैडमास्टर है वह दूसरे आदमी के साथ में परीक्षाएं करवाता है, अपनी मनमर्जी से....

श्री सांवर लाल : नहीं, ऐसा कोई अनुभव आपको हुआ हो तो बताओ ना आप। आपके बोर्ड के अनुभव।

श्री सभापति : बोलने दीजिये माननीय सदस्य।

श्री सांवर लाल : आप जबरदस्ती अजमेर-मेरवाड़ा के साथ अन्याय करने जा रहे हैं...

श्री सी. पी. जोशी : इसके लिए तो गुलाबजी कटारिया से आप बात कर लें कि मैं अन्याय कर रहा हूं या न्याय कर रहा हूं। इसकी चर्चा आप भारतीय जनता पार्टी में कर लेना। इस सम्बन्ध में मैं चर्चा नहीं करना चाहता।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय जो उत्तर देंगे वह अपने अनुभव के आधार पर देंगे।

श्री सांवर लाल : हमारा व्यक्तिगत मत है। मैं सदन का सदस्य हूं और सदस्य की हैसियत से अपने विचार रख रहा हूं।

श्री सभापति : वह रख दिये थे ना।

श्री सी. पी. जोशी : आपको अधिकार है। मैंने आपको फिर कहा है....

श्री सभापति : आपने रख दिये हैं विचार।

श्री सी. पी. जोशी : मैंने फिर कहा है कि इसको डी-सेन्ट्रलाइजेशन से अजमेर की महत्ता को कम करने का कोई सम्बन्ध ही नहीं है।

श्री सांवर लाल : इसका जवाब तो दे दो कि अजमेर मेरवाड़ा जब 1 अप्रेल, 1956 को राजस्थान में मर्ज हुआ था, तब यह शर्त थी कि नहीं थी ? इन बातों पर सहमति हुई थी कि नहीं हुई थी ? इन चीजों को आपने देखा है क्या ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। आप अपनी बात कह चुके हैं और जो बात आप अब फरमा रहे हैं वह भी आपके भाषण के अंदर आपने उठा दी थी।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मंत्रीजी ने वह पैकेज देखा नहीं है। जब अजमेर-मेरवाड़ा यहां पर मर्ज हुआ राजस्थान के अन्दर....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप सुनिये। आपने यह बात कह दी है।

श्री सांवर लाल : ...अजमेर-मेरवाड़ा अलग स्टेट हुआ करता था, उस स्टेट का मर्ज राजस्थान में हुआ तो तब यह तीन दफ्तर अजमेर में खोलने की बात हुई थी। उस चीज को उन्होंने इग्नोर कर दिया। उत्तर प्रदेश में यह कर दिया, वहां पर यह कर दिया। आपको मालूम है कि कितनी कठिनाइयों के बाद अजमेर-मेरवाड़ा को राजी करके राजस्थान के अन्दर मिलाया था और आज उन शर्तों को आप भूल रहे हैं। आप रेवेन्यू बोर्ड को ले लो। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये माननीय सदस्य।

श्री सांवर लाल : आज आप इस बोर्ड के आफिस का विखंडन कर रहे हैं। कल आप लोक सेवा आयोग को ले जाओगे।

श्री सभापति : बिराजिये माननीय सदस्य, आप बोल चुके हैं। मंत्री महोदय उन्हीं बातों का ही जवाब दे रहे हैं।

श्री सांवर लाल : आपने देखा है ?

श्री सी. पी. जोशी : मैंने देखा है कि नहीं देखा है। वह बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने देखा है। उन्होंने यह बात कही है, उन्होंने सहमति व्यक्त की है। आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं। यह वहीं बैठकर फैसला करना, यह सदन में क्यों कर रहे हैं। जिस भी बात पर आपमें कोई डिस्प्यूट है आप फैसला नहीं करना चाहते, वहां कर लीजिये। मुझे क्यों कह रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय सभापति महोदय, यहां जो कुछ भी विचार रखता हूं वह मैं एक सदस्य के नाते रखता हूं। हमारी पार्टी के अध्यक्ष के नाते मुझे कोई यहां बोलने का अधिकार नहीं मिलता है। अगर मैं हूं तो अपनी जगह हूं और यहां मैं एक सदस्य के रूप में अपनी बात रखता हूं।

श्री सांवर लाल : आपने तय कर लिया है अपनी पार्टी के अंदर कि अजमेर के साथ अन्याय करना है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसको पार्टी के साथ जोड़कर क्योंकि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं और अगर मैं यहां सदस्य नहीं हूं तो मैं यहां आकर अपने विचार थोड़े ही रख सकता हूं। मैं यहां विचार रखता हूं तो एक सदस्य के नाते रखता हूं।

श्री सी. पी. जोशी : मुझे यह भी खुशी है कि आप अपने विचार पार्टी के अध्यक्ष के नाते नहीं रखते हैं, उप नेता की हैसियत से नहीं रखते हैं, माननीय सदस्य की हैसियत से रखते हैं। आपने यह एक्सप्लेन किया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं तो अभी तक यह समझता था कि आप इस पार्टी के उप नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं इसलिए आप जो विचार रखते होंगे उसमें पार्टी में चर्चा करके रखते होंगे। आपने स्पष्टीकरण दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इनका रीजनल अप्रोच है। यह आप मंत्रीजी इसको गलत समझ रहे हैं। इसको भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक नहीं है। जो माननीय सदस्य भिनाय से आते हैं, इनकी रीजनल अप्रोच है कि हमारे अजमेर-मेरवाड़ा के साथ अन्याय हो रहा है, उनको आप सेटिस्फाइड कीजिये।

श्री सी.पी. जोशी : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, मैं तो यह बात भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को एड्रेस कर रहा हूं....(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अगर आपने अजमेर के साथ अन्याय करने का तय कर लिया है तो आप भी राज में रहने वाले नहीं हो। (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : मैं जो एड्रेस कर रहा हूं वह भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य को एड्रेस कर रहा हूं। मैं कोई मेवाड़-मारवाड़ के माननीय सदस्यों को एड्रेस नहीं कर रहा हूं....(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, सदन के सदस्यों को आप संबोधित कर रहे हैं आप पूरे सदन को संबोधित कर रहे हैं जिसमें अजमेर जिले के बैठे हुए माननीय सदस्य भी आते हैं। आप अजमेर के हित के खिलाफ काम कर रहे हो...(व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : जो माननीय सदस्य हाउस में हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण हैं, उनको एड्रेस कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : .... उनके खिलाफ आप काम कर रहे हैं, फिर भी नहीं बोल रहे हैं।

श्री सभापति : आप सुनेंगे कि नहीं, माननीय सदस्य। आप अपना भाषण दे चुके, आप अपनी बात कह चुके। अब आपकी बात का और सभी माननीय सदस्य जो बोले हैं उनका जवाब माननीय मंत्री महोदय दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : सभापति महोदय, मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि इसका विषय वस्तु के साथ सम्बन्ध नहीं है लेकिन मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इसका डी-सेन्ट्रलाइजेशन करने से माननीय सदस्य का जो एप्रिहेंशन है कि अजमेर की महत्ता को हम कम करना चाहते हैं, यह हमारा कतई उद्देश्य नहीं है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यह जो काम हम कर रहे हैं वह प्योरली एकेडेमिक है, बोर्ड जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था, बोर्ड की एफिशिएंसी बढ़ाने के उद्देश्य से यह किया जा रहा है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया कि आप डिविजनल हैडक्वार्टर पर तक करें वहां तक तो समझ में आता है लेकिन आप क्यों इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं ?

मैं समझता हूं कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स का हमने चयन किया है, मैं उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 1. गंगानगर, 2. जैसलमेर, 3. बाड़मेर, 4. धौलपुर, 5. बांसवाड़ा, 6. झालावाड़, 7. झुंझुनूं। इन डिस्ट्रिक्ट्स के जो डिस्टेंसेज हैं वे अजमेर से इतने जयादा हैं कि जिस उद्देश्य के लिए हम करना चाहते हैं, इसमें एक उद्देश्य यह भी है कि समय पर लोगों को मार्कशीट मिले, समय पर एनरोलमेंट का फार्म लेकर परीक्षा में बैठ सके। ये कारण हैं, जिनके कारण हमने डिविजनल मुख्यालयों पर यह किया है। हमने जो ज़िले सलैक्ट किए हैं, पहले संभागीय मुख्यालय और केवल मात्र इन जिलों के सम्बन्ध में किया है। बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा कहा, अच्छा होता कि एक संभाग में करते, उन अनुभवों का लाभ लेते लेकिन आज जो स्थिति बनी हुई है उसमें मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा पूरा पैसा और रेवेन्यू की जिस तरह की व्यवस्था है। एक करोड़ रुपया तो केवल मात्र उनके टी.ए., डी.ए. पर हम खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा एक करोड़ पन्द्रह लाख भवन निर्माण के लिए, आठ करोड़ अठहतर लाख रुपये एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडीचर के लिए इस बजट में व्यवस्था

(श्री सी. पी. जोशी)

की है एक करोड़ पन्द्रह लाख रुपये बिल्डिंग एक्सपेंडीचर का एक करोड़ रुपये अल्पाहार और ओवर टाइम के लिए व्यवस्था की है। इन सारी व्यवस्थाओं को पूरा करके जो पैसे उपलब्ध हैं, इस पैसे की उपलब्धता के साथ में जो कर्मचारी वहां पर उपलब्ध हैं, उनको हमने अलग-अलग जगह पर किया है, इसमें कोई वित्तीय भार इस पर नहीं पड़ने वाला है। जो कर्मचारी वहां अजमेर में बैठे हुए हैं, उनकी क्षमताओं का पूरा उपयोग लें, या तो हम यह काम कर लें या एक संभाग में हम करके बाकी लोगों को अजमेर में वह यह सब काम करने की सुविधा दे सकें। इसलिए हमारे मन में बिलकुल साफ है कि वे कर्मचारी जो यह काम में रूकावट पैदा कर रहे थे, जिनके मन में यह नियम-कानून था, उन सबको ध्यान रखते हुए हमने 6 संभाग और 8 डिस्ट्रिक्ट्स में एक साथ यह प्रयोग प्रारम्भ किया है।

मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके जो एप्रिहेंशन हैं, हम इसके बाद इसको एक साथ जो हम करना चाहते हैं, हम उसका फीड बैक लेंगे कि क्या अनुभव होते हैं हमारे, उन अनुभवों के आधार पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम एक साथ यह नहीं कहना चाहते हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो बातें आपने कहीं हैं, जिन बातों को एक मंत्री के रूप में आप स्वंय जानते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि बोर्ड की कार्यप्रणाली को इफेक्टिव करने के लिए यदि हम डी-सेन्ट्रलाइजेशन नहीं करते हैं तो हम न तो बच्चों के साथ न्याय कर पाएंगे और न हम क्वालिटी आफ एजुकेशन को मेनटेन कर पाएंगे। यह सब उद्देश्य हैं जिनके प्रति हम कमिटेड हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मैं समझता हूं कि हमने जो प्रक्रिया प्रारम्भ की है, वह उसको स्ट्रेंथन करेगी और बोर्ड के उद्देश्यों को प्राप्त करेगी, यह सोचकर हमने अमेंडमेंट मूव किया है।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम कोई भी पालिटिकल कंसीडरेशन के आधार पर नहीं कर रहे हैं। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने हमारे चेयरमैन के सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐशो आराम कर रखा है। मैं विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि कपोल कल्पित मन की आशाओं के अनुरूप हम किसी पर आरोप लगा कर, मैं समझता हूं कि सदन में हमारी जो भूमिका है उसका हम ठीक ढंग से निर्वहन नहीं कर सकते। यदि माननीय अध्यक्ष ने गड़बड़ की है, आप लिख कर दें, जांच करवाएंगे, उसमें कोई तकलीफ नहीं है लेकिन कोई अध्यक्ष बनकर कोई काम करे, उसके कार्य करने की प्रणाली के आधार पर किसी को बदनाम करने का काम करें, माननीय सभापति महोदय, इससे लोकतंत्र में एक गलत परम्परा पड़ जाएगी। हम सरकारी कर्मचारियों पर आरोप लगाएं, हर आदमी पर आरोप लगाएं। जब आपकी पार्टी सत्ता में आए, आर. एस. एस. का पदाधिकारी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाए तब तो तकलीफ नहीं, एक आदमी वाइस

(श्री सी. पी. जोशी)

चांसलर बन जाए, एक चेयरमैन बन जाए, वह आर.एस.एस. का कार्यकर्ता, उसकी तकलीफ नहीं। दूसरा कोई आदमी काम करता है तो यह आरोप लगाने के पीछे आप क्या बात करते हैं ?

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय मंत्रीजी, सरस्वती मां के नाम पर कालिमा किसने पोती है, यह बताएं ? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य विराजें।

श्री सी. पी. जोशी : यह उसके प्रति होती है, मन में थोड़ा हाथ लगाकर देखें, मेरे प्रति नहीं होती है, खुद पूछो अपने मन से।

श्री मदन दिलावर : कालिमा किसने पोती, इसका जवाब है आपके पास ? मां सरस्वती का अपमान करने वालों को भगवान भी माफ नहीं करेगा।

श्री सी. पी. जोशी : धन्यवाद। आपको तो माफ करेगा।

सभापति महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य, लोग हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम जिस डिबेट में भाग लें, बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनकी बातें रेलेवेंट हैं कि एजुकेशन के रिजल्ट का एनेलेसिस किया जाना चाहिए, गांवों में पढ़ने वाले बच्चों की क्वालिटी आफ एजुकशन इम्प्रूव हो रही है या नहीं, लोगों में विश्वास बढ़े कि गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई का काम ठीक ढंग से हो सके, लोग डाइवर्ट होकर पब्लिक स्कूलों में बच्चे न भेजे। इन प्रयासों को करने के लिए बोर्ड को अपने कार्य-कलापों में सुधार करना चाहिए, सुधार करने के लिए सुझाव दें। मै समझता हूं कि हम उसका वैलकम करते हैं। लेकिन कोई आदमी काम करें, उस व्यक्ति को हम डिमोरलाइज करने के लिए सदन में यह बात करें, सदन में वह आकर अपनी बात नहीं कह सकता और हम इस तरह से वन साइडेड आरोप लगाते हैं, मैं समझता हूं कि यह प्रवृत्ति भी ठीक नहीं है।

मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सदस्यों ने जो कहा है, इसमें न तो जनमत जानने हेतु भेजने की आवश्यकता है और न ही प्रवर समिति को भेजने की आवश्यकता है। बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही कि हम कोशिश करके आगे बढ़े, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने जितने प्रयास किए हैं उनका फीड बैक लेकर हम आगे बढ़ेगे। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो संशोधन प्रस्तुत किए हैं उन्हें निरस्त किया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय मंत्री महोदय, एक छोटी सी जानकारी चाहूंगा, अभी आपने किन-किन जिलों में इसका आप दफ्तर खोलने जा रहे हैं, इसकी घोषणा की। आपने झुन्झुनूं का भी नाम लिया तो मैं पूछ रहा हूं कि चूरू के विद्यार्थी को अजमेर से लिंक-अप करेंगे या झुन्झुनूं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

से करेंगे। चूरू के विद्यार्थी को अंकतालिका लाने के लिए अजमेर जाना पड़ेगा या झुन्झुनूं जाना पड़ेगा ?

श्री सी.पी. जोशी : माननीय सदस्य, चूरू के छात्रों को बीकानेर जाना पड़ेगा।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : माननीय सभापति महोदय, एक जानकारी और दें आप। भरतपुर और धौलपुर की दूरी अजमेर से कम है क्या ? वहां पर क्यों नहीं खोलना चाहते ?

श्री सी.पी. जोशी : माननीय सदस्य, मैं खोलने की बात नहीं कर रहा हूं। हमने जो प्रयास किया है उसमें आप जो बात कह रहे हैं वह बात भी हो सकती है। लेकिन प्रथम प्रयास हमने किया है, उसमें हमने इन जिलों को लिया है। आपने भरतपुर की बात की, आपकी बात को ध्यान में रखते हुए अगली बार कोशिश करेंगे, तब भरतपुर में भी खोल देंगे, क्या तकलीफ है उसमें ?

श्री सभापति : सुमित्राजी, अब तो आप अपना प्रस्ताव वापस ले रही हैं ?

प्रश्न यह है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 को जन-मत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

विधेयक जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

विधेयक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किए जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड-2 और 3 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 और 3 को स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 और 3 स्वीकार किए गए।

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

(श्री सभापति)

श्री सी.पी. जोशी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 को पारित किया जाए।

श्री सी. पी. जोशी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-7) को पारित किया जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कुछ पूछना चाहता हूं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष का चयन किस प्रक्रिया से होता है और क्या आज जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बने हुए हैं, वे उस प्रक्रिया के द्वारा चयनित किए हुए हैं और यदि नही हैं तो इस बोर्ड के अध्यक्ष पद की महत्ता के अनुसार या उसके गौरव के अनुसार जो प्रक्रिया हमने की, वह उचित है क्या ? इस दृष्टि से मेरा किसी से कोई दुराग्रह नहीं है लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि जो नियमों में प्रावधान है कि तीन लोगों का पैनल बनता है वह इस अध्यक्ष के चयन के लिए फिर बोर्ड बनता है, राज्य सरकार अपना एक प्रतिनिधि चयन करती है, ये तीन लोग मिलकर एक कमेटी बनती है, फिर बोर्ड के अध्यक्ष के नाम का एक पैनल तैयार करते हैं और उस पैनल में से राज्य सरकार को यह अधिकार है कि उस पैनल में से जिसे भी चाहे बोर्ड का अध्यक्ष बनाये। क्या इस प्रक्रिया के द्वारा इस बोर्ड के अध्यक्ष का चयन किया गया है ?

मैं यह जानना चाहता हूं और दूसरा मेरा इस बारे में आपसे आग्रह यह है कि इस बोर्ड की जिस प्रकार की अब तक ख्याति रही है इस ख्याति को आप कम करने की काशिश न करें, इसमें और क्या सुधार हो सकते हैं। मुझे तो बड़ा दुख इस बात का है, क्योंकि मैं इससे सम्बन्धित रहा हूं और मैंने इसे बहुत नजदीक से देखा है इसलिए मैंने कुछ बातों का समर्थन किया तो उस कारण से किया क्योंकि मैं हमेशा इस बात के पक्ष में रहता हूं कि सुधार हर हालत में होना चाहिए क्योंकि हम सब लोगों का समय बहुत छोटा होता है, जिन्दगी का समय बहुत छोटा होता है, लेकिन वास्तव में कोई सच्चाई है तो उसको स्वीकार कर उसके अनुसार आगे कदम बढ़ाएं। फील्ड में जहां हमने आपस में एक-दूसरे के आमने-सामने खड़ा होना होगा वहां हो जाएंगे कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन कम से कम गुणात्मक दृष्टि से शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सबसे बड़ा योगदान अगर देता है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड देता है और इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जितना सशक्त करेंगे उतना ही निश्चित रूप से हमारी एजुकेशन का जो स्तर है वो अच्छा होगा।

मैं तो इस बात की कल्पना करता था कि सी.बी.एस.ई. से मान्यता लेने के लिए राजस्थान में जिस प्रकार की होड़ चल रही है और जिस प्रकार से हर आदमी झूठा बोर्ड लगाकर अंग्रेजी माध्यम का स्कूल

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

और सी.बी.एस.ई. से मान्यता लेने की बात करता है, मैंने जब यह सारी प्रक्रिया की तो बहुत आश्चर्यजनक इसमें से तथ्य प्रकट हुए कि लोगों ने मान्यता तो ले रखी है अजमेर बोर्ड से और परीक्षाओं के नाम से बोर्ड लगाकर जिस प्रकार से लोगों को ठगने का धंधा करते हैं इंग्लिश मीडियम के नाम से। न तो उनकी कहीं एफिलिएशन है, न कुछ और है, मर्जी आये जैसे परीक्षाएं चला रहे हैं, मनमर्जी से काम चला रहे हैं। इन सबकी कसाई होनी चाहिए और हमारा स्तर सुधरना चाहिए। हम प्राइवेट स्कूलों को रोक नहीं सकते, उनमें जाने के लिए हम किसी को मना नहीं कर सकते। मुझे दुःख इस बात का है कि हममें बहुत से माननीय सदस्य, जो यहां बैठे हैं उनमें से अधिकाशं के बच्चे और पोते सब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और हम सब बात सरकारी विद्यालय की करते हैं। क्या सुधार हो सकता है, हमारी कथनी और करनी में जमीन-आसमान का अंतर है और हम सपने दिखाते हैं आसमान के। ये सब बेकार की, फिजूल की बातें हैं। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो धरती पर उतरकर देखें। मैं यह नहीं कहता कि आप प्राइवेट स्कूलों में जाने वाले बच्चों को रोक दें, मैं इस तरह का मानस भी नहीं रखता हूं, कोई जाना चाहता है, कोई पैरेंट 5 हजार रुपये महीने की खाकर वहां पढ़ाना चाहता है, पढ़े, मुझे कोई एतराज नहीं लेकिन हम अपनी शिक्षण संस्थाओं को तो एक स्तर पर ला सकते हैं, हम उनसे बराबरी का मुकाबला कर सकते हैं।

मेरी यह धारणा थी कि 2-4-5 साल जिस लाइन पर चले अगर हम उस लाइन पर चलते तो कम से कम शहर के जितने प्राइवेट स्कूल हैं अधिकांश में त्राहि-त्राहि मच जाती कि किस तरह से गवर्नमेंट स्कूलों का रिजल्ट सुधरता है या नहीं। हमारे पास जो टीचर हैं, मुझे आज भी बहुत प्रसन्नता है कि गवर्नमेंट विद्यालय में जिस प्रकार के टेलेंटेड टीचर हैं उनका मुकाबला यहां के किसी भी सोफिया स्कूल के अध्यापक से करा लीजिए, मेरे स्कूल के अध्यापक का मुकाबला कराएं निश्चित रूप से राजकीय विद्यालय का अध्यापक गुणों की दृष्टि से उससे बहुत बैटर है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वातावरण बिगड़ चुका है। उसकी शक्ति का कोई उपयोग नहीं हो रहा, उसकी बुद्धि का कोई उपयोग नहीं हो रहा। प्राइवेट स्कूल में कौन जाएगा ? जिसको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, वो जाएगा। हमारे यहां तो मैरिट के आधार पर सलेक्ट होकर टीचर आते हैं, लेकिन हमने उनकी शक्तियों का उपयोग नहीं किया और हमने अच्छे टीचर को थपथपाने की कोशिश नहीं की। हमने तो हरेक को एक गाली ठोक दी कि सरकारी विद्यालय में कुछ होता ही नहीं है, सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती, मुझे इस बात का दुःख है। आप और हममें से जो अधिकांश यहां बैठे हैं सब सरकारी विद्यालय में पढ़कर आये हैं, क्या हम बिलकुल नकारा हैं ?

दुर्भाग्य यह है कि हमारे देखने का दृष्टिकोण ठीक नहीं है, इस देखने के दृष्टिकोण को ठीक करें और इस दृष्टि से इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को आप जितना

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सशक्त बनाओगे, इसका काम शिक्षा के स्तर को सुधारना भी है, केवल परीक्षाएं लेकर, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन अबकी बार आप एक बार अपना अकाउंट मंगाना, इस बार परीक्षा में किस प्रकार से बेरहमी से खर्चा किया। जितने आपके मेम्बर हैं सबको एक-एक गाड़ी दे दी, ले जाओ घूमो। पहले हर जिले में दो उड़नदस्ते से ज्यादा नहीं बनते थे, अबकी बार आपने कह दिया कि चाहे जितने उड़नदस्ते ले जाओ, मर्जी आये जहां घूमो, 15-20 दिन तक घर के काम करो, गाड़ी घुमाओ। यह मानसिकता बताती है कि हम किस मानसिकता के लोग हैं। हम अपनी संस्था के प्रति वफादार हैं या केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के प्रति वफादार हैं।

हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, इस गलत रास्ते पर चाहे मैं हूं या कोई भी काम करता है, जिसका दृष्टिकोण गलत हो, गलती भले ही छोटी होगी और 5 हजार ही फालतू किये होंगे लेकिन उसकी जो सोच है, वो 5 हजार नहीं इस संस्था को डुबोने वाली सोच है। हम उस संस्था के लोग हैं तो उसकी एक-एक पाई को किस तरह से बचाकर उसको ठीक ढंग से काम में ले सकते हैं, गलती कितनी बड़ी है या छोटी है इसका नहीं। उसका गलत कदम जाता है उस गलत कदम को रोकिये और इस दृष्टि से मेरी फिर प्रार्थना है कि इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो आज राजस्थान का नाम अगर हिन्दुस्तान में है तो इस बोर्ड के कारण है और इसकी गुणवत्ता के कारण है, इसमें कहीं भी आंच नहीं आने दें, यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, मैं छोटी-सी जानकारी चाहूंगा। आपने अभी अपने उत्तर में बताया....

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जिस व्यवस्था से हमने रखा था, अबकी बार थानों में पेपर रखाये, मैं तो यह कहता हूं आप डबल लोक अपने विद्यालय में दीजिए, सेंटर में दीजिए, उससे किसी को एतराज नहीं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : लेकिन फ्लाइंग स्क्वार्ड का काम तो यहां नकल करते हुए बच्चों को पकड़ने का है वो मर्जी आए जिस तरह से किया।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं छोटी सी जानकारी चाहूंगा। अभी आपने अपने उत्तर में यह बात कही कि एस्टेब्लिशमेंट के नाम पर 8 करोड़ से ज्यादा रुपया और भवन निर्माण के नाम पर एक करोड़ से ज्यादा रुपया आप खर्च करेंगे। क्या इस राशि का आप बोर्ड के बजट में प्रावधान करने जा रहे हैं ? अगर है तो यह अतिरिक्त राशि हुई। इस राशि की भरपाई क्या आप विद्यार्थियों की फीस बढ़ा कर करेंगे ?

नम्बर दो, मैं पूछना चाहूंगा आप विकेन्द्रीकरण के नाम पर कार्यालय खोलने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जा रहे हैं, इन कार्यालयों को चलाने के लिए आप नये कर्मचारी या अधिकारी नियुक्त करेंगे या बोर्ड में जो आज की तारीख में कर्मचारी या अधिकारी काम कर रहे हैं उनका स्थानान्तरण करेंगे ?

नम्बर तीन, मैं पूछना चाहता हूं आपने विकेन्द्रीकरण के नाम पर कुछ जिलों में खोला है, कुछ जिलों में नहीं खोला है तो उसमें कुछ मापदण्ड बनाये होंगे, कोई छात्र संख्या बनायी होगी, कोई दूरी बनायी होगी। इन तीन छोटे-छोटे प्रश्नों का आप उत्तर दें।

श्री सांवर लाल : माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से फिर निवेदन कर रहा हूं कि अजमेर राजस्थान का हृदय है और मंत्रीजी, अगर आपका और हमारा हृदय ठीक से काम करता रहेगा तो शरीर जलता रहेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, हृदय पर कोई चोट नहीं हुई है। हृदय तो बरकरार है, उसको तो हाथ नहीं लगाया।

श्री सांवर लाल : चोट हृदय पर हो रही है इसलिए मैं मेरी विडम्बना बता रहा हूं।

श्री सभापति : वह तो वहीं है उस पर कोई चोट नहीं है।

श्री सांवर लाल : मंत्री महोदय, अजमेर में बोर्ड है इसलिए आपकी हालत यह है कि आप 8 करोड़ रुपया भी बोर्ड से खर्च करवाने की स्थिति में हैं। राजस्थान की सरकार एक रुपया नहीं दे रही है, आप इस आठ करोड़ को अजमेर में ही लगाते। लगता है कि यहां पर कर्मचारी ज्यादा हैं, परेशान करते हैं। अगर आपके अध्यक्षजी को यह समस्या है, क्योंकि यह समस्या आपके अध्यक्षजी के जाने के बाद आयी है। आपके अध्यक्षजी चाहते थे कि यूनिवर्सिटी के आसपास का वातावरण उनको बहुत सूट करता है क्योंकि वे वर्षों से यहां रहे हैं और आपका उनको ओब्लाइज करने का ही मूड है तो जिस प्रकार बीकानेर का डाइरेक्टर यहां आकर बैठता है, उसी प्रकार यहां सेक्रेटेरियट में कोई व्यवस्था करा दीजिए, लेकिन यह अजमेर के साथ क्यों अन्याय करना चाहते हैं आप। आप नये कर्मचारी भर्ती करोगे नहीं, यह बता दीजिए अगर आप करना चाहते हो तो। क्योंकि जब आपकी सरकार भर्ती करने की क्षमता नहीं रखती तो बोर्ड में आप सरकारी कर्मचारी थोप देंगे, यह बोर्ड आपकी बात माने इसके लिए भी आप उनको बाध्य नहीं कर सकते। आप उनका ट्रांसफर करोगे। अभी सेवा शर्तों के अंदर उनका ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। आखिर इस जन कल्याणकारी सरकार में आप इन कर्मचारियों के साथ, किसानों के साथ, गरीबों के साथ, आप शहर को हैरिटेज बनाने के नाम पर बुलडोजर चला रहे हो, आप बोर्ड के डी-सेन्ट्रलाइजेशन के नाम पर अजमेर में कार्यरत कर्मचारियों के ऊपर फिर बुलडोजर चलाओगे कि आप रहने वाले अजमेर के हैं आपको धौलपुर जाना पड़ेगा। इससे आपकी एफिशिएंसी सुधरने वाली नहीं है।

(श्री सांवर लाल)

इसलिए मेरा निवेदन है कि जो व्यवस्था जहां चल रही है उस माकूल व्यवस्था को आप डिस्टर्ब ही करेंगे। मोहम्मद तुगलक जब दिल्ली में राजधानी थी तो उसको किसी ने सलाह दे दी कि आप हैदराबाद में राजधानी ले जाइए, वहां का वातावरण बढ़िया है। अब ऐसे सलाहकारों से आप चलते हो तो हमको तो कुछ कहना नहीं है। फिर कुछ दिन बाद जब लोग मरने लगे, सेना में भगदड़ मच गयी कि हमको कहां ले आये, हमको तो यहां का वातावरण सूट नहीं करता है फिर उनको वापस दिल्ली आना पड़ा। हमारे यहां कोटा और उदयपुर गायें चराने के लिए जाते हैं तो उनको जाते ही वहां का पानी लग जाता है और फिर उनको वापस लाना पड़ता है।

इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि आप साइंटिफिक इक्कीसवीं सदी में जा रहे हो और आप ये बातें कह रहे हो हम डी-सेंट्रलाइजेशन करके व्यवस्था सुधार लेंगे। आज तो एक जगह बैठे-बैठे आदमी पूरी दुनिया पर निगाह रखता है, अमरीका के पास ऐसा कम्प्यूटर है कि कौनसे देश का शासक कहां पेशाब कर रहा है उसकी भी नजर रखता है। आपके बोर्ड में आपके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, एस.टी.डी. है, लेकिन सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद आप इस तरह की बातें करके हमारे स्टेट के साथ, अजमेर-मेरवाड़ा स्टेट को आपने मिलाया, उस टाइम के लोगों ने बड़े कमिटमेंट किये और आपकी पार्टी में आपने चर्चा की नहीं, आपको पता नहीं है क्या कमिटमेंट उस टाइम में हुए। आप कह रहे हैं गुलाब चंदजी कटारिया बी.जे. पी. की तरफ से बोल रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपकी पार्टी में यह चर्चा कर ली कि जब तक आप राज में रहेंगे हमको अजमेर का नाश ही करना है। इस बात की चर्चा कर ली है तो जवाब दे दीजिए आप।

इसलिए मेरा निवेदन यह है कि दफ्तर वहां खोलने से काम नहीं होगा, जब तक आप कर्मचारियों की निष्ठा परिवर्तित नहीं करेंगे, राज के साथ निष्ठा नहीं होगी, काम करने का करेक्टर नहीं होगा तब तक आप व्यवस्था नहीं सुधार सकते और राजकीय कर्मचारी तो इंतजार कर रहे हैं आपका, क्योंकि आपसे कोई भी खुश नहीं है क्योंकि यह बैठे-बैठे ऐसी सलाह दे देंगे कि यह डूबें फटाफट। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मैं आपको सही सलाह दे रहा हूं। एक सलाह तो यह दे रहा हूं कि जो कमिटमेंट अजमेर मेरवाड़ा स्टेट के साथ आज के बहुत वर्षों पहले 1956 में, आप और हम उस समय राजनीति में नहीं, पैदा ही हुए थे, उस टाइम किया हुआ है। यह आज का नहीं है इसलिए उस कमिटमेंट को तोड़ने का आपको राइट नहीं है। अगर आप ऐसा कर दें और आपकी पार्टी में चर्चा कर ली है तो इसका खुलासा कर दीजिये।

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री सांवर लाल : और दूसरा यह है कि आप ऐसा करके इस शिक्षा की व्यवस्था

(श्री सांवर लाल)

में कोई सुधार नहीं करोगे। आप क्या करोगे यह तो बता दो कि यहां पर आपको यह-यह तकलीफ हुई है इस वजह से आपने यह किया। आपने कहां-कहां पर कमियां देखी, रिवेल्ववेशन आप करवाते नहीं, बोर्ड में रिटोटलिंग होती है, परीक्षाएं आपकी समय पर हो रही हैं, पेपर आपके प्रेसों में छपते हैं, कोई दिल्ली में छप रहा है, कोई कहां छप रहा है। अब आप हर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर पेपर छपवाओगे क्या ? आपके पेपर पुलिस थानों में रहते हैं। आप कौन सी व्यवस्था वहां पर कर्मचारियों को भेजकर कर दोगे, जरा हमको भी बता दो, हमने भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, कॉलेजेज में पढ़ाया, मंत्री महोदय आप बहुत बुद्धिमान हैं इसके लिए हम आपकी तारीफ करते हैं परन्तु आप जितने हैं उससे दूसरों की थोड़ी बहुत तो सुन लिया करो और ऐसा कानून तो मत बनाओ जिससे कोई सुधार नहीं होगा, खर्च बढ़ेगा और किसी जिले के साथ क्यों अन्याय कर रहे हो, कल जाएंगे हमारे कांग्रेस के सात माननीय सदस्य हैं, हम तो दो हैं।

श्री सभापति : नहीं, भरतपुर है इसमें, भरतपुर के जाएंगे।

श्री सांवर लाल : हम तो कह देंगे हम लड़ाई लड़ रहे हैं पर उनको मुंह दिखाना भारी पड़ जाएगा इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इसको पास मत कराओ। हमारा यही निवेदन है। इससे कोई सुधार होना जाना नहीं है फिर वापस आप इसको ड्राप करोगे, मैं आपको कह रहा हूं।

श्री सभापति : बिराजिये। मंत्री महोदय।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैं कोई नये तथ्य नहीं रखना चाहता लेकिन क्योंकि माननीय सदस्य ने दो तीन बातें कहीं हैं, उन पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य हमारे प्रोफेसर हैं और उन्होंने कहा कि मैं यह चीजें नहीं कर रहा हूं तो मैं उनकी जानकारी में यह ला देना चाहता हूं कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के भी अलग-अलग जगह सेंटर हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश यहां पर जितने विद्वान आदमी थे उससे और कोई बड़ा विद्वान मुझे आज पहली बार मिला है तो मैं समझता हूं कि उस विद्वता का उपयोग लेकर जो कुछ भी करना है वह करने की मैं कोशिश करूंगा।

लेकिन मैं माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि बोर्ड का अध्यक्ष आपने कैसे बना दिया। वह खुद मंत्री रहे हैं, बोर्ड के अध्यक्ष का जो नोमीनेशन है उसमें लिख रखा है, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बोर्ड का अध्यक्ष, एक ऐसी समिति द्वारा सिफारिश किये गये तीन व्यक्तियों के पैनल में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा जिसमें बोर्ड द्वारा निर्वाचित 2 व्यक्ति और राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक व्यक्ति, बोर्ड द्वारा निर्वाचित 2 व्यक्ति, जब बोर्ड ही वहां एग्जिस्ट नहीं

(श्री सी. पी. जोशी)

कर रहा है, बोर्ड था ही नहीं, प्रशासक वहां नियुक्त था तो बोर्ड द्वारा दो निर्वासित व्यक्ति गवर्नमेंट के आदमी कैसे समानान्तर बोर्ड के लिए पैनल बना सकते हैं ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उस समय बोर्ड एग्जिस्ट कर रहा था। आप उसकी दोनों तारीख निकालें। पहले जब इनका एपाइंटमेंट किया उस दिन बोर्ड एग्जिस्ट कर रहा था।

श्री सी.पी. जोशी : बोर्ड में जो अजमेर संभाग के कमिश्नर साहब थे उनको प्रशासक पहले बना दिया गया था। प्रशासक बनने के समय ही परीक्षा हुई थी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर वह नहीं थे न तो इसमें उसका प्राविजन भी देते कि अगर बोर्ड गठित नहीं है तो क्या होगा। इसमें जो दिया है उसकी मंशा दूसरी है। यह आपको उसकी छूट नहीं है। पहले तो आप दोनों तारीखों को टेली करेंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। दूसरा, इसके कारण से यह प्राविजन मर नहीं जाते हैं, यह प्राविजन जिन्दा रहते हैं। आप पहले बोर्ड का गठन कर देते या उसके बाद आपके चेयरमैन का विधिवत् जिस प्रकार से सलेक्शन होता है, किसको एतराज हो सकता है, सरकार के पास तो सारे अधिकार हैं।

श्री सी.पी. जोशी : यह माननीय सदस्य आपका व्यू हैं, लीगली कितना सस्टैन करे, नहीं करे, वह अलग बात है। अच्छा होता कि आप मंत्री थे उस समय यह प्राविजन कर देते एट प्रजेंट जो प्राविजन है उसको राइट कह रहा हूं मैं। भविष्य में ऐसी व्यवस्था नहीं हो उसके लिए अमेंडमेंट के लिए आप मूव करो, समझ में आता है मुझे कि यदि बोर्ड सुपरशीड हो जाय, एग्जिस्ट नहीं करे तो चेयरमैन कैसे एपाइंटमेंट करे, इसकी इसमें आवश्यकता है। इस बात से तो मैं सहमत हूं लेकिन बोर्ड का जो एपाइंटमेंट आज के दिन हुआ है वह प्राविजन के अन्तर्गत बिलकुल कानून सम्मत हुआ है। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही, मैं समझता हूं कि उनको यह जानकारी है कि विकेन्द्रीकरण के बाद राजस्थान हाई कोर्ट में एक रिट पीटिशन हुई, उस रिट पिटिशन में यह भी सब बातें हैं जो आपने कहीं हैं। उसके बाद कोर्ट में भी यह जजमेंट दे दिया कि जो विकेन्द्रीकरण हुआ वह सही हुआ है। मैं समझता हूं कि उस कोर्ट के विजडम से भी ज्यादा विजडम हमारी है तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह रेवेन्यु बोर्ड के मामले में था।

श्री सी.पी. जोशी : No, not at all. I am quoting the example. आप अपने आप की जानकारी तो करेक्ट कर लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह रेवेन्यु बोर्ड के मामले में था।

श्री सी.पी. जोशी : जरा सुन लें, मैं रिपीट कर रहा हूं। बोर्ड के विकेन्द्रीकरण के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी।

श्री सांवर लाल : यह सारी जानकारी हमको है।

श्री सी. पी. जोशी : यह याचिका 25.4.2000 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ ने खारिज कर दी। यह रेवेन्यु बोर्ड के लिए नहीं है, यह बोर्ड के लिए है, आप अपने आपको करेक्ट कर लें। मैं समझता हूं कि कोर्ट के जजमेंट में फैसला करने के बाद भी यदि हमारी विजडम हमसे ज्यादा प्रिवेल करती है तो मैं समझता हूं लोकतंत्र को कैसे मजबूत करना चाहते हैं, मुझे जानकारी नहीं है।

लेकिन मैं समझता हूं कि इस इश्यु पर वहां पर डिबेट हो चुकी है। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात पूछी कि बजट में प्रोविजन, बोर्ड के बजट में आलरेडी प्राविजन है, प्रोविजन है 8 करोड़ समथिंग का, जो मैंने आपको बताया, एस्टेब्लिशमेंट के नाम पर जो उसमें एम्प्लाई काम करते हैं, एक करोड़ 15 लाख का भवन बनाने के नाम पर उसमें प्रोविजन है और एक करोड़ रुपये का यह जो अल्पाहार का ले रहे थे यह भी उसमें प्रोविजन है तो कोई भी नया प्राविजन हम नहीं कर रहे हैं, यह प्रोविजन आलरेडी बोर्ड के अन्दर एग्जिस्ट कर रहे हैं। जहां तक भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कर्मचारियों के बारे में बता दो, भर्ती करोगे या ट्रांसफर करोगे ?

श्री सी.पी. जोशी : मैं समझता हूं बड़ी सादड़ी के माननीय सदस्य ने जो बात कही उसको आपने ध्यान से सुना होता कि बोर्ड के जो कर्मचारी हैं, वह 750 कर्मचारी हैं, उन 750 कर्मचारियों को हमने यह संभाग और जिले जिनमें हमने नये केन्द्र खोले हैं उनमें इस तरह से वहां पर पोस्टिंग करने के आदेश दिये हैं। संभाग में जिला शिक्षा विभाग का अधिकारी, उप निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक बोर्ड के कर्मचारी; सहायक निदेशक–एक, अनुभाग अधिकारी, प्रवर सहायक, सहायक (प्रथम), सहायक (द्वितीय), कम्प्यूटर प्रोग्राम आपरेटर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दो, कुल 11 आदमी तो काम करेंगे संभाग कार्यालय में और 7 करेंगे जिला कार्यालय में। 750 आदमी जो वहां पर कार्यरत हैं, उन कार्यरत कर्मचारियों को वहां पर अलग-अलग संभाग में भेजने के बाद यदि इनकी आवयश्कता नहीं होगी तो उन लोगों को हम अधिशेष डिक्लेयर करके जो व्यवस्था कानून में है वह व्यवस्था करेंगे इसलिए कहां आवश्यकता पड़ रही है। आप तो स्वयं कर रहे हैं कि 750 कर्मचारी हैं उन पर इतना खर्चा हो रहा है, उस खर्चे का जुडिशियस उपयोग हो सके। उससे बहुत ठीक ढंग से काम कर सकें, बोर्ड एक स्वायत्तशासी निकाय है।

मैं समझता हूं कि बोर्ड की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इससे ज्यादा और कोई तरीका नहीं हो सकता और आपके दिमाग

(श्री सी. पी. जोशी)

में कोई तरीका हो तो आप बता दें कि किस तरीके को लेकर हम काम करते हैं। इसलिए माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो बात कहीं और फिर मैं दुबारा रिपीट करना चाहता हूं कि बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कही, मैं इस बात से सहमत हूं कि आपका और हमारा सब का कर्त्तव्य है बोर्ड अपना जो उद्देश्य है उनकी प्राप्ति करने के लिए उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो कुछ भी किया जाना चाहिए उसे किये जाने के लिए, हम आपसे भी चर्चा करेंगे और आपके जो व्यावहारिक सुझाव हैं उनको इनकारपोरेट करके यदि बोर्ड की हम एफिशिएंसी को बढ़ाने में जितना काम कर सकते हैं, वह ईमानदारी से करके हम बोर्ड की इसकी जो अपनी रेप्युटेशन है हिन्दुस्तान में, उसको बनाये रखने में ईमानदारी से काम करेंगे जिससे राजस्थान के लोग इस बोर्ड की परीक्षा से पास होने के बाद आगे कह सकें कि जो हमारी परीक्षा पद्धति में काम करने का तरीका था, उसका लाभ छात्रों को मिल सके, अभिभावकों को मिल सके, यह हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे। इसलिए माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह जो अमेंडमेंट है इसको पास करो।

विधेयक का पारण

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 को पारित किया गया।

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-13). श्री सी.पी. जोशी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान पंचायती राज विधेयक, 2000

श्री सी.पी. जोशी (पंचायती राज मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-13) को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़।

विधेयक जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, पंचायती राज अधिनियम, 1994 में माननीय मंत्री महोदय व्यापक संशोधन लेकर आये हैं। उद्देश्य, कथन और कारण पढ़ने में सुन्दर लगते हैं परन्तु इन सब के पीछे जो इनकी मंशा छुपी है, जो इनकी इच्छा छुपी है वह मुझे साफ नजर नहीं आती। सभापति महोदय, कुछ संशोधन तो सरकार मजबूरी में लेकर आयी है और कुछ संशोधन विकेन्द्रीकरण के नाम पर ढिंढोरा पीटने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वाली यह सरकार शक्तियों को केन्द्रित करने के नाम पर लेकर आयी है। सभापति महोदय, आप भली भांति जानते हैं कि संविधान के अन्दर 73वें और 74वें संशोधन के पश्चात् पंचायती राज अधिनियम का एक तरह से नया स्वरूप हमारे सामने आया। उस स्वरूप के अन्तर्गत भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, उस सरकार

(15.00 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

ने इस राजस्थान में पहली बार एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के वह लोग जो पंचायत राज संस्थाओं के चुनावों में तो भाग लेते थे परन्तु इन संस्थाओं में निर्वाचित स्थानों पर बहुत कम संख्या में पहुंचते थे। सरपंच हो, प्रधान हो, प्रमुख हो, इन पदों पर बैठना उनकी कल्पना के बाहर की बात थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन पिछड़े हुए वर्गों का, जो शोषित और दलित रहे हैं...

श्री हीरालाल विश्नोई : भारतीय जनता पार्टी ने किया था ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : निश्चित तौर पर यह संशोधन हुआ था माननीय सदस्य, पर इसको लागू जिस वक्त किया गया, जिस मन्शा से लागू किया गया, जिस इच्छाशक्ति के साथ लागू किया गया, वह और कोई नहीं थी, वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी।

श्री हीरालाल विश्नोई : जो राज्य सभा में गिराया था वह भी भारतीय जनता पार्टी ही थी। जो संशोधन भारतीय जनता पार्टी ने गिराया था भारत सरकार का, उस टाइम पर वो ही भारतीय जनता पार्टी थी या दूसरी थी ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : विराजो आप। आपको क्या पता, माननीय सदस्य, गरीबी क्या है, एस.सी. क्या है, एस.टी. क्या है। हम जानते हैं अच्छी तरह से। इस दर्द को समझते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस पंचायती राज अधिनियम में धारा 15(3), 16(3) और 16(4) में सरकार संशोधन लेकर आयी है कि जो पिछड़ा वर्ग है जिनको पहले आरक्षण 15 प्रतिशत था उस आरक्षण को बढ़ाकर 21 प्रतिशत कर दिया जाए। अब इन वर्गों के साथ आपका किस तरह व्यवहार है ? इन वर्गों को आरक्षण देने के बारे में आपकी नीति क्या है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। राजस्थान के अन्दर चाहे जाट हो, कायमखानी हो, विश्नोई हो, इन सब को आरक्षण भारत सरकार ने दिया और जब उन्होंने प्रचंड आंदोलन किया...

श्री हीरालाल विश्नोई : ......मेवों को राज्य सरकार ने दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलने दो इनको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम पर...

श्री हीरालाल विश्नोई : जो सही है वह बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी तारीफ करेंगे क्या ये ? इंतजार करो, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जब राजस्थान की धरती पर ऐसा शानदार आंदोलन हुआ, सरकार की चूलें हिलने लग गयीं और जब बार-बार मुख्य मंत्रीजी ने एलान किया कि हम जाटों को आरक्षण देना चाहते हैं, हम बिश्नोइयों को आरक्षण देना चाहते हैं परन्तु उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस आरक्षण के सन्दर्भ में आपकी क्या नीति है, मंत्री महोदय यह किसी से छिपी हुई नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस पंचायती राज संशोधन में खण्ड 13 के जरिये धारा 12 जो मूल अधिनियम की है, उसमें एक परंतुक लगा हुआ है उस परंतुक को हटाना चाहती है। मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि वह परंतुक क्या है। इसके अन्दर प्रावधान है कि ग्राम पंचायत के अन्दर तीन हजार की जनसंख्या होगी तो उसके अन्दर 9 वार्ड होंगे। अगर तीन हजार से ज्यादा की संख्या है तो प्रत्येक एक हजार से अधिक पर दो अतिरिक्त वार्डों का गठन किया जाएगा। अब उस परंतुक को हटाना चाहते हैं। सरकार वह शक्ति लेना चाहती है कि यह चाहे जितने जिस ग्राम पंचायत में वार्ड बना दे, पंचायत समिति में चाहे जितने वार्ड बना दे, जनसंख्या का अनुपात रखे या नहीं रखे। मैं समझता हूं कि सरकार सोचती है कि जहां असुविधा होगी, जहां अपने किसी व्यक्ति को लाभ देना चाहेंगे, कहीं चाहेंगे कि तोड़-मरोड़ कर वार्ड छोटा बना दो, पंचायत समिति की जो इलेक्टोरल बाडी है वह छोटी बना दो तो वह तो बना देंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय, जो आप संशोधन लेकर आये हो, यह संशोधन पूर्णतया अव्यावहारिक है, अप्रजातांत्रिक है और शक्ति को केन्द्रित करने वाला है।

अब मंत्री महोदय, आप खण्ड-19 का अवलोकन फरमायें।

श्री सी.पी. जोशी : इससे पहले कौनसा खण्ड पढ़े हो ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इससे पहले यह खण्ड-13 निवेदन किया है। खण्ड-13 में जो संशोधन करके धारा 12 का जो परंतुक हटा रहे हैं उसके बारे में मैंने निवेदन किया है जिसमें आप मनमानी इच्छा से वार्डों का गठन करना चाहते हैं। मूल अधिनियम के अन्दर एक व्यवस्था थी कि कितनी जनसंख्या पर कितने वार्ड का गठन हो।

अब मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि आप खण्ड-19 में एक संशोधन लेकर 18 (ग) जोड़ना चाहते हैं और आपने बड़ा अच्छा उस पर लिखा है— मत का अधिकार। अब यह मत का अधिकार है या मत से वंचित करने का अधिकार है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसके अन्दर आप जरा धारा 18 (ग) के 5 का अवलोकन करें। आप संशोधन लेकर आ रहे हैं कि— "कोई भी व्यक्ति, यदि वह चाहे किसी दंडादेश के अधीन या अन्यथा किसी जेल में परिरुद्ध हो या पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में हो,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इस अधिनियम के अधीन किसी भी निर्वाचन में मत नहीं देगा।" उपाध्यक्ष महोदय, किस तरह का अधिकार लेना चाहते हैं ? चुनाव से पहले सरकार चाहे किसी को 107 में बंद कराये, 151 में बंद कराये, 116 में बंद कराये, चूंकि पुलिस की अभिरक्षा में है इसलिए उसको मत देने का अधिकार नहीं है। यह इस तरह का प्रोविजन सरकार करना चाहती है। मैं समझता हूं, मंत्री महोदय कि इस राजस्थान के अन्दर पुलिस राज के जरिये आप चाहते हैं कि आपका वर्चस्व कायम रहे, परंतु आपकी मन्शा सामने आ रही है। क्या अर्थ है इस तरह संशोधन को लाने का, यह मेरी समझ के बाहर है।

अब आप खण्ड-20 का अवलोकन करें। खण्ड-20 के अन्दर आप 19 (क) धारा में एक नयी धारा छ छ जोड़ना चाहते हैं। वह छ छ धारा क्या है ? उसके अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे व्यक्ति जिनके विरुद्ध ऐसे किसी अपराध के लिए जिसमें पांच साल या अधिक की सजा का प्रावधान है, एवं न्यायालय द्वारा आरोप सुना दिया गया है, वह चुनाव लड़ने के अयोग्य माना जाना है। साथ ही स्थानीय प्राधिकार जैसे विश्वविद्यालय, सहकारी समिति के अधीन कार्यरत व्यक्ति भी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होंगे। यह विश्वद्यिालय और इन लोगों के अधिकार तो छीनें, कोई बात नहीं, मैं इसमें समझता नहीं, परन्तु आप चाहते क्या हैं कि कोई व्यक्ति जिसका कोर्ट में चालान पेश हो गया, अब मंत्री महोदय, सरकार आपके पास है, आपने आई.पी.सी. पढ़ी है, बहुत सी ऐसी धाराएं हैं जिन धाराओं को आप किसी भी व्यक्ति पर लगा सकते हैं। कोई व्यक्ति प्रजातांत्रिक तरीके से आन्दोलन कर रहा है, किसी अधिकारी से मिलने जा रहा है, अधिकारी ने एफ.आई.आर दर्ज करा दी सरकारी सम्पत्ति को नुकसान कर दिया और उसमें मुकदमा दर्ज हो गया और आपके इशारे पर, किसी भी राजनेता के इशारे पर चालान पेश हो जाता है, वह दोषी है या नहीं, इसका फैसला तो न्यायालय करेगा, परन्तु न्यायालय से पहले आपने अधिकार ले लिया कि आप ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार कर देंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आप इस सदन के वरिष्ठ सदस्य रहे हैं, आपने इस सदन के अन्दर कई सरकारों को आते और जाते हुए देखा है, आपको याद होगा कि एक बार वह समय आया था जब लोकशाही पर तानाशाही हावी हुई थी। इस हिन्दुस्तान के अन्दर एक बार आपातकाल लगा था। किस-किस धारा में किस-किस तरह के राजनेताओं को, जिन्होंने बाद में इस देश का शासनतंत्र संभाला, राजस्थान के मुख्य मंत्री तक रहे, ये 18-18 महीने तक जेल में रहे। किस-किस तरह की धारा लगायी थी। अगर वह धारा लगा दी और उस हिसाब से तो आज जिसके हाथ में शासन है, मैं निवेदन करना चाहूंगा, यहा शैलेन्द्र जी जोशी जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता विराजमान हैं, राजस्थान के उच्च न्यायालय में जब आप खड़े होते हैं तो लोग कहते हैं कि आप अच्छी वकालत करने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वाले व्यक्ति हैं। आप आत्मा पर हाथ रखकर कहें कि कितने ऐसे मामलों के अन्दर आपने पैरवी की होगी और आपने जिसकी पैरवी की वह एक्वीटल हुआ होगा, उसके विरुद्ध कोई दोष प्रमाणित नहीं हुआ होगा। परन्तु चूंकि आपको तो लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर चोट करनी है, आपकी तो इच्छा एक ही है कि इस कानून के जरिये अधिकार ले लें कि जिसको चाहे वह चुनाव लड़े, जिसको चाहे वह चुनाव नहीं लड़े। सरकार आपके हाथ में है।

मैं समझता हूं, मंत्री महोदय, यह सरकार तो आती और जाती रहती है परन्तु यह निरंकुश शक्ति इस संशोधन के माध्यम से आप लेने जा रहे हैं इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मात्र चालान के नाम पर, अगर सजा की बात आप रखते तो मैं समझता हूं, मंत्री महोदय, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में बना है, उस अधिनियम के तहत आप और हम चुनाव लड़कर आते हैं, एम.एल.ए. के चुनाव में खड़े हों उसके लिए प्रोविजन लागू नहीं, एम.पी. चुनाव में खड़ा हो उसके लिए यह प्रोविजन लागू नहीं है परन्तु गांव का व्यक्ति, गांव की चौपाल पर बैठा हुआ किसान अगर चुनाव लड़ना चाहे, उस पर यह प्रोविजन लागू कर दिया। मैं समझता हूं कि यह बिलकुल गलत है और आपको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप खण्ड-25 के अन्दर संशोधन लेकर आये हैं। 25 (क) धारा में आप एक परंतुक जोड़ रहे हैं। अब किस तरह की मन्शा इस सरकार की है, यह मेरी समझ के बाहर की बात है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : राठौड़ साहब, मैं आपको डिस्टर्ब तो करना नहीं चाहता परन्तु क्योंकि आपने इमरजेंसी पर टिप्पणी की है, उस समय आपकी पार्टियों ने स्थिति इतनी खसब कर दी थी कि....आवश्यकता थी इमरजेंसी लगाने की, इसलिए लगी। और इसलिए कुछ लोग डिजर्विडली या अनडिजर्विडली जो गये 18 महीनों के लिए, उसको आप इससे क्यों जोड़ रहे हैं ?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उसके बाद आपकी सरकार चली गई और अब भी चली जायेगी आपकी सरकार। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : वह भी देख लेंगे, देख लेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि इस सदन में ऐसे भी वरिष्ठ सदस्य हैं जो आज भी यह चाहते हैं कि इस राजस्थान में, इस देश के अन्दर लोकतंत्र नहीं हो, यहां तानाशाही हो। खैर, आपकी प्रवृत्ति है। आपका ताल्लुकात जहां से है, आपकी वह मानसिकता है। आपने बचपन से, आप खुशनसीब हैं कि आपने जिस तरह से खानदान और घराने में जन्म लिया, वहां राजशाही चली है और इसलिए आपकी मनोवृत्ति, अब इस समय इस लोकतंत्र में नहीं हो सकती।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। मेरी तरफ देखिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इसीलिए कर्नल साहब से आपके सम्बन्ध थे। मेरे स्वर्गीय पिताजी से सम्बन्ध थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उनसे मेरे सम्बन्ध थे परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां कहावत है कि किसान ने ईख का बीज डाला और कई बार आग निकल जाती है। इसलिए, कई बार मीठी चीज के अन्दर भी खारी चीज आ जाती है। कर्नल साहब का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। उनके जैसे विचार और मैं समझता हूं भाटी साहब, आपको भी उन पदचिन्हों पर चलना चाहिए और आप नहीं चलें तो आपके सुपुत्र, वह भी बड़े लायक और होशियार हैं, उनको तो उन पदचिन्हों पर, जो पूर्वज बता गये थे, उनके दादाजी बताकर गये हैं....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं बिचौलिया ही खराब हूं ना। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि खण्ड (25) में संशोधन लेकर आये हैं। मैं जरा आपकी आज्ञा से पढ़कर सुना रहा हूं। यह परन्तुक जोड़ना चाहते हैं। मंत्री महोदय, आप जरा थोड़ा सा मुलाहिजा फरमायेंगे ? "परन्तु किसी ऐसे अध्यक्ष, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों या महिलाओं के लिए आरक्षित किसी पद पर निर्वाचित किया गया हो, का पदभार.... यह मेरा एतराज है और हमारे प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने इसके लिए अमेंडमेंट भी मूव किया है। वह शब्द है "सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार, ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, उक्त जातियों, जनजातियों वर्गों के किसी सदस्य या, यथा स्थिति, किसी महिला सदस्य को, यदि कोई हो, सौंपा जायेगा और जहां उक्त जातियों, जनजातियों, वर्गों का ऐसा सदस्य या महिला सदस्य नहीं है जिसे यथा पूर्वाक्त भार सौंपा जा सके वहां भार, ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, किसी भी अन्य सदस्य, जो पूर्वोक्त श्रेणियों से संबंधित नहीं है, को सौंपा जा सकेगा।" अब मंशा क्या है उपाध्यक्ष महोदय ? अब कहना तो यह चाहते हैं कि कोई भी चेयर परसन एस. सी., एस. टी. का चुना गया और वह उस अधिनियम में जो अयोग्यता है, अधिनियम में सैक्शन (19) के अन्दर आपने डिस्क्वालिफिकेशन की बात कही है और वह किसी भी कारण से पद जब रिक्त कर देता है तो यह कहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, अगर उसी वर्ग का कोई व्यक्ति हो तो वह उस चेयर परसन की कुर्सी पर बैठेगा। परन्तु अगर उसी श्रेणी का कोई व्यक्ति नहीं हो तो उसके बाद इन्होंने, सक्षम अधिकारी में नीति निहित की है, मतलब सारे अधिकार आप ले लो मंत्रीजी, एस. सी., एस. टी. की जगह पर कौन आदमी चेयर परसन बने, वह अधिकार आप सरकार को सौंपना चाहते हैं, आप अपने अधिकार में ले रहे हैं। आप क्यों नहीं अमेंडमेंट रखते ?

श्री सी. पी. जोशी : आप ढंग से नहीं पढ़े। यह नहीं है। इसमें यह है कि यदि चेयर परसन....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं-नहीं, मैंने नोट किया है।

श्री सी. पी. जोशी : काहे को इसमें रोंग है ? जो आपने बात कही है, वह सही तो बात बोले हैं। आप अपनी बात कहें, उसमें क्लाज यह है कि यदि चेयर परसन कोई एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और महिला का है, वह हट जाती है तो उसकी जगह पर उसी केटेगरी का आदमी बनेगा, यह प्रोविजन है। यह एक्ट में प्रोविजन है। कैसे बनेगा, यह रूल्स में प्रोविजन है। इसमें कहां स्पेसिफिक सम्बन्ध है ? सरकार कौनसा अधिकार ले रही है। सरकार कह रही है कि ऐसा करेंगे। आप खुद विद्वान हैं और विद्वान हैं तो आप जानते हैं....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री सी. पी. जोशी : एक्ट में प्रोविजन रखते हैं, वह रूल्स में प्रोविजन नहीं रखते हैं। आपको तो धन्यवाद देना चाहिए कि यह कांग्रेस पार्टी का कमिटमेंट है गरीब आदमी के प्रति। आपने नहीं सोचा था कि एस.सी. का आदमी हटेगा तो सवर्ण बनेगा। महिला हटेगी तो यह बनेगी। हमारे मन में कमिटमेंट है कि जिस वर्ग के लोगों को हमने इम्पावरमेंट किया है, उन लोगों को हटाने के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव की साजिश होती थी, उसको डिस्करेज करने के लिए हमने यह प्रोविजन किया है कि जिस केटेगरी का आदमी हटेगा, डिस्क्वालिफाइड होगा, अविश्वास प्रस्ताव से हटेगा तो उसकी जगह रिप्लेस उसी केटेगरी का आदमी करेगा, यह हमारा कमिटमेंट है और आपका कमिटमेंट नहीं है इसलिए आप इस बात का क्या विरोध करेंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मंत्रीजी....

श्री उपाध्यक्ष : इसमें क्या आपत्ति है ? क्या आपत्ति है बोलो ना।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं नहीं, आपत्ति नहीं है। नहीं नहीं, यह नहीं है। आपत्ति मैं बताता हूं....

श्री सी. पी. जोशी : आपकी आपत्ति यह है कि यह क्यों कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप क्लियर करो ना। हां, आप आपत्ति बताओ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : .... आपत्ति यह है कि यदि कोई पोस्ट खाली हो जाती है पंच की, सरपंच की, तो आप क्या करेंगे ? उस पद पर वही व्यक्ति आएगा, आना वही चाहिए जिसका वह पद है, जिसके लिए रिजर्वेशन है। अब आप करेंगे कि आप यह तो करेंगे कि कौन बैठेगा उस पद पर ? (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : It should be clear. We will not decide it. This is the provision...

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट सुन लो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : Let me say. यदि वहां चुने हुए लोग हैं उन पर यह पाबंदी है कि इस सीट पर वही आएगा जो इस पद के लिए रिजर्वेशन का पद है, वही आ जाये, वह तो ठीक है पर आपने यह काम खुद ने ले लिया कि जो काम्पीटेंट

(श्री भंवरलाल शर्मा)

अधिकारी है, वह तय करेगा कि कौन चेयरमैन बनेगा ? यह किया है आपने और अगर यह नहीं है तो बता दो।

श्री सी. पी. जोशी : You are a Learned Lawyer.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : That is why I am saying.

श्री सी. पी. जोशी : Let me clear यह एक्ट में प्रोविजन किया है, रूल्स में किस प्रकार से किया जायेगा, जिसमें एक प्रपोजल आप कर रहे हैं कि उन्हीं लोगों को अधिकार दिया जाये। जो प्रोविजन है, वह रूल्स में करने के हैं, एक्ट में थोड़े ही होते हैं। मैं समझता हूं कि आप इतने काम्पीटेंट एडवोकेट हैं, can it be a part of the Act ? These are the parts of the rules. We will consider all these things.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, शायद आप इतने...

श्री शिवनाथ सिंह : राठौड़ साहब, एक मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एतराज आया है, यह सही परिप्रेक्ष्य में नहीं है। सरकार के पास सक्षम अधिकारी के माध्यम से जो चुना जाता है, उस सूरत में ही होगा, जब कि उस श्रेणी का व्यक्ति उस समय हो ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : यह संभव नहीं है। यह कैसे संभव है ?

श्री सी. पी. जोशी : Not at all. Not at all. यहीं नहीं, यह नहीं है। उसमें आपका कंटेंशन यह है कि यदि चार आदमी एस. सी. के मेम्बर हैं और एस.सी. के चेयर परसन की पोस्ट खाली हो गई तो चार में से कौन बनेगा, यह प्रोविजन हमने लिया है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, यह है। इस पर एतराज है।

श्री सी. पी. जोशी : आप सुनिये। यह एक्ट में प्रोविजन है। एक्ट में हमने यह प्रोविजन किया है कि जब एस. सी. की या जो उस वर्ग की पोस्ट खाली होगी, उस वर्ग के उसी आदमी को नोमिनेट करने का काम सक्षम अधिकारी करेगा। आर्डर तो वही निकालेगा। अब वह आर्डर निकालने के लिए, जैसा हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आप यह भी सोच सकते हैं कि आपको करना चाहिए कि उन्हीं लोगों को चुनकर चार में से किस आदमी को करें these are the provisions to be made in rules यह एक्ट के पार्ट नहीं हो सकते।

मैं समझता हूं, आप खुद इसमें इतने काम्पीटेंट और सीनियर मिनिस्टर रहे हैं, जो कानून बनेगा, उस कानून के अन्तर्गत एक्ट में प्रोविजन हम करेंगे और एक्ट के करेसपोंडिंग रूल्स बनना है तो रूल्स में क्या प्रोविजन करेंगे, उस रूल्स में प्रोविजन के समय हम यह सोचेंगे, काहे को इसमें लिंक कर रहे हों इन चीजों को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अगर एक्ट की भावना के खिलाफ रूल्स बन सकते हैं और

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एक नई अवधारणा सी. पी. जोशी साहब, आप दे रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री सी. पी. जोशी : I don't want to enter into arguments. But I wish, विपक्ष के नेता महोदय, मुझे क्लियर करेंगे। मैंने भी एलएल. बी. कर रखी है, I understand it.

एक्ट में जो प्रोविजन करना है, एक्ट के प्रोविजन में यह बहुत साफ किया है कि जिस केटेगरी का आदमी वहां से हटेगा, उस केटेगरी के आदमी को नोमिनेट करने का काम सक्षम अधिकारी करेगा। कैसे करेगा, इसके लिए रूल्स में प्रोविजन करने का है। इसके लिए हम रूल्स बनायेंगे। रूल्स हमने नहीं बनाये हैं। यह तो एक्ट का प्रोविजन है। इसमें कहां तकलीफ आ रही है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं इसके लिए आपको धन्यवाद दूंगा। मैंने जो बात आपके ध्यान में लाया हूं, आप रूल्स में संशोधन करके इस बात को दुरुस्त करेंगे।

श्री सी. पी. जोशी : रूल्स में प्रोविजन ही नहीं है। रूल्स तो अभी बनाने हैं। रूल्स कहां बने हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रूल्स बने ही कहां हैं, संशोधन किसका करेंगे ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा निवेदन सुनिये सी. पी. साहब। कई बार क्या होता है कि आदमी जरूरत से ज्यादा ज्ञानी होता है तो उसका ज्ञान की अजीर्ण हो जाती है। हम अज्ञानी लोग हैं।

श्री सी. पी. जोशी : आप अज्ञानी नहीं हैं। आप ज्यादा ज्ञानी बनने के चक्कर में गलत आर्गुमेंट कर रहे हैं, बाकी मैं नहीं कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं आपके ज्ञान का सानी नहीं हूं परन्तु मंत्री महोदय, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से, हो सकता है मैं गलत हूं, पर मेरी बात को पूरी सुन लें। आप तो इस तरह से नाराज हो रहे हैं जिस तरह कि....

श्री सी. पी. जोशी : मैं खाली आपको करेक्ट करने के लिए, मैं नाराज नहीं हो रहा हूं। आपको खाली करेक्ट करने के लिए कि आप जो आर्गुमेंट कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता है ही नहीं, इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, बाकी आप अपनी बात कहें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन यह कर रहा था कि आप संशोधन लेकर आये। एस. सी. का कोई आदमी जिला प्रमुख है और उसने त्याग पत्र दे दिया या वह डिस्क्वालिफाइड हो गया, उसकी जगह आप दूसरा उसी जिला परिषद के सदस्यों में से जो एस. सी. हैं, उन्हीं को कहते हैं, वही जिला प्रमुख बन सकता है। पर कई बार ऐसा होता है जिस तरह ओ. बी. सी. की महिला रिजर्वेशन है, ओ.बी.सी. महिला की सीट भी एक है, वह डिस्क्वालिफाई हो गई, दूसरा कोई व्यक्ति उपलब्ध ही नहीं है,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

तब आप किस व्यक्ति को चेयर परसन बनायेंगे ? मेरा सवाल उस बात पर था कि इस संशोधन के जरिये, मुझे यह लगा कि उसके पश्चात आप सरकार के पास में शक्ति दे रहे हैं और वह सरकार चाहे जिसको उसमें से चेयरमैन बनाये और हमारा यह संशोधन था कि जो इलेक्टेड लोग हैं, वह इस बात को तय करें चाहे वह चुनाव के जरिये करे कि वह कौन आदमी, अगर वहां पर उस केटेगरी का आदमी उपलब्ध नहीं हो तो कौन आदमी चेयर परसन बनेगा ?

मेरा मन्तव्य यही था और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर जब आप रूल्स बनायेंगे, तब आप कोई न कोई इसमें करेंगे। अब एक्ट में, यह मेरी समझ में नहीं आया कि एक्ट की मंशा के खिलाफ रूल्स बन जाये। माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, क्या पता, यह नई सरकार है, ज्ञानवान मंत्री हैं, बना सकते हैं, 155 जीतकर आये हैं....

श्री सी. पी. जोशी : फिर कोर्ट क्या करेगी ? हम कर लेंगे तो कोर्ट में तो बैठे हुए हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह जो लिखा हुआ है आप उसको क्लियर कर दीजिये कि कानून बना रहे हैं, इसमें कोई बहस की बात नहीं है। यदि ठीक है तो हम मान लेंगे, बाकी आप यह सुन तो लें कम से कम। आपने प्रोवीजो जोड़ा है–

"Provided that charge of office of any chairperson who was elected to an office reserved for the persons belonging to Scheduled Castes of the Scheduled Tribes or the Backward Classes or for women, shall be handed over as per directions of Competent Authority...."

यानि काम्पीटेंट अथारिटी डाइरेक्शन देगा कि इस सीट पर यह बैठेगा। जब आपकी चुनी हुई संस्था है तो यह उन पर ही छोड़ दीजिये न। वह अपने आप जिसको चाहेगी, बना देगी। यह काम्पीटेंट अथारिटी लाकर के डाइरेक्शन दिया आपने, इसका विरोध है। (व्यवधान) फिर पढ़ देता हूं।

श्री सी.पी. जोशी : कोई आदमी अपाइंटमेंट का आर्डर तो निकालेगा, कौन डाइरेक्शन देगा। It cannot be in the vacuum. Somebody will have to give directions. अब इसमें कहां तकलीफ है।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं–नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : ऐसे थोड़े हट जायेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : म्यूनिसिपल एक्ट में क्या है। म्यूनिसपल एक्ट में यह है कि अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष आ जायेगा, दोनों ही नहीं हैं तो जो लोग बचे हुए हैं, वह चुन कर किसी को रख देते हैं वहां।

श्री सी.पी. जोशी : यह स्थिति नहीं है तभी तो प्रोब्लम है। जो अध्यक्ष बना हुआ है जिस केटेगरी का, उसकी केटेगरी का उपाध्यक्ष, उप सरपंच नहीं है...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, मान लो, नहीं है।

श्री सी.पी. जोशी : उप प्रमुख नहीं है, इसलिए हमने प्रोवीजन लिया है कि उस केटेगरी का आदमी हटने के बाद सुओमोटो उप प्रधान, उप प्रमुख जो है वह चार्ज नहीं लेंगे, यही तो प्रोवीजन लाये हैं हम। आप इसको कन्फ्यूज कर रहे हैं। जिस टेंडेंसी को हम कर्ब करना चाहते थे, उस टेंडेंसी को हम करना चाहते हैं कि यदि उप प्रमुख भी है तो वह चार्ज उप प्रमुख को नहीं मिलेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मंत्री महोदय, वह आखिर नियुक्त तो उसी मण्डल में से होंगे न।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, एक मिनट। माननीय मंत्रीजी, आपको यह आशंका है कि आपकी एक शिड्यूल कास्ट अथवा ओबीसी की रिजर्व सीट पर प्रमुख या प्रधान बन गया, वह किसी कारणवश हट गया, जब आप दूसरा बनायेंगे, उसी केटेगरी का बनायेंगे, यह बात समझ में आ गई। But will it be by election or will it be by nomination?

श्री सी. पी. जोशी : I am submitting...

श्री उपाध्यक्ष : यही मतलब है।

श्री सी.पी. जोशी : Yes, Sir, I am submitting it very politely.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यही है।

श्री सी.पी. जोशी : सर, मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूं कि यह एक्ट का पार्ट नहीं हो सकता, यह रूल के अंदर जो आप कह रहे हैं उसमें प्रकाशन रखने के सम्बन्ध में आप ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। But it cannot be part of the Act. आप जो फरमा रहे हैं उसको रूल में बनाने के सम्बन्ध में ध्यान रखा जाना चाहिए, ऐसा रूल बनना चाहिए, यह समझ में आता मुझे....

श्री उपाध्यक्ष : आप यह कह दो न रूल में यह प्रोवाइड करेंगे, बात खतम हो गई।

श्री सी.पी. जोशी : लेकिन एक्ट का पार्ट इसमें थोड़े ही हो सकता है यह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक्ट की भावनाओं के खिलाफ रूल्स में कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती।

श्री उपाध्यक्ष : एक्ट में क्लियर नहीं है न, साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्लियर कह रहे हैं न....

श्री उपाध्यक्ष : एक्ट में कहां लिखा है कि इलेक्शन होगा, नोमिनेट होगा, नोमिनेट नहीं लिखा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एप्रोप्रिएट अथारिटी लिखा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : यह थोड़े ही लिखा है कि अथारिटी नोमिनेट करेगी, यह तो लिखा ही नहीं है। नहीं लिखा न। आप पढ़ें इसको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ऐसा है साहब, मैं दोबारा पढ़ कर दे दूं। "परन्तु किसी ऐसे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों या महिलाओं के लिए आरक्षित किसी पद पर निर्वाचित किया गया हो, का पदभार सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार ऐसी रीति से, जो विहित की जाय, उक्त जातियों, जन जातियों, वर्गों में से किसी सदस्य या यथास्थिति किसी महिला को, यदि कोई है, सौंपा जायेगा.....

श्री उपाध्यक्ष : Whatever policy is decided, उसके आधार पर होगा। रूल में यह प्रोवाइड कर देंगे, बात खतम हो गई। यह कटारिया साहब के समझ में आ गई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उक्त जातियों, जनजातियों, वर्गों के ऐसे सदस्य या महिला सदस्य नहीं हो तो ...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इलेक्टेड बाडी है तो इलेक्टेड बाडी को ही काम करने देना चाहिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक निवेदन और करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह इनके समझ में आ गया। यह बात ठीक है कि एक्ट में कर देना चाहिए।

श्री सी.पी. जोशी : आपकी भावना मैं मना नहीं कर रहा हूं लेकिन यह रूल कैसे, एक्ट का सम्बन्ध नहीं है इससे।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, ठीक है।

श्री सी.पी. जोशी : एक्ट में हमने यह प्रोवीजन किया है कि काम्पीटेंट अथारिटी है वह एक अपाइंट करेगी, कैसे अपाइंटमेंट करेगी, इस पर आपकी इच्छा है कि इलेक्शन से किया जाय, इस सम्बन्ध में रूल में प्रोवीजन करने की बात आयेगी, इसका एक्ट से सम्बन्ध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको यह शंका है कि काम्पीटेंट अथारिटी नोमिनेट कर देगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यस।

श्री उपाध्यक्ष : यह शंका वह कह रहे हैं, यह क्लियर हो गई न अब बात।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम बाई-इलेक्शन चाहते हैं। इसमें दो बातें हैं, उपाध्यक्षजी....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जो कानून में लिखा है वह जुबानी कैसे चलेगा। कानून जो लिखा है वही मानना पड़ेगा न, इच्छा चाहे कितनी ही अच्छी है, इच्छा चाहे कुछ भी हो....(व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : आपकी अज्ञानता से तो मैं अमेंडमेंट नहीं ला सकता। आपकी इग्नोरेंस का तो मैं नहीं ला सकता, आप नहीं समझ सकें कानून को, इसका तो मैं नहीं कर सकता आपको....

श्री उपाध्यक्ष : आप तो समझदार आदमी हैं, एक्ट के बाद हर चीज के रूल्स बनते हैं उसमें प्रोसेस बनाया जाता है कि इस प्रोसेस से इलेक्शन होगा। Authority is guided by those rules. इसमें क्या बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी बड़े तेज-तेज बोलकर मुझे धमका रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री सी.पी. जोशी : धमका नहीं रहा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं आसन से निवेदन कर रहा हूं...

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है, सुनो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बड़ी नम्रता से कह रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप इस...

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जो प्रोवीजो मैंने पढ़ कर सुनाये, आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं क्या, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : निकाल दिया न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि यह एक्ट का पार्ट नहीं हो सकता, रूल का पार्ट है। खैर, अगर आपकी यह मंशा भी है तो कोई विशेष बात नहीं, आपको धन्यवाद कि आप देर आये, दुरूस्त आये।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, आगे चलिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी। खण्ड 32 के माध्यम से सैक्शन 38 में संशोधन कर रहे हैं और सैक्शन 38 में जो संशोधन लेकर आ रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन कितना व्यावहारिक होगा, आप जरा मुलाहिजा फरमायें। इसमें जो संशोधन लेकर आ रहे हैं वार्ड समितियों को आप स्ट्रैंथन करने के नाम पर, आप खण्ड 32 के माध्यम से जो धारा 38 में संशोधन लेकर आये हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं मंत्रीजी। उसमें यह है– परन्तु राज्य सरकार भी किसी पंच को वार्ड सभा की सिफारिश पर या सरपंच को ग्राम सभा की सिफारिश पर निलम्बित कर सकेगी किन्तु राज्य सरकार ऐसा तभी करेगी जब किसी वार्ड सभा या यथास्थिति ग्राम सभा द्वारा पारित इस आशय के किसी संकल्प को राज्य सरकार द्वारा सदस्यों की इच्छा का अंतिम अभिनिश्चय करने के लिए वार्ड सभा या यथास्थिति ग्राम सभा की विशेष बैठक आयोजित करने के लिए कलेक्टर निर्दिष्ट कर दिया जायेगा और कलेक्टर द्वारा इस प्रकार आयोजित और नाम निर्दिष्ट की अध्यक्षता वाली बैठक में उपस्थित सदस्यों, पंच यथास्थिति सरपंच का निलम्बन चाहने वाले संकल्प की उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत स्पष्ट हो।

निश्चित तौर पर, उपाध्यक्ष महोदय, इस अधिनियम के द्वारा वार्ड सभा और ग्राम सभाओं को शक्तियां दी गई, यह शक्तियां मैं समझता हूं कि मूल अधिनियम में भी हैं। हमारे समय के अंदर हमारे मुख्य मंत्रीजी ने उस वक्त कहा था कि प्रत्येक ग्राम सभा निश्चित अंतराल के बाद आहूत होगी। ग्राम सभा के अंदर सरपंच, वह सारे कार्य, जो कार्य उसके द्वारा सम्पादित किये गये हैं, उनका अनुमोदन भी देगा, ग्राम सभा के अंदर। यह पहले से प्रावधान है उपाध्यक्ष महोदय, कि ग्राम सभा के अंदर वह पूरा हिसाब प्रस्तुत करेगा। परन्तु यह नया प्रोवीजन है कि ग्राम सभा के अंदर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अगर सरपंच और पंच के खिलाफ दो-तिहाई बहुमत आ जाय तो उसको सरकार निलम्बित कर देगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आप गांव के व्यक्ति हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ज्यों ही पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव होते हैं, गांव में दो पार्टियां, तीन पार्टियां बन जाती हैं और अगर यह कानून पास कर दिया जो इस कानून की आड़ में हारा हुआ चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो, वह तो एक ही काम में लग जायेगा कि किसी न किसी तरह मैं इस पंच के खिलाफ ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करवाऊं। और जो हालत है, इस एक्ट के अंदर ग्राम सभा में कोरम भी तय कर रखा है, ग्राम सभा और वार्ड सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, यह भी तय कर रखा है, 1/10 कोरम तय कर रखा है। अब, उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो सरकार लेकर आई है, यह संशोधन अगर पारित हो गया तो गांव-गांव के अंदर जिस तरह के झगड़े पैदा हो जायेंगे, पंचायत राज संस्थाओं को अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो पंच परमेश्वर वाली बात नहीं रही, आज राजनीति घुस गई इनमें। परन्तु यह अगर प्रोवीजन पास हो गया तो मैं समझता हूं इस राजस्थान के अंदर जो थोड़ी-बहुत शांति-व्यवस्था बनी हुई है, झुन्झुनूं में जिस तरह की आग लगी है पंचायतों के चुनावों में, वह आग गावं-गांव में लग जायेगी। आप ग्राम सभाओं को शक्ति दें, आपने मंत्री महोदय, बड़े जोर-शोर से एलान कर दिया, एक निश्चित तिथि बता दी कि ग्राम सभाओं की बैठक होगी, इससे पहले भी आपने कई बार कहा था कि ग्राम सभा और वार्ड सभाओं की बैठक होगी, उसमें काम चिन्हित किये जायेंगे। ठीक है, काम चिन्हित होने चाहिए गांव के व्यक्तियों की सलाह से, सरपंच और पंच पर थोड़ा नियंत्रण भी रहना चाहिए। परन्तु कभी आपने सोचा है कि इसके परिणाम क्या निकल रहे हैं ? आज गांव-गांव के अंदर ग्राम सभा और वार्ड सभाओं में जो प्रस्ताव पारित हुए हैं विकास के काम के लिए, लोग चर्चा कर रहे हैं कि प्रस्ताव हमसे ले लिये पर प्रस्ताव के लिए प्रावधान कहां हैं, वित्तीय प्रावधान कहां हैं, उसकी कोई बात नहीं है। इसलिए थोथी बातों से कोई हल निकलने वाला नहीं है। आप भगवान के लिए, राजस्थान की बात को, इसको अच्छी तरह समझो, अब पंच परमेश्वर वाला पंचायती राज नहीं रहा है। इस पंचायती राज के अंदर आप अगर यह प्रावधान ले आयेंगे तो उपाध्यक्ष महोदय, इन वार्ड सभाओं में, ग्राम सभाओं में विकास के नाम पर चर्चा होगी नहीं और एक ही बात की चर्चा होगी कि जो जीत कर चला गया वह कुर्सी से कैसे उतरे। इसलिए इस अव्यावहारिक संशोधन को आप जो लेकर आये हैं, इसके बारे में निश्चित तौर पर आपको कोई न कोई विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटी सी बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। खण्ड 11 में एक संशोधन लेकर आये हैं, 9 (क) में नई धारा जोड़ने जा रहे हैं। अब क्या अधिकार ले रहे हैं ? आप चाहे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जिस ग्राम पंचायत का, चाहे जिस पंचायत समिति का हैडक्वार्टर चेंज कर दो, कार्यालय चेंज कर दो। आप यह अधिकार ले रहे हैं कि चाहे जिस ग्राम पंचायत का नाम बदल दें। आज आपके गांव में, बडियासर के अंदर अगर वहां ग्राम पंचायत है उपाध्यक्ष महोदय, कल उस ग्राम पंचायत को, यह वार्ड है आज, सरकार के पास अधिकार है, कल ग्राम पंचायत आपका गांव नहीं रहेगा, वह ग्राम पंचायत दूसरा गांव हो जायेगी। आज, उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारी योजनाएं बन रही हैं, अलग-अलग योजनाएं हैं, उन योजनाओं के अंदर यह रहता है कि इस बार सरकार ने यह योजना बना दी, राजस्थान की ग्राम पंचायतें सड़कों से जोड़ेंगे, राजस्थान की ग्राम पंचायतों में चिकित्सा की व्यवस्था होगी। अब हरेक के ललक रहती है कि मेरा गांव ग्राम पंचायत बन जाय, मेरा गांव ग्राम पंचायत मुख्यालय बन जाय। यह किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं आप।

श्री अमीन खान (शिव) : यह तो पहले ही प्रावधान है। 1994 में धारा 101 में प्रावधान है, राज्य सरकार की मर्जी पर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अमीन खानजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप ठेठ गांव के आदमी हो। कम से कम जिस पार्टी में हो, ठीक है पार्टी की बात ठीक है, परन्तु आपके बारे में मेरी ओपीनियन यह है कि आज तक जब भी आप बोलते हो हम बाहर रहते हैं तो भी भागकर इसलिए आपकी बात सुनते हैं कि गांव का आदमी गांव की पीड़ा बोलता है। आप इसकी व्यावहारिकता पर आवें। आप क्या समझते हो कि अगर यह संशोधन ले आये तो आपके गांव में वार्ड सभा में उसी दिन कागज तैयार होना शुरू हो जायेगा कि ग्राम सभा में प्रस्ताव दें और जो यहां पर जीत कर चला गया उसको हम आज ही हटाएं। यह व्यावहारिक बात नहीं होगी, गांवों में लट्ठ चलेंगे और झुन्झुनूं में जो बात हुई है यह बात राजस्थान के दूसरे हिस्सों में होगी। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य की जानकारी में बताना चाहता हूं कि अब यह प्रस्ताव भी आने वाला है भारत के संविधान में, राइट टू रिकॉल मैंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मैंबर ऑफ असेम्बली, यह भी आने वाला है। आप कहां इसकी बात कर रहे हैं। यह तो अच्छा है। अगर राइट टू रिकॉल पंचायतों को अधिकार दे रहे हैं तो यह बहुत बढ़िया है।

श्री उपाध्यक्ष : पार्लियामेंट और असेम्बली में तो यह मुश्किल है, बाकी मुझे पता नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी : फिर आपके लिये भी आने वाला है। पांच साल तक आप जो बैठे रहेंगे आपके बारे में लोगों के दिमागों को प्रश्न कुरेदने लग गया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यही तो जयप्रकाश नारायण ने उठाया था इसलिए जेल गये थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अधिनियम की धारा 39, 40 और 41 में यह एक संशोधन कर रहे हैं और संशोधन करने के पीछे इनका मोटिव क्या है कि जन-प्रतिनिधियों के विरुद्ध जांच कार्य शीघ्रता से निपटाने के लिए धारा 40 को विलोपित किया जाए। धारा 40 में जिला एवं सत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार को समाप्त कर दिया जाए जिससे प्रकरण लम्बे समय न्यायालय में लंबित नहीं रहेंगे और राज्य स्तर पर उसको निपटाया जाएगा। मतलब यह कानून के राज में न्यायालय का अधिकार, आज मैं चुना हुआ किसी संस्था का सदस्य हूं और मंत्रीजी मुझसे नाराज हैं। मंत्रीजी मुझे निलम्बित करना चाहते हैं परन्तु मुझे पहले प्रोटेक्ट किया था धारा 40 में वह सारा प्रोसीजर दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, आप कहें तो मैं पढ़ कर सुनाऊं जिसमें एक प्रक्रिया थी।

श्री सी.पी. जोशी : सॉरी टू इन्टरप्ट। माननीय विपक्ष के नेता सारे हिन्दुस्तान में बड़े जोर-शोर से यह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दो बच्चों का क्लॉज लेकर आयी पंचायत एक्ट में। पंचायत एक्ट में ले भी लेते हैं उस क्लॉज को सरकम्वेंट कर रखा था सैक्शन 40 के अन्तर्गत जिन पंचों के वार्ड पंचों के 2 बच्चों से ज्यादा हो जाते थे उन लोगों के केस सैक्शन 40 में कोर्ट में चले जाते थे और उनके राज में उनको डिस्क्वालिफाई नहीं कर सके थे आप। खाली यह करके लोगों से श्रेय लेकर सैक्शन 40 का प्रोविजन करके उसको विथड्रा कर लिया था। हम ईमानदारी से दो बच्चों के उस क्लॉज को लागू करना चाहते हैं उनको डिबार करना चाहते हैं इसलिए सैक्शन 40 को डिलीट किया हमने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, आप जिस सैक्शन 40 की बात कर रहे हैं मैं पढ़कर सुना दूं आपको ?

श्री सी. पी. जोशी : हां, पढ़ लिया मैंने। इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम कोई ट्यूशन होकर आवे तो बिलकुल कांपीटेंट ट्यूटर से होकर आवे कि मैं पूरी तैयारी करके आया हूं। सही आदमी ट्यूशन करके गया। हाफ हार्टेड ट्यूटर से ट्यूशन पढ़कर आएंगे तो आप हाफ हार्टेड आर्ग्यूमेंट करेंगे। सैक्शन 40 वन्स अगेन आई रिपीट इट, सैक्शन 39 जिसके अन्तर्गत दो बच्चों से ज्यादा होने पर उनको डिस्क्वालिफाई करने का प्रोविजन है, सैक्शन 40 में यह प्रोविजन करे रखा था। उसको करने के लिए कोर्ट में अपील करनी पड़ती है।

पिछले समय में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी इस क्लॉज के अन्तर्गत जिन लोगों को डिस्क्वालिफाई करने के लिए अपील कर रखी थी गवर्नमेंट ने सैक्शन 40 के अन्तर्गत करीब 12-15 सौ आदमी, जिनके दो बच्चों से ज्यादा हो गये थे लोग जान रहे थे, शिकायत कर रखी थी लेकिन सैक्शन 40 के अन्तर्गत वे डिस्क्वालिफाई नहीं हो पा रहे थे। इसलिए राजस्थान सरकार ने सैक्शन 39 को इफैक्टिवली लागू करने के लिए सैक्शन 40 को डिलीट किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यहीं तक लिमिटेड है न ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, यहां तक लिमिटेड नहीं है।

श्री सी.पी. जोशी : Yes, yes. That is why मुझे विश्वास है कि राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ पूरे ट्यूटर होकर आते सैक्शन 40 को सैक्शन 39 के रेफरेंस में डिलीट किया गया है। मैं समझता हूं आप इसको You are stretching the argument too far. Sec. 40 is relevant with Sec. 39. अब कौनसा एप्रिहेंशन है, कौनसी अपनी थिंकिंग है कि साहब सैक्शन 40 के अन्तर्गत हम कब कर रहे हैं ? Sec. 40 is relevant only with Sec. 39.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, मैं आपकी तरह विभाग का मंत्री तो हूं नहीं जो मुझे एक-एक चीज मालूम हो परन्तु जितना मैंने पढ़ा है सैक्शन 38, 39 और 40...

श्री सी.पी. जोशी : These all three are inter-linked.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा निवेदन आप सुनिये। इनमें समाप्त करने के लिए अलग-अलग आपने कारण गिनाये हैं। सैक्शन 38 में ऐसे निलम्बन के कारण है, 39 में भी निलम्बन के कारण हैं। परन्तु अगर आप इसमें देखें तो आपकी जो मंशा है दो से ज्यादा बच्चे हैं जिसके उसको डिस्क्वालिफाई करने की तो मुझे कुछ नहीं कहना परन्तु इसमें जो कारण गिनाये गये हैं वो कारण एक नहीं है इसमें कारण तो अनेक हैं। अब आप कोई भी अपनी बात थोपना चाहें, प्रचंड बहुमत आपके पास है, जोर-जोर से बोलकर थोपना चाहें तो मुझे कुछ नहीं कहना मैं तो आपको ज्ञान दे रहा हूं। प्रकाश दिखा रहा हूं कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वह रास्ता अंधे कुएं में आपको गिरायेगा, मंत्री महोदय।

श्री सी.पी. जोशी : आपने जो ज्ञान भैरोंसिंहजी को दिया है वह ही काफी है। जो माननीय नेता महोदय को दिया है वह काफी है मुझे मत दो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार किसी व्यक्ति का न्यायालय में संविधान प्रदत्त अधिकार है उससे भी उसको वंचित करना चाहते हैं। इसलिए सरकार जो यह अमेंडमेंट लेकर आयी है यह न व्यावहारिक है और न ही इनका कहीं इन पंचायत राज संस्थाओं को सुधारने का कोई मकसद है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने व्यक्तिगत तौर से भी आपसे कहा था कि आप पंचायत राज संस्थाओं को भी रूप क्या देना चाहते हैं, एक तरफ तो आपका बार-बार भाषण कि हम पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों को सशक्त करेंगे।

आपको याद होगा मंत्रीजी कि भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य ने 7 बार इस सदन के अन्दर अलग-अलग प्रस्ताव के जरिये एक सवाल खड़ा किया था कि भिनाय पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने नियम विरुद्ध हठधर्मिता से

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एक-दो नहीं 60 अध्यापकों को बदल दिया। सरकार का जवाब आया कि नियम विरुद्ध हुआ है। दुबारा जब इन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया तो जवाब आया कि विकास अधिकारी ने प्रधान से बात कर ली होगी। मौखिक बात कर ली है। कम से कम आप जिस लोकतांत्रिक पद्धति के हामी हो उसमें इस तरह से इन लोगों को स्ट्रेन्थन तो मत कीजिये। गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत तो आप जुटाइये।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह पंचायत राज अधिनियम में जो थोथे, काल्पनिक, बेबुनियाद, बिना किसी आधार पर, पंचायत राज संस्थाओं को कमजोर करने की नीयत से, गांव-गांव में झगड़ा पैदा करने की नीयत से, अपनी मनमर्जी से वार्ड बनाने की नीयत से, अपनी मनमर्जी से ग्राम पंचायत मुख्यालय खोलने की नीयत से सरकार जो यह कानून लेकर आयी है, जो विधेयक लेकर आयी है उसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सांवर लाल।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान विधान सभा की बहुत बड़ी सैंक्टिटी है और यहां पर अगर आप कोई कानून बनाते हो और उस कानून में अमेंडमेंट भी करवाने का प्रस्ताव लेकर आते हैं....

श्री रामनारायण चौधरी : आपका जनमत जानने के लिए प्रस्ताव है।

श्री सांवर लाल : एक ही बात है साहब जनमत जानना और प्रवर समिति में उसको भेजना। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि इस राजस्थान विधान सभा से कानून पास करवायें उसमें अमेंडमेंट लावें, अमेंडमेंट पास करावें और आपके 200 सदस्य जिस कार्यवाही में भाग लेकर जो कानून बनता है उस कानून की अगर पालना नहीं हो और माननीय पंचायत राज मंत्रीजी मेरे ख्याल से आपको तो यह अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी तो आदत बन गई कि जो भी आपको करवाना है, आपने अधिकारी लगा रखे हैं क्योंकि आपको जानकारी हो जाए कि फलाना कानून की पालना नहीं करता है तो उसको आप अप्रिशिएट करते हैं।

आप यह भी मानते हैं कि यह कानून नियम संगत नहीं है उसके बावजूद आप साल-साल भर उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करते हो चाहे कोई भी एक्टीविटी हो, स्थानान्तरण तो उपाध्यक्ष महोदय, एक मिसाल है उसके बाद में मंत्री महोदय ने कमिटमेंट कर लिया कि यह कानून की पालना नहीं की गई है यह नियम विरुद्ध है उसके बाद में वहां के जिला अधिकारियों ने उस स्थानान्तरण आदेश को निरस्त कर दिया, निरस्त करने के बाद ....।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर तो आप खूब बोल लिये न पहले।

श्री सांवर लाल : कुछ बतायें तो सही मंत्रीजी यहां बैठे हैं इनकी मंशा तो मालूम होने दें।

श्री उपाध्यक्ष : खूब बोल लिये दो घंटे बोल लिये आप।

श्री सांवर लाल : यह अमेंडमेंट की जरूरत क्या है मैं तो यही निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं यों नहीं कह रहा हूं मैं तो कोई अमेंडमेंट में इसमें कुछ सुझाव हैं तो बोलें।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं आया कि उस विकास अधिकारी की हिम्मत यह हो गई कि कोई भी काम के लिए कहते हैं तो कहता है कि आप विधान सभा से करवाइये आज जो विधान सभा की गरिमा रह गई है। यह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूं। और एक केवल ट्रांसफर का मामला नहीं है हर मामले में चाहे प्रशासन का मामला हो, चाहे खर्च करने का मामला हो, चाहे हड्डी ठेका देने का मामला हो हर जगह अनियमितता की है। और मंत्री महोदय, मैं इसीलिए निवेदन कर रहा हूं कि जब आप अधिकारियों से ही काम चला लें तो क्यों सदन का पैसा और सदन के सदस्यों की भावनाओं को खराब करके कानून और यह अमेंडमेंट लाकर पास करवाते हो। माननीय मंत्री महोदय आप यह बता दें, आपने जवाब नहीं दिया कि आपकी मंशा क्या है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात आने के बाद स्टेंडिंग कमेटी ने रिजोल्यूशन कर दिया, आम सभा में रिजोल्यूशन कर दिया और उसके बाद में स्थगन प्रस्ताव के जवाब में माननीय मंत्री महोदय जवाब देते हैं कि यह मौखिक अनुमति दे दी तो स्टेंडिंग कमेटी प्रधान की अध्यक्षता में होती है। उन्होंने रिजोल्यूशन कर दिया कि यह नियम विरुद्ध है इनको निरस्त करिये। उसमें आपका अगर ईगो का मामला है तो मुझे कुछ नहीं कहना। मेरा तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल यह कहना है कि आप इस पंचायत राज के माध्यम से ग्रामीण जनता का भला करना चाहते हैं। अगर अपने तानाशाही रवैये को ही लागू कर के इन अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से कोई कानून लागू करवाना चाहते हो तो यह अमेंडमेंट हाउस में लाने की मंत्री महोदय, आपको आवश्यकता नहीं थी। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह पंचायती राज अपने आप में राज है इसमें प्रधान और प्रमुख का आप चुनाव करवाते हो। अगर आप इनको अधिकार देते हो तो यह अधिकार सबको दीजिए। अगर आपका केवल यह मन है कि जो कांग्रेस पार्टी के बनेंगे उनको तो हम अधिकार देंगे और जो भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट या दूसरे होंगे, वहां पर हमारा विकास अधिकारी ही काम करेगा। अगर आपकी मंशा है तो मैं समझता हूं कि आप इस राजस्थान की जनता के साथ सबसे बड़ा अन्याय कर रहे हो। जहां पर लाखों रुपया रोजाना विधान सभा में खर्च होता है वहां पर कानून बनता है, अमेंडमेंट होते हैं, अमेंडमेंट आप पास करवाते हो और उनको लागू करवाने में आपकी कतई दिलचस्पी नहीं है। जो लोग इनको

(श्री सांवर लाल)

तोड़ते हैं उनको आप पुरस्कृत करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, यह मेरा आपके ऊपर आरोप है।

श्री सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह लिबर्टी माननीय सदस्य को नहीं दूंगा कि मेरे पर आरोप लगायें कि मैं उसको प्रोटेक्ट करता हूं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को यह बात समझनी चाहिये, वह मंत्री रहे हुए हैं, वह नियम और कानून जानते हैं। यदि मेरे मन में उस आदमी को प्रोटेक्ट करने की बात होती तो मैं काहे को जवाब में लिखता कि नियम और कानून की अवहेलना हुई है। एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मैंने उत्तर दिया। उत्तर देने के बाद सामने वाले अधिकारी को नोटिस दिया, नोटिस देने के बाद उस अधिकारी ने नियम और कानून कोट किये। जिस नियम के अंतर्गत दो साल तक अगर कोई आदमी रहता है तो बी.डी.ओ. को उसको ट्रांसफर करने का अधिकार है और उसने लिख कर दिया कि मैंने इसमें प्रधान से मौखिक सूचना ली है। मैंने वह भी सदन में लिख कर दिया है। मेरे मन में प्रोटेक्ट करने की बात होती तो मैं यह सूचना भी क्यों देता आपको। इसलिए आप अपने ईगो को कम कीजिए और इस बात को समझिए कि लोकतंत्र में हम मंत्री रहें या नहीं रहें किसी भी अधिकारी को डिमोलाइज कर के हम काम करना चाहें तो यह अधिकार मुझे नहीं है। और मैं मंत्री के रूप में कहना चाहता हूं कि मैं किसी भी इस तरह के अधिकारी को प्रोटेक्ट करने में विश्वास नहीं करता। लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा इस बात के लिये कि जो हमने ईगो बना लिया है उसके आधार पर नहीं, मैं माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत के सामने सारे कागज रख देता हूं। उसके बाद वह कह दें कि हमारी कार्यवाही में कोई कमी और खामी है तो मैं मंजूर करता हूं। लेकिन एक अधिकारी को डिमोलाइज करने के लिये एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, चार दिन नहीं, एक एम. एल. ए. नहीं, चार एम.एल.ए. नहीं, केवल इस आधार पर हम काम करना चाहें तो मैं समझता हूं कि हम विधान सभा में अपने कर्त्तव्य का ठीक ढंग से निर्वहन नहीं करेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : ब्यूरोक्रेसी को सर पर मत चढ़ाओ। काहे का डिमोलाइज होता है। जनप्रतिनिधि ही सबसे बड़ा है।

श्री सी.पी. जोशी : काहे का डिमोलाइज किया। माननीय सदस्य मैंने लिख कर दिया है "जी हां", वरना मैं नहीं लिख कर देता। मैंने लिख कर दिया है "जी हां"। मुझे डिमोलाइज करना होता, प्रोटेक्ट करना होता तो नहीं लिख कर देता। मैंने लिख कर दिया है माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा, मेरी जानकारी में आया और मैंने लिख कर दिया "जी हां", उसने नियम विरुद्ध काम किया है। मैंने लिख कर दिया है, मैंने प्रोटेक्ट नहीं किया उसको। लेकिन जो प्रक्रिया है उसको तो फोलो करना पड़ेगा मुझे। इसलिए मैं माननीय सदस्य आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह 334 पढ़ लें आप, 334 एक्ट में लिखा हुआ है : "... transfer any member of the services

(श्री सी. पी. जोशी)

within the area of the Panchayat Samiti after two years or before two years with the approval of the standing committee." These are the functions of the.... इसमें दो साल के पहले वाले अधिकारी को ट्रांसफर करने का अधिकार है और स्टेंडिंग कमेटी की एप्रोच से कर सकता है। दो साल के पहले का कोई सरकारी कर्मचारी या अध्यापक है उसको ट्रांसफर करने के अधिकार बी.डी.ओ. को इस एक्ट में है। जिसमें स्टेंडिंग कमेटी की उसको आवश्यकता नहीं है। आपके प्रश्न में दो भाग हैं कुछ अध्यापक ऐसे थे जिन अध्यापकों की सर्विस दो साल से ज्यादा थी, कुछ अध्यापक ऐसे थे जिनकी सर्विस दो साल से ज्यादा नहीं थी। जिनकी दो साल से ज्यादा नहीं थी इस एक्ट में उसे स्टेंडिंग कमेटी में पास कराना था। यह इस कानून में लिखा हुआ है। आपने प्रश्न किया मैंने कहा "जी हां"। उसके बाद नोटिस दिया, नोटिस देने के बाद जवाब दिया, जवाब देने के बाद हम पूरी कार्यवाही कर रहे है। लेकिन हम एक ही अधिकारी के सम्बन्ध में हमारी अपनी मंशा को करने के लिये यदि इस प्लेटफार्म का यूज करें तो हम भी अपने कर्त्तव्य का निर्वहन प्रभावशाली ढंग से नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेहरबानी कर के मैंने जो पहले उत्तर दिया उसको पढ़ लें और आपने जो स्थगन प्रस्ताव दिया उसमें भी दिया है, उसको भी पढ़ लें। मैंने पूरे रूल को कोट किया है। मेरी इच्छा किसी करेप्ट आदमी को बचाने की नहीं है। लेकिन मैं सामने वाले को अपने को बुली कर के भी काम करने का अधिकार नहीं देता।

श्री रमेश खींची : सही बात तो यह है कि आपने भी अपने राज में ऐसा ही किया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस चैप्टर को यहीं क्लाज कर के कोई दूसरी बात करें।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ट्रांसफर इश्यू नहीं है। एक भी कैंसिल न हो, मुझे कोई गम नहीं है। मेरा मतलब यह है कि जो कानून विधान सभा पास करती है उसकी पालना करवाना मंत्रीजी का दायित्व है।

श्री सी.पी. जोशी : अपनी इच्छा से नहीं। जो हम सोचें वह कानून सही नहीं है। हाई कोर्ट का फैसला हो गया तब भी कहे कि मारवाड़ की बात आ गई, अजमेर की बात आ गई, अपन कानून के फैसले को माने नहीं, कोर्ट का फैसला हो गया उसको माने नहीं। आपका विचार सही हो सकता है लेकिन आप समझो वही कानून का इन्टरप्रटेशन हो, यह भी सही नहीं है, यह तो मानना पड़ेगा आपको।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी सारी बात को माननीय मंत्रीजी ने राइटिंग में एग्री कर लिया।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी अगर जोर-जोर से बोल कर दबावें तो दबने वाली बात नहीं है। मैं फैक्चुअल पोजिशन बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : दबावे न, कहां से दबते हो।

श्री सांवर लाल : मेरा निवेदन सुन लीजिये आपने जवाब दिया तो कोई अहसान नहीं किया, यह विधान सभा की प्रक्रिया के तहत जवाब दिया और आपने कानून पढ़ा होगा। इसलिए आपने कहा कि 60 अध्यापकों के ट्रांसफर नियम और कानून संगत नहीं है। उसके बाद स्टेंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई। वहां पर रिजोल्यूशन पास किया गया कि यह ट्रांसफर अवैधानिक हैं इनको निरस्त किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : वह एग्री कर रहे हैं।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने कहा मैं थोड़ा स्पष्टीकरण कर दूं। उसके बाद कैंसिल होना चाहिये। जनरल बाडी ने कहा कि कैंसिल कर दिये जायें उसके बाद कैंसिल नहीं हुए। यह कह रहे हैं बी.डी.ओ. के स्पष्टीकरण पर हमने कर दिये। आपके प्रधान के ऊपर आपका विश्वास नहीं है, जनप्रतिनिधि का विश्वास नहीं हैं।

श्री सी.पी. जोशी : नहीं होगा तो उसकी कार्यवाही होगी आप चिंता क्यों कर रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि नियम विरुद्ध है तो हम कार्यवाही करेंगे, हम मना कर रहे हैं क्या ? हम इसको रोक रहे हैं क्या ? आप तो चाहो आज का आज हो जाय, यह संभव नहीं है। हम वहां बी.डी.ओ. को कह कर आयें कि तेरे को बी.डी.ओ. नहीं रहने दूंगा, यह भी अधिकार अपना नहीं है। अगर कानून के खिलाफ उसने काम किया है तो उसको सरकार प्रोटेक्ट नहीं करेगी और उसके खिलाफ कार्यवाही करेगी।

श्री सांवर लाल : आप चाहें तो पूरी पंचायत समिति को यहां ले आऊं। क्या नियम संगत और क्या कानून संगत। केवल उस बी.डी.ओ. को बचाने के लिये...

श्री सी. पी. जोशी : करता क्या, मेरा भाई है क्या बी. डी. ओ., मेरा काका है क्या, मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूं। वह बी.डी.ओ. कोई मेरा भाई नहीं लगता। मैं यह अधिकार नहीं देता हूं आपको। वह कोई मेरा भाई नहीं लगता। चार दिन हो गये रोज अपनी अपनी बात करने लग जाते हैं।

श्री सांवर लाल : ट्रांसफर होने या नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता राजस्थान की जनता देख रही है कि आप कानून की पालना नहीं करवाते हैं और यहां समय बरबाद कर रहे हो।

श्री सी. पी. जोशी : उसके लिये तरीका है। कानून की पालना नहीं करते हैं और गलत उत्तर दिया तो मेरे खिलाफ प्रविलेज ले आयें आप। आपको अधिकार है। कौन मना कर रहा है आपको।

श्री सांवर लाल : वह तरीका तो हम सब जानते हैं, वह तरीके आपसे नहीं सीखना चाहते।

श्री सी.पी. जोशी : मैं आप से भी नहीं सीखना चाहता कोई तरीका।

श्री सांवर लाल : मैं तो केवल यह चाहता हूं कि आप बड़े बुद्धिमान मंत्री हो और सब कानून जानते हो। आपने कानून बनाये हैं इसलिए कानून की पालना हो जाय, अगर नहीं करते हो तो आप हाउस में कह दो। मंत्रीजी आपके सामने पूरे हलफनामे और सब पेश कर दूंगा, उपाध्यक्ष जी, का डाइरेक्शन था उसके बाद देख लेना क्या करते हो। 10 वर्ष आप यहां बैठे रहने वाले भी नहीं हो। 10 वर्ष बाद तो विधान सभा में आप आये हो।

उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 15 की उप धारा (3) और धारा 16 की उप धारा (3) और (4) में पंचायती राज संस्थानों में पिछड़े वर्ग के पदों के लिये 15 प्रतिशत आरक्षण का उपबंध था। राज्य के पिछड़े वर्ग की सूची में, आगे शब्द लिखा है मंत्री महोदय उद्देश्य में "कतिपय अन्य जातियां" जाट, विश्नोई, कायमखानियों को आप कतिपय कह रहे हो। मंत्री महोदय, इतनी इम्पोर्टेंट कास्ट है अगर देश को सीमा पर जरूरत पड़ जाये तो कायमखानी, जाट और विश्नोई जाते हैं और आप उसमें लिख रहे हो "कतिपय जाती"। आपको शर्म आती थी क्या इसमें लिख देते जाट विश्नोई, कायमखानी।

श्री सी.पी. जोशी : आपको शर्म आ रही है क्या, आप अपने आंपको जाट क्यों मान रहे हो, आप अपने आपको ओ.बी.सी. मान लो। जब आपको ओ.बी.सी. में मान ही लिया है तो....

श्री सांवर लाल : हम कतिपय नहीं हैं, हम यह बता रहे हैं कि हमको कतिपय शब्द में मत इस्तेमाल करो और यह अहसान आपका नहीं है हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी का है। आपका अहसान होता अगर 40 पर्सेंट आरक्षण कर देते, कुछ कर के बताओ। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ईगो हर्ट होता है इससे। जो देश के लिये अनाज पैदा करते हैं, जो देश की रक्षा करते हैं उन जातियो के लिये आप लिख दो "कतिपय जातियां" और बढ़िया शब्द भी होते हैं। मंत्री महोदय आप पढ़े लिखे विद्वान हो, इसलिए मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना अपना फर्ज समझता हूं।

बाकी अभी राजेन्द्र सिंहजी ने एक-एक हैडवाइज बताया। आप खुद तो विधान सभा में बैठकर यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रहे हो, आपका लीएन है अभी। मैं बैठा हूं मेरा लीएन है। पर पंचायती राज संस्था में कोई आ जाये तो उस पर रोक लगा दी। आपको क्या दिक्कत हो गई, क्या तकलीफ हो गई ? डेयरी के रामचन्द्र चौधरी को रोकने के लिये किया तो मेरी समझ में आ सकता है पर विश्वविद्यालयों वालों को क्यों ला रहे हो आप ?

श्री सी.पी. जोशी : आपके कहने से ही किया, आपने ही कहा था मेरे को कि ऐसा करना है।

श्री सांवर लाल : आपको जब यहां प्रिविलेज मिला हुआ है कि आप, यूनिवर्सिटी आफ उदयपुर में आपका लीएन है और आप गवर्नमेंट के आनरेबल मिनिस्टर हो तो

(श्री सांवर लाल)

आपने आते ही सबसे पहला अन्याय उन लोगों के साथ किया जो को-आपरेटिव सैक्टर में अध्यक्ष बने हुए हैं, डायरेक्टर बने हुए हैं। यूनिवर्सिटी आटोनोमस बाडी है वहां पर जो काम कर रहे हैं उनको कह दिया कि आप पंचायती राज में नहीं आ सकते। वह बुद्धिमान लोग आ जायं तो आपको कोई खतरा तो पैदा नहीं हो रहा, इसलिए तो नहीं कर दिया कहीं आपने। इस पर विचार कर लें।

श्री सी.पी. जोशी : मुझे तो आपसे ही खतरा है, वो आ जाते तो पता नहीं कितना खतरा हो जाता।

श्री सांवर लाल : मैं कोई आपराधिक कृत्य करने वाला नहीं हूं, यह मान कर चलना आप। मैं जिंदगी में कभी कोई क्रिमिनल आफेंस नहीं करूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रोविजन माननीय मंत्री महोदय लाये कि कोई पांच साल वाला ऑफेन्स और जिसका चालान कोर्ट के अन्दर पेश हो जाए वह चुनाव नहीं लड़ सकता तो मेरा भी यही निवेदन है कि यह कांस्टीट्यूशनल राइट के ऊपर अतिक्रमण है। जब आप विधायक और सांसद का चुनाव लड़ सकते हो तो इस प्रकार का प्रोविजन लाने का औचित्य हमारी समझ में नहीं आया, इसलिये मंत्री महोदय आप इसको भी देखें।

अब एक सबसे बड़ा खतरा हमको लग रहा है आप गांवों के अंदर लड़ाई पैदा करवा दोगे कि सरपंच को हटा सकते हैं, वार्ड पंच को हटा सकते हैं। ग्राम सभायें और वार्ड सभायें, इसका कोरम तो होता है 1/10, माननीय मंत्री महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो ग्राम सभायें हो रही हैं वह कागजों में हो रही हैं वास्तव में ग्राम सभायें नहीं होतीं। इसलिये मुझे यह खतरा लग रहा है क्योंकि आप राज का दुरुपयोग कर रहे हो, वहां के विकास अधिकारी के साथ प्रोटेक्शन कर रहे हो, जो भी आपके खिलाफ सरपंच होंगे वहां पर कह दो कि कागजों के अंदर ग्राम सभायें कर लो, प्रस्ताव पास करके ले आओ मैं सबको हटा दूंगा। इसलिये यह कतई उचित नहीं है, गांव-गांव के अंदर लड़ाई-झगड़े हो जाएंगे। अभी तो मैं एक ही लड़ रहा हूं मंत्रीजी, अगर सरपंच के साथ कर दिया तो कई आपके सामने खड़े हो जाएंगे।

मेरा निवेदन है कि यह प्रावधान अव्यावहारिक है, इसको आप हटाइये और आप इसकी पालना करेंगे, पंचायती राज कानून की, यह तो आप सुनिश्चित कर दो, कम से कम आपकी मंशा तो ठीक होनी चाहिये। क्योंकि राजस्थान सरकार है वैसे ही गांव के लिये गांव के रहने वालों के लिये पंचायती राज है इंडिपेंडेंट राज व्यवस्था है। इस राज व्यवस्था में राजस्थान सरकार का जितना ज्यादा प्रोटेक्शन इन अधिकारियों के लिये रहेगा और चुने हुये लोगों के साथ आप अनजस्टिस करोगे, उनका हैरेसमेंट करोगे उतनी ही आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। अगर आपका ऐसा विचार आये तो मुझे कुछ भी नहीं कहना, आपकी वास्तविक मंशा सही है तो

(श्री सांवर लाल)

निश्चित रूप से आपको इन बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल। श्री धर्मपाल चौधरी। श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक, 2000 एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिये प्रस्ताव कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पंचायती राज में संशोधन करके यह अधिकार लेना चाहते हैं कि वार्ड की सभायें हों, ग्राम की सभायें हों उन सभाओं में निर्णय हो, प्रस्ताव पारित हो, विकास के काम उनके माध्यम से हों बहुत अच्छी बात है। मैं इनका स्वागत करता हूं। लेकिन आज पंचायती राज की स्थिति क्या है, आपने 2-3 बार ग्राम सभायें करा लीं और कहा 26 जनवरी को कर लो, 15 अगस्त को कर लो। और अब यह कहेंगे कि एक मई से 10 मई तक वार्ड सभायें कर लो। सभायें हुई उसमें मैं भी गया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन सभाओं में कहा गया कि एक-एक गांव से, इनको निर्देश थे एक-एक गांव से 10-10 काम चुनकर लायें।

श्री उपाध्यक्ष : एक मई से तो अब होगी, अभी कहां से होगी।

श्री मदन दिलावर : आगे होगी, यह तो वार्ड सभाओं की बात कर रहा हूं, जो हो गई उन ग्राम सभाओं की बात कर रहा हूं। मैं गांव का आदमी हूं इसलिये बता रहा हूं, इन्होंने ग्राम पंचायत की जो सभायें की उनका बता रहा हूं। प्रत्येक गांव से आप 10-10 काम लाओ प्रस्ताव बनाकर, हम उसको करेंगे। हमें बड़ी खुशी हुई कि राज्य सरकार आई है, बड़ा काम करेगी। हर गांव से 10-10 प्रस्ताव आ गये और एक गांव है पंचायत में तो 80 प्रस्ताव आ गये, और उन प्रस्तावों को लाकर मनी का इतना वेस्टेज किया कि जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। और उनको लाकर इकट्ठा कर दिया उन कागजों को देखा नहीं, उसके पहले यह कह दें कि एक सभा और होगी जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को इन्होंने अलग-अलग की, अब 26 जनवरी आयेगी उस पर भी सभा। फिर कहा कि 10-10 काम चुनकर और लाओ, कैसा +++ है सरकार का ?

पहले वाले काम पर ध्यान नहीं दिया और पहले वाले को देखा नहीं और 10-10 काम चुनकर फिर लाओ। एक-एक पंचायत से एक-एक करोड़ के काम आ गये अब माननीय मंत्री महोदय बतायें कि उनका क्या कर रहे हैं ? आखिर आपने क्यों इतनी एक्सरसाइज करवाई थी, ऐसा क्या हो गया था ? क्या आपका दिमाग उस समय संतुलित था ? मुझे लगता है +++ से इस प्रकार की बेगार वहां के कर्मचारियों से सरपंचों से, जन प्रतिनिधियों से करवाई जिसका आज तक कुछ नहीं हुआ। जब आपने पंचायती राज में इस प्रकार के

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री मदन दिलावर)

अधिकार पंचायतों को दिये और उनके प्रस्तावों पर अमल नहीं किया तो क्या यह पंचायती राज सस्थाओं का अपमान नहीं है? और जब अपमान है तो वार्ड सभाओं में क्या लेने जा रहे हैं? क्या आप वार्ड पंच को कोई अलग से धन की व्यवस्था करेंगे ताकि उस वार्ड सभा में जो निर्णय हो उस निर्णय की पालना हेतु उस धन का उपयोग कर सकें ? मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। वार्ड पार्षद अपनी मीटिंग लेकर उस मोहल्ले की पूरी योजना बनाएगा और वो पंचायत को भेजेगा। और जब वहां काम नहीं होगा तो वार्डवासी उसके प्राण खायेंगे कि वाह-वाह वार्ड मैम्बर महोदय, आपने तो बड़ी-बड़ी डींग हांकी थी कि हम सरकार के पास जाएंगे यह प्रस्ताव लाओ, वो प्रस्ताव लाओ और विकास का काम होगा। आखिर में क्या करना चाहते हैं आप, यह मेरी समझ में आज तक नहीं आया। (व्यवधान) मेरे नहीं आयेगा क्योंकि गांव का आदमी हूं, वास्तविकता समझता हूं गांव की, इसलिए मेरे समझ में नहीं आयेगा क्यों कि आप तो +++ से काम कर रहे हो इसलिये मेरे समझ में आने का सवाल ही नहीं उठता। कोई समझदार आदमी इस बात को कहे, कोई अच्छा आदमी इस बात को कहे, या सोच समझकर कहे इस बात को तो समझ में आ सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनसे मेरा करबद्ध, हाथ जोड़कर निवेदन है कि यह ऐसे संशोधन इसमें करायें जिनसे लोगों को लाभ मिल सके जनता को ज्यादा सुविधा दे सके, जनता का सम्मान हो सके, पंचायत राज संस्थान को हम सुदृढ़ कर सकें। परन्तु यह नहीं करेंगे। यह तो ऐसे +++ उसमें से दांये-बांयें तरीके से कैसे धन को इकट्ठा किया जा सकता है उस प्रकार के संशोधन की योजना बनाकर लाते हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा। और तो मेरे पूर्व साथियों ने, माननीय सदस्यों ने बताया है। यही कहते हुये इसमें जनमत जानने के लिये परिचालित करने के लिये मेरा प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार पंचायती राज अधिनियम में माननीय पंचायती राज मंत्री जी ने संशोधन करने की चेष्टा की है, मैं सोचता हूं पंचायती राज मंत्रीजी को ग्रामीण जीवन का अनुभव नहीं है। ग्रामीण जीवन का अनुभव होता तो माननीय पंचायती राज मंत्रीजी आज वार्ड सभायें बनाने का प्रस्ताव इस सदन में संशोधित करके विधेयक में नहीं लाते। हमें मालूम है हम गांव के सरपंच भी रहे हैं, पंचायत समिति के प्रधान भी रहे हैं। 1994 के एक्ट में जब ग्राम सभा का प्रोविजन किया गया था सबसे पहले, तो यह कल्पना की गई थी कि कम से कम 1/10 पंचायत के मतदाताओं की संख्या जब भी सभायें, छह

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हीरासिंह चौहान)

महीने के बीच में आयोजित होती हैं जो अवधि निर्धारित होती है, उसमें निश्चित संख्या में गांव के मतदाता आयेंगे और उस ग्राम सभा में भाग लेंगे। लेकिन मैं एज ए प्रधान कम से कम बीसों ग्राम सभाओं में गया हूं। वहां पर सरपंचगण, बार-बार ग्राम सभायें स्थगित करनी पड़ी कोरम के अभाव में, और बाद में 5 आदमियों द्वारा बिना कोरम के स्थगित बैठक को करके वो सतर्कता समितियां, ग्राम सभा का आयोजन करके रिपोर्ट दी गई।

अब आप वार्ड सभा में कल्पना करके गांव के ज़ीवन को तहस-नहस करना चाहते हो। एक गांव में 10 वार्ड हैं, उसी गांव में उसी सराउण्डिंग में एक वार्ड यह बना हुआ है, एक वार्ड यह बना हुआ है। आप क्या प्रस्ताव लाना चाहते हो और क्या प्रस्ताव करना चाहते हो ?

(16.00 बजे)

क्या करना चाहते हैं, प्रस्ताव देकर के लोगों की भावनाओं को जगाना चाहते हो। लोगों के ध्यान को एक अलग तरफ ले जाना चाहते हो। क्या लालीपाप दे देंगे आप। प्रस्ताव देकर कौनसी बिल्डिंग बनाना चाहते हो। वहां सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। जो ग्राम पंचायतें हैं वहां पर पंचायत भवन भी बना हुआ है, विद्यालय भवन भी बना हुआ है, नालियां भी हैं, स्कूल भी हैं और बिजली की लाइन भी आ रही है और सफाखाना भी है तो उनसे क्या प्रस्ताव मंगवाना चाहते हो ? क्या आपस में,लड़वाना चाहते हो ? इसलिये मेरा सख्त से सख्त विरोध है इस बात का। There is no need at all for forming the Ward Sabhas. अगर ऐसा करेंगे तो गांवों के जीवन को तहस-नहस करेंगे। आप चारों तरफ लोगों को लड़ाओगे और उनको दे कुछ नहीं सकोगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि वार्ड सभा के प्रोविजन को तत्काल हटाया जाए। क्यों लोगों के समय को बर्बाद करते हो। देंगे क्या आप, करना क्या चाहते हो। हो सकता है कोई राजस्व गांव अलग हो। उसकी आवश्यकता अलग हो। क्या गांवों में बैठा हुआ, ग्राम सभा, सारे वार्ड पंच आते हैं, सरपंच आते हैं, बड़े बुद्ढे बैठते हैं, क्या उस वार्ड के बारे में, विकास के बारे में नहीं सोचते हैं ? फिर आप शिक्षाकर्मी स्कूल खोल रहे हो। कहीं पर आप राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती स्कूल खोल रहे हो। सड़क बनाने का काम अलग हो रहा है। पानी पहुंचाने का काम अलग हो रहा है। बिजली पहुंचाने का काम अलग हो रहा है। क्या प्रस्ताव देना चाहते हो, माननीय जोशीजी। क्या प्रस्ताव देना चाहते हो, इसको आपने महसूस कैसे किया। कतई इसकी आवश्यकता नहीं है।

सबसे पहले मैं, उपाध्यक्षजी, इसका सख्त विरोध करता हूं। वार्ड सभा का फार्मेशन बिलकुल गलत है जबकि ग्राम सभाएं.... आप ग्राम सभाओं को मजबूत कीजिये। ग्राम सभाओं में एक जीवन है। आपस का जीवन है। सब लोग बैठते हैं, उठते हैं, गांव के विकास की तरफ पूरा ध्यान देते हैं। इसी प्रकार आपने, उपाध्यक्षजी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपने

(श्री हीरासिंह चौहान)

एक और कोशिश की है। क्या किया है, जिस प्रकार से जिला परिषद में और पंचायत समितियों में समितियां बनी हुई हैं उसी प्रकार आप चाहते हैं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इसमें आप अमेंडमेंट लाना चाह रहे हैं। यह करना चाहते हैं।

"Amendment of Sec. 2, Rajasthan Act No. 13 of 1994. – In Sub-Section (1) of Section 2 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, here in after referred to as the principal Act,......." यहां इन्होंने एड किया है। पहले पंचायत समिति और जिला परिषद थी। उसकी जगह पंचायत और एड करना चाहते हैं। ".....in clause (iii), for the expression 'a Zila Parishad or Panchayat Samiti', the expression 'a Zila Parishad, a Panchayat Samiti or a Panchayat' shall be substituted ;......" इसका अर्थ है कि आप जिला परिषद में और पंचायत समितियों में जिस प्रकार समितियां बनी हुई हैं, जो कमेटियां बनी हुई हैं 4-5, उस ग्राम सभा में भी आप 4-5 कमेटियां बनाना चाहते हो। जब पूरे पंचायत के 10-11 वार्ड पंच होते हैं, एक साथ बैठते हैं तो किस टाइप का आप काम करना चाहते हैं, क्योंकि नगरपालिका तो है नहीं, नगर 10-20 हजार, लाख की आबादी का हो, जहां पर शिक्षा, जहां पर सफाई की भी अलग व्यवस्था हो, पानी की अलग व्यवस्था हो, कई प्रकार की व्यवस्थाएं नगरपालिकाओं में होती हैं। I do agree, लेकिन इस ग्राम पंचायत में आप समितियां इण्ट्रोड्यूस करना चाहते हो, 4-5 समितियां बनाना चाहते हो, देना क्या चाहते हो। आप जब पंचायत में, बैठक में आने वाले वार्ड पंच को 40 रुपये भत्ते के नहीं दे सकते हैं। और कभी-कभी सरपंच अपना रजिस्टर लेकर घूमता फिरता है, जगह-जगह जाता है, कोरम पूरा कराने के लिये, उपाध्यक्ष महोदय। ऐसी स्थिति में वहां, ग्राम पंचायत के स्तर पर हमारे पंचायत राज मंत्रीजी समितियां बनाना चाहते हैं।

मैं सोचता हूं इसकी कतई आवश्यकता नहीं है। समितियां बनाएंगे, करेगा कौन कार्यवाही, आपका ग्रुप सचिव एक महीने में एक पंचायत में 2 बार आता है। वह आता ही नहीं है, मुंह ही नहीं बताता। सरपंच उसकी हाजिरी में जाता है, दस्तखत कराने उसकी हाजिरी में जाता है। क्योंकि उनकी एक कम्पलशन हो गयी। इस बात की कम्पलशन हो गयी कि जितना अकाउंट वह रखेगा, चैक जो निकालेगा, जमा कराएगा, उसमें ग्रुप सचिव के दस्तखत होने बहुत जरूरी हैं। वह ठीक किया था जिस समय पंचायत राज एक्ट बना था 1994 में, उस समय एक कल्पना की गयी थी। उस समय प्रतिपक्ष के माननीय नेता माननीय परसरामजी मदेरणा साहब थे, जो आज इस विधान सभा के अध्यक्ष हैं। उन्होंने इस बात की शंका जाहिर की थी कि अगर इस प्रकार का सरपंचों के ऊपर ही, सारे यहां लेखे-जोखे रखोगे, बार-बार सरपंचों पर मुकदमें बनते हैं। इसी एक बात को लेकर के यह व्यवस्था की गयी थी।

(श्री हीरासिंह चौहान)

लेन-देन के हिसाब के लिये ग्रुप सचिव है, ग्राम सेवक है, वह लायबल है। इसके बाद में जब से यह जिम्मेदारी सौंप दी, सब सरपंच तो बापड़े बन गये, उन सबके, ग्रुप सचिव के वे पीछे-पीछे रोते फिरते हैं। ग्रुप सचिव हैं नहीं, 4-4, 5-5 पंचायतों में एक ग्रुप सचिव है। उसकी ड्यूटी फिक्स कर नहीं सकते हैं और ड्यूटी फिक्स किसी भी प्रकार से, माननीय पंचायत राज मंत्रीजी, चाहे कलक्टर के पावर को काम में ले लीजिये, चाहे जिला परिषद् के सी. इ. ओ. के पावर को काम में ले लीजिये। लेकिन ये ग्रुप सचिव सरपंचों के पास आते ही नहीं हैं और ऐसी स्थिति बना रखी है। ऐसी स्थिति में इन समितियों की बैठकों को कौन आर्गनाइज करेगा। कौन नोटिस निकालेगा, कौन उनकी प्रोसीडिंग्स लिखेगा। अब पंचायतों की प्रोसीडिंग्स लिखने के लिये भी आपके ग्रुप सचिव तैयार नहीं हैं, आते नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में वार्ड सभा में कौन जाएगा। अभी आपने एक अभियान चला रखा है। मैं भी पाली की तरफ गया, 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हर वार्ड में एक-एक सभा हो रही है। सभाओं का आयोजन वहां पर चल रहा है। पता नहीं, क्या करेंगे। वे बहुत सारा रिकार्ड लेकर आएंगे, दिखाएंगे। हमारा वह होना है, यह होना है, होगा कुछ नहीं। अब तक आप राज्य सरकार की तरफ से, हम सब कर रहे हैं, विभाग कर रहा है। पंचायत क्या करेगी प्रस्ताव लेकर के। मुझे समझ में नहीं आता। वार्ड सभा का फार्मेशन ही गलत किया।

अब मैं इस बारे में और बातें बाद में करूंगा। उपाध्यक्षजी, एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं जिसको इण्ट्रोड्यूस करने का मेरी समझ में कोई कारण नजर नहीं आया कि इस प्रकार का जब अविश्वास प्रस्ताव रखने का, सभी प्रकार के प्रोविजन एक्ट में बने हुए हैं, यह पावर आपने ग्राम सभा के सैक्शन 32 में किया है, मैं यह सुनाना चाहता हूं, उपाध्यक्षजी, क्या किया है, "Amendment of Section 38, Rajasthan Act No. 13 of 1994. – In Section 38 of the principal Act,....." इसमें प्रोविजो जोड़ा है। अब सुनना बहुत महत्त्वपूर्ण "Provided that the State Government may also suspend any Panch on the recommendation of the Ward Sabha......" वार्ड सभा रिकमण्ड करेगी पंच को हटा दो, सदस्यता लेने वाला कानून, एम. एल. ए. को हटा दो क्योंकि वहां के सब लोग चाहते हैं, पंच को हटा दो। ".....or a Sarpanch on the recommendation of the Gram Sabha, but....." इसमें आगे लिखा है, बट, वह कैसे तय करेगा। उसमें आपने कोई संख्या दी नहीं है। इतने लोग हाजिर हों तो 3 हजार की आबादी में से, इतने लोग हाजिर हों तो उसमें अविश्वास करके हटाओ। लेकिन जब वार्ड पंच बने हुए हैं, आलरेडी उनका प्रोविजन बना हुआ है कि किस प्रकार सरपंच का अविश्वास प्रस्ताव आता है, वार्ड पंच का अविश्वास प्रस्ताव आता ही नहीं है। कोई प्रोवीजन ही नहीं है। जिस वार्ड पंच को हटाने की कार्यवाही आप करना चाहते हो, यह मेरी समझ में गांव-गांव में

(श्री हीरासिंह चौहान)

मखौल हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। और लोग रचनात्मक काम नहीं करेंगे। कंस्ट्रक्टिव वर्क सारा छोड़ देंगे। सारा अविश्वास प्रस्ताव लाना, बनाना, अविश्वास प्रस्ताव हो गया, वापस वार्ड पंच का चुनाव करो, वापस सरपंच का चुनाव करो। 5 साल का कार्यकाल इसी प्रकार से निकालना चाहते हो। मैं आगे पूरा पढ़ता हूं इसको। "...but the State Government shall do so only when a resolution to that effect passed by a Ward Sabha..." वार्ड सभा प्रस्ताव पास कर लेगी, कौन हट जाएगा, वार्ड पंच हट जाएगा। "..or a Gram Sabha, as the case may be, is referred by the State Government to the Collector for convening a special meeting of the Ward Sabha or the Gram Sabha, as the case may be, for finally ascertaining the wishes of the members and the members present in the meeting..." कोई संख्या नहीं दी है कि इतना आना जरूरी है। (व्यवधान) 10 प्रतिशत का हो भले, इसमें कोई संख्या नहीं दे रखी है। (व्यवधान) कोरम होना चाहिए। कोरम होने के बाद इनको हटा दिया जाए, सबको। इसमें लिखा है हटा दिया जाए।

उपाध्यक्षजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जब सरपंच के अविश्वास का प्रोविजन आलरेडी बना हुआ है और उसको हटाने के आलरेडी प्रोविजन बने हुए हैं तब इस नयी धारा को इन्सर्टेड करना या सबस्टीट्यूट करना या नये प्रोविजन बनाने की क्या आवश्यकता थी। माननीय उपाध्यक्ष जी, इसमें मेरा आपसे निवेदन है कि यह धारा गांव-गांव में झगड़ा कराएगी। गांव के लोग रचनात्मक काम करना छोड़ देंगे और सारे ही इस काम में फंस जाएंगे कि इस वार्ड पंच का अविश्वास करो। और हमारे प्रशासनिक अधिकारी, चाहे कलेक्टर हो, एस.पी. हो, रात दिन इन कामों में लगे रहेंगे। क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं होने के बाद यह सारा काम यही होगा। इसलिये राजस्थान की जनता की ओर से माननीय पंचायत राज मंत्रीजी, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं आपको करबद्ध, हाथ जोड़ता हूं कि इस प्रकार के सैक्शन आप इण्ट्रोड्यूस करके क्या करना चाहते हो। ग्रामों में जो एकता है, मोहब्बत है, प्यार है, क्या उसको तहस-नहस करना चाहते हो, आपकी मंशा क्या है, मुझे बता दीजिये। आप केवल वार्ड सभाओं को बनाकर अविश्वास के नये-नये क्लाज जोड़कर के गांवों को क्या देना चाहते हो।

इसलिये सभी माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि ये जो क्लाजेज हैं, यह निवेदन है, इसको विदड्रा करने के लिये आप सबसे निवेदन किया जाता है। इस क्लाज को विदड्रा किया जाए, अन्यथा गांव में बड़ी पेचीदा स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि जो नये अविश्वास के लिये इस क्लाज की धारा 32 में इस प्रकार का नया प्रोविजन एड किया गया, इस प्रोविजो को हटाया जाए। इसको किसी भी हालत में इस विधान सभा के द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाए। यदि विधान सभा स्वीकृत करती है, मैं सोचता हूं वह

(श्री हीरासिंह चौहान)

अपना माइंड एप्लाई नहीं करती है। ग्राम पंचायतों के प्रति, उन पंचों के प्रति, उन सरपंचों के प्रति हम यहां बैठकर अन्याय कर रहे हैं। वे जीतकर आये हैं, वह पंच भी जीता है, वह सरपंच भी जीता है और उनको एक इशारे से वे हटा देंगे। आ गया, आफिस में बैठ गया और हट गया। क्या हो गया, यह मजाक हो जाएगी। इसलिये मेरा आप सबसे निवेदन है कि इसके ऊपर हम सबको बहुत ध्यान देना चाहिए।

इसी प्रकार उपाध्यक्षजी, धारा 40, इसको बिलकुल डिलीट करें। धारा 40 को बिलकुल ही डिलीट कर दीजिये। यहां पर अयोग्यता के बारे में डिस्क्वालीफ़िकेशन के बारे में सुनने का राइट सेशन जज को दे रखा था। सेशन जज के पास ज्यादा काम है तो वह अपने सिविल जज को, एडिशनल सेशन जज को केस सुनवाई करने के लिए ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन उसको बिलकुल डिलीट करें। अब इसको कौन तय करेगा। लम्बा समय लगता है, माननीय पंचायत मंत्रीजी कहते हैं इसमें थोड़ा लम्बा समय लगता है। इसमें टाइम कौन तय करेगा, लम्बा समय लगता है। माननीय पंचायत राज मंत्रीजी कहेंगे कि इसमें थोड़ा लम्बा समय लगता है तो एक्सपेडाइट करने की कोई कार्यवाही, पहले वाले प्रोविजन में तो माननीय पंचायत राज मंत्रीजी, दो बच्चों से ज्यादा का है। इसमें कोर्ट में कौन जाए, कम्प्लेनेंट कौन होगा ? कोई आपके सी.ई. ओ. को, कलेक्टर को, किसी को अधिकार ही नहीं था इसलिए इस प्रकार की बात नहीं हुई। लेकिन अब आप कैसे तय करेंगे ? आप किस प्रकार तय करोगे, कहीं गलती नहीं करोगे, जब इस प्रकार का, दो बच्चों का आया कि दो बच्चे हैं या नहीं और भी कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, एक बच्चों वाली ही डिस्क्वालिफिकेशन ही नहीं है इसमें, अन्य डिस्क्वालिफिकेशन भी पंचायती-राज मंत्रीजी, हैं।

इसलिए न्यायालय का प्रोविजन तो इस विधान सभा ने बहुत सोच समझ कर किया। Because that very day I was sitting here, though I was not a member. 1994 में मैं मैम्बर नहीं था लेकिन मैं पूरी प्रोसीडिंग को सुन रहा था यहां पर बैठा-बैठा और इस मामले को लेकर के काफी अच्छी खासी, पहले यह गवर्नमेंट के हाथ में रखते थे तो गवनमैंट के हाथ में बहुत खतरा था क्यों कि हम राजनीतिक दल के मैम्बर हैं। राजनीतिक दल के मैम्बर होने के कारण से हमारी कुछ आब्लीगेटरी ड्यूटीज हो जाती हैं। कई प्रकार के ऐसे कारण हो जाते हैं, जिसके कारण से हमें मानना पड़ता है, नहीं चाहते हुए भी जहर का घूंट पीना पड़ता है और इस प्रकार लोगों को डिस-क्वालिफाइड कर दिया जाता है। इसीलिए इस धारा को डिलीट नहीं करके इसको एज इट इज रखना चाहिए तब जाकर यह जो पंचायती-राज पहले बहुत सुसंगठित बना हुआ है। यह जो 1994 का एक्ट है, इसमें तीनों ही जो पंचायती राज संस्था हैं, उन तीनों को ही एक प्रकार से सुन्दर किया गया था, इसमें अमेंडमैंट की यहां जरूरत थी, अच्छा किया आपने ओ. बी. सी., शिड्यूल्ड कास्ट, एस.सी., एस.टी. की

(श्री हीरासिंह चौहान)

जगह पर कोई ऐसा आदमी कुर्सी पर नहीं बैठ जाए और अविश्वास करके दूसरे आदमी आ जाते हैं, उसके लिए आपने व्यवस्था की, बहुत अच्छा किया, सजा के प्रोविज़न के लिए भी आपने एक दो जगह बहुत अलग तरह का किया कि अगर किसी को वह आदमी जो धारा 151, जो धारा 107 में ऑन द वैरी डे आफ कास्टिंग आफ वोट, अगर हम चाहते हैं कि अमुक आदमी फार्म भी नहीं भर सके, उस आदमी को पकड़ लिया जाए, पुलिस पकड़ कर ले जाए तो उसका वोट देने का अधिकार भी आपने छीन लिया है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और बातें हम और कहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर यह एक तो वार्ड-सभा वाला और वार्ड-सभा के साथ यह जो नया प्रोविजो एड करके यह जो ग्राम सभा के माध्यम से और वार्ड सभा के माध्यम से अविश्वास करके उनको हटाने का जो प्रोसीजर इसमें लाये हैं, माननीय पंचायती राज मंत्रीजी,

(16.12 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि इस पर पुनः सोचकर कोई ऐसा नहीं है कि कोई ले आये आप, अफसरों ने बना दिया या आपका सोच भी होगा। लेकिन फिर भी इस पर बहुत गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है क्यों कि यह ग्रामीण जनता सब तहस-नहस हो जाएगी, उनमें झगड़े की जड़ हो जाएगी। मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि इस विधान सभा का सबसे बड़ा काम अगर कोई है तो कानून बनाना है। लेकिन पता नहीं क्या परिपाटी चल पड़ी है कि हम इतनी जल्दी में रहते हैं कि हम उसको ठीक प्रकार से डिस्कस किये बिना उसकी कौन-कौन सी कमियां-खामियां हैं, उसको सोचे बिना जल्दी में रहकर कोई कानून बनाने का प्रयास करते हैं। चाहे वह सरकार किसी भी पार्टी की रही हो। मेरे भी पिछले पन्द्रह-बीस सालों का जो अनुभव है, उससे लगता है कि जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है, उसमें हमारे पास सबसे कम समय है और जो हमारे लिये ज्यादा महत्वपूर्ण काम नहीं है, उसके लिए हमारे पास बहुत समय है।

मैं आपके माध्यम से नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में यह जो आप राजस्थान पंचायती-राज विधेयक, 2000 का इसमें जो कुछ अमेंडमेंट लाये हैं, इसमें कृपा करके बहुत एक-एक को, माननीय सदस्य चाहे वे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, ठीक प्रकार से इसका अध्ययन करके, इसकी कमियां-खामियां क्या रहेंगी और इसके कारण से आगे आने वाले समय में क्या तकलीफें आएंगी, इसको ध्यान में रखकर हमको इस

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बारे में विचार करना चाहिए। जल्दी भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कि यह अपन ने चार महीने बाद कर लिया तो कोई आसमान पड़ कर धरती पर नहीं आने वाला है। कोई अपना ऐसा काम नहीं रुक जाएगा जिसके कारण से अपना काम कोई कल का कल रुक रहा है और उसके कारण से अपन बहुत जल्दी में हैं क्योंकि इसमें कुछ धाराएं तो ठीक हैं, उसके बारे में किसी को कोई ऐतराज नहीं हो सकता। ओ.बी.सी. का परसेंटेज 15 से 21 करना चाहते हैं, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है। इसमें भी किसी आदमी को ऐतराज नहीं है कि चेयर परसन जिस जाति, समाज का है, शिड्यूल्ड कास्ट है, शिड्यूल्ड ट्राइब है, महिला है, ओ.बी.सी., जैसा भी है, उसकी जगह चेयर परसन वापस उसी में से बने, उसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा।

लेकिन मैं सोचता हूं कि पंचायती-राज के जब से यह चुनाव की प्रक्रिया पड़ी है, आपने देखा होगा और हम सब लोग अनुभव करते हैं, अपने-अपने गांव में और इसी कारण से आपने देखा होगा कि हम पंचायत स्तर पर अभी राजनीतिक पार्टी के सिम्बल के आधार पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसके पीछे यही कारण है कि यह टुकड़ों में और बंटेगा और आप और हम सब तो यहां बड़े प्यार और मोहब्बत से बात करते हैं और बात भी कह जाते हैं और थोड़ी देर बाद चाय भी पी लेते हैं लेकिन आप और हम सब को जिताने के लिए गांव में कार्यकर्ता जिस प्रकार से आपस में एक-दूसरे से लड़ते हैं और मुकदमेबाजी होती है और जिन्दगी भर तक वे मुकदमेबाजी में डूबकर मर जाते हैं। हम सब तो यहां एम.एल.ए. बनकर आराम से आ जाते हैं लेकिन हमारे कारण से छोटे-छोटे चुनावी झगड़ों के कारण से कार्यकर्ता आज भी एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ बैठा है।

इसलिए इस प्रोविजन को जब आप डाल रहे हैं तो कम से कम इस बारे में बिलकुल ठीक प्रकार से, बहुत जल्दी नहीं, मेरी प्रार्थना है, अगर आप मानें तो, बाकी तो आपका बहुमत है, आप जैसा चाहे वैसा करें, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आज जो आपको अच्छा लग रहा है वह दस साल बाद आपको ही कड़वा लगेगा और आप और हम सब उससे दुःखी होंगे और अपने आप महसूस करेंगे कि वास्तव में बहुत भरी गलती कर दी।

इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है, क्योंकि बहुत कुछ जितने भी सैक्शन हैं उसके हिसाब से तो हमारे राठौड़ साहब ने तो पूरे एक-एक विषय में जहां तक हो सकता है, वह बता दिया। मैं उनका एक-एक का वर्णन नहीं करना चाहता हूं। लेकिन विषय इतना पेचीदा है, उन विषयों को आप निश्चित रूप से बहुत ठंडे दिमाग से सोचें कि हम इस कानून के माध्यम से क्या चीज देना चाहते हैं और क्या चीज इससे फायदा होगी। मैं केवल एक छोटी सी बात पढ़ रहा हूं, इसमें जो आपने 1994 के राजस्थान अधिनियम संख्या 13 की नई धारा 18 (ग) का अन्तःस्थापन I 18 (ग) है मतदान देने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

का अधिकार। इसका जो पांचवां हिस्सा है, इसको मैं थोड़ा पढ़ देता हूं। "कोई भी व्यक्ति, यदि वह चाहे किसी दण्डादेश के अधीन या अन्यथा किसी जेल में परिरूद्ध हो या पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में हो, इस अधिनियम के अधीन किसी भी निर्वाचन में मत नहीं देगा।" आपकी भावना कुछ भी हो सकती है लेकिन अगर कोई इसका दुरुपयोग करना चाहे, चाहे वह मैं करूं या चाहे आप करें, इस दुरुपयोग के आधार पर हम अपनी राजनीतिक विद्वेषता उससे निभा सकते हैं, उससे पालन कर सकते हैं, यह आज आपको अच्छा लग रहा होगा, कोई बात नहीं आप कर लीजिए। हमें कोई ऐतराज नहीं है। हमारी तरफ से कोई ना भी नहीं है। आप करिये, जरूर करिये लेकिन यह हमेशा इस लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर रख देगा और आप और हम सब लोग जो राजनीति में काम करते हैं अगर ...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी (पंचायती राज मंत्री) : एक मिनट आपको इन्टरप्ट करूंगा। एक मिनट। यह नगरपालिका, 1959 की धारा 27, जिस समय भारतीय जनता पार्टी का राज था तब भी यह धारा थी, आज भी यह धारा है, नगरपालिका के अन्दर आलरेडी यह प्रोविजन है। पीपल्स एक्ट के अन्तर्गत, नगरपालिका ने, इसमें पीछे जो मंशा है कि जो आदमी जेल के अन्दर बंद है या सजा काट रहा है, उस आदमी को वोट डालने के लिए पंचायत में नहीं आ सकता, यह प्रोविजन है। यह प्रोविजन पीपल्स एक्ट के अन्दर आलरेडी है और आज भी राजस्थान के लोकल सेल्फ एक्ट के अन्तर्गत, 27 धारा के अन्दर यह एग्जिस्ट कर रहा है। इसका जो भी इण्टरप्रिटेशन अपन निकालें, यह सब्जैक्ट टू ओनली, जो कंविक्टेड आदमी है और जेल के अन्दर है, उसको वोट डालने के लिए आने का, यह प्रोविजन है। देट इज आल।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं सोचता हूं कि हम जो सारे एम. एल. ए. और एम. पीज लड़-लड़कर आये हैं और हमारे सारे देश में जो एम.पीज बने हुए हैं और एम. एल.ए. बने हुए हैं उन पर तो कानून लागू नहीं होगा तो वह गांव का आदमी हमारे बारे में क्या इम्प्रेशन देगा ?

श्री सी.पी. जोशी : यह इसमें नहीं है। एक मिनट। मेरा नाम वोटर लिस्ट में है किसी पंचायत में, और मैं उदयपुर की जेल में सजा काट रहा हूं। उस आदमी को वोट डालने का, डेप्राइव का प्रोविजन है। यह इसमें प्रोविजन नहीं है, आप इसको एक्सटेंड कर रहे हैं कि हम किसी आदमी को अरेस्ट करवाकर के इसको डिवार कर देंगे, यह नहीं है। इसमें कंविक्टेड आदमी जो है, पुलिस की कस्टडी के अन्दर जो आदमी है, वह आदमी वोट डालने के लिए आये, उसको वोट डालने का, वह अधिकार है अपना। कोर्ट में जाकर केस करेगा, मुझे वोट डालने के लिए वहां पंचायत में ले जाए, इसमें डिवार किया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं इसको एक बार फिर पढ़ता हूं, शायद कहीं मेरे से समझ में...(व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : पीपल्स एक्ट के अन्दर ही हमने लिया है। हमने कोई आज यह नया नहीं लिया है। पीपल्स एक्ट के अन्दर, नगरपालिका के अन्दर आज भी यह कानून एग्जिस्ट कर रहा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं यह कह रहा हूं कि अपन ने आज भी अगर यह कानून बना दिया और कल अपने में से कोई यह अनुभव करे कि यह ठीक नहीं है तो क्या हमको बदलने के लिए कोई रोक है क्या ? हो सकता है कि वैसे अभी हमें यह कानून की पेचीदगियां, वास्तविकता यह है कि हममें से अधिकांश माननीय सदस्य इसकी पेचीदगी को शब्द टू शब्द पढ़ भी नहीं पाते हैं। इतना विलम्ब तो यहां हो जाता है और उसके कारण जितना हमें इसके प्रति न्याय करना चाहिए ...(व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : सॉरी, मैं आपको इंटरवीन नहीं कर रहा हूं। यह इलेक्शन जो मैनुअल, पीपुल एक्ट है, उस पीपुल एक्ट के अन्दर यह प्रोविजन है– "No person shall vote at any election if he is confined in a prison whether under a sentence of imprisonment or.. otherwise or in the lawful custody of the police," यह पीपुल एक्ट है जो भारत के निर्वाचन आयोग के पास रखा है। उसका प्रोविजन आलरेडी राजस्थान में नगरपालिका एक्ट में एग्जिस्ट कर रहा था और पंचायत एक्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो at the instance of the Election Commission, इलेक्शन कमीशन जो हमारी इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसकी मंशा थी कि राजस्थान में दो अलग-अलग लोकल बॉडीज में अलग-अलग नियम नहीं बनने चाहिए। इसलिए उस नियम की समानता के लिए किया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय मंत्री महोदय, मैंने इसलिए इनको पढ़ा था। इसमें जेल में परुद्ध हो, यह तो समझ में आता है, उसके आगे जो लिखा है या पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में हो, इसका मतलब अगर पुलिस कस्टडी में भी वह आदमी होगा तो वह वोट देने नहीं जाएगा। अभी उसको सजा नहीं हुई, अभी तो वह पुलिस के पास है। मैं इसलिए कह रहा हूं आप इसके शब्द, कारण क्या है कि हम एक-एक शब्द को, हो सकता है मैं गलत होऊं। मैं अगर गलत हूं तो मुझे कोई एतराज की बात नहीं। मैं अपने आपको ठीक करना चाहता हूं।

श्री सी.पी. जोशी : आज भी वो लोक सभा में और विधान सभा चुनावों में वोट नहीं डाल सकता। आज भी यह पीपुल एक्ट का जो प्रोविजन है, मैं कोट कर रहा हूं। पीपुल एक्ट में लिखा हुआ है कि आज भी वह वोट नहीं डाल सकता।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वोट देने वह आएगा, नहीं आएगा, वोट देने का अधिकार समाप्त नहीं होगा।

श्री सी.पी. जोशी : यह पीपुल एक्ट में है। अब मैं पीपुल एक्ट कोट कर रहा हूं। I am not quoting this.

श्री देवीसिंह भाटी : पीपुल्स एक्ट के अन्दर किसी प्रकार की कोई रोक-टोक नहीं।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, एक सैकण्ड।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं क्लेरीफाई कर दूं। इसके एक्सक्लुसिव प्रोविजन की कोई जरूरत नहीं। ऐसा कोई प्रोविजन कहीं पर नहीं होता कि पुलिस कस्टडी में उसको छोड़ा जाए वोट देने जाने के लिए। इसलिए आपको प्रावधान करने की जरूरत भी नहीं। वैसे ही वोट नहीं डालेगा वह। पुलिस कस्टडी में है, उसको वोट डालने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। जेल में है तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। जेल में आदमी चुनाव लड़ सकता है, वोट डालने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा उसको।

श्री सभापति : नहीं-नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, पेज-69 पर बहुत साफ है-- "No person shall vote at any election under this Act if he is confined in a prison whether under a sentence or otherwise..." यह है इसमें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वो इसको लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, यह एक अलग बात है। उसको वोट देने के लिए लेकर के आना, नहीं आना, एक अलग चीज है। लेकिन उसके कारण से मैं, इसलिए आपने जिस प्रकार पाबन्द करने का प्रयास किया, उसी की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अब इस तरह से आपने जो, वास्तव में, मैं आज भी आपको कह रहा हूं थोड़े ठण्डे दिमाग से सोच लीजिए। जिस विषय को माननीय सदस्य ने उठाया। सभी माननीय सदस्यों को ठीक लगेगा, क्या हम को वार्ड पंच को हटाने के लिए, वार्ड सभा के आधार पर हटवा कर आप पंचायत को क्या बनाओगे ? मतलब आप पंचायत में किस प्रकार की स्थिति पैदा कर दोगे। और गांव में अपन केवल एक सरपंच का अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं उसके चक्कर में भी गांव में किस प्रकार के हालात हो जाते हैं, वह आप और हम सब लोग अनुभव करते हैं। जब उसकी प्रक्रिया है तो फिर वह भी 10 प्रतिशत लोग उसके कोरम के लिए आपने किया है और अगर वह 10 प्रतिशत कोरम वाले लोग, जो वार्ड पंच 50 प्रतिशत से ज्यादा वोट लिए होंगे...

श्री सी.पी. जोशी : फिर मैं इंटरवीन करूंगा। इसमें एक्ट के नीचे लिखा रखा है। मतलब अपन आधा ही कोट कर रहे हैं--"परन्तु यह और है कि पंचायत या सरपंच का निलम्बन चाहने वाला कोई भी संकल्प किसी पंच या यथास्थिति सरपंच द्वारा दो वर्ष की पदावधि पूर्ण कर लेने के पूर्व प्रस्तावित या पारित नहीं किया जाएगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह तो अभी भी है। वह तो अभी भी है।

श्री सी.पी. जोशी : यह वार्ड सभा में जो प्रोविजन किया है इसके पीछे यह है कि किसी वार्ड में जो काम हो रहा है जिसमें एक लाख रुपये का काम खुर्रा और

(श्री सी. पी. जोशी)

नाली का काम हो रहा है उसमें एक लाख रुपये का काम होगा कि नहीं होगा। वार्ड के वह लोग कह रहे हैं कि वहां काम नहीं हुआ है। सरपंच पांच-पांच, सात-सात साल तक इंक्वायरी और पी.ई. के नाम से घूम रहे हैं। यह अधिकार हमने दिया है कि जब वह सरपंच बनने के बाद, वार्ड पंच बनने के बाद दो साल तक उस वार्ड में काम करवा रहा है तो काम करने के बाद में वहां के आदमी कह रहे हैं कि दो लाख का काम नहीं हुआ है, 30 हजार का ही काम हुआ है। इस आधार पर वार्ड के परिणाम को एग्जीक्यूट करने के लिए उन लोगों का विश्वास डवलप हो कि हमारे कहने से भी एक्शन हो रहा है इसलिए हमने राइडर लिया है कि दो साल पहले यह नहीं हो सकता। दो साल बाद यदि इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं तो उसके लिए हमने दो-तिहाई बहुमत का प्रोविजन रखा।

श्री देवीसिंह भाटी : आप थोड़ा जमीन से जुड़िये। वार्ड मैम्बर को सरपंच कब देता है काम ?

श्री सी.पी. जोशी : वार्ड पंच को देने का नियम बना दिया हमने। आप तो यह मानो नहीं देना होगा। वह जमाना गया होगा। आज के दिन आज मेंडेटरी कर दिया हमने। आज मेंडेटरी कर दिया देना। प्रैक्टिकल नहीं, आज हमने मेंडेटरी कर दिया। कोई भी सरपंच जब तक एक वार्ड में काम नहीं होगा, दूसरें वार्ड में काम नहीं करवा सकेगा।

श्री देवीसिंह भाटी : बी प्रैक्टिकल। यह सिर्फ कागजों में होता है कि वार्ड पंच के नाम से यह कर दिया। हकीकत में आप जानते हैं कि ऐसा नहीं होता।

श्री सी.पी. जोशी : वह नहीं होता तो सीखना पड़ेगा। राजा का राज भी गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं सोचता हूं कि अभी भी हमारे यहां प्रधान के खिलाफ या और किसी के खिलाफ दो साल पहले वैसे भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता। यह प्रोविजन पहले से ही है। लेकिन अपन इस प्रोविजन का अगर सामान्य जनता से अविश्वास प्रस्ताव पास करवाकर उसको हटाएंगे। आपकी मंशा हो सकती है कि बेईमान आदमी को सजा मिलनी चाहिए, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता। अगर उसने गलत काम किया है तो उसे निश्चित हटना चाहिए, हटाना चाहिए। लेकिन जिस प्रक्रिया के द्वारा आप हटवाने की बात कह रहे हैं, यह गांव के लिए दु:खदायी स्थिति बनेगी और गांव और टुकड़ों में बंटकर बंटेगा। इसको बहुत प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाएं। मैं सोचता हूं कि हम कोई चीज ऐसी डालें जिसमें बड़ी आसानी से, इसको कोई नहीं चाहता कि कोई बेईमान आदमी है, उसको प्रोटेक्ट करके बनाये रखो। ऐसी किसी की मंशा नहीं है। अगर गांव के लोग चाहते हैं कि यह इसका हल है। लेकिन जो प्रक्रियां अपन ने बना रखी है उसमें नई बातें जोड़कर अपन एक नया प्रयोग करेंगे और इस नये प्रयोग का जो परिणाम आने वाला है, वह परिणाम बहुत

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अच्छा नहीं आने वाला है। यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

फिर भी मैं आपसे चाहता हूं कि आप इसको जल्दी नहीं करें। इसके एक-एक क्लाज को ठीक प्रकार से, सभी माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि इसको देखकर अपने खुले मन से आप अपने विचार जरूर रखें। बाद में आपको लगता है कि नहीं, हम बहुमत के आधार पर पास करना चाहें, आप जरूर करें, हमें कोई एतराज नहीं हो सकता। लेकिन कम से कम आप खुले मन से यह सारे जो क्लाजेज बना रहे हैं, इन पर आप जरूर चर्चा करें। ऐसा कानून मत बना दें जिसकी वजह से हम स्वयं बाद में जाकर पश्चाताप करें। मैं उन सब एक-एक बिन्दुओं को नहीं, क्यों कि वह पहले बातें हो चुकी हैं, मैं नहीं कहना चाहता।

श्री रामनारायण चौधरी : क्लाज बाई क्लाज आएगा, तब अपन देख लेंगे।

श्री सभापति : माननीय श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, आज जो कानून पास कर रहे हैं वास्तव में यह प्रजातंत्र की एक बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करूंगा जो कानून बनाएं, उसमें दो बातों का ध्यान रखिये। एक तो हमारी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, उन पर कसी प्रकार आघात न हो। दूसरा, कानून ऐसा न बन जाए जो न्यायालय में जाकर स्ट्रक डाउन हो जाए। इन दो बातों का ख्याल रखकर आप चलिए। मैं अपनी बात इन दो बातों के आधार पर आपसे निवेदन करना चाहूंगा। इसमें आप उस लाइट में लें, यह मेरा आपसे निवेदन है। आपने अमेंडमेंट खण्ड-4 का अमेंडमेंट किया है सैक्शन-तीन में लिखा आपने–

"Every ward of the Panchayat as determined in accordance with the provisions of the sub-section (2) of section 12 shall have a Ward Sabha consisting of all adult persons of the Ward in a Panchayat Circle." यानि जितने भी एडल्ट मैम्बर होंगे, वह इसके मैम्बर बनेंगे, यही मतलब है न इसका। उस वार्ड में जितने भी बालिग सदस्य होंगे वह सभा के सदस्य होंगे। न तो उनका रेकार्ड होगा, कौन बालिग है, कौन बालिग नहीं, यह कैसे तय करेंगे ? और मान लीजिए रामनारायणजी का बच्चा 17 साल 11 महीने का हो गया, वह कल बालिग हो जाएगा। वह भी मैम्बर बन जाएगा। (व्यवधान) यह नहीं लिखा उसमें, आप पढ़ लें, यह किताब पहले। आप बीच-बीच में बहुत बोलते हो न, पढ़ लो इसको। इसमें लिखा है– "...all adult persons of the Ward.." यह कैसे तय होगा कि एडल्ट मैम्बर है। सबकी जन्मपत्री बनवाओगे या कोई टी.सी. बनवाओगे ?

श्री सी.पी. जोशी : मतदाता सूची, वोटर लिस्ट।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, इसमें नहीं है पर इसको पढ़ रहा हूं। इसमें तो वोटर लिस्ट का नाम नहीं है। आपने इसमें लिखा है। "..all adult persons.." अब यह ठीक है कि रह गयी होगी भूल से तो आप ठीक कर लें। इसमें जिद क्यों करते हो आप। आप इस बात से सहमत हैं क्या कि यह रहना चाहिए ? All adult persons of the Ward will be members of this Committee.

श्री रामनारायण चौधरी : एडल्ट मैम्बर परिभाषित क्या होगा ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एडल्ट मैम्बर पर जाएं तो आप करोगे क्या ? एडल्ट मैम्बर तो जो 18 साल का है, एडल्ट मैम्बर हो गया। जो दिया भी नहीं। संविधान है, कानून है। मालूम है एडल्ट कौन होता है।

श्री रामनारायण चौधरी : उसका मतदाता सूची में नाम होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरा निवेदन यह है कि एडल्ट जो हैं, वह रोज बदलेंगे। यह कहां लिखा है इसमें। अब जो है उसको भी आप ठीक नहीं कर रहे हो और आप जबरदस्ती, और यही आगे जाकर क्या करेंगे। आगे जाकर उसके खिलाफ प्रस्ताव पेश करेंगे। (व्यवधान) आप पढ़ लेना फिर बाद में, पुराने हो गये आप। तो मंत्री महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यह अपने से कहीं-कहीं रह गया है, इसको आप देख लीजिये। यह बड़ी प्रोब्लम खड़ी करेगा। आपने यह तय नहीं किया कि इसका कोरम कितने का होगा। मंत्री महोदय, वार्ड सभा का कोरम कितने का होगा ?

श्री सभापति : यह आपके सब का जवाब बाद में देंगे इसलिए अपनी बात कहते जाइये। वो सब सुन रहे हैं, जवाब एक साथ देंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं फिर कहना चाहता हूं। (व्यवधान) आप हमसे कानून वो बनवाइये जो प्रतातंत्र की रक्षा करता हो और कोर्ट में जाकर स्ट्रक्ट डाउन नहीं हो। तो कोरम कहां है बताइये इसमें। आपने इसमें कोरम तय नहीं किया।

श्री सभापति : बीच-बीच में जवाब थोड़े देंगे मंत्री महोदय। आप तो अपनी बात कहिये वो अंत में कह देंगे। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बिलकुल ठीक है आपकी बात।

श्री सभापति : वो नोट कर रहे हैं सब।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अच्छा, कर लेने दीजिये नोट। All adult persons will be members of this Committee. इसकी कोई परिभाषा हो, मतलब लिपिबद्ध नहीं होंगे कहीं से भी और आपने इसका कोरम भी तय नहीं किया।

खण्ड-8, इसमें आपने दफा सात में संशोधन किया है उसमें सी है :—

"7. Functions of the Ward Sabha- The Ward Sabha shall perform the following functions :-....

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(c) identification of beneficiaries in order of priority, for the implementation of development schemes pertaining to the area of Ward Sabha;..." तो यह आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप ? एक वार्ड में 50 काम होंगे उसमें आप कैसे प्रिफर करेंगे ? कोई रास्ता उसका नहीं होगा क्योंकि यह मनमर्जी से होगा।

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो आपने भी कर रखा था। आपके यहां भी ऐसा ही था।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हमने कर रखा था, इससे कोई मतलब नहीं है। (व्यवधान) नहीं, ऐसा नहीं था। कभी नहीं था ऐसा। (व्यवधान) मैं तो बहुत ज्यादा आपको ओब्लाइज करता था, भूल रहे हो क्या आज उसको आप ? (व्यवधान)

आइडेंटिफिकेशन, यह जो आपने लिख दिया इसका डिस्क्रिएशन आपने किस पर छोड़ा ? इसका कोई न कोई जब रास्ता नहीं निकालेंगे तो निश्चित रूप से जो कमजोर होंगे, जो शिड्यूल्ड कास्ट के लोग होंगे, जो गरीब हैं, अभाव में रहते हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। जो प्रभावशाली लोग होंगे वो इसका लाभ उठायेंगे इसलिए इसकी व्यवस्था आप कैसे करेंगे, यह आपके जवाब में अभी बता देना।

फिर आपने लिखा है इसमें, यह वार्ड सभा क्या करेगी

" (m) exercising check on institutions and functionaries in all social sectors; ..." अब सोशल सेक्टर में जो भी आज काम करेंगे, उनको भी चैक करेगी यह पंचायतें। कोई धर्मशाला चलाता है, कोई संस्था चलाता है उस पर भी लागू करेगी, उसको चैक करेगी यह।

फिर आगे आपका 8 (ए) है। इन ग्राम सभा की जो मीटिंग होगी उसके बारे में आपने लिखा, सभापति महोदय, बड़ा इंटरेस्टिंग है। रामनारायणजी, अब सुन लेना आप।

"(7) The Vikas Adhikari of the concerned Panchayat Samiti or his nominee shall attend all meetings of the Gram Sabha. He shall be responsible for the correct recording of the minutes of such meetings by the Secretary of the Panchayat. A copy of the minutes so recorded shall be sent in the prescribed manner to the authorities as may be prescribed for this purpose. The minutes shall be read out at the end of the meeting and shall be approved and signed by members of the Gram Sabha present in the meeting."

श्री रामनारायण चौधरी : वन टैन का है कोरम।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वन टैन क्यों, सारे ही होंगे न, तीन हजार होंगे। बाई कोरम। (व्यवधान) विधान सभा में 20 ही रहते हैं क्या ? कोरम नहीं है, कोरम आगे आयेगा। उस ग्राम सभा में

(श्री भंवरलाल शर्मा)

जितने लोग उपस्थित होंगे, उसकी प्रोसीडिंग पर सब के दस्तखत होंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : हां, होंगे तो, आप कोरम कह रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : How is it possible? कितने लोग होंगे, कितना नम्बर होगा यह ? (व्यवधान) कोरम का सवाल नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच–बीच में, उनकी तरफ ध्यान मत दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : "The minutes shall be read out at the end of the meeting and shall be approved and signed by members of the Gram Sabha present in the meeting."

What to talk of quorum? जितने लोग होंगे, सबके दस्तखत कहां से होंगे ? आप इसको उस लाइट में समझने की कोशिश करो खाली विरोध के लिए विरोध मत समझिये आप। जितने लोग होंगे न, मान लो दो हजार लोग हैं, सब दस्तखत करेंगे उस पर ?

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, वह तो परजेंट होंगे। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (व्यवधान) : यह क्या पोसिबल है क्या ? अब आगे सुनिये। (व्यवधान) खैर, करिये आप।

श्री रामनारायण चौधरी : कोरम कर जायेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, कोरम क्यों करते हो सब को पाबंदी है, सब करेंगे।

एक माननीय सदस्य : वह तो सारे आयेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सब लिखा है। (व्यवधान) एनी वे, आपका जो स्वभाव है वो बोल रहे हो आप, बाकी समझने की कोशिश करिये आप।

अब आप इसका 8 (बी) देखिये :– It is very interesting.

"Quorum. - The quorum for a meeting of the Gram Sabha shall be one-tenth of the total number of members out of which presence of members belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes and Women members shall be in proportion to their population." अब यह कोरम होगा। अब इस कोरम में...

श्री रामनारायण चौधरी : मतलब सब जातियां होंगी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सब जातियों का नहीं, उतनी जनसंख्या जरूरी है उनकी।

श्री रामनारायण चौधरी : आगे सब जातियों का रिप्रजेंटेशन होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कैसे तय करोगे आप ? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : पिछड़ी जाति की गिनती है क्या राजस्थान सरकार के पास ? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : अब आप पिछड़ी जाति में हो ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां वो सही है। ".....belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes and Women members shall be in proportion to their population." उस वार्ड में जितनी इनकी पापुलेशन होगी, महिलाओं की, पुरूषों की, एस.टी. की, एस.सी. की, उस प्रपोर्शन में उनकी उपस्थिति आयेगी तभी कोरम होगा, नहीं तो कोरम नहीं होगा. How is it possible?

श्री रामनारायण चौधरी : अच्छा होगा न, ना नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां तो यही होगा न फिर। इसका 8 (ई) है, ग्राम सभा क्या-क्या काम करेगी :—

"Approve the plans, programmes and projects for social and economic development in order of priority from out of the plans, programmes and projects ..." अब यह प्रायोरिटी कैसे तय करोगे आप ? फिर वो ही बात होगी, जो प्रभावशाली लोग होंगे, जिनका ज्यादा दबदबा होगा वो अपने काम करायेंगे बाकी लोग नहीं करा पायेंगे। तो सब को समान रूप से विकास का मौका मिले, ऐसी व्यवस्था इस कानून में नहीं है, इसको भी करिये आप। फिर आपने लिख दिया, 8-(डी)

"exercising social audit in respect of plots allotted to the weaker sections;" यह सोशल आडिट क्या होगा ? सोशल आडिट किस ढंग से होगा ? यह अपने जवाब में क्लियर करिये कि आपने जो सोशल आडिट का प्रोविजन डाला है, सोशल आडिट होना चाहिए पर सोशल आडिट कैसे होगा, कौन करेगा ? इसका जरा आप तरीका बता दें। (व्यवधान)

हां, मैं यह बोल रहा हूं।

"(i) seeking clarifications from the Sarpanch and members of the Panchayat about any particular activity, scheme, income and expenditure;" एक-एक मैम्बर से यह जवाब-तलब करेंगे ? कैसे करेंगे ? और फिर वही आइडेंटिफिकेशन और एप्रूवल आफ स्कीम से होगा। आई और जे, दोनों। आपने यहां भी पावर दे दिया— "(m) control over institutions and functionaries in all social sectors;" पंचायत जाति की कोई होगी, कुछ और समाज के लोग होंगे, संस्थाएं होंगी, उन पर भी आप कंट्रोल करोगे ? यह कैसे करेगी ?

जैसे माननीय राजेन्द्र सिंहजी ने आपसे कहा था कि यह पैलेस आफ आफिस आप बदलेंगे तो यह तो ठीक बात है कि जब

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कोई सरपंच प्रभावी होगा तो वह जगह बदलवा लेगा। आज जमुवारामगढ़ में पंचायत है कल दूसरी जगह चली जायेगी, फिर कोई दूसरा आयेगा तो वो अपना बदलवा लेगा। ऐसा ही आपने प्रधान के बारे में कर दिया, तो Why do you change it ? जहां पंचायत है वह रहे। यदि आप, सरकार कोई समझती है कि किसी आधार पर कभी और किसी ग्राउंड पर करना चाहे तो करे बाकी आपने जगह बदलने का, नाम बदलने का भी अधिकार दे दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति : हो गया क्या, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, अभी तो चालू हुआ है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कानून की बात है, उसको ढंग से ही कहनी पड़ती है और फिर जिनको समझाना है, वो और मुश्किल है मेरे लिए।

श्री रामनारायण चौधरी : आप प्रिंसिपल की बात करो।

एक माननीय सदस्य : अब हो गया, क्या बाकी है ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपको जल्दी जाना है क्या ?

श्रीमती बीना काक : हां, साहब।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपकी बात नहीं, मैं इनसे पूछ रहा हूं।

श्रीमती बीना काक : अब बहुत हो गया। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य एक ही बात में उलझ गये न, तो कानून बहुत लम्बा चौड़ा है। ये ग्राम सभा में ही उलझ गये न।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, बहुत कम कर रहा हूं।

श्रीमती बीना काक : अब इसमें क्या बहस करनी है साहब।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : "..... is under trial in the competent court which has taken cognizance of the offence and framed the charges against him of any offence punishable with imprisonment for five years or more;" आई.पी.सी. में कई धाराएं ऐसी हैं, जैसे आपके खेत में कोई बकरी घुस गयी। आपने उसके एक लकड़ी की मार दी और उसकी टांग टूट गयी तो पांच साल की सजा है। अगर कोई भी छोटी छेड़ी किसी के भी खेत में घुस गयी। जैसे यहां रोज के झगड़े कर रहे हो और आपने उसकी टांग तोड़ दी तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। यदि कहीं घास फूंस पड़ा हुआ है दस रुपये की कीमत का। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अगर आपने बीड़ी पीयी और उसमें फेंक दी और आग लग गयी तो पांच साल की सजा है। तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। सभापति महोदय, कई बार साईकिल से टक्कर हो जाती है। थोड़ी सी गर्मागर्मी होती है और मान लो किसी ने किसी के एक रख दिया

(श्री भंवरलाल शर्मा)

और जरा सी अंगुली टूट गयी तो 325 का केस बन गया। उसमें पांच साल की सजा है। तो उसको भी आप रोक देंगे क्या ? तो जो मोरल टरपिट्यूड के आफेंस हैं, चोरी है, डकैती है, रेप है, ऐसे जो अपराध हैं, जो समाज की भावनाओं के बिलकुल खिलाफ हैं, उन पर लगाना तो ठीक है बाकी आप इन पर भी लगाकर यह करेंगे तो बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। फिर छः महीने की सजा हो गयी किसी कोर्ट से तो चुनाव नहीं लड़ सकता। कानून की स्थिति है। रामनारायण जी, आप कई बार कार से पधारते हो।

श्री सभापति : क्यों रामनारायणजी को बार-बार छेड़ते हो। वह डिरेल कर देंगे आपको।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ठीक है। नहीं छेड़ेंगे। जैसे मान लीजिये आप कार चला रहे हैं और कार चलाते वक्त किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसमें छः महीने की सजा हो सकती है। क्यों शैलेन्द्रजी, एक्सीडेंट पर कोई मैलाफाइड इन्टेंशन नहीं है, मैन्सरिया नहीं है। आप बड़ी सावधानी से चला रहे हैं। गाड़ी की टक्कर हो गयी और मान लो एक्सीडेंट हो गया और छः महीने की सजा हो गयी उस केस में, तो वह भी चुनाव नहीं लड़ सकता, यह आप ला रहे हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि सजा को जोड़िए आप मोरल टरपिट्यूड आफेसेंज (व्यवधान) वह जोड़ दीजिए। वह तो ठीक है। हां, उसे जोड़ दीजिए। बाकी हर बात को आपने जोड़ दिया जिसकी सामान्य वृत्ति अपराध करने की नहीं है। माननीय हरिसिंहजी यहां विराजमान हैं। अगर मान लो एक्सीडेंट के केस में सजा हो जाए तो व्हाट इज द आफेंस ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : हाई कोर्ट का फैसला हो गया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या हो गया ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : इसी इश्यु पर हो गया कि जिनको पांच साल या पांच साल से अधिक का प्रोविजन है सजा का। अभी जोधपुर हाई कोर्ट ने दिया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप वह फैसला पढ़ लेना, उसमें अभी चार्ज लगा नहीं था। वह फैसला हुआ है न, उसमें चार्ज लगा नहीं था। तो कानून आप बदलेंगे तो कानून का इन्टरप्रिटेशन तो यह होगा ही होगा। हाई कोर्ट तो जो कानून बनायेगी उसका फैसला करेगी। आप कानून कैसे बना रहे हैं ? मान लो एक्सीडेंट से कोई मर गया और छः महीने की सजा हो गयी उसको, तो उसको भी चुनाव नहीं लड़ने देंगे आप ? Do you agree with me? आपके तो यह मुश्किल है लेकिन यह होगा कैसे ? इसलिए मेरा यह कहना है कि आप सजा वालों को, दोषियों को और अपराधियों को दूर रखिये लेकिन इसके लिए कम से कम यह तो करिए कि मोरल टरपिट्यूड लोगों को इसमें आप लाइये। अभी सेक्शन 25 का चक्कर आया था।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

उसमें आपने कहा कि नहीं, इस कानून में सुधार कर देंगे रूल्स बनायेंगे तब। मेरा आपसे निवेदन है कि आप किसी को चार्ज हैण्ड ओवर करेंगे वह अधिकार आप ले रहे हैं। मेरा सुझाव यह है कि जिस प्रकार से दोनों पद खाली होते हैं सरपंच, उप सरपंच, प्रधान और उप प्रधान का तो आप टेम्परेरी अरेंजमेंट किसी को करेंगे लेकिन It should be temporary. उसको ज्यादा से ज्यादा आप एक महीने का पावर दे दीजिये। एक महीने तक वह रहेगा और एक महीने के अन्दर-अन्दर आप चुनाव करवा दीजिए। (व्यवधान) इसमें नहीं लिखा है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : छः महीने का प्रोविजन है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : है, लेकिन इसमें नहीं लिखा है। यह किताब भेजूं क्या आपको ? इसमें नहीं है। होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। (व्यवधान) है, मुझे मालूम है लेकिन इसमें नहीं है। इसलिए उस पर यह पाबन्दी कर दीजिए कि ऐसी कन्टिजेंसी आ जाए, इमरजेंसी आ जाए तो किसी को चार्ज दे दें लेकिन एक महीने से अधिक चार्ज उसका नहीं हो और बीच में चुनाव करवा दीजिए। नगरपालिकाओं में भी ऐसा नियम है इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसको इस तरह संशोधन कर दीजिए।

फिर आपक खण्ड 26 है और आपका सेक्शन 32 है। इसमें मैं समझता हूं कि कन्फ्यूजन हो गया है आपको। यह 32 का सब सेक्शन (3) है उसकी रिहाई जब कभी पंच सरपंच नहीं हो, वहां की दोनों की जगह वेकेन्ट हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे ? उस समय इस पद पर जो कोई आयेगा उसको अधिकार दिया है आपने। वह क्या-क्या काम कर सकता है ? और फिर इसके साथ जोड़ दिया आपने थर्ड ".....an elected member of the Panchayat empowered to act in accordance with sub-section (3) shall exercise powers and perform functions and duties of a Sarpanch;" फिर ये दो क्या होंगे ? दो का क्या मतलब हुआ ? जो आपने लगायी है एक व दो प्रोवाइडेड है। इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। यह जो तीसरा आदमी है वह भी वही काम करेगा। यह आपने सुपरफ्लुअस कर दिया इसको। और फिर आगे आपने जो चेन्ज किया है 34 (ए) जोड़ दिया। 34 (ए) में शायद मतलब यही था कि दोनों का मान लीजिये यह पद खाली हो गये तो उस पर टेम्परेरी जो आयेगा उसके लिए 34 (ए) जोड़ा है लेकिन इसका अर्थ यह हो गया कि यह पूरा ही लागू हो जाएगा। जो आपने इसमें किया था कि 32 में उसी के अनुरूप है, यह लेकिन यह हो क्या गया ? यह ऐसा हो गया।

श्री सभापति : अब काफी हो गया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह तो लम्बा बिल है। बिल भी लम्बा है। मैं क्या करूं।

डा. चन्द्रभान : नगरपालिका पर बोलना।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह बाद की बात है। उसमें बोलना नहीं है। वह हमारा ही भेजा हुआ है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपका तो संशोधन जनमत जानने हेतु है। दो प्रिंसीपल जनमत जानने हेतु हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसलिए मैं कहता हूं कि ये सारी बातें हैं। इन बातों पर विचार करने के लिए जल्दबाजी में पास नहीं करें। जैसाकि अभी सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि अगर मान लीजिये ग्राम पंचायत वार्ड पंचायत एक प्रस्ताव पास कर दें तो आप सरपंच को हटा देंगे। आप विचार करिए। रामनारायणजी, आप जीतकर आये हो। बहुमत से नहीं जीते हो। आपके वोट बंट गये थे। उसमें जीत गये आप। जीतने के बाद आप यहां आ गये। (व्यवधान) कई लोग नहीं जीतते। कई बार चुनाव होता है तो बहुमत वाला नहीं जीतता है।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं आपकी मंशा को समझ गया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : रिमेनिंग जो वोट है जब वे बंट जाते हैं। बंटने के बाद वह चुनाव जीतकर आ जाता है, अब इसमें क्या होगा कि वह जीत तो गया। अब जो दो लोग हारे हैं वो यूनाइड होंगे और, और तो काम करेंगे कि नहीं करेंगे, पहले इसको हटाने का काम रोज करते रहेंगे। तो आप हर दो वर्ष बाद इलेक्शन क्यों करवाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : आसन की तरफ देखकर बोलें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ये आसन पर कभी-कभी बैठते हैं। माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है मेरा निवेदन है कि गांवों में केवल इसी काम में लगे रहेंगे लोग और उसका परिणाम यह होगा कि जो आज गांव में स्थिति शांत है वह बड़ी डिस्टर्ब होगी। इसीलिए दो साल इनको, कोई और बात हो तो हटा दीजिए न, आपको पावर है। वहां उनको क्यों डालते हो ? जो लोग हारेंगे न, **they will combine themselves and they will try to remove Panch, Sarpanch and all that.** वहां वे झगड़े होंगे।

श्री सभापति : ठीक है सर।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको इस तरह मत करिए और और अधिकार दे दीजिए। अगर कोई सरपंच, चुनाव प्रतिनिधि गड़बड़ करता है, **you have ample powers.** जिसके कारण आप उसको निलम्बित कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। परन्तु यह वहां मत छोड़िए और इसमें भी आपने कह दिया कि एडल्ट मैम्बर देगा वोट। ग्राम सभा में वार्ड सभा में एडल्ट मैम्बर वोटर होगा। मैम्बर तो रोज ही बनते रहते हैं लोग। कैसे इसको वैरीफाई करेंगे ? यह तो बहुत बड़ा झगड़े का काम होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इन सब बातों पर विचार करने के लिए आप जनमत

(श्री भंवरलाल शर्मा)

जानने के लिए कमेटी को दे दीजिए ताकि इस पर बिलकुल शुद्ध विचार सामने आ जायेगा फिर हम पास कर देंगे। उसमें क्या बात है ? मुझे महेशजी कहते हैं कि बैठ जाओ, तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री सभापति : श्री ज्ञानदेवजी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाए ?

(स्वीकृत)

अपन तो बढ़ाने के लिए यहीं हैं क्या दिक्कत है ?

विधयेक पर विचार

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, यह जो पंचायत राज में अमेंडमेंट के बारे में संशोधन पत्र भेजा गया है, मैं इसके बारे में प्रारम्भ से ही निवेदन करना चाहता हूं कि जनमत जानने के लिए समिति को भेजा जाए। मेरा निवेदन है माननीय मंत्रीजी, कि पहले पंचायत चलती थीं जैसे हमारे परिवार चलते हैं। पूर्व में सौहार्दपूर्ण वातावरण था, आत्मीयता थी, भाई चारा था, प्रेम था, प्रेम भाव था। कोई लिखित कानून नहीं था पंचायतों का। यह हमारे वैदिक काल से, सनातन काल से यूनिवर्सल फैक्ट है। वैदिक काल से चली आने वाली पंच परमेश्वरों की ये पंचायतें, उसको आप लोगों ने नष्ट भ्रष्ट कर ही दिया। आज उसके आप टुकड़े-टुकड़े कर रहे हैं, खण्डित कर रहे हैं बार-बार संशोधन लाकर के। वैसे तो 1953 का कानून पंचायत राज का, उसमें संशोधन लाए हमारे श्री राजीव गांधी, जो 1994 में, उनका जो रहन सहन था, वह किसी पंचायत और गांव से जुड़े हुए नहीं थे। आप धैर्यपूर्वक सुन लें। इस बात पर शायद जरूर उछलेंगे हमारे भाई कांग्रेस के, माननीय सदस्य धैर्य पूर्वक सुन लें। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, 1994 में जो संशोधन लाये और उनको किसी गांव का और पंचायत का अनुभव नहीं था। एक बार बिहार में चले गये और बिहार में किसानों से कहने लगे कि अगर पैसा लाल मिर्च में ज्यादा मिलता है तो तुम हरी मिर्च क्यों बोते हो। यह अखबारों में आया था माननीय राजीव गांधीजी का।

श्री संयम लोढ़ा : जो आदमी इस दुनियां में नहीं है उनके लिए आप ऐसे वक्तव्य मत दो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैंने अपशब्द नहीं कहा।

श्री संयम लोढ़ा : यह कोई तरीका थोड़े ही है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैंने कुछ नहीं कहा। (व्यवधान) यह अखबारों में आया था। अच्छा मैं स्वर्गीय कह देता हूं। स्वर्गीय कहने से तो आपकी आत्मा को शान्ति मिलेगी। स्वर्गीय राजीव गांधीजी तो उन्होंने 1994 में, चलिये मैं विषय ही बदल देता हूं, 1994 में जो संशोधन लाये अब खुद कांग्रेस के लोग ही, आपकी सरकार आपकी सत्ता है, उनकी मृत आत्मा के लिए आप अशान्ति पैदा कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य अच्छा हो इस प्रकार के रेफरेंस आप नहीं दें। अपने बिल पर आइये, क्लाजेज पर आइये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बिल पर ही आ रहा हूं मैं।

श्री सभापति : मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं इस प्रकार के रैफरेन्सेज नहीं आने चाहिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : 1994 का जो संशोधन हैं। (व्यवधान) यह जो संशोधन है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपके नेता महोदय की तो बात मानिये। इस प्रकार के रैफरेन्सेज नहीं आने चाहिए यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप शांतिपूर्वक सुन लें। मैं स्वर्गीय राजीव गांधीजी को श्रृंद्धाजलि देते हुए बोल रहा हूं।

श्री सभापति : क्यों करो आप ऐसी बात। नहीं नहीं, क्या लेना देना है इससे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप बोलने भी नहीं देते। चुनकर के हम भी आये हैं हम भी माननीय सदस्य हैं और चुनकर के आये हैं। माननीय सभापति जी, हम भी चुनकर के आये हैं। चलिये आप नहीं बोलने देते किसी बात को....

श्री सभापति : आपको बोलने से कोई नहीं रोकता है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपने तो वह काम किया है कि उन्होंने जो कानून बनाया, इतना तो मैं बोलता हूं सीधे-सीधे संसदीय भाषा में, उस कानून में आप छेद कर रहे हैं, आप भेद कर रहे हैं, आप उसमें संशोधन कर रहे हैं, आप उसके टुकड़े-टुकड़े कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था जैसी आपकी आदत बन गयी है जिसको आप विकेन्द्रित कहें, विकलांग कहें उस कानून के, हमारे स्वर्गीय राजीव गांधीजी के कानून के खंड-खंड और उसके प्रखण्ड कर रहे हैं, उसके टुकड़े कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है उनकी आत्मा को शांति मिले यह आप थोड़ी सी कृपा करें, यह संशोधन न लाएं। बस इतना सा ही। आपकी आदत बन गयी है।

माननीय सभापतिजी, एक मरीज था कोई। वह मरीज गया किसी डाक्टर के पास। और वह डाक्टर के पास इसलिए गया कि उसके सिर में दर्द था...(व्यवधान) बिल पर ही बोल रहा हूं। जनता को जो भ्रमित आप कर रहे हैं, जनता को जो आप बेवकूफ बना रहे हैं उसके लिए बोल रहा हूं। यह कहानियां इसलिए जरूरी हैं कि

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

+++ ठीक से समझ में आ जाए यह जरूरी है। तो एक मरीज गया डाक्टर के पास और डाक्टर के पास जाकर कहा कि मेरे सिर में दर्द है। डाक्टर ने कहा कि अच्छा, सिर में दर्द है, बैठो, तसल्ली से बैठिये। सिर में दर्द था तो मरीज की आंखे बंद थीं, बोले जरा मुंह खोलो। लेकर के जम्बूरी, जिसको प्लास कहते हैं, उठाकर के दांत उखाड़ लिया। मरीज चिल्लाया मर गया, मर गया। बहुत दर्द हुआ। मरीज चिल्लाया तो डाक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, सिर का दर्द तो दूर हो गया ना। आपसे सत्ता सम्भल नहीं रही, आपसे व्यवस्था बैठ नहीं रही। अकाल की व्यवस्था, पानी, चारे की व्यवस्था के बारे में कल बात हो गयी। आपसे कोई ठीक से बात संभल नहीं रही तो आप ऐसा कानून और संशोधन लाकर के इस जनता का ध्यान दूसरी तरफ बांटना चाहते हो उस डाक्टर की तरह। इसलिए इन संशोधनों में आने से पहले भूमिका तो बांधना जरूरी है। सभापति महोदय, मंत्री महोदय की समझ में आए, इसलिए कहना जरूरी है।

मैं यह कहना चाहता हूं सभापतिजी, मंत्री महोदय को कि पहले जैसे बिना कानून के पंचायतें चलती थी, अब डी. आर. डी. ए. बन गये पंचायत समितियों में विकास अधिकारी बैठ गये, जे.ईएन., ए.ईएन, एक्स. ईएन. बैठ गये। अब सारे कानून बनाकर के आपने रख दिये ऐसे। और नीचे तक पहले विकास कार्य होते थे प्यार और मोहब्बत से गांव में। अब उसमें आपने इतना कर दिया कि आपके ही स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा कि दिल्ली से एक रुपया भेजता हूं नीचे तक पन्द्रह पैसे जाता है। अब ऐसे कानून, संशोधन जिसको समझ में नहीं आए....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय सीमित है। आप इन बातों में क्यों लगते हो। आप क्लाजेज पर आइये, कहां कानून में क्या खामियां हैं वह बताइये आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : वह ही बता रहा हूं साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह लिख ही नहीं रहे हैं मंत्रीजी।

श्री सी.पी. जोशी : (व्यवधान) क्लाज पर लिखूंगा ना....(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये, हो गयी बात आप बिराजो।

श्री रामस्वरूप : बहुत सहन कर लिया है इनका, यह कह रहे हैं कि उनको ज्ञान ही नहीं था....(व्यवधान)

श्री सभापति : क्यों बात को बढ़ा रहे हो आप। बिराजो।

श्री रामस्वरूप : राजीव गांधीजी को ज्ञान नहीं था, इनको ज्ञान है।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : बैठो आप, बैठो। बिल की बुराइयों पर, कौनसे खण्ड में क्या खामियां हैं, वह बताइये आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह तो पंच परमेश्वर की भावना थी। माननीय सभापति जी, आप इसमें बच्चों का कानून ले आए।

श्री रामस्वरूप : हम चुपचाप बैठे हैं इसलिए आप मर्जी आए जो कहते रहो, ऐसे नहीं कहने देंगे हम।

श्री सभापति : बैठो ना आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अब बच्चों का कानून आ गया तो चलिये कितने केस पैंडिग हैं इन झगड़ों के ? आप धारा 38, 39 और 40 का निर्णय कहीं कर नहीं पा रहे। आप एक कानून ले आए कि किसी को आई.पी.सी. या सी.आर.पी.सी. में सजा हो गयी तो वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा, वोट नहीं दे पाएगा। अब तक सेक्शन 11, 12, 18, 19, 21 तो हमारे राजीव गांधीजी बोल चुके। हम तो आपको सीधी सीधी बात बताएं आपकी समझ के लायक मोटी मोटी कि यह जो कानून आप लाए हैं जब शासन बी.जे.पी. का था तो आपके तीन तीन पूर्व मुख्य मंत्री और तब के प्रदेश अध्यक्ष महोदय, आप यहां मंत्रीजी, विधायक, बहुत सारे बैठे हैं, माननीय सदस्य इनको लेकर सैक्रेटेरियट में घुस गये। आपका रोष था, आपने कमरे तोड़ दिये, आपने कानून का उल्लघंन किया। आपकी सत्ता आयी तो एन.एस.यू.आई की प्रेसीडेंट कुछ साथियों को लेकर फिर घुस गयी, सिक्योरिटी वालों से झगड़ा कर लिया। यह रोष के कारण हुआ। मैं इनको अच्छाई बुराई के बारे में नहीं कह रहा हूं। यह जो पंचायत कानून है....(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : इसका अमेंडमेंट से क्या लेना देना है....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह क्या कह रहे हैं सदन के अन्दर....(व्यवधान) यह इनकी आदत बन गयी है।

श्री रामस्वरूप : यह कहां की बात कर रहे हैं ?

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूपजी बिराजें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसा ही एक कानून यह बना रहे हैं केस बनाने के लिए, और केस पर लेकर के चुनाव नहीं लड़ने का, मतदान नहीं करने का, मतदाता नहीं बनने देने का यह जो अधिकार छीन रहे हैं, फंडामेंटल राइट, इस तानाशाही के खिलाफ मैं कहना चाहता हूं, आप करें तो लीला और हम करें तो पाप। यह नहीं चलेगा माननीय मंत्री महोदय। सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं....

श्री रामस्वरूप : +++ जब ही तो तीस आये हो। यह सारी संख्या ही तीस आयी है। +++ और क्या चाहते हो आप।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य मीणा साहब।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि यह जो कानून बना दिये पंच सरपंच चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं लड़ सकते और वोट क्यों नहीं डाल सकते ? यह फंडामेंटल राइट छीनने का अधिकार आपको नहीं है। जनता को भ्रमित मत करिये, पंचायतों में झगड़े मत खड़े करिये। यह जो वार्ड सभाओं का काम, आप गये हैं किसी वार्ड में ? गये हैं क्या माननीय मंत्री महोदय, आप किसी वार्ड की मीटिंग में जाकर, किसी पंचायत की मीटिंग में जाकर बैठे हैं क्या ? सारी फर्जी और फोरजरी कार्यवाही। कोई पंचायतों की मीटिंग हमारे कलेक्टर रह चुके इस समय डायरेक्टर, पंचायत राज हैं। हमारे यहां पंचायतों की मीटिंग हुई। एक पंचायत में आठ लोग गये, एक पंचायत में सात लोग और जब पंचायतों में लोग इकट्ठे होते हैं, हमारे पूर्व वक्ता जो बोल चुके, तो वार्डों में कितने लोग होंगे और वार्ड सभाओं में कितने होंगे। वार्ड सभाओं को बड़ा अधिकार दिया हुआ है आपने सरपंचों को ग्राम पंचायतों में जितना अधिकार है, वार्ड सभाओं का कितना अधिकार है ? ऐसी वार्ड सभाएं बनाकर आप क्या करना चाहते हैं, गांवों में बलवे खड़ा करना चाहते हैं, दंगे खड़े करना चाहते हैं। मेरे यहां एक पंचायत है घड़ी दंलेटा रामगढ़ क्षेत्र में।

मैं तो बहुत सीमित बोल रहा हूं, ज्यादा पंचायतों का हवाला नहीं दे रहा हूं, घडी दंलेटा, वहां की पंचायत में घडी के गांव के लोग चाहते हैं कि पंचायत घडी में रहे, धनेटा के लोग चाहते हैं गांव धनेटा में रहे। इस बात को लेकर पांच साल तक झगड़ा चलता रहा। बी.डी.ओ. ने लिख दिया, जो ग्राम पंचायत भवन बन गया, तीन लाख रुपये लग गये, अब उसको सामुदायिक केन्द्र माना गया लिखित में, और लट्ठम लट्ठा हुआ। और घडी में पंचायत केन्द्र बनाया जाए और वह पंचायत केन्द्र पहले जो सामुदायिक केन्द्र घोषित हुआ लिखित में, और दुबारा पंचायत हो गया। ऐसी स्थिति में पंचायत केन्द्रों के झगड़े, पंचायतों के नाम से झगड़े, जो यहां हवाला आया है। आप किस व्यवस्था को देना चाहते हैं माननीय मंत्री महोदय ? माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं....यह पंचायतों का जो एक साथ एस.टी. हटा, एस.सी. हटा, ओ.बी.सी. हटा। महिला हटी। उसके ऊपर महिला पर महिला आयेगी। एस.टी. पर एस.टी., एस.सी. पर एस. सी. आयेगा। वही प्रधान उप जिला प्रमुख बनेगा। अब आपका बहुमत है। चार महिलाएं वहां एस.सी. की हैं। यह बात सही है एक एस.सी. की महिला हट गई। बहुमत तो आपका है पंचायत समिति में और एस.सी. की महिला आपके पास है नहीं। वह हमारी है।

(17.00 बजे)

डा. किरोड़ी लाल : इतना महत्वपूर्ण भाषण नोट नहीं कर रहे हैं।

श्री सभापति : मंत्रीजी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आपकी हर बात का जवाब देंगे। आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरी तो सुन रहे हैं पर माननीय सदस्य की नहीं सुन रहे हैं।

श्री सभापति : आप विराजिये। माननीय सदस्य की सब बातों का जवाब मिलेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अमूल्य सुझाव आ रहे हैं।

श्री सी.पी. जोशी : लिख रहा हूं मैं। आपसे पूछ लूंगा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह विषय नहीं आया। मंत्रीजी, जरा ध्यान दीजिये।

श्री दिग्विजय सिंह : किरोड़ी लाल जी से कह रहा हूं मैं, आप वहां भी देख लो, उधर भी देख लो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जिला परिषद का 50 नम्बर का कोड है और जिला प्रमुख एस.सी. है वे हट गई और उनकी जगह एस.सी. आयेगी यह बात सही है। अब मैं कहता हूं मान लीजिए आपका ही बहुमत है, कांग्रेस पार्षदों का, लेकिन एस.सी. महिला आपके पास नहीं। अगर एस.सी. महिला बी.जे.पी. की है तो आप क्या करोगे, उस समय आप बलवा खड़ा कर दोगे और जिला परिषद को किस ढंग से चलायेंगे जरा बता दीजिये। वह जिला प्रमुख बनेगी तो आप बनने दोगे क्या ? आप झगड़े खड़े करवा रहे हो। पार्टी टू पार्टी, जिला पार्षद टू जिला पार्षद। आप पंचायत में झगड़े खड़े करवा रहे हो। पंचायत समिति में झगड़े खड़े करवा रहे हो। आप जिला पार्षद या जिला प्रमुख या प्रधान कैसे बनायेंगे। आपके पास एस. सी. का कोई पार्षद नहीं है। तो आप बी. जे. पी. को बनायेंगे या बी. जे. पी. वाले कांग्रेस के किसी सदस्य को बना लेंगे। यह सम्भव नहीं है। यह जो संशोधन आप 11, 12, 15, 18, 19 जो खण्डों और प्रखण्डों में कर रहे हैं। सैक्शन 38, 39, 40 इन बच्चों का कर रहे हैं। मेरे तो बच्चे नहीं हैं, मैं तो कोई भी चुनाव लड़ सकता हूं। कोई विशेष बात नहीं है। 1-2 नहीं है। कोई है ही नहीं। कोई भी चुनाव लड़ सकता हूं लेकिन जिनके बच्चे हो गये फिर आप एक बार विचार करें। मेरा आपको निवेदन है कि यह झगड़े गांव-गांव में वार्डों के और सरपंचों के और जिला प्रमुखों के, यह मत करिये। इसको जनमत जानने के लिये, मुझे बोलने नहीं दिया गया है। सभापति महोदय, इसलिये आज धन्यवाद तो नहीं दे रहा हूं आपको, लेकिन मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि इस झगड़े को मत खड़ा करिये। प्रवर समिति को जनमत जानने के लिये भेजिये।

श्री सभापति : श्री अमीन खान। हो गया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इन सारे मुद्दों को जनमत जानने के लिए प्रवर समिति को भेजें। मंत्री महोदय थोड़ा दिमाग से काम लेंगे और माननीय सदस्यों ने, हम लोगों ने कहा है जो सुझाव रखे हैं, इन सुझावों पर ध्यान देंगे तो आप दुःख नहीं पायेंगे। अन्त में एक शेर, साहब।

"हम तो दुश्मन को भी ऐसी सजा देते हैं,
वार करते नहीं नजरों से ही गिरा देते हैं।"

एक माननीय सदस्य : इरशाद। एक बार और।

श्रीमती बीना काक : शेर बोला वह भी किताब में देखकर तो क्या फायदा हुआ, ज्ञानदेवजी।

श्री सभापति : श्री अमीन खान।

श्री अमीन खान (शिव) : सभापति महोदय, पंचायत एक्ट में जो संशोधन किया गया है उसमें बाकी तो सारा बहुत अच्छा है और जनहित में है। केवल दो खामी हमें महसूस होती हैं। हमारे ख्याल में यह खामी हैं। मैं बहुत अदब के साथ पंचायत राज मंत्रीजी से गुजारिश करूंगा कि इसको आप दुरूस्त करें। ग्राम पंचायत का मतलब है गांव की जनता की एक पंचायत और ग्राम सभा का अर्थ है एक गांव की सभा। अब उस ग्राम सभा को आपने चेन्ज करके वार्ड सभा कर दिया। वार्ड में सभापति महोदय, अपन जानते हैं अपने राजस्थान में अभी तक चालीस परसेन्ट से भी नीचे गांव में नर और नारी अनपढ़ हैं और वह ग्राम सभा, वार्ड सभा जो होती है, आज तक तो ज्यादातर फर्जी रिकार्ड की जाती है। उसमें अगर इतनी बड़ी शक्ति आप देते हो तो एक ग्राम सेवक या कोई कार्यवाही लिखने वाला अपनी मनमानी चाहे जैसी कर सकता है। यह बहुत खराब चीज है। हम महसूस करते हैं। एक रेवेन्यू गांव है उसमें दो वार्ड भी बने हुए हैं एक ऐसा बड़ा गांव है जिसमें छह वार्ड बने हुए हैं और एक ऐसा गांव है जिसमें एक भी वार्ड नहीं है और दो गांव का एक वार्ड बना है तो इन लोगों को अलग-अलग करके। यह एक गांव के अन्दर दो-दो, तीन-तीन सभाएँ कराने से गांव की सभ्यता बिगड़ती है और इसमें फर्जी कार्यवाही होती है और कोई लाभ जैसी चीज नहीं है।

मेरा एक सुझाव है कि एक तो रखा जाये पंचायत सभा। पंचायत सभा का अर्थ यह जोड़ दो कि सरपंच और उस पंचायत के चुने हुए सदस्य और एक यह रखो कि पंचायत की आम सभा जिसमें जितने भी पंचायत के मतदाता हैं उनकी एक आम सभा मान ली जाये। नीचे आप तह में जाना चाहते हो तो इकाई रेवेन्यू गांव की एक इकाई कम से कम मानी जाये। उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। एक रेवेन्यू गांव की एक ग्राम सभा के नाम से कायदा बना दो ताकि कम से कम एक गांव की जगह तो हो। अब तीन-तीन, चार-चार जगह एक गांव को विभाजित करके, आम सभाएं सारी फर्जी होती हैं और उससे कोई गांव के लोगों को लाभ नहीं है। यह ग्राम सेवक और पटवारी जो मनमाने चाहेंगे वह फर्जी कार्यवाही करेंगे। कोई वार्ड में पंच बनकर आई हैं और वह औरत है बिलकुल अनपढ़। उससे खुद से ही दस्तखत करवा देंगे कि आप हट गई और उसको पता ही नहीं पड़ेगा कि प्रस्ताव क्या पास किया है। इससे ज्यादा गांव की शक्ति नहीं है।

मेरा बहुत अदब के साथ सुझाव यह है कि पंचायत की सभा होनी चाहिए। उसका अर्थ पंच और सरपंच। पंचायत की आम सभा का नाम शामिल कर दो जिससे पंचायत के तमाम गांव के मतदाताओं की एक आम

(श्री अमीन खान)

सभा हो और इससे नीचे आप जाना चाहते हो तो ग्राम सभा का नाम एक रेवेन्यू गांव की इकाई को ग्राम सभा मानो और इस वार्ड शब्द को हटा दो। यह कोई अच्छी काबलियत का शब्द हम नहीं मानते हैं। इसको गांव के लोग बड़ा मूर्खता का कानून मानते हैं। अभी तक जो पढ़ाई का अपना स्तर है उस लिहाज से अच्छा नहीं मानते हैं। सभापति महोदय, गत वर्ष मई में ग्राम सभाएं हुई हैं। यह वार्ड सभा तो मैंने मेरी आंख से एक भी मेरे क्षेत्र में नहीं देखी और पंचायत की आम सभाऐं जरूर देखी लेकिन उन पंचायत की आम सभाओं में कई पंचायतें हमको ऐसी मिली जिसमें कोरम नहीं हो पाया। तो वार्ड सभा का ना तो कोई कोरम होता है और यह सारी फर्जी कार्यवाही होती है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि इस वार्ड सभा की जगह आप एक रेवेन्यू गांव की ग्राम सभा कर दें। पंचायत की आम सभा और पंचायत चुनी हुई संस्था को, यह कर दें।

एक मेरा इसमें सुझाव है। लोकतंत्र में एक पक्ष सत्ता होता है एक विपक्ष होता है। इलाके में कोई आदमी पावर में, सत्ता में और जिसकी धाक चलती है। एक गांव में झगड़ा हुआ, पंचायत चुनाव होने वाले थे। एक आदमी ने किसी के सिर पर लाठी मार दी। 307 का मुकदमा बन गया और पुलिस थानेदार साहब प्रभावशाली आदमी के कहने से एक मुल्जिम सही है, एक उसका रिश्तेदार प्रभावशाली आदमी है जो जिला प्रमुख का उम्मीदवार है या प्रधान का उम्मीदवार है या सरपंच का उम्मीदवार है, 307 में उसका भी नाम कर दिया और चालान हो गया। केवल चालान पुलिस की चार्ज शीट पर डिसक्वालिफाइड करना लोकतंत्र के सिद्धान्त के खिलाफ है और चाहे विरोधी कहते हैं तो उनकी भी बात मान लेनी चाहिए। कभी सत्ता में वह हो जायेंगे। कभी अपन हो जायेंगे। लोक सभा और विधान सभा के सदस्यों के लिए यह चीजं क्यों नहीं लागू की जाती है। देश की इतनी बड़ी संस्थाओं के लिये जब तक कोर्ट से सजा-याफ्ता नहीं है, वह डिसक्वालिफाइड नहीं होता है तो पंचायत संस्थाओं को इससे क्यों जोड़ते हो। यह अच्छी बात नहीं है। इससे भी कई अच्छे और कई जन आधार वाले लोगों को वंचित रखा जायेगा। इसलिए मेरी सभापति महोदय, आपके मार्फत यही गुजारिश है कि इस संशोधन को प्रवर समिति, सलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया जाये। यही मेरा प्रस्ताव है।

श्री सभापति : माननीय श्री नन्दलाल पूनिया।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : माननीय सभापतिजी, आज पंचायत राज विधेयक, 1994 में संशोधन करने के लिये कुछ सैक्शंस पेश किये गये हैं। आज समय का तकाजा है। हिन्दुस्तान के संविधान के संशोधन हुये हैं उसी के अनुसार समय-समय यह पंचायत राज एक्ट बना था, उसके बाद में आज जरूरत इतनी आयी है समय के अनुसार कुछ संशोधन करने की। लेकिन इसमें कुछ संशोधन किये गये हैं जिसमें ग्राम सभा का, वार्ड सभा का जो

(श्री नन्दलाल पूनिया)

प्रोवीजन रखा गया है, मैं समझता हूं यह उचित नहीं है। आज ज्यादातर गांवों में क्या होता है, जब चुनाव होते हैं तभी पंचायत की उपयोगिता होती है। उसके बाद न तो पंच कभी पंचायत की मीटिंग में जाता है, न कभी अपने वार्ड के प्रति वह उत्तरदायी रहा है। जब सरपंच को जरूरत पड़ती है तब पंचायत के पंच को बुलाकर वह अपनी पंचायत की कार्यवाही पूरी करता है।

इसी प्रकार एक वार्ड पंच को हटाने के लिये उसी वार्ड के मैम्बर्स को, सदस्यों को अधिकार दे दिया गया। मैं कहता हूं कोई उचित नहीं है। आज इस प्रजातंत्र के पंचायती राज में जिस दिन चुनाव होता है उस दिन से लोग घमासान लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन उसके बाद में पंचायत राज के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं होते। तो मेरा यह सुझाव है कि इस वार्ड्स, ठीक है मैं यह मानता हूं कि मंत्री महोदय ने पावर के डी-सेंट्रलाइजेशन के लिये यह सोचा होगा और यूं सही माना होगा कि हमें नीचे लेवल तक भी लोगों को अधिकार दिये जायें। लेकिन यह आज गांवों में व्यवहारिक नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसको हटाया जाये।

आज ग्राम सभा की बैठकें होती हैं। उन ग्राम सभा की बैठकों में क्या होता है। मैं सभापतिजी, मंत्री महोदय से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं हमारे गांवों के निवासी चुनाव के बाद में उदासीन हो जाते हैं। मैं कई बार ग्राम पंचायतों की, ग्राम सभाओं की मीटिंग में गया हूं। मैं दस साल तक प्रधान रहा। लेकिन मुझे अफसोस हुआ गांवों में जाकर कि गांव वाले ग्राम सभा के प्रति भी उदासीन हैं तो वार्ड सभा के प्रति उनकी इच्छा क्या होगी। यह एक सोचने का विषय है।

माननीय सभापति महोदय, पंचायत राज मंत्रीजी ने पंचायत राज संस्थाओं में एक से अधिक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया है। मैं इसका समर्थन करता हूं। इनके साहसिक कदम हैं। आज प्रभावशाली लोग वही पंच बन जाते हैं। वही सरपंच बन जाते हैं। वही प्रधान बन जाते हैं। वही प्रमुख बन जाते हैं। दूसरे सेकिंड लाइन के लोगों के लिये कुछ छोड़ते नहीं हैं। तो मैं यह समझता हूं सब नये आदमी के लिये इस धारा से फायदा मिलेगा। मैं इसका समर्थन करता हूं...(व्यवधान) मैंने इसका विरोध किया है।

आज पंचायत राज की स्थायी समितियों में गठन की बात इस अधिनियम में कही गयी है। मैं आपके माध्यम से पंचायत राज मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज पंचायत समिति और जिला परिषद में जो स्थायी समितियां बनी हुई हैं, वह क्या काम करती हैं। सिर्फ एक चुनाव मात्र तक सीमित रह जाती हैं और उसके बाद में उसका कार्य कुछ नहीं रह जाता है। जब पंचायत समिति और जिला परिषद में वह समितियां कार्य नहीं करती तो आज नीचे लेवल तक पंचायत राज में, पंचायत में उसको आप कहां तक सक्षम

(श्री नन्दलाल पूनिया)

मानेंगे। वह उन पंचायत समितियों का जैसे कह रहा हूं वित्त और प्रशासन समिति है, उसको जो अधिकार दिये गये हैं, वह अधिकार पंचायत की अपील सुनने का अधिकार है। वहां सारे राजनीतिक आधार पर फैसले होते हैं। जिसका बहुमत होता है, वहां फैसले हो जाते हैं।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक ग्राम पंचायत का मामला था। सरपंच ने जुर्माना कर दिया। वह अपील के लिये पंचायत समिति में आया। प्रधान महोदय ने गांव वालों को बुलाकर पूछा कि किस पार्टी का आदमी है। बोले, अपन इसके खिलाफ हैं। बोले, ध्यान रखियो। तो ऐसी ही यह मैं कहता हूं ग्राम पंचायतों को, पंचायत समिति और जिला परिषद को ऐसे जुडिशियल अधिकार नहीं देने चाहिये जहां राजनीतिक आधार पर फैसले होते हों।

तो मेरा तो यह निवेदन है कि यह जो समितियां आप गठित करने जा रहे हैं उनका भी कोई प्रोविजन मैं तो नहीं मानता। आज विजिलेंस कमेटी का आप प्रोविजन रख रहे हो, इसकी क्या स्थिति होगी। वही राजनीतिक आधार पर यह काम करेगी।

बाकी मैं इस पंचायत राज के विधेयक में जो संशोधन आया है, इसको प्रवर समिति को सौंपने के पक्ष में था। जनमत जानने के पक्ष में था लेकिन मैं मेरा यह वापस लेता हूं और इसका समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : माननीय हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : माननीय सभापति महोदय, मैंने इस विधेयक पर जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है और जनमत जानने का प्रस्ताव मैंने इसलिये दिया है कि पिछले सेशन में जल्दबाजी से जो संशोधन कर दिया गया उसको जनता ने पसंद नहीं किया। उदाहरण के तौर पर पिछले सेशन में जो संशोधन किया गया उसके अनुसार पंचायत समितियों में, पंचायत समिति क्षेत्र के सारे सरपंचों को सदस्य बना दिया और उनको पंचायत समिति के स्थायी समितियों के चुनाव में और पंचायत समिति के प्रस्ताव में मतदान देने का अधिकार दिया।

सभापति महोदय, यह संविधान संशोधन के अनुसार जो सन् 94 में एक्ट बना उसकी संविधान के अनुसार मंशा यह थी कि पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिये अलग-अलग से डायरेक्ट चुनाव हों। आज स्थिति यह हो गयी कि पंचायत समिति में 20 सदस्य हैं और उस क्षेत्र के सरपंच 50-60 होते हैं। वह अगर सारे प्रस्ताव में वोट देंगे तो जो एक्ट के अनुसार पंचायत समिति गठित की गयी है और पंचायत समिति के लिये जो सदस्य निर्वाचित हुये हैं उनकी क्या स्थिति रही। उनका कोई प्रभाव नहीं। उनका कोई लेन-देन नहीं। सरपंच अपने हिसाब से प्रस्ताव पास कर ले और जिस संविधान संशोधन के हिसाब से पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव हुआ उन सदस्यों के पास कुछ भी नहीं रहा।

सभापति महोदय, जब यह व्यवस्था की गयी थी शुरू में, उस समय अधिकतर लोग

(श्री हरजीराम बुरड़क)

यह कह रहे थे कि पंचायत समिति के सदस्यों के पास कोई अधिकार नहीं रहा। सारा अधिकार सरपंचों के पास है। चुनाव के बाद में उनको कोई पूछता नहीं। जब कि होना यह चाहिये था उनको कोई पावरफुल बनाते। उनके पास कोई अधिकार होता। लेकिन हुआ उल्टा। उनकी स्थिति पहले जो थी, उससे खराब हो गयी।

इसी प्रकार से जिला परिषदों के लिये आपने प्रधानों को सदस्य बनाया। वहां उसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्यों कि जिला परिषद के सदस्यों की संख्या ज्यादा है। जैसे हमारे नागौर में जिला परिषद के 60 सदस्य हैं और 11 प्रधान हैं तो वहां तो उसका कोई प्रभाव नहीं है लेकिन जिस पंचायत समिति के 20 सदस्य चुने हुए हैं और 60 सरपंच आकर के उस पंचायत समिति पर कब्जा कर लेते हैं तो संविधान की जो मंशा थी, जिस मंशा से राजीव गांधी ने यह संशोधन करवाया था। उसका आपने बिलकुल ही उल्लघंन कर दिया। इसलिए मैंने यह संशोधन प्रस्ताव रखा कि हम जो जनता के लिये काम कर रहे हैं और अगर जनता को पूछकर करें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई इमरजेंसी है नहीं कि आज नहीं करेंगे तो कोई पहाड़ पड़ जायेगा। पंचायतों के नये सिरे से चुनाव हो गये, पंचायतों का काम चल रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

इसमें जो संशोधन स्वागत योग्य हैं उनका तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन बहुत से संशोधन ऐसे हैं जिससे जनता की दुविधा बढ़ी है और आपके विभाग को भी इससे उलझन पैदा होगी। उदाहरण के तौर पर अभी यह चर्चा हो रही थी कि धारा 37 में आपने एक प्रोविजन जोड़ा है कि वार्ड सभा पंच को और ग्राम सभा सरपंच को हटाने का प्रस्ताव ले सकेगी। माननीय मंत्री महोदय, आपने यह पढ़ा होगा कि यह धारा 37 में जो प्रोविजन जोड़ा है यह धारा 37 अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में है। यह कोई अलग नहीं है। जब किसी सरपंच के खिलाफ इसी धारा के अनुसार पंचायत ने अविश्वास प्रस्ताव रख दिया और वह अविश्वास प्रस्ताव पंचों ने गिरा दिया और जब वार्ड सभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि उस सरपंच को हटाओ तो उसका क्या होगा ? इस एक ही धारा में इतने विरोधाभास आपने कर दिये कि इसका कोई मतलब नहीं है। आपने कह दिया कि दो साल से पहले नहीं आयेगा तो अविश्वास प्रस्ताव में यही है कि दो साल के बाद में पंच तो रखेंगे अविश्वास प्रस्ताव और वार्ड सभा ने किया उनके खिलाफ हटाने का प्रस्ताव....।

श्री सी.पी. जोशी : इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। इस केस में वार्ड सभा नहीं होगी जो ग्राम पंचायत की सभा है, पंचायत की जो सभा है।

श्री हरजीराम बुरड़क : ग्राम सभा कह रहा हूं।

श्री सी.पी. जोशी : आप जो कह रहे हैं कि सरपंच के लिये जो वार्ड सभा

(श्री सी. पी. जोशी)

अविश्वास प्रस्ताव रखेगी उसका कांटेक्ट इसके साथ नहीं है।

श्री हरजीराम बुरड़क : आप समझे ही नहीं बात को।

श्री सी.पी. जोशी : यह पंचायत करेगी।

श्री हरजीराम बुरड़क : सरपंच को धारा 37 में अविश्वास प्रस्ताव पंच रखेंगे और इसी धारा में आपके प्रोविजन के हिसाब से ग्राम सभा में वह लोग हटाने का प्रस्ताव करेंगे। मान लो पंचों का प्रस्ताव गिर गया और वह सरपंच हटा नहीं लेकिन आप इस प्रस्ताव से हटा देंगे। तो फिर वह अविश्वास प्रस्ताव के प्रोविजन का क्या मतलब हुआ ? आपको पता है आज की तारीख में अविश्वास प्रस्ताव को लाने में, पास कराने में आप कितनी सतर्कता बरतते हैं। कई स्टेज से वह गुजरता है। इसमें अधिकारी लगते हैं उसके बावजूद भी लोग हाई कोर्ट में जाते हैं और वह अविश्वास प्रस्ताव कैंसिल होता है। अगर ग्राम सभाओं के प्रस्ताव पर आप किसी सरपंच को हटायेंगे तब तो यह पंचायती राज चलने वाला नहीं है। आपने इससे नीचे जाकर के वार्ड सभा के पंच को हटा रहे हैं। अब यह व्यवस्था नहीं है पंच को हटाने की तब वह लोग आराम से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर यह व्यवस्था लोगों तक पहुचेंगी तो जिस दिन चुनाव हुए उसी दिन से वह लगेंगे कि दो साल में हम ऐसा वातावरण तैयार करें कि इस पंच को हटा दें। बाकी सारा काम भूल जायेंगे। आपने कह दिया वार्ड सभा में यह-यह प्रस्ताव होंगे, वार्ड सभा को इतने-इतने अधिकार होंगे। क्या अधिकार होंगे वार्ड सभा को, वार्ड को कौन पूछता है ? गांव में ढाई वार्ड, एक गांव में डेढ़ वार्ड हैं, वह आधे-आधे वार्ड जो हैं उनकी ग्राम सभा कहां होंगी।

एक ग्राम वार्ड सभा ने प्रस्ताव पास कर लिया कि यहां से नाली निकलेगी और इस वार्ड में जायेगी और उस वार्ड वाले कहेंगे कि नहीं, यह नाली उसमें जायेगी। यह झगड़े सुलटेंगे नहीं। लोगों में लड़ाई के सिवाय उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है।

(17.23 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आप इसमें ऐसा करिये, अगर आप इसमें सुधार चाहते हैं तो जैसे एक पंचायत में चार गांव हैं, उन गांवों की आप ग्राम सभा बना दें और पूरी पंचायत की एक पंचायत सभा कह दीजिये, चाहे उसका कोई और नाम दे दीजिये। इस हिसाब से करेंगे तो इसका कोई उपयोग होगा। लेकिन वार्ड के नाम से इसका कोई उपयोग नहीं होगा, इसका दुरुपयोग ही होगा। अब पंचायतों में पंचों की संख्या 9-10 होगी, उसमें आप 5-6 स्थायी समितियां बनायेंगे। इन स्थायी समितियों का कोई उपयोग नहीं है। आप इसमें झगड़े में डाल रहे हैं इनकी कोई जरूरत नहीं है।

तीसरा, आज की तारीख में स्थायी समितियों के चुनाव के लिये आपके पास

(श्री हरजीराम बुरड़क)

कोई नियम नहीं है। इस मामले में 1996 में नियम बनाये गये थे। उस समय शक्तावत साहब और मैं एक कमेटी, अधीनस्थ विधान में थे। उस समय हमने यह देखा कि इसमें चुनाव की व्यवस्था नहीं है और उनके नियम निरस्त कर दिये। उस दिन से मैं इस मामले को हमेशा उठाता आया हूं। पहले तो नाथूसिंहजी थे तो वही उत्तर आता था। मैंने सोचा अब तो नाथूसिंहजी बदल गये। दूसरा उत्तर आयेगा लेकिन नहीं आया। इस सेशन में मैंने एक अतारांकित प्रश्न रखा था उसका उत्तर अब आया है। इसमें चुनाव के नियमों की व्यवस्था नहीं है, मतदान की व्यवस्था नहीं है। फिर आप कैसे स्टेंडिंग कमेटियों के चुनाव करा रहे हैं। 1996 से लेकर आज तक कहीं भी इन स्टेंडिंग कमेटियों के चुनाव नहीं हुए हैं और जहां चुनाव हुए हैं, वहां उन्हीं नियमों से चुनाव हुए हैं जो सन् 1996 में आपने व्यवस्था कर दी थी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि पंचायत समितियों को जिला परिषदों की स्थायी समितियों के जो चुनाव नियम हैं उसको आप ठीक तरीके से बनायें क्योंकि स्टेंडिंग कमेटियों के चुनाव आप करायेंगे उससे पहले आप इस सम्बन्ध कोई व्यवस्था करें।

इसके अलावा आपने धारा 40 को हटाया है, यह धारा 40 पंचायत समिति, जिला परिषद एक्ट 1959 में बना था उस समय भी थी और इसका कोई इतना ज्यादा दुरुपयोग नहीं होता है। अगर किसी को कोर्ट में जाने का लाभ मिले तो आपको देना चाहिये। इसमें कहां मना है। और आपने यह हटा दिया उसके बाद भी कौनसे नहीं जायेंगे। माननीय मंत्री महोदय, कई एक्ट ऐसे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि न्यायालय में नहीं जायेंगे। लेकिन क्या हाई कोर्ट में जाने से आप रोक सकेंगे। अब उसमें फर्क इतना सा पड़ा है कि कोई भी आदमी अगर न्यायालय में जाना चाहेगा तो वह सेशन कोर्ट में नहीं जाकर हाई कोर्ट में चला जायेगा। सिवाय उसका खर्च बढ़ाने के इसका लाभ आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप इस धारा को मत हटाइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप समर्थन कर रहे हैं क्या इसका ?

श्री हरजीराम बुरड़क : मैं जो कर रहा हूं वह कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह ठीक किया है ?

श्री हरजीराम बुरड़क : मैं कह रहा हूं ठीक नहीं किया है। तीसरा, इसमें यह था कि आपने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्यवाही को यह मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जो अधिकार संभागीय आयुक्तों को दिये हैं इसमें इन मामलों में जो शिथिलता आयी है, पहले तो बी.जे.पी. के राज में इनके खिलाफ कोई कार्यवाही हुई नहीं, चुन-चुनकर के जो कांग्रेजी सरपंच थे उन उनके खिलाफ कार्यवाही हुई, बाकी को लेकर बैठे रहे। अब उनके खिलाफ जो कार्यवाहियां वर्षों से पैंडिंग थी उसको आपने संभागीय

(श्री हरजीराम बुरड़क)

आयुक्तों को भेज दिया। वह जिन बदमाशों का संरक्षण कर रहे थे उन्हीं का आपने करना शुरू कर दिया है। इसलिए मैंने पहले भी यह निवेदन किया था, आज भी आपको निवेदन कर रहा हूं कि आपकी सारी पत्रावलियां यहां पर मंगवायें और आपको टाइम नहीं मिलता है तो आपने जो अधिकार उनको दिया है, आप यहां के किसी अधिकारी को दीजिये ताकि उन पर कोई कार्यवाही हो और करोड़ों रुपये जो उनमें फंसे हुए हैं उनसे वसूली हो।

आज पंचायती राज संस्थाओं की आडिट में करोड़ों रुपये साल के खर्च हो रहे हैं। वह बंधी-बंधाई फीस है। आज तक उन आडिट रिपोर्टों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आपके यहां से कई सर्कूलर आये हैं, जिला परिषदों, कलेक्टरों, पंचायत समितियों आदि को लेकिन उसके बारे में किसी ने आज तक कभी देखा नहीं। जब आप आडिट रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं तो फिर उन संस्थाओं का करोड़ों रुपया क्यों खर्च कर रहे हैं। इन आडिट रिपोर्ट में कार्यवाही हो इसके लिए आप कोई कारगर कदम उठायें।

इसके अलावा आपने जो यह ब्लाक शिक्षा अधिकारी पंचायत समितियों में लगाये हैं, उसका क्या कार्य होगा ? अब कोई यह कह रहे हैं कि शहर में जो मिडिल स्कूल हैं वह भी उसमें सम्मिलित होंगी। कोई कह रहे हैं कि नहीं, यह तो पंचायत समितियों की स्कूलें ही होंगी। अब पंचायत समिति की स्कूल होगी तो प्राइमरी स्कूल में जो मास्टर हैं उनकी सेवाएं पंचायत समिति में है और मिडिल स्कूल के मास्टर की सेवाएं शिक्षा विभाग में है। वह अधिकारी कैसे कन्ट्रोल करेगा उनको।

पंचायत समितियों के मास्टरों की अपोइंटिंग अथोरिटी पंचायत समिति है। आपने इस एक्ट में यह कोई प्रोविजन नहीं किया कि अपोइंटिंग अथोरिटी उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकेगी। आपने कह दिया कि वह वार्निंग दे देगी बाकी सब जिला स्थापना समिति करेगी। पुराने एक्ट में उनको कुछ अधिकार था कि पंचायत समिति लेवल पर जो भी कर्मचारी हैं पंचायत समिति उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी। यह किसी भी राज्य सरकार के नियम में नहीं होगा कि अपोइंटिंग अथोरिटी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले। जो पटवारी की अपोइंटिंग अथोरिटी है, वह उसको डिसमिस कर सकती है लेकिन पंचायत समिति एक अपोइंटिंग अथोरिटी होते हुए भी किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। इस सम्बन्ध में आपको कोई व्यवस्था करनी चाहिए।

आपने पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और पदाधिकारियों को यात्रा भत्ता देने के नियम बनाए। उन नियमों में यह प्रोविजन है कि अपनी संस्था के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने पर उनको भत्ता मिलेगा। पंचायत समिति का सदस्य बाहर कहां जाएगा ? उसका क्षेत्र है पंचायत समिति। जिला परिषद के सदस्य का क्षेत्र है जिला परिषद। अब

(श्री हरजीराम बुरड़क)

वह बाहर कहां जाएगा ? बाहर जाएगा तो उनको देगा कौन ? इसमें सिर्फ सरपंच को ही फायदा है कि वह पंचायत समिति आएगा तो उसको भत्ता मिलेगा। इस सम्बन्ध में भी आपको विचार करना चाहिए।

इसमें कोई इतनी जल्दबाजी नहीं है। आपको जनमत जानने के लिए परिचालित करना चाहिए। इसमें सारी व्यवस्थाओं को देखकर, जब हम जनता के लिए इसमें कुछ करना चाहते हैं तो जनता की भावनाओं का आदर करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन लाल मोदी। (अनुपस्थित), श्री लक्ष्मण सिंह रावत। (अनुपस्थित), श्री रामनारायण विश्नोई।

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विद्वान पंचायती राज मंत्रीजी ने राजस्थान पंचायती राज विधेयक के अंदर बहुत महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तुत किए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान पंचायती राज एक्ट, 1994 के अंदर जो मूल भावना थी जिस प्रकार से ग्राम पंचायतें और ग्राम सभाएं ठीक ढंग से काम कर रही थी तो उस सारी व्यवस्था को ग्राम सभा की जगह वार्ड सभा का प्रोविजन बनाकर एक तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया गया है। जिस प्रकार से कुछ माननीय सदस्यों ने अपने अनुभवों के आधार पर बताया कि पूर्व में ही ग्राम सभाएं ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहीं थीं ऐसी स्थिति में उन ग्राम सभाओं के काम-काज को सुधारने के लिए कदम उठाने के बजाय ग्राम सभाओं की जगह वार्ड सभा तक के लेवल में यह संशोधन किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं और सिर्फ एक इस वार्ड सभा में संशोधन करना मौजूद मूल अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 6, 7, 8 उनमें संशोधन किया जा रहा है। इसके साथ-साथ जैसा कि बताया गया कि स्थाई समितियों में संशोधन किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों में चार स्थायी समितियां थीं, जिला परिषद में चार स्थायी समितियां थीं और वे चार स्थायी समितियां, जिस प्रकार से राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया है, 10 साल से वे प्रधान के पद पर रहे हैं उन्होंने और दूसरे सदस्यों ने अपने अनुभवों के आधार पर कि वहां पर स्थायी समितियों का कामकाज ठीक प्रकार से नहीं हो रहा था, माननीय मंत्री महोदय ने ग्राम पंचायतों के अंदर पांच स्थायी समितियां बनाने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। पांच स्थायी समितियां ग्राम पंचायतों में होंगी। राजस्थान के ज्यादातर पंचायतों में 9 वार्ड मैम्बर, किसी में 10, किसी में 11, उसमें पांच-पांच स्थायी समितियां और उनमें चार-चार सदस्य, इस प्रकार की प्रक्रिया बनाकर ग्राम पंचायतों की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए था, सरलता तो दूर रही, उसमें एक बहुत भारी कठिनता पैदा

(श्री रामनारायण विश्नोई)

कर दी गई है। जिसकी कतई आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान धारा 12 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसके अनुसार तीन हजार और तीन हजार से कम की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों में नौ वार्ड पंच थे, उसके बाद ज्यादा संख्या होने पर एक-एक, दो-दो की संख्या में वार्ड पंच या पंचायतें बढ़ाई जाती थी और उससे कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई पैदा नहीं हुई थी। इस परंतुक की धारा 12 को हटाने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

अब मैं धारा 19 जिसमें डिस्क्वालीफिकेशन दी हुई है, डिसक्वालीफाई हो सकते हैं चुनाव में खड़े होने के लिए, इसकी वर्तमान धारा के अंदर जो प्रोविजन दिया हुआ था उसमें क्रिमीनल ओफेंसेज के लिए एक ही प्रोविजन् था और वह यह था, If the person... has been convicted of an offence punishable by a competent court of an offence involving moral turpitude.

यह बहुत लम्बे अर्से से चला आ रहा था, कई बार तो दिक्कत यह आ रही थी कि मोरल टर्पिट्यूड के कौनसे ओफेंसेज होंगे, इस पर भी विवाद पैदा हो रहा था, फिर भी यह था कि मोरल टर्पिट्यूड के ओफेंसेज समाज के अंदर घृणा की दृष्टि से देखे जाते हैं, इकानोमिक ओफेंसेज हों, ई. सी. एक्ट के हों, बहुत-सी ऐसी घटनाऐं थीं जिससे गांव का वातावरण दूषित हो जाया करता था, वहां पर यह मामला ठीक था। अब इसमें संशोधन करके सिर्फ साधारण जुर्म के लिए, सिर्फ 6 महीने की सजा हो जाती है जिसमें नागरिक को चुनाव लड़ने से वंचित रखा जाता है। यह बहुत ही अनुचित है। जैसा बहुत से माननीय सदस्यों ने बताया, छोटी-छोटी बातों के अंदर झगड़े हो सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सैक्शन 323 आई.पी.सी. नोन कॉग्निजेबल ओफेंस है, साल भर की सजा उसके अंदर भी हो सकती है। 323 के अंदर किसी आदमी को बोलचाल में थप्पड़ मार दिया और अदालत ने उसको छह महीने की सजा कर दी तो सैक्शन 19 के मुताबिक वह नागरिक डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, पंचायत चुनावों में भाग नहीं ले सकेगा। इस प्रकार का सैक्शन है 19, उसमें संशोधन किया जाना कतई नियमानुसार नहीं है। सैक्शन 19 के अन्दर दूसरा प्रोविजन बढ़ाया जा रहा है जिसके अन्दर यह कि अगर किसी जुर्म के अंदर अदालत के अंदर चालान पेश हो जाता है, वह जुर्म पांच साल की सजा तक या उससे ज्यादा सजा तक पनिशेबल है तो उस हालत में भी ऐसा नागरिक चुनाव लड़ने से वंचित माना जाएगा।

जैसा मैंने निवेदन किया कि छोटी से छोटी घटना, 323, थोड़ा सा आगे बढ़कर अगर किसी की छोटी सी अंगुली कट जाती है या टूट जाती है, किसी धक्का देने से या अन्य कारणों से वह भी धारा 325 का ओफेंस हो सकता है, उसके अंदर भी 7 साल की सजा तक का प्रोविजन किया हुआ है। इस प्रकार छोटी-छोटी घटना के

(श्री रामनारायण विश्नोई)

कारण 323 और 325 के ओफेंसेज अगर ट्रायलेबल हैं, अदालत के अंदर चले जाते हैं, उसका ट्रायल हो रहा है तो उस आधार पर किसी जन प्रतिनिधि को चुनाव में खड़े होने से वंचित किया जाना कतई न्यायसंगत नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप धारा 34-क और धारा 35-क में संशोधन के जरिए फिर से पुरः स्थापित करना चाहते हैं।

इन धाराओं की मार्फत आप मौजूदा प्रधान और प्रमुख की शक्तियों के ऊपर अंकुश लगाना चाहते हैं। कोई आवश्यकता नहीं थी प्रधान और प्रमुख ठीक प्रकार से काम कर रहे थे, प्रधान और प्रमुखों के ऊपर इस प्रकार से स्थायी समितियों की मार्फत उनसे अनुमोदन होना चाहिए तभी जाकर काम होगा। इस प्रकार की जटिलता आगे जाकर पैदा हो जाएगी और पंचायत संस्थाओं के कामकाज के अंदर दिक्कत पैदा होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान धारा 37 के प्रोविजन की तरफ भी दिलाना चाहूंगा। धारा 37 के अन्दर अविश्वास प्रस्ताव पेश होने पर किसी सरपंच या पदाधिकारी को 15 दिन का नोटिस मीटिंग रखने के लिए दिया जाता था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से पंचायतें दूर-दराज में फैली हुई हैं, जिस प्रकार से ग्राम पंचायतों का क्षेत्र है, जिस प्रकार से मेम्बर लोग इधर-उधर जाते रहते हैं, कामकाज करते रहते हैं उस हालत में कोई 15 दिन का नोटिस ज्यादा नहीं था। चुने हुए प्रतिनिधि के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के बाद 15 दिन का नोटिस दिया जाता है सारे पंचों को, वार्ड पंचों को उपस्थित होने के लिए। उसके अन्दर यह निश्चय कर लिया जाता था कि सब लोगों को तामील हो चुकी है उसके बाद ही अविश्वास प्रस्ताव पर मीटिंग हुआ करती थी और निर्णय हुआ करते थे। अब उसका समय आप सात दिन का कर देते हैं तो 15 दिन के अन्दर भी माननीय मंत्री महोदय, ऐसे बहुत से मामले आपके समक्ष भी आये होंगे और हमारे समक्ष भी आये हैं। 15 दिन के अन्दर भी बहुत से वार्ड पंचों और बहुत से लोगों की तामील आपकी प्रक्रिया के अनुसार तहसील के सवार या पंचायत समिति के कोई भी कर्मचारी कर नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति में किसी के विरुद्ध में अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया जाता है और 15 दिन का नोटिस दिया जाता है इसमें ऐसी कौनसी जल्दी हो रही है कि सात दिन का ही नोटिस देकर उस अविश्वास के प्रस्ताव को सात दिन के अन्दर ही तय कर लिया जाए।

मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार की हड़बड़ाहट में जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। किसी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करने के लिए आप दो तिहाई और थ्री फोर्थ से कम बहुमत एक तरफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप

(श्री रामनारायण विश्नोई)

15 दिन का समय था जिसमें लोगों को तामील हो जाती थी। ऐसे बहुत से मामले आते हैं कि हम तो गांव गये हुए थे, हमारी तामील नहीं हुई है, हमारी गैर हाजिरी के अन्दर फ़ैसले हो चुके। एक बार अविश्वास का प्रस्ताव आनन-फानन में पास होने के बाद वापस ठीक होना बड़ा मुश्किल हो जाया करता था। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह 15 दिन का समय जो पहले दिया हुआ था वो ही समय रखा जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान धारा 38 की ओर दिलाना चाहूंगा। सैक्शन 38 के मुताबिक किसी भी निर्वाचित सदस्य को हटाया जा सकता है अगर वो If he is found guilty to discharge of his public duties or guilty of misconduct. उस स्थिति में सैक्शन 38 में सब सैक्शन 4 के मुताबिक राज्य सरकार को पैण्डिंग इंक्वायरी सस्पेंड करने का अधिकार दिया हुआ है। इसके अंदर इंक्वायरी शुरू हो जाती है, प्रिलिमनरी इंक्वायरी होकर संबंधित व्यक्ति को चार्जेज दे दिये जाते हैं उसके बाद राज्य सरकार को अधिकार था कि इसको सस्पेंड किया जाए, लेकिन उसमें एक अधिकार यह भी था कि अगर किसी संबंधित व्यक्ति के खिलाफ में मोरल टर्पीट्यूड से संबंधित कोई क्रिमिनल आफेंस कोर्ट के अंदर पेण्डिंग है तो उसको सस्पेंशन के आर्डर भी राज्य सरकार दे सकती है। इसके अंदर आपने जो प्रोवीजो लगाकर एक नया प्रोवीजो किया है सस्पेण्ड करने का, मैं मंत्री महोदय, यदि गलत नहीं हूं तो लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने तो यह बताया था कि धारा 37 के अंदर है, पर मेरी समझ में यह धारा 38 के अंदर प्रोवीजो जोड़ा गया है जिसके अंदर आपने वार्ड सभा से या ग्राम सभाओं से जो रिज्यूलेशन लेने के बाद में उसको सस्पेंशन करने का प्रोवीजो रखा है। इस प्रकार से कोई इंक्वायरी मिसकण्डक्ट की या कोई क्रिमिनल ऑफेंस चल रहा है उसके अंदर तो कोई अधिकार सस्पेंड करने का है मगर आपने 38 के अंदर जो प्रोवीजो जोड़ा है कोई प्रस्ताव लाकर भी ग्राम सभा की तरफ से भी किसी को सस्पेंड किया जा सकता है उसके बाद में प्रोवीजो लगाया है दो साल तक चुनाव होने के बीच में उसको सस्पेण्ड नहीं किया जा सकता है, यह भी आपस में एक बड़ा विरोधाभास है।

यदि किसी सरपंच के खिलाफ में गंभीर आरोप है और उसको सस्पेंड किया जा सकता है धारा 38 के सब सैक्शन 4 की धाराओं के मुताबिक तो फिर उसके अन्दर दो साल का इंतजार करने की कहां आवश्यकता है। यह अविश्वास प्रस्ताव की तरह से आप अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ में कोई क्रिमिनल ऑफेंस, मोरल टर्पीट्यूड का पेण्डिंग है, चल रहा है या ट्रायल चल रही है या प्रोफेशनल मिसकण्डक्ट है, कोई बहुत गम्भीर मिसकण्डक्ट की उसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, गबन के मामले हैं उसके अन्दर उधर तो आपने अधिकार दे रखे हैं सस्पेंड करने का राज्य सरकार को, इधर यह प्रस्ताव ग्राम सभा की तरफ से

(श्री रामनारायण विश्नोई)

आने के बाद राज्य सरकार निर्देश देगी और इस प्रकार से सस्पेंड किया जा सकता है। यह इसके अन्दर कौनसे मामले के अन्दर सस्पेंड किया जा सकेगा ? यह इंक्वायरी ग्राम सभा करेगी या इसके बारे में कौनसे मुद्दे ग्राम सभा लेकर आएगी।

जैसे कुछ माननीय सदस्यों ने यह बताया कि शायद उसके अन्दर कामकाज करने में कोई कमी नजर आ रही होगी कि कामकाज ठीक नहीं हो रहा है, गांव के अन्दर पैसे ज्यादा लगने चाहिए थे, फण्ड्स के पैसे ठीक नहीं लग रहे हैं उसका निर्णय करने के लिए गांव के लोगों को ग्राम सभा को मेरी समझ में यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए कि वे बैठकर कुछ आदमी यह निर्णय कर लें कि यह काम ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है इसलिए इसको सस्पेंड कर दें या उस आधार पर इंक्वायरी नहीं चल रही है, इंक्वायरी पेण्डिंग नहीं है तो ऐसे प्रस्ताव के आधार पर किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को सस्पेंड नहीं किया जा सकता और न किया जाना चाहिए।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धारा 39 के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय, धारा 39 के मुताबिक राज्य सरकार को रिमूवल करने का अधिकार है और राज्य सरकार द्वारा रिमूवल करने के अन्दर कई प्रोवीजंस दिये हुए हैं। उसमें सबसे पहले यह है कि :—

"(1) Subject to the provisions of section 40, a member of a Panchayati Raj Institution shall not be eligible to continue to be such member if he, (a) is or becomes subject to any of the disqualifications specified in section 19.,......."

माननीय मंत्री महोदय, इस सम्बन्ध में सब्जेक्ट टू सैक्शन 40 के मुताबिक कुछ लिटिगेशन उच्च न्यायालय तक भी गये। उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों ने यह निर्णय दिया कि जिन मामलों के अन्दर सैक्शन 19 के अन्दर डिसक्वालीफिकेशन का प्रश्न पैदा हो जाएगा, इंक्वायरी की जहां पर आवश्यकता है, जहां पर ज्यूडिशियल प्रोसेस अपनाकर दोनों पक्षों को सुनने का मौका देकर गवाह-सबूत लेकर कोई निर्णय किया जाना हो तो ऐसे मामले को सैक्शन 40 के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाने का प्रोविजन ठीक है। उसके बाद में डिवीजन बैंच ने यह फैसला दिया कि सैक्शन 39 के मुताबिक अगर किसी भी धारा के अन्दर किसी व्यक्ति को हटाया जाएगा उसके लिए सैक्शन 40 के अन्दर भी हर व्यक्ति को, एग्रीव्ड व्यक्ति को जाने का अधिकार होगा। उसके बाद में जब उच्च न्यायालय की डिवीजन बैंच से यह फैसला दिया गया कि सैक्शन 40 ठीक है और उसके अन्दर किसी भी व्यक्ति को अगर हटाया जाता है तो उसको सुनवाई का पूरा अवसर ज्यूडिशियल अथोरिटी के सामने मिलना चाहिए।

माननीय मंत्री महोदय, एक ओर तो छोटे से छोटा राज्य का कर्मचारी, चाहे फोर्थ क्लास हो या चाहे किसी भी पद पर

(श्री रामनारायण विश्नोई)

हो, उसे इंक्वायरी के बाद अपील का अवसर है। यहां पर आप सैक्शन 19 के अन्दर, सैक्शन 39 के अन्दर किसी भी व्यक्ति को कोई निर्णय देकर हटा देते हैं तो कोई अपील का अवसर भी नहीं है। अगर सैक्शन 39 के अन्दर भी अपील का प्रोविजन होता तो भी एक थोड़ा-सा संतोष होता कि किसी व्यक्ति के खिलाफ में एक निर्णय खिलाफ हो चुका है तो उसको एक और अवसर सुनवाई का मिल जाएगा। इसी कारण सैक्शन 40 के अन्दर जो डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा ज्यूडिशियल अथोरिटी के द्वारा जो निर्णय दिया जाता था उसको फाइनल माना जाता था और उसके आधार पर सैक्शन 39 के मुताबिक यह कार्यवाही की जाती थी। इसलिए सैक्शन 40 कम से कम सैक्शन 19 के अन्दर जो डिसक्वालीफिकेशन के प्रश्न पैदा हो जाते हैं उनके लिए तो सैक्शन 40 लागू होनी चाहिए बाकी जो दूसरे प्रोवीजंस हैं, जिस प्रकार से यह आया है कि डिसक्वालीफाई हो जाएगा, 39 के अन्दर उसको हटाया जा सकता है, सपोज दी मैन डाइज, अगर मर जाता है तो उसके अन्दर इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई आदमी इस्तीफा देता है उसमें कोई इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं है। उसमें सैक्शन 40 में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहां डिस्प्यूट पैदा होता है, जहां आदमी यह कहता है कि मेरे दो बच्चे होने के बाद में प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के अन्दर तीसरा बच्चा नहीं हुआ है और मैं इसका कंटेस्ट करता हूं या मैं तीन मीटिंगों के अन्दर बराबर हाजिर रहा हूं, मुझे जान-बूझकर गैर हाजिर बताया गया है। इस प्रकार के डिस्प्युट जहां पर हो वहां पर कम से कम ज्यूडिशियल प्रोनाउंससेंट और ज्यूडिशियल डिसीजन होना आवश्यक है।

इसलिए यह जो प्रावधान है, आप यह कहकर इस 40 को नहीं हटा सकते कि इसके अन्दर देरी हो जाती थी, देरी तो प्रशासनिक अधिकारियों के पास हुई। माननीय मंत्री महोदय, 1994 के नये एक्ट से पहले बहुत से सरपंचों के खिलाफ 10-10, 12-12 हमने इंक्वायरियां देखी हैं, आज तक उनके फैसले कियें जा रहे हैं तो इसमें देरी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी चाहे जितनी की जा सकती थी। ज्यूडिशियल कोर्ट के अन्दर ज्यादा बहस करने की गुंजाइश कम रहती है अगर वहां पर राज्य सरकार की तरफ से इस बात पर ठीक ढंग से कार्यवाही की जाती है।

माननीय मंत्री महोदय, जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया कि धारा 56 और 57 के मुताबिक पंचायत समितियों के अन्दर 4-4 स्थायी समितियां थीं, जिला परिषदों के अन्दर 4-4 स्थायी समितियां थीं और धारा 56 और 57 का बिलकुल ठीक तरीके से प्रयोग हो रहा था। इसमें धारा 55 "क" जोड़कर आपने बिना मतलब इसमें उलझनें पैदा कर दी हैं। धारा 55 "क" स्थायी समितियां ग्राम पंचायतों के अन्दर हट जाना चाहिए, ग्राम सभा की जगह वार्ड सभा हट जाना चाहिए। आपके संशोधन का बहुत सा भार कम हो जाएगा, एक बहुत सरल

(श्री रामनारायण विश्नोई)

प्रक्रिया हो जाएगी। माननीय सदस्यों की भी यही राय है। आपने जो 55 "क" जोड़ा है, स्थायी समितियों के लिए, वह अनावश्यक है, इसको जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से जो राजस्थान पंचायत एक्ट और जिसमें करीब करीब राजस्थान की 70-80 प्रतिशत जनता प्रभावित है और जो एक बहुत लम्बे अर्से से जिस पंचायत एक्ट की धाराओं के मुताबिक और पिछले 5 साल के अन्दर प्रक्रिया स्थायी रूप से काम कर रही थी उसको हमने बिना किसी कारण के, बिना किसी उद्देश्य के, बिना उसका कोई लाभ लिये हमें इसमें इस प्रकार के संशोधन नहीं करने चाहिए, आवश्यक संशोधन जो आपने कई जगह किये हैं, यह धारा 9 और 10 के अन्दर तो ग्राम पंचायतों का आप अगर नाम बदलना चाहते हैं, हैडक्वार्टर बदलना चाहते हैं तो उसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। उसकी एक प्रक्रिया होनी चाहिए। बहुत सी ऐसी मांग आएगी, पंचायतों का पुनर्गठन होगा, पंचायतों के नाम बदले जाएंगे, उनके हैडक्वार्टर बदले जाएंगे। उसके अन्दर अगर आपने संशोधन किया है तो यह एक आवश्यक संशोधन आप कर सकते हैं पर अनावश्यक जो संशोधन किये गये हैं, वह अनावश्यक संशोधन आप न करें और कृपया यह जो संशोधन, जैसे मैंने पहले निवेदन किया है, उनको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम (पचपदरा)। (अनुपस्थित), श्री जनार्दन गहलोत।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होने तक बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय आज की कार्यवाही समाप्त तब तक के लिए बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं थर्ड रीडिंग पर बोल दूंगा, साहब।

श्री जनार्दन गहलोत : थर्ड रीडिंग पर बोल दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रवर समिति में नहीं बोलना चाहते हैं। आप तय तो करें दोनों, क्या करना चाहते हैं ?

श्री दिग्विजय सिंह : थर्ड रीडिंग पर बोल दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : तो बिराजो आप।

श्री शिवनाथ सिंहजी।

विधेयक पर विचार

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पंचायती राज संशोधन बिल जो है, मेरा प्रस्ताव है इसे संलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पंचायती राज कानून के साथ हमेशा से खिलवाड़ होता आया है। संविधान संशोधन के बाद 94 में जो नया कानून पंचायती राज का बना उस वक्त भी हमारा सब का आग्रह था कि सलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और ठीक सोच कर, बैठकर एक अच्छा कानून बनाया जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस वक्त सरकार ने वह नहीं माना और आज उसके परिणाम हम देख रहे हैं, कई बार समय समय पर इसमें कितने ही संशोधन लाये गये। आज जो संशोधन लाये जा रहे हैं उनके सम्बन्ध में, माननीय उपाध्यक्षजी, जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट कर दिये उनको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ क्लाजेज ऐसे हैं जो यदि वर्तमान रूप में इस एक्ट को भाग बनते हैं तो कानूनी रूप से सही नहीं ठहरेंगे और व्यावहारिक रूप से भी ग्रामीण जनता के हितों के लिए वह उचित नहीं होंगे। मैं 10-5 क्लाजेज के लिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इजाजत चाहूंगा, जो इंगलिश वर्शन हैं उसके हिसाब से भी मैं अपनी बात कहना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वार्ड सभा का प्रोविजन नया डाला जा रहा है और वार्ड सभा के बारे में यदि हम आदर्श के हिसाब से कहें तो इससे ऊंचा आदर्श कोई हो नहीं सकता और व्यावहारिक हिसाब से कहें तो इससे हल्का कोई व्यावहारिक कदम हो नहीं सकता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा वार्ड सभा का कंसेप्ट कहां से आया है, मुझे नहीं पता, पंचायत में ग्राम सभा का प्रोविजन हमारे यहां था। ग्राम सभाओं की जो दशा हुई और जिस प्रकार के कार्य उसमें हुए और जिस प्रकार की अटेंडेंस उसमें वहां हुई उसको देखते हुए ग्राम सभा रखें या न रखें, सवाल तो यह उठाया जाना चाहिए था लेकिन आज ग्राम सभा से भी आगे चलकर वार्ड सभा का एक हम दृष्टिकोण बनाने जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने जिलों में जिला आयोजना समितियां बनायीं, हमने ग्राम पंचायत में ग्राम सभा बनायी, अब वार्ड सभा बनाना चाहते हैं। जब दोनों स्थानों पर हम फैल हो गये, जिला की आयोजना समिति में कार्यकलाप नहीं हो पाये और जिला आयोजना समिति का कोई महत्व रहा नहीं, वहां हम फैल हो गये, ग्राम सभाओं की कार्यवाही में, ग्राम सभा की कल्पना में हम फैल हो गये। अब वार्ड सभा की ओर हम जा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब वार्ड सभा कैसे बनेगी, कौन उसको बुलायेगा, यह सब प्रोविजन इसमें दे रखा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, There shall be atleast two meetings of the Ward Sabha every year one in each half of the financial year. यह माननीय उपाध्यक्ष जी, जो क्लाज चार है उसके नीचे वार्ड सभा एण्ड इट्स मीटिंग का दिया हुआ है, उसके

(श्री शिवनाथ सिंह)

सब क्लाज दो में है। इस वार्ड सभा की कल्पना तो आपने कर ली, एक साल में दो मीटिंग होंगी लेकिन इस मीटिंग को बुलायेगा कौन ? कहीं वह आपके प्रोविजन में रखा नहीं, न आपने कोई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में इसके रूल्स बनाने के लिए कोई प्रावधान करवाया जैसे एज प्रेस्क्राइब्ड हो तो भी हम मान लेते हैं। लेकिन इस वार्ड सभा को बुलायेगा कौन, यह बिलकुल इसमें स्पष्ट नहीं है। और कई जगह तो वार्ड सभा की कल्पना इसलिए की गयी कि वार्ड वाला अपने वार्ड की योजनाओं के बारे में सोचे, विकास के बारे में सोचे और उसके बाद अपने वार्ड का विकास करे।

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक वार्ड में बहुत जगह दो गांव आते हैं, एक गांव का एक हिस्सा एक वार्ड में है और वह आधा चलकर दूसरे गांव का हिस्सा उसमें आता है, ए और बी दो गांवों के वोटर्स एक वार्ड में आते हैं, बहुत जगह आते हैं। क्या उनमें सामंजस्य बैठेगा ? किस प्रकार की वह कार्यवाही होगी, यह माननीय उपाध्यक्षजी, कल्पना के बाहर की बात है। और जब हम हमारे ग्राम सभा में पास की गयी योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं तो हम पंचायत समिति में लिये गये निर्णय, उनके वहां के फैसले, योजना हमारी बनती थी, डी.आर.डी.ए. में जाती थी उसको हम पूरा नहीं कर पाये और डी.आर.डी.ए. के अन्दर जो योजनाएं बनती थी उनको हम पूरा नहीं कर पाये। आज हम किस आधार पर कहें कि वार्ड सभा अपने वार्ड का विकास करेगी। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से, इस पर दुबारा सोचने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूं।

उसी तरह, माननीय उपाध्यक्ष जी, फंक्शंस आफ द वार्ड सभा दिये हुए हैं और यह फंक्शन इतने आदर्शवादी हैं यदि सब की पूर्ति हो जाय तो हमारे गांव में स्वराज आ जाएगा और रामराज बन जाएगा। कोई भी कहीं कोई कमियां हमारे गांव में नहीं रहेंगी, इतने आदर्श वाले यह हमने फंक्शन उसको दिये हैं। विस्तार में नहीं जाकर इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि ये सब हवा वाले विचार हैं, धरातल वाले विचार नहीं हैं और आपने जो दिये हैं ये फंक्शन कभी पूरे वार्ड सभा में हो नहीं सकते।

(18.00 बजे)

माननीय उपाध्यक्षजी, आगे चलकर ग्राम सभा का जो चैप्टर सैकण्ड-ए है उसमें आपने क्लाज 8 जो पुराने एक्ट में ग्राम सभा के बारे में था उसको डिलिट कर दिया। ठीक है। लेकिन आपने एक 8(ए) नया सैक्शन किया। जब डिलिट हो गया तो नया सैक्शन जो आप उसमें इन्सर्ट करना चाहते हो उसका नम्बर 8 ही होगा, 8(ए) नहीं होना चाहिए। यह आपके फ्रेमिंग में गलती है।

उपाध्यक्ष जी, आगे चलकर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत में वार्ड कितने हों, पापुलेशन के हिसाब से हमने पिछले कानून में प्रावधान किया था कि इस तरह की इतनी आबादी में इतने वार्ड होंगे,

(श्री शिवनाथ सिंह)

उसके बाद में बढ़ी हुई आबादी में आबादी के हिसाब से वार्ड बनेंगे। आज आपने उस प्रोविजन को बिलकुल समाप्त कर दिया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इसके पीछे क्या मंशा है ? क्यों हमने किये। कितने वार्ड किस पंचायत में होंगे, अच्छा यह कानून था। पिछली बार हमने आबादी के हिसाब से बांटा था, आज आप उसको डिलिट कर रहे हैं, इस डिलिट के पीछे मंशा क्या है और इससे हम क्या अचींव करना चाहते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

इसी तरह से एक हमारे यहां प्रावधान है प्रजेंट एक्ट में कि राज्य सरकार इलेक्शन कमीशन पंचायत की अवधि निर्धारित करेगा और उस अवधि के अन्दर 5 साल के खतम होने से पहले उसके चुनाव हो जाएंगे। इसमें हमने प्रावधान रखा है पंचायत राज की संस्थाओं की फर्स्ट मीटिंग से। वह प्रावधान इसलिए रखा कि यूनानिमिटी हो। पूरे प्रांत में एक साथ चुनाव हो, इस दृष्टिकोण से हमने यह प्रावधान रखा था। एक डेट में सब पंचायतें कांस्टीट्यूट हो गयीं, सब पंचायत समितियां कांस्टीट्यूट हो गयीं, जिला परिषदें कांस्टीट्यूट हो गयीं और उसके बाद में उसी अवधि में उसका चुनाव करा देना चाहिए। उसमें क्या बुराई थी ? यह मेरी समझ में नहीं आता। उस प्रोविजन में क्या बुराई थी जिससे कि उसको रिप्लेस करना पड़ा। आपने अब रखा है कि फर्स्ट मीटिंग से होगा। फर्स्ट मीटिंग कोई पंचायत कभी करेगी, कोई परिषद कभी करेगी। इसलिए वह एक अच्छा प्रावधान था, उसको बदलने में क्या हमें फायदा मिला, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

इसी तरह से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मतदाता सूची। यह बहुत ही ऐसा प्रावधान हमने रखा है कि न तो इधर के, न उधर के मतदाता सूची के सम्बन्ध में मेरा स्पष्ट मत है कि जो रिप्रजेंटेशन आफ पीपुल्स एक्ट में प्रावधान है जिसको वोटिंग राइट वहां मिला हुआ है उसी के सीमिलर प्रोविजन हमें यहां रखने चाहिए, उससे अलग हटने की आवश्यकता नहीं है। वह एक सेटल्ड लॉ है, सैटल्ड प्रोविजन उसमें है, उस प्रावधान को तितर-बितर करने में हमें कोई फायदा नहीं है।

इसी तरह, दूसरा प्रावधान यह है डिसक्वालिफिकेशन। जो रिप्रजेंटेशन आफ पीपुल्स एक्ट है उसमें डिसक्वालिफिकेशन है उनको हमें अडाप्ट करना चाहिए। कुछ प्रोविजन्स जैसे दो बच्चों का हमने पहले रखा, इस प्रकार के प्रोग्रेसिव मैथड हम रखना चाहें तो रखें लेकिन मोटे रूप में रिप्रजेंटेशन आफ पीपुल्स एक्ट के प्रावधान हमको मतदाता सूची तैयार करने में रखने चाहिए। आपने यहां नये प्रावधान में रखा है, मेरा मकान, मेरी जमीन जायदाद मेरे गांव में हैं, रिप्रजेंटेशन आफ पीपुल्स एक्ट में मुझे वहां मतदाता होने का अधिकार है लेकिन आप यहां कहते हो कि नहीं, तुम नहीं बन सकते। जिसमें मेरा मकान भी है, खेती भी है, सब कुछ धंधा है लेकिन कौनसे कारण वह रखेंगे जिसके कारण से मुझे वहां का मतदाता नहीं मानेंगे, वह कारण तो आपने

(श्री शिवनाथ सिंह)

दिये नहीं और यह कह दिया कि तुम वहां के मतदाता नहीं बन सकोगे।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं संक्षिप्त रूप से निवेदन कर रहा हूं, डिस-क्वालिफिकेशन हमने रखी है, आपने नया प्रावधान जोड़ा है कि वोटर लिस्ट में दो बार नाम आ जाएगा, गलत है। एक ही जगह वोट देगा, सही बात है। एक आदमी दो जगह वोट दे नहीं सकता। सुन लो, धीरज रखो। यह क्लाज 19 है उसका सब सैक्शन (3) है "No person shall at any election vote in more than one ward or constituency and if a person votes in more than one ward or constituency, his votes in all the wards or constituencies shall be deemed to be void."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लीगल एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, एक आदमी ने एक जगह वोट दे दिया, आपका कानून कहता है कि दोनों जगह के वोट आपके वॉयड होंगे। कैसे मालुम करोगे आप कि दोनों जगह वोट नहीं दिये गये। कैसे मालूम करोगे इस बात को और वह सिवाय इलेक्शन पिटिशन के अलावा चैलेंज नहीं हो सकता। तो आप ऐसा प्रावधान जो कानून के बिलकुल खिलाफ है उस प्रावधान को जब तक आप मतपेटी को नहीं खोलोगे, तब तक आप मतपेटी को खोलकर उसके नम्बर नहीं मिलाओगे तब तक यह काम नहीं हो सकता कि मैंने दो जगह वोट दिये हैं। ये प्रावधान रखे हैं, मैं नहीं समझता, मुझे पता नहीं कि क्या किस कारण से ये प्रावधान रखा है। दोनों जगह वोट नहीं देंगे, यह सही बात है लेकिन दो जगह वोट दे दिया तो मेरे दोनों जगह वाले वोट कैन्सिल हो जाएंगे। मैंने ए पंचायत में वोट दे दिया और सी पंचायत में वोट दे दिया। ए पंचायत की गिनती एक जगह होगी, सी पंचायत की गिनती दूसरी जगह होगी। मेरे ए वाला और सी वाला दोनों वोट कैन्सिल करने के प्रावधान इसमें रख रहे हो। कैसे कर पाओगे? यह थोड़ा सा मुझे समझा दे कोई भी। चाहे लीगल एक्सपर्ट्स बैठे हैं, हमारे मंत्री महोदय बैठे हैं, किस प्रकार से इस व्यवस्था को, इस प्रावधान को आप इम्प्लीमेंट करोगे ? इसलिए इस प्रकार के प्रावधान रखने में मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई फायदा हमें होगा।

एक प्रावधान माननीय सदस्यों ने सराहा भी है लेकिन मैं उसको अपोज करता हूं। एक व्यक्ति दो जगह चुनाव नहीं लड़ सकता। पार्लियामेंट में चुनाव लड़ सकता है, असेम्बली का चुनाव दो जगह से, तीन जगह से लड़ सकता है लेकिन पंचायत वार्ड का मैम्बर दो वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। समस्या आयी नहीं, आ जाएगी। सरपंच दो पंचायत से नहीं लड़ सकते, हमारे कानून का प्रावधान है लेकिन पंचायत के वार्ड के ए और बी में एक मतदाता दो वार्डों से नहीं लड़ सकता। मेरे ख्याल से, माननीय उपाध्यक्षजी, ऐसा कानून किसी के गले उतरने वाला नहीं है। एक पंचायत समिति का मैम्बर दो वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। जिला परिषद का मैम्बर दो

(श्री शिवनाथ सिंह)

वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। इस प्रकार के प्रोविजन लगाकर हम नतीजा क्या लेना चाहते हैं ? इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये प्रोविजन्स ऐसे हैं जो बहुत ही खतरनाक भी हैं और जिनको यहां रखने में मुझे नहीं लगता कि हम कोई उससे रिजल्ट लेना चाहेंगे।

इसी तरह से, सभापति महोदय, चेयरपर्सन के चार्ज की अभी चर्चा आयी थी कि किस प्रकार से दिया जाएगा। एक केटेगरी का व्यक्ति चेयरपर्सन है। यह तो समझ में आता है कि यदि वह सीट खाली होती है तो उसी केटेगिरी से भरा जाएगा। यह भी समझ में आता है कि उस केटेगिरी का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं हो तो रूल्स बनाकर, वाई-लॉज बनाकर हम उसको रेगुलेट करें कि जहां उस केटेगिरी का व्यक्ति मिलता ही नहीं है तो उसके लिए हम रूल्स बनायें। लेकिन केटेगिरी का व्यक्ति वहां मौजूद है, चार व्यक्ति मौजूद हैं उसके लिए भी फैसला कौन करेगा ? वह आपके मैम्बर्स नहीं कर सकते। यह अधिकार आप उन मैम्बर्स को क्यों नहीं देना चाहते कि इस कैटेगिरी से यह सीट खाली हो गयी इसलिए जब तक नया चुनाव नहीं हो उस संस्था के जो मैम्बर्स हैं वे अपने आप में से उस कैटेगिरी का व्यक्ति चुनें। लेकिन नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। अच्छा यह होता, बार बार आलोचना होगी कि चार हैं आपने एक को क्यों किया, क्यों किया वजह आपके पास है नहीं, इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जो भी अमेंडमेंट आप करना चाहें, कर सकते हैं, करना चाहिए आपको। पर उस संस्था के जो इलेक्टोरोल मैम्बर हैं वे अपने आप से उनको चुनें। जहां उस केटेगिरी का व्यक्ति उनमें नहीं होता है तो आप उसको अपाइंट कर सकते हैं, यह मेरा निवेदन है।.... अब सरपंच, प्रधान और इनके जो पावर्स हैं, उनके फंक्शन पर आपने बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन लगाया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, Certain powers under sections 33 and 34 to be exercised with the approval of the Administration and Establishment Committee. प्रमुख के जो पावर्स हैं लेकिन वह पावर्स एक्सरसाइज नहीं कर पायेंगे तब तक कि एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन नहीं मिलेगी। हम एस्टेब्लिशमेंट कमेटी की बात सोच सकते हैं, जो पंचायत समिति की कमेटियां बनती हैं, उनकी राय पर तो सोच सकते हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें जरूरत कहां आ गई। इसका मतलब यह हुआ कि आप पंचायत समिति के प्रधान और जिला परिषद के प्रमुख को इंडिपेंडेंटली काम करने देना नहीं चाहते। आपका प्रशासन कहेगा कि आप यह काम कर सकते हो वह करेगा और आपका प्रशासन कहेगा कि आप नहीं कर सकते, उस काम को वह नहीं कर पायेगा। इस प्रकार के जो प्रोविजन्स हैं, बहुत अच्छे नहीं है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर कंट्रोल आपने जिला प्रमुख को दिया है लेकिन वह कंट्रोल होगा। एडमिनिस्ट्रेशन, जिस तरह से अब बहुत खतरनाक प्रोविजन आपने जो रखा है,

(श्री शिवनाथ सिंह)

सरपंच को ग्राम सभा री-काल कर सकती है, सरकार उसको हटा सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरपंच के खिलाफ उसको हटाने के दो प्रोविजन हैं। एक अविश्वास का प्रस्ताव है और दूसरा, आपने ग्राम सभा में प्रस्ताव कर दिया। सरपंच के दो साल तो सुरक्षित हैं। उसके बाद अविश्वास का प्रस्ताव उसके पास आया। ग्राम सभा में पंच अविश्वास प्रस्ताव पर उसका निर्णय करते हैं। वह अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं कर पाये, सरपंच रह गया लेकिन दूसरे ही रोज ग्राम सभा में आपने उस पर अंकुश लगा दिया, एक तलवार लटका दी कि पंच लोग चाहें लेकिन ग्राम सभा के आधार पर हम आपको हटाते हैं। उपाध्यक्षजी, एक जुर्म के दो दण्ड, ऐसा कभी हुआ नहीं है और इस प्रकार के प्रोविजन हो सकते हैं। माननीय मंत्री महोदय या ड्राफ्ट करने वालों के ध्यान में नहीं आया हो लेकिन यह बहुत ही खतरनाक प्रोविजन है। इसी तरह से वार्ड मैम्बर को भी आप हटा सकते हैं। वार्ड सभा, यह देखने में सुन्दर है, आदर्शवादी है। हम नहीं चाहेंगे तो हम हटा देंगे उसको। हमने पंच को चुना है और पंच हमें पसंद नहीं तो हम वापस उसको हटा दें, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से इस बात को आप सोचिये कि व्यावहारिक में क्या होगा। गांव-गांव में लड़ाई होगी, वार्ड वार्ड में लड़ाई होगी और जैसे ही सरपंच बना, जैसे ही वार्ड मैम्बर बना, उसको हटाने वालों की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। यह री-काल करने का प्रोविजन कहीं है भी नहीं। और अभी यह माननीय सदस्य कह रहे थे कि पार्लियामेंट और असेम्बली में री-काल का प्रोविजन होने वाला है, हो सकता है उनके आदमी हों, लेकिन आज तक न तो यह प्रोविजन बना है और न ही बन सकता है। इस प्रकार का प्रोविजन यदि बन गया तो न देश की पार्लियामेंट चलने वाली है और न देश की असेम्बली चलने वाली है और न ही आपकी ये पंचायती राज संस्थाएं चलने वाली हैं। उन पर यह एक-आध तलवार लटकी रहेगी कि आपको हमको ग्राम सभा और वार्ड सभा उसको रिव्यू कर सकती है। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं क्लाज का इसलिए....

श्री उपाध्यक्ष : कौनसा क्लाज बाकी रहा, जिसमें आप सहमत हुए हों, यह तो बताओ। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : अच्छी बुरी बात नहीं, मेरा प्रस्ताव माननीय, इसको सलेक्ट कमेटी को भेजने का है इसलिए हाउस को इस बात के लिए कन्विंस करना चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी को कंविस करना चाहता हूं कि आपके जो प्रोविजन्स हैं, वे डिफेक्टिव हैं। बहुत से प्रोविजन अच्छे हैं, उनकी तरफ तो मैं गया नहीं हूं। जो डिफेक्टिव प्रोविजन हैं उन प्रोविजन को सुधारने के लिए सलेक्ट कमेटी में जाने के अलावा और कोई रास्ता है नहीं। न तो यह अमेंडमेंट पास हो सकता है, न मंत्री महोदय यहां पर पास कर सकते हैं। इसलिए यह एक ही रास्ता है कि इन प्रोविजन्स की दुरुस्ती करने के लिए, जो कि बहुत खतरनाक प्रोविजन हैं और कानून के खिलाफ प्रोविजन

(श्री शिवनाथ सिंह)

हैं, उनको ठीक करने के लिए सिर्फ सलेक्ट कमेटी है, वही इसका एक रास्ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जल्दी तो हो रही है। आप एक बहुत खतरनाक प्रोविजन इसमें डाल रहे हैं, पंचायती राज संस्थाओं को और खास तौर से पंचायत समितियों को हमने प्राइमरी एजुकेशन दी है और इसके बाद में जिला परिषद को हमने मिडल स्कूल की शिक्षा दी है। उपाध्यक्षजी, इसमें जो आपने प्रोविजन डाला है, सैक्शन (82) इसको करने के लिए आपने किया क्या है। ब्लाक एजुकेशन आफिसर अपोइंट किया और पंचायत में एजुकेशन सिस्टम है वह सब उसको कंट्रोल करेगा। उस पर पंचायत समिति, प्रधान और स्टैंडिंग कमेटी किसी का नियंत्रण नहीं होगा और वही डिसीप्लीनरी एक्शन लेगा और नियुक्त कौन करेगा ? वह आपने इसमें रखा नहीं है। यह अपोइंटमेंट भी उसके हाथ में आप दे दें तो समझ में आने वाली बात है लेकिन पंचायत राज संस्थाओं में सर्विस में अपोइंटमेंट मिलेगा, वह पंचायत समिति देगी और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पूरा उस ब्लाक शिक्षा अधिकारी का होगा। आपस में क्या किस प्रकार से सिस्टम यहां आप करना चाहते हैं पंचायती राज संस्थाओं में यदि प्राइमरी एजुकेशन ले लें तो सीधे से कहिये, पंचायती राज संस्थाओं से और पंचायत समितियों से हम प्राइमरी एजुकेशन वापस लेते हैं। एक तरह से करीब करीब तो ले चुके हैं क्योंकि नई प्राइमरी स्कूल हमारी नहीं खुल रही हैं लेकिन फिर भी हमको स्ट्रेट-वे कहना चाहिए कि हम पंचायत समितियों को प्राइमरी एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। यह बहुत ही बड़ी दुविधापूर्वक स्थिति है। ब्लाक शिक्षा अधिकारी को अधिकार क्या है, उसका पता नहीं है। वह किसके नियंत्रण में रहेगा, पंचायत समिति का उससे कोई लेना देना नहीं है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो प्रोविजन आपने डाले हैं....

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी राय में पंचायत समिति के पास प्राइमरी एजुकेशन रहनी चाहिए या नहीं ?

श्री शिवनाथ सिंह : मैं तो कहता हूं रहनी चाहिए लेकिन मेरे कहने से क्या होगा ? (व्यवधान) पंचायत समिति के पास एजुकेशन आज तक थी उस रूप में वह रहनी चाहिए पंचायत समिति उसकी स्टैंडिंग कमेटी, उसका विकास अधिकारी, इसका नियंत्रण प्राइमरी एजुकेशन पर होना चाहिए। उपाध्यक्षजी, आपकी व्यग्रता को समझते हुए इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि यह सलेक्ट कमेटी में जाने लायक बिल है और यदि इस प्रकार के डिफेक्ट्स इस बिल में हैं, वह भी सलेक्ट कमेटी में नहीं भेजा जाता है तो मेरे ख्याल से कोई जस्टिफिकेशन हम कानून के साथ नहीं कर पायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि इसको सलेक्ट कमेटी को भेजा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजय सिंह। श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी तो पंचायती राज में

(श्री रामनारायण चौधरी)

दिलचस्पी रही है। जब से मैंने होश संभाला, मैं पंचायती राज से जुड़ा रहा हूं। हमारे पूर्व मुख्य मंत्रीजी भी पंचायती राज में दिलचस्पी लेते रहे हैं। मैं इस बात के लिए उनकी सराहना करूंगा कि जब उन्होंने 1954 में यह कानून बनाया और लाये, तब उन्होंने बाकायदा सेमीनार की थी और सब लोगों को बुलाया था जो कन्सर्न्ड थे, उसमें मैं भी था, और लोग भी थे। हमारे विचार सुने भी गये थे। उन्होंने स्वयं ने खुद ही दिलचस्पी ली थी। कई बात पर हमारा और उनका इत्तफाक नहीं था। एक पाइंट मेरा था जो इन्होंने मेरी बात मानकर, मेरी बात को उन्होंने अपहोल्ड किया है। दूसरे लोग सब उस बात के खिलाफ थे। तो मैं चाहूंगा, उन्होंने एक तरीका अपनाया था तो उस तरीके के अन्दर मैं सहमत नहीं था, क्योंकि मैं तो पंचायती राज का हिमायती हूं जो स्वर्गीय राजीव गांधी ने 1989 के अन्दर पार्लियामेंट में पेश किया था और उन्होंने लोक सभा में पास करवाया था और राज्य सभा में एक वोट से गिर गया था।

उपाध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी ने खुद ने और अपने हिसाब से कोई उसकी ड्राफ्टिंग नहीं करवाई थी। सारे देश के अन्दर कांफ्रेंस आयोजित करवाकर सब जगह, वह हर प्रदेश के अन्दर, जिलों में और हर लेवल पर डिस्कशन के बाद सामने आया था। उनका कंसेप्ट था कि हर व्यक्ति डाइरेक्ट मतदाताओं से निर्वाचित हो। प्रमुख डाइरेक्ट हो, प्रधान डाइरेक्ट हो, सरपंच डाइरेक्ट हो और चेयरमैन डाइरेक्ट हो यानी हर संस्था का चुनाव डाइरेक्ट मतदाताओं से हो। और इसी आधार पर 1989 में राज्य सभा के अन्दर गिरा था क्योंकि दूसरी पार्टियां बंगाल, कम्युनिस्ट पार्टी सहित और केरल सहित, इस पक्ष में नहीं थीं कि आम मतदाताओं को प्रधान और प्रमुख के साथ में जोड़ा जाये। राजीव गांधी इसके पक्ष में थे और मैं भी इसका हिमायती हूं। मान्यवर, हमारे पंचायती राज एक्ट के तहत जो फंक्शनिंग चालू हुई तो हमारे पूर्व मुख्य मंत्री ने उसको फेल होता देखकर के अपना पैंतरा बदला और कहने लगे कि यह सारा सिस्टम ही खराब हो गया, इसमें किसी प्रकार का कार्डिनेशन नहीं है जिला परिषद और पंचायत समिति का....

श्री उपाध्यक्ष : पूर्व मुख्य मंत्री तो पांच-चार हैं, किस की कह रहे हैं आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे लिये कह रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : आज के विपक्ष के नेता और तत्कालीन चीफ मिनिस्टर। तो उन्होंने देखा कि यह तो फेल हो रहा है, उन्होंने पैंतरा बदल कर कहा कि पंचायत समिति और पंचायतें, जिला परिषद् और पंचायत समिति, इनका कार्डिनेशन नहीं है इसलिए सारा मामला गड़बड़ हो रहा है। तो इन्होंने सरपंच को जोड़ा पंचायत समिति के साथ में। मैं इसके खिलाफ था। मैं यह कह रहा था कि पंचायत एक यूनिट है, समिति एक यूनिट है, जिला परिषद एक यूनिट है और तीनों को इन्डिपेन्डेंटली फंक्शन दिया जाय और उनसे

(श्री रामनारायण चौधरी)

शासन करवाया जायं। लेकिन इन्होंने उनको जोड़ा। उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। आज हमारे पंचायती राज मंत्री महोदय ने भी, वह भी विद्वान हैं, फ़िलोसोफर हैं और इनका एक कंसेप्ट है, मैं उनकी योग्यता, कंसेप्ट और दृढ़ता का तो कायल हूं लेकिन जो यह सामने लाये हैं उससे मेरा काफी मतभेद है। मान्यवर, आप तो प्रधान रहे हैं, आठ पंचायत समिति हैं, एक खैरवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान रहे हुए हैं और अब मंत्री हैं। इनसे मैंने पूछा कि आपके यहां कितनी पंचायतें हैं तो कहा मेरे यहां 66 हैं और इलेक्टेड नम्बर है 29। तो कांस्टीट्यूशनली बनी हुई पंचायत समिति में तो 29 सदस्य हैं, संविधान के अन्तर्गत, और 66 आपने आपके इस कानून से जोड़ दिये। 66 प्लस 29, अब मुझे बताइये कि कितनी बड़ी पंचायत समिति हुई और उन जीते हुए माननीय सदस्यों की क्या स्थिति हुई जो बाकायदा निर्वाचन क्षेत्र से जीतकर आये हैं। आज हम यहां हैं, हमारे साथ में आप ऐसे जोड़ दो कि इसको आप एकदम डिफंक्ट बना दो कि दूसरे लोग हावी हो जायं, तो फिर क्या उपयोग रहेगा विधान सभा का और ऐसे ही क्या उपयोग रहेगा पार्लियामेंट का। वैसे ही पंचायत समिति का कोई उपयोग नहीं रहेगा, 66 आदमियों को जोड़ दिया। मेरी पंचायत समिति अलसीसर है, उसमें 19 आदमी निर्वाचित हैं। और 36 आदमी उसमें और जुड़ गये। अब 36 और 19, 55। इन 55 आदमियों की खुशामद सरपंच करे, हर साल उनकी स्टेण्डिंग कमेटीज का चुनाव करवाये।

उपाध्यक्ष महोदय, स्टेण्डिंग कमेटीज फेल हुई हैं। अगर कोई पंचायत राज को जानता है, जिला परिषद में स्टेण्डिंग कमेटी, पंचायत समिति में स्टेण्डिंग कमेटी फेल हुई है। एक भी स्टेण्डिंग कमेटी ने कहीं भी कोई फंक्शन नहीं किया सिवाय प्रशासन स्थाई समिति की मीटिंग होती थी। वह इसलिए होती थी कि ग्राम पंचायत की अपील उसके अंदर आती थी इसलिए लोग उसमें दिलचस्पी लेते, बाकी एक भी कमेटी की मीटिंग नहीं होती क्योंकि उनके पास कोई फंक्शन ही नहीं था, काम ही नहीं था। जो काम पिछले पांच सालों में, छह सालों के अन्दर पंचायत समिति में, पंचायत में, जिला परिषद में रहा है उससे ज्यादा काम हमारे मंत्री महोदय इन संस्थाओं को नहीं दे सकते। न तो इतने साधन हैं आज, उस समय तो शुक्रगुजार होना चाहिए हमें कांग्रेस सरकार का, दिल्ली से जिन्होंने इतने बड़े भारी फंड्स दिये और आज वह सारे फंड्स दिल्ली में भी रुक गये और हम भी रोक देंगे तो इन पंचायत समितियों में क्या काम होगा।

अब मान्यवर, मैंने देखा, मंत्री महोदय, आपने स्टेण्डिंग कमेटीज का प्रोवीजन पंचायतों में भी किया और पंचायतों में भी वही स्टेण्डिंग कमेटी होगी जो पंचायत समिति और जिला परिषद में है। आप स्टेण्डिंग कमेटीज से क्या करवाओगे पंचायत में, क्या काम होगा, आप तो खुद पंचायत राज को जानते हैं, उसमें भी उतनी की उतनी ही स्टेण्डिंग कमेटीज हैं। मैं उन प्रोवीजन्स में नहीं जाना चाहता जिनके बारे में मेरे से पूर्व सदस्यों ने जिक्र किया। उनमें एक बात मेरे आपकी समझ में आई। मैंने सोचा कि

(श्री रामनारायण चौधरी)

यह क्यों इन्होंने किया। एक ग्राम सभा को सरपंच को हटाने का अधिकार दे दिया, पंचों को है ही। तो ग्राम पंचायत के पंच अगर हटाने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि कई पंचायतें ऐसी हैं, पचास प्रतिशत मान्यवर, कि जिनके पास सरपंच के पास मेजोरिटी नहीं है, कइयों के पास तीन-तीन, चार-चार सब पंच हैं, अगर वह इस आधार पर चलते रहते हैं कि संवैधानिक तरीके से तीन-चौथाई मेजोरिटी उनके खिलाफ नहीं है तब तक वह सरपंच बना रहेगा, तो सरपंच बना रहेगा उस मायने के अंदर उस स्थिति में उसका बेकार है। वह पंचायत एक तरफ से डिफंक्ट हो गई। तो यह प्रोवीजन जो आप ला रहे हैं, इस प्रोवीज़न से उसको हटाया जा सकता है, यह तो एक उसका उपयोग हो सकता है अन्यथा दो तलवार उसके ऊपर हैं।

मैंने सोचा कि इस प्रोवीजन से उस सरपंच से ग्राम पंचायत का पिंड छुड़ाया जा सकता है। यह स्थिति इसकी है। अब आपने जिला परिषद में प्रधान को जोड़ दिया, जिला परिषद में आपने एम.एल.ए. को जोड़ दिया, एम.पी. को जोड़ दिया। हमारे पूर्व चीफ मिनिस्टर और आज के प्रतिपक्ष के नेता, यह भी चाहते हैं कि एम. एल.ए., एम.पी. जुड़ें। मैंने कहा कि देखिये, आप गांव की लीडरशिप को ऊपर लाना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो मुख्य मंत्री उस समय थे, मैंने कहा मुख्य मंत्री महोदय, जिस पंचायत समिति में आप एम.एल.ए. होने के नाते जाकर बैठ जायेंगे, वह पंचायत समिति का प्रधान और वह लीडरशिप क्या करेगी। एम.एल.ए. लोग वहां जाकर बैठ जायेंगे, लोकल लीडरशिप क्या करेगी, एम.पी. बैठ जायेंगे।

मैं तो इस बात के पक्ष में था उपाध्यक्ष महोदय, कि एम.एल.ए., एम.पी. का कोई काम नहीं है लोकल बाडीज के अंदर, वह अपनी विधान सभा में काम करे, लोक सभा में काम करे। ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत के सरपंच और पंच करें। पंचायत समिति में प्रधान करें लेकिन हमारी इच्छा यह है क्योंकि हम उनको भी दबाये रखें, अगर दबाये नहीं रखेंगे तो पेरेलल लीडरशिप आ जायेगी, एम.एल.ए. के चुनाव में हमारे सामने खड़े हो जायेंगे, हमें हरा देंगे। हम इस दृष्टिकोण से काम करते हैं कि हम पंचायत समिति और जिला परिषद् में हावी रहें और यह लोकल लीडरशिप नहीं पनप पाये। यह विचार मैंने तब भी दिये थे, इन्होंने उसको सुना भी था। लेकिन मंशा आज के राज करने वालों की, आज हम जो 200 हैं, हमारी किसी की भी इच्छा यह नहीं है कि पंचायत समिति और जिला परिषद् पनपे। ग्राम पंचायत पनपे, प्रधान नहीं पनपना चाहिए क्यों प्रधान हमारा राइवल है। प्रमुख हमारा राइवल है। वह कभी भी हमारे सामने आ जायेगा। यह हमारा एक कंसेप्ट, मानस बना हुआ है। तो पंचायत राज का सही मायने के अंदर हम जो 200 यहां बैठे हुए हैं, एक भी उसके हिमायती नहीं हैं एक तरह से और मैं भी एक हूं उनमें से।

लेकिन मैं मानता हूं कि हमारा कंसेप्ट अगर क्लियर है, महात्मा गांधी ने स्वराज का नाम दिया था, जब देश आजाद हो रहा था उपाध्यक्ष महोदय, और साउथ अफ्रीका

(श्री रामनारायण चौधरी)

से जब वह आ रहे थे तो उनसे स्वराज की बात पूछ ली तो बोले, मेरा स्वराज तो आयेगा नहीं, और मेरे स्वराज को स्वीकार भी नहीं करेंगे। तो बोले, कौन सी आजादी, फिर कौन सा राज आयेगा। बोले कि यही आयेगा जो ब्रिटिश प्रणाली है, जो पार्लियामेंट सिस्टम है। क्योंकि आज की जो लीडरशिप है, तत्कालीन लीडरशिप, उसमें दो ही लीडरशिप थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग। यह लीडरशिप पार्लियामेंट सिस्टम को चाहती थी। तो हम आज पंचायत राज के हिमायती तो हैं लेकिन यह जो एक्ट लाये हैं मंत्री महोदय, इसमें लीगल फ्लो क्या हैं, यह तो आप जानें और आपका लॉ डिपार्टमेंट जाने, लेकिन इसमें पंचायत समिति, जिला परिषद और पंचायतें तीनों को ही मजबूत करने का एक भी कदम नहीं है। इसमें आपने ग्राम सभा, वार्ड सभा का रखा है। वार्ड सभा की बजाय यह ग्राम सभा, आपने पहले रखी थी ग्रुप आफ विलेजेज। ग्रुप आफ विलेजेज का आपने ग्राम सभा नाम बनाया। उसको तो अपने तोड़ा, अब वार्ड को आपने ग्राम सभा कर दिया, इसमें अगर नेचुरल बात आप पकड़ते तो गांव की एक यूनिट को पकड़ते, गांव की यूनिट एक ग्राम सभा होगी और पूरी ग्राम पंचायत, आप ग्राम सभा नाम दो, उसका क्या नाम दो, वह एक आपके देखने की बात है, ग्राम सभा तो गांव की ही हो सकती है। आपकी चली नहीं। मैं आपका हिमायती हूं कि आप छोटी-छोटी पंचायतें बनाना चाहते हैं, वह बनें। आज बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू में एक पंचायत से दूसरी पंचायत का तीस-तीस किलोमीटर का फासला है। कैसी पंचायतें हैं वह। इतना तो यूरोप के अंदर पार्लियामेंट के अंदर फासला नहीं है एक गांव का दूसरे गांव से। तो पंचायतें छोटी हों, मैं हिमायती हूं। एक गांव की ऐसी पंचायत बने जिसमें सब एक-दूसरे को जानते हों और उनका आपस में रिश्ता हो। यही आपने पंचायतों के अंदर स्टेण्डिंग कमेटी रख दी जिनका कोई काम नहीं, पंचायत समितियों में आपने स्टेण्डिंग कमेटी रखी है, पांच स्टेण्डिंग कमेटीज रखी है। दो ही स्टेण्डिंग कमेटी हैं जिनके अलावा और किसी के पास कोई काम नहीं है, वह बेकार हैं। ऐसी ही स्थिति जिला परिषद में है।

मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि इसमें कानूनी लेकुनाज भी हैं, किस तरह का एक उसमें कार्डिनेशन हो, वह है, आपने सरपंचों को भी इसमें बैठा दिया, पंचायतों को इतना बड़ा बना दिया, चुनाव भी जो पहले हुए थे हमने सदस्यों से करवाये थे, वह आपने रद्द कर दिये, सरपंचों को लेकर के चुनाव करवाने पड़ेंगे, करवाओ, लेकिन इसमें कुछ आयेगा नहीं। वार्डों में, पंचायतों में सब जगह इतने झगड़े बढ़ जायेंगे कि वह बेकाबू हो जायेंगे।

अंत में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मान्यवर, कि इसको मंत्री महोदय, आप सलेक्ट कमेटी को दे दीजिये। आपको कोई जल्दी नहीं है चुनाव हुए हुए हैं और काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती है और आप इसके अध्यक्ष होंगे, हम सबको सुन लीजिये और सुनने के बाद जो संशोधन

(श्री रामनारायण चौधरी)

आप वाजिब समझें उस तरीक़े से आप इसको रीड्राफ्ट करवा लीजिये। ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपका यह कानून है, यह बिल जो विधान सभा में आ गया है। पास होगा इसमें कोई दो राय नहीं है। हम पास करेंगे। लेकिन इससे वह फायदा नहीं होगा जो आप और हम सोच रहे थे। इसलिए मेरा मान्यवर, आपकी मार्फत मंत्री महोदय से अनुरोध है कि यदि कोई अड़चन नहीं हो, कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं हो तो हमें सलेक्ट कमेटी में इस पर विचार कर लेना चाहिए। इसमें सब लोग आ जाएंगे, बात हो जाएगी उसमें काफी सुधार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री समरजीत सिंहजी। श्री अमराराम (धोद)।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2000 पर चर्चा चल रही है। इसमें एक तो आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि धारा-19 में जो संशोधन आप करने जा रहे हैं यह सबसे खतरनाक है। हमारा जो ग्रामीण नेतृत्व पनपने की ओर जा रहा है उसको रोकने का काम इस धारा के संशोधन के द्वारा किया जाएगा क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ता ही आगे चल करके नेतृत्व में आता है। और निश्चित रूप से कोई भी, राजनीतिक कार्यकर्ता जनता के जनसंघर्षों से आगे आता है और निश्चित रूप से जनता की डिमांडस, उनकी मांगों के लिए जनता को साथ लेकर अगर संघर्ष करेगा तो उपाध्यक्ष महोदय, उन पर मुकदमें भी बनेंगे। और मुकदमा अगर बनेगा तो छोटा सा मुकदमा भी आपकी इस परिधि में आ जाएगा जिससे वह पंचायत राज संस्थाओं में चुनने के लायक, इल्लिजिबल नहीं होगा। तो निश्चित रूप से जो पहले प्रोवीजन थे, मोरल ट्रपीट्यूड है उसको इसमें जो प्रतिबंधित थे वो तो तय है लेकिन आप यह जो प्रोवीजन धारा 19 में संशोधन करके डालना चाहते हैं जिसका एक ही अर्थ होगा कि राजस्थान के ग्रामीण इलाके में जो राजस्थान की 80% जनता है, वहां से लोग निकल कर आये हैं। अगर हमारी भावना यह है कि राजस्थान में जनता की समस्याओं के लिए, रोजमर्रा की उनकी जिन्दगी की समस्याओं को जनता को साथ लेकर संघर्ष करने वाले, नेतृत्व विकसित करने वाले को हम प्रोत्साहित करने की बजाय इस धारा के माध्यम से उन कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने का काम करेंगे, वह मैं समझता हूं कि राजस्थान में नेतृत्व के विकास में सबसे बड़ा अवरोध होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक यह जो वार्ड सभा का प्रोवीजन इसमें आपने डाला है, मैं समझता हूं कि यह प्रोवीजन स्वागत योग्य है क्योंकि हम अगर केवल प्रोवीजन करके डाल दें इससे तो नहीं होगा लेकिन जितना भी हम इसका विकेन्द्रीकरण करेंगे, इसके अधिकार को बढ़ायेंगे, आर्थिक अधिकार बढ़ायेंगे और निश्चित रूप से अगर हम आर्थिक और विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं तो पंचायती राज संस्थाओं के इंप्लीमेंटेशन

(श्री अमराराम)

की आखिरी कड़ी जो वार्ड है, उसमें जितने भी लोग निवास करते हैं, उनकी वार्ड सभा करके उनका प्लानिंग बनाने में हम आम जनता का अगर सहयोग लेंगे तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट पोजिटिव होगा। हो सकता है इस बात के लिए हम परेशान हों कि वहां झगड़ा होगा। यह बात भी सही है उपाध्यक्ष महोदय, कि अगर एक पंचायत में 15 या 20 वार्ड हैं तो जितने प्रस्ताव वार्डों से विकास के आएंगे तो ग्राम पंचायत निश्चित रूप से उन तमाम विकास कार्यों को एक साथ नहीं कर पाएगी। लेकिन 20 या 15 वार्डों से जितने भी योजना के प्रस्ताव आये हैं, निश्चित रूप से जो ग्राम पंचायत की ग्राम सभा होगी उसमें हम तमाम, जितने भी वार्ड मैंबर वार्ड सभाओं में जितने एक्टिव हुए हैं, उनको एक साथ बैठा कर पूरा ग्राम पंचायत की जो योजना बनेगी उसमें भी हम यह अहसास करा पाएंगे। इसमें हमारी प्रायोरिटी, ग्राम पंचायत के आने वाले गांव या एक गांव है तो उस गांव की कौन सी पहली प्राथमिकता है, प्राथमिकताओं के आधार पर हम उस योजना को बनाने में सफल होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इसको प्रवर समिति को सौंपने के लिए कह रहे हैं या इस बिल का समर्थन कर रहे हैं ?

श्री अमराराम (धोद) : प्रवर समिति को सौंपने के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी भाषा तो प्रवर समिति को सौंपने के लिए नहीं लग रही है।

श्री अमराराम (धोद) : बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : थर्ड रीडिंग में बोल लेना न आप।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, प्रवर समिति के लिए कह दूंगा न। उपाध्यक्ष महोदय, अभी कोई मैं बोलकर बैठ थोड़ा ही गया। इसलिए यह जो प्रोवीजन हम इसमें ग्राम सभा के माध्यम से करना चाहते हैं निश्चित रूप से गांव की उन विकास की योजनाओं, यह बात भी है कि ग्राम पंचायत के बाद पंचायत समिति का होगा और उसके बाद में जो पूरा जिला की आयोजना बनाने के लिए हमारे पास है निश्चित रूप से नीचे से जितने भी प्रस्ताव आएंगे, हम उसमें सबको एक साथ नहीं कर सकते। लेकिन मूल भावना आम व्यक्ति को, राजस्थान की पंचायत राज संस्थाओं में बैठे हुए वे लोग जो आज भी अपनी विकास योजनाओं के बारे में नहीं जानते हैं। जितनी योजनाएं ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषदों द्वारा चलती हैं, आम व्यक्ति को उन योजनाओं का, अभी तक बहुत सी योजनाओं का अक्षर ज्ञान तक नहीं है। उनका कोई पता नहीं है। लेकिन केवल यह प्रोवीजन करने से नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जितनी भी ग्राम सभाएं हैं और उनके फेल होने का मुख्य कारण निश्चित रूप से है, जो प्रोवीजन आपने कर रखे हैं, आज आप स्वीकृतियां देते हैं। जो

(श्री अमराराम)

विकास के काम होते हैं, उनमें जिस तरह के राईडर आपने डाल रखे हैं, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार ने डाल रखे हैं, उनसे भयभीत ग्राम पंचायत और उसका सरपंच नहीं कहता कि पूरे गांव के लोग ग्राम सभा में आयें, वो समझदार लोग आ जाएंगे तो मेरी पोल खुल जाएगी। क्योंकि आपने जो 60 और 40 का रेशो दे रखा है, पूरे राजस्थान की हर पंचायत का एक जैसा नहीं है। कहीं आपके मिनिमम वेजेज के मजदूर आ जाएंगे लेकिन राजस्थान का वह इलाका जो डवलप्ड है वहां मिनिमम वेजेज पर मजदूर नहीं आएगा। 60-40 में कोई निर्माण कार्य नहीं होगा इसलिए मजबूरन उन ग्राम पंचायतों को फर्जी मस्टररोल भरना पड़ेगा। और फर्जी मस्टररोल जब गांव के बीच में आएगा तो वह ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं चाहता कि ग्राम सभा के अंदर लोग आयें, उनकी योजनाएं हों। और इन ग्राम सभाओं के फेल होने का सबसे प्रमुख कारण एक ही सबसे बड़ा रहा है अगर आप इनमें संशोधन नहीं कर सकते तो कितना ही ग्राम सभा और वार्ड सभा का प्रोवीजन कर दें, उससे जो मंशा है वह पूर्ण नहीं होगी।

एक प्रोवीजन जो इसमें आखिरी में आपने डाला है, निर्वाचन के लिए हम तमाम उन प्राधिकरणों को, स्थानीय प्राधिकरणों, तमाम का मतलब है राजस्थान सरकार के अंडर में आने वाले हो सकते हैं, लेकिन राजस्थान में वे प्राधिकरण भी हैं जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के हैं उनको हम इसमें, मैं समझता हूं कि कानून के अनुसार भी नहीं है। हो सकता है अबकी बार जब पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव थे उस समय राजस्थान के कर्मचारियों की हड़ताल थी उसका मुकाबला करने के लिए केन्द्र सरकार के प्राधिकरण के कर्मचारियों को भी लगाया गया था। हाईकोर्ट में भी निर्णय हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, अबकी बार यह ट्रेनिंग दे दी गई। चुनाव हो रहा है वरना जिन संस्थाओं का डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट नियंत्रण राज्य सरकार का नहीं है, केन्द्र सरकार का है। वे पंचायत राज संस्थाओं के लिए हम इनमें लेना चाहते हैं तो वह नियम विरुद्ध होगा। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं बाकी जो प्रोवीजन किये गये हैं, इस तरह से पंचायत समिति में निश्चित रूप से ग्राम पंचायत का सम्बन्ध पंचायत समिति और पंचायत समिति का सम्बन्ध जिला परिषद से करने का जो प्रोवीजन किया गया है, वह ठीक से अभी तक नहीं हुआ है। यह बात तय है कि ग्रामीण विकास की ज़िला परिषद् से लेकर आखिरी कड़ी में ग्राम पंचायत है। उनका अगर आपस में सामंजस्य नहीं होगा तो वो एक साथ, आखिर जो भी कोई स्वीकृति ग्रामीण विकास की है, आखिरी में जाकर ग्राम पंचायत उसकी कार्यकारी एजेन्सी होती है और उसका सम्पर्क डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट जिला परिषद् से नहीं होगा। तो जो समस्याएं आ रही हैं उनमें, इसलिए इसको विस्तृत रूप से इसमें जो हम मंशा चाहते हैं वो पूरी हो, इसके लिए जरूरी है कि इस बिल को प्रवर समिति को सौंप दिया जाए जिससे इसमें पूरी राय आये

(श्री अमराराम)

और बढ़िया रूप से जो हम मंशा चाहते हैं, वह परिपूर्ण हो। लोगों को परेशानी नहीं हो। यह बात कहते हुए उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) : माननीय उपाध्यक्ष जी, वैसे तो इस पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2000 में जो कुछ उपलब्धियां हैं....उनके बारे में मुझसे पहले बोलने वाले गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य और मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत विषद रूप से इस बारे में बताया है कि क्यों इस बिल को प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिये। मैं उन बातों को तो नहीं दोहराना चाहूंगी लेकिन मुझे थोड़ा आश्चर्य इस बात पर हो रहा है कि हमारे पंचायती राज मंत्री जो शिक्षाविद् हैं, ऐकेडिमिशियन हैं और उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वह इस विधेयक में जो त्रुटियां रही हैं उन त्रुटियों को दूर कर के इसको बहुत प्रभावी कानून बनायेंगे। मुझे याद आता है और मैं सदन को बताना चाहूंगी कि 1964-65 में कितना अधिकार सम्पन्न हुआ करता था पंचायत समिति का प्रधान। वह सी.आर. लिखा करता था अपने बी.डी.ओ. की और उसके पास कितना अधिकार था और आज हमने कितना पंगु बना दिया है इन पंचायती राज संस्थाओं को। चाहे पंचायत हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद् हो, इतना पंगु बना दिया है। क्यों बना दिया है यह बात मेरे समझ में नहीं आती। जहां हम उम्मीद करते थे कि इनको और अधिक सम्पन्न बनाया जायेगा, जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि राजस्थान में पंचायती राज का प्रारम्भ कहिये यही दीप जला कर प्रज्ज्वलित किया था ऐतिहासिक नागौर के किले में भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू जी ने।

लेकिन इस बिल में महिलाओं के लिये और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये जिस प्रकार से प्रावधान किया राजीव गांधीजी ने तो लोग कल्पना करते थे कि यह हमारा पंचायती राज बहुत अधिकार सम्पन्न होगा। लेकिन मैं देख रही हूं कि जो कुछ प्रोविजन इसमें किये गये हैं वह उल्टे प्रतिगामी दिशा में जा रहे हैं। इसलिए मुझे बड़ा अफसोस होता है और इसीलिए हम सब लोगों ने इस बात को उचित समझा और मैं समझती हूं कि शायद मंत्री जी मान जायेंगे और इसे प्रवर समिति को सौंप देंगे। जो कि सभी खंडों पर ठीक तरह से विचार कर के इसको एक प्रभावी कानून की शक्ल देगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगी, आप देख रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आपने जो इसमें लेकुनम रखा है वह फर्स्ट मीटिंग का रखा है। अब तक जो भी कानून बनता है उसमें यही होता है कि इसकी अवधि 5 वर्ष होगी। पंचायत संस्थाओं की अवधि 5 वर्ष होगी। चुनाव से लेकर जब तक नोटिफिकेशन होगा, उसके बाद 5 साल की अवधि होगी और उसमें आप चुनाव

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

करा लेंगे। जैसा कि गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि कोई अपनी फर्स्ट मीटिंग रखेगा चुनाव के 10 दिन बाद, कोई रखेगा एक महीने बाद, फिर क्या उसका चुनाव एक महीने बाद होगा क्योंकि उनकी 5 वर्ष की अवधि पूरी नहीं होगी। इसलिए कैसे क्या होगा ? मैं समझती हूं कि फर्स्ट मीटिंग लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जबरदस्ती आपने इसको इन्सर्ट कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब तक पंचायत समिति के सदस्य हुआ करते थे पंचायत समिति के वार्ड मेम्बर और वही स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव किया करते थे। वैसे तो केवल एक प्रशासनिक समिति है वही प्रभावी है बाकी समितियों की न कभी कोई मीटिंग होती है, न उसके पास कोई अधिकार है। आपने जो पंचायती राज संशोधन विधेयक, 2000 दिया है इसमें मेरे कहीं देखने में नहीं आया, मेरी समझ में नहीं आया या मुझे पता नहीं लगा या इसमें है नहीं, कहीं भी आपने इसमें यह नहीं दर्शाया है कि ग्राम पंचायतों के जो सरपंच होंगे वह भी पंचायत समिति की स्टैंडिंग कमेटी में वोट देंगे।

श्री सी.पी. जोशी : यह आज बिल में है नहीं, वह अलग बात है, वह आज है ही नहीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह कर के भी आपने एक बड़ा घोटाला किया है। जैसे एक पंचायत समिति में 20 या 21 वार्ड हैं और 40 पंचायतें हैं, मैं यह बात आपको इसलिए कहना चाहती हूं कि इसमें बराबर लड़ाई रहेगी। प्रधान किसी का है, स्टैंडिंग कमेटी किसी की बन गई क्योंकि जहां पर सरपंचों का बहुमत है स्टैंडिंग कमेटी उनकी बन गई, प्रधान कोई और है वह पंचायत समिति के मेम्बर्स से चुना गया है, इसलिए वह और है और सरपंचों में बहुमत किसी और का है। इससे एक दूसरे की टांग खिंचाई होती रहेगी और जो हमारी भावना है उस भावना के मुताबिक काम नहीं हो पायेगा। मैं समझती हूं कि सरकार सारे ही अधिकार अपने पास क्यों ले लेना चाहती है ? ऐसा लगता है कि पंचायती राज को पंगु बना कर आपने जो कुछ संशोधन इसमें सुझाये हैं वह ऐसा प्रतीत होता है कि इन संस्थाओं को बिल्कुल पंगु बना कर सर्व शक्तिमान यह सरकार हो जाना चाहती है ताकि सारे अधिकार इस सरकार के पास रहें।

सरपंच जीत कर आया है दो साल के लिये तो आपने कह दिया, मेरे यह बात समझ में नहीं आई कि 15 दिन को 7 दिन करने की क्या आवश्यकता थी। जब नोटिस देने के बाद 15 दिन बाद अविश्वास का प्रस्ताव लाने का प्रावधान था तो आपको 7 दिन करने की क्या आवश्यकता थी। हालांकि आपने 1/3 संख्या के बजाय 2/3 संख्या कर दिया। पहले था कि 1/3 सदस्य भी लिख कर देंगे तो 15 दिन के बाद उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आयेगा। उस संख्या को तो 2/3 कर दिया, ठीक है। लेकिन अवधि आपने 7

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

दिन कर दी, ऐसी क्या आवश्ययकता पड़ी थी। सात दिन में कौनसा कहर ढा रहा था, कौनसी बात हो रही थी कि 15 दिन की अवधि को 7 दिन कर दिया। कुछ बातें ऐसी हैं जो आम आदमी के और हमारे समझ में नहीं आ रही हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। इसीलिए इसे प्रवर समिति को सौंपना बहुत जरूरी है और प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भी कितनी विचित्र बात लगती है कि चुने हुए आदमी को वार्ड सभा सस्पेंड करवाने के लिए अधिकृत होगी और उसे आप सस्पेंड कर देंगे। सरपंच को ग्राम पंचायत सस्पेंड कर देगी, वह हटाने का निर्णय ले लेगी और सरकार उसे सस्पेंड कर देगी, कैसी विचित्र बात है चुने हुए आदमी को इस प्रकार से हटा दें। आखिर आप काम करने देना चाहते हैं या नहीं चाहते। इसके पीछे क्या मंशा है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि शायद आपके दिमाग में यह बात है कि कहीं अपना सरपंच नहीं आया है तो अपन इस तरीके से उसे सस्पेंड कर के अपनी मंशा को पूरा कर लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि अधि-नियम की धारा 13 की उपधारा (25) में आपने जो संशोधन किया है वह तो स्वागत योग्य है क्योंकि उसमें आपने यह किया कि जिस वर्ग का, चाहे महिला हो, अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, पिछड़े वर्ग का हो उसी वर्ग का व्यक्ति रिप्लेस होगा उस पंचायत संस्था में। चाहे वह ग्राम पंचायत हो, चाहे वह पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद हो। लेकिन सवाल यह है कि वह कैसे होगा ? आखिर सरकार ने ही ले लिये न सारे अधिकार अपने पास, सरकार ही करेगी। दो व्यक्ति हुए, उसी वर्ग के तीन व्यक्ति और हो गये तो फिर कौन करेगा, सरकार ने ही ले लिये सारे अधिकार। जैसा कि गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य यहां पर कह रहे थे कि वह अधिकार उसी संस्था के पास होना चाहिये ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत तय कर दे कि वह किस को चार्ज दे, पंचायत समिति है तो पंचायत समिति तय कर दे कि किसको चार्ज दिया जाय, जब तक चुनाव न हो। उसी वर्ग के व्यक्ति को चार्ज देने का अधिकार उसी संस्था को देना चाहिये, सरकार को नहीं रखना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगी। सैक्शन 82 में, जैसा कि मैंने शुरू में ही निवेदन कर दिया इन पंचायत संस्थाओं के पास क्या छोड़ा है। जिस नीयत और जिस मंशा से यह 73वां संविधान संशोधन पास किया गया था उसका मकसद और उसकी मंशा यही थी कि यह संस्थाएं बहुत अधिकार सम्पन्न बने और इसीलिए सूची दी गई थी, 30-30, 31-31 कामों की सूची दी गई थी कि यह कार्य जिला परिषद के पास होंगे, यह पंचायत समिति के पास होंगे और यह ग्राम पंचायतों के पास होंगे। लेकिन आपने तो शिक्षा को वापस ले लिया। अब तक तो कम से कम प्रधान और बी.डी.ओ. मिलकर शिक्षकों के

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

ट्रांसफर करते थे। आपने तो वहां पर एजुकेशन आफिसर रख दिया। आपने यह स्पष्ट नहीं किया कि इसका क्या होगा, कैसे होगा, उसे कौन कंट्रोल करेगा। ट्रांसफरिंग आथोरिटी कौन होगा ? (व्यवधान) वो डिसिप्लीनरी एक्शन लेगा इसका मतलब प्रधान के पास तो आपने कुछ भी नहीं छोड़ा। मेरा यही कहना है कि इस मामले में आप पुनः विचार करें, उसी तरह से मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि जैसे आपने सब संस्थाओं के अंदर एक प्रावधान तो कर दिया कि पांच कान्सीक्यूटिव मीटिंग में जो गैर हाजिर होगा उसका स्थान रिक्त होगा कौन करेगा यह स्पष्ट नहीं है इस कानून के अंदर न तो यह है कि वह सरकार को भेजेगा न यह है कि वह स्वयं कर देगा। न तो यह है कि प्रधान है तो प्रधान करेगा या सरपंच। न तो यह लिखा हुआ है इसके अंदर न यह कि वह सरकार के पास भेजेगा। अब तक तो कम से कम एक तो था कि वह यह करके सूचित करते थे सी.ओ. को और फिर सी. ओ. चाहे सरकार से अनुमति ले या चाहे स्वयं अपने स्तर पर करता था। इसमें यह भी स्पष्ट नहीं है। बस इतना ही लिख दिया इसलिए इसमें बहुत कमियां हैं, आपके इस विधेयक में। मैं चाहती हूं कि आप इसे प्रवर समिति को सौंपे, सब बातों पर पुनर्विचार करें और सारी कमियां, खामियां हैं आपकी मैं समझती हूं इसमें कोई हठधर्मिता की बात नहीं है। कानून कभी भी एक बार में, हमने संविधान में ही जब 84 संशोधन कर लिये तो ऐसी कौनसी बात है कि हम हठ-धर्मी कर रहे हैं कि नहीं, हमें तो आज ही पास करना है। ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए इसे प्रवर समिति को सौंपे। आप इन सब बातों के ऊपर विचार करें और कमियों और खामियों को दूर करें इस पर ठण्डे दिल से विचार कीजिये। पंचायत राज मंत्रीजी मैं समझती इससे आप छोटे नहीं बनेंगे, हठ मत कीजिये, हमारा अच्छा कानून बन सके इसे आप प्रवर संमिति को सौंपने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज मंत्री एक कल्पनाशील व्यक्ति हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से जो आइडियाज इस बिल के थ्रू डिड्यूस किया है उनको शेयर करता हूं।

मैं एक तो नम्र प्रार्थना यह करना चाहता हूं इसका मूल बिल विधेयक हिन्दी में है। मंत्रीजी मेरी विनम्र प्रार्थना सुनिये, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। न्यायालय में हाईकोर्ट के जज ओर्डिनरी से ओर्डिनरी सैक्शन वापस पढ़ते हैं, एक दफे नहीं हजार दफे पढ़ते हैं। सब एबजर्ड प्रोविजन जो आपके इस बिल में हैं उसी के ऊपर इंफेसिस करूंगा, बाकी बात बाद में आपके अपने आप समझ में आ जाएगी।

जो सैक्शन 38 का प्रोविजो है, पहले सैक्शन 38 को पढ़ें। बहुत बड़ा भ्रम व्याप्त हो रहा है। आइडिया तो आपका राइट टू रिकाल ही है ना, मैं एप्रिशियेट करता हूं इसको। विधान सभा में अगर लागू नहीं

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

हुआ, लोक सभा में लागू नहीं हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमारी लेजिस-लेटिव काम्पीटेंस के बाहर की बात है। पार्लियामेंट में नहीं किया, नहीं किया, कर देंगे। फिर प्रारम्भ किया, अच्छी बात है। लेकिन अब आपने किया क्या है यह राइट आफ रिकाल नहीं है। 38 पढ़िये, राज्य सरकार किसी पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को सम्मिलित करते हुये किसी भी ऐसे सदस्य को निलम्बित कर सकेगी, माइन्ड यू, निलंबन कर सकेगी, हटा नहीं सकते हैं आप उसको इस प्रोविजन के तहत, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन कोई जांच प्रारम्भ कर दी गयी है, मंत्रीजी उपधारा (1) के अन्तर्गत जांच प्रारम्भ जब की जाती है जबकि प्रारम्भिक जांच समाप्त हो जाती है। प्रारम्भिक जांच में प्रथम दृष्टया यह माना जाता है कि वह दुराचरण का दोषी है तब आप अंतिम जांच उपधारा (1) के अन्तर्गत करते हैं, जिसके विरुद्ध नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के सम्बन्ध में कोई भी दण्डिक कार्यवाही किसी न्यायालय में विचाराधीन है और ऐसा व्यक्ति ऐसे निलंबन के अधीन रहते समय संबंधित पंचायती राज संस्था के किसी कार्य या कार्यवाही में भाग लेने से वर्जित हो जाएगा। इसका परन्तुक पढ़िये। सर, मैं माफी चाहता हूं, मैं अंग्रेजी में ही पढ़ूंगा, यह बैठता नहीं है इसमें, हिन्दी कमजोर है।

श्री उपाध्यक्ष : पेज नम्बर बोल दो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पेज 77। अब प्रिंसिपल एक्ट को निकालिये, यह 109 है रिमुअल एण्ड सस्पेंशन। यह पेज 109 है 109 का एक्सट्रेक्शन जो आपने रिप्रोड्यूस किया है वो पढ़िये "The State Government may suspend any member including a Chairperson or a deputy Chairperson of Panchayati Raj Institution against whom an enquiry has been initiated under sub-section (1) or against whom any criminal proceedings in regard to .... " यह दो अलग अलग चीजें हैं। सब-सैक्शन वन में इंक्वायरी इनिशियेट कर दी आपने। आपने फाइनल इंक्वायरी preceded by a preliminary inquiry.

" .. or against whom any criminal proceedings in regard to an offence involving moral turpitude is pending trial in a court of law and such person shall stand debarred from taking part in any act or proceeding of the Panchayati Raj Institution while being under such suspension." मंत्रीजी, सवा साल के अनुभव में आपने अनेक ऐसे प्रकरण देखे होंगे जहां अगर प्रारम्भिक जांच नहीं हुई है और अगर उसको सस्पेंड कर दिया तो बिना, विदआउट गोईंग इन टू दी मेरिट्स ऑफ दी केस, उपाध्यक्ष महोदय, कोर्ट स्टे ग्राण्ड करती है और जहां प्रिलिमिनरी हो चुकी है और प्राइमा फेसाई आप गिल्टी मानते हैं और सब-सैक्शन वन में आप अगर फाइनल इन्क्वायरी इनिशियट करते हैं वहां भी कोर्ट मेरिट्स पर जाती है। और अगर उसको मैलाफाइड की बदबू आती है तो स्टे

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

कर देते हैं। और आप क्या करते हैं, सिर्फ सस्पेंड करते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं।

Right or recall. What a ridiculous proposition, Mr. Deputy Speaker, Provided, ... Bhanwarji, this is a very serious matter. Kindly don't disturb me. "Provided that State Government may also suspend .... " I emphasise on this word. रिमुअल नहीं, सस्पेंड। आपके हिन्दी में भी निलम्बन, मैं इसलिये पढ़ रहा था, कहीं गलती हो निलंबन मिस सस्पेंड। ".... suspend any Panch on the recommendation of the Ward Sabha or a Sarpanch on the recommendation of the Gram Sabha but the State Government shall do so only when a resolution to that effect passed by a Ward Sabha or a Gram Sabha as the case may be, is referred by the State Government to the Collector for convening a special meeting of the Ward Sabha or the Gram Sabha, as the case may be, for finally as certaining the wishes of the members and the members present in the meeting so convened by the Collector and presided over by his nominee, reaffirm the resolution seeking suspension of the Panch or the Sarpanch, as the case may be, by a majority of two-thirds of the members present and voting;

"Provided further that no resolution seeking suspension of the Panch or Sarpanch shall be moved or passed before the completion of a tenure of two years by a Panch or a Sarpanch, as the case may be." अब मंत्रीजी आप समझिये,

(19.00 बजे)

राइट आफ रिकाल क्या होता है। हटाने का, यह बात समझ में आती थी कि आप ग्राम सभा के रिजोलुशन् के बाद बाकायदा रिकाल का वोट पड़वा दें, पूरी पंचायत के अंदर इलेक्शन करवा दें, डिसाइड करवा दें। नहीं, नहीं यह नहीं किया आपने। आपने गली क्या निकाली है कि ग्राम सभा प्रस्ताव पर जिसमें वन टेन...3 हजार की ग्राम सभा, मतलब 300 आदमी, वह देखो, मैं उसकी मोडेलिटिज में नहीं जा रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत विनम्र लेकिन बहुत पुरजोर आग्रह है कि आप इसको एक्जामिन करें। मूव कहां कर रहे हैं उसको, राइट आफ रिकाल कहां है। नो, नो, मूव ही नहीं है। ऐसे कैसे कर सकते हैं सस्पेंड आप ? मंत्रीजी, ऐसे सस्पेंशन तो आप भी नहीं कर सकते हैं। There has to be a preliminary enquiry. He has to be found guilty of certain misconduct or he must be facing trial in respect of a moral turpitude offence. उस अवस्था में आपको यह अधिकार है कि आप उसको सस्पेंड कर सकते हैं। आप भी रिमूव नहीं कर सकते हैं। वह पावर आपने ग्राम सभा को एक्सटेंड कर दी। ग्राम सभा का तो मंत्रीजी, मैं आपका शुभचिंतक हूं, मैं आपको विनम्र प्रार्थना करता हूं। कोई जुडिशियल स्क्रूटनी स्टेण्ड नहीं करेगी यह। और लोग, मैं इसलिए

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाने के लिये खड़ा हुआ हूं कि ऐसी नासमझी का विधेयक यदि वह विधान सभा पास करती है तो I want to register my protest and dissent. I can not be a party to such a legislation which will not stand judicial scrutiny for a minute even.

उपाध्यक्ष महोदय, यह कौनसा प्रोविजन ला रहे हैं आप। आप अगर वाकई में राइट आफ रिकाल को करते हैं, मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपसे कहता हूं, मेरे अन्य मित्र और माननीय सदस्य सहमत हों या नहीं हों, I am the one who will be with the Panchayat minister. इसकी मोडेलिटी देख लीजिये आप। यह ठीक है, 2/3 से रिजोल्यूशन हो गया। उसके बाद आगे मोडेलिटी देखिये। आज स्विट्जरलैंड में और कई जगह ऐसा है उसको अध्ययन कीजिये। ऐसी क्या जल्दी हो रही है आपको। यह एक प्रोविजन है, जो पर्याप्त है आपको इस बात को समझने के लिये, I was not able to pursuade you. I now want to educate you. कि आप इस प्रोविजन को समझें। बाकी एक मोटी बात है जिसको रिपीट करना, सब लोगों ने कह दी है। वोल्यूमिनस लेजिस्लेशन से कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है। अब आपने कह दिया 2 जगह वोट नहीं डालेगा। कैसे नहीं डाल सकता। क्योंकि आप कोई स्पेस्फिक प्रोविजन करें या नहीं करें, उपाध्यक्ष महोदय, इस मुल्क के अन्दर, इस देश के अन्दर रिप्रजेण्टेशन आफ पीपुल एक्ट के प्रोविजन सर्वोपरि हैं। वह सब जगह लागू हैं। वह अभी भी नहीं हो सकता है। कहीं भी नहीं डाल सकते हैं। वह सीधा लॉ यह है कि no voter/elector can be registered at more that one place. अब सुप्रीम कोर्ट ने यह ले-डाउन किया उपाध्यक्ष महोदय, कि यह तो वोटर के हाथ में नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आपका नाम भी 4 जगह लिख दे, लिख दे। एक जयपुर में आप बिराजते हैं और आपकी कांस्टीट्एंसी में भी लिख दे। It is not your responsibility. So ultimately the Supreme Court laid down that nobody shall exercise the rights of a voter, not only the right of vote, right of a voter, whatever rights accrue to a person in his position as being registered as a voter in a particular place, he can not exercise those right at two places, at more than one place. यह आलरेडी प्रोवाइडेड है। आपने कह दिया ट्रायल का, conviction attains finality when all avenues of appeal, revision, review are exhausted.

इन सब से अलग हटकर के उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह बात भी इस सदन के अन्दर कहना चाहता हूं। मेरी कई माननीय सदस्यों से, इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत हित निहित नहीं है, लेकिन मेरी कॉमनसेंस को यह अपील नहीं करता है और मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ है कि सी.पी. जोशी जैसे विद्वान आदमी के द्वारा ऐसा बिल पायलट किया जाए कि जिस पर लोग हंसेंगे, कोर्ट भी हंसेगी, और यह बिल पास

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

होगा, मैंने उनको खुद को समझाने की कोशिश की, अन्य मित्रों से बात की। अब लोगों की राय आपके बारे में क्या है, सुन लो। (व्यवधान) नहीं, नहीं, आप सुन लें। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि नहीं, नहीं, जोशीजी से सब डरते हैं, चीफ मिनिस्टर भी डरता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो बिल पर बोलो। लोगों की राय अलग विषय है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं, बिल पर बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : लोगों की राय की क्या जरूरत पड़ रही है आपको।

श्री सुरेन्द्र व्यास : I want to use your good offices also, Mr. Deputy Speaker,....

श्री उपाध्यक्ष : Let the time come. आप अपनी बात बोलें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही अर्ज कर रहा हूं, मैं तो आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं। आप आसन पर आसीन हैं, वह अपनी जगह सही है। But, for that reason, you don't cease to be an hon'ble member of the House. You can not be absolutely unconcerned with the passage of a Bill like this. आप इसको देख लें, कोई भी माननीय सदस्य देख लें। मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं, जोशीजी, क्योंकि मैं आपके आइडियाज को मैं कतई वैलकम करता हूं, I share your ideas but the way they have been translated, यह बिलकुल हास्यास्पद स्थिति हो जाएगी और लोग हंसेंगे। जुडिशियल स्क्रूटनी में स्टेण्ड नहीं करेगा। कोई जल्दी नहीं है। आप एक मीटिंग बुला लें। सलैक्ट कमेटी का हमारा कोई ऐसा नहीं है, don't stand on false prestige. हमारा कोई ऐसा आग्रह नहीं है कि हम सलैक्ट कमेटी के अन्दर भेजना चाहते हैं। आप तो 4 मित्रों से वैसे ही बात कर लीजिये बुला-बुलाकर के। आपके लॉ डिपार्टमेंट में वैक्यूम है। ला सैक्रेट्री का इलेवेशन हो गया। अब जिस तरह the quality of legal advice you are getting, I do not want to make a comment on it.

लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, पुनरावृत्ति यदि आन दी कोस्ट आफ रिपीटिशन मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप मंत्रीजी को समझाएं और मंत्रीजी से भी विनम्र प्रार्थना है कि आप समझने की चेष्टा करें और इसको रखें और आपके आइडियाज को ट्रांसलेट करें लेकिन सोच समझकर सही प्रोविजन लायें। आप बाद में आर्डिनेंस ही ले आइये। आप 4 दिन बाद ले आइये। आप एक तारीख को ही पास करवा दीजिये, 29 और 30 छुट्टी है उस दिन ही करवा लीजिये। हमको कहीं ऐसा कोई दुराग्रह नहीं है कि नहीं साहब, आप इसको पास मत करवाइये। या हम आपके आइडियाज को अन-वैल्कम करते हों, ऐसा भी नहीं है। लेकिन यह जो आपका ड्राफ्ट है, it has been very poorly drafted and most absurd provisions

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

have been inserted in this Bill. Thank you so much.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री सी.पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारी राजस्थान विधान सभा में पंचायती राज के सम्बन्ध में जानकार, अनुभवी सदस्य यहां पर मौजूद हैं। माननीय सदस्यों ने अपने अनुभव के आधार पर पंचायती राज की जो कल्पना की है, पहले जो पंचायती राज राजस्थान में चल रहा था, 73वें अमेंडमेंट के बाद जो अपेक्षा थी और आज जो हमने अमेंडमेंट किये उसके बारे में मेरा ध्यान आकर्षित किया। परन्तु जितने, जो हमने क्लाजेज, इसमें इन्क्लूड किये, उपाध्यक्ष महोदय, उसमें खास तौर से 3-4 जो क्लाजेज हैं उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने खास तौर से ध्यान आकर्षित किया। एक आकर्षित किया है कि धारा 18 (ग) में आप मत देने के अधिकार को वंचित कर रहे हैं। एक यह कहा गया कि धारा 19 के अन्तर्गत 5 वर्ष तक की सजा होने के चालान पेश होने के, जो सदस्य हैं उनको खड़े होने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। इस पर भी ध्यान आकर्षित किया गया कि धारा 25 में जो हमने प्रोविजन किये कि जिस चेयरपर्सन को, एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., महिला के लिये रिजर्व किया है उसमें एप्रिहैंशन है कि काम्पीटेंट आथोरिटी के नाम पर सरकार अपनी मनमर्जी से आदमी को अपोइंट कर देगी। यह भी एप्रिहैंशन किया गया कि यह जो वार्ड सभा का कंसेप्ट किया है, यह वार्ड सभा का कंसेप्ट इर्रिलेवेंट है और आज के कांटेक्स्ट में वार्ड सभाओं को कण्डक्ट कराना संभव नहीं है और वार्ड सभा के जो फंक्शंस डिफाइन किये गये हैं, यह हाइपोथेटिकल है। इस सम्बन्ध में हम आदर्श कल्पना कर सकते हैं। लेकिन यह चीज संभव नहीं है। यह भी कहा गया है कि धारा 40, जो हमने सैक्शन 40 में डिलीट किया है वह धारा 40 का डिलीट भी सैक्शन 39 के सम्बन्ध में ठीक नहीं है।

मेरा ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया माननीय सदस्यों ने, गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने, फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने धारा 33, 34 और पंचायत को एजुकेशन को ट्रांसफर किया, उस संम्बन्ध में, और माननीय सदस्या जो झुन्झुनूं से आयी हैं, उन्होंने कहा कि फर्स्ट मीटिंग का प्रोविजन क्यों किया गया। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस सरकार की जो व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के अन्तर्गत हम बिल लाते हैं, लॉ डिपार्टमेंट से 'वेट होता है, केबिनेट उसको डिसाइड करती है। केबिनेट निर्णय करती है, उसकी विजड़म पर भी चैलेंज किया गया है कि माननीय मंत्रीजी, आप जो बिल ला रहे हैं वह एब्जर्ड बिल है। आप बड़े विद्वान हैं, आपको यह बिल नहीं लाना चाहिये। It is not a reflection on me. It is a reflection on the functioning of the democratic set-up.

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिल की लेंग्वेज पर, जोशीजी, बिल की भावना पर नहीं। लेंग्वेज पर जो आप....(व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : बिल की लेंग्वेज, आप खुद भी मंत्री रहे हैं। बिल की लेंग्वेज ड्राफ्ट करने का एक सेट-अप है, एक तरीका है, एक व्यवस्था है उस व्यवस्था के अन्तर्गत बिल आते हैं। लेकिन आपने यह भी क्वेश्चन किया कि यह जो ड्राफ्ट किया गया है वह पूवरली ड्राफ्टेड है। मतलब जो सारी चीजें की गयीं और उसके बाद मुझे यह एडवाइज दी गयी कि जल्दी नहीं होनी चाहिए। जनमत जानने हेतु प्रचारित किया जाए, प्रवर समिति को परिचालित किया जाए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ना, ना, मेरा ऐसा सुझाव नहीं है।

श्री सी.पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल न तो हेस्ट में आया है, और मैं आज रिकलेक्ट करवाना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं। आज एक साल हो गया। यह बिल जब आया, उसके पहले इन्हीं दिनों में पिछले समय में, पंचायत की डिबेट चल रही थी। दिल्ली में सरकार बदलने की बात चल रही थी और तब लोगों के मन में कल्पना थी कि पंचायत राज की जो हम बातें कर रहे हैं वह चीजें संभव नहीं हो पाएंगी। तब हमने यह कहा था कि एक मई को ग्राम सभाएं होंगी।

वह ग्राम सभा मैंने नहीं बनायी है। यह 94 के प्रोविजन में ग्राम सभाएं बनायी गयीं जिसके फंक्शन डिफाइन किये गये हैं। चार साल तक जिस पार्टी का शासन था उस पार्टी को ग्राम सभाएं करवानी थीं। डेट दे रखी थी उन्होंने ग्राम सभा की। कैसे काम कर रही थीं, मुझे उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमने सत्ता में आने के बाद उन ग्राम सभाओं को कराने की कोशिश की। 26 जनवरी को हमने ग्राम सभा करवायी। एक मई को हमने ग्राम सभाएं करवायीं तब भी लोगों के मन में यह कल्पना नहीं थी कि एक मई को ग्राम सभाएं हो सकती हैं। और उसमें हमने यह निर्णय लिया था कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सरपंच साहिबान उन जगहों को आइडेंटिफाई करें जहां पर एक किलोमीटर पर पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। और हमने यह सोच-समझ कर किया था और उसी बात पर मैं आना चाहता हूं। जो हमने कहा था तो हमें मालूम था कि पंचायत मुख्यालय पर सड़क है। पंचायत मुख्यालय पर बिजली है। पंचायत मुख्यालय पर आठवीं स्कूल है, दसवीं स्कूल है। पंचायत मुख्यालय पर सब सेंटर है।

लेकिन पंचायत मुख्यालय से दो तिहाई दूर रहने वाली जनता की समस्या जो वार्ड में रहती है, जो भागल में रहती है, जो हैमलेट में रहती है, जो मजरे में रहती है, उनको आधारभूत यह सुविधाएं नहीं हैं। जो पचास साल में व्यवस्थाएं हमने की उस व्यवस्था में चाहे 73वें अमेंडमेंट के पहले या उससे पहले पंचायत में जो काम करते थे उस काम में पंचायत के जितने डिवोल्यूशन आफ पनिशिंग पावर के कारण जो काम हो रहे थे, वह कंसंट्रेट कर रहे थे, किन्हीं पंचायतों में। वह शिड्यूल्ड कास्ट का वार्ड, वह शिड्यूल्ड कास्ट का प्रतिनिधि, वह शिड्यूल्ड ट्राइब का प्रतिनिधि, वह गरीब वर्ग का व्यक्ति जिसको वार्ड पंच बनने का

(श्री सी. पी. जोशी)

अवसर मिला रहा था, वह वार्ड पंच, पिछले चार साल में, 94 के अमेंडमेंट के बाद उन जगह पर काम नहीं हो रहे थे। उस सरकार में काम करने के नियम थे कि जो जनता जितना पैसा देगी, सरकार भी उतना पैसा देगी। यह नियम बनाकर हमने उस गरीब आदमी को वंचित कर दिया था हैण्ड पम्प से। उस गरीब आदमी को वंचित कर दिया हमने वह काम करने के लिए उस गरीब आदमी पर...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं क्षमा चाहूंगा। जितने जनता पैसे देगी उतना ही सरकार पैसा देगी। पिछले चार सालों में मात्र एक यही पद्धति थी क्या और कोई पद्धति नहीं थी क्या ?

श्री सी.पी. जोशी : आप अब सुन लो, और फिर बात कर लेना। आधी बात करेंगे, फिर आप वैसे ही कन्फ्यूज्ड हैं। मेरी सुन लो फिर आप बोल लेना। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरे को कोई जल्दी नहीं है।

श्री सी.पी. जोशी : आज वैसे ही कन्फ्यूज्ड हैं आप। मेरी बात सुन लो फिर बोल लेना। मुझे आपको जानकारी, मुझसे क्या पूछ रहे हैं, आप स्वयं मंत्री रहे हैं। मुझसे क्या पूछ रहे हैं। आप चार साल तक खुद मंत्री रहे हैं। मुझसे क्या पूछ रहे हैं। मुझे से क्या पूछ रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन कर दूं। धारा-प्रवाह बोलते-बोलते आप कई बार ऐसे बोल जाते हैं जिनका कोई आधार नहीं है।

श्री सी.पी. जोशी : नहीं आधार है तो रिकार्ड में आ जाएगा। आप चिन्ता क्यों कर रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए, प्लीज।

श्री सी.पी. जोशी : आप जो बोलेंगे उसका आधार तो लेऊंगा मैं। आप चिन्ता क्यों कर रहे हैं। आप जिन आधारों पर बोल रहे हैं, उन पर आ रहा हूं मैं, आप चिन्ता क्यों कर रहे हैं ? तो हमारे मन में एक कल्पना थी कि...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुन लीजिए। आप बाद में पूछ लेना।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कह रहे हैं कि....(व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : कि पंचायत के जो अलग-अलग वार्ड हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप इतनी देर बोले जो उन्होंने सुना तीन घंटे तो अब उनको भी बोलने दीजिए।

श्री रामस्वरूप : मंत्रीजी प्रोफेसर हैं वह भी। वह भी विद्वान हैं। आप वैसे ही बात कर रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : He has a right to speak.

श्री रामस्वरूप : वह भी प्रोफेसर हैं आपकी जैसे। आपसे भी ज्यादा अच्छे हैं वह। (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : नहीं, मेरे से अच्छे प्रोफेसर सांवर लालजी, मैं उनके मुकाबले में नहीं जाना चाहता हूं। वे भी अच्छे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इण्टरविन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए आप। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : हर बात की कल्पना करते हैं यह। वास्तविकता क्या है, कल्पना तो बहुत हो सकती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं तो बैठ जाऊंगा लेकिन ऐतराज तो करेंगे साहब।

श्री सांवर लाल : ग्रामीण जनता से यह....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : तो आप क्या चाहते हैं ?

श्री हीरासिंह चौहान : हर बात की कल्पना, हमारी यह कल्पना है पर..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप चाहते क्या हो, नहीं बोलें, जवाब नहीं दें मंत्रीजी। यह जवाब नहीं दें। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : कल्पना तो हरेक की होती है। फिर यह क्या कहना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप इतनी देर बोले हो, आपको सुना है तो आप उनका जवाब नहीं सुनना चाहते हो ? यह कौनसा प्रोसीजर है हाउस का ? यह उनकी कल्पना है, क्या है यह आप सुनो। You are bound to listen him.

श्री सी.पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह मालूम था कि जो मैं बातें कह रहा हूं उसका यह रिएक्शन होगा और होना भी चाहिए। 96 अमेंडमेंट में, जिस 96 अमेंडमेंट की कल्पना भारत सरकार ने की थी जिस 96 अमेंडमेंट एक्ट को लागू करना था भारतीय जनता पार्टी को, उस भारतीय जनता पार्टी ने 96 अमेंडमेंट एक्ट को लागू नहीं किया। 96 का अमेंडमेंट क्या कहता है कि शिड्यूल्ड एरिया में रहने वाले लोगों के लिए तो यह प्रोविजन हम करेंगे। एक साल तक यह प्रोविजन लागू नहीं होगा तो अमेंडमेंट लागू हो जाएगा। आपकी जनता पार्टी के मन में वह कल्पना नहीं थी। जिसमें कल्पना है कि पंचायती राज को सेल्फ गवर्नेंस बनाने के लिए ग्राम सभा का प्रोविजन होगा। ग्राम सभा के फंक्शन होंगे। प्लान बनाने के लिए यह सब करने की व्यवस्था इसमें 96 एक्ट में लिखी हुई है। यह पंचायत एक्ट मैंने नहीं बनाया है ? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : हमने कहा जो आपने सुना नहीं क्या ? (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : पर पंचायत एक्ट में, 96 में यह एक्ट बनने के बाद तत्कालीन सरकार ने उसमें कोई करेस्पोंडिंग चेलेंज नहीं किये। न यह कल्पना की कि ग्राम सभा होनी चाहिए, न यह कल्पना की कि

(श्री सी. पी. जोशी)

ग्राम सभा कडेंक्ट करने के लिए फंक्शन होने चाहिए; न यह कल्पना की कि ग्राम सभा के....(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : कल्पना से आपका बहुत नजदीकी सम्बन्ध है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कहे तो इसको बगैर जवाब पास करा दूं ? सुनिये न आप इनको।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बी.जे.पी. का कोई मतलब नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये आप इनको। एक बजे से सवा सात बज गये हैं। सब माननीय सदस्यों को सुन लिया, यह कौनसा तरीका हुआ ? यह क्या बात हुई ? यह कोई तरीका नहीं है। प्लीज, नहीं, यह कोई बात नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : विचार व्यक्त नहीं करेंगे क्या ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अगर राजस्थान को डुबाना ही है तो डुबा ही दो।

श्री सांवर लाल : पास करवा रहे हैं यह...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आपका ख्याल है डुबाना, इनका ख्याल तिराना है। (व्यवधान) यह फैसला तो, आप विराजिए प्लीज। (व्यवधान) मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री रामस्वरूप : आपको सदन से बाहर जाना हो तो चले जाओ, आपकी इच्छा है जाने की अब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, मेहरबानी करके माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इतनी जल्दी क्या हो रही है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री सी.पी. जोशी : आप सुनो तो सही, आप अब क्या कर रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह तो लेजिस्लेटिव बिजनस है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि इन्होंने दो बजे से सात बजे तक आपकी बात को सुनी है और बहुत पेशेंटली सुनी है। आप भी इनको, आप पूछिये ना, उनको पूरा सुन लीज़िए और उसके बाद क्वेश्चन कर लीजिए। लेकिन आप यह समझो कि आपने जो कहा वह सब सही है और यह जो कह रहे हैं, सब गलत है, ऐसा थोड़े ही चलेगा। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैं यह निवेदन कर रहा हूं ...

श्री उपाध्यक्ष : Then why are you interrupting? नहीं, नहीं, माननीय सदस्य कोई नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, लेजिस्टलेटिव बिजनस में बी. जे. पी. और कांग्रेस नहीं होती है।

श्री उपाध्यक्ष : You will have to listen him.

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिलकुल सही है। मैं सिर्फ यह निवेदन कर रहा हूं कि लेजिस्लेटिव बिजनस में बी.जे.पी. और कांग्रेस नहीं होती है।

श्री सी.पी. जोशी : अच्छा, धन्यवाद, मैं नहीं बोल रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अच्छा, क्लाजेज डिस्कस करो आप। (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं 96 एक्ट का। यह तो बी.जे.पी. और कांग्रेस नहीं है। आप देख लेना 96 एक्ट में, यह 96 एक्ट में 'ई' में लिखा हुआ है कि--

"Every Gram Sabha shall approve the plans, programmes and projects for social and economic development before such plans, programmes and projects are taken up for implementation by the Panchayats at the village level." यह 96 एक्ट में अमेंडमेंट कर रहा हूं मैं। ग्राम सभा में यह काम करने का प्रोवजिन था। ग्राम सभा में यह भी लिखा हुआ है, हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सोशल फंक्शनरीज, संगत-सत्संगत करने वालों को यह कह देंगे। शायद इनको मालूम नहीं है इसमें यह लिखा हुआ है कि "...the power to exercise control over institutions and functionaries in all social sectors ... "

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह तो ग्राम सभा का है।

श्री सी.पी. जोशी : मैं उसी पर आ रहा हूं। आप वेट कीजिए। मैडम, मैं उसी पर आ रहा हूं। यह सब फंक्शन जो है, मैं बताना चाहता हूं जो ग्राम सभा में 96 अमेंडमेंट रखा गया है कि यह सब फंक्शंस और जो अलग फंक्शंस हैं, यह सब ग्राम सभाओं को फंक्शंस करने थे। ग्राम सभा को फंक्शन करने के लिए ग्राम सभा की जिस तरह की व्यवस्था थी...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उसमें तो आपने कर ही दिया...(व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : या तो आप सुने नहीं तो अपने आप में तकलीफ नहीं है। तो जिस ग्राम सभा में यह काम करने थे, जिस ग्राम सभा के पिछले एक साल के सरकार के आने के बाद यह अनुभव है कि उस पंचायत में, चार वार्ड में सरपंच साहब ने कोई काम नहीं करवाया। जिन चार वार्डों में जो काम लेना चाहिए था, पंचायत की जो ग्रांट इन एड मिली, पंचायत को जो पैसा मिला टी.एफ.सी. का, पंचायत को जो पैसा मिला एस.एफ.सी. का, उससे यह अपेक्षा की गयी थी कि वार्ड का जो चुना हुआ सरपंच है, वार्ड पंच जो पंचायत चला रहा है, उस आदमी का यह कर्त्तव्य है कि हर वार्ड में यह काम करवाये और खास तौर से उन जगहों पर काम करवाये जो समाज का सबसे वंचित वर्ग है। जब हम इस नतीजे पर पहुंचे कि यह काम नहीं हो रहे हैं, तब

(श्री सी. पी. जोशी)

हमने लोगों से यह करवाने के लिए वार्ड को यदि हम एक यूनिट बनाकर हम काम करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि इन्दिरा आवास योजना में जो इण्डिविजुअल बेनिफिशयरिज का जो काम है। इस इंडिविजुअल बेनिफिशयरिज में वार्ड नम्बर दस में एक आदमी का नाम लिखा गया है रामलाल, जिसको मकान मिलना चाहिए, और उस आदमी का वैरिफिकेशन करने का काम था, ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत की मीटिंग जिसमें पिछली सरकार ने यह प्रोविजन कर रखे थे कि यदि कोरम नहीं हो तो मीटिंग एडजोर्न करके ग्राम सभा कर लें। उन ग्राम सभा में उन गरीब आदमियों के नाम पर इन्दिरा आवास योजना नहीं बननी चाहिए थी ? जिनके मकान नहीं थे उन लोगों के नाम पर इन्दिरा आवास के नाम पर हजारों-लाखों रुपये दे दिये उसका वैरिफिकेशन होना नहीं चाहिए। यह इनके मन में कल्पना होगी, हमारे मन में कल्पना है कि वार्ड में यदि किसी इन्दिरा आवास की योजना में अगर किसी का नाम दिया गया है, तो आपको क्या तकलीफ है ? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सब चोरियां करने के लिए बेइमानी करने के लिए आपने....(व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : आपको क्या तकलीफ है ? गुलाब चन्दजी कटारिया कौनसे वार्ड में है पता लगाये। पता नहीं है, मुझे, आप क्यों बोल रहे हैं, फिर ? तो आप सुन लें, पता पड़ जाएगा। अच्छा, मैं तो नहीं कहता। मेरे को तकलीफ नहीं है आप को होगी। (व्यवधान) आप क्यों गिल्टी फील कर रहे हैं ? आप गिल्टी फील क्यों कर रहे हैं ?

श्री हफीज मोहम्मद : यह बात बिलकुल सही है कि पुरानी ग्राम सभाओं में बिलकुल बेईमानियां हुई हैं और गरीबों को वंचित रखकर दूसरे लोगों को आवास दिये गये हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलेंगे न, आप बोलेंगे अभी।

श्री सी.पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि बेईमानी नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन क्या तकलीफ है कि वार्ड में हम आइडेंटिफाई करें, उस वार्ड में इन्दिरा आवास योजना में जिसका नाम है, वह सही आदमी है या नहीं, उसका मकान सही बना है या सही आदमी बेनिफिशयरिज हुआ है या नहीं हुआ। क्या बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य यह बात नहीं जानते कि चित्तौड़ में पेंशन के सम्बन्ध में क्या केस हुए। वहां पर पेंशन के केस रिवाइज नहीं हुए। क्या लोगों ने उनमें नाम नहीं दिया। यह बातें कह दो नहीं हुई। हमारे मन में कल्पना है कि पेंशन में किसी का नाम....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उनको समाप्त कर लेने दो, प्लीज। उनका फ्लो बिगड़ता है। Don't disturb him.

श्री सुरेन्द्र व्यास : डिस्टर्ब नहीं कर रहा।

श्री उपाध्यक्ष : काहे का पाइंट आफ आर्डर है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी, यह आपको अधिकार प्राप्त है, हटाया जाना और निलम्बन। राज्य सरकार द्वारा लिखित आदेश द्वारा और सुनवाई का अवसर देने और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक समझी जाए किसी भी पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए किसी ऐसे सदस्य को पद से हटाया जा सकेगा जो कार्य करने से इन्कार करता है। या कार्य करने में असमर्थ हो गया है तो यह तो ऐसे काम नहीं करते इनको हटाओ न। आप तो अधिकार वोट देने का कर रहे हैं। आपको आलरेडी पावर्स हैं।

श्री सी.पी. जोशी : आप जो कुछ कह रहे हैं, मैं इसी बात पर आ रहा हूं। आप विद्वान हैं। मैं आपके उसी क्लाज पर आ रहा हूं। Let me say something. आप हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं, मैं एडवोकेट नहीं हूं। मैं अध्यापक हूं। मैं मास्टर हूं तो मुझे इतना तो मौका दीजिए आप। कानून का जितना ज्ञान है, शायद मेरा ज्ञान नहीं होगा तो मुझे भी अपना केस....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने अभी कहा कि उन्होंने काम नहीं किया, इसकी तरफ मैंने ध्यान आकर्षित किया है।

श्री सी.पी. जोशी : मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैं बात इस बात पर लाना चाहता हूं कि हमने वार्ड सभाएं क्यों की। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये-बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अब यह कल्पना साहब से निवेदन है कि....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह गलत बात है उपाध्यक्ष महोदय, जवाब तो आये।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये-बैठिये।

श्री सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस बात पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमने वार्ड सभा का कंसेप्ट क्यों दिया। वार्ड सभा का कंसेप्ट जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक इस-इस प्लाट को, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, उस बात को समझ नहीं पाएंगे। तो क्लाज बनाया कि जिस वार्ड में इण्डिविजुअल बेनिफिशयरिज के सम्बन्ध में काम करना है। जिस वार्ड में कोई काम हो रहा है, उसकी सोशल आडिट कराना है। जब यह काम हम पंचायत के माध्यम से लोगों को कराना चाहते हैं। एक वार्ड में पचास आदमी खड़े होकर कहें, वार्ड के रहने वाले आदमी कि सरपंच जिसने एक लाख रुपये का खुर्रा बनाया, उसने खाली बीस हजार रुपये का ही काम किया, साठ हजार का काम नहीं किया और वार्ड में यह बात जब सामने आती है कि वास्तव में वह काम नहीं हुआ है तो वार्ड सभा के इस निर्णय के आधार पर हम....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह बातें, फैक्टस पर प्लीड करते होंगे। (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : आप सुनिये तो सही। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह बहुत से दे दिये होंगे....(व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : आप क्या कोट.... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप अधिकार लें.. ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्र जी, प्लीज। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप अधिकार लेओ। आप अधिकार लेओ। अगर काम नहीं करेंगे तो हटा दें। उसमें कौन मना कर रहा है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज। प्लीज डोंट डिस्टर्ब। लैट हिम स्पीक। आपने पचास बता दीं, इन्होंने सुनी है न। माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री सी.पी. जोशी : आप सारे के सारे इस क्लाज को निलम्बित के सम्बन्ध में कई घंटों से बोले, मैं सुन रहा था। माननीय सदस्य, जिस क्लाज को आपने कोट किया, इसमें निलम्बित लिखा हुआ है। एक के बाद एक सदस्य इसको नोन-कांफिडेंस कहा, तब भी मैंनें सुना। आपको समझना पड़ेगा निलम्बित क्यों रखा आपने। और क्या उसमें नोन-कांफिडेंस का प्रोविजन रखा। दो चीजों में अन्तर समझना पड़ेगा। हमने जो क्लाज रखा है, इस क्लाज के अंदर लाडनूं से आने वाले सदस्य ने कहा है कि आपके नोन-कांफिडेंस का क्लाज आलरेडी है तो फिर यह क्लाज क्यों लाए, समझना पड़ेगा। वह क्लाज है नोन- कांफिडेंस का, यह क्लाज है निलम्बन का। नोन-कांफिडेंस और निलम्बन के बीच में अन्तर क्या हो गया ? हमने निलम्बन के बीच में यह अन्तर किया है हम रूल बनाना चाहते हैं। हम रूल बनाकर वार्ड\सभा को यह अधिकार देंगे कि वार्ड वाले प्रस्ताव को ला सकते हैं। वार्ड सभा को यह अधिकार दिया जाएगा, यदि उस वार्ड में यह आइडेंटिफाई हो गया कि उस वार्ड पंच के सरपंच के कहने से इंदिरा आवास में जिस आदमी का नाम नहीं होना चाहिए था, उसके नाम के कारण इंदिरा आवास से बीस हजार रुपये मिल गये। जिस सरपंच को और वार्ड पंच को मिलकर एक लाख रुपये का काम करना था, बीस हजार का काम किया, अस्सी हजार जेब में रख लिये। यदि यह बात आइडेंटिफाई हो जाती है उस वार्ड के प्रस्ताव के आधार पर हम चुने हुए वार्ड पंच और सरपंच को निलम्बित करेंगे। यह अधिकार हमने लिया। इसमें कहां गलती है ? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह पॉवर्स आप लेओ। (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : नियम और कानून. ..(व्यवधान) यह वोट के लिए नहीं हो सकते। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप लोग पॉवर्स लेओ। आपको कौन मना करता है ? वोटर यह पॉवर्स लेवे। (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : यह इसमें क्या कर रहे हैं हम ? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह पॉवर्स लें। यह वोट से तय नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : हमारी बात सुन ली, कोर्ट में चैलेंज करना। यह जो प्रोविजन लाए हैं....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह मूल तय हो सकता है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्र जी। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह तो सारा तय नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिये न उनको। यह जरूरी थोड़े ही है कि आप उनसे एग्री करो। इट इज नोट नैसेसिरी कि आप उनसे एग्री करो। क्या बात हुई ? (व्यवधान) आप सुनिये न उनकी बात।

श्री सी.पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो क्लॉज हमने निलम्बित का रखा है, इस क्लाज में निलम्बन किस आधार पर होगा, इसके सम्बन्ध में हम नियम बनाएंगे, रूल बनाएंगे। रूल और नियम को बनाने के बाद हम यह सोशल आडिट का काम करवाना चाहते हैं। यह सरकार जो राइट टू इन्फोर्मेशन दे रही है, बिल ला रही है इससे लोगों को जानकारी मिल जावे कि बेईमानी का काम हुआ है, सूचना लेने के बाद यह काम करें और उस सूचना के आधार पर ही वार्ड के आदमी कोई काम नहीं कर सकें, यह नहीं हो सकता। राइट टू इन्फोर्मेशन का जो बिल आ रहा है, उस बिल के ऊपर जो चुने हुए लोग हैं, जिन्होंने वार्ड पंच चुना है, जिन्होंने सरपंच चुना है, वह वार्ड सभा में कहते हैं कि बेईमानी हुई है, उस बेईमानी के आधार पर जांच करवाकर फिर हम निलम्बित का काम करवाना चाहते हैं। यह प्रोवीजन हमने रखा है। तो फिर इसमें गलती कहां है। यही तो यह है और क्या है ? यही है आपका....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपको शिकायत करें और आप जांच कराकर सस्पैंड के आर्डर....(व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : यह रूल का प्रोविजन है....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह नहीं है इसमें। (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : डाक्टर साहब, सुनिये आप। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : यदि वह प्रस्ताव पारित कर देगा...(व्यवधान) उससे क्या होगा ?

श्री सी.पी. जोशी : आप सुनिये डाक्टर साहब। यह हमने एक....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब कह रहे हैं न। मान लो न। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : It is just not possible. It is just not possible.

श्री सी.पी. जोशी : आप सुनिये तो सही बैठकर के। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रूल में तो यह रख देंगे। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : He can do it. Government can do it.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले भी यह बात आयी....(व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : यह फोर्टी में पहले भी बात कही....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : तब भी वही की वही बात कही है। (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : 25 में भी इसी बात के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : रूल्स में यह प्रोविजन हुआ। शंका थी इनकी। अभी भी आपकी शंका हो, उसको क्लियर कर रहे हैं तो इसको समझो न आप। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : कहां कह रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : कर रहे हैं न। कर रहे हैं न यह। बिलकुल क्लियर कर रहे हैं कि after enquiry, he will be suspended.

श्री सी.पी. जोशी : 25 पर यह बात कही। अभी बता रहा हूं मैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह कह रहे हैं। दोनों, यह कहां है आपके बिल में ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसमें नहीं है। आप यह कह रहे हैं कि it will be provided in the rules. यही तो कह रहा हूं और क्या कह रहे हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इसमें एक लाइन जोड़ दें। इसमें नीचे एक लाइन यह जोड़ दें। जैसे पहले आपको याद होगा.... (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं बोलने दें तो आप पास करवा दें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कोई सुनना ही नहीं चाहते। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इसमें इनकी इंसल्ट थोड़ी हो रही है। (व्यवधान) यह कह दें पंचों की राय सर माथे पर। लेकिन परनाला यहीं पड़ेगा। यह कोई.... (व्यवधान) की बात थोड़ी है। इस अमेंडमेंट में....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए। आप विराजें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : ग्राम सभा की शिकायत पर यह इंक्वायरी करवालें। यह कर दें, इसमें कहां एतराज है हमको ? बहुमत के साथ थोड़े ही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजिए। अगर आप सुनना नहीं चाहते तो मंत्रीजी कहते हैं आप इसको पास करवा दें। फिर क्या बात है ? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सुनना क्यों नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये न। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : हम सुनना नहीं चाहते, हम यह चाहते हैं कि राजस्थान के....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या चाहते हो, यह बाद में बोल लेना आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : लोगों को सही न्याय मिल जाए, जो कोई कमी हो वह दूर हो जाए, यह हमारा उद्देश्य बनता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या चाहते हो, आपको अवसर मिलेगा न। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, डिबेट का ही मतलब यह है There is only one way to know what was right and just is to talk and discuss.

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिये। आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, यह सुनना नहीं चाहते। आप तो पास करा दो इसको। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इसलिए कह रहे हैं कि हम सच्चाई तक पहुंच सकें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। माननीय सदस्य, आप बैठिये। माननीय सदस्य, आप ऐसा मत समझो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : हमारा निवेदन केवल इतना-सा है डिबेट का मतलब क्या होता है ? डिबेट का मतलब ही यह है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं बताता हूं डिबेट का क्या मतलब है। मैं बताता हूं न आपको। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : डिबेट की डेफिनेशन पढ़िये There is only one way to know what was right and just is to talk and discuss. तो हम तो कोई एक चीज, जो हमारे समझ में आ रही है, हम कह रहे हैं उसमें जोड़ दीजिए। एक इतनी-सी लाइन जोड़ दें, हमको क्या एतराज है। (व्यवधान) यह क्या बात हुई ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए। आप विराजिए। यह बैठिये न, हो गयी न बात। (व्यवधान) आप ऐसा मत समझिये कि डिबेट का मतलब आप ही समझते हो Don't try to guide me. डिबेट का मतलब सीधा है। आपने बात कह दी। मंत्रीजी की बात कृपा करके शांति से सुनिये। उसके बाद आप कोई क्वेश्चन करेंगे I will allow you. लेकिन हर बार में आप उठकर उनको बोलने नहीं देना चाहते हो तो यह कौनसी डिबेट हुई ? यह कहां सीखी है आपने यह डिबेट ? आप कह रहे हो डिबेट, मुझे समझा रहे हो जैसे कोई डिबेट। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : समझा नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टेण्ड। आप अगर उनको सुनना चाहते हैं....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों ने बहुत सारी धाराओं का इसमें उल्लेख किया।

श्री उपाध्यक्ष : वह आएगा न। आएगा न वह। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : एक भी सदस्य ने इसकी प्रशंसा नहीं की है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप क्या चाहते हो ? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक भी वरिष्ठ सदस्य ने इसका समर्थन नहीं किया है। इसके खिलाफ ही किया है। (व्यवधान) एक भी वरिष्ठ सदस्य ने इसका समर्थन नहीं किया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या चाहते हो आप ? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभी ने विरोध किया है। (व्यवधान) सभी ने प्रवर समिति के लिए कहा है। जनमत जानने के लिए प्रवर समिति को भेजने के लिए कहा है। (व्यवधान) और इन्होंने इसका विरोध किया है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : जाना है तो जाओ, यह तो मंजूर होगा। अभी पास करते हैं इसको। (व्यवधान) आपको जाना है तो जाइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई तरीका नहीं है आपका। (व्यवधान) आप बैठिये। माननीय सदस्य, आप विराजिए। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष जी, बहुत अदब से मैंने मंत्रीजी को हाथा-जोड़ी की है कि बहुत से गलत अमेंडमेंट ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने प्रवर समिति को रेफर करने के लिए कहा है। जनमत जानने के लिए कहा है। प्रवर समिति को भेजने के लिए कहा है। (व्यवधान) एक ने भी इसका समर्थन नहीं किया है। गलतबयानी हो रही है। इसमें कहीं भी पार्टीबाजी नहीं है। गांवों में झगड़े हो गये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कृपया सदन को बहुत अच्छी तरह से चलने दें। मंत्री महोदय का जो उत्तर है, आप कृपया सुनें। आपने जो कुछ भी कहा, आपने अपनी बात कही है। अब आप इनको सुनिये और उसके बाद जब वह पास करेंगे तब इसके बाद आपको थर्ड रीडिंग में मौका मिलेगा। (भारी व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हमारे विपक्ष की जिम्मेदारी है, हमारी बारी विपक्ष की है। हम इस +++ को किसी भी कीमत पर पास नहीं होने देंगे। अगर आपने बहुमत के

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आधार पर धौंस-धपट्टी से कराना चाहते हो, आपकी मर्जी है। अगर यह कानून बनेगा, राजस्थान की जनता के लिए बनेगा, हमारे लिए नहीं....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ नहीं बनने देंगे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपसें निवेदन किया। (व्यवधान) अगर आप नहीं सुनेंगे...(व्यवधान) हमको जनता ने भेजा है किसी के रहमोकरम पर नहीं आये हैं.... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ पास नहीं होने देंगे। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इस तरह के +++ बनाकर के....(व्यवधान)

श्री हीरा सिंह चौहान : यह कानून की मंशा भी होनी चाहिए। कानून को.... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह +++ यह कल्पना का कानून, कल्पना का बना हुआ कानून....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको राइट है अपोज करने का। अपोज करो, कौन मना करता है। (व्यवधान) I am not stopping you, you have a right to oppose.

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपको पास कराना है तो कराइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अभी माननीय सदस्यों ने इतना विरोध किया है। (व्यवधान) कोई अपनी पार्टी के लिए थोड़े कह रहे हैं। हमने जनता के लिए कहा है। हमने.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हो, आप इस बात को समझते हो You have all the right to oppose it.

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जितने भी माननीय सदस्य बोले, सबने विरोध किया था इस बिल का। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उसके बाद पास नहीं करेगा हाउस। नहीं होगा। और पास हो जाएगा तो हो जाएगा। इसमें आप और हम क्या कर सकते हैं। आपने बहुत-से कानून पास किये हैं, जो इनको पसन्द नहीं आये होंगे लेकिन हुए हैं What is the problem?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक भी माननीय सदस्य ने पास करने के लिए कहा क्या ? जितने बोले उतने में से। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको किया है न। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : किसी ने नहीं किया है। (व्यवधान) इसको मंजूर कर

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सकते हैं लेकिन कम से कम अपनी सही राय दें और उसके बाद भी सदन के.... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कल्पनाओं के किले नहीं चलेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह आपका राइट नहीं है। You cannot guide them. आप उनको गाइड नहीं कर सकते। आप उनको गाइड नहीं कर सकते। पार्टी उनको मजबूर करे। पार्टी उनको करे No. This is not allowed. यह कोई डेमोक्रेसी में अलाऊ नहीं है।

श्री हीरासिंह चौहान : आपका प्रोटेक्शन चाहते हैं। आप कानून के विद्वान हैं, सब जानते हैं। यह गलत कानून पास हो रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं, आपने कितने बिल पास किये होंगे, जो उनके समझ में नहीं आये होंगे। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : प्रतिपक्ष के सदस्य जवाब सुनना ही नहीं चाहते। आप बिल को पास कराइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप असेम्बली की प्रोसिडिंग्स....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप अपने पुराने दिनों को ताजा करो, उपाध्यक्ष महोदय। अगर यह कानून पास हो गया तो राजस्थान की धरती पर खून-खच्चर हो जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इससे मेरे मन पर कोई असर नहीं होगा। हो जाएगा तो हो जाएगा। विराजें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हो जाएगा, आप कह रहे हो ऐसा, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : पास कराओ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, आप उनको सुनना चाहते हैं कि नहीं ? विराजिए आप, प्लीज, I will give you all the time to ask questions.

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी गलत कोट कर रहे थे....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : गलतबयानी कर रहे हो वाक आऊट की। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको पूछने का पूरा समय दूंगा। पूरा समय देकर के इसको पास कराऊंगा। लेकिन आप मंत्रीजी को सुनिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, बिलकुल सुनेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Before that, I will not allow you.

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी गलतबयानी कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप विराजिये प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी गलतबयानी कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : गलत है, सलत है, आप बाद में कहना।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, इसमें जांच का प्रावधान कहां है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कहां है इसमें जांच का प्रावधान ? यह कह रहे हैं जांच करायेंगे, इसमें जांच का प्रावधान कहां है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप विराजो तो सही। (व्यवधान) अगर हम गलतबयानी कर रहे हैं तो आप प्रिविलेज मोशन ले जाना।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी कह रहे हैं, आपने कहां लिखा है, देखिये। उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल में लिखा है वो पढ़िये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये प्लीज।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यह पहले आर्डिनेंस लाये थे और उसी आर्डिनेंस को हमने बिल फोरम में पेश किया है और इसके अन्दर काफी जुमलों में एग्जिक्यूशन भी हो सका है, अब हम इसको वापस, आप चाहो कि जनमत के लिए भेज दें और सलेक्ट कमेटी में भेज दें, आप +++ रोक दें, यह रुकने वाला नहीं है, यह तो आज ही पास होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह +++ क्या है ? यह +++ क्या शब्द है ? उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या कह रहे हैं ? (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, +++ करते हैं, हम +++ करने के लिए आये हैं ? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हमारा यह सुझाव था कि जिस-जिस जगह आपको लगता है कि यह अमेंडमेंट के लायक है, गवर्नमेंट अमेंडमेंट ले आये न उसमें, बदल दे उसमें। जो बात आप कह रहे हो, उसमें बदल कर के लाइये न, कौन मना कर रहा है उसके लिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपकी मंशा साफ बता रही है, आपने तय कर लिया है। यह सब माननीय सदस्य पछतायेंगे, गांव-गांव में झगड़े और फसाद हो जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री तो सीनियर हैं, वो तो वरिष्ठ विद्वान हैं, खेतसिंह जी राठौड़।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, आप नीचे बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : और आप स्वयं भी नीचे आकर कहेंगे तो हमारी बात कहेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, सबने एक ही बात बोली है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारियाजी, मैं आप से...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर आपको इसी बात का घमंड है तो मैं और मेरा दल इस बात से दुःखी होकर के, हम यह चाहते हैं कि आप जो कमियां इसमें देख रहे हो उसमें परिवर्तन आप अपनी तरफ से ले आओ लेकिन कानून तो ऐसा बनाओ जो जनता को कोई उपयोगी रहे, पंचायत राज के लिए उपयोगी रहे, और उसके बाद भी अगर अड़ामेंट हैं तो हम वाकआउट करते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पहले मंत्रीजी की बात तो सुनिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ऐसी क्या बात है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आपका राइट है। (व्यवधान)

श्री हेमन्त कुमार : जब आप मंत्रीजी का जवाब ही नहीं सुनना चाहते हो और जाने के मूड में हो तो जाइये, आपको कौन रोकता है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक सदस्य ने समर्थन नहीं किया है।

श्री हेमन्त कुमार : कम से कम मंत्रीजी का जवाब तो सुनते। आप में तो हिम्मत ही नहीं जो जवाब सुन सको। (व्यवधान) आपमें हिम्मत नहीं मंत्रीजी का जवाब सुनने की। (व्यवधान) आप में दम ही नहीं है जो मंत्री का जवाब सुन सको, +++ जा रहे हो। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : यह गलत रहेगा। (व्यवधान) हमारे लिए कोई दुखदायी नहीं है यह जनता के लिए दुखदायी रहेगा।

श्री हेमन्त कुमार : जब आपकी बात मंत्रीजी ने सुनी है तो आप भी मंत्रीजी की बात सुनो।

श्री हीरासिंह चौहान : आप इसको गहराई से समझ लीजिये, कल ले आइये, परसों ले आइये। क्यों इसको पास करा रहे हो ? कुछ ऐसी धाराएं हैं...(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, कन्क्लूड कीजिये।

श्री सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कोई अधिक बात नहीं कहनी है। हमारी पार्टी के माननीय सदस्यों ने जो राय व्यक्त की है, जो एप्रिहैंशन किये हैं धारा 25 के सम्बन्ध में वार्ड सभा के निलम्बन के

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सी. पी. जोशी)

सम्बन्ध में, मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम रूल्स में ऐसे प्रोविजन कर देंगे जिनके कारण इस धारा का दुरुपयोग नहीं हो सके और वार्ड सभा में वार्ड पंच और सरपंच को सीधा ही निलम्बित करने का जो अधिकार है वह व्यवस्था नहीं हो, यह व्यवस्था हम कर देंगे। धारा 25 के अन्दर भी जो व्यवस्था की गयी है उसमें भी हमारी मंशा बहुत साफ है कि चेयर परसन शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब और ओ. बी.सी. की जो महिला है, उन वर्ग के लोगों के हटने के बाद भी वहां उन्हीं वर्ग के लोग आने चाहिए, इस सम्बन्ध में भी रूल्स में हम प्रोविजन कर देंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : रूल लॉ को सुपरसीड कर देंगे क्या ? यह क्या बात हुई ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज, आप विराजिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, रूल लॉ को सुपरसीड थोड़ी कर सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना ही नहीं चाहते, ऐसी क्या बात हो गयी ? आप मंत्रीजी का जवाब सुनिये, आपको कोई एतराज है बाद में सवाल उठाइये। मंत्रीजी का जवाब तो सुनो।

मोहम्मद माहिर आजाद : खतम कर देंगे जब पूछेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : काहे का खतम कर देंगे, कहां से हो जायेगा ? (व्यवधान) खतम तो जब होगा न जब मैं इसको बोलूंगा। कहां से हो जायेगा ?

श्री हफीज मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी सरपंच, प्रधान या प्रमुख को हटाये तब तक नया चुनाव नहीं हो तब तक उप प्रमुख जो होता है, उप प्रधान होता है, उप सरपंच होता है उसको सारे अधिकार मिलने चाहिए। यह आप उसमें अमेंड कर लेना।

मोहम्मद माहिर आजाद : इनको तो बोलने दोगे, हम को कहते हो बैठ जाओ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल रहे हैं इसलिए वो बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आप से निवेदन किया है कि जिन धाराओं के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है, हम नियम, जो रूल्स बनायेंगे उन उन रूल्स के अन्तर्गत उन सब चीजों का समावेश कर देंगे। जिससे सेक्शन 25 के अन्तर्गत जो एप्रिहैंशन है उनका....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हाथ जोड़ रहा हूं, सुन लीजिये। आपको पूछने का मौका दे दूंगा, इतनी जल्दी क्या हो रही है आपको ?

श्री सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, खाली झुन्झुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने एक बात कही थी, वह जवाब देना

(श्री सी. पी. जोशी)

जरूरी है। इन्होंने कहा कि आपने पहली मीटिंग का काम क्यों किया है ? वो तो इतनी वरिष्ठ सदस्या हैं, मुझे यह मालूम होता कि भाई, माननीय वरिष्ठ सदस्य सारे नियम और कानून पढ़ के आते होंगे। लेकिन मुझे आज जान कर तकलीफ हुई कि हम खाली भाषण देने के लिए खड़े हो जाते हैं, रूल क्या कहता है, रूल 243-ई में लिखा हुआ है कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंड "Every Panchayat, unless sooner dissolved under any law for the time being in force, shall continue for 5 years from the date appointed for its first meeting and no longer." फर्स्ट मीटिंग राजस्थान में सभी पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद की एक रहे इसलिए हम यह प्रोविज़न लाये हैं 243 की जो रिक्वायरमेंट है कांस्टीट्यूशन में। यदि हम यह प्रोविजन नहीं करते तो किसी पंचायत की मीटिंग एक तारीख को होती, किसी जिला परिषद में दूसरी तारीख को होती, पंचायत समिति में दूसरी तारीख को होती। तो जो पांच साल का टर्म है वह अलग-अलग होता। तो मुझे खुशी होती कि यह सब पढ़कर अपना ध्यान मुझे आकर्षित करते।

इस तरह, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह एप्रिहैंशन है कि जो माननीय सदस्यों ने बात कही वो कुछ हाइपोथेटिकल चीजों पर निर्भर है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि यह सरकार, जिसने पंचायती राज के चुनाव कराये हैं इस आर्डिनेंस के बाद कराये हैं। जनता ने वोट दिये हैं, पब्लिक का मेनडेट हमारे साथ है। इसके बाद पंचायत के चुनाव हो गये अब प्रवर समिति को सौंप दिया जाय, जनमत को सौंप दिया जाय। राजस्थान के पांच करोड़ लोगों ने अपना वोट इस आर्डिनेंस के आधार पर दे दिये, अब कहां जरूरत पड़ती है ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिस सैक्शन की धारा के अन्दर यह कहा गया कि पांच साल की सजा के प्रोविजन के आधार पर आप डिसक्वालिफाई कर रहे हो, यह अनडेमोक्रेटिक है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी कानून के अन्तर्गत पांच रिट दायर हुई हाईकोर्ट में। राजस्थान हाईकोर्ट के अन्दर पांच रिट दायर हुईं। यह पांच साल के चालान पेश करने वाले आदमी को डिसक्वालिफाई करने का जो कानून है वो गलत कानून है। राजस्थान की हाईकोर्ट ने इन सब रिट को खारिज किया और कानून को अपहैल्ड किया, और आज हमें कहते हुए खुशी है कि हिन्दुस्तान में राजस्थान पहला स्टेट है इतने क्रिमिनल्स को रोकने के लिए कानून किया। हम यह काम नहीं करें तो हम चाहते हैं कि बिहार की तरह हमारे एम.एल.ए. बन कर आवें ? हमने यह प्रयास किया है कि किस तरह से लोगों के मन में यह बात बैठनी चाहिए कि जो हमारा कानून और नियम में काम करने वाला लॉ है, ला-अबाइडिंग आदमी है, गांव का गरीब आदमी है, एस.सी. का आदमी है, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसीलिए ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है।

(श्री सी. पी. जोशी)

मैं एक मिनट में अपनी बात खतम करूंगा। क्या हमें यह जानकारी नहीं है कि 1,19,430 जो वार्ड पंच, सरपंच, प्रधान और पंचायत सदस्य जीत कर आये हैं उनमें से 20,726 एस.सी. के आदमी हैं, 18,093 आदमी एस.टी के हैं, 15,023 आदमी ओ.बी.सी. के हैं और 38,794 महिलाएं हैं। पांच साल के क्रिमिनल केस में इनमें से कितने आदमी जुड़े हुए हैं ? जिन लोगों के मन में क्रिमिनल काम कर कर इस पंचायत में गरीब आदमी के साथ अन्याय करना है, एस.सी. के आदमी के साथ अन्याय करना है, ट्राइब के साथ अन्याय करना है वो लोग नहीं चाहते कि वार्ड सभा हो।

वार्ड सभा में हमारे मन में कल्पना है। जिस तरह से केरल में 32, 40 परसेंट पैसा डिवोल्युशन हो रहा है पंचायत, पंचायत समिति का, राजस्थान सरकार की यह मंशा है कि आने वाले कुछ वर्षों में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो हमारी कांस्टीट्यूशन में प्रोविजन किया गया है, उस प्लानिंग कमेटी को स्ट्रैंथन करने के लिए वार्ड के आदमी बैठ कर अपना निर्णय करें कि इनके वार्ड में क्या काम होने चाहिए। इंडिविजुअल वेनिफिशरी के साथ बेईमानी नहीं हो, उनके आइडेंटिफिकेशन का काम करें।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक मोटा काम और किया है। आप भी इस बात को जानते होंगे, बी.पी.एल. फैमिली में पिछली सरकार ने उन लोगों का चयन कर दिया जो गरीब में नहीं आने चाहिए। उस गरीब के नाम पर बी.पी.एल. फैमिली का आदमी कौन हो, हमने यह भी किया है कि उस वार्ड सभा में उस बी.पी.एल. फैमिली में जो गलत आदमी का चयन हुआ है उनके नाम को डिलिट किया जाय जिससे गरीब आदमी के साथ न्याय हो सके। इसके लिए हम वार्ड सभा करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वार्ड सभा इसलिए करना चाहते हैं कि हमारे मन में कल्पना है कि वार्ड में रहने वाला आदमी, जो खास तौर से मार्जिनल वर्ग का आदमी है, अपर कास्ट का भी हो सकता है, एस. सी. का भी हो सकता है वह आधारभूत सुविधा से वंचित है। इसलिए हम निर्णय करना चाहते हैं कि किसी भी पंचायत में काम करने में जब तक एक वार्ड में काम नहीं हो तब तक सरपंच और वार्ड पंच अपनी मनमर्जी से दो-तीन वार्डों में काम करते हैं। लोगों के साथ जो गिरोह बना रखा है, उस व्यवस्था को तोड़ें हम।

इसलिए हम लोगों को मजबूत करने के लिए, लोगों को ज्यादा भागीदारी करने के लिए वार्ड सभा को आधार बना कर काम करना चाहते हैं। वार्ड पंच बन जाय, वार्ड पंच 50 साल से बन रहा है इसमें कोई तकलीफ नहीं, वार्ड पंच, सरपंच हट जाए, इसमें कोई तकलीफ नहीं, वार्ड के आदमी बैठ कर गलत आदमी को चयन को रोक लें इसलिए वार्ड सभा गलत है ? मैं समझता हूं यह किस तरह का लोकतंत्र है, उपाध्यक्ष महोदय। या तो हमारी मानसिकता लोकतंत्र के प्रति नहीं है। 73 अमेंडमेंट के बाद हम, चाहें या न चाहें, यह विधान सभा चाहे न चाहे, कांस्टीट्यूशन में प्रोविजन कर दिया

(श्री सी. पी. जोशी)

गया है कि शिड्यूल इलेवन के अन्दर जो 29 सब्जैक्ट हैं उनको आने वाले समय में पंचायत और पंचायत समिति को ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसलिए हमारे मन में यह है कि यह सब व्यवस्था करने के पहले लोग ट्रेनिंग ले लें, वार्ड के आधार पर काम कर लें, वार्ड के आधार पर भागीदारी बन कर के उसे रोकने का काम कर सकें। हम यह जानते हैं कि यह कठिन काम है। हम यह जानते हैं कि एक लाख उन्नीस हजार वार्ड सभाएं सक्सेज नहीं हो सकतीं लेकिन यदि 60, 70 परसेंट भी सक्सेज होती हैं तो यह हमारा अचीवमेंट है कि गांव के गरीब आदमी को हम खड़ा कर के कह सकते हैं उसके कहने से पहला टीचर बन रहा है, उसके कहने से स्कूल बन रही है, उसके कहने से बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। अब आने वाले समय में यदि पंचायत में बच्चे पढ़ने के लिए आदमी नहीं भेजेंगे तो हम उसकी ग्रांट इन एड को रोकने के सम्बन्ध में सोच रहे हैं। हमारे मन में कल्पना है कि इस तरह की व्यवस्था करके इस पंचायत राज को मजबूत करें इसलिए पंचायत राज को मजबूत करने के सन्दर्भ में हम यह अमेंडमेंट लाये हैं। न तो हम लोकतंत्र के विरोधी, न हम लोगों के इस तरह के काम करना चाहते हैं लेकिन हमारे मन में यह कल्पना है कि लोगों की भागीदारी ज्यादा बनें। यह 200 एम.एल.ए. मिल कर, 25 एम.पी. मिल कर यह राजस्थान के भाग्य का निर्माण नहीं कर सकते। पांच करोड़ आदमी जो हैं, उनको भी राजस्थान के भाग्य का निर्णय करने का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए हम वार्ड सभा करना चाहते हैं।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जनमत तो हो चुका है, चुनाव हो चुके हैं पंचायत के। अगले चुनाव होंगे पहले विधान सभा के, उसके पांच साल बाद फिर पंचायत के चुनाव होंगे। तो चार साल बाद जब विधान सभा के चुनाव हो उसमें बहुमत से आना, नियम और कानून बदल लेना। नहीं नियम और कानून बदले तो यह नियम तो अगले चार साल, पांच साल चलेंगे, विधान सभा के चुनाव के बाद चलेंगे।

तो हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम इन कल्पनाओं के आधार पर राजस्थान में पंचायत राज को मजबूत कर के जनता के बीच में जाना चाहते हैं।

इसलिए विधेयक को न तो जनमत जानने हेतु भेजने की आवश्यकता है और न प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूंगा इनको निरस्त करके इस प्रस्ताव को पास किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : अब आपको कोई पूछना हो तो पूछें। (व्यवधान)....पूछें न। आपको मना कहां किया। बात इनकी सुनिये। मैंने पहले ही कहा यह। सबको पूछने का मौका मिलेगा यही तो कहा है मैंने। एक-एक माननीय सदस्य बोलें। पहले आपसे निवेदन किया है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं उपाध्यक्ष महोदय। पूछने का प्रश्न तो इसलिए नहीं है कि जो हम पूछेंगे उसका जवाब नहीं आयेगा। यहां राजनीतिक भाषण दिया गया है। मैं अपना अधिकार थर्ड रीडिंग पर बोलने का रिजर्व करता हूं। आप मुझे रोक रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कब रोका, आपको थर्ड रीडिंग के लिए। अभी इसको तो पास होने दें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, आप करवाइये न।

श्री उपाध्यक्ष : Let the third reading come. Let that occasion come. आपको थर्ड रीडिंग पर मौका देंगे। पहले क्यों बोल रहे हैं ? मैं कहां रोक रहा हूं आपको ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्योंकि राजनीतिक भाषण है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं तो पूछ लूं एक प्रश्न ?

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलो। माननीय एक मिनट।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि आप खुद तो स्कूल खोलकर बन्द कर दें यह न्याय तो ये करें। उम्मीद रखते हैं वह वार्ड के पंचों से और वार्ड के साधारण सदस्यों से। वह क्या न्याय करेंगे ?

श्री सी.पी. जोशी : न्याय तो मुझे कहना नहीं चाहिए उपाध्यक्ष महोदय। यह टोपिक छेड़ा है। आपको खुद को मालूम है। किसी सदस्य ने किस तरह से कहा है। मैं बोलना नहीं चाहता सदन में।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, एक मिनट।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से भी और यहां लॉ मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं और हमारे काफी साथी लॉ विद हैं, मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं। माननीय पंचायत राज मंत्रीजी ने कहा कि इसमें जो कोई भी ऐसा कानून होगा जो ठीक नहीं है हम उनके लिए रूल्स बना देंगे, यह डायरेक्शन दे देंगे ताकि वह सही हो। मैं आपके माध्यम से यह निहायत अदम के साथ जानना चाहता हूं कि लॉ को रूल या स्टेट्यूट सुपर सीड कर सकता है क्या ? मैं इतना सा जानना चाहता हूं।

श्री सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात कही नहीं है। इन्होंने मन से कही है। सुनिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने कही है। आसन से पूछ लीजिए।

श्री सी.पी. जोशी : आप क्या हरेक बात पर बोलेंगे ? आप सुनिये मुझे। मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। मैंने यह कहा है कि इन एक्ट के कंसोनेंस में माननीय सदस्यों ने जो अपनी बात कही है उसको

(श्री सी. पी. जोशी)

ध्यान में रखते हुए रूल्स में प्रोविजन करने की सरकार व्यवस्था करेगी। क्या गलत कहा मैंने ? आप अपने मन से कहना चाहते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : अपने मन से कोई बात नहीं कही है। प्रोसीडिंग देख लें आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, विराजें।

मोहम्मद माहिर आजाद : अगर आपने नहीं कही है तो बात खतम। इसमें क्या दिक्कत हो गयी ? मैंने तो इतना-सा ही पूछा था कि लॉ को रूल सुपरसीड नहीं कर सकता।

श्री सी.पी. जोशी : यह कहा था मैंने ? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : खतम बात।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2000 को जनमत जानने के लिए परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

विधेयक जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2000 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

जो माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं पहले वे बोल लें।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्षजी, माननीय मंत्री महोदय के जवाब से प्रभावित होकर मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2000 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक,2000 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्डशः विचार

खण्ड 2 से 14 कोई संशोधन नहीं।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 14 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 14 स्वीकार किये गये।

खण्ड 15, इसमें नाम हैं। कोई बोलना चाहते हैं ? हैं न संशोधन इसमें प्रभारी मंत्रीजी ?

प्रश्न यह है कि खण्ड 15 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 15 स्वीकार किया गया।

खण्ड 16 से 18 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 16 से 18 स्वीकार किए जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 16 से 18 स्वीकार किये गये।

खण्ड 19

प्रश्न यह है कि खण्ड 19 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 19 स्वीकार किया गया।

खण्ड 20 से 24

प्रश्न यह है कि खण्ड 20 से 24 स्वीकार किए जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 20 से 24 स्वीकार किये गये।

खण्ड 25

प्रश्न यह है कि खण्ड 25 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 25 स्वीकार किया गया।

खण्ड 26 से 56

प्रश्न यह है कि खण्ड 26 से 56 स्वीकार किए जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 26 से 56 स्वीकार किये गये।

खण्ड 57, प्रभारी मंत्रीजी खण्ड 57 में प्रस्ताव करेंगे।

श्री सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खण्ड 57 में प्रस्ताव करता हूं कि उपर्युक्त विधेयक के खण्ड 57 के उप-खण्ड (2) में, हिन्दी पाठ में, अभिव्यक्ति "इस अधिनियम के अधीन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन" प्रतिस्थापित की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 57 में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 57 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 57 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री सी. पी. जोशी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2000 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या 13) को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज दो बातों की बहुत तकलीफ है। एक तो पंचायती राज मंत्रीजी ने आज जबर्दस्त अहम का परिचय दिया है। यह कहा है कि आज हम बहुमत में हैं। हमारी मर्जी आयेगी जो कानून बनायेंगे....

श्री परसादी लाल : कब कहा है यह ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : परसादी लालजी, बहुत गम्भीर बात हो रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ....हमारी मर्जी आये जो नियम बनायेंगे। पांच साल इन्तजार कीजिए। आपको पब्लिक बदल देगी। नियम बदल देना कानून बदल देना। मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार एक कंटीन्युअल इंस्टीट्यूशन है। कानून का कन्टीन्युअल इंस्टीट्यूशन है। इस तरह से सरकारें बदलती हैं, कानून बदलते हैं ? रूल ऑफ लॉ देश के अन्दर सबसे बड़ी चीज है। Governments may come and Governments may go. Ultimately it is rule of law which has to prevail.

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी तकलीफ मुझे इस बात की है कि इस सदन के अन्दर यह वातावरण बनाया जा रहा है। अल्टीमेटली आप फैसला ईमानदारी से और बेईमानी, बहुमत से करेंगे। सदन में तो करते ही हैं। मैं इसकी चर्चा अभी नहीं करना चाहता हूं अन्यथा वापस उत्तेजना फैलेगी लेकिन मैं विशेषकर इस बिल की मैरिट की बात करता हूं। बहुमत सिद्ध नहीं करेंगे आप। उपाध्यक्ष महोदय, आप समझिए इस बात को।

श्री उपाध्यक्ष : समझाओ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ठीक बात है। प्रावधान यह है कि ग्राम सभा इसका कोरम 10 प्रतिशत वह इकट्ठे होकर, मंत्रीजी, मैं बहुत विनम्रता से कहता हूं कि आपने इस बात का नोटिस नहीं दिया। आप चेयर पर बैठे हुए हैं। इन्होंने गलत बयानी की कि इसमें लिखा हुआ है। इसमें कहां लिखा हुआ है, इन्क्वायरी के लिए ? सरपंच काम नहीं करे, वार्ड मैम्बर काम नहीं करे, आवास योजना में काम नहीं करे और विकास के काम नहीं कराये तो क्या विकल्प है आपके पास ? आपको पढ़कर सुनाया पंचायती राज एक्ट के अन्दर लिखा हुआ है। धारा एक के अन्दर लिखा हुआ है जिसका आप प्रोवाइजो ढूंढ रहे हैं। उसी सैक्शन के सब सैक्शन एक में लिखा हुआ है। कि if he refuses to work, if he becomes incapable of working, आप करिए न सस्पैण्ड, कौन मना करता है ? पब्लिक का कोई आदमी आकर शिकायत करे, आप सस्पैण्ड कीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह आरोप लगाना चाहता हूं इस सरकार पर, जब मैं पहले बोल रहा था उस वक्त आपने कह दिया कि मैंने केबिनेट की विज्डम पर शक किया है। मैंने कोई विज्डम पर शक नहीं किया था। मैं सद्भावना-पूर्वक आपको यह सुझाव दे रहा था लेकिन आप उसको समझने के लिए तैयार नहीं थे। अब मैं आप पर आरोप लगाता हूं। आरोप क्या है, आप राजस्थान के अन्दर एक मैसेज देना चाहते हैं, पंचायती राज के निर्वाचित पंचों और सरपंचों को कि तुम किसी भी तरह चुनकर आ गये, आप इस भरोसे मत रहना आपको सस्पैण्ड करके डाल देंगे दो साल में। दो साल की अवधि इन्होंने जरूर दी है। उपाध्यक्ष महोदय, आप कल्पना कीजिए सभी सरकारी मुलाजिम इसके हैं। कौन तो नोटिस देगा, कौन नहीं नोटिस देगा। तीन सौ आदमी इकट्ठे किये....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : प्रोवीजन हो जाएगा। आप काहे को बेकार ही इसको लम्बा कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : धारीवालजी देखिये, सुनिये थोड़ी गम्भीरता पैदा कीजिए...(व्यवधान) आप सुनिये। आपकी समझ के बाहर की बातें हैं। आज जोशीजी, नहीं समझ रहे थे। आप उलझा करो, मदन दिलावर से उलझा करो। सुरेन्द्र व्यास से मत उलझा करो। आपका स्टैण्डर्ड मदन दिलावर से ज्यादा नहीं है। अगर आप बार बार मुझे प्रोवोक करेंगे तो यह बात सुनेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं यह आरोप लगाता हूं, मैं आरोप लगाता हूं इस सरकार के ऊपर और राज्य के पंचायत राज मंत्री के ऊपर कि यह प्रावधान करके आपने यह मैसेज दिया है कि Behave yourself, fall in line. हमारी पार्टी की पावर, उसके साथ चलो अन्यथा दो साल में तुम्हारी छुट्टी कर दी जाएगी। बहुत सीधा तरीका है, तीन सौ आदमी इकट्ठे होना और उनमें टू थर्ड मैजोरिटी दो सौ आदमी, तीन हजार आदमियों के वोट पड़े। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्तिम बार फिर एक निवेदन करता हूं। मैं आपकी विज्डम पर शक तो करता ही हूं लेकिन

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

यह भगवान से प्रार्थना करता हूं कि Wisdom may prevail on you. Good sense may prevail on you. आप बहुत इन्सेंसेटिव होकर के अहम से चूर हो रहे हैं। आप इसका प्रावधान करिये, आप राइट आफ रिकाल की बात करते हो। फिर कहता हूं मैं इससे बेसीकली, प्रिंसिपली एग्री करता हूं। पर राइट आफ रिकाल नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे बार बार कहते हैं इनसे सवाल पूछें। क्या सवाल पूछें, सस्पैंशन और रिमूवल में फर्क नहीं समझते। इसमें कौनसी एडवोकेट की बात हो गयी जो कहते हैं आप हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं। हाईकोर्ट का एडवोकेट हो चाहे मत हो। कौन आदमी नहीं समझता इस बात को। सस्पैंशन अलग चीज है, रिमूवल अलग चीज है अगर आप जनता को इन्वाल्व करते हैं तो रिमूलव वाली बात समझ में आती है। आप तो सस्पैंड करके टालना चाहते हैं। सस्पैंशन की पावर...

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने कब कहा कि दोनों एक हैं ? He never said it.

श्री सुरेन्द्र व्यास : He has said it.

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने कब कहा सस्पैंशन और रिमूवल एक है ? He never said it.

श्री सुरेन्द्र व्यास : He has meant it. Not in so many words, but he has meant it.

श्री उपाध्यक्ष : He has not sait it.

श्री सुरेन्द्र व्यास : अदरवाइज इस बिल से क्या मतलब है। उपाध्यक्ष महोदय, 155 ही बहुत हैं, आसन के संरक्षण की जरूरत मुझे है उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को नहीं है। सरकार को आसन के संरक्षण की जरूरत नहीं है। मुझे अवश्य आपके संरक्षण की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं मैं इसको यही मानता हूं। मैं इसको काला बिल और वो नहीं मानता हूं। मैं समझता हूं कि अहम से चूर सरकार और एक नासमझी का बिल लाई है। आपकी जानकारी को अभी भी मैं कोई आवेश में आकर कह दूं भावना गलत है, भावना का मैं अभी भी स्वागत करता हूं कि अगर आप राइट आफ रिकाल रखते हैं, ठीक है। मैं तो इसी एक प्रोविजन के ऊपर कहता हूं और आप जो बार-बार कहते हैं हाईकोर्ट चले जाएंगे, हाईकोर्ट तो जिसको जाना होगा वह जाएगा। कोई एम.एल.एज. हाईकोर्ट थोड़े जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हाईकोर्ट के अन्दर जब इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी होती है 200 एम.एल.एज. लिखकर देते हैं कि हमारा यह मतलब था उससे मतलब नहीं है जो लेंग्वेज आप एप्लाई करते हैं बिल के अन्दर और जो एक्ट बनता है उस लेंग्वेज के ऊपर कोर्ट जाती है। और आपने जो लेंग्वेज इसमें एप्लाई की है, माननीय माहिर आजाद साहब सही कह रहे थे हम रूल्स प्रोवाइड कर देंगे, क्या रूल्स प्रोवाइड कर दोगे आप ? Rules cannot supersede the Act. Act can not supersede constitutional provisions. Notification can not supersede rules. Regulations can not supersede

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

notification. Office order can not supersede instructions. यह सब चीजें आपको इन्टरनल समझनी चाहिए। आप नहीं समझना चाहते हैं आप समझेंगे भी नहीं। आप कोर्ट में मात खाकर आयेंगे तब समझेंगे। अगली विधान सभा में जोशीजी, अगर यह स्ट्राइक डाउन हो गया तब आप भी कहेंगे कि आपका मित्र एक सही सलाह दे रहा था लेकिन आप अहम में चूर, 155 के नशे में चूर सुनने को तैयार नहीं थे। आपकी मर्जी आए जैसे कीजिए। बहुमत आपका है मेरे रोकने से रुकेगा नहीं और गुड सैंस आपमें कभी प्रिवेल करेगा नहीं। पांच साल आप इन्तजार न करें। साल दो साल में आपको अक्ल आ जाएगी। यही भगवान से प्रार्थना है मेरी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजय सिंह।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि यह तो जो एक्ट बनने जा रहा है यह तो फेट अकम्पली; मैं तो माननीय मंत्री महोदय का कुछ बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह अपने समय के अनुसार जब भी उनको समय मिले थोड़े प्रोवीजन्स को आप दुबारा देख लें और उन पर विचार करके आप उचित समझें तो उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व वक्ताओं ने भी कहा वार्ड सभाओं के बारे में। ग्राम सभा पहले थी और वार्ड सभा का आपने दायित्व, जो काम बताया और जो उद्देश्य बताया वह तो अपनी जगह पर है परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं, व्यवहारिक दृष्टि से वार्ड सभाएं आपके काम नहीं कर रही हैं। राजस्थान के अन्दर जो ग्राम पंचायतें हैं और ग्राम पंचायतों का जो सर्कल हैं खास तौर से वैस्टर्न राजस्थान में जहां पर कि आप ग्राम पंचायत के एरियाज, अगर आप देख लें तो इतनी दूर-दूर बसे हुए हैं। उनके वार्ड जो हैं वह 5-5, 6-6, 7-7 ढाणियां मिलकर के बने हैं बिलकुल आपके हनुमानगढ़ के अन्दर पंचायत समिति इतनी बड़ी है, वहां पर भी ग्राम पंचायत इस प्रकार की है तो वार्ड की मीटिंग्स करके आप और उनके सुझाव लेकर के करना चाहेंगे तो संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि कब तो वार्ड वाले मिलेंगे, कब वार्ड की सभा होगी। जो वार्ड के आपने उसमें फंक्शन दिये हुए हैं कि वार्ड सभा होगी, वार्ड सभा के क्या-क्या फंक्शन्स होंगे, उन फंक्शन्स को और अगर आप ग्राम सभा के फंक्शन को, दोनों को भी आप मिलाएं तो मंत्री महोदय मेरी शंका है कि वार्ड सभाओं के माध्यम से वार्डों के अन्दर आपस में कन्फिलक्ट भी हो सकता है। और ग्राम सभा फिर किस प्रकार से निर्णय करेगी यह इसके अन्दर कोई प्रोविजन नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको आप देख लें कि वार्ड सभा का जो उद्देश्य है, एक्ट में अमेंडमेंट के माध्यम से करना चाह रहे हैं और पंचायत राज को ठीक नीचे तक पहुंचाने की बात कह रहे हैं, इसको आप दुबारा से देख लें कि वार्ड सभा आगे चलकर के, मेरी मान्यता है कि यह सक्सैस नहीं होगी। और हमें कोई इस बात के लिए जिद भी नहीं करनी

(श्री दिग्विजय सिंह)

चाहिए कि अगर व्यावहारिक नहीं हो तो हम इस पर पुनर्विचार कर लें और पुनर्विचार करके आप इसके ऊपर सोच लें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी सन्दर्भ में एक सुझाव और देना चाहूंगा कि आपके इलैक्टोरोल के बारे में एक प्रोविजन जो पहले दिया हुआ है उसके अन्दर सैक्शन 18-बी है। तो पहले वाले में प्रोविजन यह था उपाध्यक्ष महोदय, कि अगर इलैक्टोरोल गलत बन गये या बना दिया, आथोरिटी जो बनाने वाले हैं तो 500 रुपये तक का जुर्माना। अब आप उसके अन्दर अमेंडमेंट करके ला रहे हो कि 500 रुपये तक का जुर्माना तो रहेगा ही रहेगा, उसके आगे छह माह की उसको जेल, इम्प्रीजनमेंट which may extend up to two years. तो मैं समझता हूं इलैक्शन कमीशन का जो इलैक्टोरोल प्रिपेयर होता है उसमें भी यह व्यवस्था नहीं है। इतनी नहीं है, दो साल की नहीं है।

श्री सी.पी. जोशी : है, In to to incorporated form the people Act. उसी को अडाप्ट किया है।

श्री दिग्विजय सिंह : अगर ऐसा है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको इसकी कापी करने की जरूरत नहीं। आज मैं आपको एक बात निवेदन करूंगा, आज उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत इलैक्शन अभी हुए हैं और वोटर लिस्ट जो आज बनी है उसको और विधान सभा के, जो लेटेस्ट इलैक्शन हुए हैं लोक सभा के, उनको अगर आप टेली करें तो कई वार्डों में ग्राम पंचायतों के अन्दर तीस-तीस, चालीस-चालीस नाम वार्डों से गायब हैं। तो मेरा सुझाव है कि वार्डों के लिए पंचायत डिपार्टमेंट, जो इलैक्शन कमीशन है जो अलग से वोटर लिस्ट बनाकर यह कहते हैं तो क्यों नहीं लास्ट इलैक्शन जिस भी संस्था का हो, विधान सभा का हो या पार्लियामेंट का हो, उसी को आप आधार मानकर के उसी वोटर लिस्ट को उसके आधार पर आप क्यों नहीं चुनाव करवाते हैं ताकि यह जो कमियां रह जाती हैं, अब आपने इसके अन्दर कह दिया कि यह आफेन्स इतना सीरियस हो जाएगा इसको भी आप देख लें तो मैं समझता हूं उधर आपका खर्चा भी बचेगा और इलैक्शन कमीशन का भी खर्चा बचेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव और दे रहा हूं जिसको माननीय मंत्रीजी अपने स्तर पर देख लें। माननीय हरजीरामजी ने भी कहा है नो-कान्फिडेंस के बारे में। नो-कान्फिडेंस का मोशन आपके प्रोविजन है और उसके बाद में वह नो-कान्फिडेंस मोशन गिर जाता है और वैसे तो दो साल के बाद ही आएगा और दो साल के बाद आने के बाद में अगर नो-कान्फिडेंस मोशन गिर जाता है तो आपने उसमें प्रोविजन कर दिया, प्रोवाइडेड ग्राम सभा....

श्री सी.पी. जोशी : कोई रिलेवेंस ही नहीं है आई एम सारी टू इन्टरविन। उस नो-कान्फिडेंस का वार्ड सभा के उससे कोई सम्बन्ध नहीं है कन्फ्यूज कर रहे हैं इससे। वार्ड सभा में जिस आधार पर हम रूल बना रहे हैं उस रूल में यदि वार्ड में आदमी कहते हैं कि इस आदमी ने गबन

(श्री सी. पी. जोशी)

किया है इसकी इन्क्वायरी को क्योंकि सोशल आडिट को हम बेस बनाना चाहते हैं। उस आधार पर हम प्रस्ताव लेकर दुबारा उसको इन्क्वायरी का आधार बनाना चाहते हैं। उस आधार पर सस्पेंशन होगा। नो-कान्फिडेंस का कोई सम्बन्ध इसके साथ नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : अब यह आपने स्पष्ट कर दिया....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य,....

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य उनको बोल लेने दीजिए।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं कन्क्लूड कर लूं मेरी बात को। इसमें प्रोविजन कर दिया है कि दो साल तक नहीं आयेगा। दो साल के बीच में गबन कर लो तो क्या करो। इसमें तो आपने कह दिया ग्राम सभा इसका दो साल तक जिक्र नहीं करेगी। यह बात कही।

(20.00 बजे)

श्री सी.पी. जोशी : इसका प्रोविजन तो है अपने पास।

श्री दिग्विजय सिंह : वह तो हो भी गया। यह जो रिडंडेंट हो गया ना, फिर आप क्या कर लोगे उसमें। यह तो...(व्यवधान) मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप इसको अपने स्तर पर देख लें। और इसके साथ-साथ एक और निवेदन करूंगा कि जो यह संशोधन लाये हैं, यह संशोधन ऐसा लगता है मेरे को कि 1994 का एक्ट था उसके अन्दर कमियां रह गई। और कमियां रहने की वजह से जब पंचायत इलैक्शन्स आये, उसमें शिड्यूल्ड कास्ट वालों को और उनको सबको रिजर्वेशन देने के हिसाब से यह लाये हैं। बहुत सराहनीय है। मैं इसके साथ ऐसे सुझाव देना चाहूंगा कि आप सारे एक्ट को कम्पोजिट वे के अन्दर और भी थिंक करें। और एक पंचायत की सेमीनार दुबारा से बुला करके फिर आप देखें। तो हम और भी अच्छी तरह से पंचायत राज को जिस उद्देश्य से गांवों में देना चाहते हैं, और निष्ठा के साथ में पंच बनाना चाहते हैं वह जायेगा। नहीं तो यह आपका सारा मामला जिस तरह से चल रहा है, वार्ड्स का हो गया, ग्राम सभा का हो गया और उसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय, इनका सबका जब रिजोल्यूशन होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी उसको देखेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी देखेगा और वह उसको निरस्त करता हैं तो वह सभा का निर्णय है वह मानना हो कि नहीं हो। अब कौन सभा बुलायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर डिसकस हो चुका है। जवाब दे दिया मंत्रीजी ने।

श्री दिग्विजय सिंह : वह नहीं दिया। यह वार्ड सभा कौन बुलायेगा ? ग्राम सभा का एक प्रोविज़न है। मेरा कहने का मतलब यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि सारे को

(श्री दिग्विजय सिंह)

कम्पोजिट वे के अन्दर दुबारा से आप एक सेमीनार बुला लें, पंचायत राज के ऊपर और फिर दुबारा से देखेंगे तो उचित रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र सराधना। आप बोलना चाहते हैं ? बोलो-बोलो। मैं नहीं रोक सकता। श्री हफीज मोहम्मद। (व्यवधान) मैं क्या करूं रोक रहे हैं तो। मैं थोड़े ही रोक रहा हूं। मैंने तो काल अपोन किया है।

श्री हफीज मोहम्मद (मांडल) : माननीय पंचायत राज मंत्रीजी ने जिन भावनाओं से पंचायत राज विधेयक पेश किया है, मैं उसका कोई विरोध करना नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर माननीय मंत्री महोदय कुछ हमारे सुझाव जो मैं समझता हूं बहुत ही प्रेक्टिकल हैं उनको स्वीकार करने की कृपा करें। तो पंचायत राज को इससे ताकत मिलेगी। जैसा कि इसमें कहा गया कि जिस वर्ग का प्रधान हटेगा उसी वर्ग का प्रधान बनाया जायेगा। लेकिन उसमें कब बनेगा, जब तक क्या प्रशासक रहेगा या क्या स्थिति उस पंचायत समिति और जिला परिषद की रहेगी। यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, जब कानून में वैधानिक तरीके से उप प्रधान, उप प्रमुख का पद है तो क्यों नहीं वहां पर उप प्रधान को मौका दिया जाये काम करने का।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप यह संशोधन लायें कि जिस वर्ग का प्रधान बनेगा उसी वर्ग का उप प्रधान बनेगा, ताकि उसके हटने के बाद उस उप प्रधान को काम मिल जायेगा और वहां प्रशासक नियुक्त नहीं करना पड़ेगा। इसलिए माननीय मंत्री महोदय को एक तो यह अपना सुझाव देना चाहूंगा। और दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं इसके विरोध में नहीं लेकिन मैं इसका एक प्रस्ताव देना चाहता हूं कि जो व्यक्ति तीन हजार व्यक्तियों से चुन करके सरपंच बनता है क्या तीन सौ आदमी उसको हटाने की सिफारिश कर देंगे, और तीन सौ आदमियों से वह हट जायेगा तो यह चुने हुए प्रतिनिध का अपमान होगा। इसलिए इन दोनों बातों का कृपया आप ध्यान रखें। इसको माने तो बहुत महरबानी होगी। मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। और आपसे निवेदन करता हूं कृपया आप इसको पास करा लें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री सी.पी. जोशी (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो बात कही है मैं उनको ध्यान रखूंगा और कोशिश करूंगा कि पंचायत राज में उनकी भावना के अनुरूप पंचायती राज उन अपेक्षाओं को पूरा कर सके। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है, न तो यह हमारा अहम है। न हम कोई मैसेज देना चाहते हैं। हम यह मैसेज देना चाहते हैं कि राजस्थान में हर वोट डालने वाला, पंचायत में जिसने वार्ड पंच चुना है, जिसने सरपंच चुना है, पंचायत समिति सदस्य चुना है; जिला परिषद

(श्री सी. पी. जोशी)

सदस्य चुना है, वह अपने अधिकार से इस करप्शन को रोक सके। उसकी बोइस के आधार पर फैसला हो सके यह क्लॉज हमने किया है। 38(4) में इन्क्वायरी का प्रोविजन है। 38(4) में इन्क्वायरी का प्रोविजन जो आप साइट कर रहे हैं, हमने जो यह क्लॉज किया है इसमें हम इन्क्वायरी कराना चाहते हैं जनता से। उस जनता की इन्क्वायरी के आधार पर हम काम करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं...

श्री सुरेन्द्र व्यास : I am subject to correction. I want to be informed, what the hon'ble minister says, बिलकुल मैं ग्रहण करूंगा। मुझे आप बता दें जो आपने डाला है इसमें कौनसा इन्क्वायरी का प्रोविजन है। (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : दो मिनट लगेंगे। मैं पढ़ देता हूं। मैं आपकी जानकारी के लिये पढ़ देता हूं कि राज्य सरकार भी किसी पंच को वार्ड सभा की सिफारिश पर, यह वर्ड इज वार्ड सभा की सिफारिश पर, On the recommendation of the Ward Sabha.

वार्ड सभा रिकमंडेशन क्या करेगी इसके सम्बन्ध में हम रूल बना रहे हैं। आप जो कोट कर रहे हैं वह कर रहे हैं 38(4), 38(4) में प्रोविजन है कि इन्क्वायरी के बिना आप किसी को संस्पेंड नहीं कर सकते। हम भी यह पोजीशन रखन चाहते हैं कि वार्ड सभा में जो रिकमण्डेशन होगी, जिस वार्ड सभा के लोग यह कह रहे हैं कि इस आदमी ने भ्रष्टाचार किया है उसके आधार पर, हम उसको आधार बनाना चाहते हैं। This is the concept of social audit. I wish, आपका जो कंसेप्ट है वह स्ट्रिक्टली गोइंग बाई दी रूल्स एण्ड रेगुलेशंस जो आपने प्रेक्टिस की है एल.एल.बी. की। यह नया कंसेप्ट आया है। राइट टू इन्फारमेशन, सोशियल आडिट इसको आप समझेंगे जब समझ नहीं पायेंगे इस चीज को। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2000 को संशोधित रूप में पारित किया जाये ? (व्यवधान)

(स्वीकृत)

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2000 संशोधित रूप में पारित किया गया।

श्री शांतिकुमार धारीवालजी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2000

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-11) को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी। श्री रामनारायणजी।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं अपना नाम वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़, डा. किरोड़ी लाल, श्री सांवर लाल, श्री मदन दिलावर, श्री हीरासिंह चौहान, श्री धर्मपाल चौधरी, (व्यवधान) विराजो आप विराजो। सबने कहा है ना पारित कर दो।

श्री दिग्विजय सिंह : कैसे विराजूं साहब। मेरा प्रवर समिति का वापस ले रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हां ले लो वापस।

श्री दिग्विजय सिंह : नियम है। (व्यवधान) मैं रूलिंग पार्टी का हूं मेरा स्टेण्ड करेगा न।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2000 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड-2 व 3 — कोई संशोधन नहीं।

"प्रश्न यह है कि खण्ड-2 व 3 स्वीकार किये जायं ?"

(स्वीकृत)

खण्ड-2 व 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि— कोई संशोधन नहीं।

"प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जायं ?"

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2000 को परित किया जाय।

विधेयक का पारण

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2000 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : "प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2000 को पारित किया जाय ?"

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2000 को पारित किया गया।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 28 अप्रेल, 2000 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.10 बजे शुक्रवार, दिनांक 28 अप्रेल, 2000 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-32 की सूची)

वार्षिक योजना 1999-2000 में कटौती के कारण बन्द हुए कार्यों की सूचना :

(संख्या में)

क्रम संख्या	जिले का नाम	सड़क निर्माण कार्य	भवन निर्माण कार्य	अपना गांव अपना काम	निर्बन्ध राशि	बत्तीस जिले बत्तीस काम	मेवात क्षेत्रीय विकास योजना
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	53	—	10	—	—	—
2.	अलवर	101	27	—	—	—	—
3.	बांसवाड़ा	9	8	—	3	—	—
4.	बारां	16	8	—	—	—	—
5.	बाड़मेर	51	1	4	—	—	—
6.	भरतपुर	30	1	4	15	46	4

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	भीलवाड़ा	40	—	—	—	—	—
8.	बीकानेर	20	—	—	—	—	—
9.	बूंदी	25	4	—	—	—	—
10.	चित्तौड़गढ़	27	10	—	—	—	—
11.	चूरू	27	—	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	—
12.	दौसा	8	2	—	—	—	—
13.	धौलपुर	22	—	—	—	—	—
14.	डूंगरपुर	13	5	—	—	—	—
15.	गंगानगर	6	—	7	4	—	—
16.	हनुमानगढ़	9	—	21	6	11	—
17.	जयपुर	93	11	—	—	—	—
18.	जैसलमेर	11	3	—	—	—	—
19.	जालौर	28	2	—	—	—	—
20.	झालावाड़	93	14	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	झुन्झुनूं	50	10	—	—	—	—
22.	जोधपुर	93	4	—	—	—	—
23.	करौली	26	9	—	—	—	—
24.	कोटा	49	3	—	—	—	—
25.	नागौर	47	8	—	—	—	—
26.	पाली	45	—	—	—	—	—
27.	राजसमन्द	6	8	—	—	—	—
28.	सवाईमाधोपुर	29	3	—	—	—	—
29.	सीकर	84	17	—	—	—	—
30.	सिरोही	28	7	—	—	—	—
31.	टोंक	—	16	—	—	—	—
32.	उदयपुर	85	39	—	—	—	—
	योग	1224	220	46	28	57	4

नोट : जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल एवं सिचाई विभाग का कोई कार्य बन्द नहीं हुआ है।

परिशिष्ट-2

विभिन्न विकास कार्यों पर हुए व्यय की सूचना

(राशि लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	जिले का नाम	सड़क निर्माण कार्य	भवन निर्माण कार्य	सिंचाई कार्य (आई.जी.एन.पी. के अतिरिक्त)	अपना गांव अपना काम	निर्बन्ध राशि	बत्तीस जिले बत्तीस काम	मेवात विकास	पेयजल कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अजमेर	114.29	110.41	121.14	15.48	5.74	50.49	—	1093.48
2.	अलवर	355.24	90.06	122.02	34.72	24.35	22.12	39.08	641.65
3.	बांसवाड़ा	260.94	78.94	2578.66	50.78	71.56	10.13	—	233.47
4.	बारां	266.09	91.07	953.09	39.27	46.10	34.18	—	234.50
5.	बाड़मेर	317.81	17.61	—	22.87	18.15	13.74	—	1303.20
6.	भरतपुर	117.27	106.02	155.99	8.05	4.14	29.81	22.66	388.68
7.	भीलवाड़ा	81.99	82.36	264.72	38.29	2.50	2.22	—	348.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	बीकानेर	148.65	94.77	—	52.65	117.14	25.64	—	496.60
9.	बूंदी	117.82	29.24	226.77	10.60	6.86	14.60	—	146.69
10.	चित्तौड़गढ़	204.41	68.62	702.07	62.81	12.47	16.72	—	442.33
11.	चूरू	215.83	92.24	—	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	—	3848.20
12.	दौसा	91.18	28.37	25.13	10.66	17.96	15.90	—	258.03
13.	धौलपुर	48.59	49.08	2593.86	43.70	30.48	35.89	—	164.15
14.	डूंगरपुर	203.94	44.58	910.29	59.07	8.48	35.67	—	148.48
15.	गंगानगर	68.75	26.02	189.90	37.40	7.57	14.82	—	1064.25
16.	हनुमानगढ़	216.63	123.30	4152.86	24.46	3.81	0.24	—	3368.67
17.	जयपुर	372.49	409.96	351.47	59.42	36.78	51.76	—	1315.74
18.	जैसलमेर	87.51	57.03	—	8.51	5.98	2.09	—	523.33
19.	जालौर	307.12	12.76	2607.51	86.40	15.19	29.59	—	1190.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	झालावाड़	974.23	43.48	1698.72	0.97	2.89	1.95	—	255.31
21.	झुन्झुनूं	263.50	83.73	—	71.32	17.35	14.69	—	997.64
22.	जोधपुर	291.66	72.71	3.30	4.66	10.92	44.58	—	1829.60
23.	करौली	128.49	44.39	606.80	12.61	22.59	11.69	—	465.35
24.	कोटा	272.12	458.87	448.43	41.14	22.77	28.45	—	481.93
25.	नागौर	714.52	68.80	—	32.59	11.32	36.86	—	1825.67
26.	पाली	487.14	19.43	230.21	50.00	22.85	8.74	—	954.11
27.	राजसमन्द	264.03	124.93	116.01	19.82	7.18	4.60	—	428.05
28.	सवाईमाधोपुर	103.24	35.55	321.19	16.93	71.77	24.38	—	268.99
29.	सीकर	1301.16	52.23	17.29	45.16	30.55	27.12	—	698.56
30.	सिरोही	105.44	21.85	256.69	19.65	5.72	13.45	—	272.03
31.	टोंक	168.83	90.48	2182.34	34.47	5.71	12.44	—	285.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	उदयपुर	280.18	234.36	607.20	72.28	22.35	31.31	—	491.37
	योग	**8951.09**	**2963.25**	**22443.66**	**1086.74**	**689.23**	**665.87**	**61.74**	**26464.98**

नोट : राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल से जिलेवार व्यय की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। विद्युत मण्डल ने वर्ष 1999-2000 के दौरान 76363.21 लाख रु. की राशि व्यय की है जिसमें से विद्युत उत्पादन पर 34390.82 लाख रुपये, ट्रांसमिशन कार्य पर 18956.35 एवं सब ट्रांसमिशन तथा ग्रामीण. विद्युतीकरण पर 23016.04 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है।

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-614 की प्रथम सूचना रिपोर्ट)

प्रतिलिपि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 10/2000 दिनांक 15.1.2000
धारा 467, 468, 471, 353 भादंसं थाना गुड़ाएण्दला, जिला पाली

कार्यालय पंचायत समिति, रानी स्टेशन

क्रमांक : 99/1788 दिनांक 15.1.2000

सेवा में,

श्रीमान् थानाधिकारीजी,
पुलिस थाना–गुड़ाएण्दला।

विषय :– सरपंच निम्बाड़ा द्वारा फर्जी पट्टे जारी करने पर मैं रेकार्ड जब्त करने गया तो राजकीय कार्य में बाधा डाली व पंचायत से बाहर निकालने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम पंचायत निम्बाड़ा के सरपंच द्वारा प्रतापगढ़ में गोचर भूमि में अधिसूचना जिला कलेक्टर पाली के आदेश के बाद में पिछली तारीखों में 84 पट्टे जारी कर दिये हैं जिसका अवलोकन ग्रुप सचिव नरेन्द्रपुरी व मैंने किया तो सरपंच लक्ष्मण सिंह द्वारा कुल 84 पट्टे गोचर भूमि में ग्रुप सचिव के फर्जी हस्ताक्षर करने पाये गये तथा वार्ड पंचों के भी फर्जी अंगूठे व हस्ताक्षर पाये गये इस प्रकार सरपंच ने पट्टों पर बिना मिसल नम्बर व दर्ज नम्बर बिना कुल वर्ग फीट बताये हजारों रुपये लेकर जनता को धोखा देकर पैसे लेकर बिना रोकड़ व कम पैसे की रसीद काटकर हजारों रुपयों का सरकार को नुकसान पहुंचाया तथा कीमतन पट्टों को आबादी भूमि बताकर गोचर भूमि में पुराना कब्जा बताकर पट्टे जारी किये हैं तथा कीमतन पट्टों पर ग्रुप सचिव के व वार्ड पंचों के फर्जी हस्ताक्षर करके तैयार किये हैं। आज मैं व ग्रुप सचिव नरेन्द्रपुरी निम्बाड़ा सरपंच लक्ष्मण सिंह के पास गये और रोकड़ बही व रसीद बुक मांगी तो सरपंच लक्ष्मण सिंह ने मुझे व ग्रुप सचिव को मना कर दिया और हम दोनों को पंचायत से बाहर निकाल दिया और राजकीय कार्य में बाधा डाली व अमानवीय व्यवहार किया गया और ग्राम पंचायत के ताला देकर चाबी लेकर चला गया व संबंधित रेकार्ड भी अपने साथ लेकर चला गया ये फर्जी पट्टे लक्ष्मण सिंह व बहादुर सिंह व अन्य लोगों की मिली भगत से कीमतन दस्तावेज फर्जी तौर पर बनाये हैं जिनको जब्त किये जायें तथा उनके बयान लिखाये कि वास्तव में

कितने कितने पैसे लेकर पट्टे दिये हैं तथा वार्ड पंचों व साक्षीगण भी अंगुठे फर्जी दिये हैं। जनता को बड़ा भारी धोखा दिया है। सरपंच व बहादुर सिंह द्वारा ड्यूटी में बाधा डालने में मैं व ग्रुप सचिव नरेन्द्रपुरी जिला कलेक्टर पाली के पास गये व सारे हालात लिखित में बताये गये तब जिला कलेक्टर साहब ने मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। राज्य सरकार के अनुसार ग्राम पंचायतों के चुनाव सुनिश्चित है। इस कारण लक्ष्मणसिंह पुत्र भीकसिंह राजपुरोहित निम्बाड़ा व बहादुर सिंह राजपूत निजी सचिव को तुरंत गिरफ्तार कर रोकड़ बही व रसीद बुक बरामद करावे नहीं तो इसमें भी कांट-छांट करेगा। फर्जी इन्द्राज करेगा। इस प्रकार सरपंच व निजी सचिव द्वारा आबादी भूमि का कहकर गोचर भूमि में व अन्य जगहों के जारी किये गये पट्टों की सूची साथ संलग्न है। व जिन लोगों को फर्जी हस्ताक्षर किये गये पट्टे दिये हैं उन लोगों से असल पट्टे बरामद किये जावे। ताकि चुनावों में बाधा नहीं आवे।

सही/-
विकास अधिकारी
पंचायत समिति-रानी स्टेशन

थाना-गुडाएण्दला, दिनांक 15.1.2000 वक्त 12.15 पी.एम.

इस वक्त यह लिखित टाइप सुदा रिपोर्ट प्रार्थी श्री भंवर मोहम्मद पुत्र श्री जमाल खां जाति-लुहार (मुसलमान) उम्र 40 साल निवासी-बागीपाडा थाना-जैतारण जिला पाली हाल विकास अधिकारी पंचायत समिति रानी (पाली) ने हाजिर थाना होकर पेश की। मजमुन रिपोर्ट प्रार्थी को पढ़कर सुन-समझ सही मान हस्ताक्षर किये।

सही/-

कार्यवाही पुलिस

मजमुन रिपोर्ट व बताये हालात से मामला जुर्म धारा-467, 468, 471, 353 आईपीसी का घटित होना पाया जाता है। अतः मुकदमा नं.-10 तारीख इमरोजा जुर्म उपरोक्त में दर्ज कर तफ्तीश जाप्ता शुरू की गई। एफ.आई.आर. की प्रतियां नियमानुसार जारी कर एक प्रति प्रार्थी को निःशुल्क दी गई।

सही/-

सही/-
थानाधिकारी
गुडाएण्दला-थाना

परिशिष्ट-3

(तारांकित प्रश्न संख्या-616 का विवरण)

राज्य की विभिन्न सहकारी संस्थाओं में अनु. जाति/ अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये आरक्षण की व्यवस्था का विवरण

1. कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां (लगभग 5 हजार)

अनुसूचित जाति	1 पद
अनुसूचित जनजाति	1 पद
अन्य पिछड़ा वर्ग	1 पद
महिला सदस्यों हेतु	1 पद

2. दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां (संख्या लगभग 4 हजार)

कमजोर वर्ग हेतु	2 स्थान
महिला सदस्यों हेतु	1 स्थान

3. केन्द्रीय सहकारी बैंक

कमजोर वर्गों हेतु	3 स्थान

4. प्राथमिक भूमि विकास बैंक

अनुसूचित जाति हेतु	1 स्थान
अनुसूचित जनजाति हेतु	1 स्थान
अन्य कमजोर वर्ग हेतु	1 स्थान

5. क्रय विक्रय सहकारी समितियां

अनुसूचित जाति हेतु	1 स्थान
अनुसूचित जनजाति हेतु	1 स्थान

6. होलसेल उपभोक्ता भण्डार

अनुसूचित जाति हेतु	1 स्थान
अनुसूचित जनजाति हेतु	1 स्थान
महिला सदस्य हेतु	1 स्थान

हं.

परिशिष्ट-4

(अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर)

कोटा शहर के लघु उद्योगपतियों का विद्युत मीटर प्रकरण

612. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कोटा शहर में लगभग 55 लघु उद्योगपतियों को तथाकथित 5 वर्ष चले धीमे मीटर के नाम पर लगभग 60 लाख रुपये जमा कराने हेतु नोटिस दिया गया है ? यदि हां, तो अब क्यों ?

(2) राज्य विद्युत मंडल अधिनियम की धारा 1910 की धारा 26/6 के अन्तर्गत यदि 3% मीटर धीमा चलता है तो क्या प्रावधान है ?

(3) विद्युत मीटर धीमा व तेज चलता है तो इस विवाद का निपटारा कौन करता है ?

(4) मीटर धीमा चला इसके लिए क्या मंडल जिम्मेदार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या उद्योगपतियों को इस प्रकार नोटिस देकर धन वसूलना न्यायसंगत है ?

उत्तर

(1) कोटा वृत्त के कोटा शहर में वर्ष 1994-95 व 1995-96 के आन्तरिक अंकेक्षण के दौरान जो कि माह जून व जुलाई, 1999 में किया गया था, में यह पाया गया कि 65 मध्यम श्रेणी के औद्योगिक उपभोक्ताओं के मीटर दोषपूर्ण होने पर भी इनका राजस्व का आकलन नहीं हुआ है। अतः अंकेक्षण दल द्वारा 17.24 लाख रुपये के राजस्व का आकलन किया गया। इसी आकलन के आधार पर माह अक्टूबर, 1999 व माह दिसम्बर, 1999 के बिलों में यह राशि जोड़ी गयी थी।

(2) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल अधिनियम के नाम से कोई अधिनियम नहीं है। भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 के प्रावधान राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल पर लागू होते हैं, जिसकी धारा 26(6) के अन्तर्गत मीटर के तीन प्रतिशत धीमा चलने के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 57 के अनुसार मीटर के तीन प्रतिशत धीमा होने पर भी मीटर को सही माना जायेगा।

(3) मीटर धीमा या तेज चलने के प्रकरणों का निस्तारण विद्युत मंडल की जनरल कन्डीशन आफ सप्लाई की धारा 19(डी) के अनुसार मंडल अधिकारियों द्वारा किया जाता है। आवश्यकता होने पर मीटर टैस्टिंग लैब में जांच कर टैस्ट रिपोर्ट के आधार पर निर्णय किया जाता है। उपभोक्ता चाहे तो मामला समझौता समिति के द्वारा भी तय करवा सकता है।

(4) मीटर एक यांत्रिक उपकरण है जो कि यांत्रिक व अन्य कारण से दोषपूर्ण हो सकता है। इसके लिए किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

(5) उद्योगपतियों को दी गई बिजली का सही प्रकार मूल्यांकन करना तथा उसकी

(ऊर्जा मंत्री)

वसूली के लिए नियमानुसार नोटिस दिया जाना न्यायोचित है।

बमोरी कलां से लालकोठी (बारां) की अधूरी सड़क

613. **श्री शिवनारायण** (बारां) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या फतेहपुर से घीसरी सड़क कृषि उपज मण्डी द्वारा मंजूर हुई थी ? यदि हां, तो कौनसे वर्ष में और अब तक उक्त सड़क का कितना निर्माण कार्य कराया जा चुका है ?

(2) क्या उक्त अपूर्ण सड़क को बनाने के लिए मण्डी समिति प्रयासरत है ? यदि हां, तो कब तक बना दी जाएगी ?

(3) बमोरी कलां से लालकोठी तक मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली सड़क कौनसे वर्ष में मंजूर हुई थी और वह कितनी बन चुकी है ? अब उक्त अपूर्ण सड़क को कब तक पूर्ण करा दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी हां। सड़क वर्ष 1987 में स्वीकृत हुई थी तथा 750 मीटर लम्बाई में सड़क बन चुकी है।

(2) जी हां। संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा सड़क का निर्माण कार्य एक वर्ष में पूर्ण करवाया जाना प्रस्तावित है।

(3) प्रश्नांकित सड़क वर्ष 1989 में स्वीकृत हुई थी। 1.6 कि.मी. लम्बाई में कार्य हो चुका है। इस सड़क की 3.00 कि.मी. (मिसिंग लैन्थ) का प्रकरण विचाराधीन है।

पुलिस थाना गुड़ा ऐनला (पाली) में दर्ज प्रकरण

614. **श्री बाबूलाल नागर** (दूदू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विकास अधिकारी पंचायत समिति रानी (पाली) ने ग्राम पंचायत निम्बाड़ा के पूर्व सरपंच के विरुद्ध फर्जी पट्टे बनाने का मुकदमा पुलिस थाना गुड़ा ऐनला में दर्ज कराया है ? यदि हां, तो कब ? प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि थाना प्रभारी ने अभियुक्त से सांठ-गांठ कर अभी तक न्यायालय में चालान पेश नहीं किया है और अभियुक्त को गिरफ्तार भी नहीं किया है ?

(3) क्या सरकार उक्त थाना प्रभारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? क्या सरकार उसका स्थानान्तरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि विकास अधिकारी पंचायत समिति रानी (पाली) ने दिनांक 15.1.2000 को थाना गुड़ा ऐन्दला पर पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत निम्बाड़ा के विरुद्ध फर्जी पट्टे बनाने एवं राज कार्य में बाधा पहुंचाने के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट पेश की, जिस पर अभियोग संख्या 10 अन्तर्गत

(गृह मंत्री)

धारा 467, 468, 471, 353 भा.दं.सं. में पंजीबद्ध किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-"अ" में संलग्न है।

(2) यह सही नहीं है। प्रकरण का अनुसंधान जारी है। अनुसंधान पूर्ण होने पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(3) जी नहीं। इस बारे में अगर कोई अनियमितता पायी गई तो तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर में किसानों को पौधे लगाने हेतु प्रोत्साहन

618. **श्री अमीन खान** (शिव) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर में कितनी नर्सरियां लगाई गई हैं और उसमें कितने-कितने पौधों को लगाने की व्यवस्था है ?

(2) क्या सरकार किसानों को अपने खेतों व ढाणियों में पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

उत्तर

(1) बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में वन विभाग द्वारा 84 पौधशालाओं में तहत्तर लाख छियालीस हजार पौधे तैयार किये जा रहे हैं।

(2) जी हां। किसानों को अपने खेतों एवं ढाणियों पर पौधे लगाने के लिए विभाग द्वारा मामूली कीमत लेकर पौधे वितरित किये जाते हैं।

राज्य महिला आयोग में शोध अधिकारी के पद पर नियुक्ति

619. **श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) महिला आयोग की चेयरमैन पर आयोग के गठन से फरवरी, 2000 तक सरकार ने पेट्रोल, ड्राइवर, टेलीफोन तथा कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों और अन्य मदों पर मदवार कुल कितनी राशि व्यय की है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) चेयरमैन एवं सदस्यों को प्रतिमाह कितना-कितना वेतन एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध हैं ?

(3) क्या आयोग की चेयरमैन संघीय लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार मंडल में साक्षात्कार लेने माह सितम्बर, अक्टूबर एवं नवम्बर, 1999 में गई ? यदि हां, तो कितने दिन ? क्या इसके लिये उन्होंने राज्य सरकार से अवकाश लिया ?

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

(4) राज्य महिला आयोग के जेन्डरसेल में शोध अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई ? क्या भर्ती/प्रतिनियुक्ति हेतु योग्यता निर्धारित कर रिक्त पद हेतु विज्ञापन जारी कर योग्य प्रत्याशियों को आमंत्रित किया गया ? यदि हां, तो कितने प्रत्याशियों ने आवेदन किया और नहीं, तो क्यों ? योग्यता सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) राज्य महिला आयोग के जैन्डर-सेल में यूनिसेफ से वेतन भत्तों, एवं कार्यालय व्यय हेतु अब तक कितनी राशि प्राप्त हुई और उसका व्यय किस प्रकार किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) महिला आयोग की अध्यक्ष महोदया पर आयोग के गठन से फरवरी, 2000 तक सरकार ने पेट्रोल, ड्राइवर, टेलीफोन एवं कर्मचारियों पर कुल रू. 296367/- खर्च किये हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) आयोग की अध्यक्षा को केबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। आयोग की अध्यक्षा अवैतनिक है। इन्हें एक वाहन, एक टेलीफोन कार्यालय हेतु एवं एक टेलीफोन निवास हेतु उपलब्ध है। सदस्यों को कोई वेतन नहीं दिया जाता है व इनको बैठक भत्ता व अन्य सुविधाएं देय हैं। जो परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां, संघ लोक सेवा आयोग विभिन्न पदों के साक्षात्कार हेतु समय-समय पर विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित करता है, जिसका विवरण गोपनीय रहता है। अध्यक्षा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, अतः उन्हें अवकाश स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

(4) महिला आयोग के जैण्डर सेल में सृजित शोध अधिकारी के पद को प्रतिनियुक्ति से भरने का निर्णय लिया गया था। इस अधिकारी को व्याख्याता, राजकीय महाविद्यालय, कोटा से प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है। प्रतिनियुक्ति द्वारा पद भरने हेतु विज्ञापन जारी करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में शोध अधिकारी के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है।

(5) राज्य महिला आयोग को जैण्डर सेल हेतु यूनिसेफ से प्राप्त राशि एवं व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :-

प्राप्त राशि

रु. 1,60,000/-	दिनांक 31.12.99 को यूनिसेफ से
रु. 1,17,912/-	दिनांक 28.3.2000 को महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से यूनिसेफ द्वारा प्राप्त।
रु. 2,77,912/-	

व्यय राशि माह फरवरी, 2000 तक

रुपये 1,73,645/-	वेतन फरवरी, मार्च, 2000, समर्पित वेतन तथा वेतन स्थरीकरण एरियर, दिसम्बर., 98 से जनवरी,2000 तक
रुपये 7,255/-	यातायात
रुपये 975/-	अन्य
रुपये 1,81,875/-	

परिशिष्ट-"अ"

महिला आयोग की अध्यक्षा पर आयोग के गठन से फरवरी, 2000 तक पेट्रोल, वाहन चालक, दूरभाष तथा कर्मचारियों पर हुए व्यय का मासिक ब्यौरा :

क्र.सं.	माह	पेट्रोल	वाहन चालक	दूरभाष	कर्मचारियों का वेतन	
					व. लिपिक	क. लिपिक
1	2	3	4	5	6	7
1.	मई, 99	1742.00	6316.00	—	—	—
2.	जून, 99	12036.00	6446.00	—	—	—
3.	जुलाई, 99	5500.00	6964.00	6114.00	10562.00	6501.00
4.	अगस्त, 99	4308.00	7510.00	—	10562.00	6501.00
5.	सितम्बर, 99	9033.00	7510.00	6069.00	11178.00	6713.00
6.	अक्टूबर, 99	5004.00	7510.00	—	11178.00	6713.00
7.	नवम्बर, 99	9666.45	7510.00	3229.00	11178.00	6713.00
8.	दिसम्बर, 99	12460.55	3393.00	—	11178.00	6713.00

1	2	3	4	5	6	7
9.	जनवरी, 2000	11092.00	—	4813.00	11178.00	6713.00
10.	फरवरी, 2000	6644.00	3365.00	—	11178.00	6713.00
11.	अन्य भत्ते	—	—	—	930.00	130.00
	योग	77486.00	56624.00	20225.00	89122.00	53410.00

महिला आयोग का निजी कार्यालय न होने की वजह से सदस्य सचिव, सदस्यगण व अन्य कर्मचारी भी अध्यक्षा कार्यालय में ही बैठते हैं व टेलीफोन एवं जो अन्य सुविधायें हैं, उनका उपयोग महिला आयोग के लिए ही होता है।

परिशिष्ट-"ब"

मंत्रिमण्डल सचिवालय की आज्ञा क्रमांक प.11(1)मं.मं./99 दिनांक 6.1.2000 के द्वारा महिला आयोग के सदस्यों को देय बैठक भत्ता व अन्य सुविधाओं का विवरण

1. राजकीय कार्य से बैठक में भाग लेने हेतु/

(क)	बैठक में उपस्थिति फीस (प्रत्येक बैठक हेतु)	रुपये 300/— (राज्य में) रुपये 400/— (राज्य के बाहर)
(ख)	कंवेंस एलाउन्स (स्थानीय)	रुपये 50/— प्रतिदिन बैठक में भाग लेने पर

(ग) यात्रा भत्ता "ए" श्रेणी के अधिकारियों को देय दर के अनुसार

2. 900 काल्स प्रति दो माह तक की सीमा तक टेलीफोन बिल की राशि का पुनर्भरण देय है।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के विकलांग व्यक्तियों को पेंशन

620. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) एवं **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में विधवा/विकलांग/वृद्धावस्था वाले व्यक्तियों को प्रति माह किस दर से पेंशन स्वीकृत की जाती है ? उक्त पेंशन प्राप्त करने के लिए क्या नियम हैं ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार बहरे/विकलांग व्यक्तियों को भी सुनने के यंत्र एवं विकलांग व्यक्त्यिों को ट्रायी साइकिलें या अन्य उपकरण जिससे वह चल सके निःशुल्क उपलब्ध कराता है ? यदि हां, तो इसके क्या नियम हैं ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस वर्ष उक्त पेंशन में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी ?

(4) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में ऐसे कुल कितने व्यक्तियों के पेंशन स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र विचाराधीन हैं ? उसमें से कितने व्यक्तियों को वर्ष 1999-2000 तक उक्त राशि दी गई ?

उत्तर

(1) राज्य में विधवा/विकलांग/वृद्धावस्था वाले व्यक्तियों को निम्नानुसार पेंशन स्वीकृत की जाती है :—

1. विधवा पेंशन (किसी भी आयु की) — 200 रु. प्रतिमाह
2. विकलांग पेंशन (आठ वर्ष से) — 200 रु. प्रतिमाह
3. वृद्धावस्था :
   1. वृद्ध महिला (55 वर्ष से अधिक) — 200 रु. प्रतिमाह
   2. वृद्ध पुरुष (58 से 65 वर्ष तक) — 100 रु. प्रतिमाह
   3. वृद्ध पुरुष (65 वर्ष से अधिक) — 200 रु. प्रतिमाह
   4. संयुक्त पेंशन (पति और पत्नी) — 300 रु. प्रतिमाह

पेंशन की उपरोक्त दरें दिनांक 1.6.99 से प्रभावशील है। नियमों की प्रति संलग्न है। (एनेक्सर-1)

(2) जी हां। नियमों की प्रति संलग्न है। (एनेक्सर-2)

(3) जी नहीं।

(4) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में प्राप्त सूचनानुसार विधवा/विकलांग/वृद्धावस्था वाले व्यक्त्यिों के निम्नानुसार आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं एवं स्वीकृत होने पर पेंशन उपलब्ध कराई जायेगी।

राष्ट्रीय वृद्धावस्था	राज्य वृद्धावस्था	विधवा	विकलांग
865	—	222	466

(नियमों की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तारांकित प्रश्न संख्या-621

(स्थगित)

राज्य के शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगारों को कियोस्क का आवंटन

622. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या वर्तमान मुख्य मंत्री एवं स्वायत्त शासन मंत्री ने राजस्थान में दो लाख कियोस्क (गुमटियां) का निर्माण कर राज्य के बेरोजगार शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों को उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो अब तक कितने कियोस्क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कितने कियोस्क आवंटित किये जा चुके हैं ?

(2) क्या बनाये गये कियोस्क के आवंटन हेतु कोई दिशा-निर्देश सरकार ने जारी किये हैं ? यदि हां, तो दिशा-निर्देश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य में उक्त कियोस्क का आवंटन दिशा-निर्देश के अनुसार कर दिया गया है ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को आवंटित किया गया है ?

उत्तर

(1) मुख्य मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में चार लाख कियोस्क (गुमटी) का निर्माण चार वर्षों में किया जाकर शिक्षित युवा बेरोजगार, असहाय, विधवा, परित्यक्ता महिला, अपंग एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले राजस्थान के मूल निवासियों को रोजगार हेतु गुमटी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। नगरीय क्षेत्रों में प्रथम चरण में राज्य के प्रथम श्रेणी के 14 शहरों में मार्च, 2000 तक 1998 कियोस्क का निर्माण किया गया है। अब तक 264 कियोस्क का आवंटन किया गया है।

(2) कियोस्क का आवंटन जिला कलेक्टर्स की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा। आवंटन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। निर्देशों की प्रति संलग्न है।

(3) कियोस्क का आवंटन जिला कलेक्टर्स की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जा रहा है/किया जायेगा जिसमें क्षेत्रीय विधायक स्थाई सदस्य होंगे। अब तक 264 कियोस्क का आवंटन किया गया है।

आवेदक या उसका परिवार पिछले 10 वर्षों से वहां का स्थाई निवासी है। आवेदक को शपथ-पत्र में अपनी आय का सही ब्यौरा, परिवार के सदस्यों के नाम, आजीविका का जरिया, उसके पास की दुकान, सिंचित कृषि भूमि, असिंचित कृषि भूमि आदि का विवरण भी देना होगा। 3000/– रुपये प्रतिमाह से अधिक की आय अर्जित करने वाला आवेदन का पात्र नहीं होगा। सिंचित कृषि भूमि 10 बीघा एवं असिंचित 25 बीघा कृषि भूमि से अधिक भूमि वाला व्यक्ति भी इसके लिए पात्र नहीं होगा। पूर्व में व्यावसायिक दुकान होगी तो भी ऐसे व्यक्ति कियोस्क आवंटन का पात्र नहीं होगा। इन सभी बातों का सत्यापित उल्लेख एक ही शपथ-पत्र में किया जा सकता है।

5. कियोस्क आवंटन में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण निम्न प्रकार होगा/

(1) अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 20% आरक्षण।

(2) अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 20% आरक्षण।

(3) विकलांगों के लिए 10% आरक्षण।

(4) सैनिक विधवाओं व भूतपूर्व सैनिकों व अन्य विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं के लिए 10% आरक्षण।

(5) शेष बेरोजगारों के लिए 40% आरक्षण।

6. कियोस्क आवंटन के पश्चात आवंटी वही व्यवसाय करेगा जिसके लिए उसने आवेदन में उल्लेख किया है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित स्थानीय निकाय/न्यास प्राधिकरण द्वारा उसे बेदखल कर दिया जायेगा। रोजगार न चलने की अवस्था में व्यवसाय परिवर्तन करने की लिखित अनुमति संबंधित स्थानीय निकाय में लेनी होगी।

7. आवंटी कियोस्क को किसी अन्य को किराये पर नहीं देगा व न ही हस्तान्तरित करेगा।

8. आवश्यकतानुसार संबंधित स्थानीय निकाय/न्यास/प्राधिकरण ही कियोस्क को अन्यत्र शिफ्ट कर सकेंगे।

9. कियोस्क का वर्तमान स्वरूप कायम रहेगा। उसकी छत पर या जमीन के नीचे कोई निर्माण नहीं कराया जायेगा एवं कियोस्क के आगे की जमीन का भी उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

10. कियोस्क की निर्धारित किस्तें जमा नहीं कराने पर आवंटन निरस्त किया जा सकेगा जिसके लिए संबंधित निकाय/न्यास/प्राधिकरण निर्णय लेगी।

11. यदि कियोस्क के आसपास या शहर के कहीं अन्यत्र भी आवंटी द्वारा अतिक्रमण पाया गया तो उसके आवेदन-पत्र/लाइसेंस को Withdraw करके उसे संबंधित निकाय/न्यास/प्राधिकरण द्वारा बेदखल कर दिया जायेगा।

12. अलग-अलग शहरों में कियोस्क अलग-अलग स्थानों पर बनाये गये हैं इसलिए आवंटी को कियोस्क आवंटन का निर्णय समिति द्वारा साक्षात्कार लेकर चयन करने के उपरान्त कियोस्क का आवंटन लाटरी से किया जायेगा। जिस आवंटी की लाटरी जिस स्थान पर जिस कियोस्क संख्या के लिए निकलेगी उसे वहीं कियोस्क उपलब्ध कराया जायेगा। अनुज्ञा-पत्र वही निकाय जारी करेगी जिसने कियोस्क का निर्माण कर लिया है।

13. आवंटी चार वार्षिक किश्तों में कियोस्क की निर्माण राशि जमा कराने के लिए स्वतंत्र होगा किन्तु यदि आवंटी पूरी राशि जमा करा देता है तो उसे UOC (Use and occupation Licence) दस वर्ष की अवधि के लिए उसी समय दे दिया जायेगा अन्यथा एक किश्त जमा कराने पर कियोस्क का कब्जा तो उसे दे दिया जायेगा। किन्तु लाइसेंस पूरी राशि जमा कराने पर दस वर्ष में बची हुई बाकी अवधि के लिए दिया जायेगा।

14. उपलब्ध कियोस्क के आवंटन के पश्चात जो पात्र व्यक्ति बच जायेंगे उन्हें आगे निर्माण होने वाली कियोस्क के आवंटन में शामिल करने के लिए रखा जायेगा। इसके लिए प्राथमिकता क्रम में सूची सुरक्षित रखी जायेगी।

15. आवंटित कियोस्क का स्वामित्व सम्बन्धित स्थानीय निकाय/न्यास/प्राधिकरण का होगा।

बुनकर सहकारी संघ में कपड़ा माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही

623. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ के किसी अधिकारी ने कपड़ा माफियाओं के नाम उजागर करते हुये कागजी सहकारी समितियों के सम्बन्ध में शिकायत की है ? यदि हां, तो कब व किसने किसको पत्र लिखा ? पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें। उक्त सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही किस-किसके विरुद्ध कब-कब की गई ? सम्बन्धित सहकारी समितियों से खरीद का वर्ष 1993-94 से फरवरी, 2000 तक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सहकारी संघ के महा-प्रबन्धक ने भी माननीय मुख्य मंत्री, रजिस्ट्रार व प्रशासक बुनकर संघ को पत्र लिखा ? यदि हां, तो पत्र की प्राप्ति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बुनकर संघ के श्री सूरजभान सिंह, पूर्व सहायक प्रबन्धक ने 29.8.97 को प्रशासक, राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि., जयपुर, तथा श्री बी. एल. रावत, महाप्रबन्धक, बुनकर संघ ने प्रबन्ध संचालक, बुनकर संघ को 18.9.97 को, तथा श्री रावत द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जयपुर को बिना दिनांक लिखा गया पत्र उन्हें 4.10.97 को प्राप्त हुआ, जिसकी प्रति प्रशासक, बुनकर संघ को भी प्रेषित की गई। इन शिकायतों पर सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही उद्योग निदेशालय द्वारा की जा रही है। अलबत्ता पूर्व जांच अधिकारी के स्थानान्तरण एवं अन्य प्रशासकीय कारणों से जांच अधिकारी की नियुक्ति में कुछ देरी अवश्य हुई है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर जांच में दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। (प्रतियां परिशिष्ट-"क", "ख", "ग" पर संलग्न है) वर्ष 93-94 से अब तक सहकारी समितियों से की गई खरीद का विवरण परिशिष्ट-"घ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। उपरोक्तानुसार प्रति संलग्न है। परन्तु माननीय मुख्य मंत्रीजी को ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा गया है।

(विवरण की प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

विधान सभा क्षेत्र डीग में सड़क मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि

624. **श्री अरूण सिंह** (डीग) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर में वर्ष 1995 एवं 1996 में अतिवृष्टि/बाढ़ से कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थीं ? यदि हां, तो उक्त क्षतिग्रस्त सम्पर्क सड़कों की मरम्मत के लिए बोर्ड द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अरूण सिंह)

(2) क्या यह भी सही है कि अधिशासी-अभियन्ता कृषि विपणन बोर्ड भरतपुर द्वारा उक्त सड़कों की मरम्मत के लिए प्रस्ताव बनाये गये थें ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि अभी तक क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो क्यों और अब मरम्मत कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

(4) सरकार ने उक्त सड़कों की मरम्मत के लिए वर्ष 1999-2000 के बजट में कितनी राशि की व्यवस्था की थी और कितनी राशि व्यय की जा चुकी है तथा कितनी शेष है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) राज्य सरकार ने वर्ष 2000-2001 के बजट में डीग विधान सभा क्षेत्र के लिए सड़कों की मरम्मत करने हेतु कितनी राशि का प्रावधान रखा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1995 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत बोर्ड द्वारा कराई गई तथा वर्ष 1996 में क्षतिग्रस्त सम्पर्क सड़कों की मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु सड़कें राशि सहित सार्वजनिक निर्माण को हस्तान्तरित की गई हैं उनका विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है। जिन सड़कों पर कार्य कराया जाना है उनका विवरण परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(2) जी हां। डीग एवं कामां मण्डी की सड़कों को छोड़कर अन्य समस्त कार्यों हेतु तकमीने के अनुसार राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित की जा चुकी है।

(3) जी नहीं। डीग एवं कामां मण्डी की सड़कों को छोड़कर समस्त कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा शुरू किये जा चुके हैं। डीग मण्डी की आर्थिक स्थिति ठीक होने पर ही सड़कों की मरम्मत कराया जाना सम्भव होगा तथा कामां मण्डी की सड़कों की मरम्मत हेतु धनराशि प्रेषित किए जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

(4) वर्ष 1999-2000 के बजट में नगर मण्डी की सड़कों के लिए 8.52 लाख रु. का प्रावधान किया गया है जिसमें से मार्च, 99 तक 2.48 लाख रु. व्यय किए गए हैं।

(5) मण्डी समिति डीग की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण राशि का प्रावधान नहीं किया है।

परिशिष्ट-"अ"

क्र.सं.	जिला	कृ. उ. म. स.	सम्पर्क सड़क का नाम	वर्तमान प्रगति
1	2	3	4	5
1.	भरतपुर	1. भरतपुर	1. स. स. मथुरा रोड से तुहिया	कार्य पूर्ण
			2. " " मथुरा रोड से जघीना	" "
			3. " " मथुरा रोड से तामरोली	" "
			4. " " मथुरा रोड से मोरोली कला	" "
			5. " " कुम्हेर रोड से बोरई	" "
			6. " " सांतरुक से ओल्ड बार्डर	" "
			7. " " डीग रोड से सुपावात	" "
			8. " " अस्तावन नदबई रोड गुदावली	" "
			9. " " अस्तावन नड़बई रोड से गुदावली पडोला	" "
			10. " " चितकोरी पपरेरा रोड से सोनेरा	" "
			11. " " लुधावडा से अबार	" "
			12. " " कुम्हेर नदबई रोड से सिकरोली जहांगीरपुर	" "

1	2	3	4	5
			13. स. स. नगला परशुराम से सूती फुलवाड़ा	कार्य पूर्ण
			14. " " बेलारा से कृषि विज्ञान केन्द्र	" "
			15. " " सेवर हेलक रोड से चितकोरी	" "
			16. " " अभोरा से अजान	" "
			17. " " पीपला रोड से नगला गुलाबी	" "
			18. " " अजान से ताखा	" "
			19. " " हरीदास बस स्टेण्ड से गोलपुरा	" "
			20. " " डीपो रोड से कसौदा बावेन सह	" "
			21. " " कुम्हेर रोड से गुंड़वा	" "
			22. " " सैंथरा जाटोली रोड से बिलोठी	" "
			23. " " पीपला से महचोली	" "
			24. " " गांवड़ी रोड से पीर नगर	" "
			25. " " महुवा से धौर	" "
			26. " " भरतपुर आगरा रोड से धसौला	" "

1	2	3	4	5
			27. स. स. रुपवास रोड से कल्याणपुरा	कार्य पूर्ण
			28. " " रामनगर धमौरा से करेड़ा	" "
			29. " " सेवर उज्जैन रोड से श्योराना	" "
			30. " " रूपवास रोड से धनागढ़	" "
			31. " " भरतपुर आगरा रोड से नगलाखोरी	" "
			32. " " रूपवास रोड से नगला चौबे	" "
			33. " " मथुरा रोड से लुधावड़ा	" "
			34. " " सेवर रोड से बंजी	" "
		2. नदबई	1. " " नदबई खेड़ली रोड से झारोली	" "
			2. " " नदबई हलैना रोड से गुदावली	" "
			3. " " नदबई डेहरा रोड से खेड़ा देवीसिंह	" "
			4. " " रोनीजा से कोलारी	" "
			5. " " पहरवर पुलिया से दोहिता	" "
			6. " " नदबई हैलना रोड से न्याथा	" "

1	2	3	4	5
			7. स. स. नदबई खेड़ली रोड़ से. गांगरोली	कार्य पूर्ण
			8. " " तालछेड़ा	" "
			9. " " चोर पीपड़ी से खेड़ानाम	कार्य प्रगति पर
		3. बयाना	1. स.स. रूपवास रोड से सिरसौंदा	कार्य पूर्ण
			2. " " रुदावल से खेड़ा ठाकुर	" "
			3. " " रुदावल से माड़ापुरा	" "
		4. नगर	1. स.स. खरवावली बरखेड़ा फौजदार	" "
			2. " " डीग रोड से दूनावल	कार्य प्रगति पर
			3. " " नगर अलवर रोड से चिरावलगुर्जर	" "
			4. " " नगर अलवर रोड से बूचाका	" "
			5. " " मनोता कलां से मनौता खुर्द	" "
			6. " " नगर डीग रोड से पूंछरी	" "
			7. " " नगर सीकरी रोड से रनियाला	" "
			8. " " नगर सीकरी रोड से बेला	" "

परिशिष्ट-"ब"

सम्पर्क सड़कें जिन पर मरम्मत कार्य करवाया जाना है

क्र.सं.	जिला	मंडी समिति का नाम	सम्पर्क सड़क का नाम
1.	भरतपुर	डीग	1. स.स. मोरोली से मवई
			2. " " पान्हेरी जनूथर रोड से मोरोली
			3. " " डीग से बरई
			4. " " डीग सीकरी रोड से गुहाना
			5. " " खोह से बरई
			6. " " घाटा से धमारी
			7. " " बेढम से अजारी
			8. " " पात्ता से नारायण
			9. " " डीग से अकलेरा
			10. " " कोरेर से कातोट
			11. " " बेढम प्याउ से बेढम गांव
		कामां	1. स.स. कामां से करमा का बास
			2. " " उचाका से अलाका
			3. " " कामां पहाड़ी रोड से बीलखेड़ा
			4. " " गुरेरा से दादेरा
			5. " " सैतन से बामनवाड़ी
			6. " " सोनेवर से नौनेरा

जिला करौली एवं सवाईमाधोपुर में डकैतों द्वारा अपहरण की घटनाओं की रोकथाम

625. **डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला करौली एवं सवाईमाधोपुर में डकैतों द्वारा अपहरण कर लोगों से फिरौती लेने की अनेकों घटनाएं घटित हुई हैं ? यदि हां, तो थानावार प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पुलिस ने ऐसे प्रकरण में क्या कार्यवाही की है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पुलिस ने डकैत गैंग को चिन्हित किया है ? यदि हां, तो कौन-कौन डकैत गैंग सक्रिय हैं ?

(4) क्या सरकार डकैतों के इस गौरख धन्धे पर रोक लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) माह जनवरी, 1999 से अब तक जिला करौली एवं जिला सवाईमाधोपुर में दस्युगण द्वारा अपहरण करने/लोगों से फिरौती मांगने हेतु अपहरण करने की चार घटनाएं (जिला करौली में एक व सवाई माधोपुर में तीन) घटित हुई हैं। जो निम्नांकित हैं :–

मूल्या जाटव निवासी मंगेपुरा का दस्युओं द्वारा फिरौती हेतु अपहरण करने के सम्बन्ध में अभियोग सं. 219/99 अन्तर्गत धारा 365, 120 "बी" भा.दं.सं. धारा 11 ए.डी.एफ. एक्ट थाना मण्डरायल जिला करौली पंजीबद्ध हुआ है।

रमेश गुप्ता निवासी बालेर का दस्युओं द्वारा फिरौती हेतु अपहरण करने के सम्बन्ध में अभियोग संख्या 16/99 अन्तर्गत धारा 365, 379 भा.दं.सं. थाना बहरावंडा कलां जिला सवाई माधोपुर पंजीबद्ध हुआ है।

मट्टू उर्फ मीठालाल गूजर निवासी बालेर का दस्युओं द्वारा फिरौती हेतु अपहरण करने के सम्बन्ध में अभियोग संख्या 40/99 अन्तर्गत धारा 365 भा.दं.सं. थाना बहरावंडा कलां जिला सवाई माधोपुर पंजीबद्ध हुआ है।

मुरारी जाट एवं सीताराम मीणा निवासी बहरावंडा कलां का दस्युओं द्वारा फिरौती हेतु अपहरण करने के सम्बन्ध में अभियोग संख्या 2/2000 अन्तर्गत धारा 365 भा.दं.सं. थाना बहरावंडा कलां जिला सवाई माधोपुर पंजीबद्ध हुआ है।

थानावार पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां क्रमशः परिशिष्ट-"अ", "ब", "स" एवं "द" पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त प्रकरणों में सूचना प्राप्त होते ही अविलम्ब अभियोग पंजीबद्ध करके अपहर्ताओं एवं दस्युगण की तलाश हेतु पुलिस बल की टोलियां गठित करके सघन तलाशी अभियान चलाया गया। फलस्वरूप

(गृह मंत्री)

सभी अपहर्ताओं को दस्युओं के चंगुल से मुक्त कराने में सफलता प्राप्त हुई है।

(3) जिला करौली एवं जिला सवाई-माधोपुर में सक्रिय डकैत गैंग को चिन्हित किया गया है।

जिला करौली – इस जिले में निम्नांकित डकैत गैंग सक्रिय है :–

1. रामसिंह गुर्जर निवासी चिरचिरी थाना करनपुर जिला करौली।
2. रामबाबू मीणा निवासी रूधं का पुरा थाना मासलपुर जिला करौली।
3. शिवसिंह मीणा निवासी नरायणा थाना मासलपुर जिला करौली।
4. सूरज माली निवासी सिमरखो थाना सपोटरा जिला करौली।
5. मुकेश मीणा निवासी पटपड़ी थाना कैलादेवी जिला करौली।
6. जगदीश गुर्जर निवासी डोमपुरा थाना सरमुथरा जिला धौलपुर।

सवाई माधोपुर : इस जिले में सक्रिय डकैत गैंग निम्नांकित हैं :–

1. जगदीश गुर्जर निवासी डोमपुरा थाना सरमथुरा जिला धौलपुर।
2. सूरज माली निवासी सिमरखो थाना सपोटरा जिला करौली।
3. हल्के रावत निवासी हीरापुरा थाना रघुनाथपुर जिला श्योपुर (मध्य प्रदेश)

(4) राज्य सरकार ने प्रारम्भ से ही दस्यु प्रभावित जिलों में प्रभावी कार्यवाही कर डकैतों के अवैध कृत्यों पर रोक लगा रखी है। इस हेतु (1) दस्युओं के शरण स्थलों पर दबिश दी जाती है। (2) दस्युगण को शरण देने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाती है। (3) दस्यु प्रभावित क्षेत्र में प्रभावी गश्त एवं नाकाबंदी की व्यवस्था की हुई है। (4) पर्याप्त संख्या में आर.ए.सी. बल द्वारा भी निरन्तर प्रभावी गश्त एवं नाकाबंदी की जाती है।

(प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य में बापी खनन पट्टों का नियमन

626. **श्री जर्नादन गहलोत** (करौली) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार ने खनिज मारबल आवंटन हेतु कोई मारबल नीति बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? नीति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नीति के बाद कितने खनन पट्टे/क्वारी लाइसेंस जारी किये हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त नीति में बापी खनन पट्टों का नियमन कर खनन पट्टा/क्वारी

(श्री जनार्दन गहलोत)

लाइसेंस स्वीकृत करने का प्रावधान है ? यदि नहीं, तो नीति के बाद कितने बापी खनन पट्टों/क्वारी लाइसेंस नियमन कर स्वीकृत किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) बापी पट्टों का नियमन किस नियम के तहत स्वीकृत किया है तथा किन-किन अधिकारियों ने कब-कब नियमन कर आवंटन किये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त आवंटन मारबल नीति के विरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें अस्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो ऐसे कितने खनन पट्टे/क्वारी लाइसेंस ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त प्रकरणों में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(7) क्या सरकार अन्य बापी पट्टों को नियमन कर स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक। विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, मार्बल नीति की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। 403 खनन पट्टे तथा 77 क्वारी लाइसेंस जारी किये गये हैं, सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं, मार्बल नीति में बापी खनन पट्टों का नियमन कर खनन पट्टे/क्वारी लाइसेंस स्वीकृत करने के सम्बन्ध में प्रावधान नहीं है। नीति के बाद 13 क्वारी लाइसेंस बापी पट्टों के आधार पर स्वीकृत किये गये हैं। सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4 से 7) उक्त 13 क्वारी लाइसेंस जिन अधिकारियों ने समय-समय पर स्वीकृत किये, उनके नाम परिशिष्ट-3 में अंकित है। प्रश्न के भाग (4) से (7) में निहित बिन्दुओं का परीक्षण कराया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधि सहायक पद पर चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति

627. **श्री मोहन लाल मोदी** (नीमका-थाना) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विधि सहायक उम्मीदवारों का चयन कर उनकी सूची किस तारीख को जारी की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति से पूर्व अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं ? यदि हां, तो कब ? क्या किसी उम्मीदवार की अभी भी शेष है ?

(3) क्या सरकार ने उक्त पद के चयनित उम्मीदवारों को अभी तक नियुक्तियां नहीं दी है ? यदि हां, तो किस कारण से इनकी

(श्री मोहन लाल मोदी)

नियुक्ति रोकी हुई है एवं अब सरकार इनकी नियुक्ति आदेश कब तक जारी कर देगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विधि सहायक पदों के लिए 61 उम्मीदवारों का चयन कर उनकी सूची आयोग के पत्र दिनांक 6.5.99 द्वारा इस विभाग को प्रेषित की गई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति से पूर्व इनके पूर्वाचरण की जांच का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उक्त जांच किसी उम्मीदवार की शेष नहीं है।

(3) उक्त चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति करने की सहमति वित्त विभाग से उनके परिपत्र दिनांक 10.6.99 के बिन्दु संख्या-1 (1) के क्रम में मांगी जा रही है जो अभी तक अपेक्षित है। वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होते ही नियुक्ति आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

विधि सहायक परीक्षा, 1998 की मेरिट लिस्ट

मुख्य सूची कुल योग्य उम्मीदवार 61

	सर्व श्री		सर्व श्री
1.	दलीप सिंह	11.	अजय उपाध्याय
2.	गिरवर सिंह	12.	भारती ठकुरानी
3.	अनुभव शर्मा	13.	रेनु बक्शी
4.	सुनील कुमार गुप्ता	14.	महेन्द्र कुमार देगानी
5.	दातार सिंह	15.	अशोक कुमार
6.	सुब्रात सान्याल	16.	शिव कुमार व्यास
7.	सुभाष चंद शर्मा	17.	आशु माहेश्वरी
8.	नन्द गोपाल गोयल	18.	गजेन्द्र कुमार आदित्य
9.	महेश चन्द्र यादव	19.	सुनील शर्मा
10.	हेमन्त कुमार वर्मा	20.	प्रदीप कुमार मोदी

सर्व श्री

21. अरूण कुमार शर्मा
22. जगत सिंह पंवार
23. बनवारी लाल गुप्ता
24. सुरेन्द्र सिंह राठौड़
25. रामशरण कुमार मोदी
26. सीताराम विजय
27. आलोक कुमार आर्य
28. महेश कुमार
29. महेश चन्द्र गौड़
30. मोहम्मद जाहिद रशीद
31. अर्चना द्रविड़
32. प्रदीप चौधरी
33. सीमा माहेश्वरी
34. अजीत कुमार मारोठी
35. चन्द कुमार पालीवाल
36. ओम प्रकाश शर्मा
37. अमर सिंह बगरिया
38. मोना अग्रवाल
39. मोहर सिंह
40. कंवरी लाल सोनी
41. प्रताप सिंह राठौड़

सर्व श्री

42. बृजेश कुमार शर्मा
43. पवन चावला
44. गजेन्द्र सिंह जाट
45. संग्राम करनावत
46. चन्द्र शेखर व्यास
47. रनवीर एस. शेखावत
48. मनोज जोशी
49. रमेश चन्द्र पंवार
50. कैलाश सी अटवासिया
51. महेन्द्र पाल सिंह
52. अशोक कुमार टेलर
53. सोहन लाल
54. उषा शर्मा
55. कल्पना शर्मा
56. गौतम आचार्य
57. मंजूबाला किराडू
58. राज सिंह
59. शंकर लाल मारु
60. दीपक कुमार सोनी
61. दुर्गा प्रसाद

तहसील मुण्डावर से अलवर तक परिवहन निगम बस सेवा

628. **श्री धर्मपाल चौधरी** (मण्डावर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार तहसील हैडक्वार्टर को जिला मुख्यालय/राजधानी से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो मुण्डावर से अलवर एवं जयपुर के लिये कितनी बसों की सुविधा दे रखी है। सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में तहसील मुण्डावर से जिला मुख्यालय तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की एक भी बस संचालित नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार मुण्डावर से अलवर तक बस संचालित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार का यथासम्भव प्रयास है कि बसों की उपलब्धता के अनुसार तहसील हैडक्वार्टर्स व जिला मुख्यालय को बस सेवा से जोड़ा जावे।

मुण्डावर से जयपुर के लिए वर्तमान में कोई सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं है। मुख्य प्रबन्धक, मत्स्यनगर, अलवर को जयपुर से अलवर के बीच संचालित एक सेवा को मुण्डावर तक बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

जिला मुख्यालय अलवर के लिए मुण्डावर से एक सीधी बस सेवा उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। मुण्डावर तहसील हैडक्वार्टर से जिला मुख्यालय अलवर के लिए प्रतिदिन प्रातः 06.45 बजे एक बस सेवा उपलब्ध है। इस समय के पश्चात् मुण्डावर से अलवर जाने वाले यात्री सोडावास आकर अलवर-बहरोड मार्ग पर संचालित सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

ग्राम मालोनी तहसील छीपा बड़ौद की वन भूमि पर अतिक्रमण

629. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मालोनी, तहसील छीपा बड़ौद में कंई व्यक्तियों ने वन भूमि पर अवैध कब्जा कर पक्की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कर रखा है ? यदि हां, तो वन विभाग द्वारा उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(2) अब उन्हें कब तक बेदखल कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) ग्राम मालोनी तहसील छीपा बड़ौद में स्थित वन भूमि पर 14 अतिक्रमियों द्वारा 106 बीघा वन भूमि पर पत्थर की कच्ची दीवार बनाकर कब्जा किया था। अतिक्रमित भूमि में से 6 अतिक्रमणियों को उनके कब्जे की 52 बीघा भूमि से बेदखल कर दिया गया है। अवशेष 8 अतिक्रमियों के कब्जे की 54 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमा

(राज्य मंत्री, वन)

सम्बन्धी विवाद को निपटाने हेतु राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(2) संयुक्त सर्वेक्षण से सीमा विवाद का मामला निपटने के पश्चात् अतिक्रमणकर्ताओं को वन भूमि से बेदखल किया जावेगा।

अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं हेतु आवासीय विद्यालय

630. **डा. करण सिंह यादव** (बहरोड) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या गत वर्ष के बजट में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सभी संभाग मुख्यालयों पर एक-एक आवासीय विद्यालय निर्मित करवाना प्रस्तावित था ? यदि हां, तो उक्त आवासीय विद्यालयों के निर्माण की प्रगति क्या है तथा कितनी राशि व्यय की गई ?

उत्तर

जी हां। राज्य सरकार द्वारा सभी संभाग मुख्यालयों पर अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं के लिये आवासीय विद्यालय खोलने हेतु प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को मैचिंग अंश की राशि स्वीकृति हेतु भिजवाये गये थे। भारत सरकार से प्राप्त प्रत्युत्तर अनुसार उक्त योजना चूंकि अभी तक केन्द्रीय स्तर पर अनुमोदित नहीं हुई है, अतः राशि स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है, उल्लेख किया है। फलस्वरूप प्रस्ताव अनुसार क्रियान्वयन किया जाना सम्भव नहीं हो सका।

पंचायत समिति तिजारा व कोटकासिम के निर्माण कार्यों की जांच

631. **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार एवं कलेक्टर अलवर, को दिनांक 22 अक्टूबर, 1999 को पंचायत समिति तिजारा एवं कोटकासिम की 11 ग्रेवल सड़क की जांच हेतु लिखा गया था और 17 अक्टूबर, 1999 को पंचायत समिति कोटकासिम के तीन तालाब निर्माण की जांच हेतु लिखा गया था ? अब तक उक्त कार्यों की जांच के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(2) विधायक की शिकायत पर कितने दिन में जांच पूरी कर कार्यवाही की जानी चाहिए ? उक्त प्रकरण में विलम्ब/लापरवाही करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी और अब कितने दिन में जांच पूर्ण हो जावेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड द्वितीय को अतिरिक्त कलेक्टर (विकास) अलवर ने पत्रांक 117 दिनांक 15.4.2000 द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जांच अतिशीघ्र निर्धारित समयान्तर्गत पूरी की जानी चाहिये। सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल होने के कारण समय पर रेकार्ड प्राप्त नहीं हो सका था, जिसके कारण जांच में देरी हो गई। अब अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड द्वितीय ने अपने पत्रांक 117 दिनांक 15.4.2000 के द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में जांच रिपोर्ट दिनांक 20.4.2000 को प्रस्तुत कर दी है।

पाली शहर के गाडोलिया लौहारों को निःशुल्क भू-खण्डों का आवंटन

632. **श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली शहर में कितने गाडोलिया लौहार रह रहे हैं ? उक्त में से कितने गाडोलिया लौहारों को अब तक निःशुल्क भूखण्ड आवंटन किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन गाडोलिया लौहारों को अभी तक निःशुल्क भूखण्ड आवंटित नहीं किये गये हैं, अब उन्हें कब तक भूखण्ड आवंटित कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) पाली शहर में गाडोलिया लौहारों के 67 परिवार रह रहे हैं। उक्त में से अब तक किसी को भी निःशुल्क भूखण्ड आवंटन नहीं किया गया है।

(2) ऐसे भूमिहीन परिवारों के लिए योजना बनाकर नगर नियोजक से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही भूखण्ड आवंटन सम्बन्धी कार्यवाही की जा सकेगी।

विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के ग्रामों के लम्बित घरेलू कनेक्शन

633. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्ष 1999 से फरवरी, 2000 तक कुल कितने ग्रामों में घरेलू कनेक्शन दिये गये ?

(2) क्या बोर्ड द्वारा पचपदरा (बाड़मेर) के ग्राम हलिया, होटलू और कितयाला रवट्‌यू का विद्युतीकरण किया गया है ? यदि हां, तो किस वर्ष में उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण करने का आदेश हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(3) उक्त ग्रामों में अब तक कुल कितने गृह कनेक्शन दिये गये ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 1999 से 29 फरवरी, 2000 तक कुल 15029 गांवों में घरेलू कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं।

(2) जी हां। प्रश्न में वर्णित तहसील पचपदरा (बाड़मेर) के ग्रामों का विद्युतीकरण मण्डल द्वारा प्रसारित वार्षिक ग्रामीण

(ऊर्जा मंत्री)

विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जा चुका है। विद्युतीकरण का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	विद्युतीकरण दिनांक
1.	कितयाला	17/3/64	6/94
2.	होटलू	77	2/71
3.	हलिया	165	3/92
4.	खदूदू	1	3/90

(3) उक्त ग्रामों में आवेदन-पत्र प्राप्त न होने के कारण घरेलू कनेक्शन नहीं दिये जा सके। अब ग्राम हलिया व होटलू में घरेलू कनेक्शन हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनको कनेक्शन देने की कार्यवाही प्रगति पर है।

कृषि उपज मण्डी समिति भरतपुर की आय

634. **श्री आर.पी.शर्मा** (भरतपुर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कृषि उपज मण्डी समितियों की आय को किस-किस मद में कितना-कितना प्रतिशत व्यय किया जाना चाहिये ? क्या इस सम्बन्ध में कोई मानदण्ड हैं ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति, भरतपुर की गत 3 वर्षों में क्या-क्या आमदनी हुई तथा उक्त आमदनी को किस-किस मद में व्यय किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मण्डी समितियां अपनी आय में से संस्थापन/प्रशासनिक एवं अन्य अपरिहार्य व्यय दायित्व को घटाने के पश्चात् शेष रही राशि का 60 प्रतिशत भाग मण्डी के क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क सड़कों के निर्माण एवं 40 प्रतिशत भाग मण्डी यार्ड के विकास पर खर्च किया जाने का प्रावधान है। प्रभावी सड़क नीति परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) विवरण परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(सड़क नीति की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पुलिस थाना नगर में दर्ज चोरी प्रकरण

635. **मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अप्रेल, 1999 से फरवरी, 2000 तक जिला भरतपुर में कुल कितने मुकदमे दर्ज किये गये ? संख्या सूची थानेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में उक्त जिले में चोरी, नकबजनी एवं डकैती के कुल कितने मुकदमे

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	नदबई	1	7	1	13	5	45	15	8	489	584	99	683
9.	डीग	—	6	3	2	7	44	166	3	273	504	100	604
10.	नगर	—	4	1	15	1	22	23	1	187	254	46	300
11.	सीकरी	—	1	4	6	3	19	33	—	156	222	47	269
12.	कामां	2	5	1	16	5	52	18	5	246	350	96	446
13.	पहाड़ी	1	—	1	1	7	11	36	3	99	159	41	200
14.	जुरहरा	1	4	1	—	4	4	3	2	87	106	25	131
15.	गोपालगढ़	—	—	2	—	—	10	5	2	64	83	16	99
16.	बयाना	—	6	3	25	6	77	37	1	122	277	64	341
17.	बैर	1	3	4	6	—	10	—	3	143	170	24	194
18.	भुसावर	—	4	2	10	—	21	10	2	263	312	70	382
19.	रूपबास	—	7	1	5	3	29	31	3	312	391	35	426
20.	गढ़ीबाजना	—	—	1	2	1	6	3	—	49	62	19	81
21.	उच्चैन	—	—	—	1	1	18	5	—	184	209	31	240
22.	हलैना	—	1	1	1	—	13	5	5	126	152	26	178
	योग :—	9	67	47	185	52	706	627	49	4352	6094	1223	7317

राज्य में भूमि विकास बैंकों के संचालक मण्डलों का निर्वाचन

636. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में तीन भूमि विकास बैंकों को छोड़कर शेष भूमि विकास बैंकों के संचालन मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है ? यदि हां, तो अब भी उक्त संचालक मण्डल किस कारण व किस आदेश अन्तर्गत कार्यरत हैं ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिन भूमि विकास बैंकों के संचालक मण्डल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, के निर्वाचन कराने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य में 4 भूमि विकास बैंकों को छोड़कर शेष 32 बैंकों में नये संचालक मण्डलों का गठन नहीं होने के कारण ही वर्तमान संचालक मण्डल कार्य कर रहे हैं।

(2) जी, हां। वसूली सीजन मानसून एवं राज्य में चल रहे अकाल की स्थिति में सुधार हो जाने के पश्चात निर्वाचन करवाया जाना प्रस्तावित है।

जैसलमेर नगर में परिवहन निगम के आगार की स्थापना

637. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर नगर में राजस्थान परिवहन निगम की 60 बसें आती-जाती हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन्दिरा गांधी नगर परियोजना में बहुत बड़ा क्षेत्र परिवहन व्यवस्था से वंचित है ?

(3) क्या यह सही है कि इतने बड़े क्षेत्रफल के जिले में एक भी परिवहन डिपो नहीं है ?

(4) क्या सरकार जैसलमेर नगर में परिवहन डिपो स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। इन बस सेवाओं का विवरण परिशिष्ट-"1" पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं। यह सच नहीं है। इस परियोजना के विकसित एवं सिंचित क्षेत्र का अधिकांश भाग परिवहन सेवा से जुड़ा हुआ है। मार्ग एवं सेवा का विवरण परिशिष्ट-"2" पर उपलब्ध है।

(3) जी, हां।

(4) जैसलमेर जिले में आगार खोले जाने के सम्बन्ध में आवश्यक सर्वेक्षण हेतु मुख्य प्रबन्धक, बाड़मेर को निर्देश जारी किये गये हैं। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगार खोले जाने पर निर्णय लिया जाना सम्भव होगा।

परिशिष्ट-'1'

विभिन्न स्थानों से जैसलमेर के लिए आने/जाने वाली बस सेवाओं का विवरण

क्र.सं.	मार्ग का नाम	समय सारिणी
1	2	3
1.	बाड़मेर-जैसलमेर	1000-1430
2.	जैसलमेर-अहमदाबाद	1800-0630
3.	अहमदाबाद-जैसलमेर	1900-0730
4.	जैसलमेर-बाड़मेर	1700-2130
5.	जैसलमेर-बाड़मेर	0900-1200
6.	बाड़मेर-जैसलमेर	1600-2030
7.	बाड़मेर-जैसलमेर	1700-2000
8.	जैसलमेर-बाड़मेर	0700-1000
9.	बाड़मेर-जैसलमेर	1300-1600
10.	जैसलमेर-बाड़मेर	1200-1500
11.	बाड़मेर-जैसलमेर	1730-2200
12.	जैसलमेर-मा. आबू	0600-1730
13.	मा. आबू-जैसलमेर	0615-1730
14.	जैसलमेर-बाड़मेर	0830-1300
15.	बाड़मेर-जैसलमेर	1100-1400
16.	जैसलमेर-बाड़मेर	1600-1900
17.	बाड़मेर-जैसलमेर	0600-1030
18.	जैसलमेर-बाड़मेर	1100-1530
19.	बाड़मेर-जैसलमेर	0930-1230
20.	जैसलमेर-बाड़मेर	1400-1700

1	2	3
21.	बाड़मेर-जैसलमेर	0800-1045
22.	जैसलमेर-बाड़मेर	1100-1315
23.	बाड़मेर-जैसलमेर	1400-1615
24.	जैसलमेर-बाड़मेर	1745-2000
25.	बाड़मेर-जैसलमेर	1200-1630
26.	जैसलमेर-बाड़मेर	0730-1200
27.	बाड़मेर-जैसलमेर	0700-1130
28.	जैसलमेर-बाड़मेर	1300-1730
29.	बाड़मेर-जैसलमेर	0900-1330
30.	जैसलमेर-बाड़मेर	1500-1930
31.	बाड़मेर-जैसलमेर	1330-1800
32.	जैसलमेर-बाड़मेर	1000-1430
33.	जैसलमेर-मा. आबू	0800-2030
34.	मा. आबू-जैसलमेर	0700-1930
35.	जालौर-जैसलमेर	0600-1300
36.	जैसलमेर-जालौर	1330-2030
37	जोधपुर-जैसलमेर	0500-1030
38.	जैसलमेर-जोधपुर	1200-1730
39.	जोधपुर-जैसलमेर	0630-1200
40.	जैसलमेर-जोधपुर	1300-1830
41.	जोधपुर-जैसलमेर	1000-1530
42.	जैसलमेर-जोधपुर	1600-2130
43.	जोधपुर-जैसलमेर	1600-2130
44.	जैसलमेर-जोधपुर	0900-1430

1	2	3	
45.	गंगानगर-जैसलमेर	1930-0915	
46.	जैसलमेर-गंगानगर	1900-0845	
47.	पोकरण-जैसलमेर	0800-1000	
48.	फलौदी-जैसलमेर	0715-1030	
49.	जयपुर-जैसलमेर	2145-1045	(डीलक्स)
50.	बीकानेर-जैसलमेर	0500-1100	
51.	बीकानेर-जैसलमेर	0600-1300	
52.	बीकानेर-जैसलमेर	0800-1600	
53.	बीकानेर-जैसलमेर	1015-1815	
54.	बीकानेर-जैसलमेर	1215-1915	
55.	जयपुर-पोकरण-जैसलमेर	0500-2000	
56.	बीकानेर-जैसलमेर	2100-0430	
57.	बीकानेर-जैसलमेर	2200-0500	
58.	जैसलमेर-बीकानेर	0630-1345	
59.	जैसलमेर-बीकानेर	0915-1645	
60.	जैसलमेर-जयपुर	0700-2000	
61.	जैसलमेर-बीकानेर	1100-1900	
62.	जैसलमेर-बीकानेर	1200-2000	
63.	जैसलमेर-बीकानेर	1330-2000	
64.	जैसलमेर-फलौदी	1615-2000	
65.	जैसलमेर-बीकानेर	1700-2300	
66.	जैसलमेर-जयपुर	1730-0630	(डीलक्स)
67.	जैसलमेर-बीकानेर	2100-0430	
68.	जैसलमेर-बीकानेर	2200-0500	

परिशिष्ट-'2'

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जैसलमेर जिले के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र में उपलब्ध परिवहन सेवा का विवरण

क्र.सं.	मार्ग	बसों की संख्या	उपलब्ध सेवाएं
1.	जैसलमेर-तेजपाला	4	2
2.	जैसलमेर-नेडाई	4	3
3.	जैसलमेर-113 आरडी	5	1
4.	जैसलमेर-रामगढ़	14	11
5.	जैसलमेर-सदराउ	3	2
6.	जैसलमेर-मोहनगढ़	3	4
7.	जैसलमेर-नाचणा	7	5
8.	मोहनगढ़-रामगढ़	4	2
9.	जैसलमेर-बीकानेर वाया नाचणा,मोहनगढ़	12	8
10.	मोहनगढ़-नाचणा-बाहला	2	2
11.	पोकरण-नाचणा	6	6
12.	मोहनगढ़-बाहला	3	3
13.	बायतू-112 आरडी	6	3

अरावली परियोजना के तहत तहसील उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं) में पौध तैयार करने पर व्यय

638. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला झुन्झुनूं की तहसील उदयपुरवाटी क्षेत्र में अरावली परियोजना के तहत वर्ष 1997-98 से 1999-2000 में कितनी राशि किस-किस कार्य पर व्यय की गई ?

(2) उक्त अवधि में कितनी पौध तैयार की गई और लागत क्या आई तथा आमदनी कितनी हुई ? पौध तैयार करने में किस मद में कितना-कितना व्यय हुआ ?

उत्तर

(1) झुन्झुनूं जिले की तहसील उदयपुरवाटी तहसील के क्षेत्र में अरावली वृक्षारोपण परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 से वर्ष 1999-2000 की अवधि में करवाये गये विभिन्न कार्यों पर 91.99 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई है। व्यय की गई राशि का आइटमवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-"क" में दर्शाया गया है।

(2) उक्त अवधि में वितरण हेतु कुल 4.39 लाख पौधे तैयार किये गये। पौधे तैयार करने पर कुल 3,68,000/- रुपये की लागत आई। तैयार पौधों में से 1.15 लाख पौधों का सःशुल्क वितरण किया गया जिससे 70,569/- रुपये की आय हुई। पौध तैयारी पर हुये व्यय का आइटमवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-"ख" में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट-"क"

जिला झुन्झुनूं की उदयपुरवाटी तहसील में अरावली वृक्षारोपण के तहत वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक व्यय

क्र.सं.	आइटम	व्यय राशि (लाखों में)
1.	विभाग में वृक्षारोपण के लिये तैयार किये गये पौधों पर व्यय हुई धनराशि	5.91
2.	वृक्षारोपण क्षेत्रों की बाड़बंदी किये जाने पर व्यय हुई धनराशि	9.64
3.	मृदा कार्यों यथा खड्डे, ट्रेन्चे, चेकडैम इत्यादि बनाने पर व्यय हुई धनराशि	23.58
4.	पौधों के परिवहन पर व्यय हुई धनराशि	2.03
5.	पौधारोपण पर व्यय हुई धनराशि	5.25
6.	पौधों को पानी पिलाने पर व्यय हुई धनराशि	12.08
7.	पौधारोपण के उपरान्त के कार्य यथा थावले, बनाई, निदाई, गुडाई, फेसिंग मरम्मत कार्य पर हुआ व्यय	17.92
8.	विविध व्यय यथा ट्रेन्चेग, थावलों पर बीज, बुवाई निराई, गुडाई, खाद, उवर्रक, कीटनाशक, पोलीथीन बैग्स, बीज तथा अन्य सामग्री क्रय करने, कैटल गार्ड हेट निर्माण तथा कार्यकलाप सम्बन्धी वाहनों की संचालन एवं मरम्मत पर हुआ व्यय	15.58
	योग :–	91.99

नोट : वितरण हेतु तैयार किये गये पौधों पर हुई व्यय का विवरण प्रश्न के भाग दो में होने से इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है।

परिशिष्ट-"ख"

जिला झुन्झुनूं की उदयपुरवाटी तहसील में वर्ष 1997-98 से 1999-2000 की अवधि में पौधों की तैयारी पर व्यय

क्र.सं.	आइटम	व्यय राशि (लाखों में)
1.	पोलीथीन, बीज, खाद, मिट्टी लाने पर हुआ व्यय	0.81
2.	नर्सरी बेड बनाने, दुरस्त करने, थैलियां भरकर जमाने, बीज बुवाई करने पर व्यय हुई धनराशि	1.03
3.	पौधशाला में पौधों को पानी पिलाने पर व्यय हुई धनराशि	0.87
4.	पौधशाला में पौधों की निराई, गुडाई तथा थैलियों को पलटने (शिफ्टिंग) पर हुआ व्यय	0.48
5.	बिजली/पानी के बिलों के भुगतान पर व्यय हुई धनराशि	0.14
6.	विविध व्यय यथा कीटनाशक, उर्वरक, अन्य सामग्री क्रय तथा कार्यकलाप सम्बन्धी वाहन डीजल, इंजन संचालन, रिपेयर इत्यादि पर व्यय हुई धनराशि	0.35
	योग :–	3.68

नोट : वर्ष 1998-99 में पोलिथीन बैग्स क्रय किये गये हैं, जिस पर 28, 286 राशि व्यय हुई है तथा अन्य वर्षों में पोलिथीन बैग्स सप्लाई विभागाध्यक्ष द्वारा किये जाने से व्यय सम्मिलित नहीं किया गया है।

तहसील देवली (टोंक) में अनुसूचित जनजाति के छात्रावास

639. **श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) :** क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम नगर फोर्ट, तहसील देवली, जिला टोंक में अनुसूचित जनजाति छात्रावास व स्कूल की व्यवस्था की हुई है ? यदि हां, तो कब से ? इसके संचालन मण्डल में कौन-कौन सदस्य कब से चल रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1995 में भारत सरकार द्वारा उक्त संचालन मण्डल को रु. 4,76,000/– की राशि भवन निर्माण के लिए अनुदान स्वरूप दी गई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त राशि का भवन निर्माण हेतु उपयोग कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो इस राशि का क्या उपयोग किया गया है ?

(3) क्या छात्र/छात्राओं के लिए होस्टल की कोई व्यवस्था की हुई है ? यदि हां, तो मौजूदा स्थिति में कुल संख्या कितनी है ?

(4) क्या सरकार के किसी कर्मी द्वारा इसका कोई निरीक्षण करवाया गया ? यदि हां, तो कब-कब निरीक्षण हुआ और उसकी क्या रिपोर्ट है ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त छात्रों को मिलने वाली (छात्रवृत्ति) छात्रों को नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) क्या सरकार उक्त अनियमितताओं की विशेष जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के आदेश संख्या 11036/02/95 टीडीए दिनांक 21.2.95 द्वारा ओम विद्या मंदिर, प्रबन्धकारिणी समिति, नगर फोर्ट को "एजूकेशनल काम्पलेक्स इन लो लिट्रेसी पोकेट" योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति बालिका आवासीय विद्यालय स्वीकृत हुआ है। उक्त बालिका जनजाति आवासीय विद्यालय 21.2.95 से कार्यरत है। इसके संचालन मण्डल के सदस्यों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। समिति के उक्त सभी सदस्य 13.7.91 से चल रहे हैं।

(2) वर्ष 1995 में ओम विद्या मंदिर प्रबन्धकारिणी समिति, नगरफोर्ट को आवासीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु रुपये 4,59,000/- भारत सरकार के द्वारा दिये गये थे। भारत सरकार के नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त योजना अब किराये के भवन में संचालित की जानी है। इसलिए भवन निर्माण हेतु प्राप्त राशि को बाद में भारत सरकार द्वारा संस्था को देय आवर्तक मद में समायोजित कर लिया गया है।

(3) जी, हां। छात्राओं के लिए होस्टल की व्यवस्था किराये के भवन में की गई है। मौजूदा स्थिति में होस्टल में 70 छात्राएं हैं।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(4) जी, हां। सरकार के कर्मियों द्वारा समय-समय पर संस्था का निरीक्षण करवाया गया। निरीक्षण की तिथि तथा रिपोर्ट का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(5) जी, नहीं। इस योजना में छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान नहीं है। बल्कि छात्राओं के अभिभावकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है। भारत सरकार से प्राप्त राशि के अनुसार प्रोत्साहन राशि का भुगतान अभिभावकों को कर दिया गया है।

(6) ओम विद्या मंदिर, प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा संचालित जनजाति बालिका आवासीय विद्यालय का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता रहा है तथा निरीक्षण में पाई गई कमियों को दूर किये जाने हेतु संस्था को निर्देशित किया जाता रहा है। संस्था को निर्देशित करने के पश्चात् भी यदि संस्था द्वारा अनियमितता की जाती है तो उसकी जांच करवायी जा सकती है तथा दोषी पाये जाने पर कार्यवाही की जा सकती है।

स्थगित प्रश्न

दिनांक 24 मार्च, 2000

नगरपालिका क्षेत्र रानी (पाली) की केनपुरा सड़क पर अतिक्रमण

28. **श्री आत्माराम मेघवाल** (देसूरी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या नगरपालिका क्षेत्र रानी (पाली) में केनपुरा सड़क पर उद्योगपतियों ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है ? क्या उक्त भूमि उक्त लोगों को सरकार ने दी है ? यदि नहीं, तो उक्त अतिक्रमणों को क्यों नहीं हटाया जा रहा है ?

उत्तर

रानी को-आपरेटिव इंस्टीट्यूट एस्टेट लि. रानी को आवंटित खसरा नं. 52/1 के कुछ हिस्से पर अनधिकृत कब्जा प्रतीत होता है। वास्तविक स्थिति का पता तहसीलदार देसूरी के द्वारा खसरे का सीमांकन करने पर ही ज्ञात हो सकेगा।

तहसीलदार देसूरी को दिनांक 27.3.2000 को उक्त खसरे के सीमांकन हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

विधान सभा क्षेत्र बानसूर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

640. **श्री जगत सिंह दायमा** (बानसूर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बानसूर की कोटपूतली वाया खेड़ा श्यामपुरा से नयावास, ज्ञानपुरा से बिलाली, ज्ञानपुरा से वाया कराना नयावास राजनौता (कोटपूतली), बहरोड से किशोरपुरा, बानसूर से वाया बालास रतनपुरा रामपुर, बानसूर से हरसौरा सड़कों पर गत कई वर्षों से मरम्मत नहीं कराई गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री जगत सिंह दायमा)

(2) क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। प्रश्न में वर्णित सड़कों पर उपलब्ध बजट अनुसार मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य गत वर्षों में कराया जाता रहा है, जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट-"अ" में प्रस्तुत है।

(2) जी, हां। उक्त सड़कों की मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट-"अ"

क्रमांक	सड़क का नाम	कुल लम्बाई [बानसूर विधान सभा क्षेत्र में (कि.मी. में)]	वर्ष	कराये गये कार्य	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	बानसूर से कोटपूतली वाया खेड़ा श्यामपुरा से नयाबास	19.00 (ग्रामीण सड़क)	1998-99	कि.मी. 19/0 से 17/500 का नवीनीकरण। कि.मी. 17/500 से 10/0 तक साधारण मरम्मत। कि.मी. 10/0 से 0/0 तक पोट होल्स भरने का कार्य कराया गया है। इसमें 4/400 से 10/0 तक डामरीकरण एवं मरम्मत कार्य स्वीकृत है जो कृषि उपज मंडी द्वारा बकाया राशि जमा कराने के पश्चात् पूर्ण कराया जाना है।	14.600 कि.मी. लम्बाई की सड़क कृषि उपज मण्डी द्वारा वर्ष 97-98 में सा.नि.वि. को हस्तान्तरित की गई है।

1	2	3	4	5	6
2.	ज्ञानपुरा से बिलाली	2.00 (ग्रामीण सड़क)	1998-99	यह सड़क अभी कृषि उपज मंडी द्वारा सा.नि.वि. को हस्तांतरित नहीं की गई है। इस पर पोट होल एवं साधारण मरम्मत का कार्य कृषि उपज मंडी द्वारा विभाग में जमा कराई गई राशि से कराया गया ।	यह सड़क अभी तक कृषि उपज मण्डी द्वारा देखभाल की जाती है।
3.	ज्ञानपुरा से वाया कराणा नयावास राजनौता (कोटपूतली)	10.50 (ग्रामीण सड़क)	1998-99 1999-2000	कि.मी. 1/0 से 7/0 तक साधारण मरम्मत का कार्य कराया गया। कि.मी. 1 से 3 एवं 8 का नवीनीकरण योजना मद में स्वीकृत है। कार्य आदेश दिया जा चुका है। राज्य सरकार के पत्र दि. 7.12.99 एवं 23.12.99 के तहत कार्य अभी नहीं कराया जा रहा है।	
4.	बहरोड़ से किशोरपुरा	3.00 डामर एवं 1.00 कच्ची सड़क		यह सड़क कृषि उपज मण्डी की है तथा इस सड़क का रख-रखाव कृषि उपज मंडी द्वारा ही किया जाता है।	

1	2	3	4	5	6
5.	बानसूर से बालास रतनपुरा रामपुर	7.00 ग्रामीण सड़क	1998-99	साधारण मरम्मत एवं पोट होल भरने का कार्य कराया, गया।	
			1999-2000	कि.मी. 1 से 4 तक नवीनीकरण योजना मद में स्वीकृत है। पैकेज सं. 1 में कार्य आदेश दिया जा चुका है। संवेदक द्वारा अन्य कार्य किये गये हैं। राज्य सरकार के निर्देश दिनांक 7.12.99 के तहत कार्य अभी नहीं कराया जा रहा है।	
6.	बानसूर से हरसोरा सड़क	17.00 (मुख्य जिला सड़क का भाग)	1998-99	साधारण मरम्मत एवं पोट होल भरने का कार्य कराया गया है।	
			1999-2000	सड़क के इस भाग में से कि.मी. 5 से 8 तक सड़क के नवीनीकरण के कार्य योजना मद में पूर्ण किया जा चुका है। कि.मी. 16 से 19 तक नवीनीकरण योजना मद में स्वीकृत है। राज्य सरकार के निर्देश दिनांक 7.12.99 के कारण कार्य अभी नहीं कराया जा रहा है।	

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-795 का विवरण)

ग्राम परतापुर, जिला बांसवाड़ा में रीको के लिए अवाप्त भूमि का विवरण

दिनांक.	भूमि किस्म	रकबा
24.11.94	निजी भूमि	36.81 हैक्टेयर
5.6.96	राजकीय भूमि	9.01 हैक्टेयर
28.3.97	निजी भूमि	0.75 हैक्टेयर
10.4.97	निजी भूमि	0.34 हैक्टेयर (क्रय की गई)
8.10.99	राजकीय भूमि	2.55 हैक्टेयर
	कुल भूमि–	**49.46 हैक्टेयर**

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-799 की शर्तों का विवरण)

नौका संचालन हेतु शर्तें

1. आनासागर झील में नांव संचालन का ठेका एक वर्ष के लिए लाइसेंस डीड के अनुसार दिया जावेगा। एक वर्ष के पश्चात् परिषद एवं ठेकेदार की सहमति पर बोर्ड द्वारा लाइसेंस की अवधि एक-एक वर्ष के लिए तीन बार बढ़ाई जा सकेगी। अवधि बढ़ाने के लिए निम्न शर्तों का ध्यान रखा जायेगा :–

   (1) गम्भीर दुर्घटनाएं।

   (2) नांव संचालक कर्मचारियों की अपराधिक गतिविधियां।

   (3) शर्तों का उल्लंघन करने पर।

   (4) व्यवस्था में भारी कमी पाने पर।

2. लाइसेंस अवधि समाप्त होने पर ठेका स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा और अगर कोई बकाया रहा तो परिषद सुरक्षा राशि में से उसे समायोजित कर सकेगी।

3. नौका संचालन हेतु टिकिट घर/प्लेटफार्म लाइसेंसी को अपने खर्चे पर बनाना होगा। टिकिटघर/प्लेटफार्म पर व्यय की गई राशि का मुआवजा परिषद से किसी प्रकार से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

4. टिकिट घर में एक शिकायत पुस्तिका दर्शनीय स्थल पर रखनी होगी जिसमें कोई भी यात्री अपनी शिकायत दर्ज कर सकेगा एवं यात्री के मांगने पर पुस्तिका लाइसेंसी को उपलब्ध करवानी होगी। शिकायत पुस्तिका नहीं होने पर लाइसेंसी को दण्डित किया जा सकेगा।

5. लाइसेंसी को अपने टिकिट घर एवं प्लेटफार्म पर बिजली की व्यवस्था स्वयं को करनी होगी।

6. लाइसेंसी को नांवों को चलाने के लिए नियमानुसार बोटिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत संबंधित विभाग से अनुज्ञा-पत्र एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त करने होंगे। बीमा की पूर्ण औपचारिकता करनी होगी एवं सभी प्रमाण-पत्रों की प्रतियां परिषद को नांव संचालन से पूर्व देनी होगी।

7. दुर्घटना की पूर्ण जिम्मेदारी लाइसेंसी की होगी। नौका विहार करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपकरण जैसे लाइफ जेकिट, लाइफ बेल्ट इत्यादि

लाइसेंसी द्वारा हर नांव में रखनी होगी तथा नांव चलाने के समय में सुरक्षा कर्मी दुर्घटना से बचाव हेतु अवश्य उपलब्ध करवायेंगे। शर्त के उल्लंघन पाये जाने पर लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

8. नावें चलाने का समय प्रातः 8 से सायं 8 बजे तक रहेगा। इस समयावधि में अंधेरा होने पर नावों में प्रकाश की व्यवस्था लाइसेंसी को करनी होगी।

9. पैडल बोट, रोइंग बोट एवं मोटर बोट, हाउस बोट की कुल संख्या 12/24 से अधिक नहीं होगी। प्रत्येक नांव पर बैठक क्षमता अंकित करना अनिवार्य होगा। क्षमता से अधिक यात्रियों को नौका विहार कराने पर सक्षम अधिकारी एवं परिषद् को लाइसेंस निलम्बित करने का अधिकार होगा।

10. नांवों का निरीक्षण सभापति/आयुक्त एवं अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। निरीक्षणकर्ता को निरीक्षण हेतु सभी प्रकार की आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करानी होगी। निरीक्षण में असहयोग करने पर लाइसेंसी के पक्ष में सम्पादित करार को निलम्बित करने का परिषद को अधिकार होगा तथा आगे के लिए संविदा को बढ़ाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

11. लाइसेंसी एवं उसके कर्मचारी यात्रियों के साथ शिष्ट एवं अच्छा व्यवहार रखेंगे। अच्छा व्यवहार नहीं रखने पर संपादित करार को निलम्बित करने का परिषद् को अधिकार होगा एवं आगे की संविदा को बढ़ाये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

12. लाइसेंसी जिन कर्मचारियों को रखेगा उनके सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस थाना अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उन्हें रख सकेगा एवं उक्त प्रमाण-पत्र की एक प्रति प्रथम पक्ष के कार्यालय में जमा करानी होगी। नियुक्त कर्मचारियों को एक सी वर्दी में रखा जावेगा एवं प्रत्येक कर्मचारी को अपने नाम का बैज शर्ट/कोट पर लगाना होगा।

13. लाइसेंसी द्वारा नियुक्त कर्मचारी अपने काम के समय में शराब अथवा अन्य नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेगा एवं नौका विहार के समय नौका में सैर करने वाले यात्रियों को शराब या अन्य नशीले पदार्थ के सेवन की अनुमति नहीं देगा। अगर लाइसेंसी का कोई भी व्यक्ति शराब/नशीले पदार्थों का सेवन करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने के लिए परिषद सक्षम होगी।

14. शर्तों का उचित ढंग से पालन नहीं करने पर परिषद् द्वारा इकरारनामें को निलम्बित करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

15. स्वीकृत प्रस्ताव की 10% बतौर सुरक्षा राशि जमा करानी होगी।

16. लाइसेंस नवीनीकरण पर 10% वार्षिक बढ़ोतरी पर ही पुनः नवीनीकरण किया जायेगा।

17. नौकायन हेतु दरें परिषद् द्वारा निर्धारित की जायेगी वर्तमान में दरें निम्न रूपेण होगी :–

2 सीटर पैडल बोट	30/– रु. प्रति आधा घंटा
4 सीटर पैडल बोट	40/– रु. प्रति आधा घंटा
रोईंग बोट 6 सीटर	30/– रु. प्रति आधा घंटा
रोईंग बोट 10 सीटर	40/– रु. प्रति आधा घंटा
मोटर बोट	10/– रु. प्रति व्यक्ति प्रति आधा घंटा
हाउस बोट	150/– प्रति आधा घंटा

दरों में परिवर्तन परिषद् की पूर्वानुमति से ही की जा सकेगी।

20. नौका संचालन हेतु नावों की व्यवस्था स्वयं लाइसेंसी को ही करनी होगी।

21. यात्रियों को छपे हुये टिकट नम्बरिंग सहित दिये जाना अनिवार्य होगा।

22. आनासागर झील में पानी की कमी होने से नौका संचालन पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव पड़ता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी लाइसेंसी की होगी।

23. अनुबंध से पूर्व एक वर्ष की लाइसेंस फीस एक मुश्त जमा करानी होगी।

24. निविदा के साथ 3000/– रुपये धरोहर राशि जमा करानी होगी।

25. उच्चतम निविदा राशि स्वीकृत करने के दो माह के भीतर नौकायान प्रारम्भ करना होगा अन्यथा जमा कराई धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

ह.
आयुक्त
नगर परिषद, अजमेर

ह.
उद्यान अधीक्षक
नगर परिषद, अजमेर

सत्य प्रतिलिपि
ह.
उद्यान अधीक्षक
नगर परिषद, अजमेर

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-803 का विवरण)

आरोप विवरण-पत्र श्रीमती विमला बोहरा अध्यक्ष नगरपालिका भीनमाल, जिला जालौर अन्तर्गत धारा 63 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959

आरोप विवरण सं.-1 :— यह है कि अध्यक्ष पद पर रहते हुए आपने श्री रमेश कुमार पुत्र कपूर चन्द जैन के प्लाट का एनओसी (अनापत्ति प्रमाण-पत्र) दिनांक 18.1.97 के आधार पर भू-खण्ड पर कब्जा न होते हुए भी खाली भू-खण्ड का श्री पाताराम टीकमाजी पुरोहित को दिनांक 29.1.97 को बेचान किया जाना और उसके उपरान्त दिनांक 19.3.97 को उसी खाली भू-खण्ड का श्री रमेश कुमार पुत्र कपूर चन्द के नाम से नियमन कर दिया गया। अतः नगरपालिका की उक्त भूमि को बेचान करने व एनओसी (अनापत्ति प्रमाण-पत्र) जारी करने की अवैध कार्यवाही कर अध्यक्ष पद का दुरुपयोग किया है, जिसके आप दोषी हैं।

आरोप विवरण सं.-2 :— यह है कि श्री रमेश कुमार पुत्र कपूर चन्द जैन के आवेदन-पत्र पर स्वयं का फोटो व हस्ताक्षर नहीं होकर उसके पावर आफ अटार्नी के हस्ताक्षर होना, इस भू-खण्ड पर अतिक्रमण व सर्वे रजिस्टर में रमेश कुमार के नाम से दर्ज न होने के उपरान्त आप द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध नियम विरुद्ध व अनियमित है। जिसके लिए आप पूर्णरूप से प्रथम दृष्ट्या दोषी हैं।

आरोप विवरण सं.-3 :— यह है कि नगरपालिका की प्रशासनिक समिति को भूमि नियमन के अधिकार थे। किन्तु उस भूमि पर बने हुए अवैध निर्माण को कम्पाउण्ड करने के अधिकार नहीं थे। यह अधिकार नगरपालिका मण्डल को थे। नगरपालिका मण्डल अवैध निर्माण को कम्पाउण्ड करने के लिये अधिकृत था फिर भी कानूनी एवं तकनीकी दृष्टि से प्रकरण प्रशासनिक समिति के द्वारा भूमि नियमन किये जाने के उपरान्त अवैध निर्माण को कम्पाउण्ड करने के लिए मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। किन्तु आपने ऐसा न कर अपने पद का दुरुपयोग करें अनियमितता एवं नियम विरुद्ध कार्यवाही की है। जिसके आप दोषी हैं।

ह.

उप शासन सचिव

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-804 का विवरण)

बिन्दु संख्या-1 का विवरण

जिन वर्षों का अंकेक्षण हुआ	पालिका कार्यालय में अंकेक्षण प्राप्ति की तिथि
1994-95	30.8.96
1995-96	13.11.97
1996-97	"
1997-98	17.8.99

प्रश्न के बिन्दु संख्या-2 का विवरण

पालिका कार्यालय द्वारा प्राप्त अंकेक्षण प्रतिवेदन में अंकित आक्षेपों की पालना कर निम्नलिखित आक्षेप निरस्त करवाये गये

	वर्ष	निरस्त हुए आक्षेपों की संख्या
1.	1994-95	9 आक्षेप निरस्त कराये।
2.	1995-96 1996-97	8 आक्षेप निरस्त कराये।
3.	1997-98	3 आक्षेप निरस्त कराये।

ह.
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका, बगरू

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-810 का. विवरण)

परिशिष्ट-"अ"

राज्य में 1 जनवरी, 1999 से 20 फरवरी, 2000 तक विधायकों/मंत्रियों के साथ मारपीट/दुर्व्यवहार की घटनाओं का अभियोगवार थानावार विवरण

क्र.सं.	अभियोग संख्या मय दिनांक	घटना स्थल	थाना	मंत्री/विधायकगण का नाम	गि. अभियुक्तों की संख्या	नतीजा
1	2	3	4	5	6	7
1.	109/99 धारा 147, 149, 342 353, 332, 427, भादसं, 151, 152 रेलवे एक्ट 3 पीडीपीपी एक्ट दि. 29.7.99	रेलवे स्टेशन जोधपुर	जी. आर. पी. जोधपुर	श्री राजेन्द्र चौधरी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री	15	चालान
2.	17/2000 धारा 148, 149, 332, 353, भादसं. दि. 13.2.2000	सर्किट हाउस हनुमानगढ़ जंक्शन	हनुमानगढ़ जंक्शन	श्री रामसिंह विश्नोई जन स्वा. अभि. विभाग मंत्री श्री राजेन्द्र चौधरी, चि. स्वा. मंत्री	9	चालान

1	2	3	4	5	6	7
3.	147/99 धारा 147, 148, 342 354, 323, 504, भादसं दिनांक 17.7.99	शासन सचिवालय, जयपुर	अशोक नगर	सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत, विधायिका, खानपुर	—	पेंडिंग सी.आई.डी. सी. बी., जयपुर
4.	8/99 धारा 452, 504, 506, भादसं दि. 6.1.99	बी-2, भगत सिंह मार्ग, जयपुर	अशोक नगर	श्री राजेन्द्र सिंह विधायक, चूरू	—	एफ. आर. अदम पता मुलजिम
5.	6/2000 धारा 147, 148, 149, 341, 323, 336, भादसं दिनांक 1.2.2000	गांव केरिया	चितलवाना, जिला जालौर	श्री हीरालाल विश्नोई विधायक, सांचौर	—	पेंडिंग सी.आई.डी. सी. बी., जयपुर
6.	148/99 धारा 147, 148, 149, 323, 307, भादसं दिनांक 23.4.99	गांव महलपुर काछी	रूपवास भरतपुर	श्री निर्भय लाल विधायक, रूपवास	10	चालान
7.	160/99 धारा 147, 148, 149, 354, 452, 323, 379 भादसं व 3 एससी/एसटी एक्ट दि. 27.4.99	कस्बा भुसावर	भुसावर भरतपुर	श्रीमती शांति पहाड़िया विधायिका, वैर	16	चालान
8.	1/2000 धारा 307, 34 भादसं. दि. 1.1.2000	मधुर होटल जी. टी. रोड, धौलपुर	निहालगंज धौलपुर	श्री जसवंत सिंह विधायक, बाड़ी	2	चालान

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-812 की प्रतियां)

परिशिष्ट-"क"

सेवा में,

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक साहब
दौसा, महुवा।

विषय :– थानेदार पुलिस थाना महुवा द्वारा मारपीट व गाली गलौच करनें के क्रम में।

मान्यवर,

निवेदन है कि प्रार्थी ग्राम सालिमपुर का रहने वाले हैं दिनांक 4.2.2000 को प्रार्थीगण के गांव में सरपंची के चुनावों के दिन से ही प्रार्थीगण को मुल. पक्ष द्वारा वोट न देने हेतु की निरन्तर धमकियां दी जा रही थी। वाका दिनांक 6.2.2000 के सुबह 8-9 बजे का है कि प्रार्थीगण अपने रिहायशी घर मे बैठे थे कि एकदम एक राय होकर हाथों में लाठी एवं डण्डे व फरसे लेकर रामकरण पुत्र रामजीवन मीणा व ओमप्रकाश पुत्र रामखिलाड़ी मीणा, श्री मोहन पुत्र बत्तीलाल, महेश पुत्र गुटर्‌या, रामहंस पुत्र रामजीवन, जगदीश पुत्र रामजीवन, अजीत पुत्र रामकरण, रामजीलाल पुत्र अमरचन्द, रूपनारायण पुत्र गोपी, सीताराम पुत्र गुलवा, श्यामू पुत्र रूपनारायण, रमेश पुत्र रामजीलाल वगैरह ने हमारे साथ मारपीट की एवं हमें गांव से भगा दिया तथा हमारे पशु (भैंस, बकरी) खोलकर भगा दिये तथा हमारे घरों से सामान बाहर फैंक दिया। इसकी रिपोर्ट हम थाना महुवा पर रिपोर्ट दर्ज करवाने गये तो थानेदार साहब एवं अन्य पुलिसकर्मियों ने हमारे साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट की और कहा साले कोलियों भाग जाओ यहां से, यहां कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। यह शब्द स्वयं थानेदार साहब ने हमसे कहे उक्त मारपीट में धुड्डली पुत्र मंगल, बबली पुत्र कालू, कमल पत्नी धुड्डली, छोटेलाल पुत्र प्रभु तथा कई छोटे-छोटे बच्चों के साथ अन्दर थाने में ही स्वयं थानेदार साहब एवं अन्य पुलिसकर्मियों ने की तथा बाहर भगा दिया।

अतः श्रीमान्‌जी से निवेदन है कि उक्त दोषी पुलिसकर्मियों के साथ अतिशीघ्र कानूनी कार्यवाही की जावे। एस. डी. बबली, एस. डी. छटेली प्रार्थीगण बबली पुत्र कालू, छुट्टली पुत्र मंगल निवासी सालिमपुर थाना महुवा, जिला दौसा दिनांक 7.2.2000.

परिशिष्ट-"ब"

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला दौसा

आदेश

श्री फिरंगी लाल उ. नि. पुलिस थाना, महुवा का स्थानान्तरण अस्थाई तौर पर पुलिस लाईन दौसा किया जाता है। आदेश तुरन्त प्रभावशील होगा।

ह.
पुलिस अधीक्षक
जिला-दौसा

जि. आ. सं. 35
दिनांक 10.2.2000

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-819 की सूची)

परिशिष्ट-"अ-1"

वर्ष 1998-99 में स्वीकृत एवं कराये गये सड़क कार्यों का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	सड़क का नाम	खण्ड
1	2	3	4
1.	1998-99	धौलपुर राजाखेड़ा सड़क	धौलपुर
2.	—"—	धौलपुर सैपऊ सड़क	—"—
3.	—"—	धौलपुर बाड़ी सड़क	—"—
4.	—"—	बाडी सैपऊ बसई नबाब सड़क	—"—
5.	—"—	जाटोली कुथियाना सड़क	—"—
6.	—"—	राजाखेड़ा पिनहाट सड़क	—"—
7.	—"—	मनिया मरेना सड़क	—"—
8.	—"—	मनिया बसई नबाब सड़क	—"—
9.	—"—	जसूपुरा लाडूखेड़ा सड़क	—"—
10.	—"—	नबाब बसई मोलोनी पंवार सड़क	—"—
11.	—"—	मचकुण्ड रोड	—"—
12.	—"—	अन्य ग्रामीण सड़कें	—"—
13.	—"—	धौलपुर राजाखेड़ा सड़क कि.मी. 32 से 34 व 36 व 67, 89	—"—
14.	—"—	धौलपुर सैपऊ सड़क कि.मी. 56	—"—
15.	—"—	मनिया मरेना सड़क कि.मी. 1 से 4	—"—

1	2	3	4
16.	1998-99	इम्प्रूवमेंट एवं स्ट्रेंथनिंग भैसेना कुथियाना	धौलपुर
17.	—"—	पी. एम. बी. निधरो खुर्द	—"—
18.	—"—	सम्पर्क सड़क अम्बरपुरा	—"—
19.	—"—	मरम्मत कार्य धौलपुर बाडी सरमथुरा करौली रोड (एस.एच.-2)	बाड़ी
20.	—"—	मरम्मत कार्य बसेडी बयाना रोड (एमडीआर)	—"—
21.	—"—	मरम्मत कार्य बाडी सैपऊ रोड (एमडीआर)	—"—
22.	—"—	मरम्मत कार्य बाडी बसेडी रोड (एमडीआर)	—"—
23.	—"—	मरम्मत कार्य बसेडी माचलपुर रोड (विलेज रोड)	—"—
24.	—"—	मरम्मत कार्य बसेडी बागथर रोड (विलेज रोड)	—"—
25.	—"—	मरम्मत कार्य बसेडी सैपऊ वाया ममोधन रोड	—"—
26.	—"—	मरम्मत कार्य बसेडी जगनेर रोड वाया ममोधन रोड	—"—
27.	—"—	मरम्मत कार्य वन बिहार से सोने का गुर्जा रोड "	—"—
28.	—"—	–"– बाडी उमरेह रोड –"–	—"—
29.	—"—	–"– जारगा रतनपुर रोड –"–	—"—
30.	—"—	–"– बाडी धनोरा रोड –"–	—"—
31.	—"—	–"– बाडी कासोटी खेडी रोड –"–	—"—
32.	—"—	–"– सरमथुरा सोने का गुर्जा रोड –"–	—"—
33.	—"—	–"– मदनपुर गोलारी रोड –"–	—"—
34.	—"—	–"– सरमथुरा चन्देलीपुरा रोड –"–	—"—
35.	—"—	–"– तालाबशाही रामपुरा रोड –"–	—"—

1	2	3	4
36.	1998-99	मरम्मत कार्य गजपुरा से बसई डांग रोड (विलेज रोड)	बाडी
37.	—"—	—"— बसेडी बाईपास —"—	—"—
38.	—"—	—"— बाडी गजपुरा रोड —"—	—"—
39.	—"—	—"— बाडी सोने का गुर्जा रोड —"—	—"—
40.	—"—	मरम्मत का कार्य आठ कि.मी. से वन बिहार रोड (विलेज रोड)	—"—
41.	—"—	—"— वन बिहार बाबू महाराज रोड —"—	—"—
42.	—"—	—"— महुवा खेडा सरानी खेडा रोड —"—	—"—
43.	—"—	—"— गजपुरा बाबू महाराज रोड —"—	—"—
44.	—"—	—"— बाडी रोड —"—	—"—
45.	—"—	—"— धीमरी रोड —"—	—"—
46.	—"—	—"— नादनपुर रोड —"—	—"—
47.	—"—	विशेष मरम्मत कार्य धौलपुर बाडी सरमथुरा करौली रोड कि.मी. 16, 37, 38, 43	—"—
48.	—"—	पी. एम. सी. व सरफेस करेक्शन आन एस.एच. नं. 2 कि.मी. 16, 17, 21, 22, 23, 45, 48	—"—
49.	—"—	13 एमएम पीएमसी आन एसएच नं.-2 कि.मी. 11, 25, 26, 27	—"—
50.	—"—	—"— एसएच नं.-2 कि.मी. 54, 61, 62, 63, 64, 65, 68	—"—
51.	—"—	20 एमएम पीएमसी आन धौलपुर बाड़ी सरमथुरा करौली रोड (एसएच 2) कि.मी. 24, 28, 29, 41, 44	—"—

1	2	3	4
52.	1998-99	20 एमएम पीएमसी विद सरफेस करेक्शन बाई पेवर आन एसएच. 2 कि.मी. 34, 38, 39, 44, 53,	बाडी
53.	—"—	—"— कि.मी. 67, 68	—"—
54.	—"—	20 एमएम पीएमसी बाडी बसेडी रोड कि.मी. 67	—"—
55.	—"—	—"— बसेडी बयाना रोड कि.मी. 7, 8, 9	—"—
56.	—"—	—"— बाई पेवर आन बाडी बसेडी रोड कि.मी. 2, 3, 13, 14	—"—
57.	—"—	—"— बाडी जगनेर रोड कि.मी. 1, 2	—"—
58.	—"—	—"— बसेडी माचलपुर रोड कि.मी. 15, 16, 17	—"—
59.	—"—	—"— सोने का गुर्जा रोड से सेवर पाली	—"—
60.	—"—	—"— धौलपुर सोने का गुर्जा रोड	—"—
61.	—"—	—"— बाडी उमरेह रोड	—"—

परिशिष्ट-"अ-2"

वर्ष 1999-2000 में स्वीकृत एवं कराये गये मरम्मत कार्यों का विवरण

क्र.सं.	सड़क का नाम	खण्ड
1	2	3
1.	धौलपुर सैंपऊ रूपवास सड़क उत्तर प्रदेश सीमा तक	धौलपुर
2.	धौलपुर राजाखेड़ा सड़क अप टू यू पी बोर्डर	—"—
3.	धौलपुर बाडी सड़क कि.मी. 0 से 10 तक	—"—
4.	बाडी सैपऊ बसई नवाब सड़क उत्तर प्रदेश सीमा तक कि.मी. 1 से 5, 7 से 9	—"—
5.	जौटोली कुथियाना सड़क	—"—
6.	मनिया मांगरोल सड़क	—"—
7.	राजाखेड़ा पिनहाट सड़क	—"—
8.	मनिया बसई नवाब सड़क कि.मी. 8, 9, 10, 11, 17	—"—
9.	जसुपुरा लाइखेड़ा सड़क	—"—
10.	विशेष मरम्मत कार्य धौलपुर सैपऊ 27, 28 कि.मी.	—"—
11.	मरम्मत कार्य सड़क लालपुर रहसेना 2 कि.मी.	—"—
12.	सिटी सड़क धौलपुर	—"—
13.	नगर सेहरोन सड़क	—"—
14.	मचकुण्ड मोरोली सड़क	—"—
15.	भैसेना कुथियाना सड़क	—"—
16.	ओडेला कोलारी सड़क	—"—
17.	राजाखेड़ा समोना सड़क	—"—

1	2	3
18.	धौलपुर संरानी खेड़ा सड़क	धौलपुर
19.	सम्पर्क सड़क आरी	—"—
20.	राजाखेड़ा सलावट सड़क	—"—
21.	राजाखेड़ा पिनहाट सड़क	—"—
22.	दिहोली अण्डवा पुरैनी सड़क	—"—
23.	सम्पर्क सड़क बसई घीयाराम	—"—
24.	मरम्मत कार्य धौलपुर बाडी सरमथुरा करौली रोड एसएच. 2	बाडी
25.	मरम्मत कार्य बाडी बसेडी रोड	—"—
26.	मरम्मत कार्य बसेडी बयाना रोड	—"—
27.	मरम्मत कार्य बाडी सैपऊ रोड	—"—
28.	मरम्मत कार्य बसेडी माचलपुर रोड	—"—
29.	मरम्मत कार्य बसेडी बागथर रोड	—"—
30.	मरम्मत कार्य बसेडी जगनेर रोड	—"—
31.	मरम्मत कार्य बाडी उमरेह रोड	—"—
32.	मरम्मत कार्य बसेडी बाईपास रोड	—"—
33.	मरम्मत कार्य बसेडी ममोधन रोड	—"—
34.	मरम्मत कार्य बसेडी सैपऊ वाया ममोधन रोड	—"—
35.	मरम्मत कार्य बसई डांग से नगर रोड	—"—
36.	सम्पर्क सड़क धीमरी रोड	—"—

1	2	3
37.	मरम्मत कार्य सरमथुरा चंदेलीपुरा रोड	बाडी
38.	मरम्मत कार्य सरमथुरा शीतलपुरा रोड	—"—
39.	मरम्मत कार्य बाडी तुलसीवन रोड	—"—
40.	सरमथुरा से सोने का गुर्जा रोड के मरम्मत कार्य	—"—
41.	तालाबशाही बाडी रोड	—"—
42.	बाडी धनोरा रोड	—"—
43.	पुराबक्तु रोड	—"—
44.	सरमथुरा झीरी रोड	—"—
45.	महुआ खेड़ा सरानी खेड़ा रोड	—"—
46.	सोने के गुर्जा से सेवर पाली रोड	—"—
47.	गजपुरा से सोने के गुर्जा रोड	—"—
48.	20 एमएम पीएमसी बसेडी जगनेर रोड	—"—
49.	—"— बाड़ी सैपऊ रोड	—"—

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-821 की सूची)

परिशिष्ट-"क"

क्र.सं.	सड़क का नाम	स्वीकृति		विशेष विवरण
		लम्बाई (कि.मी. में)	राशि (लाखों में)	
1.	रायपुर पाटन से काचरड़ा सड़क निर्माण (जोब नं. 534/5054/पी.एम.एस.पी./पी/1999–2000)	4.00	24.00	कार्य की निविदायें आमंत्रित कर संवेदक को कार्यादेश जारी किया जा चुका है एवं कार्य प्रगति पर है।

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-826 का विवरण)

प्रपत्र-"क"

क्र.सं.	अवधि	योजना का नाम	सड़क/कार्य का नाम मय ग्राम/कस्बा विवरण के	स्वीकृत राशि	कार्य पूर्ण अथवा अपूर्ण	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1.	11/98 से 3/2000	सुनिश्चित रोजगार योजना	गुडा मेहराम आकड़ावास से बिजोवा 5/0 से 8/500	9.17	कार्य प्रगति पर	इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर दिया जायेगा
2.	11/98 से 3/2000	—"—	सम्पर्क सड़क गढ़ीमाता मंदिर घाणेराव	3.73	—"—	—"—
3.	11/98 से 3/2000	—"—	सम्पर्क सड़क आदिनाथ मंदिर घाणेराव	2.92	—"—	—"—
4.	11/98 से 3/2000	—"—	सम्पर्क सड़क झूंझारजी मंदिर सिन्दरली 0/0 से 2/500	5.00	—"—	—"—

1	2	3	4	5	6	7
5.	22/98 से 3/2000	एमपीएलएडी	माण्डल से पुनाड़िया तक डामर कार्य 0/0 से 3/0	6.86	कार्य प्रगति पर	इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर दिया जायेगा
6.	11/98 से 3/2000	एमआरजीसी	आबादी क्षेत्र में सड़क संरचना मय सीडी कार्य खोड़	4.29	कार्य पूर्ण	
7.	11/98 से 3/2000	एमएलएएलडी	मेघवालों का बड़ा बास वार्ड नं.-14 में खरंजा एवं सीमेंट नाली निर्माण कार्य सादड़ी	0.61	कार्य की स्वीकृति माह 3/2000 में जारी हुई	इस वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा
8.	11/98 से 3/2000	—"—	पांच बोटिया जाव व चांद कालोनी मेघवालों का बडा बास सादड़ी खरंजा निर्माण	0.41	—"—	—"—
9.	11/98 से 3/2000	—"—	नारलाई से रघुनाथजी की बगीची कि.मी. एक में सीडी कार्य	2.28	—"—	—"—
10.	11/98 से 3/2000	—"—	नाडोल सादड़ी पिंडवाड़ा सड़क प्रोटेक्शन-दीवार निर्माण कि.मी. 44 खीरंडा गांव के पास	1.37 सामग्री 1.09 श्रम	—"—	—"—

1	2	3	4	5	6	7
11.	11/98 से 3/2000	5054 राज्य उच्च मार्ग	साण्डेराव देसूरी सड़क कि.मी. 245/0 से 252/0 व 220/0 से 225 में टाइडिंग क्वालिटी द्वारा सुधार कार्य	10.00	कार्य पूर्ण	—"—
12.	11/98 से 3/2000	—"—	सादड़ी नगर में सड़क सुधार कार्य साण्डेराव देसूरी सड़क	2.50	—"—	—"—
13.	11/98 से 3/2000	—"—	सादड़ी बांसवाड़ा सड़क के कि.मी. 5 पुलिये की डांउन साईड दीवार निर्माण	1.00	—"—	—"—
14.	11/98 से 3/2000	5054 राज्य उच्च मार्ग नवीनीकरण एवं मोर्डनाइजेशन (प्लान)	पाली पिंडवाडा के कि.मी. 0/0 से 10/0 चौड़ाईकरण कार्य	25.00	कार्य प्रगति पर	कार्य का पूर्ण होना उपलब्ध संसाधनों व पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।
15.	11/98 से 3/2000	—"—	सौन्दर्यकरण एवं नवीनीकरण का कार्य पाली पिंडवाड़ा कि.मी. 24 एवं 28	4.00	—"—	—"—

1	2	3	4	5	6	7
16.	11/98 से 3/2000	5054 राज्य उच्च मार्ग नवनीकरण एवं मोर्डनाइजेशन (प्लान)	पाली पिंडवाड़ा सड़क के कि.मी. 12 में नाली निर्माण व सड़क सुधार कार्य	1.30	कार्य प्रगति पर	कार्य का पूर्ण होना उपलब्ध संसाधनों व पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।
17.	11/98 से 3/2000	—"—	केनपुरा देसूरी सड़क कि.मी. 31 में नाली निर्माण व सड़क सुधार कार्य	2.50	—"—	—"—
18.	11/98 से 3/2000	—"—	पाली पिंडवाड़ा सड़क कि.मी. 50 से 55 में क्षतिग्रस्त का निर्माण कार्य	2.25	—"—	—"—
19.	11/98 से 3/2000	4059 भू-राजस्व दसवां वित्त	तहसील भवन देसूरी में रिकार्ड रूम का निर्माण कार्य	3.50	—"—	—"—

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या-830 की सूची)

THE RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE BANK LTD., JAIPUR.

CCB-WISE NUMBER OF KISAN CREDIT CARD ISSUED UP TO THE MONTH OF FEB., 2000

S.No.	Name of the CCB Bank	No. of Kisan Credit Card
1	2	3
1.	Ajmer	28850
2.	Alwar	56202
3.	Banswara	24239
4.	Barmer	46904
5.	Bharatpur	55417
6.	Bhilwara	35255
7.	Bikaner	12154
8.	Bundi	13860
9.	Chittorgarh	63990
10.	Churu	26376
11.	Doongarpur	10041
12.	Jaipur	62936
13.	Jaisalmer	2510

1	2	3
14.	Jalore	27861
15.	Jhalawar	35507
16.	Jhunjhunu	28757
17.	Jodhpur	44803
18.	Kota	48350
19.	Nagour	51438
20.	Pali	45829
21.	S. Madhopur	56486
22.	Sikar	46034
23.	Sirohi	6972
24.	Sr. Ganganagar	74681
25.	Tonk	38830
26.	Udaipur	42404
	Total	**989294**

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या-832 की सूची)

परिशिष्ट-"क"

जिला नागौर में हुए अग्निकाण्ड की तहसीलवार सूची

क्र.सं.	नाम तहसील	कुल अग्निकाण्ड हुए की संख्या
1.	नागौर	21
2.	खींवसर	15
3.	जायल	6
4.	मेड़ता	2
5.	डेगाना	8
6.	मकराना	4
7.	नावां	23
8.	परबतसर	49
	योग :	128

परिशिष्ट-"ख"

वर्ष 1999-2000 में जिला नागौर में हुए अग्निकाण्ड की सूचना मय सहायता राशि दी गई

क्र.सं.	पीड़ित व्यक्ति का नाम व पता	सहायता राशि स्वीकृत की गई
1	2	3
1. तहसील नागौर :		
1.	मदन सिंह/सवाई सिंह राजपूत नि. रूण	1000
2.	बाबूलाल/भंवरलाल खाती नि. नागौर	1000
3.	गोरकाराम/लादूराम जाट नि. ऊंटवालियां	1000
4.	अन्नाराम/लादूराम जाट नि. ऊंटवालियां	1000
5.	खींयाराम/बाघाराम विश्नाई श्रीबालाजी	1000
6.	हनुमानराम/रामचन्द्र श्रीबालाजी	1000
7.	मालाराम/आसूराम जाट टांकला	1000
8.	हीरालाल/किशनाराम माली अमरपुरा	1000
9.	झीणाराम/धूलाराम जाट खरनाल	1000
10.	किशोर सिंह/नैनसिंह राजपूत गंठीलासर	1000
11.	बन्नाराम/गुणाराम नायक पीपासर	1000
12.	मोहन लाल/प्रेमाराम मेघवाल अलाय	1000
13.	हुकमाराम/गोविन्दराम मेघवाल खारी–कर्मसोता	1000
14.	कोजदान/गंगादान चारण छीला	500
15.	जयराम/मेताराम भांवी अलाय	500

1	2	3
16.	भंवराराम/मामराज भावी अलाय	1000
17.	श्रवणराम/चौथाराम मेघवाल टांकला	1000
18.	गिदाराम/पेचाराम मेघवाल मकोड़ी	1000
19.	मोहनी देवी पत्नी मंगलाराम नायक मूण्डासर	1000
20.	बनाराम/खींयाराम नायक वसवानी	1000
21.	हुकमाराम/खींयाराम नायक वसवानी	1000
2. तहसील खींवसर		
1.	लिछाराम पुत्र अलाराम नायक नि. देऊ	21800
2.	पाब्रूलाल/रेंवतराम ब्राह्मण नि. दोतीणा	1000
3.	रामसिंह/तेजसिंह राजपूत नि. भेडु	1000
4.	जेठाराम/नवलाराम मेघवाल नि. दोतीणा	1000
5.	गुलाराम/हरदानराम गिवारियां नि. करनूं	1000
6.	मोहनराम/आदूराम भादू नि. करनूं	1000
7.	अमराराम/मोड़ाराम मेघवाल नि. दोतीणा	1000
8.	मांगीराम/रामूराम मेघवाल नि. आचीणा	1000
9.	सजाराम/तेजाराम मेघवाल नि. आचीणा	1000
10.	देवाराम/हीराराम जाट नि. पाबूसर	1000
11.	रामकिशन/मांगीलाल रावणा राजपूत खींवसर	1000
12.	गुलेखां/जतेखां सिपाही देऊ	500
13.	कूनाराम/रावतराम नाई खटोड़ा	1000
14.	लूम्बाराम/मोतीराम मेघवाल दोतीणा	1000

1	2	3
15.	शेराराम/राणाराम नाई खटोड़ा	1000

3. तहसील जायल

1.	मदाराम/रामूराम नायक कालवी	500
2.	गणपतराम/रामूराम नायक कालवी	500
3.	रामूराम/रतनाराम नायक कालवी	500
4.	सांवताराम/झूमरराम बावरी रोल	1000
5.	रामूराम/मांगीलाल मेघवाल निम्बोड़ा	1000
6.	बलवीरराम/देवीलाल नाई दोतीणा	1000

4. तहसील मेड़ता

1.	हरदीनराम/आइदानराम जाट कस्बा की ढाणी	1000
2.	हरजीराम/बालूराम माली नि. मेड़ास	1000

5. तहसील डेगाना

1.	देवाराम/पुरखाराम कुम्हार सिरासना	500
2.	धूलाराम/पुरखाराम कुम्हार सिरासना	500
3.	मांगूराम/बुधाराम मेघवाल गून्दीसर	500
4.	लिछमणराम/रामाराम मेघवाल गून्दीसर	500
5.	पेमाराम/तेजाराम मेघवाल गून्दीसर	500
6.	गोपालराम/राजूराम रावत नि. देवगढ़	500
7.	बुधाराम/राजूराम रावत देवगढ़	500
8.	मुमताज/जुमेखां नि. बेड़ास–कला	1000

1	2	3
6. तहसील मकराना		
1.	डूंगाराम/भूराराम जाट नि. धानणवा	1000
2.	मोहनराम/भूराराम जाट धानणवा	700
3.	भूराराम/हेमाराम जाट धानणवा	700
4.	सोहनराम/भूराराम जाट धानणवा	1000
7. तहसील नावां		
1.	मेवापुरी/गुमानपुरी नि. सोडास	1000
2.	श्रवण लाल/घींसाराम माली नि. सांवतगढ़	1000
3.	रतनाराम/उमाराम बलाई नि. भूणी	1000
4.	मोहनी देवी पत्नी धनाराम मेघवाल श्रवणपुरा	1000
5.	वोदूराम/नथूराम जाट मूण्डघसोई	1000
6.	घींसाराम/भींवाराम जाट मूण्डघसोई	1000
7.	रामकरण/झूंझाराम गूजर नि. मूण्डघसोई	1000
8.	नारूराम/भींवाराम मीणा देवलीकलां	1000
9.	हड़मान/कानाराम जाट मूण्डघसोई	1000
10.	गणेशराम/रूड़ाराम जाट मूण्डघसोई	1000
11.	मोहनराम/कानाराम जाट मूण्डघसोई	1000
12.	मुनाराम/गंगाराम जाट मूण्डघसोई	1000
13.	रेखाराम/कानाराम जाट मूण्डघसोई	1000
14.	केसर देवी पत्नी बालूराम मेघवाल	500
15.	गिरधारी लाल/सुवाराम रैगर पांचवा	500

1	2	3
16.	जीवणराम/रूघाराम जाट लोहराणा	500
17.	भींवाराम/कानाराम मेघवाल सुजानपुरा	500
18.	चूंकादेवी/रामदेवराम मेघवाल सुजानपुरा	500
19.	श्याम लाल/रामदेवराम मेघवाल सुजानपुरा	500
20.	भंवर लाल/सेवाराम मेघवाल सुजानपुरा	1000
21.	लालाराम/बनाराम बावरी पांचवा	1000
22.	नाथूराम/भींवाराम मेघवाल सुजानपुरा	500
23.	मेवापुरी/गुमानपुरी गुसांई टोडास	1000

8. तहसील परबतसर

1.	गोपाल/हमीरा गिवारिया परबतसर	1000
2.	ओमप्रकाश/छिगनाराम गिवारिया नि. बडू	500
3.	मिश्रीलाल/चन्द्राराम गिवारिया नि. बडू	1000
4.	लादूराम/मोहनराम गिवारिया नि. बडू	1000
5.	शंकरलाल/छगन लाल गिवारिया बडू	1000
6.	प्रकाश/छगन लाल गिवारिया बडू	500
7.	समदर पुत्र छगन लाल गिवारिया बडू	1000
8.	जीवणराम/छगन लाल गिवारिया बडू	1000
9.	नोरतनमल/चन्द्राराम गिवारिया बडू	1000
10.	दियालराम/छगन लाल गिवारिया बडू	1000
11.	परसाराम/थानाराम गिवारिया बडू	1000
12.	मोहनलाल/बाबूदान गिवारिया बडू	1000

1	2	3
13.	रामेश्वर/बालूराम गिंवारिया बडू	500
14.	करतारमल/थानाराम गिंवारिया बडू	1000
15.	कोजाराम/छगन लाल गिंवारिया बडू	1000
16.	पूर्णमल/थानाराम गिंवारिया बडू	1000
17.	शंकर/पूसाराम गिंवारिया बडू	1000
18.	बालूराम/नारायणराम गिंवारिया बडू	1000
19.	मोतीराम/छगनाराम गिंवारिया बडू	500
20.	मोतीलाल/चन्द्राराम गिंवारिया बडू	1000
21.	चेनाराम/जगदीश गिंवारिया बडू	500
22.	गणेश/मोहन लाल गिंवारिया बडू	1000
23.	हंसराज/छगनाराम गिंवारिया बडू	1000
24.	मोहनराम/गोविन्दराम बावरी नि. भादवा	1000
25.	मेवाराम/भागूराम जाट नि. हुलढाणी	1000
26.	पोकरराम/नानूराम माली नि. पीह	900
27.	खेताराम/अमराराम नि. कंवलाद	1000
28.	देवाराम/अर्जुनराम बावरी नि. झालरा	1000
29.	गेगाराम/पूसाराम जाट नि. हरनांवा–पट्टी	1000
30.	संतोष पुत्र नानूराम हरिजन नि. खोखर	1100
31.	गिरधारी सिंह/भंवर सिंह नि. जंजीला	1000
32.	पांचूराम/नानूराम माली नि. पीह	1000
33.	हरजीराम/पांचूराम माली नि. पीह	1000

1	2	3
34.	गोपीराम/पोकरराम माली नि. पीह	1000
35.	नोरतनमल/पोकरराम माली नि. पीह	1000
36.	नारायणराम/जोराराम माली नि. पीह	1000
37.	हेमाराम/पांचूरामं माली नि. पीह	1000
38.	आइदान/सांवताराम जाट नि. वरूण	1000
39.	किशनाराम/आइदान जाट नि. वरूण	1000
40.	रामेश्वर/आइदानं जाट नि. वरूण	1000
41.	बालूराम/आइदान जाट नि. वरूण	500
42.	सुखराम/आइदान जाट नि. वरूण	500
43.	दलाराम/बिरदाराम बावरी नि. पीलवा	1000
44.	पूनम चन्द/भंवर लाल बावरी नि. परबतसंर	1000
45.	ताराचन्द/नाथूलाल सिंधी नि. परबतसर	500
46.	रामनिवास/श्रीराम बावरी नि. परबतसर	1000
47.	रतनाराम/पूसाराम जाट नि. कालेटड़ा	1000
48.	प्रहलादराम/मदनराम बावरी नि. पीलवा	1000
49.	मूलाराम/छोगाराम गुर्जर नि. मुण्डोता	1000

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या-836 की सर्वे रिपोर्ट)

विषय : श्रीमान् रामगोपाल बैरवा, एम. एल. ए., विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा, कोटा द्वारा चाहे गए सर्वे इटावा से ग्राम ढीवरी चम्बल तक की सर्वे रिपोर्ट।

इटावा से ढीवरी तक मार्ग में आने वाले ग्राम

इटावा	कि.मी.	00 कि.मी.
रजोपा	"	6 कि.मी.
रामपुरिया	"	9 कि.मी. आबादी 1000
हथोली	"	13 कि.मी. नहर पर ब्रेकर बड़ा
सम्मानपुरा	"	15 कि.मी. मिडिल स्कूल मार्ग पक्का रोड सम्मानपुरा के बाद दो रपटें तथा रपटों के पहले तथा बीच में मार्ग कच्चा।
बोरदा	"	17 कि.मी. मिडिल स्कूल जनसंख्या 2000
कल्याणपुर	"	21 कि.मी. बिजली के तार नीचे लटके हुए गिरने से बिजली के तार छू सकते हैं।
ढीवरी	"	25 कि.मी. आधा कि.मी. पहले रोड समाप्त वाहन को घुमाने की जगह नहीं है।

ग्रामवासियों की ग्राम ढीवरी में वाहन को घुमाने की जगह ठीक करने को कहा गया. तथा ग्राम कल्याणपुर में बिजली के तारों को ऊंचा करवाने को कहा गया। ग्रामवासियों की ग्राम सम्मानपुर में रपट के आगे तथा पहले गिट्टी रोड बनाने हेतु कहा गया। यह वाहन संचालन करना नियम हित में है तथा यात्री भार भी अच्छा मिलेगा। ग्राम से ढीवरी तक डामर रोड है। सड़क में कुछ स्थानों पर गड्डे हैं।

स्वयं माननीय विधायक महोदय कार्यालय में उपस्थित हुए उनसे उक्त कमियां दूर करने हेतु निवेदन किया। इसके बाद ही वाहन संचालन सामान्य हो सकेगा बतला दिया गया।

ह.

टी. आई.

परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न संख्या-841 का विवरण)

परिशिष्ट-"अ"

कृषि उपज मण्डी समितियों के पूर्व में सम्पन्न चुनावों का विवरण

क्रमांक	नाम मण्डी समिति	चुनाव का वर्ष
1.	जयपुर (अनाज)	23.3.73
2.	जयपुर (फल-सब्जी)	26.2.73
3.	दौसा	13.7.70, 22.11.74
4.	कोटपूतली	15.4.68, 29.5.73
5.	बांदीकुई	19.4.74
6.	चाकसू	26.9.73
7.	लालसोट	चुनाव नहीं हुए
8.	किशनगढ़ रेनवाल	चुनाव नहीं हुए
9.	महुवा मण्डावर	17.8.68, 12.5.73
10.	चौमूं	24.5.73
11.	अजमेर (अनाज)	22.4.74
12.	मदनगंज किशनगढ़	16.10.67
13.	विजयनगर	27.3.68, 23.5.72
14.	ब्यावर	5.10.68, 24.5.72
15.	केकड़ी	16.5.68, 16.5.71

क्रमांक	नाम मण्डी समिति	चुनाव का वर्ष
16.	भीलवाड़ा	25.12.66, 7.2.69, 6.2.72
17.	माण्डलगढ़	चुनाव नहीं हुए
18.	गंगापुर	चुनाव नहीं हुए
19.	टोंक	31.7.71
20.	मालपुरा	22.3.71
21.	निवाई	25.9.69
22.	देवली	4.4.67, 24.6.71
23.	उनियारा	चुनाव नहीं हुए
24.	अजमेर (फल-सब्जी)	चुनाव नहीं हुए
25.	अलवर	3.5.67, 13.7.74
26.	खेड़ली	21.6.68, 7.7.72
27.	खैरथल	12.5.67, 6.11.71
28.	भरतपुर	22.11.68, 10.7.72
29.	नदबई	20.11.73
30.	डीग	12.6.69, 14.3.74
31.	कामां	16.8.69, 10.2.74
32.	नगर	चुनाव नहीं हुए
33.	बयाना	1.10.67, 20.4.73
34.	धौलपुर	14.2.69, 25.6.74
35.	सीकर	चुनाव नहीं हुए
36.	नीमकाथाना	चुनाव नहीं हुए

क्रमांक	नाम मण्डी समिति	चुनाव का वर्ष
37.	श्रीमाधोपुर	23.6.69, 17.3.73
38.	फतेहपुर	21.11.75
39.	झुन्झुनूं	चुनाव नहीं हुए
40.	चिड़ावा	चुनाव नहीं हुए
41.	सूरजगढ़	चुनाव नहीं हुए
42.	नवलगढ़	चुनाव नहीं हुए
43.	नागौर	15.6.73
44.	कुचामन सिटी	27.7.68, 25.8.74
45.	मेड़ता सिटी	17.1.70, 8.6.74
46.	डीडवाना	चुनाव नहीं हुए
47.	डेगाना	चुनाव नहीं हुए
48.	श्रीगंगानगर (अनाज)	20.4.68
49.	रायसिंहनगर	31.01.68, 30.7.74
50.	श्रीविजयनगर	28.7.67, 4.9.68
51.	श्रीकरणपुर	19.3.69, 30.6.72
52.	गजसिंहपुर	9.2.67, 21.7.72
53.	अनूपगढ़	चुनाव नहीं हुए
54.	पदमपुर	9.8.68, 22.6.74
55.	घड़साना	चुनाव नहीं हुए
56.	केसरीसिंहपुर	7.3.68, 8.1.74
57.	जैतसर	चुनाव नहीं हुए

क्रमांक	नाम मण्डी समिति	चुनाव का वर्ष
58.	रिड़मलसर	चुनाव नहीं हुए
59.	रावला	चुनाव नहीं हुए
60.	श्रीगंगानगर (फल-सब्जी)	चुनाव नहीं हुए
61.	हनुमानगढ़	30.1.68, 2.8.71
62.	संगरिया	9.10.67
63.	सादुलशहर	22.6.68
64.	पीलीबंगा	19.8.68, 20.10.72
65.	नोहर	9.8.67
66.	भादरा	6.9.67, 20.10.72
67.	सूरतगढ़	चुनाव नहीं हुए
68.	रावतसर	चुनाव नहीं हुए
69.	गोलूवाला	चुनाव नहीं हुए
70.	बीकानेर (अनाज)	29.9.69
71.	नोखा	1.9.70, 7.12.74
72.	लूणकरणसर	चुनाव नहीं हुए
73.	सादुलपुर	चुनाव नहीं हुए
74.	चूरू	चुनाव नहीं हुए
75.	रतनगढ़	चुनाव नहीं हुए
76.	सरदारशहर	चुनाव नहीं हुए
77.	सुजानगढ़	26.3.77
78.	श्रीडूंगरगढ़	चुनाव नहीं हुए

क्रमांक	नाम मण्डी समिति	चुनाव का वर्ष
79.	खाजूवाला	चुनाव नहीं हुए
80.	बीकानेर (फल-सब्जी व ऊन)	चुनाव नहीं हुए
81.	कोटा	24.3.64, 1.1.67, 26.7.71, 25.7.74
82.	बारां	29.12.69
83.	अन्ता	चुनाव नहीं हुए
84.	इटावा	चुनाव नहीं हुए
85.	रामगंजमण्डी	4.1.67, 20.5.71, 7.11.73, 5.8.74
86.	छबड़ा	चुनाव नहीं हुए
87.	भवानी मण्डी	29.4.69, 2.5.74
88.	अटरू	चुनाव नहीं हुए
89.	खानपुर	चुनाव नहीं हुए
90.	इकलेरा	चुनाव नहीं हुए
91.	झालरापाटन	चुनाव नहीं हुए
92.	सवाईमाधोपुर	7.5.69, 27.12.72, 29.6.74
93.	गंगापुरसिटी	23.12.68, 21.5.73
94.	हिण्डौन	23.12.68, 21.5.73
95.	बून्दी	13.4.71
96.	केशवरायपाटन	चुनाव नहीं हुए
97.	सुमेरगंजमण्डी	17.9.71, 30.12.74
98.	उदयपुर	18.6.71
99.	राजसमन्द	चुनाव नहीं हुए

क्रमांक	नाम मण्डी समिति	चुनाव का वर्ष
100.	फतहनगर	7.12.68, 18.1.74
101.	डूंगरपुर	चुनाव नहीं हुए
102.	बांसवाड़ा	चुनाव नहीं हुए
103.	चित्तौड़गढ़	चुनाव नहीं हुए
104.	कपासन	14.11.66, 18.11.70
105.	निम्बाहेड़ा	25.4.67, 18.6.74
106.	बेगूं	13.1.71, 8.10.74
107.	प्रतापगढ़	30.8.70
108.	बड़ी सादड़ी	चुनाव नहीं हुए
109.	आबूरोड	30.4.73
110.	जोधपुर (अनाज)	25.6.67
111.	बिलाड़ा	26.3.69, 8.4.74
112.	पीपाड़ सिटी	24.10.69, 8.10.74
113.	बाड़मेर	18.4.72
114.	बालोतरा	29.5.73
115.	जैसलमेर	चुनाव नहीं हुए
116.	पाली	25.4.67, 5.2.72
117.	सोजतरोड	25.4.67, 22.2.70
118.	जैतारण	28.8.70, 27.1.75
119.	रानी	17.9.71, 14.1.75
120.	सुमेरपुर	25.4.67, 30.5.69, 5.11.73

क्रमांक	नाम मण्डी समिति	चुनाव का वर्ष
121.	जालौर	चुनाव नहीं हुए
122.	भीनमाल	19.7.74
123.	जोधपुर (फल-सब्जी)	चुनाव नहीं हुए
124.	सांचोर	चुनाव नहीं हुए